




एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

HLL Lifecare Limited
(A Government of India Enterprise)

वार्षिक प्रतिवेदन 56th ANNUAL REPORT 2021 = 2022



विषय - सूची

CONTENTS

निदेशक मंडल	7 7	Board of Directors
अध्यक्ष का भाषण	12 13	Chairman's Speech
अंशधारियों को सूचना	16 17	Notice to Shareholders
निदेशकों की रिपोर्ट	30 31	Directors' Report
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	112 113	Report on Corporate Governance
प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण	132 133	Management Discussion and Analysis
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	176 177	Auditors' Report on Standalone Financial Statements
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	204 205	Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Standalone Financial Statements
वर्ष 2021-22 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखा	208 209	Standalone Financial Statement for the year 2021-22
लेखे को टिप्पणियाँ	224 225	Notes to Accounts
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	382 383	Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements
समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	412 413	Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Consolidated Financial Statements
वर्ष 2021-22 के लिए समेकित वित्तीय विवरण	418 419	Consolidated Financial Statements for the year 2021-22
समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ	436 437	Notes to Consolidated Financial Statements



डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya

सम्माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संघ कैबिनेट मंत्री
Hon'ble Union Cabinet Minister for Health & Family Welfare



डॉ. भारती प्रविण पवार

Dr. Bharati Pravin Pawar

सम्माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संघ राज्य मंत्री
Hon'ble Union Minister of State for Health & Family Welfare



श्री. राजेश भूषण आई ए एस
Shri. Rajesh Bhushan IAS
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
Secretary, Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Board of Directors
निदेशक मंडल



श्री आशीष श्रीवास्तव आई ए एस
Shri Ashish Srivastava IAS
अपर सचिव & एफ.ए,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय, भारत सरकार
Additional Secretary &
F.A, Ministry of Health &
Family Welfare, Government of India



श्री के.बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
Shri. K. Beji George IRTS
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director



श्रीमती रोली सिंह आई ए एस
Smt. Roli Singh IAS
अपर सचिव स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
Additional Secretary
Ministry of Health and
Family Welfare, Govt. of India



श्री टी. राजशेखर
Shri T. Rajasekar
निदेशक (विपणन)
Director (Marketing)



डॉ. गीता शर्मा
Dr. Geeta Sharma
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)



डॉ. पी. विजयचंदर रेड्डी
Dr P. Vijayachander Reddy
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director



प्रो. (डॉ.) आदर्श पाल विज
Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director



श्रीमती नीता बूचरा
Smt Neeta Boochra
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director

दृष्टिकोण/ दौत्य तथा उद्देश्य

दृष्टिकोण

निरंतर नवाचार के ज़रिए सस्ती एवं गुणवत्तावाले स्वास्थ्य रक्षा समाधान प्रदान करके समविष्टि पर संकेंद्रित विश्वस्तरीय सम्मानित संगठन बन जाना।

दौत्य

कॉर्पोरेट दृष्टिकोण पूरा करने की ओर, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने निम्नलिखित दौत्य उल्लिखित किया है जो प्रमुख क्षेत्रों पर संकेंद्रित हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरा करने वाले गुणवत्तावाले उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना।
- उत्तम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने से निरंतर सुधार के द्वारा उत्कृष्टता।
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, लागत प्रबंधन और उपभोक्ता रक्षा के द्वारा उपभोक्ता आनंद और मूल्य सृजन।
- चुनौतीपूर्ण व्यवसाय वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए मानव संसाधन विकास पर केंद्रित करना।
- कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्चतम मानक बनाए रखने के द्वारा सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट बन जाना।
- हरी पहल और धारणीय विकास के प्रोन्नत के ज़रिए पृथ्वी माँ की भलाई और भविष्य पीढ़ियों के लिए प्रतिबद्ध रहना।

उद्देश्य

- उच्च गुणवत्ता लागत प्रतियोगी के साथ प्रचालन की त्वरित वृद्धि और ग्लोबल स्तर हासिल करना और प्रत्येक मुख्य उत्पाद श्रेणी में मुख्य तीन खिलाड़ियों में एक बन जाना।
- अनुसंधान एवं विकास पहल के ज़रिए निरंतर नवाचार की संस्कृति बनाना।
- 90% से अधिक कर्मचारी संतुष्टि स्तर के साथ भारत में विकल्प के नियोक्ता रहने के लिए प्रयास करना।
- समाज को प्रतिबद्धता के साथ पुनरुत्पादन एवं महिला स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सामाजिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करना - इन खंडों में सभी सरकारी एवं बहुपार्थीय पहलों को कार्यान्वित करने के लिए विकल्प के साझेदार बनना।
- अधिकार हीन एवं अल्पाधिकार प्राप्त वर्गों को सशक्तिकरण और आर्थिक मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके फायदा की ओर क्षमता निर्माण, कौशल विकास और अवसरचना विकास पर संकेंद्रित करना।
- उच्च सतत विकास की ओर नेतृत्व कर रहे संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जो पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों पर ज़ोर देकर कंपनी अपना दृष्टिकोण/दौत्य पूरा करने का प्रयास करेगी।

VISION, MISSION & OBJECTIVES

VISION

To be a globally respected organisation, focusing on inclusiveness by providing affordable and quality healthcare solutions through continuous innovation.

MISSION

To accomplish the Corporate Vision, HLL Lifecare Ltd has outlined following Mission which focus on six key areas:

- Provide quality products and services meeting international standards.
- Excellence through continual improvement by adoption of best technologies and practices.
- Customer delight and value creation through innovation, R & D, cost management and customer care.
- Focusing on human resource development to meet the needs of challenging business environment.
- Be a socially committed corporate by maintaining highest standards of corporate governance and corporate social responsibility.
- Committed to the well-being of mother earth and future generations through green initiatives and promotion of sustainable development.

OBJECTIVES

The company will strive to fulfill its vision/mission by

- Attaining rapid growth and global levels of operations with high quality cost competitiveness and be among the top three players in each main product category.
- Create a culture of continuous innovation through R& D initiatives.
- Strive to be the employer of choice in India with employee satisfaction levels of over 90%.
- Be recognized as the leading social organization in the field of Reproductive and Women's Healthcare with commitment to the society - a partner of choice for implementing all government and multi-lateral initiatives in these segments.
- Focussing on capacity building, skill development and infrastructural development for the benefit of the marginalized and under privileged sections for their empowerment and inclusion in the economic mainstream.
- To place emphasis on environmental friendly activities that brings out conservation of resources and waste management leading to top sustainable development.

गुणवत्ता नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड प्रतिबद्ध है :

- हमारे ग्राहकों को गुणवत्ता के उच्चतम सुसाध्य स्तर के किफायती स्वास्थ्य रक्षा समाधानों को लगातार प्रदान करना।
- हमारी प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को लगातार सुधार करना, उत्तम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाना और हर समय राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करना।
- नवान्वेषण, अनुसंधान व विकास, लागत प्रबंधन पर फोकस करना और हमारे ग्राहकों के अपेक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ग्राहक मूल्य प्रदान करना।
- सामूहिक अभिशासन तथा सामूहिक सामाजिक दायित्व से युक्त उच्चतम मानकों को पूरा करनेवाले संगठन बन जाना।

सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड पर्यावरण के संरक्षण, व्यावसायिक जोखिमों को दूर करना और स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य स्थान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं :

- पर्यावरण पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना और उपयुक्त विधिक एवं अन्य अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करना।
- कर्मचारी प्रशिक्षण और उनकी भागीदारी के साथ सुरक्षित प्रचालन प्रथाओं को अपनाना।
- पर्यावरणिक गुणवत्ता को, अपशिष्ट एवं उत्सर्जन कम करके, पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने के ज़रिए, सुधार करना।
- स्थानीय प्रबंधन प्रणाली एवं उत्तम प्रथाओं पर वैश्विक एवं सुसंगत दृष्टिकोण के लिए प्रयास करना और स्थायी निष्पादन प्राप्त करना।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवधिक समीक्षा।

प्रयोगशाला गुणवत्ता नीति

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जाँच प्रणाली का अनुपालन करके तथा अच्छे व्यावसायिक आचरणों के प्रयोग द्वारा विश्वसनीय, सुसंगत, निष्पक्ष तथा अनुमार्गणीय जाँच परिणाम सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता प्रचालन में सम्मिलित सभी कर्मिकों को आई एस ओ/आई ई सी 17025 : 2017 के अनुरूप प्रबंधन प्रणाली की नीतियों और कार्यविधियों के साथ सक्षम करना और सुपरिचित बनाना, सुनिश्चित करना तथा उसको उनके कार्य में कार्यान्वित करना।
- प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को निरंतर सुधारना।

ऊर्जा नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड सबसे लागत प्रभावी, कार्यक्षम और पर्यावरणिक रूप से जिम्मेदार तरीके के ज़रिए ऊर्जा प्रापण और उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है :

- ऊर्जा कार्यक्षमता निष्पादन नियमित रूप से समीक्षा करना और सुसंगत सुधार अपनाना ;
- प्रापण प्रक्रिया में ऊर्जा कार्यक्षम को एक मुख्य मापदंड के रूप में प्रयोग करना और नवीकरणीय ऊर्जा श्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना;
- ऊर्जा उपयोग, उपभोग और कार्यक्षमता से संबंधित उपयुक्त विधिक और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन।
- कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच में ऊर्जा की उद्योगी खपत और संरक्षण की आवश्यकता संबंधी जागरूकता का बढ़ावा देना सुनिश्चित करना।

Quality Policy

HLL Lifecare Limited is committed to:

- Consistently provide our customers with affordable Healthcare solutions of the highest possible level of quality.
- Continually improve our processes, products and services, adopt best technologies and practices and meet national / international regulatory requirements at all times.
- Focus on innovation, R&D, cost management and deliver customer value nationally and globally, conforming to the needs of our customers.
- Be an organization that meets highest standards in Corporate Governance and Corporate Social responsibility.

SHE Policy

HLL Lifecare Limited is committed to protect environment, eliminate occupational hazards and maintain a healthy and safe work place by

- Preventing any adverse impact to the environment and complying with applicable legal and other requirements.
- Adopting safe operating practices, with employee training and their involvement.
- Improving the environmental quality by minimizing waste & emission, reusing & recycling, reducing the use of natural resources.
- Striving for a global and consistent approach that builds on local management system & best practices and to achieve sustainable performance.
- Periodic review of safety, health and environment management system.

Lab Quality Policy

- Ensure reliable, consistent, impartial and traceable test results by using test methods complying with national / international standards and by following good professional practices.
- Ensure that all personnel involved in the testing operations are competent and familiar with the policies and procedures of the management system conforming to ISO/IEC 17025: 2017 and implement the same in their work.
- Continually improve the effectiveness of the management system.

Energy Policy

HLL Lifecare Limited is committed to buying and using energy in the most cost effective, efficient and environmentally responsible way through:

- Regularly reviewing the energy efficiency performance and adopt relevant improvement;
- Using energy efficiency as one of the key criteria within procurement process and encourage usage of renewable energy source;
- Compliance of applicable legal and other requirements related to energy use, consumption & efficiency;
- Ensuring promotion of awareness about the need for diligent consumption and conservation of energy among the employees and other stakeholders.

अध्यक्ष भाषण

प्रिय सदस्यों,

आज आयोजित हो रही एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की 56 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंपनी और उसके प्रबंधन के प्रति आपके निरंतर विश्वास, प्रोत्साहन और समर्थन के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन और उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए मुझे खुशी है।

एचएलएल कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करके वायरस के प्रसार से निपटने के लिए देश भर में सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की ओर एक ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 एचएलएल के लिए एक घटनापूर्ण वर्ष था क्योंकि कोविड-19 संबंधित व्यवसायों के साथ कंपनी के टर्नओवर में अधिक योगदान देकर कंपनी अपने इतिहास में उच्चतम टर्नओवर हासिल कर सकी।

वर्ष 2021-22 के दौरान एचएलएल की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

- वर्ष 2021-22 के लिए प्रचालन से राजस्व रु. 35,668.67 करोड था, जिसमें से सामान्य प्रचालन से राजस्व रु. 1,720.56 करोड है जबकि वर्ष 2020-21 (रु.5081.31 करोड कुल राजस्व था) में यह रु. 1,513.03 करोड था जिसमें वर्षों वर्ष 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कर के पूर्व लाभ, वर्ष 2020-21 के रु.151.93 करोड की तुलना में वर्ष 2021-22 में मुख्य रूप से कोविड संबंधित प्रचालन के कारण 264.1% की वृद्धि दर्शाकर रु.551.82 करोड है।
- कर के बाद लाभ, वर्ष 2020-21 के रु.112.72 करोड की तुलना में वर्ष 2021-22 में रु.408.23 करोड है।
- निवल मूल्य ने 31.03.2021 तक के रु.386.18 करोड से 31.03.2022 तक रु. 768.92 करोड तक बढ़ा है।

वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी के निष्पादन को 'बहुत अच्छा' के रूप में दर्जा दिया गया है।

अंत में निदेशक मंडल की तरफ से, मैं भारत सरकार के विविध विभागों, विशेषतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिए, अपना हार्दिक धन्यवाद और अभिस्वीकृति अदा करता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री (एमओएचएफडब्लियु), राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, सचिव (एमओएचएफडब्लियु) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से कृतज्ञता अदा करने के लिए विनियोग करता हूँ। मैं बोर्ड के मेरे सहयोगियों को भी, कंपनी को चलाने के लिए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और योगदान के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे, मैं एचएलएल के सभी कर्मचारियों को कंपनी को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान एवं समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूँ।

अब हम कंपनी के लिए और हर एक के लिए उज्ज्वल और चमकदार भविष्य की नई आशा के साथ, वर्ष 2022-23 का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार रहें और नए विकास के अवसरों को जब्त करने के लिए तैयार रहें।

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Members,

It is my great pleasure to welcome you all to the 56th Annual General Meeting of HLL Lifecare Ltd. being held today. I thank you all for your continued trust, encouragement and support to the Company and its management.

I am happy to share with you the performance highlights and achievements of your Company during the financial year 2021-22.

HLL has been playing a historical role in India's battle against COVID – 19 pandemic by working closely with the Government of India in ensuring the availability of all necessary medical devices across the country for combating the virus spread. Financial Year 2021-22 was an eventful year for HLL as the Company could achieve the highest Turnover in its history with COVID- 19 related businesses contributed more towards the Turnover of the company.

The major achievements of HLL during year 2021-22 includes matters such as:

- Revenue from operations for the year 2021-22 was Rs.35,668.67 Cr, out of which Revenue from Normal Operations is Rs.1,720.56 Cr as against Rs. 1,513.03 Cr in 2020-21 (Total Revenue was Rs. 5081.31 Cr.), recording an increase of 13.7% year on year.
- Profit Before Tax is Rs.551.82 Cr in 2021-22 compared to corresponding profit of Rs. 151.93 Cr in 2020-21 reflecting an increase of 264.1% mainly due to COVID related operations.
- Profit After Tax is Rs.408.23 Cr in 2021-22 compared to corresponding profit of Rs. 112.72 Cr in 2020-21.
- Net Worth has increased from Rs.386.18 Cr as at 31.03.2021 to Rs.768.92 Cr as at 31.03.2022

Your Company's performance has been rated as "Very Good" in terms of MoU signed with the Government of India for the year 2020-21.

To conclude, on behalf of the Board of Directors, I would like to convey my sincere thanks and acknowledgment for the co-operation and support extended by various departments of Government of India, particularly by the Ministry of Health & Family Welfare. I take this opportunity to specially thank Honorable Health Minister (MoHFW), Minister of State for Health, Secretary (MoHFW) and other senior officials of MoHFW for reposing its confidence in HLL. I would also like to thank my colleagues on the Board for their valuable contribution in driving performance of the Company. Further, I thank all employees of HLL for their invaluable contribution and support in strengthening the Company.

Now we look forward to year 2022-23, with new hope to a vibrant and bright future both for the company. Let us be ready to face the future with renewed confidence and gear up to seize new growth opportunities.

वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन मार्गनिर्देशों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया था ।

अंत में मैं, आज के वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं अब सूचना के अनुसार कार्यसूची मदों को आपके विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

तारीख : 03 दिसंबर, 2022

स्थान : तिरुवनंतपुरम

के.बेजी जॉर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन : 08419099

During the year 2021-22, your Company had substantially complied with Corporate Governance Guidelines issued by Department of Public Enterprises.

Finally, I thank all present here for having attended today's Annual General Meeting. I now move the Agenda items as per notice for your consideration and approval.

Date: 3rd December 2022
Place: Thiruvananthapuram

K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
DIN: 08419099

सूचना

56 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का पुनःनिर्धारण

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य निबाहने के लिए तिरुवनंतपुरम में स्थित एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में 3 दिसंबर, 2022 अपराह्न 02.00 बजे को नियत एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के शेयरधारकों की 56 वीं वार्षिक सामान्य बैठक उसी तारीख (03/12/2022) को अपराह्न 02.00 बजे वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग (वी सी)/ अन्य श्रव्य दृश्य साधन (ओवीएएम)के ज़रिए पुनःनिर्धारित की गई है।

सामान्य कार्य :

1. विचार करना और अंगीकार करना
(क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।
(ख) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।
2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कर के बाद लाभ रु.122.47 करोड़ का 30% लाभांश घोषित करना।
3. वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेश मंडल को प्राधिकृत करना।
निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।
“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन ।

निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6 (2) और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन बताये गए नियमों के साथ पढ़े, के अनुसरण में, **मेसर्स धनंजय वी जोशी & एसोसिएट्स** सीएएम प्राइड, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 6, क्रमांक 16/6, एरंडवाना को-ऑप एचएसजी सोसाइटी, एरंडवाना, पूणे- 411004, लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण नं. 000030 को देय रु.5,00,000 प्लस लागू जीएसटी और वास्तविक यात्रा और जेब खर्च की पुष्टि कंपनी एतद्वारा दी जाती है जिनको निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गये थे।

बोर्ड के आदेशानुसार

जयकृष्ण ए.आर
कंपनी सचिव

स्थान : तिरुवनंतपुरम

No. HLL/CS/III-152(h)/2022

01st December 2022

NOTICE

RESCHEDULING OF THE 56TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the shareholders of HLL Lifecare Limited scheduled to be held on 03rd December 2022 at 02.00 p.m at the Registered office of HLL Lifecare Limited at Thiruvananthapuram is rescheduled on the same date (03/12/2022) at 02.00 PM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM") to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt
 - a) the audited Standalone Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2022 along with the Report of the Directors and Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
 - b) the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2022 along with the Report of the Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon..
2. To declare dividend amounting to INR 122.47 Cr. being 30% of Profit After Tax for the financial year ended 31st March, 2022
3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration payable to the Statutory Auditors of the Company for the year 2022-23.

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the requirement of Section 142(1) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and are hereby authorised to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2022-23".

SPECIAL BUSINESS:

4. Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2022- 23

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148(3) of Companies Act, 2013, and rule 6(2) of the Companies(Cost Records and Audit) Rules, 2014, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Company hereby ratifies remuneration of of INR 5,00,000/- plus applicable GST besides reimbursement of actual travelling and out-of-pocket expenses to M/s Dhananjay V Joshi & Associates, CMA Pride, Ground Floor, Plot No.6, S No.16/6, Erandawana Co-op.Hsg.Society, Erandawana, Pune-411004, Cost Accountants, with Firm Registration No.000030, who were appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company for the financial year ending 31st March 2023.

By the order of the Board
Jaikrishnan A R
Company Secretary

Place: Thiruvananthapuram

टिप्पणियाँ :

1. एचएलएल भवन, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम के कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 03/12/2022, अपराह्न 02.00 को मूल रूप से आयोजित करने के लिए नियत कंपनी की 56 वीं वार्षिक सामान्य बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आधार पर (वी सी)/ ओवीएम के ज़रिए 03/12/2022, अपराह्न 02.00 को पुनः निर्धारित की गई है।
2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (इसके बाद में 'एमसीए' के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 13 जनवरी 2021 और 05/05/2022 के सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020 & 17/2020 (बाद में सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित दिनांक 05 मई 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार वीसी/ओवीएम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अनुमति दी। तदनुसार एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का एजीएम वीसी/ओवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है। यह एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
3. चूँकि यह एजीएम वीसी/ओवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है , सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति का परवाह न की जाती है। तदनुसार सदस्यों कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीसी/ओवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान लिया गया है कि कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीडियो कॉन्फ़रेन्स सुविधा सभी सदस्यों को आसानी से भागीदारी के लिए दो तरफ टेलिकॉन्फ़ेरेंसिंग की अनुमति देती है। सदस्यों को समवर्ती रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है या कंपनी सचिव के ई-मेल पते पर पहले से प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।
4. बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक शुरू करने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के बाद 15 मिनट की समाप्ति के बाद ही बंद किया जाएगा।
5. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के 103 के अनुसरण में सामान्य बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता, वीसी/ओवीएम के ज़रिए आयोजित सामान्य बैठक के लिए भी बढ़ा दी गयी है। इसलिए वीडियो कॉन्फ़ेरेंस के ज़रिए एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को बैठक के कोरम के लिए गिना जाएगा।
6. बैठक के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के संबंध में, संबंधित एमसीए परिपत्र यह निर्धारित किया जाता है कि यह कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों पर आधारित होगा या परिपत्र में दिए गए तरीके से होगा। आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे। तदनुसार बोर्ड का अध्यक्ष, इस एजीएम के लिए अध्यक्ष होगा।
7. सामान्यतः, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए हकदार सदस्य को इसमें भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सि को नियुक्त करने एवं उसकी ओर से मतदान देने के लिए हकदार है और प्रॉक्सि कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यह एजीएम वीसी/ओवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों के प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता के बिना काम चलाता है और फलस्वरूप प्रॉक्सियों की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए लागू नहीं है।
8. सांविधिक लेखापरीक्षक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कंपनी द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग लेंगे।
9. जब आपकी कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है, इसलिए अध्यक्ष की सहमति से मतदान हाथ दिखाकार करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग न की जाए। यदि कोई संकल्प पर बैठक के दौरान कोई मतदान किया जाना आवश्यक है तो सदस्यों को अपना मतदान कंपनी सचिव के ई-मेल आईडी jaikrishnanar@lifecarehll.com पर दे सकते हैं।
10. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम सूचना, वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेज़ों शेरधारकों के ई-मेल पते में इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भेजे जा रहे हैं।
11. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ़ेरेंस के ज़रिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।
12. सूचना की प्रति कंपनी के वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएगी।

Notes:

1. The 56th Annual General Meeting of the Company originally scheduled to be held at the Registered office of the Company at HLL Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram on 03/12/2022 at 02.00 pm is rescheduled on 03.12.2022 at 02.00 p.m through VC/OAVM mode based on the direction from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
2. Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as “MCA”) has vide its General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read together with General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 13th January, 2021 & 05/05/2022 respectively (hereinafter collectively referred to as “MCA Circulars”), permitted the holding of Annual General Meeting through VC/OAVM. Accordingly, in accordance with the MCA Circulars and provisions of Companies Act 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. This AGM shall be deemed to be held at the Registered Office of the Company.
3. Since this AGM is being held through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the Members can join the AGM through VC/OAVM facility arranged by the Company. All care has been taken by the Company to ensure that the video conference facility arranged by the Company allows two-way teleconferencing for the easy participation of all the Members. The Members are allowed to ask questions concurrently or shall submit the questions in advance at the email address of the Company Secretary.
4. The facility for joining the meeting will be kept open for 15 minutes before the scheduled time to start the meeting and will be closed only after the expiry of 15 minutes after such scheduled time.
5. As per the aforementioned MCA Circulars, the requirement of quorum for a general meeting in pursuance of 103 of Companies Act, 2013 has been extended for general meeting held through VC/OAVM also. Therefore, the Members attending AGM through video conference will be counted for the quorum of the meeting.
6. With regard to the manner of appointment of Chairman for the meeting, the relevant MCA circulars stipulates that either it shall be based on the provisions of Articles of Association of the Company or in the manner as provided in the Circular. As per the Articles of Association of your Company, the Chairman of the Board shall preside as Chairman at every general meeting of the Company. Accordingly, the Chairman of the Board will be the Chairman for this AGM.
7. Generally, pursuant to the provisions of the Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members is dispensed with and consequently the facility for appointment of proxies is not applicable for this AGM.
8. The Statutory auditor or his authorized representative will attend the AGM through VC/OAVM facility provided by the Company.
9. As the total number of members in your Company falls below 50, the Chairman may decide to conduct a vote by show of hands, unless a demand for poll is made by any member. If a poll is required to be taken during the meeting on any resolution, the members may convey their vote at the Email i.d of the Company Secretary at jaikrishnanar@lifecarehll.com
10. In line with the MCA Circulars, AGM Notice, financial statements and other documents are being sent through electronic mode to the e - mail addresses of the shareholders.
11. In pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013 representatives of the Members shall be appointed for the purpose of participation and voting in the meeting through video conference.
12. A copy of the notice shall also be posted on the website of the company.

13. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सदस्य को व्यावसायिक घंटे के दौरान कंपनी सचिव से संपर्क कर सकता है। सदस्यों के अनुरोध पर, सांविधिक रजिस्टर/संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी & ए जी) द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के तहत, लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में तय किया जाना है या ऐसे ढंग से वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी निर्धारित कर सकती है। सी & ए जी ने पत्र सं. सीए/वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एच लैटेक्स (1)/597 दिनांक 01 सितंबर, 2022 द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स श्रीधर & कंपनी, सनदी लेखाकार, श्रीनिधि, टी सी 37/275, पद्मतीर्थम, नोर्थ स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम, केरल को नियुक्त किया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने की ओर निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा गया है।
15. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, विशेष कार्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों में रखे व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

13. For any assistance, a member may contact the Company Secretary during business hours. Upon request of members, the inspection of statutory register/related documents can be made available through electronic mode.
14. Pursuant to Section 139 (5) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of a Government Company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). In terms of Section 142(1) of the Companies Act, 2013 the remuneration of auditors has to be fixed by the company in the annual general meeting or in such manner as the company in annual general meeting may determine. C&AG has vide letter No.CA/V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HLATEX(1)/597 dated 01st September, 2022 appointed M/s. Sridhar & Co., Chartered Accountants, Sreenidhi, TC.37/275, Padmatheertham, North Street, Trivandrum, Kerala as Statutory Auditors of the Company for the year 2022-23. Accordingly, necessary resolution has been placed before the Members for authorising the Board of directors to fix up the remuneration to the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2022-23.
15. Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies, Act, 2013 with Companies (Management and Administration) Rules 2014, setting out the material facts in respect of Special Business is annexed.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार स्पष्टीकरण विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन के अनुसरण में, विशेष व्यवसाय के लिए प्रस्तावित प्रमुख तथ्यों और कारणों निर्धारित करनेवाले स्पष्टीकरण विवरण नीचे दिये गये हैं:

मद सं. : 4 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अधीन कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के साथ पठित व्यवहार में रहे लागत लेखाकार द्वारा आयोजित इसके लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के लिए निदेश की जाती है। 28 सितंबर, 2022 को आयोजित 286 वीं बोर्ड बैठक में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में **मेसर्स धनंजय वी जोशी & एसोसिएट्स** सीएमए प्राइड, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 6, क्रमांक 16/6, एरंडवाना को-ऑप एचएसजी सोसाइटी, एरंडवाना, पूणे- 411004, लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण नं. 000030 के साथ की नियुक्ति और पारिश्रमिक का अनुमोदन दिया। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (क)(ii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों द्वारा लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए सामान्य संकल्प को पारित करने की ओर सदस्यों की अनुमति माँगती है।

बोर्ड आप के अनुमोदन के लिए उपरोक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

उपरोक्त सामान्य संकल्प में निदेशकों में से कोई या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

सेवा में

1. सभी शेयरधारक
2. सभी निदेशक
3. सांविधिक लेखापरीक्षक
4. सचिवालयीन लेखापरीक्षक

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out material facts and reasons for the proposed Special Business is given below.

Item No: 4 Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2022-2023

The Company is directed, under Section 148 of the Companies Act, 2013 read with the Companies(Cost Records and Audit) Rules, 2014 to have the audit of its cost records

conducted by a Cost Accountant in practice. The Board of Directors of your Company in its 286th Board meeting held on 28th September 2022 has approved the appointment and remuneration of **M/s Dhananjay V Joshi & Associates**, CMA Pride, Ground Floor, Plot No.6, S No.16/6, Erandawana Co-op.Hsg.Society, Erandawana, Pune-411004, Cost Accountants, with Firm Registration No.000030 as Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2023. In accordance with the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14(a)(ii) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, the remuneration payable to the Cost Auditors has to be ratified by the members of the Company. Accordingly, consent of the members is sought for passing ordinary resolution for ratification of the remuneration payable to the Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2023.

The Board recommends the aforesaid resolution for your approval.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is concerned or interested in the aforesaid ordinary resolution

To

1. All Shareholders
2. All Directors
3. The Statutory Auditors
4. The Secretarial Auditors

सं.एचएलएल/सीएस/III-152(एच)/2022

14.11.2022

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य निबाहने के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के शेयरधारकों की 56 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 3 दिसंबर, 2022 शनिवार अपराह्न 2.00 बजे को एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल - 695012 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. विचार करना और अंगीकार करना
 - (क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।
 - (ख) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।
2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कर के बाद लाभ रु.122.47 करोड का 30% लाभांश घोषित करना।
3. वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेश मंडल को प्राधिकृत करना।

निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन ।

निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम,2014

No. HLL/CS/III-152(h)/2022

14.11.2022

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the Shareholders of HLL Lifecare Limited will be held on 03rd December 2022, Saturday at 02.00 p.m at the Registered Office of the Company situated at HLL Bhavan, Mahilamandiram Road, Poojappura, Thiruvananthapuram, Kerala-695012 to transact the following business:--

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt
 - a) the audited Standalone Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2022 along with the Report of the Directors and Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
 - b) the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2022 along with the Report of the Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon..
2. To declare dividend amounting to INR 122.47 Cr. being 30% of Profit After Tax for the financial year ended 31st March, 2022
3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration payable to the Statutory Auditors of the Company for the year 2022-23

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the requirement of Section 142(1) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and are hereby authorised to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2022-23”.

SPECIAL BUSINESS:

4. Ratification of Cost Auditor’s remuneration for the financial year 2022- 23

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 148(3) of Companies Act, 2013, and rule 6(2) of the Companies

के नियम 6 (2) और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन बताये गए नियमों के साथ पढे, के अनुसरण में, मेसर्स धनंजय वी जोशी : एसोसिएट्स सीएमए प्राइड, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 6, क्रमांक 16/6, एरंडवाना को-ऑप एचएसजी सोसाइटी, एरंडवाना, पूणे- 411004, लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण नं. 000030 को देय रु.5,00,000 प्लस लागू जीएसटी और वास्तविक यात्रा और जेब खर्च की पुष्टि कंपनी एतदद्वारा दी जाती है जिनको निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गये थे।

बोर्ड के आदेशानुसार

जयकृष्णन ए.आर

कंपनी सचिव

स्थान : तिरुवनंतपुरम

टिप्पणियाँ :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय मतदान करने के लिए उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिनिधि मान्य और प्रभावी होने के लिए, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दर्ज की जानी चाहिए।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी & ए जी) द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के तहत, लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में तय किया जाना है या ऐसे ढंग से वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी निर्धारित कर सकती है। सी & ए जी ने पत्र सं. सीए/वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एच लैटेक्स (1)/597 दिनांक 01 सितंबर, 2022 द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स श्रीधर & कंपनी, सनदी लेखाकार, श्रीनिधि, टी सी 37/275, पद्मतीर्थम, नोर्थ स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम, केरल को नियुक्त किया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने की ओर निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा गया है।
3. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, विशेष कार्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों में रखे व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

(Cost Records and Audit) Rules, 2014, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Company hereby ratifies remuneration of of INR 5,00,000/- plus applicable GST besides reimbursement of actual travelling and out-of-pocket expenses to **M/s Dhananjay V Joshi & Associates**, CMA Pride, Ground Floor, Plot No.6, S No.16/6, Erandawana Co-op.Hsg.Society, Erandawana, Pune-411004, Cost Accountants, with Firm Registration No.000030, who were appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company for the financial year ending 31st March 2023.”

By the order of the Board

Jaikrishnan A R
Company Secretary

Place: Thiruvananthapuram

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and on a poll to vote instead of himself/herself and such proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be valid and effective, must be lodged with the registered office of the company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.
2. Pursuant to Section 139 (5) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of a Government Company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). In terms of Section 142(1) of the Companies Act, 2013 the remuneration of auditors has to be fixed by the company in the annual general meeting or in such manner as the company in annual general meeting may determine. C&AG has vide letter No.CA/V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HLATEX(1)/597 dated 01st September, 2022 appointed M/s. Sridhar & Co., Chartered Accountants, Sreenidhi, TC.37/275, Padmatheertham, North Street, Trivandrum, Kerala as Statutory Auditors of the Company for the year 2022-23. Accordingly, necessary resolution has been placed before the Members for authorising the Board of directors to fix up the remuneration to the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2022-23.
3. Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies, Act, 2013 with Companies (Management and Administration) Rules 2014, setting out the material facts in respect of Special Business is annexed.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार स्पष्टीकरण विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन के अनुसरण में, विशेष व्यवसाय के लिए प्रस्तावित प्रमुख तथ्यों और कारणों निर्धारित करनेवाले स्पष्टीकरण विवरण नीचे दिये गये हैं:

मद सं. : 4 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अधीन कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के साथ पठित व्यवहार में रहे लागत लेखाकार द्वारा आयोजित इसके लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के लिए निदेश की जाती है। 28 सितंबर, 2022 को आयोजित 286 वीं बोर्ड बैठक में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स धनंजय वी जोशी & एसोसिएट्स सीएएम प्राइड, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 6, क्रमांक 16/6, एरंडवाना को-ऑप एचएसजी सोसाइटी, एरंडवाना, पूणे- 411004, लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण नं. 000030 के साथ की नियुक्ति और पारिश्रमिक का अनुमोदन दिया। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (क)(ii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों द्वारा लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए सामान्य संकल्प को पारित करने की ओर सदस्यों की अनुमति मांगती है। बोर्ड आप के अनुमोदन के लिए उपरोक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

उपरोक्त सामान्य संकल्प में निदेशकों में से कोई या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

सेवा में

1. सभी शयर्ज़ारूक
2. सभी त्रिंशक
3. सांविज्ञिक लखापरीक्षक
4. सचिवालयीन्न लखापरीक्षक

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out material facts and reasons for the proposed Special Business is given below.

Item No: 4 Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2022-2023

The Company is directed, under Section 148 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant in practice. The Board of Directors of your Company in its 286th Board meeting held on 28th September 2022 has approved the appointment and remuneration of **M/s Dhananjay V Joshi & Associates**, CMA Pride, Ground Floor, Plot No.6, S No.16/6, Erandawana Co-op.Hsg.Society, Erandawana, Pune-411004, Cost Accountants, with Firm Registration No.000030 as Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2023. In accordance with the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14(a)(ii) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, the remuneration payable to the Cost Auditors has to be ratified by the members of the Company. Accordingly, consent of the members is sought for passing ordinary resolution for ratification of the remuneration payable to the Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2023.

The Board recommends the aforesaid resolution for your approval.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is concerned or interested in the aforesaid ordinary resolution

To

1. All Shareholders
2. All Directors
3. The Statutory Auditors
4. The Secretarial Auditors

निदेशकों की रिपोर्ट (2021-22)

1. वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन नीचे संक्षिप्त रूप से दिया जाता है।

(₹ लाखों में)

वित्तीय विवरण	स्टैन्डअलॉन		समेकित	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
प्रचालन से राजस्व	35,66,867.00	5,08,131.00	36,03,992.00	5,37,532.00
अन्य आय	2,950.00	5,753.00	1,926.00	4,600.00
कुल आय	35,69,817.00	5,13,884.00	36,05,918.00	5,42,132.00
कर के पहले लाभ/(हानि)	55,182.00	15,193.61	56,085.00	14,501.00
कर व्यय	14,359.00	3,921.61	14,971.00	4,298.00
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	40,823.00	11,272.00	41,251.00	10,137.00

कंपनी के निष्पादन के मुख्य हाइलाइट्स नीचे दिए जाते हैं।

- वर्ष 2021-22 के लिए प्रचालन से राजस्व रु.35,668.67 करोड़ था , जिसमें से सामान्य प्रचालन से राजस्व रु.1720.56 करोड़ है जबकि वर्ष 2020-21 में यह रु. 1513.03 करोड़ था(कुल राजस्व रु. 5081.31 करोड़ था) जिसमें वर्ष पर 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई ।
- कर के पूर्व लाभ, वर्ष 2020-21 के रु.151.93 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में मुख्य रूप से कोविड संबंधित प्रचालन के कारण 264.1% की वृद्धि दर्शाकर रु.551.82 करोड़ है।
- कर के बाद लाभ, वर्ष 2020-21 के रु.112.72 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में रु.408.23 करोड़ है।
- निवल मूल्य ने 31.03.2021 तक के रु.386.18 करोड़ से 31.03.2022 तक रु. 768.92 करोड़ तक बढ़ा है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड व्यवसाय लाइन ने एचएलएल राजस्व में रु.3568.28 करोड़ का योगदान दिया है।

2. लाभांश

निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.122.4 करोड़ के लाभांश की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है ।

3. शेयर पूँजी

31 मार्च, 2022 तक की कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी पिछले वर्ष के जैसे ₹300.00 करोड़ रही है। 31 मार्च 2022 तक के जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु.15.53 करोड़ है।

4. एम ओ यु लक्ष्य की तुलना में कंपनी के निष्पादन

वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एम ओ यु के अनुसार आपकी कंपनी का निष्पादन 'बहुत अच्छा' के रूप में मूल्यांकित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के एम ओ यु लक्ष्य की तुलना में कंपनी के निष्पादन को दर्शाते हुए विवरण अनुबंध I के रूप में संलग्न

DIRECTORS' REPORT (2021-22)

1. FINANCIAL RESULTS

The Company's financial performance, for the year ended March 31, 2022 is summarized below:

(₹ In lacs)

Financial Particulars	Standalone		Consolidated	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Revenue from operations	35,66,867.00	5,08,131.00	36,03,992.00	5,37,532.00
Other Income	2,950.00	5,753.00	1,926.00	4,600.00
Total Income	35,69,817.00	5,13,884.00	36,05,918.00	5,42,132.00
Profit/(Loss) before Tax	55,182.00	15,193.61	56,085.00	14,501.00
Tax Expenses	14,359.00	3,921.61	149,71.00	4,298.00
Profit/(Loss) after Tax	40,823.00	11,272.00	41,251.00	10,137.00

The major highlights of the Company's performance is given below

- Revenue from operations for the year 2021-22 was Rs.35,668.67 Cr, out of which Revenue from Normal Operations is Rs.1,720.56 Cr as against Rs. 1,513.03 Cr in 2020-21 (Total Revenue was Rs. 5081.31 Cr.), recording an increase of 13.7% year on year.
- Profit Before Tax is Rs.551.82 Cr in 2021-22 compared to corresponding profit of Rs. 151.93 Cr in 2020-21 reflecting an increase of 264.1% mainly due to COVID related operations.
- Profit After Tax is Rs.408.23 Cr in 2021-22 compared to corresponding profit of Rs. 112.72 Cr in 2020-21.
- Net Worth has increased from Rs.386.18 Cr as at 31.03.2021 to Rs.768.92 Cr as at 31.03.2022

2. DIVIDEND

The Directors are pleased to recommend a dividend of amounting to Rs.122.47 crores for the financial year ended 31st March, 2022. Payment of dividend is subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

3. SHARE CAPITAL

The Authorized Share capital of the Company as on 31st March, 2022 stood at Rs. 300.00 Cr. as the same of previous year. The issued, subscribed and paid up equity share capital as on 31st March, 2022 was Rs.15.53 Cr.

4. PERFORMANCE OF THE COMPANY vis-à-vis MoU TARGETS

Your Company's performance has been rated as "Very Good" in terms of MoU signed with the Government of India for the year 2020-21. A statement showing performance of the Company vis-à-vis MoU target for the

है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है।

5. जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी नियम, 2014 (जमाओं की स्वीकृति) के द्वारा अध्याय V- जमाओं की स्वीकृति के प्रावधानों के अर्थ के अंतर्गत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. उधार गारंटी या निवेश के विवरण

12 मई 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की 278वीं बैठक में सीओओ सहित 3 कर्मचारियों के वेतन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) को रु.20 लाख का अतिरिक्त अस्थायी ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 27 जुलाई 2021 को आयोजित 280वीं बैठक में एचएमएल की ओर से एचएलएल द्वारा किए गए रु.61.26 लाख के संचित खर्चों/अग्रिमों को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

7. संबंधित पार्टी लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभित सभी संबंधित पार्टी लेनदेन व्यतिरेक आधार पर और व्यवसाय के साधारण तौर पर थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं थे, जो कंपनी के हितों के विपरीत थे। इंड ए एस-24 के अधीन अपेक्षित उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरण की टिप्पणी के नोट सं.36 में बनाये गये हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के अनुसार, निर्धारित फार्म ए ओ सी- 2 में संबंधित पार्टियों के साथ बनाए अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन के विवरण **अनुबंध II** के रूप में जोड़ा गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है।

8. समनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम

आज की तारीख तक आपकी कंपनी को तीन समनुषंगी कंपनियाँ और एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, फॉर्म ए ओ सी - 1 में समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं सहित विवरण वित्तीय विवरणों में संलग्न किया जाता है। समनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)

31 मार्च 2022 तक के जीएपीएल की प्राधिकृत शेयर पूँजी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी क्रमशः रु. 25 करोड़ और रु.19.02 करोड़ थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान प्रचालन से राजस्व में 166.30% की वृद्धि हुई है।

नए व्यापार अवसर की खोज

गोवा सरकार ने जून 2021 के महीने में जीएपीएल के लिए विस्तारित मूल्य एवं क्रय वरीयता नीति को पुनःस्थापित किया है (जो मई 2018 से निलंबित कर दिया गया था)। इस नीति के तहत जीएपीएल को रु.1.39 करोड़ का पहला ऑर्डर मिला।

इसके अलावा जीएपीएल कर्नाटका पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम के अधीन 4 जी अनुमोदन के लिए कर्नाटका सरकार के साथ भी मामले को आगे बढ़ा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 से भी लंबित था और चालू वित्तीय वर्ष में इसे प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जीएपीएल को निम्नलिखित उन्नयन और विविधीकरण योजना है :

गोली विनिर्माण सुविधा उन्नयन

कंपनी ने गोली विनिर्माण सुविधा को उन्नयन करने की योजना बनाई थी। वर्तमान में गोली विनिर्माण सुविधा के ग्रेनुलेशन अनुभाग पीएलएम प्रौद्योगिकी के साथ है। ग्रेनुलेशन अनुभाग को रैपिड मिक्सर ग्राइंडर (आरएमजी) और ब्लेंडर के साथ पाउडर ट्रांसफर सिस्टम (पीटीएस) में उन्नयन करने का प्रस्ताव किया जाता है। ग्रेनुलेशन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन घटकों को मिलाने की कार्यक्षमता को सुधार करने में मदद करती है

financial year 2021-22 is enclosed as Annexure I which forms part of this report.

5. DEPOSITS

During the year under review, your Company did not accept any deposits within the meaning of provisions of Chapter V - Acceptance of Deposits by Companies of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

6. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

The 278th Meeting of Board of Directors held on 12th May 2021 approved the proposal to provide additional temporary loan of Rs.20 Lakhs to HLL Medipark Limited (HML) to meet expenses relating to salaries of 3 staff including COO. Furthermore, the 280 Board Meeting held on 27th July 2021 approved the proposal to convert accumulated expenses incurred/advances made by HLL on behalf of HML between 1st January 2021 to 31st July 2021 amounting to Rs.61.26 lakhs

7. RELATED PARTY TRANSACTIONS

All the Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business. There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2021-2022 which were in conflict with the interest of the Company. Suitable disclosures as required under INDAS-24 have been made in Note No.36 of the Notes to the Financial Statements.

Particulars of contract/arrangements/transactions made with related parties, pursuant to Section 188(1) of the Companies Act, 2013 in the prescribed form AOC-2 is appended as **Annexure II** which forms part of this report.

8. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE

As on date, your Company has three subsidiary companies and one joint venture Company. Pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, a statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries and joint venture companies in Form AOC-1 is attached to the financial statements. The summary of performance of the two subsidiaries and joint venture companies is provided below:

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited [GAPL]

The authorized share capital and paid up equity share capital of GAPL as on 31st March 2022 was Rs.25.00 Cr and Rs.19.02 Cr respectively.

During the year under review, the Revenue from operations during 2021-22 has increased by 166.30% as compared with the previous year.

Exploring new business opportunity.

The Govt. of Goa has reinstated the Price & Purchase Preference Policy extended to GAPL in the month of June, 2021 (which was suspended from May, 2018). Under this policy GAPL got initial order of Rs.1.39 crores.

Further, GAPL is also pursuing the matter with Govt. of Karnataka for according 4g approval under Karnataka Transparency Public Procurement Act, which was also pending from the financial year 2018-19 and efforts are made for getting the same in the current financial year.

GAPL has the following upgradation & diversification plan:

Tablet Manufacturing Facility Upgradation

The company had planned to upgrade the tablet manufacturing facility. Currently the granulation section of the tablet manufacturing facility is with PLM Technology. It is proposed to upgrade the granulation section to Rapid Mixer Grinder (RMG) and Blender with Powder Transfer System (PTS) The change in granulation technology helps in improving the efficiency of mixing components and also leads to reduction in process time and increase

और प्रक्रिया के समय में कमी और उत्पादकता में वृद्धि भी करती है। इसे 2022-23 में कार्यान्वित किया जाएगा।

एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)

अवसरचना विकास, सुविधा प्रबंधन, प्राण परामर्शदाता और संबद्ध सेवाओं जैसे इन क्षेत्रों में व्यापार के विशाल दायरे को देखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराने के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 3 अप्रैल, 2014 को हाइट्स संस्थापित किया गया। 31 मार्च 2021 तक के हाइट्स की प्राधिकृत एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 200.00 लाख है।

वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्धियाँ

अब संसार कोविड-19 महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व संकट के बीच में है। व्यवसाय करने की अर्थव्यवस्था का तरीका और हमारे जीवन का तरीका गड़बड़ हो गया है। बाधा के बावजूद हाइट्स ने व्यापारावर्त और लाभ में वृद्धि हासिल करते हुए शानदार निष्पादन किया।

स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र के विकास ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थ व्यवस्था के अग्रणी क्षेत्र में से एक के रूप में उभरा है। हाइट्स ने अवसरों का उपयोग किया और प्रभावशाली प्रगति दिखाई। वर्ष 21-22 के दौरान आपकी कंपनी को प्राप्त कुछ मुख्य अनुबंध नीचे सूचीबद्ध हैं :

1. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7.12.2021 को एम्स गोरखपुर सुविधाओं का उद्घाटन किए गए।
2. हाइट्स को महाराष्ट्र सरकार के तहत नंदुरबार परियोजना के लिए 100 एमबीबीएस सीट और 500 बिस्तरवाले सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए एल 1 (रु.532 करोड) के रूप में चुना गया है।
3. हाइट्स को हरियाणा के सिरसा में सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए रु. 500 करोड का टेंडर मिला।
4. मध्य प्रदेश के लिए बायो मेडिकल इंजीनियरिंग कार्या में रु. 357 करोड शामिल हैं।
5. पीएमएसएसवाई पीएच III के तहत केएमसी वारंगल में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक सभी तरह से अस्पताल अधिकारियों को सौंपा गया- जून 21
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य रक्षा परियोजनाओं में रु. 86 करोड शामिल हैं।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तरप्रदेश ड्रग वेयरहाउस परियोजनाओं में रु.160 करोड शामिल हैं।
8. पीएमएसएसवाई पीएच III अप्रैल 2021 के तहत जीएमसी, कोषिकोड में कोविड-19 उपचार के लिए पूर्ण हो गए 3 मंजिलों को आंशिक रूप से सौंपना।
9. एम्स, बिबिनगर के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एवं निविदा के लिए स्वीकृत मास्टर प्लान - अप्रैल 2021.
10. अप्रैल 2021 में, हाइट्स ने पीएम केयर्स फंड, भारत सरकार के तहत 179 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन (पीएसए) ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की आपूर्ति की है।
11. आईआरपी प्रस्ताव और सांविधिक अनुमोदन के बाद पीएमएसएसवाई -IV आगरा साइट पर कार्य का प्रारंभ। प्राचार्य, एसएनएमसी, आगरा से औपचारिक प्रारंभ पत्र अभी प्राप्त होना है।
12. पीजीआईएमईआर सैटलाइट सेंटर और ऊना के लिए 17.06.2021 को पीजीआईएमईआर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया - रु.283 करोड का मूल्य शामिल थे।
13. फिरोजपुर में पीजीआईएमईआर सैटलाइट सेंटर के लिए 26.06.2021 को प्राप्त आशय पत्र - रु.280 करोड का मूल्य शामिल था।
14. एम्स कल्याणी के लिए प्राण समर्थन एजेंसी।
15. एम्स राजकोट के लिए प्राण समर्थन एजेंसी।
16. एआईआईए के लिए प्राण समर्थन एजेंसी - रु.100 करोड का मूल्य।
17. एनआईए के लिए प्राण समर्थन एजेंसी - रु.25 करोड का मूल्य।
18. ऑक्सिजन प्लांट के लिए प्राण समर्थन एजेंसी - रु.300 करोड का मूल्य।

in productivity. The same shall be implemented in 2022-23.

HLL Infra Tech Services Limited [HITES]

HITES was incorporated on 3rd April' 2014 as a wholly owned subsidiary of HLL Lifecare Limited to carry on the business of providing services viz., Infrastructure Development, Facilities Management, Procurement Consultancy and allied services, foreseeing the enormous scope of business in these segments. The authorized and paid up equity share capital of HITES as on 31st March 2022 is Rs.200.00 lakh each.

Achievements during 2021-22

Presently, the world is in the midst of an unprecedented crisis in the form of the COVID-19 pandemic. Economy's way of doing businesses and our way of life has been disrupted. In spite of the hindrance HITES delivered spectacular performance achieving a growth in turnover and profit.

Development of Healthcare sector played a key role in building the nation and indeed emerged as one of the leading sector of the economy during COVID-19 Pandemic. HITES utilized the opportunities and shown impressive progress. Some of the main contracts received by HITES during 2021-22 are as listed below:

1. AIIMS Gorakhpur facilities were inaugurated by Hon'ble Prime Minister on 07/12/2021
2. HITES has been selected as L1 (Rs.532 Cr) for construction of 100 M.B.B.S seat and 500 bedded Government Medical College and Hospital for Nandurbar Project under Government of Maharashtra.
3. HITES got the tender for construction of Government Medical College at Sirsa Haryana Value involved 500 Crores
4. Bio Medical Engineering works for Madhya Pradesh value involved Rs.357 Crores
5. Super Speciality Block in KMC Warangal under PMSSY PH-III handed over in all respects to Hospital Authorities-June 2021.
6. Uttar Pradesh various healthcare projects under National Health Mission value involved Rs.86 Crores
7. Uttar Pradesh Drug Warehouses projects under National Health Mission value involved Rs.160 Crores.
8. Partial handing over of 3 floors completed for COVID-19 treatment in GMC, Kozhikode under PMSSY PH-III-April 2021.
9. Master Plan for AIIMS, Bibinagar approved by MoHFW and cleared for tendering- April 2021.
10. April 2021, HITES has supplied 179 Pressure Swing Adoption (PSA) Oxygen Generation Plant under PM Cares Fund, Government of India.
11. Commencement of work at PMSSY-IV Agra site after IRP resolution and statutory approvals. Formal commencement letter yet to be received from Principal, SNMC, Agra.
12. Agreement signed with PGIMER for PGIMER Satellite Centre and Una on 17.06.2021 –value involved Rs.283 Crores
13. Letter of Intent received for PGIMER Satellite Centre at Ferozepur on 26.06.2021- Value involved Rs.280 Crores
14. Procurement Support Agency for AIIMS Kalyani
15. Procurement Support Agency for AIIMS Rajkot.
16. Procurement Support Agency for AIIA-Value involved Rs.100 Crores
17. Procurement Support Agency for NIA-Value involved Rs.25 Crores
18. Procurement Support agency for procurement of Oxygen plants-value involved Rs.300 Crores.

एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल)

31 मार्च 2021 तक एचएमसीसीएचएलएल की प्राधिकृत एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10 लाख हैं।

महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं), उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2016 में, उत्तर प्रदेश सरकार (परियोजना) में 20 जिला अस्पतालों में 100 बेडड मातृ व शिशु अस्पताल (एम सी एच) विंग्स का संचालन के लिए निविदा अधिसूचना जारी की थी। इस परियोजना को ईएफओएमटी (सज्जित करना, वित्त, प्रचालन, रख-रखाव और अंतरण) आधार पर निष्पादित किया जाना है, जिसमें सफल बोली धारक को जिला अस्पतालों के एम सी एच विंग्स को 10 वर्षों की अवधि के लिए वित्त, सज्जित और संचालन करना होगा। निविदा अधिसूचना अन्य बातों के साथ निर्धारित करती है कि परियोजना लागू करने के लिए सफल बोलीधारक को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) पंजीकृत करना होगा। एचएलएल को सफल और एल 1 बोलीधारक के रूप में चुन लिया गया और ईएफओएमटी के आधार पर 20 एमसीएचडब्लियुएस के संचालन के लिए 27 मार्च 2017 को एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) को प्रदान करने का पत्र जारी किया गया। एचएलएल ने एसपीवी एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल) को 1 अगस्त 2017 को पंजीकृत किया था।

मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल परियोजना लागू करने के लिए कंपनी को एक एसपीवी के रूप में गठन किया गया था और जिस के लिए एसपीवी की स्थापना की गयी थी वह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। एक शेल कंपनी को बनाए रखने के लिए अन्य आकस्मिक लागतों के बीच प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, एचएमसीसीएचएल के निदेशकों के मंडल ने 23 जुलाई 2021 को आयोजित 12वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (आरओसी) की रिकॉर्ड से एचएमसीसीएचएल के नाम हटाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त एचएलएल के निदेशक मंडल ने 27 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 280वीं बोर्ड बैठक में आरओसी के रिकॉर्ड से एचएमसीसीएचएल का नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया।

कंपनी अधिनियम की धारा 248(2) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ से नाम को स्वैच्छिक रूप से हटाने से संबंधित है। कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के अनुसार, जहाँ कोई कंपनी पिछले दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है और एक निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है तो कंपनी अपनी सभी देयताओं को समाप्त करने के बाद शेयरधारकों से विशेष संकल्प के माध्यम से स्वेच्छा से हटाने के लिए एसटीके-2 फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ आवेदन दाखिल करके अनुमोदन प्राप्त कर सकती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एचएमसीसीएल ने वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने परिसंपत्ति एवं देयताओं को समाप्त कर दिया था और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 'शून्य' तुलन पत्र तैयार की थी।

लाइफ़सिंग अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड (एल एस एच)

31 मार्च 2022 को एलएसएच की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूँजी क्रमशः रु.20 करोड और रु.19.02 करोड थीं।

कोविड 19 से अभिप्रेरित मंदी के बाद लाइफ़सिंग अस्पताल एक रिकवरी चरण में था। रिकवरी अभी काफी हद तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि लक्षित समुदायों की आर्थिक स्थिति अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, लाइफ़सिंग अस्पतालों ने क्रमशः रु.2240 लाख और रु.75.64 लाख के लक्ष्य के खिलाफ रु.2496.10 लाख का राजस्व और रु.274.72 लाख का लाभ हासिल किया है। यह उपलब्धि काफी हद तक (क) कोविड के मद्देनज़र कर्मचारी अपने और परिवार के स्वास्थ्य को संभालने में विश्वास हासिल करने के बाद फिर से ग्राहकों को लगाने (ख) बाज़ार प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष मूल्य सुधार और (ग) ग्राहकों के सक्रिय जुड़ाव, प्रतिधारण और रूपांतरण के लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाने से प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में संभाली गई मात्रा के संदर्भ में नीचे दी गई तालिका लाइफ़सिंग अस्पतालों की उपलब्धियों को दर्शाती है।

वर्ष	पंजीकृत नया गर्भधारण	सेवित महिला (एक मात्र)	प्रस्तावित परामर्श	किए गए नैदानिक परीक्षण	किए गए अल्ट्रा साउण्ड स्कैन	संभाले गए प्रवेश	हो गए प्रसव
2020-21	10,087	21,000	67,788	49,004	10,444	3,700	2,779
2021-22	13,458	27,000	1,07,209	77,575	18,429	7,100	5,178

HLL Mother & Child Care Hospitals Limited [HMCCHL]

The authorized and paid up equity share capital of HMCCHL as on 31st March 2022 was Rs.10.00 lakh each.

In December 2016, Director General (Medical & Health Services), Government of Uttar Pradesh [GoUP] had issued a tender notification inviting proposals for Operationalization of 100 bedded Mother & Child Hospital (MCH) wings at 20 district hospitals in Uttar Pradesh (the project). The project has to be executed on EFOMT (Equip, Finance, Operate, Maintain and Transfer) basis, wherein the successful bidder has to finance, equip and operate the MCH wings of District hospitals for a period of 10 years. The tender notification inter alia has stipulated that the successful bidder has to register a Special Purpose Vehicle [SPV] under the Companies Act, 2013 to implement the project. HLL was selected as the successful and L1 bidder and issued Letter of Award to HLL Lifecare Ltd. [HLL] on 27th March 2017 for Operationalization of 20 MCHWs on EFOMT basis. HLL had registered the SPV HLL Mother and Child Care Hospitals Ltd [HMCCHL] on 1st August 2017.

The company was formed as a SPV to implement the Mother & Child Care Hospitals project and could not serve the objective for which the SPV was set up. Considering the fact that maintaining a shell company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs, the Board of Directors of HMCCHL in the 12th Board meeting held on 23rd July, 2021 decided to remove the name of HMCCHL from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013. Additionally, HLL Board of Directors in their 280th Board meeting held on 27th July, 2021 approved the proposal to submit the application for removing the name of HMCCHL from the records of ROC.

Section 248(2) of companies act deals with voluntary removal of name from the Register of Companies. As per section 248(1) of Companies Act 2013, where a company is not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company then the company may after extinguishing all its liabilities obtain approval from shareholders by way of special resolution voluntarily there by filing application with the Registrar of Companies in form STK-2 for strike off.

During the Financial Year 2021-22, HMCCL has not prepared Financial Statements as the company had extinguished assets and liabilities and prepared "Nil" Balance sheet for the Financial Year 2020-21

LifeSpring Hospitals (P) Limited [LSH]

The authorised and paid-up equity share capital of LifeSpring Hospitals as on 31 March 2022 was ₹ 20 crore and ₹ 19.02 crore respectively.

LifeSpring Hospitals was in a recovery phase after Covid-19 induced downturn. The recovery is not yet complete, largely because the economic situation of the target communities has not yet fully recovered. During FY 2021-22, LifeSpring Hospitals achieved the revenue of ₹ 2496.10 lakh and profit of ₹ 274.72 lakh, against the targets of ₹ 2240 lakh and ₹ 75.64 lakh respectively. This achievement was largely due to (a) employees engaging the customers again after regaining confidence in handling own & family's health in the wake of Covid, (b) price corrections relative to the market competition, and (c) pushing data - driven insights to the frontline for active engagement, retention and conversion of the customers. The table below shows the achievements of LifeSpring Hospitals in terms of volume handled in FY 2021-22 as compared to FY 2020-21

Year	New pregnancies registered	Women (unique) served	Consultations offered	Diagnostic tests done	Ultrasound scans done	Admissions handled	Deliveries done
2020-21	10,087	21,000	67,788	49,004	10,444	3,700	2,779
2021-22	13,458	27,000	1,07,209	77,575	18,429	7,100	5,178

कोविड-19 की पहली लहर के दौरान प्रसव के लिए बाज़ार (क) हैदराबाद से बाहर जानेवाले परिवार (ख) जो रह गए, वे या तो अपनी गर्भावस्था को स्थगित कर देते थे या अपनी सक्रिय गर्भधारण को समाप्त कर देते थे और (ग) जिन्होंने अपनी गर्भावस्था जारी रखी, वे या तो सरकारी अस्पतालों (आर्थिक कठिनाइयों के कारण) या आईसीयू सुविधाओं वाले बड़े अस्पतालों (कोविड के मद्देनज़र संभावित जटिलताओं को देखते हुए) को प्राथमिकता देने के कारण सिकुड़ गया था। लोग कोविड से संक्रमित होने के डर से अस्पताल जाने से खतरा रहने से गैर-आपातकालीन सर्जिकल हस्तक्षेपों का बाज़ार भी सिकुड़ गया। कुल मिलाकर, यह स्थिति वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भी जारी रही, और समुदाय में गर्भवती महिलाओं की संख्या में केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। हालांकि कुछ पुरुष श्रमिक बड़े पैमाने पर हैदराबाद लौट आए थे, महिला आबादी अपने मूल स्थानों पर रही।

अपने लक्षित समुदायों द्वारा सामना की गयी सभी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, लाइफ़सिंग अस्पतालों को समुदाय द्वारा संरक्षण जारी रहा। 30% से अधिक नए गर्भावस्था पंजीकरण उन महिलाओं द्वारा किए गए थे, जिन्होंने अपनी पिछली गर्भावस्था के दौरान लाइफ़सिंग अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठाया था। ग्राहक जुड़ाव और स्ट्रूचिंग में सुधार और नर्सों की तैनाती को बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाकर प्राप्त की गई परिचालन क्षमता द्वारा इसे और समेकित किया गया था। प्रतिधारण दर (यानी, महीने की शुरुआत में लाइफ़सिंग के साथ सक्रिय गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता के रूप में लाइफ़सिंग में प्रसव करनेवाली महिलाएँ) पूर्व कोविड अवधि के दौरान औसतन 33.5% से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 42.5% तक सुधरी है।

वर्ष के दौरान लाइफ़सिंग अस्पतालों द्वारा अभिमुख चुनौतियाँ थीं : (क) रोज़गार के लिए नर्सों की व्यापक कमी - विशेष रूप से निजी क्षेत्र में और (ख) लाइफ़सिंग अस्पतालों में आनेवाले ग्राहकों के सेगमेंट में बदलाव, जिसे अलग-अलग उम्मीदों को पूरा करने के लिए लाइफ़सिंग की सेवा गुणवत्ता में बदलाव की आवश्यकता है।

सामान्य स्थिति में आने पर और लाइफ़सिंग अस्पतालों के लक्षित समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, लाइफ़सिंग अस्पतालों से भविष्य में वर्तमान गति को बनाए रखने की उम्मीद है।

9. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 से 'इंड ए एस' को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण पर इंड ए एस के अनुसार वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। समनुषंगी कंपनियों के संबंधित सूचना सहित वार्षिक लेखा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और संबंधित समनुषंगी कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए कार्य घंटे के दौरान उपलब्ध है।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और पर्याप्तता

आपकी कंपनी को इसके कारोबार की प्रकृति आकार, स्केल और प्रचालन की जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण के लिए उचित और पर्याप्त प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करता है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन (डी ओ पी) के अनुसार सभी लेनदेन अनुमोदित और प्राधिकृत किया जाता है, एस ए पी संचालित वातावरण में लेखा रिकॉर्डों की सटीकता और संपूर्णता सही ढंग से रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी की जाती है और परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग या प्रकृति से होनेवाले नुकसान से सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाते हैं। इन प्रणालियों को सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से जाँच करके प्रमाणित किया जाता है जो सभी यूनिटों, प्रभागों और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को कवर करता है। कंपनी एक सार्वजनिक उद्यम होने से नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की लेखापरीक्षा के अधीन भी है। कॉर्पोरेट लेखा परीक्षा सेवाएँ, आंतरिक नियंत्रणों पर निष्पादन दक्षता एवं आश्वासन की समीक्षा करने के उद्देश्य से चयनित क्षेत्रों पर संचालन व प्रबंधन लेखा परीक्षा आयोजित करती है। लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाती है। लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करती है तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों व प्रणालियों को मज़बूत करने से संबंधित लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

11. विजिल मेकानिसम/विसिल ब्लोवर नीति

आपकी कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों को एक औपचारिक तंत्र प्रदान करने के लिए विजिल मेकानिसम/विसिल ब्लोवर नीति अपनायी है। यह नीति तंत्र का लाभ उठानेवाले कर्मचारियों के जुर्मा के खिलाफ और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधी पहुँच के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास जाने से वंचित

The market for deliveries had shrunk during the first wave of Covid-19 due to (a) families migrating out of Hyderabad, (b) those that remained either postponed their pregnancy or terminated their active pregnancies, and (c) those that continued their pregnancies preferred either government hospitals (due to economic difficulties) or large hospitals with ICU facilities (in view of likely complications in the wake of Covid). The market for non-emergency surgical interventions too shrank as people were wary of going to hospital fearing contracting Covid. By and large, this situation continued during the FY 2021-22 also, and there was only a small increase in the number of pregnant women in the community. Though some male workers had returned to Hyderabad, largely the female population remained in their native places.

Despite all the economic difficulties faced by its target communities, LifeSpring Hospitals continued to be patronaged by the community. Over 30% of new pregnancy registrations were by women who availed services of LifeSpring Hospitals during their earlier pregnancies! This was further consolidated by operational efficiencies achieved by pushing the data-driven insights to the frontline for improving customer engagement and stretching the deployment of nurses. The retention rate (i.e., the women delivering at LifeSpring as a percentage of the active pregnant women with LifeSpring at the beginning of the month) has improved to 42.5% during FY 2021-22 from an average of 33.5% during pre-Covid period.

The main challenges faced by LifeSpring Hospitals during the year were (a) a general shortage of nurses for employment – particularly in the private sector, and (b) a change in the segment of customers approaching LifeSpring Hospitals, that needed a change in the service quality of LifeSpring to meet the different set of expectations.

As normalcy returns, and the economic condition of the target communities of LifeSpring Hospitals improves, LifeSpring Hospitals is expected to maintain the current momentum into the future

9. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company has adopted “Ind As” with effect from 1st April 2016. The Financial Statements in accordance with the Ind As on Consolidated Financial Statements is provided in the Annual Report. The Annual Accounts of the Subsidiary Companies, along with related information are available for inspection at the Registered Office of the Company, and also at the registered offices of the respective subsidiary companies during working hours.

10. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND ADEQUACY

Your Company has a proper and adequate system of Internal Controls, commensurate with the nature of its business, size, scale and complexity of operations which ensures that all transactions are approved and authorized as per Delegation of Powers (DOP), recorded and reported correctly the accuracy and completeness of the accounting records in SAP driven environment. Also ensures timely preparations of reliable financial statements are maintained and assets are safeguarded and protected against loss from unauthorized use or disposition. These systems are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors which cover all units, divisions and key business areas. The Company, being a Public Sector Enterprise, is subject to audit by Comptroller and Auditor General (CAG) also. Corporate Audit Services conduct operations and management audit on selected areas with an objective of reviewing the performance efficiency and assurance on internal controls. Significant audit observations and follow-up actions thereon are reported to the Audit Committee. The Audit Committee reviews adequacy and effectiveness of the Company’s internal control environment and monitors the implementation of audit recommendations, including those relating to strengthening of the Company’s Risk management policies and systems and provides strategic guidance.

11. VIGIL MECHANISM / WHISTLE BLOWER POLICY

Your Company has adopted a Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy, to provide a formal mechanism to the Directors and employees to report their concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company’s Code of Conduct or ethics policy. The Policy provides for adequate safeguards against victimization of employees who avail of the mechanism and also provides for direct access to the Chairman of the Audit Committee. It is affirmed that no personnel of the Company has been denied access to

नहीं किया गया है और इस संबंध में वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विसिल ब्लोवर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है।

12. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीति अपनायी है और एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ई आर एम) प्रणाली है, जो जोखिम निर्धारण के लिए सभी व्यवसाय कार्यक्षेत्रों के साथ कार्य करता है और यह सुनिश्चित करती है कि जोखिम प्रबंधन योजना लागू है।

13. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कंपनी के लाभकारी कारोबारवाले को प्रभावित महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश।

कंपनी के कामकारी कारोबारवाला और प्रचालन को प्रभावित करनेवाले नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश नहीं है।

14. वित्तीय स्थिति को प्रभावित यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

14.1 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश

आर्थिक कार्य की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 1 नवंबर 2017 को आयोजित उनकी बैठक में तीन महीने की अवधि के अन्दर अलग एसपीवीएस के रूप में एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) की वैक्सीन उद्यम और मेडीपार्क परियोजना को अलग करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया था और इसके बाद दो - चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल में सरकार की 100% इक्विटी की बिक्री करेगी।

एचएलएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन के लिए मसौदा तैयार किया गया है और लेन-देन सलाहकार ने 14 अप्रैल 2021 को दीपम को अद्यतन पीआईईएम भी प्रस्तुत किया था। एचएलएल के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए इच्छुक निवेशकों से हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने की अधिसूचना 14 दिसंबर 2021 को लेनदेन सलाहकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। एचएलएल पीआईईएम प्रकाशित करने और ईओआई के लिए निमंत्रण के बाद, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (दीपम) ने दीपम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेन-देन सलाहकार और एचएलएल की वेबसाइटों पर चार (4) शुद्धिपत्र प्रकाशित किए। कानूनी सलाहकारों ने 9 अप्रैल 2022 को एचएलएल रणनीतिक विनिवेश के सिलसिले में एचएलएल के साथ (i) भारत सरकार (ii) एचएलएल के खरीदार (ओं) और (iii) एचएलएल के बीच में निष्पादित किए जानेवाले शेयर क्रय समझौते के संशोधित ड्राफ्ट का साझा किया है और एचएलएल ने 22 अप्रैल 2022 को फीडबैक दिया है।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अपेक्षाओं के अनुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि

- क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, उपयुक्त लेखा मानकों का पालन किया गया है और उससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है।
- ख) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा सुसंगत रूप से उनको प्रयुक्त किया गया और लगातार विवेकी एवं समझदार निर्णय एवं आकलन बनाए गए ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की दशा की दृष्टि सही एवं साफ विवरण और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ दे सकें।
- ग) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।
- घ) उन्होंने लाभकारी कारोबार वाला के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ङ) सभी उपयुक्त कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से प्रचालन करती है।

the Chairman of the Audit Committee and that no complaints were received during the year in this regard. The Whistle Blower Policy is placed on the website of the company.

12. RISK MANAGEMENT

Your Company has adopted a robust Risk Management Policy approved by the Board of Directors and established an Enterprise Risk Management (ERM) system that engages with all the business verticals for risk assessment and ensures that the risk mitigation plans are in place

13. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS OF THE COMPANY

There were no significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and operations of the Company.

14. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year to which this financial statements relate and on the date of this report.

14.1 Strategic Disinvestment of HLL Lifecare Limited

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 had granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process.

Draft Preliminary Information Memorandum for inviting Expression of Interest for Strategic Disinvestment of HLL has been prepared and the Transaction Advisor had also submitted the updated PIM to DIPAM on 14th April, 2021. The Notification inviting Expression of Interest (EoI) from interested investors for the proposed strategic disinvestment of HLL was published by the Transaction Advisor on 14th December, 2021. After publishing HLL PIM and invitation for EoI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, Government of India [DIPAM] published four (4) corrigenda on the websites of DIPAM, Ministry of Health & Family Welfare, Transaction Advisor and HLL.

15. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, your Directors confirm that:

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and that no material departures have been made from the same;
- b) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profits of the Company for that period;
- c) they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) they have prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.

16. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सीमा से अधिक पारिश्रमिक लेने वालों का विवरण, कंपनी नियम 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति और पारिश्रमिक) के आधार पर लागू नहीं है कि समीक्षाधीन वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक आहरण करने वाले कंपनी के कोई भी कर्मचारी नहीं है।

17. वार्षिक विवरणी के उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा 3(क) में पठित कंपनी के नियम, 2014 के नियम 12 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध III के रूप में एम जी टी फॉर्म 9 में 31 मार्च, 2022 तक की वार्षिक विवरणी के उद्धरण संलग्न किया जाता है।

18. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बनाये गए अवलोकन/प्रतिबंध उस पर संगत टिप्पणियों के साथ पठित स्वतः स्पष्ट है अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन आगे की कोई टिप्पणी के लिए आमंत्रित नहीं है।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा नियम) 2014 के अधीन निर्धारित विविध उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखे की लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेसर्स आर जे गोयल & कं., लागत लेखाकार, कोलकत्ता को लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा चलाने को प्रेवटीस कर रही कंपनी सेक्रेटरियों के फर्म द्वारा मेसर्स बी वी आर एण्ड एसोसियेट्स को पुनः नियुक्त किया था। फार्म सं. एम आर 3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुबंध जके रूप में वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है। सचिवीय लेखापरीक्षकों से कोई अवलोकन नहीं है।

19. एमएसएमई से मालों का प्रापण

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईए) से कुल खरीद ₹ 278.24 करोड़ में से ₹ 145.35.00 करोड़ मूल्य के माल का प्रापण किया जो 25% के लक्ष्य की ओर 52.24 % रहा है।

20. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेहन, विदेशी मुद्रा अर्जन/व्यय

कंपनी नियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अधीन निर्धारित ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेहन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण अनुबंध-क के रूप में दिए जाते हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

एचएलएल सी एस आर पहल का प्रारंभिक आदाता है। एचएलएल, सी एस आर कार्यकलापों को सीधे और अभिकरणों जैसे एचएलएल परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) और एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी के माध्यम से कार्यान्वित करता है। धारा 135 के उप - धारा 5 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए सी एस आर के प्रावधान लागू हैं, जो वित्तीय वर्ष से तत्काल पहले तीन वर्ष के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्व तीन वर्ष के निवल लाभ नीचे दिया गया है:

16. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information regarding particulars of employees drawing remuneration in excess of the limit specified under Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is not applicable as none of the employees of the Company has drawn remuneration in excess of the stipulated limit, during the year under review.

17. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to sub-section 3(a) of Section 134 of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of the Annual Return as at March 31, 2022 in form MGT 9 is appended as **Annexure III** to the Board's Report.

18. AUDITORS

Statutory Auditors

The observations/qualifications made in the Auditors' Report read together with relevant notes thereon are self-explanatory and hence, do not call for any further comments under Section 134 of the Companies Act, 2013.

Cost Auditors

M/s. R J Goel & Co., Cost Accountants, Kolkatta was appointed as Cost Auditors for the financial year 2021-22 to conduct cost audit of the accounts maintained by the Company in respect of the various products prescribed under Companies (Cost Records & Audit Rules), 2014.

Secretarial Auditors

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board of Directors of the Company had reappointed M/s. BVR & Associates, a firm of Company Secretaries in Practice to undertake the Secretarial Audit of the Company for the year ended 31st March, 2022. The Secretarial Audit Report in Form No. MR3 forms part of the Annual Report as **Annexure V** to the Board's Report. There is no observation by Secretarial Auditors.

19. PROCUREMENT OF GOODS FROM MSMEs

During the year 2021-22, the Company has procured goods of value of Rs. 145.35 Crs from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) out of the total procurement of Rs.278.24 Crs which is about 52.24% against the target of 25%..

20. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNICAL ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS/ OUTGO

The particulars regarding Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo, as prescribed under sub-section 3 (m) of Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, are given as Annexure-A, which forms part of this report.

21. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY

HLL has been an early adopter of CSR initiatives. HLL implements CSR programmes directly and through its implementing agencies such as Hindustan Latex Family Planning and Promotion Trust [HLFPPT], HLL Management Academy and HLL Pratheeksha Charitable Society. As per sub-section 5 of Section 135 every Company for which the provisions of CSR is applicable shall spend at least 2% of the average net profit of the Company made during the three immediately preceding financial years. The average net profit of three immediately preceding financial year is given below:

वित्तीय वर्ष	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार निवल लाभ (रु. लाखों में)
2018-19	1,536.07
2019-20	12,458.28
2020-21	15,154.63
कुल	29,148.98
न्यून : तीन वर्षों के लिए हाइट्स से लाभांश	4,444.30
निवल लाभ	24,704.68
तीन वर्षों के औसत निवल लाभ	8,234.89
औसत निवल लाभ का 2%	164.70

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचएलएल द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का सारांश अनुलग्नक ख के रूप में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

22. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी ने उच्च मानक एवं अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिनांक 14.05.2010 की डी पी ई का.ज्ञा. सं 18(8)2005-जीएम में निर्धारित सभी शर्तों के पालन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाया है। वृत्तिशील कंपनी सचिव मैसर्स बी वी आर & एसोसिएट्स, एलएलपी से कंपनी को कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करके एक प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है जो अनुबंध VI के रूप में इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

23. प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के भाग बननेवाले अलग खंड के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

24. निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशकशिप में निम्नांकित परिवर्तन आया है :

समाप्ति

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को कंपनी के निदेशक (कों) के रूप में कार्य करना समाप्त कर दिया गया था।

निदेशक का नाम	डिन संख्या	समाप्ति की तिथि
डॉ.मनदीप कुमार भण्डारी आई ए एस	07310347	24.01.2022
डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गांगवार आई ए एस	08299862	30.12.2021
श्री संजय कुमार सिंह आई ए एस	08683335	24.01.2022

नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

Financial Year	Net profit as per Section 198 of the Companies Act, 2013 (Rs. In lakhs)
2018-19	1,536.07
2019-10	12,458.28
2020-21	15,154.63
Total	29,148.98
Less: Dividend from HITES for three years	4,444.30
Net profit	24,704.68
Average net profit of the three years	8,234.89
2% of average net profit	164.70

The total amount to be spent towards CSR activities for FY 2021-22 was Rs.164.70 lakhs. Amount brought forward from CSR budget for FY 2021 was Rs.2.62 Lakhs. Thus, the total amount to be spent for FY 2021-22 was Rs.167.32 lakhs. Out of this 167.32 lakhs, Rs.153.60 lakhs was spent for CSR activities during FY 2021-22. As the company has not received new proposals, the company could not spend the balance amount of Rs.13.71 lakhs. The company will remit the unspent amount to one of the funds specified in Clause VIII of Schedule VII of Companies Act, 2013.

A summary of CSR activities carried out by HLL during the financial year 2021-22 is provided as Annexure B which forms part of this report.

22. CORPORATE GOVERNANCE

Your Company is committed to maintain the highest standards of good corporate governance and has taken adequate steps to adhere to all stipulations laid down in DPE O.M. No. 18(8)/2005-GM dated 14-05-2010 issued by Department of Public Enterprises. The Company has obtained a Certificate from the Practicing Company Secretaries M/s. BVR & Associates, LLP confirming compliance of conditions of Corporate Governance forming part of this report as **Annexure VI**.

23. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report for the year under review is presented in a separate section forming part of this report.

24. BOARD OF DIRECTORS

The following changes took place on the Board of the Company:

Cessation

The following directors were ceased to be the Director(s) of the Company during the year 2021-22.

Name of director	DIN Number	Date of Cessation
Dr. Mandeep Kumar Bhandari IAS	07310347	24/01/2022
Dr. Dharmendra Singh Gangwar IAS	08299862	30/12/2021
Shri Sanjay Kumar Singh IAS	08683335	24/01/2022

Appointment

The following Directors were appointed to the Board of Directors of HLL Lifecare Limited during the Financial year 2021-22.

निदेशक का नाम	डिन संख्या	नियुक्ति की तिथि
प्रो.डॉ. आदर्श पाल विग	09508552	03.01.2022
श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस	00445688	24.01.2022
श्रीमती रोली सिंह आई ए एस	07562971	24.01.2022
श्री संजय कुमार सिंह आई ए एस	08683335	30.12.2021
श्रीमती नीता बूचरा	07644471	03.01.2022

महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को कंपनी के मंडल पर महिला निदेशक के रूप में श्रीमती रोली सिंह आई ए एस (निदेशक), डॉ गीता शर्मा, निदेशक (वित्त) और श्रीमती नीता बूचरा (स्वतंत्र निदेशक) थीं।

बोर्ड की समितियाँ

आपकी कंपनी को विविध समितियाँ हैं, जिनको उत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के रूप में संस्थापित की गयी हैं और उपयुक्त नियम और विधियों के संगत प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुपालन करती हैं। कंपनी को बोर्ड की निम्न समितियाँ हैं :

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति
4. रणनीति सूत्रीकरण & निवेश समिति

संगत समितियों की संरचना, अधिकार, भूमिका, संदर्भ की शर्त आदि से संबंधित विस्तृत नोट कॉर्पोरेट अभिशासन खण्ड की रिपोर्ट के पेरा 11 के अधीन प्रदान किए जाते हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा

बोर्ड को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) की अपेक्षा के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं और बोर्ड संतुष्ट है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में उल्लिखित जैसे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पाँच बैठकें आयोजित की गयीं। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित जैसे किसी दो बैठकों के बीच के अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था। बैठकों का विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

25. कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुख्यालय के साथ-साथ इसके यूनिटों और सहायक कंपनियों में निवारण समितियों का गठन किया है - एक अधिनियम, कार्यस्थल में कर्मचारियों को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, रोकथाम और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण प्रदान करता है। आप की कंपनी को दृढ़ विश्वास है कि लैंगिक उत्पीड़न का परिणाम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन स्त्री समत्व के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन में परिणत है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन सम्मान के साथ जीने का अधिकार और कोई भी पेशा अपना या कोई भी काम, व्यवसाय या व्यापार करने के लिए अधिकार हैं, जिस में लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण के लिए अधिकार भी शामिल हैं। कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देने और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं।

Name of director	DIN Number	Date of Appointment
Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig	09508552	03/01/2022
Shri Ashish Srivastava IAS	00445688	24/01/2022
Smt Roli Singh IAS	07562971	24/01/2022
Shri Sanjay Kumar Singh IAS	08683335	30/12/2021
Smt Neeta Boochra	07644471	03/01/2022

Woman Director

In terms of the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013, your Company shall have at least one Woman Director on the Board. During the year under review, your Company had Smt Roli Singh IAS (Director), Dr. Geeta Sharma, Director(Finance) & Smt Neeta Boochra (Independent Director) as woman Directors on the Board of the Company.

Committees of the Board

Your Company has several committees which have been established as a part of the best corporate governance practices and are in compliance with the requirements of the relevant provisions of applicable laws and statutes. The Company has following Committees of the Board:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Corporate Social Responsibility Committee
4. Strategy Formulation & Investment Committee

A detailed note with respect to the compositions, powers, roles, terms of reference, etc. of relevant committees are provided under Para 11 of the Report on Corporate Governance section which forms part of this Annual Report.

Declaration from Independent Directors

The Board has received declarations from the Independent Directors as per the requirement of Section 149 (7) of the Companies Act, 2013 and the Board is satisfied that the Independent Directors meet the criteria of independence as mentioned in Section 149(6) of the Companies Act, 2013.

Board Meetings held during the year

During the year, five meetings of the Board of Directors were held. The maximum interval between any two meetings did not exceed 120 days, as prescribed in the Companies Act, 2013. The details of the meetings are furnished in the Corporate Governance Report which forms part of this Report.

25. POLICY ON PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL OF SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE

Your Company has constituted Redressal committees in the Head office as well as its Units and Subsidiary Companies as per the provisions of the Sexual Harassment at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 - an Act to provide protection against sexual harassment of women at work place and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment. Your Company firmly believes that sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under Articles 14 and 15 of the Constitution of India and the right to life and live with dignity under article 21 of the constitution and the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to safe environment free from Sexual Harassment. Online meetings were conducted on regular intervals, with an aim to promote the well-being of all lady employees of the Company and to give awareness to them about their rights.

महामारी के आघात से उबरने के लिए केरल के बाहर ऑनलाइन के माध्यम से यूनितों और सहायक कंपनियों के लिए 14.06.2021 को एक प्रसिद्ध नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा 'कोविड के कारण संकट- प्रबंधन कैसे करें' पर अखिल भारतीय वेबिनार का आयोजन किया गया था और एक वेबिनार 22.07.2021 को केरल के हमारे कार्यालयों के लिए आयोजित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यालय, यूनितों और सहायक कंपनियों में उपयुक्त तरीके से मनाया गया। समारोह की मुख्य अतिथि, श्रीमती रोली सिंह आई ए एस, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और सरकारी नॉमिनी, एचएलएल के निदेशक थे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक- श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस, निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)- श्री ई ए सुब्रमण्यन, निदेशक (विपणन)- श्री टी राजशेखर और निदेशक (वित्त)- डॉ.गीता शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय, यूनितों और सहायक कंपनियों की महिला कर्मचारियों को संबोधित किया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमें एक शिकायत प्राप्त हुई जिसे अनुकरणीय कार्रवाई के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान किया गया।

26. सूचना प्रौद्योगिकी

सभी एचएलएल व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एसएपी एप्लिकेशन के साथ समर्थित किया जाना जारी है और अन्य विशिष्ट एप्लिकेशन कार्यान्वित किया है। नए उत्पादों के विनिर्माण, क्रय और वितरण और उभरती व्यावसायिक प्रक्रियाओं के समर्थन करने के लिए अनुप्रयोगों को कॉन्फिगर किया गया था।

नई कॉर्पोरेट ई मेल सेवा को नवीनतम ऐड-ऑन सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के साथ व्यावसायिक कार्य स्थान मॉडल के रूप में लागू किया गया था।

जीईएम पोर्टल को प्रभावी ढंग से आई टी क्रय के लिए लागत प्रभावी तरीके से उपयोग किया गया था।

27. अनुसंधान एवं विकास

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र (सीआरडीसी) की स्थापना, भारतीय आबादी की गर्भ निरोधक एवं स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त, किफायती तथा नवीन उत्पादों को विकसित करने व पेश करने के उद्देश्य से की गई है। सीआरडीसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है, जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं उत्पाद विकास दोनों के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है। इसको एक स्व-निहित पूर्ण परिसर है जिसमें कई सुविधाएँ हैं, जैसे चिकित्सा उपकरण प्रयोगशाला, फार्मा प्रयोगशाला और निदानिकी प्रयोगशाला। इन सुविधाओं ने हार्मोन सहित विभिन्न एपीआई के साथ इम्प्लान्ट, रिलीज़ सिस्टम जैसे पैच, रिंग, जैल, क्रीम, टैबलेट, फिल्म आदि विकसित किया है। सीआरडीसी एक डीएसआईआर अनुमोदित सुविधा है।

उपलब्धियाँ/हाइलाइट्स

1. कलरिमेट्रिक आरटी-लैप पीसीआर तकनीक पर आधारित कोवि-शुअर किट सार्स कोवि-2 वायरल जिनोम का पता लगाने के लिए एक कम लागतवाली, उपयोगकर्ता के अनुकूल, मोलिककुलार निदान आधारित आईवीडी किट है जिसे आंतरिक रूप से विकसित किया गया था और मार्च 2022 के दौरान आईसीएमआर द्वारा सफलतापूर्वक मान्य एवं अनुमोदित किया गया था। कोवि-शुअर किट आरटी-पीसीआर संबंधित किट के लिए आईसीएमआर स्वीकृति मानदंड का अनुपालन करती है, जिसमें $\geq 94.7\%$ की संवेदनशीलता और आरटी-पीसीआर सार्स कोवि-2 वायरस का पता लगाने के खिलाफ $\geq 98.8\%$ की विशिष्टता है।
2. मार्च 2016 में 646.00 लाख की राशि के लिए बिल & मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) द्वारा वित्त पोषित, ग्राफीन संयुक्त प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स कंडोम के चरण-II पायलट पैमाने के उत्पादन और नैदानिक परीक्षणों की परियोजना 31 जनवरी 2022 को पूरी हुई। नैदानिक अध्ययन ने उत्पाद की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता और कम मोटाई पर इसके निष्पादन की पुष्टि की है।
3. लघु पशु प्रयोग सुविधा (एसएईएफ) जैव सामग्री, इम्प्लान्ट और चिकित्सा उपकरण के मूल्यांकन के लिए पूर्व-नैदानिक जानवरों का अध्ययन करती है ताकि उनकी जैव अनुकूलता की जाँच, नए फार्मूलेशन का परीक्षण, एंटीबाँडी का उत्पादन, शारीरिक अध्ययन आदि किया जा सके। इस सुविधा में चूहे, खरगोश, माइस और गिनी पिग आदि जैसे जानवर रहते हैं। जानवरों में प्रयोगों को नियंत्रित करने एवं पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से समिति (सीपीसीएसईए), भारत सरकार की नियामक एजेंसी द्वारा निर्धारित जैसे नैतिक तरीकों से पशु प्रयोग किया जाता है। स्थापना को पशु अध्ययन करने के लिए सीपीसीएसईए पंजीकरण सं. 1782/पीओ/आरसी/एस/14/सीपीसीएसईए द्वारा अनुमोदित किया गया है जो 2023 तक वैध है।

In order to retrieve from the trauma of the Pandemic, All India Webinar on “Distress due to Covid - how to manage” was organised by a renowned Clinical Psychologist on 14.06.2021 for Units and subsidiary Companies through online outside Kerala and another webinar was conducted on 22.07.2021 for our offices in Kerala.

International Women’s Day was celebrated in a befitting manner in the Head Office Units and subsidiary Companies through online. The chief guest of the function was Smt Roli Singh IAS, Additional Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi and Government Nominee Director of HLL. Chairman & Managing Director Shri.K.Beji Geroge IRTS, Director (Technical & Operations) - Shri EA Subramanian, Director (Marketing) Shri T Rajasekar and Director (Finance) - Dr. Geeta Sharma addressed the lady employees of Head Office and units and subsidiaries through Video - Conferencing.

During the year under review we have received a complaint which was amicably settled with exemplary action.

26. INFORMATION TECHNOLOGY

All HLL business processes are continued to be supported with SAP application, and other specific applications implemented. The applications were configured to support manufacturing, procurement & distribution of new products and emerging business processes.

New Corporate Email Service was implemented as a Business Workspace Model with latest add-on features and security standards.

GeM portal was effectively utilized for IT procurement in cost-effective manner.

27. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Corporate Research & Development Centre (CRDC) of HLL Lifecare Ltd. has been established with the objective to develop and introduce appropriate, affordable and innovative products with a view to address the contraceptive and healthcare needs of Indian population. CRDC is envisioned to function as a Centre of excellence in conformance with international standards facilitating a platform for both applied research and product development. It has a self-contained full-fledged campus housing a number of facilities ie Medical Devices lab, Pharma lab and Diagnostics lab. These facilities have developed implants, releases systems like patches, rings, gels, creams, tablets, films etc with different APIs including hormones. CRDC is a DSIR approved facility.

ACHIEVEMENTS/ HIGHLIGHTS

- 1) COVI-SURE kit based on colorimetric RT-LAMP PCR technology is a low-cost, user-friendly, molecular diagnostic based IVD kit for the detection of SARS CoV-2 viral genome was developed in-house and successfully validated and approved by ICMR during March 2022. COVI-SURE kits complies with the ICMR acceptance criteria for RT-PCR related kits with a sensitivity of $\geq 94.7\%$ and specificity of $\geq 98.8\%$ against RT-PCR SARS CoV-2 virusdetection
- 2) The project entitled Phase-II pilot scale production and clinical trials of Graphene incorporated natural rubber latex condom, funded by Bill & Melinda Gates foundation (BMGF) for an amount of 646.00 lakh in March 2016 was completed on 31st January 2022. The clinical study has confirmed the safety and efficacy of the product and its performance at lower thickness.
- 3) Small Animal experimentation facility (SAEF) undertake pre-clinical animal studies for evaluation of biomaterials, implants and medical device for checking their bio compatibility, testing new formulations, generation of antibodies, carrying out physiological studies etc. The facility houses animals like rats, rabbits, Mice & Guinea pig etc. Animal experiments are carried out in ethical ways as laid down by committee for the purpose of controlling and supervising experiments in animals (CPCSEA), an Indian Government Regulatory Agency. The establishment is approved by CPCSEA reg no. 1782/PO/RC/S/14/CPCSEA for conducting animal study which is valid upto 2023.

4. यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए एक हर्बल माइक्रोबाइसाइड जेल फॉर्मूलेशन विकसित किया गया था। जेल के लिए प्रीक्लिनिकल अध्ययनों ने अच्छी प्रभावकारिता दिखाई। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करने के लिए हर्बल माइक्रोबाइसाइड जेल के चरण 1 नैदानिक परीक्षण के संचालन को मंजूरी दे दी है।
5. सीआरडीसी को 18 चालू परियोजनाएँ हैं जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें 5 बाहरीक वित्त पोषित परियोजनाएँ, 2 अनुबंध अनुसंधान परियोजनाएँ और 11 आंतरिक वित्त पोषित परियोजनाएँ शामिल हैं। हमें डीएसटी-एसईआरबी, डीई-बीआरएनएस, डीआईसीसी, आईसीएमआर आदि जैसी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित बाहरी परियोजनाएँ हैं।
6. सीआरडीसी ने एक गहन ऊर्जा बचत का प्रयोग शुरू किया है, जो बिजली और पानी (कुए का पुनोत्थान) की अनुबंध मांग को रु. 25.18 लाख (2020-21) से घटाकर रु.17.17 लाख (2021-22) हो गया है, जिसमें खर्च में 32% की कमी आई है।

सम्मानित पेटेंट

सीआरडीसी ने योनि कैंडिडिआसिस के इलाज के लिए तीन पौधों के एक्सट्राक्ट का उपयोग करके एक योनी जेल सूत्रीकरण तैयार किया है। कैंडिडा की 4 विभिन्न प्रजातियों में किए गए एंटीफंगल अध्ययनों ने सूत्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि दिखाई। इस सूत्रीकरण के लिए एक भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया - पेटेंट संख्या 386781, 18/01/2022- योनी कैंडिडिआसिस के इलाज के लिए हर्बल आधारित योनीजेल सूत्रीकरण। क्षेत्रीय अनुसंधान आयुर्वेद संस्थान, पूजपुरा में किए गए प्रायोगिक पैमाने के नैदानिक परीक्षण ने इस सूत्रीकरण से उपचारित रोगियों में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम दिखाए।

सीआरडीसी ने सर्बिकल कैंसर रोगियों को दिए जानेवाले विकिरण से प्रभावित महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के लिए एक पॉलिमर डिवाइज़ सर्बिकल स्पेसर बेलून विकसित किया है। डिवाइज़ के लिए भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया, पेटेंट संख्या 379287, 13/01/2022.

उच्च गर्मी हस्तांतरण, बेहतर संवेदनशीलता और दवा वितरण की क्षमता के साथ कंडोम के उत्पादन के लिए ग्राफीन आधारित पॉलिमर कंपोज़िट के आविष्कार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट (ब्रज़ील) प्रदान किया गया था। पेटेंट संख्या बीआर 112016010479-0-(2021)

सहयोग/टाइ-अप

सीआरडीसी वर्तमान में टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (टाटा-एसीटीआरईसी), राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेकनॉलजी (आरजीसीबी), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), जवाहरलाल नेहरू ट्रोपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (टीबीजीआरआई), रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर (आरएआरआईएलएसडी), महिला संस्थान अडयार (डब्लियु आईए) जैसे प्रमुख 6 संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है।

सम्मानित परियोजनाएँ

सीआरडीसी को दो बाहरी परियोजनाओं से सम्मानित किया गया और एक डीएचआर परियोजना को मानव आचार समिति के अनुमोदन के अधीन स्वीकृत किया गया।

- क) डीएसटी-एसईआरबी द्वारा वित्त पोषित मलेरिया का पता लगाने के लिए कागज़ आधारित ऑप्टिकल बायोसेंसर के लिए कम धातु कार्बन नानोमेटेरियल्स-समग्र नानो फ़ैब्रस मॅम्ब्राइन का विकास और लक्षण वर्णन' (रु.29.25 लाख)। पी आई : डॉ. दीक्षा पाइनुली
- ख) डीई-बीआरएनएस (रु.36.70 लाख) द्वारा वित्त पोषित स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए दोहरे उद्देश्य फ्लोरोसेंस एवं इलक्ट्रो केमिकल बायोसेंसर के लिए इलक्ट्रोस्पिन क्यू डॉट्स नानाफाइब्रस मॅबराइन का विकास। पी आई : डॉ. दीक्षा पाइनुली ।
- ग) स्वस्थ वयस्क महिलाओं में पौधे आधारित एंटी-एचआईवी योनि माइक्रोबाइसाइड जेल की सुरक्षा एवं सहनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक संभावित, गैर यादृश्चिक नैदानिक अध्ययन (जीआईए/2020/000865) - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) द्वारा वित्त पोषित (रु.54.9 लाख) पीआई : डॉ. सुजा के पी

प्रकाशन

सीआरडीसी ने 40 शोध पत्र पीयर रिव्यू जर्नल्स में प्रकाशित किया है जिनमें से 10 शोध पत्र चालू वर्ष में प्रकाशित किए गए हैं।

1. एंडोमेट्रियोसिस के उपचार के लिए सरोका एसोका एथेनोलिक एक्सट्राक्ट का साइटोटोक्सिक मूल्यांकन और एचपीएलसी प्रोफाइलिंग।

- 4) A Herbal microbicide gel formulation was developed to prevent sexually transmitted infection. The preclinical studies showed good efficacy for the gel. Drug Controller General of India (DCGI) has given approval for conducting Phase 1 clinical trial of herbal microbicide gel for controlling sexually transmitted diseases..
- 5) CRDC has 18 ongoing projects which are at different stages of execution. This includes 5 externally funded projects, 2 contract research projects and 11 internally funded projects. We have external projects funded by agencies like DST-SERB, DAE-BRNS, DoECC, ICMRetc.
- 6) CRDC has launched an intensive energy savings exercise that reduced the contract demand of electricity and water expenses (revamped the well) from Rs.25.18 lakh (2020-21) to Rs.17.17 lakh (2021-22) with 32% reduction in expenditure.

PATENTS AWARDED

CRDC has developed a vaginal gel formulation using three plant extracts for treating vaginal candidiasis. The antifungal studies conducted in 4 different species of Candida showed significant activity for the formulation. An Indian patent was awarded for this formulation - Patent No 386781, 18/01/2022 - Herbal based Vaginal gel formulations for treating vaginal candidiasis. The pilot scale clinical trial conducted at Regional Research Ayurveda Institute, Poojappura showed significant positive results in patients treated with this formulation.

CRDC has developed a polymer device cervical spacer balloon to protect the critical organs affected by radiation given to cervical cancer patients. Indian Patent was awarded for the device, Patent No. 379287, 13/01/2022.

An international patent (Brazil) was granted for an invention of graphene based polymer composites for producing condom with high heat transfer, improved sensitivity and capacity for drug delivery. Patent No. BR112016010479-0 –(2021)

COLLABORATIONS / TIE UPS

CRDC is currently having 6 numbers of collaboration with premier institutes like, Tata Memorial Centre Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer (TATA-ACTREC), Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB), Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden & Research Institute (TBGRI), Regional Ayurveda Research Institute For Life Style Related Disorders (RARILSD), Women Institute Adayar (WIA).

PROJECTS AWARDED

CRDC awarded with two external projects and one DHR project sanctioned subjected to human ethics committee approval:

- a) Development and characterization of metal reduced carbon nanomaterials- composite Nano fibrous membrane for paper based optical biosensor for Malaria detection funded by DST- SERB (Rs. 29.25 lakh). PI: Dr. Diksha Painuly
- b) Development of Electrospun Q-dots Nanofibrous membrane for dual purpose fluorescence and electrochemical biosensor for breast cancer detection funded by DAE-BRNS (Rs.36.70 lakh).PI: Dr.Diksha painuly
- c) A prospective, non-randomized clinical study to evaluate the safety and tolerability of plant based anti-HIV vaginal microbicide gel in healthy adult women (GIA/2020/000865)"-funded by Department of health research (DHR)(Rs.54.9 lakh). PI: Dr.SujaK.P

PUBLICATIONS

CRDC has published 40 research papers in peer reviewed journals out of which 10 journals has been published in the current year

- 1) Cytotoxic Evaluation and HPLC Profiling of Saroka asoca Ethanolic Extract for the Treatment of Endometriosis

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मसी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, 2021,11,263-70. आर.जे रेश्मी नायर, एस. लक्ष्मी, के.पी.सुजा और के.के. साबु।

2. फ्रीज़ ड्राइड जेलाटिन हीमोस्टेट का इन विट्रो और इन विवो बायोकोंपाटिबिलिटी मूल्यांकन। फाइबेर्स एंड पॉलिमर्स, 2021, 22, 3 621-628. एस स्नेहलता, एस.के.शुक्ला, एन.हरिदास, आर.पी.स्मिता, एम.सिद्धार्थ मोहन, वी.अर्चना, एम.जे.रोसमेरी
3. स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए ऑरमेलोक्सिफेन-ह्यालूरॉनिक एसिड माइक्रोफाइबर। मेटीरियल्स टुडे : कार्यवाही, 2021 :45,2,3800-3804 अंजली एस.के, लक्ष्मी एस, रोसमेरी एम.जे.
4. हॉट मेल्ट एक्सट्रूज़न द्वारा पीएलजीए पॉलिमर फिल्म के अनुकूलन व प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन दृष्टिकोण द्वारा गुणवत्ता। जर्नल ऑफ फार्मस्यूटिकल इनोवेशन, 2021, (प्रस में)। मिधु जॉर्ज वीरन, रेश्मी रेचल तोमस, रेश्मी रामकृष्णन, भरणिाराजा बी, अबी संतोष अप्रेम।
5. विभिन्न स्रोत के मानव कैंसर लाइनों में नैदानिक रूप से प्रयुक्त सेम्स की तुलनात्मक अंतर साइटोटोक्सिसिटी और कैंसर की प्रगति व उपचार प्रतिक्रियाओं में शामिल प्रमुख लक्ष्य जीनों के भावी सूचक मोलिकुलर डॉकिंग अध्ययन। करंट रिसर्च इन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी, 2021,3,100080 . लक्ष्मी एस, षनिता ए, षैनी डी वी, राहुल बी एस, सायकांत आर, शहना शरफ, अबी एस.ए, राजमोहन जी।
6. प्रक्रियागत एवं तैयार सूत्रीकरण के लिए सिलिकॉन आधारित अंतर्गर्भाशयी उपाय से लेवेनोर्गस्ट्रेल दवा के तेजी से निष्कर्षण और परिमाणन के लिए आरपी-एचपीएलसी विधि मान्यकरण। दारु जर्नल ऑफ फार्मस्यूटिकल साइंसेज़ 2021,29,1,185-193। एम.जी वीरन, सी कार्तिकेयन, बी भरणिाराजा, डी पाइनुली, ए.एस अप्रेम।
7. आरपी-एचपीएलसी विधि द्वारा इलक्ट्रोस्पिन फाइबर से गर्भनिरोधक स्टिरोइड का समकालिक आकलन : विकास, मान्यकरण और अनुप्रयोग। जर्नल ऑफ दि इरानियन केमिकल सोसाइटी, 2021,18,3257-3266. मिधु जॉर्ज वीरन, आतिरा जयशंकर और दीक्षा पाइनुली।
8. मानव योनि उपकला कोशिकाओं में तैयार ग्राफीन और इसके प्राकृतिक रबड़ नैनोकम्पोजिट पतली फिल्म की साइटोटोक्सिसिटी : नॉनकोवलेंट पारस्परिक क्रिया का प्रभाव। जे. एसीएस बायोमेटेरियल्स, सयन्स & इंजीनियरिंग. 2021,6,2007-2019 तेनमोषि सुकुमार, जेस्लिन वर्गीस, किरण एस, सुजा भार्गवन, पार्वती जयश्री, वेंपर्थन सुवेकबाला, कुमरन अलगनंदम और लक्ष्मीनारायणन रघुपति।
9. घाव भरने के लिए इलेक्ट्रोस्पिन पॉलीयूरेथेन-जिलाटिन कृत्रिम त्वचा मचान, दि जर्नल ऑफ दि टेक्स्टाइल इंस्टिट्यूट 2022, 113,3,378-387 एस.एस. लता, ए.एस. कुमार, एन.यु, एम.जे.रोसमेरी
10. कोविड-19 : विभिन्न वेव के साथ वैश्विक महामारी: भारतीय परिदृश्य के विशेष संदर्भ में दुनिया भर में एक अत्यावश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्प्यूनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, 2022,9,3,1547-1555. शहना शरफ, फैसल मूसा अतिकविल, षैनी डीना वर्गीस, श्रीलक्ष्मी श्रीकुमार, रेश्मि रामकृष्णन, जेस्लिन वर्गीस, लक्ष्मी श्रीधरन पिल्लै, सायकांत रेगिडी, अबी संतोष अप्रेम।

28. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

वर्ष के दौरान, कंपनी के विनिर्माण यूनिटों/प्रभागों ने निम्नलिखित प्रमाण-पत्र हासिल करना जारी रखा है:

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कोच्चि, ऐरापुरम और कनगला के विनिर्माण यूनिटों को आई एस ओ 9001: 2015 प्रमाणीकरण।
- चिकित्सा उपकरण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कोच्चि, ऐरापुरम और कनगला के विनिर्माण यूनिटों को आई एस ओ 13485 : 2016 प्रमाणीकरण।
- कुशल पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कोच्चि और कनगला के विनिर्माण यूनिटों को आई एस ओ 14001 : 2015 प्रमाणीकरण।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कनगला और कोच्चि के यूनिटों को आईएसओ 45001: 2018 प्रमाणीकरण।

- International Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 2021, 11, 2, 63-70. R J Reshmi Nair, S Lakshmi, K P Suja and K K Sabu
- 2) In vitro and In vivo biocompatibility evaluation of freeze dried gelatin haemostat. *Fibers and Polymers*, 2021, 22, 3, 621–628. S Sneha Letha, SK Shukla, N Haridas, RP Smitha, M Sidharth Mohan, V Archana, MJ Rosemary
 - 3) Ormeloxifene Hyaluronic acid microfibers for breast cancer therapy. *Materials Today: Proceedings*, 2021, 45,2, 3800-3804. Anjali SK, Lakshmi. S, Rosemary MJ
 - 4) Quality by Design Approach for Optimization and Processing of PLGA Polymer Film by Hot Melt Extrusion. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 2021, (in press). Midhu George Veeran, Resmy Rachel Thomas, Reshmi Ramakrishnan, Bharaniraja B, Abi Santhosh Aprem
 - 5) Comparative differential cytotoxicity of clinically used SERMs in human cancer lines of different origin and its predictive molecular docking studies of key target genes involved in cancer progression and treatment responses. *Current Research in Pharmacology and Drug discovery*, 2021,3,100080. Lakshmi S, Shanitha A, Shiny DV, Rahul BS, Saikant R, Shehna Sharaf, Abi SA, Rajmohan G
 - 6) RP-HPLC method validation for fast extraction and quantification of Levonorgestrel drug from silicone based intrauterine device intended for in-process and finished formulation *DARU Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2021, 29, 1, 185-193. MG Veeran, C Karthikeyan, B Bharaniraja, D Painuly, AS Aprem
 - 7) Simultaneous estimation of contraceptive steroids from electrospun fibers by RP-HPLC method: development, validation and application. *J IRAN CHEM SOC*, 2021, 18, 3257 – 3266. Midhu George Veeran, Athira Jaya Sankar & Diksha Painuly
 - 8) Cytotoxicity of formulated graphene and its natural rubber nanocomposite thin film in human vaginal epithelial cells: An influence of non-covalent interaction. *J.ACS Biomaterials Science & Engineering* 2021, 6, 2007-2019. Thenmozhi Sukumar, Jeslin Varghese, Kiran S, Suja Bhargavan, Parvathy Jayasree, Vemparthan Suvekbala, Kumaran Alaganandam, and Lakshminarayanan Ragupathy
 - 9) Electrospun polyurethane-gelatin artificial skin scaffold for wound healing. *The Journal of The Textile Institute*, 2022, 113, 3, 378-387. SS Letha, AS Kumar, N U, MJ Rosemary
 - 10) COVID-19: global pandemic with divergent waves: an exigent public health concern worldwide with special context to Indian scenario. *International Journal of Community medicine and Public health*, 2022, 9,3, 1547-1555. Shehna Sharaf, Faisal Moossa Athikkavil, Shiny Deena Varghese, Sreelekshmi Sreekumar, Reshmi Ramakrishnan, Jeslin Varghese, Lakshmi Sree dharan Pillai, Saikant Regidi, Abi Santhosh Aprem.

28. QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

During the year, the Company's manufacturing units/divisions continued to possess the certifications mentioned below:

- ISO 9001:2015 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi, Irapuram and Kanagala for Quality Management System.
- ISO 13485:2016 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi, Irapuram & Kanagala for Medical Devices Quality Management System.
- ISO 14001:2015 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi and Kanagala for efficient Environment Management System.
- ISO 45001: 2018 certification for units at Peroorkada, Akkulam, Kanagala and Kochi for Occupational Health and Safety.

- पेरूरकड़ा यूनिट में वैयक्तिक लूब्रिकन्ड जेल के लिए आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 13485 : 2016, आईएसओ 14001 : 2015 और सीई प्रमाणीकरण।
- ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा को आईएसओ 50001 : 2011 प्रमाणीकरण।
- पेरूरकड़ा यूनिट में उत्पादित पुरुष कंडोम और कोच्चि यूनिट में उत्पादित महिला कंडोम के लिए एएबीएस मार्क।
- पेरूरकड़ा यूनिट में उत्पादित पुरुष कंडोम के लिए एनएफ मार्क।
- पेरूरकड़ा फैक्टरी डब्लियु एच ओ/ युएनएफपीए पूर्व योग्यता प्राप्त है और एफडीए 510के पंजीकृत है। यूनिट अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता विनिर्देशों/मानकों/ दिशानिर्देशों जैसे आई एस ओ 4074:2015, एएसटीएम डी 3492, जीओएसटी - 4645 -81 आदि की विस्तृत श्रृंखला भी पूरा करती है।
- कोच्चि यूनिट के लिए पुरुष एवं महिला कंडोम के लिए डब्लियु एच ओ/ युएनएफपीए पूर्व योग्यता।
- पेरूरकड़ा और कोच्चि यूनिटों में पुरुष और महिला कंडोम के लिए सी ई मार्क।
- कोच्चि यूनिट में उत्पादित टाइप ए और टाइप बी महिला कंडोम के लिए सी ई मार्क।
- आक्कुलम यूनिट में उत्पादित ब्लड बैग के लिए सी ई मार्क।
- आई एस ओ 17025 : 2017 के अनुसार पेरूरकड़ा यूनिट, तिरुवनंतपुरम में तैयार उत्पादों की प्रत्यक्ष परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एन ए बी एल मान्यता।
- आई एस ओ 15189 : 2012 के अनुसार हिंदलैब्स, नई दिल्ली में चिकित्सा परीक्षण के लिए एन ए बी एल प्रत्यायन।

29. मानव संसाधन

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी उनके द्वारा नियोजित मानव संसाधन के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्यपालकों के लिए 555 और कामगार को 852 कार्यदिवस को शामिल करके विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे।

औद्योगिक संपर्क

वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष के जैसे कंपनी में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध की साक्षी बनी है, श्रमिक अशांति के कारण कोई भी कार्यदिवस नष्ट नहीं हुआ है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुसरण कर रही है और भर्ती एवं पदोन्नति में निर्देशों को पूरा करने के लिए प्रयास किये जाते हैं। विशेष भर्ती अभियान के लिए गंभीर और केंद्रित प्रयास भी किया गया।

01.04.2022 तक के कुल कर्मचारी शक्ति में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व नीचे दिये जाते हैं।

विवरण	कर्मचारियों की संख्या
प्रतिनिधित्व : अनुसूचित जाति	240
अनुसूचित जनजाति	70
अन्य पिछड़ा वर्ग	386
शारीरिक रूप से विकलांग	49
अन्य वर्ग	634
कर्मचारियों की कुल संख्या	1379

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड में 01.04.2022 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के क्रियान्वयन की स्थिति।

- ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016, ISO 14001 : 2015 and CE certificate for Personal Lubricant Gel at Peroorkada Unit.
- ISO 50001:2011 Certification for Peroorkada for Energy Management System.
- SABS Mark for Male Condoms produced at Peroorkada Unit and Female condom produced at Kochi Unit
- NF Mark for Male Condoms produced at Peroorkada Unit.
- Peroorkada Factory is WHO/UNFPA prequalified and FDA 510K registered. The unit also meets a wide range of international quality specifications/standards/guidelines such as ISO 4074:2015, ASTM D 3492, GOST-4645-81etc.
- WHO/UNFPA pre-qualified for male and female condoms for Kochi unit.
- CE Mark for Male Condoms at Peroorkada Unit.
- CE Mark for Type A and Type B Female Condoms produced at Kochi Unit.
- CE Mark for Blood Bags produced at Akkulam Unit.
- NABL accreditation for finished products physical testing laboratory at Peroorkada Unit, Thiruvananthapuram in accordance with ISO 17025:2017.
- NABL accreditation for medical testing at HINDLABS, New Delhi in accordance with ISO 15189:2012.

29. HUMAN RESOURCES

Human Resources Development

Your company gives high priority for development of human resources employed by them. During the year under review, the company had organized various training programmes involving 555 man days for executives and 852 man days for workmen.

Industrial Relations

The year 2021-22 witnessed harmonious industrial relations in the company as in the previous years, and no mandays lost on account of labour unrest.

Reservation for SC /ST/OBC and Persons with Disabilities

The company continues to follow the presidential directives in respect of reservation to SC/ST/OBC Communities and efforts are taken to fulfill the directives in Recruitment and Promotion. Serious and focused effort was also taken for Special Recruitment Drives.

The representation of SC/ST/OBC/Persons with Disabilities categories in the total employee strength as on **01.04.2022** is given below:

Description	No. of employees
Representation of : SC	240
ST	70
OBC	386
Persons with Disabilities	49
Other Categories	634
Total Strength of Employees	1379

Status of implementation of posts reserved for persons with disabilities in HLL Lifecare Limited as on **01.04.2022**

ग्रूप	पहचान की गयी कुल पदों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की स्थिति			
		अंधापन या अल्प दृष्टि	खराब सुनवाई	लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात	अन्य	अंधापन या अल्प दृष्टि	खराब सुनवाई	लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात	अन्य
क & ख	406	4	4	4	4	1	0	10	0
ग & घ	973	10	10	10	9	4	12	21	1

निदेशकों द्वारा उपस्थित प्रशिक्षण विवरण

क्रम सं	नाम	पदनाम	प्रशिक्षण की तारीख	विषय	संस्थान	स्थान
शून्य						

30. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राष्ट्रपति के निर्देशों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के तहत किए गए प्रावधानों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया है।

आपकी कंपनी ने कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने एवं प्रचार-प्रसार करने के लिए गंभीर प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप कुल 17 कर्मचारियों ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पारंगत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। साथ ही, कर्मचारियों को अपना कार्यालयीन काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने की ओर, 103 कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण, राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अधीन सम्मिलित किए गए। इसके अलावा कर्मचारियों के बीच में हिंदी के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने की ओर, तकनीकी सेमिनार, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर अखिल भारतीय संगोष्ठी, 'देश के स्वास्थ्य क्षेत्र पर एचएलएल की भूमिका' पर वाक्पटुता कार्यक्रम, विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी कंपनी में आयोजित किए गए। हिंदी पखवाड़ा समारोह भी यथोचित तरीके से मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान कर्मचारियों और उनके बच्चों, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों, कंपनी के उच्च कार्यपालकों के लिए अलग-अलग हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। कर्मचारियों के लिए भारतीय भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त के अलावा, कॉलेज के छात्रों के लिए राज्य स्तरीय राजभाषा सम्मेलन और तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गईं।

कंपनी में यूनिटों, अनुभागों के बीच में विभिन्न प्रोत्साहन एवं पुरस्कार जैसे यूनिटों के लिए चल वैजयन्ती, अग्रणी अनुभाग पुरस्कार, हिंदी में अधिक काम करने एवं लेख लिखने के लिए पुरस्कार और कंपनी के राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अधिक योगदान दिए कर्मचारी को समग्र प्रशस्ति पत्र स्थापित किए गए। आपकी कंपनी राजभाषा पत्रिका 'समन्वय' के 2 संस्करण प्रकाशित कर रही है। टोलिक (उपक्रम) द्वारा सदस्य कार्यालयों के बीच में सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में 'समन्वय' को चुन लिया गया। मासिक फोटो न्यूज़ लेटर, 'मोमेंट्स' द्विभाषी में प्रकाशित किया जाता है।

आपकी कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम)- टोलिक(यु)-तिरुवनंतपुरम का संयोजक है। सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रोत्तमन एवं प्रचार-प्रसार के लिए टोलिक के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ, टोलिक(यु) सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों के लिए हिंदी प्रौद्योगिकी पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम, राजभाषा नीति एवं हिंदी प्रौद्योगिकी पर जागरूकता कार्यक्रम, विश्व हिंदी दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस भी मनाया गया। वर्ष के दौरान, टोलिक पत्रिका 'तपस्या' का भी विमोचन किया गया।

पुरस्कार एवं मान्यताएँ

1. एचएलएल-सीएचओ द्वारा प्रकाशित राजभाषा पत्रिका 'समन्वय' को टोलिक सदस्य कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा पत्रिका (प्रथम पुरस्कार) के रूप में चुना गया है।
2. टोलिक(उपक्रम) को गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दक्षिणी क्षेत्रीय पुरस्कार- दूसरा स्थान के लिए चुना गया।

Group	Total number of posts identified	No. of Post reserved for PwDs				No. of Post currently held by PwDs			
		Blindness or low vision	Hearing impaired	Locomotor disability or cerebral identified	Others	Blindness or low vision	Hearing impaired	Locomotor disability or cerebral identified	Others
A & B	406	4	4	4	4	1	0	10	0
C & D	973	10	10	10	9	4	12	21	1

Training details attended by Directors

Sl. No	Name	Designation	Date of Training	Subject	Institute	Venue
NIL						

30. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Your Company has complied with the provisions made under the Official Language Act of 1963, OL Rules of 1976, Presidential Directions, Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India with utmost devotion.

Your Company has taken earnest efforts to promote and propagate Official Language implementation in the Company. As a result a total of 17 employees have passed Parangat Course conducted by Government India for possessing proficiency in Hindi. Also, 103 employees were covered under Technical trainings, OL Awareness programmes, Orientation programmes on Information Technology for inspiring the employees to do their official work in Hindi. In addition to this, various programmes like Technical Seminar, All India Seminar on Azadi Ka Amritha Mahotsav, Eloquence programme on "HLL's role on Health Sector of the Country.", Viswa Hindi Diwas, International Mother tongue day, were also organized in the company for creating a conducive environment among the employees towards Hindi. The Hindi Fortnight Celebrations was also observed in a befitting manner. During Hindi Fortnight Celebrations, various Hindi Competitions were organised separately for employees, children of employees OLIC members, top executives of the Company. Bharatiya Bhasha Kavi Sammelan was organized for employees. In addition to the above, State Level Official Language Conference and Technical Seminar were conducted for the college students.

Various incentives and awards were instituted in the Company among Units, Sections such as Rolling shield for Units, Leading section Award, Awards for doing more work in Hindi and writing Hindi articles and an overall Citation for an employee who contribute more in the field of Official Language Implementation of the Company. Your Company is publishing 2 editions of the Official Language Magazine 'Samanvaya'. The 'Samanvaya' was adjudged as the best magazine among the member offices by the TOLIC (Undertaking). The monthly photo news letter 'Moments' is published in bilingual.

Your Company is the convener of Town Official Language Implementation Committee (Undertaking) - TOLIC

(U) – Thiruvananthapuram. Various programmes were conducted under the auspices of TOLIC for promoting and propagating Official Language Hindi in the member offices. Various Hindi Competitions for the employees of member offices and their children. Orientation Programme on Hindi Technology for Heads of TOLIC (U) Member Offices, Awareness Programme on OL Policy & Hindi Technology, Viswa Hindi Diwas, World Mother Tongue Day were also observed. During the year, the TOLIC Magazine 'Thapasya' was also released.

Awards and Recognitions

- 1) The OL Magazine "Samanvaya" published by HLL –CHO has been adjudged as the Best OL magazine (First Prize) among TOLIC member offices.
- 2) The TOLIC(Undertaking) was adjudged for Southern Regional Award – second place by Ministry of Home Affairs, New Delhi.

31. कॉर्पोरेट संचार

आपकी कंपनी को एक सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट संचार विभाग है, जो पूरे संगठन के लिए अभिसरण मीडिया एजेंसी के रूप में कार्य करता है। संचार की दुनिया, नए विकास और नवान्वेषणों के साथ अतिबृहत परिवर्तन में गुजरने से, रूढ़िवादी पीआर हस्ताक्षेप के अलावा, कॉर्पोरेट संचार ने एचएलएल को विश्व स्वास्थ्यरक्षा कंपनी के रूप में संस्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ संचार हस्ताक्षेप के कई नई तरीकों को अपनाया है जो वैश्विक समुदाय के हितलाभ के लिए उच्चतम मूल्यों को संभाला है। इसको अच्छी तरह से विकसित इन- हाउस डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जो संगठन से निकलने वाली सभी संचार सामग्री के लिए अनुकूलित सृजनात्मक डिज़ाइन समर्थन प्रदान करता है।

सूचना के प्रसार सुकर करने और संगठन के सकारात्मक चित्र सृजित करने के सिलसिले में, आपकी कंपनी आम जनता एवं प्रभावित दलों के साथ लगातार संपर्क में रही है, स्थानीय एवं राष्ट्रीय घटनाओं के समर्थन कर रही है, मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया को प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की जा रही है, उन्नत प्रकाशनों में लिखा जा रहा है, कंपनी के विविध कार्यक्रमों पर प्रोशर प्रकाशित करना है, कॉर्पोरेट वीडियो बनाना एवं टेलिकास्ट कर रहा है और कंपनी के विकासों को घोषित करने की ओर लगातार प्रेस बैठक आयोजित करती रहती है। कॉर्पोरेट विज्ञापन प्रकाशित करने के अतिरिक्त आपकी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगातार विकासों का अद्यतन कर रही है। कंपनी के मिशन, लक्ष्यों और रणनीतियों को समझने और अपनाने में कंपनी के कर्मचारियों को सक्षम बनाने में आंतरिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को विकास और उपलब्धियों से अवगत कराने और उन्हें भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करने और एचएलएल के साथ जुड़ने पर गर्व करने के लिए संचार उपकरण जैसे मासिक फोटोन्यूज़लेटर, मासिक बुलेटिन, त्रैमासिक पत्रिका, विभिन्न गतिविधियों पर पत्रक, वीडियो आदि को लगातार नियोजित किया है। जानकारी साझा करने और अपनापन एवं स्वामित्व की भावना पैदा करने और आपसी विश्वास विकसित करने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ खुले सत्र भी नियमित रूप से आयोजित किए गए हैं।

32. एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एचएमए)

एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एचएमए) एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की एक शैक्षिक एवं सामाजिक विकास पहल है। एचएमए को त्रावणाकोर कोच्चिन साहित्यिक वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1955 के अधीन एक लाभ - रहित सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड और प्रतिष्ठित साझेदार संस्थानों की ताकत से आकर्षित, एचएमए स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में मुख्य ध्यान के साथ शैक्षणिक पहल एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए समर्पित है। प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

सामाजिक विकास परियोजना प्रभाग

एचएमए की अग्रणी परियोजना 'थिंकल -मासिक धर्म कप का जागरूकता सृजन और वितरण' को स्थानीय सरकार और चिकित्सा पेशवरों के समर्थन के माध्यम से शुरुआत में ही विश्व स्तर पर व्यापक स्वीकृति मिली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, एचएमए ने पूरे केरल में 12 थिंकल परियोजनाओं का निष्पादन किया है (2 सीएसआर परियोजनाएँ, 5 स्थानीय स्व-शासी निकाय (एलएसजीबी) परियोजनाएँ और 5 लागत पर परियोजनाएँ)। कुल परियोजना मूल्य रु. 1,05,64,709/- के साथ 45,943 मासिक धर्म कप वितरित किए। एचएमए एक सामाजिक पहल के रूप में आकर्षक एवं विशेषाधिकार प्राप्त महसूस करता है कि एम-कप जो कभी कुछ सर्कलों में बोले जाते थे और फुसफुसाए हुए चर्चा करते थे, ने 'थिंकल' के माध्यम से बहुत ही कम समय में हज़ारों लोगों तक पहुँच गए।

एम-कप परियोजना

- थिंकल परियोजना (एचएलएल सीएसआर)
 - एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के सीएसआर समर्थन के साथ तिरुवनंतपुरम नगर निगम में थिंकल परियोजना को कार्यान्वित किया गया था। इस परियोजना का उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को केरल की माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती वीणा जोर्ज द्वारा किया गया था। इस परियोजना में हमने पाँच महीनों में जागरूकता पैदा करके 15,200 मासिक धर्म कप का वितरण किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केएसडब्लियुडीसी ने निशागंधी ओपन ऑडिटोरियम में एम-कप जागरूकता डेस्क पेश करने एवं खोलने की अनुमति दी, जिसमें 1500 लाभार्थियों को शामिल किया गया। परियोजना का प्राथमिक फोकस क्षेत्र तिरुवनंतपुरम का तटीय क्षेत्र विशेष रूप से शंखमुखम और वलियतुरा में था। एलएसजीबी, एनजीओ, एसएचजी संगठनों आदि के सहयोग से एम-कप के बारे में जागरूकता एवं वितरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

31. CORPORATE COMMUNICATION

Your company has a well-organized Corporate Communication Department which act as a convergence media agency for the whole organization. As the world of communication has gone through tremendous changes with new developments and innovations, the Corporate Communications Department-in addition to the conservative PR interventions- has adopted a number of newer ways of communication interventions with a vision to position HLL as a Global Healthcare Company that upholds highest values, for the benefit of the global community. It has a well developed in-house design platform which provides customized creative / design support for all communication material emanating from the Organisation.

In order to facilitate dissemination of information and to create positive image of the organisation, your Company has been regularly liaising with local public and influence groups, supporting local and national events, providing press releases to the media and online media, placing write-ups in top publications, publishing brochures on various activities of the Company, making and telecasting Corporate Videos and regularly organizing press meetings to announce the developments of the Company. In addition to releasing corporate advertisements, your Company has been regularly updating developments on Facebook, Instagram and Youtube. Internal communications play a key role in enabling employees across the company in understating and embracing the company's mission, goals and strategies. Towards this objective your Company has continuously deployed communication tools such as monthly photo newsletter, monthly bulletins, quarterly magazine, leaflets on various activities, videos etc. to apprise the employees on the developments and achievements and also to provide a platform for them to participate and take pride in being associated with HLL. Open sessions with the management and employees have also been regularly organized for sharing of information and to create a sense of belonging and ownership and to develop mutual trust.

32. HLL MANAGEMENT ACADEMY(HMA)

HLL Management Academy is an educational and social development initiative of HLL Lifecare Ltd. HMA was registered as a not-for-profit society under the Travancore Cochin Literary Scientific and Charitable Societies Registration Act 1955. Drawing from the strengths of HLL Lifecare Ltd and partner institutions of repute, HMA is devoted to academic initiatives and social development projects with a primary focus in healthcare domain. The major activities are as follows:

Social Development Projects Division

HMA's pioneering project "**Thinkal – Awareness creation and distribution of menstrual cups**" has gained wide acceptance globally at the beginning itself via the support of local government and medical professionals. In the financial year 2021-22, HMA has executed 12 Thinkal projects all over Kerala (2 CSR projects, 5 Local Self-Governing Bodies {LSGB} projects and 5 At Cost projects). Distributed 45,943 menstrual cups with a total project value of Rs. 1,05,64,709/- .HMA as a social initiative feels enthralled and privileged that, M- cups which were once spoken in few circles and discussed in whispers have reached out to thousands of people within a very short span of time through '**THINKAL**'.

M –Cup Projects

- Thinkal project (HLL CSR)
 - With the CSR support from HLL Lifecare Limited, Thinkal project was executed at Thiruvananthapuram Municipal Corporation. The project was inaugurated on 7th October 2021 by Honourable Health Minister of Kerala Smt. Veena George. In this project, HMA had conducted awareness creation and distribution of 15,200 menstrual cups in five months. On the occasion of International Women's day, Kerala State Womens Development Corporation (KSWDC) permitted to present and open M-Cup awareness desk at Nishagandhi open auditorium, covered 1500 beneficiaries. The primary focus area of the project was the coastal belt of Thiruvananthapuram especially in Shankhumukham and Valiyathura. The awareness and distribution of M-cup was successfully completed with the support of LSGB, NGOs, SHGs, organizations etc.

- थिंकल परियोजना (आईओसीएल- सीएसआर)
 - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर फंड के साथ एचएमए ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एर्नाकुलम जिले में 22,500 महिलाओं के बीच में 'थिंकल'- जागरूकता सृजन और एम-कप का वितरण लागू किया। यह परियोजना 13 नवंबर 2021 को शुरू हुई थी और इसका उद्घाटन केरल के उद्योग मंत्री, श्री पी राजीव ने किया था। पाँच महीने की अवधि के भीतर, एर्नाकुलम में महिला आबादी को 22,500 एम-कप वितरित किए। भले ही प्रारंभिक मंजूरी 20,000 महिलाओं तक पहुँचने की थी, एम-कप की बढ़ती माँग के कारण, परियोजना एर्नाकुलम जिले की 22,500 महिलाओं तक विस्तारित की गई। परियोजना का प्राथमिक फोकस क्षेत्र एर्नाकुलम का तटीय क्षेत्र था। इसके अलावा परियोजना को विभिन्न नगर पालिकाओं, ब्लॉक/ग्राम पंचायतों और एर्नाकुलम की नगर सीमा पर लागू किया गया था।
- मुख्य हाइलाइट्स हैं,
 - केरल के माननीय राज्यपाल, श्री आरिफ मोहम्मद खान द्वारा 13 जनवरी 2022 को कुंबलिंगी ग्राम पंचायत, देश का पहला मॉडल पर्यटन गाँव को भारत में पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत के रूप में घोषित किया गया। यह, पंचायत में थिंकल परियोजना लागू करने से संभव हुआ है।
 - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, केएमआरएल ने हमें उनके मेट्रो स्टेशनों पर एम-कप जागरूकता डेस्क खोलने की अनुमति दी और कोच्चि मेट्रो रेल की महिला यात्रियों को एम-कप वितरित किए।
- स्थानीय स्वशासी निकाय परियोजना
 - एलएसजीबी परियोजनाओं के माध्यम से हम केरल में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देकर मज़बूत कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8194 लाभार्थियों को कवर करते हुए 3 ब्लॉक पंचायतों और 2 ग्राम पंचायतों में एम-कप परियोजना को कार्यान्वित किया गया था। चिकित्सा पेशेवर पंचायत अधिकारियों के लिए कक्षाएँ आयोजित करते हैं और प्रत्येक पंचायत में संबंधित पीएचसी के माध्यम से जागरूकता सत्र के बाद मासिक धर्म कप का वितरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- लागत पर परियोजनाएँ
 - केल्ट्रोन, टीवीएस, एस्टर मेडिसिटी, वीबीडी और सीएमओ जैसे विभिन्न संगठनों में थिंकल - जागरूकता सृजन और एम-कप का वितरण लागत पर निष्पादित किए गए। इन परियोजनाओं से 1836 कामकाजी महिलाओं को लाभ हुआ।
 - झारखंड जिले में कोल इंडिया लिमिटेड के सीएसआर व्यय के हिस्से के रूप में रु. 1,01,01,000/- के वित्तीय बजट के साथ 20,000 मासिक धर्म कप वितरित करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।

अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना

- 'आरोग्यनिकेतनम - वायनाडु और तिरुवनंतपुरम जिले के पिछड़े क्षेत्रों के स्कूल बच्चों के बीच में स्वास्थ्य रक्षा जागरूकता सृजन परियोजना निष्पादित किए गए।
- कवडियार वार्ड में 'माई सिटी'- अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम परियोजना निष्पादित किया गया।

अकादमिक प्रभाग

- प्रबंधन संस्थान, केरल (आईएमके), केरल विश्वविद्यालय के एक विस्तार केंद्र के रूप में एचएमए में केरल विश्वविद्यालय के तहत 'एमबीए (सीएसएस ईवनिंग रेगुलर) कार्यक्रम' आयोजित करने के लिए उनके साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।
- 190 छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एचएलएल के विभिन्न यूनिटों में अपनी परियोजनाओं/इंटरनशिप को ऑनलाइन और ऑफलाइन करने के लिए सुविधा प्रदान की।
- 342 कार्यपालकों को शामिल करते हुए पंद्रह विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित किए गए। एचएलएल और उसकी सहायक कंपनियों के अलावा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य बहु-राष्ट्रीय कंपनियों जैसे अन्य संगठनों के भी प्रतिनिधित्व थे।

- Thinkal project(IOCL- CSR)
 - HMA with the CSR fund of Indian Oil Corporation Ltd, implemented 'Thinkal' - Awareness creation and distribution of M-cup among 22,500 women at Ernakulam district for the FY 2021-22. The project was kick started on 13th November 2021 and inaugurated by Kerala Industries Minister Shri. P Rajeev. Within a span of five months, distributed 22,500 M-cups to the women population in Ernakulam. Even though the initial sanction was to reach out to 20,000 women, due to the increased demand for the M-cup,the project extended to 22,500 women of Ernakulam district. The primary focus area of the project was the coastal belt of Ernakulam. In addition to that, the project was implemented at various municipalities, Block/Grama Panchayaths and corporation limits of Ernakulam.
- The main highlights are,
 - Kumbalingi Grama Panchayath, the first model tourism village in the country declared as the first sanitary napkin free panchayath in India by Shri. Arif Mohammed Khan, Hon'ble Governor of Kerala on 13th January 2022. This was made possible by implementing the Thinkal project in the panchayath.
 - On the occasion of International Women's day, Kochi Metro Rail Limited (KMRL) permitted us to open M-cup awareness desk at their metro stations and distributed M-cups to the women commuters of Kochi metro rail.
- Local Self GoverningBodies Project
 - Through LSGB projects we could enhance and strengthen the welfare activities of the local self-government system in Kerala. In the FY 2021-22, M-cup project was executed at 3 block panchayats and 2 Grama panchayats covering 8194 beneficiaries. Medical professionals conducts classes for panchayat officials and distribution of menstrual cup wassuccessfully completed after the awareness sessionsthrough corresponding PHCs in each panchayat.
- At Cost Projects
 - Thinkal –Awareness Creation and distribution of M-Cups were executed at cost in various organizations like Keltron, TVS, Aster medicity, VBD and CMO. Through theseprojects1836 working women were benefitted.
 - Entered into a MoU with **Coal India Ltd** for distributing 20,000 menstrual cups in Jharkhand district with a financial budget of **Rs.1, 01,01,000/-** as part of their CSR expenditure.

Other Public health projects

- Executed project "**Arogyaniketanam** – Healthcare awareness creation among school children in the backward areas of Wayanad &Thiruvananthapuram district".
- Executed project "**My City**"– Waste management programme at Kowdiar Ward, Thiruvananthapuram".

Academic Division

- Entered into a MoU with University of Kerala for conducting "MBA (CSS Evening Regular) programme", under the University of Kerala at HMA as an extension center of Institute of Management in Kerala (IMK), University of Kerala.
- Facilitated 190 students for doing their projects/internships online as well as offline at various units of HLL as part of their curriculum.
- Fifteen Management Development Programmes (MDP) covering 342executives was conducted. There were also representation from other organizations like state PSU's and other multi-nationalcompanies

- एचएलएल और उसकी समनुषंगियों द्वारा 71 कर्मचारियों को शामिल करते हुए पाँच कर्मचारी विकास कार्यक्रम (एसडीपी) आयोजित किए गए।
- मैसर्स लननेट स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित जीडीए और टाआईटीपी पाठ्यक्रम के छह बैचों में 116 छात्र शामिल हैं।

परामर्श परियोजना प्रभाग

- एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स) के लिए कार्य-अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- एचएलएल और बाहरी एजेंसियों के लिए विभिन्न पदों में 760 उम्मीदवारों के लिए भर्ती का आयोजन किया गया।
- अवसंरचना ढाँचे से संबंधित परामर्श परियोजना 'उदयम' - स्ट्रीट पुनर्वास परियोजना वेल्लयिल, कोषिकोड को जिला प्रशासन, कोषिकोड के सहयोग से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर समर्थन के साथ निष्पादित किया गया था।

मान्यताएँ

- 'थिंकल एंड कूल कर्प' के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया गया।
- एर्नाकुलम जिला में निष्पादित थिंकल परियोजना के भाग के रूप में केरल के माननीय राज्यपाल, श्री आरिफ मोहम्मद खान द्वारा 13 जनवरी 2022 को कुंबलिंगी ग्राम पंचायत, देश का पहला मॉडल पर्यटन गाँव को भारत में पहला सैनिटरी नेपकिन मुक्त पंचायत के रूप में घोषित किया गया।
- 'उदयम' - स्ट्रीट निवासी पुनर्वास परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एचएमए को कोषिकोड को जिला प्रशासन द्वारा वेल्लयिल, कोषिकोड में उदयम घर को साकार करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।

33. सतर्कता

सभी स्तरों पर सत्यनिष्ठा एवं अखंडता और निवारक सतर्कता एचएलएल सतर्कता के लिए प्राथमिक फोकस क्षेत्र हैं। इसे सुनिश्चित करने की ओर सतर्कता विभाग समय-समय पर सीवीसी से प्राप्त सलाह/प्रणाली सुधार निर्देश साझा करता है ताकि सभी हितधारकों द्वारा नियमों व विनियमों का पालन संभव हो सके। सतर्कता विभाग का एक प्रमुख कार्य है, उपरोक्त प्राप्त करने के लिए कंपनी की विभिन्न यूनिटों/कार्यालयों के साथ आवश्यक पर्यवेक्षण, प्रासंगिक सहायता और समन्वय करना।

विभाग द्वारा किए गए आकस्मिक एवं नियमित सतर्कता निरीक्षण, जाँच/पूछताछ, प्रणाली अध्ययन आदि में चूक, कमियों और अन्य अंतर्दृष्टि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है जिसे उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26.10.2021 से 01.11.2021 की अवधि के दौरान 'स्वतंत्र भारत @ 75 : अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता' विषय पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शपथ लेने के साथ मनाया गया। हमारे विभिन्न कार्यालयों/यूनिटों में प्रमुख स्थानों पर सीवीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए जनहित प्रकटीकरण और सूचना संरक्षण (पीआईडीपीआई) जागरूकता पोस्टरों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया था।

34. अखण्डता समझौता

प्रापण कार्यकलाप में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की एक पहल है, सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के ठेके में अखण्डता समझौता का परिचय। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए मार्गनिर्देश/कार्यालय ज्ञापन के आधार पर, आप की कंपनी ने पहले ही अखण्डता समझौता नीति अपनायी है। कंपनी द्वारा अपनायी अखण्डता समझौता नीति, रु. 10.00 करोड़ की सीमा से अधिक राजस्व और पूँजी प्रकृति के सभी ठेके के संबंध में लागू होती है। इसके अलावा, पूँजी और राजस्व मदों के मामले में जो स्वामित्व प्रकृति का है, अखण्डता समझौता लेनदेन के मूल्य के बावजूद सभी लेनदेन/अनुबंधों पर लागू होगा।

श्री अशोक मंगोत्रा आईसीएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव (भारत सरकार) को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त एचएलएल लाइफ़केयर

apart from HLL and its subsidiaries.

- Five Staff Development Programmes (SDP) covering 71 employees were conducted of HLL and its subsidiaries.
- Six batches of GDA and TITP course conducted in association with M/s Learnet Skills Pvt Ltd covering 116 students.

Consultancy Projects Division

- Successfully completed the work-study for HLL Infratech Services Ltd (HITES).
- Conducted recruitment for 760 candidates in various posts for HLL and external agencies.
- One infrastructure-related consultancy project “Udayam” – Street Dweller Rehabilitation project vellayil, Kozhikode was executed with CSR support of Indian Oil Corporation Ltd in association with the District Administration, Kozhikode.

Recognitions:

- Received trademark for “Thinkal and Cool Cup”.
- Kumbalingi Grama Panchayat, the first model tourism village in the country, was declared as the first sanitary napkin free panchayath in India by Shri. Arif Mohammed Khan, Hon’ble Governor of Kerala on 13th January 2022 as part of Thinkal project executed at Ernakulam district.
- For the implementation of “Udayam” – Street Dweller Rehabilitation project successfully, HMA was awarded recognition for realizing of Udhyam home at Vellayil, Kozhikode by the Kozhikode district administration.

33. VIGILANCE

Probity & integrity at all levels and Preventive Vigilance are the primary focus areas for HLL Vigilance. Towards ensuring this, Vigilance Department shares relevant advice / system improvement directives received from CVC from time to time so that adherence to rules and regulations by all the stakeholders becomes possible. A major function of Vigilance Department is necessary supervision, relevant assistance and coordination with various units/offices of the company to achieve the above.

Surprise and routine vigilance inspections, investigations / enquiries, system study etc. conducted by the Department provides information on lapses, lacuna and other insights which is submitted before Competent Authority for appropriate action. Vigilance Awareness Week was observed during the

period 26.10.2021 to 01.11.2021 on the theme “Independent India @75 : Self Reliance with Integrity” commencing with officers and staff taking pledge. Special attention was paid to display Public Interest Disclosure and Protection of Information (PIDPI) awareness posters provided by CVC at prominent places in our various offices / units.

34. INTEGRITY PACT

One of the initiatives of the Central Vigilance Commission (CVC) to eradicate corruption in procurement activity is introduction of the Integrity Pact in large value contracts in Government Organizations. Based on the guidelines/ Office Memorandum issued by the Central Vigilance Commission, your Company has already adopted Integrity Pact Policy. The Integrity Pact Policy adopted by the Company is applicable in respect of all contracts of both revenue & capital nature exceeding the threshold limit of ₹10.00 Cr. Besides, In the case of Capital and Revenue items that are Proprietary in nature, the Integrity Pact would apply to all transactions/contracts irrespective of the value of transaction.

Shri Ashok Mangotra IAS (Retd.), Ex-Secretary to Government of India is the Independent External Monitor for

लिमिटेड के लिए स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक है। आपकी कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यपालकों के साथ स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक की संरचित बैठकें भी आयोजित कीं। अखण्डता समझौता नीति कंपनी की वेबसाइट में अपलोड की गई है।

35. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना अधिकार (आर टी आई) अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है, जो उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बनाए रखने के सिलसिले में सूचना प्रदान करके आम नागरिक को बढ़ावा देता है। कंपनी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आर टी आई अधिनियम 2005 से विविध सक्षम प्रावधानों को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है।

आर टी आई रिटर्न सारांश

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त और निपटान किए गए आर टी आई आवेदनों की संख्या नीचे दी जाती हैं:

01.04.2021 को अथशेष	12
वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल आवेदन	
तिमाही I	102
तिमाही II	61
तिमाही III	44
तिमाही IV	54
कुल	273
वर्ष 2021-22 के दौरान अस्वीकृत आवेदन	0
वर्ष 2021-22 के दौरान दी गई सूचना	267
31.03. 2022 तक उत्तर देने के लिए लंबित	6

36. पुरस्कार एवं सम्मान

- 1) एचएलएल पेरूरकड़ा फैक्टरी को टीडीएम हॉल, एर्नाकुलम में 04.03.2022 को केरल राज्य के कारखानों और बॉयलर विभाग से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा समिति का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार माननीय मंत्री श्री वी शिवनकुट्टी(श्रम एवं शिक्षा विभाग मंत्री, केरल सरकार) से प्राप्त हुआ।
- 2) एचएलएल पेरूरकड़ा फैक्टरी को सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र इरुम्पनम, एर्नाकुलम में 11.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह में वर्ष 2021 के दौरान प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से उत्कृष्ट सुरक्षा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 3) एचएलएल पेरूरकड़ा फैक्टरी को 28.12.2021 को प्रोडक्टिविटी हाउस, कलमशशेरी में आयोजित समारोह में माननीय उद्योग, कयर और कानून मंत्री, श्री पी राजीव से उद्योग श्रेणी III में उत्पादकता, सुरक्षा रिकॉर्ड, पर्यावरण प्रबंधन, गुणवत्ता, कल्याण, कर्मचारी संतुष्टी में उत्कृष्टता के लिए फैक्ट एमकेके नायर -सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता निष्पादन पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 4) श्री टी पी शण्मुगम, कार्ड नं. 100663, पैकिंग विभाग, एचएलएल पेरूरकड़ा फैक्टरी को 04.03.2022 को टीडीएम हॉल, एर्नाकुलम में कारखाने व बॉयलर विभाग, केरल राज्य से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 5) एचएलएल आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम ने कारखाने एवं बॉयलर विभाग से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा निष्पादन पुरस्कार (प्रथम स्थान) जीता।
- 6) एचएलएल आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह 2022 के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से मध्यम उद्योगों के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 7) एचएलएल आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम सुविधा को डब्लियु/यूएनपीए द्वारा कॉपर टी 380ए के लिए पूर्व-योग्यता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- 8) एचएलएल आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम ने कॉपर टी, सर्जिकल स्यूचेर्स, ट्यूबल रिंग और हर्निया मेश उत्पादों के लिए विनिर्माण

HLL Lifecare Ltd. appointed by the Central Vigilance Commission. Your Company has also conducted structured meetings of the Independent External Monitor with Chairman & Managing Director and other Executives. Integrity Pact Policy has been uploaded on the web site of the Company.

35. RIGHT TO INFORMATION ACT,2005

Your Company has implemented Right to Information (RTI) Act, 2005, which enhances the common citizens by providing access to information with a view to enlighten them on the accountability and transparency practised in the Company. The Company has always endeavoured to ensure that various enabling provisions of the RTI Act, 2005 are implemented in letter and spirit.

RTI Return Summary

The number of RTI applications received and disposed off during year 2021-22 is given below:

Opening Balance as on 01.04.2021	12
Total applications received during 2021-22	
Quarter I	102
Quarter II	61
Quarter III	44
Quarter IV	54
Total	273
Applications rejected during 2021-22	0
Information furnished during 2021-22	267
Pending to Reply as on 31.03.2022	6

36. AWARDS AND RECOGNITIONS

- 1) HLL Peroorkada Factory received Best Safety Committee Award from Department of Factories & Boilers Kerala State on 04.03.2022 at TDM Hall Ernakulam. The Award was received from Hon'ble Minister Shri V Sivankutty (Minister for Labour & Education Department, Government of Kerala)
- 2) HLL Peroorkada Factory Received Excellence in Safety Management award from National Safety Council (Kerala Chapter) for maintaining effective safety management system during 2021 on National Safety Day celebrations held on 11.03.2022 at Safety Training & Research Centre, Irumpanam, Ernakulam
- 3) HLL Peroorkada Factory received FACT MKK Nayar – Best Productivity Performance Award 2021 for excellence in Productivity, Safety record, Environment Management, Quality, Welfare, Employee Satisfaction) in Industry Category III from Shri P Rajeev, Hon'ble Minister for Industries, Coir & Law, Government of Kerala on 28.12.2021 at Productivity House, Kalamassery
- 4) Shri T P Shanmugam, Card No: 100663, Packing Department, HLL Peroorkada Factory received Best Safety Worker Award from Department of Factories & Boilers, Kerala State on 04.03.2022 at TDM Hall, Ernakulam
- 5) HLL Akkulam Factory, Thiruvananthapuram won Best Safety Performance Award (First Place) from Department of Factories and Boilers, Government of Kerala
- 6) HLL Akkulam Factory, Thiruvananthapuram received SRESHTA SURAKSHA PURASKAR for outstanding safety performance for Medium Industries from NATIONAL SAFETY COUYNCIL (Kerala Chapter) in connection with National Safety week celebration 2022.
- 7) HLL Akkulam Factory, Thiruvananthapuram facility listed as prequalified by WHO/UNPA for Copper T 380A
- 8) HLL Akkulam Factory, Thiruvananthapuram successfully completed audit by CDSCO authorities for

लाइसेंस नवीकरण के संबंध में भारतीय चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के अनुपालन के लिए सीडीएससीओ अधिकारियों द्वारा ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया।

37. प्रशंसा और कृतज्ञता

आपके निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त किये जा रहे बहुमूल्य मार्गनिर्देश, समर्थन एवं सहकारिता का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए उनका लगातार समर्थन की प्रतीक्षा भी करते हैं।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्यक लेखापरीक्षा का प्रधान निदेशक एवं लेखापरीक्षा मंडल के पदेन सदस्य, , सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सहकारिता और समर्थन के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

निदेशक इस अवसर पर कंपनी के बैंकरों, विनियामक प्राधिकारी, ग्राहकों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं, प्रौद्योगिकी लैसेन्सकताओं, ठेकेदारों और अन्य व्यवसायिक सहयोगियों एवं व्यापारिक भागीदारों को कंपनी के प्रति उनके लगातार सहयोग और विश्वास पर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस अवसर का विनियोग करते हैं।

आपके निदेशक सभी स्तर के कर्मचारियों को उनके कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति गहरी सराहना भी व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की तरफ से
के. बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन :08419099]

दिनांक : 2 अगस्त, 2022

स्थान : तिरुवनंतपुरम

compliance with Indian Medical Device Rules 2017 w.r.t the manufacturing licence renewal for the products Copper T, Surgical Suture, Tubal Ring and Hernia Mesh.

37. APPRECIATION AND ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to make a special mention of the valuable guidance, support and co-operation your Company has been receiving from the Ministry of Health & Family Welfare and other Ministries of Government of India and look forward to their continued support in all future endeavors.

The Directors express their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member of Audit Board, Statutory Auditors, Cost Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors for the co-operation and support extended by them.

The Directors take this opportunity to thank the Company's bankers, regulatory authorities, customers, vendors, consultants, technology licensors, contractors and other business associates and trading partners for their continued support and confidence reposed in the Company.

Your Directors also place on record their deep appreciation to employees at all levels for their hard work, dedication and commitment.

For and on behalf of the Board of Directors
K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN: 08419099]

Date: 02nd August, 2022
Place: Thiruvananthapuram

अनुबंध - क

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार कंपनी नियम 2014(लेखा) के साथ पढ़ित सूचना 31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के भाग बनती है।

फार्म क

(नियम 2 देखें)

विवरण	2020-21	2021-22
बिजली और इंधन		
बिजली		
खरीदी गयी (यूनिट)के डब्लियु एच	1,88,18,365.00	3,49,07,696.44
राशि (₹)	11,07,06,656.00	11,06,15,198.51
दर / यूनिट (₹)	5.88	6.75
निजी उत्पादन	2,11,322.00	-
उत्पादित यूनिट (के डब्लियु एच)		1,93,569.60
एच एस डी तेल का उपभोग (लिटर)	63,985.00	58,069.00
उत्पादित यूनिट/लिटर (के डब्लियु एच/लिटर)	3	12.78
लागत/यूनिट (₹)	28.28	38.90
भाप टरबाइन जनरेटर द्वारा	लागूनहीं	
कोयला	लागूनहीं	-
एल एन जी		-
परिमाण (मेट्रिक टन)	1,233.14	933.33
राशि (₹)	4,17,88,186.20	3,85,65,072.25
दर/यूनिट (₹)	33,887.58	41,319.78
फर्नस तेल		
परिमाण (लिटर)	23,20,588.00	29,32,815.00
राशि (₹)	8,50,81,182.63	15,84,69,848.26
दर/यूनिट (₹)	36.66	52.67
उत्पादन के प्रति यूनिट का उपभोग		-
कण्डोम		-
यूनिट (दशलक्ष अदद)- उत्पादन (मॉलडड)	1,302.27	1,063.31
बिजली (के डब्लियु एच)प्रति दशलक्ष अदद (मानक 8418)	7,684.29	36,537.17
फर्नस तेल (किलो लिटर) प्रति दशलक्ष अदद (मानक 6.19)	2	6.06
एल एन जी(एम टी) प्रति दशलक्ष अदद		1.22
कोयला		-
एल एन जी(एम टी) प्रति दशलक्ष अदद		-
कॉपर-टी		-
उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष अदद)	7.96	4.13
बिजली प्रति दशलक्ष अदद (के डब्लियु एच)	70,695.00	1,52,169.00
माला-डी/एन, सहेली, नोवेक्स एवं प्रिक्टोल		-
उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष अदद)		-
माला-डी/एन (दशलक्ष साइकिल्स)	79.48	19.59

ANNEXURE - A
ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

Information as per Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules 2014 forming part of the Directors' Report for the year ended 31st March 2022

FORM A
(See Rule 2)

Particulars	2020-2021	2021-22
Power & Fuel Electricity		
Purchased (Units) KWH	1,88,18,365.00	3,49,07,696.44
Amount (₹)	11,07,06,656.00	11,06,15,198.51
Rate /Unit (₹)	5.88	6.75
Own generation	2,11,322.00	-
Units generated (KWH)		1,93,569.60
HSD Oil consumption (Ltr)	63,985.00	58,069.00
Units generated/ Ltr (KWH/Ltr)	3	12.80
Cost /Unit (₹)	28.28	38.90
Through Steam Turbine Generator	NA	-
Coal	NA	-
LNG		-
Quantity (Metric Tonne)	1,233.14	933.33
Amount (₹)	4,17,88,186.20	3,85,65,072.25
Rate /Unit (₹)	33,887.58	41,319.78
Furnace Oil		-
Quantity (Ltr.)	23,20,588.00	29,32,815.00
Amount (₹)	8,50,81,182.63	15,84,69,848.26
Rate /Unit (₹)	36.66	52.67
Consumption per unit of production		-
Condoms		-
Unit (M. Pcs) – Production (Moulded)	1,302.27	1,063.31
Electricity (KWH) per M. Pcs (Standard 8418)	7,684.29	36,537.17
Furnace Oil (KL) per M. Pcs (Standard 6.19)	2	6.00
LNG (MT) per M.Pcs		1.22
Coal		-
LNG (MT) per M.Pcs		-
Copper –T		-
Total Quantity Produced (M. Pcs)	7.96	4.13
Electricity per M. Pcs (KWH)	70,695.00	1,52,169.00
Mala-D/N, Saheli, Novex&Preventol		-
Total Quantity Produced (M. Pcs)		-
Mala-D/N (M. Cycles)	79.48	19.59

विवरण	2020-21	2021-22
सहेली, नोवेक्स एवं प्रिक्टोल	11.88	67.39
माला-डी/एन के प्रति दशलक्ष साइकिल खपत की गई बिजली	635.98	196.98
सहेली, नोवेक्स एवं प्रिक्टोल	261.85	21.44
खपत की गई बिजली (दोनों उत्पाद) - के डब्लियु एच	8,97,821.00	5,35,305.28
ब्लड बैग-		-
उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष अदद)	4.77	8.15
प्रति बैग बिजली (के डब्लियु एच)	0.43	0.30
स्यूचर्स		-
उत्पादित कुल परिमाण (लाख दर्जन)	0.75	0.80
बिजली प्रति दर्जन (के डब्लियु एच)	7.03	6.91
बल्क ड्रग - सेंटक्रोमैन		-
उत्पादित यूनिट (किलोग्राम)	1,358.10	1,320.00
खपत की गई बिजली(के डब्लियु एच)	4,53,204.00	7,56,091.46
खपत की गई फर्नस तेल (लिटर)	1,30,895.00	2,20,471.87
बिजली प्रति किलोग्राम (के डब्लियु एच)	333.7	572.80
फर्नस तेल प्रति किलोग्राम (किलो लिटर)	96.38	167.02
गर्भ परीक्षण किट		-
उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष किट)	-	9.20
बिजली प्रति दशलक्ष किट (के डब्लियु एच)	-	-
एच एस डी तेल प्रति दशलक्ष किट (लिटर)	-	-
महिला कण्डोम		-
उत्पादित कुल परिमाण (अदद)	39,74,667.00	-
बिजली प्रति अदद (के डब्लियु एच)	0.01	-
सैनिटरी नैपकिन		-
उत्पादन (दशलक्ष अदद)	211.24	66.08
खपत की गई बिजली (के डब्लियु एच)	9,57,879.00	5,29,188.00
खपत की गई बिजली प्रति दशलक्ष	4535	8,008.29

[क] ऊर्जा संरक्षण

क) **पेरूरकडा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी) में क्रियान्वित ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे उल्लिखित किए जाते हैं:**

1. प्राईमरी उत्पादन संयंत्र 'ए' में ओकोमोटो मोल्टिंग मशीन एम 3 और एम 4 के लिए एक नया 4200 सीएमएच डीह्यूमिडिफायर संस्थापित और कमीशन किया गया है।
2. उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए ऊर्जा दक्ष 120 टीआर चिल्लर संस्थापित और कमीशन किया गया है।
3. उत्पादन क्षेत्रों में कम ऊर्जा दक्ष लाइट्ल और पंखों को रोशनी और अत्यधिक दक्ष एलईडी लाइट्स पंखे (200 नं) और बीएलडीसी प्रकार ऊर्जा दक्ष सीलिंग पंखों (25 नं) के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया गया।
4. 18 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटों की संस्थापन।

ख) ऊर्जा दक्षता में सुधार के संबंध में एचएलएल पेरूरकडा फैक्टरी में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए योजना बनाई गई।

Particulars	2020-2021	2021-22
Saheli, Novex & Preventol	11.88	67.39
Electricity consumed per million cycles of Mala-D/N	635.98	196.98
Saheli, Novex & Preventol	261.85	21.44
Electricity consumed (both products)-KWH	8,97,821.00	5,35,305.28
Blood Bags		-
Total Quantity Produced (M. Pcs)	4.77	8.15
Electricity per bag (KWH)	0.43	0.30
		-
Sutures		-
Total Quantity Produced (Lacs Dozen)	0.75	0.80
Electricity per dozen (KWH)	7.03	6.91
Bulk Drug –Centchroman		-
Unit (Kg) produced	1,358.10	1,320.00
Electricity consumed (KWH)	4,53,204.00	7,56,091.46
Furnace Oil consumed (Ltr.)	1,30,895.00	2,20,471.87
Electricity per Kg (KWH)	333.7	572.80
Furnace Oil per Kg (KL)	96.38	167.02
Pregnancy Test Kits		-
Total Quantity Produced (M. Kit)	-	9.20
Electricity per Million Kit (KWH)	-	-
HSD Oil per Million Kit (Ltr.)	-	-
Female Condoms		-
Total Quantity Produced (Pcs)	39,74,667.00	-
Electricity per Pc (KWH)	0.01	-
Sanitary Napkins		-
Production (M.Pcs)	211.24	66.08
Electricity consumed (KWH)	9,57,879.00	5,29,188.00
Electricity consumed per M.Pcs	4535	8,008.29

[A] CONSERVATION OF ENERGY

a) Energy conservation measures executed at the Peroorkada factory, Thiruvananthapuram [PFT] are mentioned below:

1. Installed and commissioned a new 4200 CMH dehumidifier for Okomoto moulding machines M3 and M4 in primary production Plant A.
2. Installed and commissioned new energy efficient 120 TR chiller for catering to requirements of production.
3. Successfully replaced less energy efficient lights and fans with highly efficient LED lights (200nos.) and BLDC type energy efficient ceiling fans (25nos.) in production areas.
4. Installation of 18 solar powered street lights

b) The following activities are planned to be conducted in HLL Peroorkada factory with regard to the energy efficiency improvements.

1. ग्रिड इंटरएक्टिव 1000 केडब्लियु सोलार पैनल का प्रस्ताव है, जिसका संस्थापन चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करने की योजना है।
2. हमारे सबस्टेशन में पुराने 630 केवीए ट्रंसफोर्मर को बदलकर एक नया ऊर्जा दक्ष 800 केवीए ट्रंसफोर्मर संस्थापित किया जाएगा।
3. हम ने जल वितरण लाइनों के बेहतर निष्पादन के लिए कोरोडेड यूटिलिटी पाइपों को बदलना शुरू किया है।
4. पेरूरकडा फैक्टरी में विभिन्न एएचयू की टंडे पानी की मांग को पूरा करने के लिए दो नए ऊर्जा दक्ष 180 टीआर चिलर संस्थापित किये जायेंगे। ये दो कम दक्ष 160 टीआर चिल्लरों के लिए प्रतिस्थापित होंगे।
5. निर्बाध भाप उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पेरूरकडा फैक्टरी के बॉयलर हाउस में एक ऊर्जा दक्ष 6 टीपीएच ड्यूयल फ्यूयल बॉयलर (फर्नेस ऑयल और एलएनजी) संस्थापित किया जाएगा। यह पुराने 8 टीपीएच फर्नेस ऑयल फायर्ड बॉयलर का प्रतिस्थापन है।
6. हमारे बॉयलरों के लिए वैकल्पिक ईंधनों के रूप में एलपीजी को अपनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

ग) आक्कुलम फैक्टरी , तिरुवनंतपुरम (एएफटी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे किए जाते हैं।

1. कॉपर टी और टीआर उत्पादन गतिविधियों के लिए क्लीन रूम का उपयोग करने के लिए ऊर्जा दक्ष 24 टीआर एएचयू के साथ कॉपर टी फ्लोर में पुराने एएचयू को प्रतिस्थापित किया गया।
2. स्यूचेर्स उत्पादन के असेंबली क्षेत्र में 42 वाट एलईडी लैंप फिटिंग के साथ 26 नंबर 54 वाट लैंप फिटिंग को प्रतिस्थापित किया गया।
3. हर्निया मेश उत्पादन क्षेत्र में 12 नंबर 36 वाट एलईडी लैंप फिटिंग के साथ 13 नंबर 40 वाट लैंप फिटिंग को प्रतिस्थापित किया गया।
4. एफओ उपयोग को अनुकूलित करने और निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए ड्यूयल मोड संचालन की ओर स्यूचेर्स उत्पादन के लिए एएचयू में इलेक्ट्रिक हीटर बैंक का संस्थापित किया गया।

घ) मनेसर फैक्टरी, गुडगांव डू एमएफजी ट में किए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे किए जाते हैं।

डायग्नोस्टिक्स विनिर्माण वित्तीय वर्ष 2018 -19 से निश्चित मार्जिन के आधार पर आउटसोर्स मोड में बदल दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए, इस में शामिल उपयोगिताओं की लागत और परिचालन खर्च एजेंसी द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही, उपयोगिता खपत/ऊर्जा दक्षता का प्रबंधन एजेंसी द्वारा किया जाता है।

ड. ऐरापुरम फैक्टरी, कोचिन इआईएफसीट में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे किए जाते हैं।

1. आई एफ सी की अनुबंध माँग को 1000 केवीए से 750 केवीए तक घटाकर दिया गया और इस तरह 2021-22 में रुपए 7,65,000.00 की बचत हुई।
2. 12 नंबर 350 वाट एमएच स्ट्रीट लाइट को ऊर्जा दक्ष 100 वाट एलईडी स्ट्रीट लाइट में सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया गया, जिससे प्रति वर्ष रुपए 70,000 की बचत हुई।
3. एयर कंप्रेसर में वी-बेल्ट को फ्लैट बेल्ट और ड्राइव को वीएफडी में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया, इस प्रकार प्रति वर्ष रुपए 1,50,000 की बचत हुई।

च) भगवानपुर फैक्टरी, हरिद्वार [बीएफएच] में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे किए जाते हैं।

1. खरीदी गई 252801 की कुल बिजली यूनिट रु. 9.02 प्रति यूनिट की दर में खरीदी गयी।
2. डीजी सेट उपयोग करके बिजली जनरेट किया गया। इसके लिए 4929 लीटर डीजल का उपयोग किया गया।
3. बॉयलर के लिए प्रयुक्त डीजल 30315 लीटर है।

छ) कनगला फैक्टरी, बेलगाम इन्फेफबीट में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों का उल्लेख नीचे किए जाते हैं।

200 नंबर पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स को ऊर्जा दक्ष एल ई डी ट्यूबलाइट्स से सफलतापूर्वक बदल दिया। ऊर्जा खपत को कम करके प्रति वर्ष रुपए 1.71 लाख की बचत हासिल किया।

1. It is proposed to have a grid interactive 1000kW solar panel, the installation of which is planned to be executed in a phased manner.
2. A new energy efficient 800kVA transformer will be installed by replacing the old 630kVA transformer in our substation.
3. We have started replacing the corroded utility pipes for optimum performance of the water distribution lines.
4. Two new energy efficient 180TR chillers will be installed to cater to the chilled water demands of various AHUs in Peroorkada factory. These will be replacement for the two less efficient 160TR chillers.
5. An energy efficient 6TPH dual fuel boiler (Furnace oil & LNG) will be installed in the boiler house of Peroorkada factory to ensure smooth steam generation. This is a replacement to the old 8TPH furnace oil fired boiler.
6. It is proposed to study the feasibility of adopting LPG as an alternate fuel for our boilers.

c) Energy conservation measures taken at Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT] are mentioned below:

1. Replaced the old AHU in CUT floor with energy efficient 24 TR AHU for utilizing the clean room for CuT and TR production activities.
2. Replaced 26 numbers of 54W Lamp fittings in assembly area of suture production with 42W LED lamp fittings
3. Replaced 13 numbers of 40W lamp firings in Hernia Mesh production area with 12 Nos of 36W LED lamp fittings.
4. Installed Electric heater banks in the AHUs for Suture production for dual mode operation for optimizing the FO usage and to ensure uninterrupted production.

d) Energy conservation measure taken at Manesar Factory, Gurgaon [MFG] is mentioned below.

The diagnostics manufacturing is switched over to outsourced mode from FY 2018-19 on a fixed margin basis. For manufacturing and supply of diagnostic kits, the costs of utilities and operational expenses involved are borne by the agency only. Also, the utility consumptions/ energy efficiency are managed by the agency.

e) Energy conservation measure taken at Irapuram Factory, Cochin [IFC] is mentioned below.

1. Reduced contract demand of IFC from 1000KVA to 750KVA and thereby saving an amount of Rs.7,65,000.00 in 2021-22
2. Successfully replaced 12 number 350watt MH street light by energy efficient 100watt LED street light thereby achieving a savings of Rs.70,000 per annum.
3. Successfully converted v-belt to flat belt and drive to VFD in an air compressor thereby achieving a savings of Rs.1,50,000 per annum.

f) Energy conservation measure taken at Bhagwanpur Factory, Haridwar [BFH] is mentioned below.

1. Total Electrical units purchased 252801 Units purchased at the rate of Rs 9.02 per Unit.
2. Electricity generated using DG Sets. For this 4929 liters of Diesel used.
3. Diesel used for the Boiler is 30315 Liters.

g) Energy conservation measure taken at Kanagala Factory, Belgaum [KFB] is mentioned below.

Successfully replaced 200 Nos. of conventional Fluorescent tubelights with energy efficient LED tubelights. Achieved a saving of Rs. 1.71 Lacs / annum by reducing energy consumption.

फार्म बी

[ख] तकनीकी आमेलन, अभिग्रहण व नवाचार

ख.1 पेरूरकडा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी)

1. प्राइमरी प्लांट डी की एमजी मशीन में मान्य ऑनलाइन पाउडर फिनिशिंग ऑपरेशन का कमीशनिंग किया गया।
2. लैटेक्स फिल्म गुणों में सुधार के लिए मिश्रित लैटेक्स के समरूपीकरण के लिए प्लांट बी, सी और डी का ट्रायल रन, कमीशन और सत्यापन, जिसके परिणामस्वरूप कंडोम के मुद्रास्फीति गुणों में सुधार हुआ।
3. कंपाउंडिंग ऑपरेशन के लिए ठोस रसायनों के पीसने का समय कम करने के लिए कंपाउंडिंग ऑपरेशन के लिए ठोस फैलाव की गुणवत्ता में सुधार करने की ओर प्राइमरी प्लांट बी, सी और डी में बीड मिल का ट्रायल रन, कमीशनिंग और सत्यापन पूरा हुआ।

ख.2 आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी)

1. कॉपर टी मोल्टिंग के लिए 110 टन इंजेक्शन मोल्टिंग मशीन का संस्थापन और कमीशनिंग का काम पूरा किया गया।
2. बेहतर मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए मानव इंटरफेस में सुधार करने की ओर नवीनतम संस्करण (पैनल व्यू प्लस एचएमआई और एलन बैडली माइक्रो लॉजिक्स 1400 पीएलसी) के साथ मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन कॉलम के पीएलसी और एचएमआई का उन्नयन।
3. ऑटोक्लेव संचालन के लिए शुद्ध भाप जनरेटर (पीएसजी) के पीएलसी और एचएमआई का उन्नयन नवीनतम संस्करण के साथ बदल दिया गया (सिमेटिक-एस 7-1200 पीएलसी)।
4. चालक शाफ्ट का विस्तार करके और उचित लोड संतुलन के लिए अतिरिक्त डबल पॉक्ति बॉल बेयरिंग प्रदान करके यूनिट विफलताओं को कम करने के लिए ट्यूब एक्सटेंडर मशीन की हॉल-ऑफ यूनिट को संशोधित किया गया।
5. ब्लड बैग में घटकों की सांद्रता में सुधार करने और सेट अप समय को कम करने के लिए पर्ल मेइक एचएफ वेलिंग मशीन में ड्रेल के पिन में लॉक सिस्टम।
6. भारतीय चिकित्सा नियम 2017 का अनुपालन करने के लिए हर्निया एमएसएच ट्यूबल रिंग उत्पादन क्षेत्रों को सफलतापूर्वक उन्नत और कमीशन किया गया।
7. ब्लड बैग उत्पादन में स्वचालित सुई असेंबली मशीन में औद्योगिक 4.0 को सफलतापूर्वक शामिल किया गया।
8. परीक्षण के मानकीकरण के लिए वेल्डेड बैग के मुद्रास्फीति परीक्षण की ओर मुद्रास्फीति परीक्षण उपकरण का विकास।

ख.3 मनेसर फैक्टरी, गुडगाव (एमएफजी)

1. नया उत्पाद पेश किया गया - आयोडीनयुक्त और गैर आयोडीनयुक्त सामान्य लवणों में आयोडीन के क्षेत्र परीक्षण के लिए उपयुक्त नमक आयोडीन परीक्षण किट। पीने योग्य/सामान्य नमक में आयोडीन के परीक्षण के लिए और अंतर करने में सक्षम अर्ध मात्रात्मक परीक्षण किट।
 - (क) नमक में आयोडीन शून्य (आयोडीन रहित नमक)
 - (ख) 15 पीपीएम से कम, अपर्याप्त आयोडीन युक्त नमक
 - (ग) आयोडीन के पर्याप्त स्तर, 15 पीपीएम और उससे अधिक के साथ नमक
2. नया उत्पाद पेश किया गया - व्यापार बिक्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचएलएल डायग्नोस्टिक्स पोर्टफोलियो में परीक्षण/ जांच पाउडर लैटेक्स दस्ताने।

ख.4 कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

1. ओसीपी - स्टेरायडल में कैडमाच 75 स्टेशन टैबलेट कम्प्रेसन मशीन के लिए माइक्रो प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) के लिए इन-हाउस विकसित ऑप्लिकेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक संस्थापित और कमीशन किया गया।

FORM B

[B] TECHNOLOGY ABSORPTION, ADOPTION AND INNOVATION

B.1 Peroorkada factory, Thiruvananthapuram[PFT]

1. Trial run, commissioned of validated the online powder finishing operations in MG machine of primary plant D.
2. Trial run, commissioning and validation of plant B, C&D for homogenization of compounded latex to improve the latex film properties resulting in improvement in inflation properties of condom.
3. Trial run, commissioning and validation of bead mill completed in primary plant B, C &D for improving in the quality of solid dispersion meant for compounding operation for reduction in grinding time of solid chemicals for compounding operation.
4. Installation, trial run and commissioning of Reverse Osmosis plant of capacity 80 KLD comprising of pretreatment of soap stream from primary plant A followed by ultra filtration & reverse Osmosis for reuse of waste water for process application.

B.2 Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT]

1. Completed the installation and commissioning of 110 Ton injection moulding machine for Copper T moulding.
2. Upgradation of PLC and HMI of Multi effect distillation column with latest version (Panel View Plus HMI and Allen badley Micro Logix 1400 PLC) to improve human interface for better monitoring and control.
3. Upgradation of the PLC and HMI for Pure steam Generator (PSG) for autoclave operations replaced with the latest version (SIMATIC-S7-1200 PLC)
4. Modified the haul-off unit of tube extruder machine by extending the driver shaft and providing additional double row ball bearing for proper load balancing and reduce the haul off unit failures.
5. Lock system in mandrel pins in Perl make HF welding machine to improve the concentricity of components in Blood Bag and reduce the set up time.
6. Successfully upgraded and commissioned the Hernia msh, Tubal ring production areas to comply with Indian Medical Rules 2017.
7. Successfully incorporated industrial 4.0 in Automatic needle assembly machine in Blood bag production.
8. Development of inflation testing equipment for inflation testing of welded bag for standardization of the test.

B.3 Manesar Factory Gurgaon [MFG]

1. Introduced new product- Salt Iodine Testing Kit suitable for field testing of iodine in iodized and non iodized common salts. The semi quantitative test kit for testing of Iodine in potable / common salt and capable to differentiate
 - (a) Salt with nil iodine (non Iodized Salt)
 - (b) Salt with inadequate iodine less than 15 ppm.
 - (c) Salt with adequate level of iodine 15ppm and above
2. Introduced new product- Examination/ Investigation powdered latex gloves in HLL diagnostics portfolio to cater trade sales requirements

B.4 Kanagala Factory Belgaum [KFB]

1. Successfully Installed & Commissioned In-house developed application programme for Micro Programmable

- मोल्डिंग मशीन के लिए संस्थापित वेरियबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव - बी स्लरी पंप दबाव को कम करने और युपीएस ब्रेकडाउन से बचने के लिए

(ग) अनुसंधान एवं विकास (आर & डी) कार्यकलाप

ग.1 पेरूरकडा फैक्टरी , तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी)

- पी एफ टी में उत्पादित विलंबित कंडोम पर क्लाइमेक्स विलंब की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए लुब्रिकेंट और बेजोकेन की दोहरी खुराक के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की। यह ग्राहकों द्वारा इस उत्पाद की खुशी और स्वीकार्यता को बढ़ाएगा।
- एक नया और अनोखा कंडोम डिज़ाइन 'डायमंड स्टडेड कंडोम' विकसित किया गया, जो 2022 के दौरान खुले बाजार में लॉंच किया जाएगा।

ग.2 आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी)

- ब्लड बैग के लिए राउंड टाइप नीडल इंजरी प्रोटेक्टर विकसित किया गया।

ग.3 कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

शून्य

(घ) सतत विकास पहल

घ.1 पेरूरकडा फैक्टरी , तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी)

- गोल्फ क्लब तिरुवनंतपुरम के ईटीपी से सिंचाई/बागवानी उद्देश्य से 200 केएलडी उपचारित शुद्धीकृत बहिस्त्राव जल की निःशुल्क आपूर्ति।
- सूखे ईटीपी कीचड़ के साथ समान अनुपात में कोकोपीट मिलाकर ईटीपी कीचड़ को वर्मी कम्पोस्ट में परिवर्तित किया जाता है।
- कैंटीन अपशिष्ट और बायो डिग्रेडेबल अपशिष्ट को एनारोबिक (बायोगैस प्लांट 25 एम 3) में बदल दिया जाएगा और कैंटीन में बायोगैस का उपयोग किया जाएगा।

घ. 2 आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी)

- पीआईआर मोटिंग सेंसर और उच्च दक्षता वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ शाम से सुबह तक स्वचालित संचालन के लिए 3 नई एकीकृत सोलर स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की गई हैं।

भविष्य की योजनाएं

- ब्लड बैग उत्पादन के लिए वैक्यूम सीलिंग क्षमता में वृद्धि
- ऊर्जा मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए स्काडा का कार्यान्वयन।

घ. 3 कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

- वर्ष 2021-22 के दौरान सौर ऊर्जा के उपयोग से 92106 केएचडब्लियू बिजली का उत्पाद किया गया।
- वर्ष 2021-22 के लिए वर्षा जल संचयन की मात्रा है - 581 केएल

Logic Controller (PLC) for Cadmach 75 station tablet compression machine at OCP-Steroidal.

2. Installed Variable Frequency Drive for Moulding machine -B slurry pumps to reduce inrush current and avoid UPS Breakdown.

[C] RESEARCH AND DEVELOPMENT (R &D) ACTIVITIES

C.1 Peroorkada Factory, Thiruvananthapuram (PFT)

- 1) Introduced a system for Double dosing of Lubricant and Benzocaine for improving the effectiveness of Climax delay on delayed condoms produced at PFT. This will enhance the pleasure and acceptability of this product by customers.
- 2) Developed a New and Unique condom design "Diamond Studded Condom", which will be launched in the open market during 2022.

C.2 Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT]

1. Developed round type needle injury protector for Blood Bag.

C.3 Kanagala Factory, Belgaum [KFB]

NIL

[D] SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES

D.1 Peroorkada Factory, Thiruvananthapuram [PFT]

- 1) Supply of 200 KLD of treated effluent water from ETP of Golf club Trivandrum at free of cost for irrigation/ gardening purpose.
- 2) ETP sludge converted to Vermi compost by addition of Cocopeat in equal proportion with dried ETP sludge
- 3) Canteen waste and Bio degradable garbage shall be treated in anaerobic (Biogas Plant 25 M3) and biogas shall be utilized in the canteen.

D.2 Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT]

1. Installed 3 number of new integrated solar street lights for automatic dusk to dawn operation having PIR motion sensor and high efficiency solar charge controller.

Future Plans

1. Augmentation of vacuum sealing capacity for Blood bag production.
2. Implementation of SCADA for energy monitoring and control.

D.3 Kanagala Factory Belgaum [KFB]

1. 92106 KWH power generated by harnessing Solar energy during the year 2021-22.
2. Quantity Rain water harvested for the year 2021-22 is- 581KL

कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पहल

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
 (कंपनियों के अनुसार (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) और स्थिरता कंपनी की प्रकृति एवं नीति का अभिन्न अंग है और कंपनी लगातार इसका पालन कर रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 में और इसके अधीन नियम बनाये और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति निर्देश पर विचार करके और समाविष्ट सी एस आर के लक्ष्य और कार्यकलापों के साथ सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों को जारी रखने और उपायों को प्रारंभ करने के लिए अपने दर्शनशास्त्र को सम्मिलित करने की ओर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता पर एक नीति की ढाँचा बनायी और स्वीकार किया है। कंपनी नियम, 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के साथ पद्धित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नये रूप से शुरू की गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रावधानों के साथ सम्मिलित करने की ओर वर्ष 2013 को सूत्रीकृत सी एस आर एवं स्थिरता पर नीति तदनंतर संशोधित की गयी।

2. सीएसआर समिति की रचना

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	डॉ.पी.विजयचंद्र रेड्डी	स्वतंत्र निदेशक	2	2
2.	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	पूर्णकालिक निदेशक	2	2
3.	श्री टी.राजशेखर	पूर्णकालिक निदेशक	2	2
4.	डॉ.गीता शर्मा	पूर्णकालिक निदेशक	2	2

3. वेब लिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

http://www.lifecarehll.com/page/render/reference/_Corporate_Social_Responsibility

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 8 (3) के अनुसार, “हर कंपनी जिस के पास अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसरण में दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की औसत सीएसआर दायित्व है, एक करोड़ रुपए या उससे अधिक के परिव्यय वाले अपनी सीएसआर परियोजनाओं, प्रभाव मूल्यांकन का कार्य करेंगे और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा किया गया है,। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, कंपनी का कुल सीएसआर दायित्व केवल रु. 164.70 लाख (दस करोड़ रुपए से कम) है और इसलिए यह प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY INITIATIVES OF THE COMPANY

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22 (Pursuant to Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021)

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability is an integral part of the Company's ethos and policy and the Company has been pursuing this on a sustained basis. The Company has framed and adopted a Policy on CSR & Sustainability to align its philosophy to initiate measures and pursue socially useful programmes with the objectives and activities of CSR envisaged and incorporated in the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the policy directions issued by the Government from time to time. The Policy on CSR & Sustainability formulated in 2013 was subsequently revised to align with the newly introduced provisions for Corporate Social Responsibility under Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and Schedule VII of the Companies Act, 2013

2. Composition of CSR Committee:

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1	Dr P Vijayachander Reddy	Independent Director	2	2
2	Shri E A Subramanian	Whole-time Director	2	2
3	Shri T Rajasekar	Whole-time Director	2	2
4	Dr Geeta Sharma	Whole-time Director	2	2

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

http://www.lifecarehll.com/page/render/reference/_Corporate_Social_Responsibility

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub- rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

As per Rule 8(3) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, "Every company having average CSR obligation of ten crore rupees or more in pursuance of subsection (5) of section 135 of the Act, in the three immediately preceding financial years, shall undertake impact assessment, through an independent agency, of their CSR projects having outlays of one crore rupees or more, and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study". For the Financial Year 2021-22, the total CSR obligation of Company was only Rs.164.70 lakhs (less than Rupees Ten Crore) and hence this provision is not applicable to the Company.

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई है (रुपये में)
1	2019-20	शून्य	शून्य
2	2020-21	2.62	2.62
3	2021-22	-	13.71
	कुल	2.62	16.33

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसतन निवल लाभ
 रु.8, 234.89 लाख
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत
 रु. 164.70 लाख
- (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।
 रु. 2.62 लाख
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई है
 रु.13.71 लाख
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख + 7ग)
 रु.167.31 लाख
8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (रु. लाखों में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूचि VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी फंड को स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरित करने की तारीख	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरित करने की तारीख
153.60	शून्य	शून्य	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	13.71	28.09.2022

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1	2019-20	NIL	NIL
2	2020-21	2.62	2.62
3	2021-22	-	13.71
	Total	2.62	16.33

6. Average net profit of the company as per section 135(5).

Rs 8,234.89 Lakhs

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)

Rs 164.70 Lakhs

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.

Rs. 2.62 Lakhs

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any

Rs.13.71 Lakhs

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).

Rs.167.31 Lakhs

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year.	Amount Unspent (in ₹in lakhs)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
153.60	NIL	NIL	Prime Minister's National Relief Fund	13.71	28.09.2022

ख. वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गये परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूचि VII में गतिविधियों की सूचि का आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	जारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	कार्यान्वयन की तरिका-प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1	(i) सरकार मानसिक अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में रोगी वार्ड का नवीकरण। (ii) केंद्रीय विद्यालय के लिए कंप्यूटर। (iii) सरकारी एल पी स्कूल, ऊलमपारा, तिरुवनंतपुरम में अनुरक्षण कार्य	क्रम सं (i) - स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	25.58	25.58	शून्य	हाँ	
2.	(i) मैरियन प्ले होम को दी गयी सुविधाएं। (ii) वृद्धाश्रमों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और (iii) सरकारी यू पी स्कूल को कंप्यूटर उपलब्ध कराना।	क्रम सं (iii) - वृद्धाश्रम और (ii). विशेष शिक्षा	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	15.08	15.08	शून्य	हाँ	
3.	जिला मॉडल अस्पताल, पेरुक्कडा, तिरुवनंतपुरम में संस्थापित ऑक्सीजन वितरण प्रणाली	क्रम सं (i) - स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	23.86	23.86	शून्य	हाँ	

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

SI No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local Area (Yes/No)	Location of the Project		Project Duration	Amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Agency	
				State	District						Name	Registration number.
1	(i) Renovation of patient ward at Government Mental Hospital, Thiruvananthapuram;	SI.no.(i)- Promoting Healthcare	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	25.58	25.58	Nil	Yes		
	(ii) Computers to Kendriya Vidyalaya											
	(iii) Maintenance work at Govt. LP School Oolampara, Thiruvananthapuram											
2	(i) Provided facilities to Marion Play Home,	SI.no.(iii) –Old age homes and (ii) - Special education	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	15.08	15.08	Nil	Yes		
	(ii) Providing basic amenities to old age Care Homes and											
	(iii) Providing computers to Govt. UP School											
3	Installed Oxygen distribution system at District Model Hospital, Peroorkada, Thiruvananthapuram	SI.no.(i) - Promoting Healthcare	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	23.86	23.86	Nil	Yes		

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूचि V/II में गतिविधियों की सूचि का आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	जारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	कार्यान्वयन की तरिका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	सीएसआर पंजीकरण संख्या
				राज्य	जिला						
4.	<p>कनगला गांव बेलगाम में कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाएं ।</p> <p>(i) हेंड सैनिटाइजर और मास्क का दान।</p> <p>(ii) हेंड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीनों का संस्थापन।</p> <p>(iii) कनगला गांव के पास सावजनिक सडक पाइपलाइन का काम।</p> <p>(iv) सौर या विद्युत स्ट्रीट लाइट का संस्थापन।</p> <p>(v) सैनेटरी नैपकिन का वितरण और सैनेटरी नैपकिन इसीनरटस का संस्थापन।</p> <p>(vi) स्कूलों में खेल सामग्रियों का दान।</p>	क्रम सं (i) - स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	कनगला, बेलगाम	लागू नहीं	18.00	17.90	शून्य	हाँ		

SI No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local Area (Yes/No)	Location of the Project		Project Duration	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number.
4	CSR projects implemented in Kanagala village, Belgaum (i) Donation of Hand Sanitizer and Masks, (ii) Installation of Hand Sanitizer Dispensing machines, (iii) Public Road Pipeline work near Kanagala village, (iv) Installation of Solar or Electrical Street lights, (v) Distribution of Sanitary Napkins and Installation of Sanitary Napkin Incinerators, (vi) Donation of Sports Materials to schools,	SI.no.(i) - Promoting Healthcare, (vii) -Promoting Sports, (iv) - Conservation of natural resources (x)-Rural development	Yes	Karnataka	Kanagala, Belgaum	Not Applicable	18.00	17.90	Nil	Yes		

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूचि V/II में गतिविधियों की सूचि का आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	जारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	कार्यान्वयन की प्रतीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	सीएसआर पंजीकरण संख्या
				राज्य	जिला						
	(vii) एस्प्रीवीएम स्कूल में बोरवेल और पेयजल सुविधा (viii) एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम (ix) स्कूल बेंच या डेस्कॉ का दान (x) विविध परियोजना										
5.	मासिक धर्म कप परियोजना	क्रम सं (i) - स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	36.00	36.00	शून्य	हाँ	
6.	तिरुवनंतपुरम जिले के पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल छात्रों के लिए स्वास्थ्य रक्षा जागरूकता सत्र	क्रम सं (i) - स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देना।	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	11.72	11.72	शून्य	हाँ	
7	मई सिटी टोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना	क्रम सं (i) - स्वच्छता	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	10.00	7.38	शून्य	हाँ	
8	तेलंगाना में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी को दान।	क्रम सं (i) - स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देना।	ना	तेलंगाना	हनुमाकोडा	लागू नहीं	10.00	10.00	शून्य	हाँ	

SI No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local Area (Yes/No)	Location of the Project		Project Duration	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number.
	(vii) Bore well and Drinking Water Facility at S.A.P.V.M, School,											
	(viii) Anaemia Control program,											
	(ix) Donation of School Benches or Desks,											
	(x) Miscellaneous Project											
5	Menstrual Cup Project	Sl.no.(i) – Sanitation, Promoting Healthcare	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	36.00	36.00	Nil	Yes		
6	Healthcare awareness Sessions to school children in backward areas of Thiruvananthapuram District	Sl.no.(i) - Promoting Healthcare	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	11.72	11.72	Nil	Yes		
7	“My City” Solid Waste Management Project	Sl.no.(i) – Sanitation	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	10.00	7.38	Nil	Yes		
8	Donation to Indian Red Cross Society in Telangana	Sl.no.(i) - Promoting Healthcare	No	Telangana	Hanumakonda	Not Applicable	10.00	10.00	Nil	Yes		

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूचि V/II में गतिविधियों की सूचि का आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	जारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	कार्यान्वयन की प्रतीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	सीएसआर पंजीकरण संख्या
				राज्य	जिला						
9	विविध कला केंद्र को दान - विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए मैजिकल साइडन्स अकादमी, तिरुवनंतपुरम का प्रभाग	क्रम सं (ii) - विकलांग बच्चों को बढावा देना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	3.00	3.33	शून्य	हाँ	
10	कोविड (आर & डी) को रोकने के लिए रैपिड टेस्ट कार्ड								शून्य	हाँ	
11	केरल राज्य के लिए पीपीई किट का दान						5.00	-	शून्य	हाँ	
12	गुडनाडू, तिरुवनंतपुरम के सरकारी परिवार स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान										
13	स्वास्थ्य रक्षा मैविभिन्न सीएसआर कार्यकलाप	क्रम सं (i) - स्वास्थ्य रक्षा को बढावा देना। कुल	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	6.46	0.46	शून्य	हाँ	
14	पिछले वर्ष की रकम चालू वर्ष में खर्च करने को अग्रनीत की गयी।	क्रम सं (i) - स्वास्थ्य रक्षा को बढावा देना। कुल	हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं	0.00	2.62	शून्य	हाँ	
							164.70	153.60			

SI No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local Area (Yes/No)	Location of the Project		Project Duration	Amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number.
9	Donation to Different Art Centre - division of Academy of Magical Sciences, Thiruvananthapuram for Empowering Specially-abled Children	Sl.no.(ii) - Promoting differently abled children and livelihood enhancement projects	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	3.00	3.33	Nil	Yes		
10	Rapid Test Cards for detection of COVID (R&D)						-	-	Nil	Yes		
11	Donation of PPE Kits to Government of Kerala						5.00	-	Nil	Yes		
12	Donation to Government Family Health Centre at Poozhanad, Thiruvananthapuram											
13	Various CSR activities in Healthcare	Sl.no.(i) - Promoting Healthcare	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	6.46	0.46	Nil	Yes		
14	Amount brought forward from previous year spent in current year	Sl.no.(i) - Sanitation	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Not Applicable	0.00	2.62	Nil	Yes		
		Total					164.70	153.60				

- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य
- (घ) प्रशासनिक उपरिचय में खर्च की गई राशि लागू नहीं
- (ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो लागू नहीं
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8 ख + 8ग + 8घ + 8ङ.) रु.153.60 लाख
- (छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो शून्य

क्रम संख्या	विवरण	रकम (रुपये में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	164.70
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	150.98
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	(13.71)
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	2.62
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9.(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण

क्रम संख्या	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूचि VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि,			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	रकम (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि.	
	कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (i) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आई डी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी।	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गयी राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गयी संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण /चालू
	शून्य							
	कुल							

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किये सीएसआर के माध्यम से इस तरह बनाई या हासिल की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :- वित्तीय वर्ष 2021 -22 के लिए एचएलएल के लिए कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई गई (संपत्ति वार विवरण)

- क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। - लागू नहीं
- ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि। - लागू नहीं
- ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि। - लागू नहीं
- घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें। - लागू नहीं

(c) **Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:**

Nil

- (d) **Amount spent in Administrative Overheads** Not Applicable
 (e) **Amount spent on Impact Assessment, if applicable** Not Applicable
 (f) **Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)** Rs.153.60 Lakhs
 (g) **Excess amount for set off, if any** Nil

SI. No.	Particular	Amount (₹ in Lakhs)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	164.70
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	150.98
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	(13.71)
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	2.62
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Nil

9. (a) **Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:**

SI. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in ₹)
				Name of the Fund	Amount (in ₹).	Date of transfer.	
	Total	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(b) **Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SI. No.	Project ID.	Name of the Project.	Financial Year in which the project was commenced.	Project duration.	Total amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.).	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)	Status of the project - Completed / Ongoing.
	Nil							
	Total							

10. **In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year :-** No Capital assets was created for HLL during FY 2021-22

(asset-wise details).

- a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s). - Not Applicable
 b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset. - Not Applicable
 c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc. - Not Applicable
 d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset). - Not Applicable

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है। लागू नहीं - चूंकि कंपनी को नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए कंपनी रु.13.71 लाख की शेष राशि खर्च नहीं कर सकी।
12. सीएसआर समिति का एक जिम्मेदारी बयान है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति को पूरा करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों

हस्ताक्षर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	हस्ताक्षर अध्यक्ष सीएसआर समिति)	हस्ताक्षर [अधिनियम की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहाँ लागू हो)
---	------------------------------------	---

सीएसआर पहल

1. एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी

यह सोसाइटी वृत्तिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ रजिस्टर की गयी है। तदनुसार, सोसाइटी द्वारा दो पद्धतियाँ लॉन्च की गयी थीं, एक विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और दूसरा गंभीर बीमारियों के लिए इलाज प्राप्त करने की ओर कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय समर्थन देने के लिए है।

वर्तमान में, कंपनी, तिरुवनंतपुरम जिला और कनगला जिला, दो जिला जहाँ कंपनी के दो प्रमुख विमिर्माण यूनिट स्थित हैं, से चुने गये विविध स्ट्रीम के वृत्तिक पाठ्यक्रमों के अनुसार पिछले वर्ष के विद्यार्थियों सहित 108 विद्यार्थियों को प्रायोजित करती है। सोसाइटी की निधि सभी कर्मचारियों के मासिक व्यक्तिगत अंशदान के द्वारा जमा की जाती है।

II. हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)

हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (भारत सरकार का एक मिनी रत्ना उद्यम) द्वारा प्रवर्तित एक गैर लाभकारी राष्ट्रीय संगठन है। भारत के 20 राज्यों & 2 संघक्षेत्रों में उपस्थिति से आरएमएनसीएच+ए (पुनरुत्पादन, मातृ,नवजात,बच्चा और किशोर स्वास्थ्य रक्षा) परिवार नियोजन, एचआईवी निवारक रक्षा एवं नियंत्रण, बुजुर्गों की रक्षा एवं समर्थन और कौशल विकास पर फोकस करके 1992 में संस्थापित किया गया। दशकों से एचएलएफपीपीटी ने समुदाय के दरवाजे पर गुणवत्ता और सुलभ सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए कमजोर और वंचित के वर्गों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

अब एचएलएफपीपीटी निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है:

1. मातृ शिशु स्वास्थ्य रक्षा
2. परिवार नियोजन
3. किशोर स्वास्थ्य रक्षा
4. एचआईवी & टीबी निवारण, रक्षा और समर्थन
5. सीएसआर साझेदारी
6. कुशलता विकास
7. बुजुर्गों की रक्षा और समर्थन
8. पोषाहार
9. मानसिक स्वास्थ्य
10. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
11. अनुसंधान एवं विकास
12. कोविड राहत और सेवाएं

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5). :- As the company has not received new proposals, the company could not spend the balance amount of Rs.13.71 lakhs.

12. A responsibility statement of the CSR committee that the implementation and monitoring of CSR policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Implementation of CSR activities is in compliance with Companies Act, 2013 & DPE guidelines to meet the CSR objectives and policy of the Company.

Sd/- (Chairman and Managing Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (Wherever applicable).
--	-----------------------------------	---

CSR Initiatives:

I. HLL Pratheeksha Charitable Society

The Society is registered with the Objective of sponsoring students belonging to the BPL category to pursue professional studies and also to support the health care of retired employees. Accordingly two schemes were launched by the society; one for sponsoring students and the other for giving financial support to the retired employees of the company for availing treatment for critical illness.

Currently Company is sponsoring 108 students, including students of the previous years, pursuing various streams of professional courses selected from Trivandrum district and Kanagala district, being the two districts where the two major manufacturing units of the Company are located. The funds for the society are pooled through the monthly individual contribution of all the employees.

II. Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT),

Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) is a not-for-profit National organization promoted by HLL Lifecare Ltd. (a Mini Ratna enterprise of Government of India). Established in 1992, with a major focus on RMNCH+A (Reproductive, Maternal, New-born, Child and Adolescent health) family planning, HIV prevention care and control, elderly care and support and skill development, with a presence in 20 states and 2 UTs of India. Over the decades, HLFPPT has positively impacted the lives of vulnerable and marginalised sections for delivering quality and accessible public health care services at the doorstep of the community. HLFPPT is currently providing services in the following thematic areas:

1. Maternal and Child Health
2. Family Planning
3. Adolescent Health
4. HIV & TB Prevention, Care and Support
5. CSR Partnerships
6. Skill Development
7. Elderly Care and Support
8. Nutrition
9. Mental Health
10. Capacity Building and Training
11. Research and Development
12. COVID Relief and Services

निम्नांकित खंड वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य हाइलाइट्स प्रदान करते हैं।

1. एचआईवी/एड्स निवारण, रक्षा और समर्थन

क. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को तकनीकी समर्थन प्रदान करना

एचएलएफपीपीटी एसडीजी के साथ संरेखित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एसएसीएस) को समर्थन प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता यूनिटों का प्रबंधन कर रहा है। एचएलएफपीपीटी 2007 से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और ओडिशा में समर्थन प्रदान कर रहा है। एचएलएफपीपीटी 100 से अधिक विशेषज्ञों के समर्थन से 137 जिलों और 549 कार्यात्मक लक्षित हस्तक्षेपों को समाविष्ट कर रहा है।

ख) ग्लोबल फंड सहयोग

एचएलएफपीपीटी सामुदायिक व्यवस्था सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण और विद्यमान आईटी सिस्टम के सुदृढीकरण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2021-24 की अवधि को ग्लोबल फंड के अधीन नाको अनुदान के लिए एक उप-प्राप्तकर्ता है।

- 1) **सामुदायिक व्यवस्था सुदृढीकरण-** एचएलएफपीपीटी ग्लोबल फंड द्वारा वित्त पोषित परियोजना कार्यान्वित कर रहा है जो प्रमुख सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय पर केंद्रित है और बिना किसी देरी के एसएसीएस और नाको स्तर पर फील्ड स्तर पर पहचाने गए मुद्दों या अंतराल को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। 2020 तक देश की प्रतिबद्धता के अनुसार 90:90:90 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर समुदाय की सक्रिय भागीदारी 2024 तक 95:95:95 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समग्र हस्तक्षेप को तेज कर सकती है।
- 2) **क्षमता निर्माण -** एचएलएफपीपीटी एनएसीपी कार्यबल की क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए इस घटक को लागू कर रहा है जो 2024 तक 95:95:95 प्राप्त करने के लिए समग्र हस्तक्षेप को तेज कर सकता है। एचएलएफपीपीटी के नेतृत्व में पीएचएआई और एफएचआई इंडिया के साथ एसएसआर के रूप में एक संघ देश भर में एनएसीपी के अधीन प्रबंधकीय संवर्गों के क्षमता निर्माण कार्य आगे बढ़ाने को लक्ष्य करता है।
- 3) **विद्यमान आईटी सिस्टम का सुदृढीकरण -** एचएलएफपीपीटी एप्लिकेशन सर्वर अनुरक्षण समर्थन प्रदान करके, डेटा आकलन और बिजनेस एल्गोरिदम आयोजित करते हुए बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स सहायता प्रदान करके एनएसीपी के अधीन व्यापक और एकीकृत एमईएस सिस्टम के लिए विद्यमान आईटी सिस्टम के सुदृढीकरण की ओर ग्लोबल फंड द्वारा वित्त पोषित परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

घ) माँ से बच्चों में संक्रमण का उन्मूलन (ईएमटीसीटी)

माता-पिता से बच्चों में संक्रमण (पीपीटीसीटी) सेवाओं के निवारण बढ़ाने के लिए, एचएलएफपीपीटी छत्तीसगढ़ के 28 जिलों और बिहार राज्य के 38 जिलों में 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2021 तक अहाना कार्यक्रम का प्रबंधन कर रहा है और तदनुसार इस परियोजना के अधीन माँ से बच्चों में संक्रमण के उन्मूलन (ईएमटीसीटी) के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 तक अगला समर्थन जारी रखा है, एचएलएफपीपीटी सकारात्मक गर्भवती महिलाओं के प्रारंभिक पहचान और उन्हें पीपीटीसीटी में जोड़ने के लिए, एनसी के हिस्से के रूप में गर्भवती महिलाओं के बीच परिधीय स्तर की एचआईवी स्क्रीनिंग का प्रचार करके माँ से बच्चों में संक्रमण (ईएमटीसीटी) सेवाओं के उन्मूलन के लिए गर्भवती महिलाओं के परीक्षण की गति बढ़ाने का समर्थन कर रहा है। वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान 36,57,160 के कुल एनसी पंजीकरण के प्रति बिहार और छत्तीसगढ़ में 27,09,603 (74%) गर्भवती महिलाएं अपनी एचआईवी स्थिति जानती हैं।

2. क्षय रोग

क) निजी प्रदाता समर्थन एजेंसी

निजी क्षेत्रों से टीबी अधिसूचना बढ़ाने के लिए, एचएलएफपीपीटी को 1 मार्च 2021 से महाराष्ट्र राज्य के 5 जिलों (नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती और ग्रामीण पुणे जिला) में और जून 2021 से छत्तीसगढ़ के 6 जिलों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, कोरबा और रायगढ़) में और जून 2021 से ओडिशा के 3 जिलों (खोरदा, कटक और गंजम) में निजी प्रदाता समर्थन एजेंसी (पीपीएसए) के रूप में टीबी देखभाल कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए सम्मानित किया गया है। एचएलएफपीपीटी गुणवत्ता और मुफ्त टीबी देखभाल सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एनटीईपी और निजी स्वास्थ्यरक्षा सिस्टम के बीच इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन पीपीएसए, डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम, लेबोरेटरी और केमिस्ट सहित निजी स्वास्थ्य रक्षा प्रदाताओं के साथ जुड़ रहा है और सहयोग कर रहा है और टीबी मामलों को प्रबंधित करने के लिए एंड-टु-एंड एनटीईपी सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी स्वास्थ्य सुविधा में निक्षयमित्रा की स्थापना कर रहा है। इन सेवाओं में टीबी देखभाल के निम्नलिखित मानकों के लिए समर्थन के साथ-साथ मुफ्त नैदानिक (सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता

The following sections gives the key highlights for the year 2021-22:

1. HIV/AIDS Prevention, Care and Support

a) Providing Technical Support to State AIDS Control Society (SACS)

HLFPPT is managing the Technical Support Units to provide assistance to the State AIDS Control Society (SACS) to maintain the quality of program implementation in achieving the Goals and objective of the National AIDS Control Programme (NACP) aligned with SDGs. Since 2007 HLPPT is providing support in Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Odisha. HLPPT is covering 137 districts and 549 functional Targeted Interventions with the support of more than 100 experts.

b) Global Fund Sahyog

HLFPPT is a Sub Recipient for NACO Grant under the Global Fund for the period of 2021- 2024 to take forward the operation on Community System Strengthening, Capacity Building and Strengthening the Existing IT System.

- 1) Community System Strengthening** - HLPPT is implementing the project funded by Global Fund that focuses on coordination with the key service providers and how issues or gaps identified at the field level should be escalated at SACS and NACO level without any delay. To achieve 90:90:90 sustainable development goals as per the country commitment by 2020, active involvement of the community at all levels can intensify the overall intervention to achieve the 95:95:95 target by 2024.
- 2) Capacity Building**-HLPPT is implementing this component for providing capacity building of the NACP workforce which can intensify the overall intervention to achieve 95:95:95 by 2024. A consortium led by HLPPT with PHFI and FHI India as SSRs are aiming to take forward the operation on capacity building of managerial cadres under NACP across the country.
- 3) Strengthening the Existing IT System**-HLPPT is implementing the project funded by Global Fund to strengthen existing IT systems for the comprehensive and integrated MES system under NACP by providing application server maintenance support, provide business intelligence and data analytics support by conducting data assessments and business algorithms.

c) Elimination of Mother to Child Transmission (EMTCT)

To increase the uptake of Prevention of Parent to Child Transmission (PPTCT) services, HLPPT has been managing AHANA Programme in 28 districts of Chhattisgarh and 38 districts of Bihar state w.e.f. 1st January 2018 to 31st March 2021 and subsequently continuing the next grant w.e.f. 1st April'2021 to 31st March'2024 for the Elimination of Mother to Child Transmission (EMTCT) Under this project, HLPPT is advocating to increase the uptake of testing of pregnant women for the Elimination of Mother to Child Transmission (EMTCT) services by promoting peripheral level HIV screenings among pregnant women as part of ANC, for early identification of positive pregnant women and linking them with PPTCT services. During the financial year (2021-22) 27,09,603 (74%) pregnant women in Bihar and Chhattisgarh know their HIV Status against the total ANC registration of 36,57,160.

2. Tuberculosis

a) Private Provider Support Agency

To increase the TB notification from the Private Sectors, HLPPT has been awarded to manage the TB Care programme as Private Provider Support Agency (PPSA) in 5 districts (Nagpur, Chandrapur, Akola, Amravati, and Rural Pune District) of Maharashtra state w.e.f March'2021 and in 6 District (Raipur, Bilaspur, Durg, Dhamtari,

Korba and Raigarh) of Chhattisgarh w.e.f June'2021 and 3 districts (Khorda, Cuttack and Ganjam) of Odisha w.e.f June'2021. HLPPT is acting as interface agency between NTEP & Private Healthcare systems for supporting Private Health Sector for quality and free TB Care services. Under this program PPSA is engaging and collaborating with private health care providers including doctors, hospitals, Nursing homes, laboratories

परीक्षण), नमूने संग्रह और टेस्टिंग सुविधा के लिए परिवहन, उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई, पालन और सामाजिक समर्थन शामिल हैं।

पीपीएसए कार्यक्रम के अधीन एचएलएफपीपीटी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में 31 मार्च 2022 तक निजी क्षेत्र के माध्यम से 16,084 रोगियों को अधिसूचित किया है। निजी क्षेत्र के माध्यम से 7,794 रोगियों को महाराष्ट्र में, 6,894 रोगियों को छत्तीसगढ़ में और 1,396 रोगियों को ओडिशा राज्य में अधिसूचित किया गया है।

ख) राज्य तकनीकी समर्थन यूनिट (टीबी)

एचएलएफपीपीटी भारत के लक्षित राज्य यानी बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में क्षय रोग नियंत्रण हस्तक्षेपों की कवरेज और गुणवत्ता सुधार करने के लिए केंद्रीय क्षय रोग विभाग (सीटीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु), भारत सरकार के माध्यम से 2025 तक टीबी उन्मूलन के सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य तकनीकी सहायता यूनिट (एसटीएसयु) का पबंधन कर रहा है।

तकनीकी समर्थन यूनिट में 11 विशेषज्ञों का एक टीम शामिल है जिस में 2 प्रबंधकीय और 9 डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की भागीदारी, कार्यनीतिक खरीद, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) बहु-क्षेत्रीय सहयोग का पबंधन करने के लिए राज्य टीबी सेल को अपना समर्थन देते हैं।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

एचएलएफपीपीटी ने 2013 से प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं का सुधार करने के लिए, किफायती एवं आसानी से स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने और देश के अंतिम मील तक पहुंचने के लिए सीएसआर फंड का लाभ उठाने की ओर एक सीएसआर प्रभाग का सृजन किया है। एचएलएफपीपीटी ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ईसीएल), एस्सार ऑयल, सीएलपी इंडिया प्राइवट लिमिटेड, राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) इंडिया, पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज (पीएफएस), न्यूक्लियर पवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) जैसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठनों/निगमों के साथ साझेदारी किया गया है।

सी एस आर के अधीन समर्थित प्रमुख कार्यक्रम हैं:

- मोबाइल चिकित्सा यूनिट
- बहु-विशिष्टता विषयक शिविर
- निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य गतिविधियाँ
- जागरूकता और परामर्श सत्र

वर्ष 2021-22 सीएसआर प्रभाग के लिए एक और लाभदायक वर्ष रहा है, क्योंकि टाटा रियल्टी ठाणे, महाराष्ट्र जेएसडब्लियु संबलपुर (ओडिशा), आईटीसी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) & मुंगेर (बिहार), एस्सार ऑयल & गैस लिमिटेड दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), एनटीपीसी बाढ़ (बिहार), एनटीपीसी मौदा (महाराष्ट्र), एनटीपीसी कवास (गुजरात), हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार (उत्तराखंड), जयपुर (राजस्थान), दारुहेरा (हरियाणा), हलोल (गुजरात) और चित्तूर (आंध्र प्रदेश) और ओटीपीसी दहलाई और गोमती (त्रिपुरा) के सीएसआर फंडिंग के अधीन 9



नये मोबाइल चिकित्सा यूनिट और प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इन लोक सेवा यूनिटों और कॉर्पोरेट्स के साथ कार्य करते हुए, एचएलएफपीपीटी ने दूर-दराज के क्षेत्रों में हाशिए की आबादी पर ध्यान केंद्रित करके असम, उत्तराखंड, ओडिशा और त्रिपुरा के कठिन इलाकों तक पहुंचने के लिए एकजुट रूप से उपलब्धि हासिल की है। एचएलएफपीपीटी को प्रशिक्षण और कौशल पहल के लिए एनएचएफडीसी & एनएसएफडीसी के माध्यम से भारत डायनामिक लिमिटेड, पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जैसे प्रसिद्ध संगठनों द्वारा विभिन्न सीएसआर पहलों से भी सम्मानित किया गया है।

4. मोबाइल मेडिकल यूनिट

स्वास्थ्य सेवाओं को आसानी से सुलभ और अंतिम छोर तक पहुँच योग्य बनाते हुए, एचएलएफपीपीटी देश भर में 193 से अधिक

and chemists and establishing NikshayMitra at their health facility for providing end-to-end NTEP services to managed the TB cases. These services include free diagnostic (Universal Drug Susceptibility Testing), samples collection & transportation to testing facility, treatment, public health action, adherence and social support along with advocacy for following standards of TB care.

Under the PPSA programme HLPPT has notified **16,084** patients through the private sector till 31st March, 2022 in Maharashtra, Chhattisgarh & Odisha State. **7,794** patients through private sector have been notified in Maharashtra, **6,894** patients have been notified in Chhattisgarh and 1,396 patients have been notified in Odisha State.

b) State Technical Support Unit (TB)

To improve the coverage and quality of Tuberculosis control interventions in the public sector in targeted states of India viz. Bihar, Karnataka and Madhya Pradesh, HLPPT through the Central Tuberculosis Division (CTD), Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), GoI is managing State Technical Support Units (STSU) for achieving common goal of TB elimination by 2025.

Technical support unit comprising a team of 11 experts includes 2 managerial and 9 domain experts who extend their support to state TB cell to manage the large scale private sector engagement, strategic purchasing, Direct Benefit Transfer (DBT), multi-sectorial collaboration.

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Since 2013 HLPPT has created a CSR division to leverage CSR funds for improving primary healthcare services, providing affordable and easy access to healthcare and reaching to the last mile in the country. HLPPT has been partnering with nationally renowned organizations/ corporations like Eastern Coalfields (ECL), Essar Oil, CLP India Private Ltd, National Thermal Power Corporation Limited (NTPC), Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), Neyveli Lignite Corporation (NLC) India, PTC Financial Services (PFS), Nuclear Power Corporation India Limited (NPCIL). Major programs supported under CSR are:

- Mobile Medical Units,
- Multi-Speciality Thematic Camps,
- Health Activities for Construction workers
- Awareness and Counselling sessions

The Year 2021-22 has been another fruitful year for CSR division, as 9 new Mobile Medical Unit (MMU) and Primary Healthcare programs have been launched under the CSR funding of TATA Realty Thane (Maharashtra),



JSW Sambalpur (Odisha), ITC Saharanpur (Uttar Pradesh) & Munger (Bihar), ESSAR Oil and Gas Ltd Durgapur (West Bengal), NTPC Barh (Bihar), NTPC Mauda (Maharashtra), NTPC Kawas (Gujarat), Hero Moto Corp Ltd Haridwar (Uttarakhand), Jaipur (Rajasthan), Daruhera (Haryana), Halol (Gujarat) & Chittoor (Andhra Pradesh) and OTC Dahalai & Gomti (Tripura). Working with these Public Service Units and Corporates, HLPPT has unitedly achieved to reach the hard terrains of Assam, Uttarakhand, Odisha & Tripura focussing on marginalized population in far-flung areas. HLPPT has been also awarded various CSR initiatives by renowned organizations such as Bharat Dynamic Limited, Petronet, LNG, GAIL, and Central Warehousing Corporation through NHFDC & NSFDC for training and skilling initiatives.

मोबाइल चिकित्सा यूनिटों के बेड़े का प्रचालन कर रहा है। इन कार्यक्रमों को विभिन्न कॉर्पोरेट और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा एनएचएम-उत्तराखंड, एनएचएम-असम, केरल मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएमएससीएल) और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) जैसी राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया जाता है। इन एमएमयू का मुख्य उद्देश्य देश के कठिन इलाकों तक पहुँचना है जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुँच दुःसाध्य है और साथ ही अनुभवी और जानकार चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ टीम के द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह संचारी रोगों और गैर- संचारी रोगों के प्रारंभिक नेदानिक निदान द्वारा



उपचारात्मक और निवारक देखभाल सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए सुसज्जित है; जटिल मामलों का रेफरल; गर्भावस्था का प्रारंभिक निदान; प्रसवपूर्व जाँच (एनसी)जाँच; नवजात शिशु की बुनियादी देखभाल; परिवार नियोजन परामर्श; गर्भ निरोधकों का प्रावधान; यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) की रोकधाम और प्रबंधन, आँखों की जाँच, दवाएं आदि।

5. विशेष स्वास्थ्य शिविर सेवाएँ

एच एल एफ पी पी टी ने एन एस के एफ डी सी (राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम) और एन बी सी एफ डी सी (राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त एवं विकास निगम) के साथ सहयोग से क्रमशः मैनुअल स्केवेंजर्स (सफाई कर्मचारियों) और दरिद्र पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रक्षा प्रदान करने की ओर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है। प्रत्येक कैंप में औसतन प्रति शिविर 250 प्रतिभागियों के साथ, प्रत्येक स्वास्थ्य कैंप गैनकोलॉजिस्ट, ई एन टी विशेषज्ञ, डेरमटोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक जैसे विशेषज्ञों से मज़बूत किया गया। ये कैंप समुदाय के कमज़ोर समूहों को नियमित ओपीडी के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं जैसे आँख जाँच के बाद मुफ्त रूप से चश्मे का वितरण, एच आई वी/ एड्स स्क्रीनिंग, टी बी स्क्रीनिंग और विभिन्न अन्य प्रकार के रक्त परीक्षण आदि सेवाएँ प्रदान की हैं।

6. कोविड-19 पहल

क) समृद्ध - रीच

एचएलएफपीपीटी युएसएआईडी के समृद्ध अनुदान के अधीन रीच (सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए समग्र मंच द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करना) नाम से एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना का उद्देश्य तकनीकी - आधारित एम्बुलेंस एकत्रीकरण मंच के माध्यम से बाद की महामारियों और उच्च और निम्न मांग अवधि के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना है। कार्यक्रम का जोर कम समय में निकटतम एम्बुलेंस और अस्पताल तक पहुँच की सुविधा के लिए निजी एम्बुलेंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 890+ अस्पताल और 370+ एम्बुलेंस को लगाया गया है। परियोजना के तहत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों और एम्बुलेंस ऑपरेटरों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

4. Mobile Medical Units

Making Healthcare services easily accessible and reachable to the last mile, HLFPT is operationalizing a fleet of more than 193 Mobile Medical Units across the nation. These programs are supported by state governments like

NHM - Uttarakhand, NHM-Assam, Kerala Medical Service Corporation Ltd. (KMSCL) and Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC), in addition to various corporates and PSUs. The main objective of these MMUs is to reach the difficult terrains of the country where easy access of primary healthcare is crucial and also



to provide quality healthcare services through the experienced and knowledgeable team of medical and para medical staff. It is equipped to provide range of curative and preventive care services by early clinical diagnosis of communicable diseases and non-communicable diseases; referral of complicated cases; early diagnosis of pregnancy; antenatal check-up (ANC) check-ups; basic newborn care; family planning counselling; provision of contraceptives; Sexual Transmitted Infection (STI) prevention and management, eye check-ups, Medicines etc.

5. Special Health Camps Services

HLFPPT has organised specialized health camps in collaborations with NSKFDC (National SafaiKaramchari Finance Development Corporation) and NBCFDC (National Backward Classes Finance & Development Corporation) for providing range of specialized care for Manual Scavengers (SafaiKaramcharis) and poorly served Backward Classes respectively. With an average footfall of around 250 participants, each health camp was strengthened by the specialist like Gynaecologist, ENT Specialist, Dermatologist, Ophthalmologist and General Physician. These camps serve as a common platform for the community for various services like free distribution of spectacles after eye check-up, HIV/AIDS screening, TB Screening and various other types of blood tests etc. along with regular OPDs.

6. COVID-19 Initiatives

a) SAMRIDH – REACH

HLFPPT is implementing a project under the SAMRIDH grant of USAID by the name REACH (Reinforcing Emergency response system by aggregating platform for Community Health). The project objective is to strengthen emergency response infrastructure for subsequent pandemics and high & low demand periods through a tech-based ambulance aggregation platform. The thrust of the programme is to provide digital platform to aggregate private ambulances for facilitating access to the nearest ambulance and hospital in the shortest possible time. Through this platform, 890+ hospitals and 370+ ambulances have been engaged to provide the services to the patients. Under the project, capacity building and training are conducted for hospital staff and ambulance operators to ensure quality



Branding of the Ambulance



REACH- App for Smart phone users

ख) गति - वैक्सीन के लिए नियमित इम्यूनेशन परिवर्तन और इक्विटी परियोजना (एम-आरआईटीई)

एचएलएफपीपीटी, जेएसआई द्वारा युएसएआईडी द्वारा निधिक एम-आरआईटीई परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य ओडीशा के आठ चयनित जिलों (केबीके क्षेत्र) में जागरूकता और जुटाव गतिविधियों के माध्यम से वैक्सीन कवरेज में सुधार करना है। हस्तक्षेप सीमांत आबादी पर विशेष ध्यान देने के साथ, इन जिलों में अंतिम छोर तक पहुंच में सुधार और इन जिलों में कोविड -19 वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्रित है। इस परियोजना के साथ, लक्ष्य दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन प्रतिरोधी समुदाय तक पहुंचना और उन्हें वैक्सीन की डोज के लिए जुटाना है। यह परियोजना वैक्सीन के कुशल उपयोग और इसकी आपूर्ति के साथ-साथ स्वास्थ्य कार्यबल एफएलडब्लियु और एचएसपी की क्षमताओं के निर्माण के लिए, वैक्सीन शिबिरों के लिए सरकार, निजी और अन्य हितधारकों के साथ वकालत और नेटवर्किंग के माध्यम से आपूर्ति गतिविधियों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

ग) वर्तमान कोविड महामारी और भविष्य में आनेवाली महामारियों के आधार पर महामारी की तैयारियों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कुशल बनाना - जी ई स्वास्थ्य रक्षा

एचएलएफपीपीटी ने समृद्ध, विप्रो जी ई के समर्थन से, कोविड - 19 की तैयारियों पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। एचएलएफपीपीटी ने कोविड- 19 प्रोटोकॉल और प्रबंधन तकनीकों पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित स्वास्थ्य कर्मियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। हम ने उत्तर प्रदेश में 800 एमटीएमएस, राजस्थान में 300 एमटीएमएस और हल्द्वानी जिले, नैनीताल के 12 ब्लॉकों में 1000 आशा को सक्षम करने में कामयाब रहे हैं।

7. नंदघर : आधुनिक अंगनवाड़ी

नंदघर भारत में ग्रामीण बच्चों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित एक परिवर्तनकारी छलांग है। महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्लियुसीडी), नंदघर के साथ मिलकर वेदांत लिमिटेड द्वारा किया गया उपाय है। बाल कुपोषण का उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और कौशल विकास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध एचएलएफपीपीटी ने उड़ीशा में 200 नंदघर, यूपी में 345 नंदघर, कर्नाटक में 55 नंदघर और असम में 5 नंदघरों का संचालन सफलतापूर्वक किया है। नंदघर का उद्देश्य समुदायों में निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करना है:

- बच्चों (3-6 वर्ष) के लिए पूर्वस्कूली शिक्षा
- बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोष्टिक गर्मी पका हुआ भोजन सुनिश्चित करना और प्रदान करना।
- बच्चों और महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा घर द्वार पर उपलब्ध कराना।
- सॉफ्ट स्किल, वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय विकास और विशेष कुशल प्रशिक्षण सहित ग्रामीण महिलाओं के लिए कुशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण।

एचएलएफपीपीटी की नंदघर टीम फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ डिलिवरी प्रदान कर रही है। एचएलएफपीपीटी ने ड्राई एंड टेक होम राशन की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए पहल की है, साथ ही जागरूकता अभियानों के माध्यम से समुदायों को सही पोषण प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और 2500 पोषण वाटिका (पोषण उद्यान) विकसित किया है। वीएचएनडी के दौरान बच्चों की नियमित जांच और वृद्धि की निगरानी और टीकाकरण सत्र भी आयोजित किया जाता है।



Branding of the Ambulance



REACH- App for Smart phone users

b) MOMENTUM-Routine Immunization Transformation and Equity project for Vaccination (M-RITE)

HLFPPT is implementing the USAID funded M-RITE project by JSI which aims to improve vaccination coverage through awareness and mobilization activities in eight selected districts (KBK region) of Odisha. The intervention focuses on improving last-mile accessibility and availability of COVID-19 vaccination in these districts, with a special focus on marginalized populations. With this project, the objective is to reach the vaccine-resistant community in the hard to reach areas and mobilize them for their vaccination dosage. The project focuses on strengthening the supply activities through advocacy and networking with the Government, private & other stakeholders for the vaccination camps for efficient utilization of vaccine and its supply, as well as building the capacities of the health workforce FLWs and HSPs.

c) Up-skilling healthcare workers on pandemic preparedness based on the current COVID pandemic and future pandemics which may be encountered- GE Healthcare

With support from SAMRIDH, Wipro GE, HLFPPT had rolled out training program for healthcare workers on COVID-19 preparedness. HLFPPT has successfully trained Healthcare workers including doctors, nurses, paramedics and community healthcare workers in Uttar Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand on COVID-19 protocols and management techniques. We have managed to capacitate 800 MTMs in UP, 300 MTMs in Rajasthan and 1000 ASHA across 12 blocks of Haldwani district, Nanital.

7. NandGhar: Modern Anganwadis

NandGhars are a transformative leap dedicated to benefit rural children and women in India. A measure taken by Vedanta Limited, together with Ministry of Women and Child Development (MoWCD), NandGhar is committed to the Prime Minister's national vision of eradicating child malnutrition, providing education, healthcare and empowering women with skill development. HLFPPT has successfully operationalized 200 NandGhars in Odisha, 345 NandGhars in UP, 55 NandGhars in Karnataka & 5 NandGhars in Assam. NandGhars aims to provide the following services in the communities:

- Preschool education to children (3-6 years) of age
- Ensure and provide nutritious hot cooked meals to children, and pregnant and lactating women.
- Provide quality primary healthcare at the doorstep for children and women.
- Skill and Entrepreneurship training for rural women including soft skills, financial literacy, business development and skill specific training.

HLFPPT's NandGhar team is working in close coordination with Front line workers and providing accessible delivery of health services. HLFPPT has taken initiatives to ensure the timely delivery of Dry and Take Home Rations, while also encouraging communities to adopt right nutrition practices through awareness campaigns and developed 2500 PoshanVatikas (Nutrition Garden). During VHNDs regular screening and growth monitoring of the children and



Anganwadi activity with 3-6 years of children




Awareness on Nutrition with community members

8. जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) प्रारंभिक बचपन के हस्तक्षेप के लिए नवीन अवधारणा।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अधीन डीईआईसी, समग्र दृष्टिकोण के साथ एक छत के नीचे व्यापक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह 4 डी के प्रबंधन के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया था यानी जन्म के दोष, कमियों, बीमारियों, विकास में देरी और विकलांगता और जिला स्तर पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रेफरल समर्थन का आश्वासन दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एनएचएम, युपी के समर्थन से एचएलएफपीपीटी ने गौतमबुद्ध नगर जिले में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) डीईआईसी और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक सामान्य डीईआईसी संस्थापित और प्रचालित किया है।

सीओई-डीईआईसी नोएडा में वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान कुल 19401 मरीज आए। विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षकों द्वारा केंद्र में 5697 मामलों की जांच, निदान और उपचार किया गया। 117 कार्डियक केस, 35 क्लेफ्ट हॉट एवं तालु ओपरेशन किया गया, 556 दंत क्षय केस में हस्तक्षेप किया गया और सरकार और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क करके 105 रीडिंग ग्लास, 101 ऑर्थोसिस (टखने और घुटने के पैर) और 185 श्रवण यंत्र वितरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान डीईआईसी गाज़ियाबाद में कुल 9250 मरीजों की संख्या देखी गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षकों द्वारा केंद्र में कुल 2820 मामलों की जांच, निदान और उपचार किया गया। 11 कार्डियाक केस, 4 न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, 36 स्किवट केस और 22 फांक हॉट और तालू का ऑपरेशन किया गया, 161 डेंटल कैरिज के मामलों में हस्तक्षेप किया गया और सरकार के साथ संपर्क किया गया और अन्य हितधारकों को 56 ऑर्थोसिस (टखने और घुटने के पैर) और 15 श्रवण यंत्र वितरित किए गए।



Occupational Therapy Room



Sensory Integration Room

9. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)

किशोर आबादी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एचएलएफपीपीटी दो जिलों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) लागू कर रहा है; मध्य प्रदेश के सिंगरौली और बड़वानी में। कार्यक्रम का जोर छः प्रमुख क्षेत्रों पर है, अर्थात् स्वास्थ्य संवर्धन के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, चोट और हिंसा जिसमें लिंग आधारित हिंसा, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग शामिल है। इस समुदाय आधारित हस्तक्षेप के अधीन, एचएलएफपीपीटी ने मध्य प्रदेश में मास्टर प्रशिक्षकों, आशा, एनएएम, एमपीडब्लियु, एलएचवी आदि को व्यापक प्रशिक्षण (जिला और ब्लॉक स्तर सहित) प्रदान किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों में स्थित किशोर स्वास्थ्य हितैषी क्लिनिकों के माध्यम से किशोरों को नैदानिक एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्कूल जाने वाले किशोरों के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 'साथियास' नामक प्रशिक्षित सहकर्मी शिक्षक समुदाय-आधारित सहायता प्रदान करते हैं और कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।

immunisation sessions is also been conducted.



Anganwadi activity with 3-6 years of children




Awareness on Nutrition with community members

8. District Early Intervention Centres (DEIC) - Centre of Excellence (COE) ANovel concept for Early Childhood Intervention

DEIC under RashtriyaBalSwasthyaKaryakaram (RBSK), acts as a apex centre to ensure comprehensive services under one roof with a holistic approach. It was launched for early identification and intervention programme for management of 4Ds i.e defects at birth, deficiencies, diseases, development delays and disabilities and assured referral support to care, and treatment to meet these challenges at the district level. With support from MoHFW and NHM UP, HLPPT has established and operationalized one Centre of Excellence (COE) DEIC in District GautamBudh Nagar and one Normal DEIC in Ghaziabad Uttar Pradesh.

The **COE-DEIC Noida** witnessed a total footfall of 19401 patients during FY 21-22. In total 5697 cases were screened, diagnosed and treated at the centre by expert doctors and trainers. 117 cardiac cases, 35 cleft lip and palate were operated, 556 Dental caries cases intervened and through liaisoning with Govt. and other stakeholders 105 reading glasses, 101 Orthosis (Ankle and Knee foot) and 185 Hearing Aids were distributed.

The **DEIC Ghaziabad** witnessed a total footfall of 9250 patients during FY 21-22. In total 2820 cases were



Occupational Therapy Room



Sensory Integration Room

9. Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram (RKSK)

In order to ensure the holistic development of the adolescent population, HLPPT is implementing the Rashtriya Kishore SwasthyaKaryakram (RKSK) programme in the two districts; Singrauli and Barwani of Madhya Pradesh. The thrust of the programme is on six major areas namely developing a community-based approach to health promotion under-nutrition, sexual & reproductive health, injuries and violence including gender-based violence, non-communicable diseases, mental health and substance misuse. Under this community-based intervention, HLPPT has capacitated and imparted comprehensive training (including District & Block Levels) in Madhya Pradesh to master trainers, ASHAs, ANMs, MPWs, LHV's, etc. Clinical and counselling services are being provided to adolescents through Adolescents Health Friendly Clinics based at Community Health Centres and District Hospital. For school-going adolescents, counselling services are being provided through outreach activities. The trained peer educator called "Sathiyas" provide Community-based support and ensure smooth implementation of the programme.

10. कुशल विकास कार्यक्रम - युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए स्किलिंग।

एचएलएफपीपीटी ने अपने कुशल प्रशिक्षण विकास के माध्यम से देश भर में 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सेवाओं का सफलतापूर्वक विस्तार किया है।

एचएलएफपीपीटी को हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल (एच एस एस सी), कन्स्ट्रक्शन सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (सी एस डी सी आई), रीटेलर्स एसोसियेशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (आर ए एस सी आई), टूरिसम & होस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल (टी एच एस सी), आईटी & आईटी ई एस सेक्टर स्किल काउंसिल, अप्पारल मेड-अप्स & होम फर्नीशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, ब्यूटी & वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर स्किल काउंसिल, पावर सेक्टर स्किल काउंसिल, प्लंबिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल नामक 18 कुशल क्षेत्र परिषदों के साथ संबद्ध किया गया है।

एचएलएफपीपीटी वर्तमान में उत्तर प्रदेश कुशल विकास मिशन (यु पी एस डी एम), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) और विकलांग व्यक्तियों के विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (एम ओ एस जे ई) के लिए सरकारी प्रशिक्षण भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एचएलएफपीपीटी को राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में भी सम्मानित किया गया है। एचएलएफपीपीटी ने कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सीधे कार्यान्वयन के लिए एक पसंदीदा भागीदार के रूप में एचएलएफपीपीटी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए गए हैं।

महिलाओं, ट्रांसजेंडर, एस सी/एस टी उम्मीदवारों, ओबीसी/इबीसी उम्मीदवारों और विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के साथ, एचएलएफपीपीटी संबंधित एसएससी द्वारा अनुमोदित 74 नौकरी भूमिकाओं/ट्रेडों के तहत कुशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर, डीडीयूजीकेवाई, पीएमकेवीवाई, पीएमएवाई-जी आदि के तहत कुशल प्रशिक्षण पहल एचएलएफपीपीटी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्तमान में, 17 राज्यों में 100 से अधिक कुशल केंद्रों में 67 कुशल विकास कार्यक्रम फैले हुए हैं, जिसके माध्यम से 60,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।



Training on General Duty Assistant



Skilling for self-employed tailor

11. दूसरी इन्निंग होम- बुजुर्गों की देखभाल

सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार एचएलएफपीपीटी के सहयोग से एचएलएफपीपीटी केरल के तीन जिलों कन्नूर, कोल्लम, मलप्पुरम में 24x7 मॉडल वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा है। परियोजना को सफलतापूर्वक “दूसरी इन्निंग्स होम” के रूप में चलाया जा रहा है। पुनर्निर्मित घर बुजुर्ग लोगों को शामिल करने के लिए एक जीवंत माहौल, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और कई गतिविधियाँ प्रदान करता है। यह केंद्र बुजुर्गों के अनुकूल सेवाएँ प्रदान करता है, जो आसानी से सुलभ, प्रयोग करने योग्य और यूजर फ्रेंडली है। घर अद्वितीय विचारों से सुसज्जित है जैसे कि आपातकालीन बेल स्विच, रेलिंग सपोर्ट पुस्तकालय सह वाचनालय, लैब सुविधाएं, फार्मसी, योगा कक्ष, समूह भोजन के लिए भोजनालय, छोटा व्यायामशाला आदि शामिल हैं। फूलदान बनाने, सिलाई आदि गतिविधियों में बुजुर्ग निवासियों को शामिल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशावरों द्वारा संचालित एक छोटी कौशल प्रयोगशाला स्थापित की गयी है। इस प्रकार, परियोजना सक्रिय दैनिक जीवन और खुशी पर एक चिकित्सीय घर - आधारित देखभाल की परिकल्पना करती है।

10. Skill Development Programs- Skilling Youth for a sustainable livelihood

HLFPPT through its multiple skill development programmes has successfully expanded its services across the country in 16 states and 1 union territory.

HLFPPT has been affiliated with 18 skill sector councils namely Health Sector Skill Council (HSSC), Construction Sector Development Council of India (CSDCI), Retailers Association Skill Council of India (RASCI), Tourism & Hospitality Sector Skill Council (THSC), IT & ITeS Sector Skill Council, Apparel Made-ups & Home Furnishing Sector Skill Council, Beauty & Wellness Sector Skill Council, Logistics Sector Skill Council, Electronics and Hardware Sector Skill Council, Power Sector Skill Council, Plumbing Sector Skill Council, Rubber Skill Development Council.

HLFPPT is presently empanelled as the Government training partner for Uttar Pradesh Skill Development Mission (UPSDM), National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), Department of Persons with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment (MOSJE). HLPPT is also awarded as Knowledge Partner with National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC). As a preferred partner for direct implementation of Skill Training Programmes, an MoU has been signed between HLPPT and National Scheduled Castes Finance and Development Corporation.

With a special focus on skill training programmes for women, transgenders, SC/ST candidates, OBC/EBC candidates and people with special needs, HLPPT is providing skill training under 74 job roles/trades approved by the concerned SSC. At Centre Level and State levels, skill training initiatives under DDU GKY, PMKVY,

PMAY-G, etc. are implemented by HLPPT. Currently, 67 skill development programmes at more than 100 skill centres are spread across the 17 states through which more than 60,000 candidates have been trained.



Training on General Duty Assistant



Skilling for self-employed tailor

11. Second Innings Home- Elderly Care

HLFPPT with the support of Department of Social Justice, Government of Kerala is operating a 24 x 7 model old age home in three districts of Kerala namely Kannur, Kollam and Malappuram. The project is being successfully run as "Second Innings Home". The renovated home gives a lively ambience, good health care facilities, and many activities to engage elderly people. This centre provides elderly-friendly services, which are easily approachable, usable and user friendly. The home is equipped with unique ideas like emergency bell switches, railing support library cum reading room, laboratory facility, pharmacy, yoga room, food court for group dining, mini gymnasium, etc. To engage elderly residents in activities like flower pot making, tailoring etc. a small skill lab has been set up manned by social workers and health care professionals. Thus, the project envisages a Therapeutic home-based care on active daily living and happiness



Visit to beach for Elderly



Yoga Activities at elderly home

12. प्रतीक्षा भवन - एडल्ट एम आर होम

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की देखभाल और मानवाधिकारों की रक्षा करना समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन मानसिक रूप से अक्षम कैदियों के सामने आनेवाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपलब्धता, विकलांग अमित्र बुनियादी ढांचे, मौजूदा चिकित्सा और अन्य परामर्श संसाधनों के लिए प्रशिक्षण की कमी, शिक्षा के लिए सीमित गुंजाइश, कौशल विकास, सक्रिय दैनिक जीवन, सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमित मंच, प्रतिभा व्यक्त करना। इसलिए सामाजिक न्याय विभाग ने बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए एचएलएफपीपीटी 'प्रतीक्षा भवन', थवनूर को सौंपा है।



Residents visiting a heritage site on World Heritage Day



Residents lighting lamp as part of World Earth Day

13. तेजोमया - पोस्को उत्तरजीवियों के पुनर्वास की एक पहल

महिला और बाल विकास विभाग, केरल ने लैगिंग उत्पीडन पीडितों के पुनर्वास की दृष्टि से, 'तेजोमया' नामक एक परियोजना शुरू की जिसके लिए एचएलएफपीपीटी को घर चलाने का काम सौंपा गया है। लैगिंग उत्पीडन के आघात से उबरने के लिए निवासियों का समर्थन करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके एक स्थायी जीविका के लिए तैयार करना, निवासी (19) विभिन्न संभावित क्षेत्रों में कौशल विकास से विविध गतिविधियों जैसे जीविका के लिए सिलाई, मुर्गी पालन और बेकिंग, इंटरपर्सनल और सामाजिक विकास में लगे हुए हैं। परियोजना के तहत उनके स्वयं के व्यावसायिक उद्यमों को प्रबंधित करने और चलाने में सक्षम छात्रों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवसाय मॉडल की परिकल्पना और प्रोत्साहन किया जा रहा है।

14. पुण्य भवन: मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आदर्श गृह

पहले मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृह (एचएमडीसी) के रूप में जाना जाता है, पुण्यभवन का संचालन और प्रबंधन एचएलएफपीपीटी द्वारा सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार के तहत किया जा रहा है। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को चिकित्सा देखभाल, जीवन कौशल के लिए प्रशिक्षण, दैनिक जीवन की गतिविधियों, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित एक बहुआयामी जीवन शैली प्रदान करके पुनर्वास के उद्देश्य से नियमित आधार पर आयोजित किया जा रहा है। एचएलएफपीपीटी निवासी बच्चों की भलाई में सकारात्मक योगदान दे रहा है, जहाँ चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षकों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा विशेष ध्यान और देखभाल दी जाती है। कार्यक्रम के



Visit to beach for Elderly



Yoga Activities at elderly home

12. PratheekshaBhavan- Adult MR Home

Providing care and protecting the human rights of the poor mentally challenged persons stands as a big challenge for society. Some of the major issues faced by these mentally disabled inmates are unavailability of Medical and paramedical staff, disabled unfriendly infrastructure, lack of training to existing medical and other counselling resources, limited scope for education, skill development, active daily living, Limited platforms for satisfying social needs, express talents. Therefore, Department of Social Justice has entrusted HLPPT “Pratheeksha Bhavan, Thavanur, to refurbish and upgrade infrastructure.



Residents visiting a heritage site on World Heritage Day



Residents lighting lamp as part of World Earth Day

13. Thejomaya- An initiative for rehabilitation of POCSO survivors

With a vision to rehabilitate sexual assault victims, Department of Women and Child Development, Kerala initiated a project named “Thejomaya” for which HLPPT is entrusted with running the home.

To support the residents to overcome the trauma of the sexual assault and equip them for a sustainable livelihood by providing them with training, the residents (19) are engaged in various activities diversifying from skill development in various potential areas like stitching, poultry farming and baking for livelihood, to intrapersonal and social development. A business model to promote entrepreneurship among the students capable to manage and run business ventures of their own is being envisaged and encouraged under the project.

14. Punnya Bhavan- Model Home for Mentally Challenged Children

Formerly known as Home for Mentally Disabled Children (HMDC), PunnyaBhavan is being run and managed by HLPPT under Social Justice Department, Government of Kerala. With the aim of rehabilitation of mentally challenged children by providing them with a multi-faceted lifestyle including medical care, training for life skills, daily living activities, special education and vocational training are being organised on a regular basis. HLPPT has been positively impacting the well-being of resident children, where special attention and care are given by

तहत निवासियों को बागबानी, गमले बनाने, पेपर पेन बनाने आदि गतिविधियों में शामिल करने के लिए एक कौशल प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त निवासी बच्चों के मोटर कौशल को बढ़ाने और उन्हें जीविका के लिए सज्जित करने के लिए 'आला' नामक एक पहल शुरू की गई है जिसमें मिट्टी के बर्तनों, पेंटिंग, कॉफी बनाने आदि का प्रशिक्षण शामिल है।



Celebration of world Physiotherapy Day Set-up of Coffee on Wheels by MR children

15. आउटरीच क्लिनिक- बंचितों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

एचएलएफपीपीटी महिला और बाल विकास विभाग के अधीन 19 कल्याण घरों और सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार के अधीन 5 घरों के निवासियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए निवारक और उपचारात्मक सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करनेवाली एक परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना के अधीन 7452 ओपीडी सेवाएं और छोटी बीमारियों की इलाज, प्राथमिक सहायता के लिए प्रावधान, संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के प्रारंभिक क्लिनिकल निदान, ए एन सी जाँच, शिशु रक्षा, एस टी आई रोकथाम एवं प्रबंधन, आँख जाँच आदि से संबंधित 7892 लैब परीक्षणों को चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सफलतापूर्वक प्रदान किया गया है।

16. सामाजिक विपणन

एचएलएफपीपीटी समाज के सभी वर्गों को किफायती और सुलभ प्रजनन स्वास्थ्य उत्पाद उपलब्ध कराकर समुदाय के व्यवहार और स्वस्थ जीवन की धारणा में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। गर्भनिरोधक और आरसीएच उत्पादों के सामाजिक विपणन का एक आत्मनिर्भर मॉडल वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में लागू किया गया है जहाँ एचएलएफपीपीटी के स्वामित्ववाले कंडोम (रक्षक 2 & जोश 3 डॉटेड) & सेनेटरी नेपकिन (सखी) के ब्रांड सी & डी विपणन में विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। लक्षित हस्तक्षेप प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, विपणन कार्यबल के समुदाय - आधारित नेटवर्क को स्थापित करना और मजबूद करना जो व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित और सिस्टम में अंतर्निहित है के द्वारा किए जाते हैं।

17. सामाजिक फ्रेंचाइसिंग - मेरीगोल्ड स्वास्थ्य नेटवर्क

एचएलएफपीपीटी ने मेरी गोल्ड स्वास्थ्य नेटवर्क (एम जी एच एन) की स्थापना की है - जो भारत में सबसे अनोखा और सबसे बड़ा सामाजिक फ्रेंचाइसिंग स्वास्थ्य नेटवर्क है। यह पब्लिक -प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर आधारित है जो सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत एक सामान्य मंच शेयर करने के लिए निजी क्षेत्रों और स्वास्थ्य प्रदाताओं को शामिल करने के लिए एक अभिनव और आत्मनिर्भर ढांचा है। लाभार्थियों को विविध एमजीएचएन सुविधाओं से जोड़ने के लिए, मेरी तरंग नेटवर्क (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक समुदाय को प्राथमिक एम सी एच जानकारी प्रदान करते हैं)। एचएलएफपीपीटी ने 300 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों के साथ दो राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान) में सामाजिक फ्रेंचाइसिंग स्वास्थ्य नेटवर्क की स्थापना की है। इस कार्यक्रम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 4.3 दशलक्ष प्रसवपूर्व चेकअप, 16.80 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव, 3.9 लाख नसबंदी और 4.25 लाख आईयुसीडी निवेश सुनिश्चित किया है।

an expert team of therapists, psychologists and special educators. A skill lab for engaging residents in activities like gardening, pot making, paper pen making etc. has also been set up under the program. Additionally, to enhance the motor skills of resident children and equip them for livelihood an initiative named “AALA” has been launched which includes training in activities like pottery, painting, coffee making etc.



Celebration of world Physiotherapy Day Set-up of Coffee on Wheels by MR children

15. Outreach Clinics- Healthcare services for the underserved

To provide medical aid to the residents of 19 welfare homes under Women and Child Development Department and 5 homes under Social Justice Department, Govt. of Kerala, HLPPT has been successfully implementing a project delivering a range of preventive and curative services. Under this project, 7452 OPD services and 7892 lab tests related to treatment for minor ailments, provision of first aid, early clinical diagnosis of communicable and non-communicable diseases, ANC check-up, child care, STI prevention and Management, eye check-ups etc. has been successfully provided by medical specialists.

16. Social Marketing

HLPPT has been working to bring a change in the Community's behaviour and perception of healthy life by providing affordable and accessible reproductive health products to all sections of society. A self-sustainable model of social marketing of contraceptive and RCH products is implemented in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, West Bengal and Uttarakhand in FY 2021-22 where HLPPT owned brands of condoms (Rakshak 2 and Josh 3 Dotted) & Sanitary napkins (Sakhi) are particularly recognized in the C&D market. Targeted interventions are undertaken by effective supply chain management, establishing and strengthening community-based networks of marketing workforce who are systematically trained and embedded into the system.

17. Social Franchising- MerryGold Health Network

HLPPT has instituted Merrygold Health Network (MGHN) – one of the most unique and largest Social Franchising health networks in India. It is based on the Public-Private Partnership (PPP) model that offers quality Maternal & Child Healthcare and Family Planning Services at affordable rates. It is an innovative and self-sustainable framework for engaging private sectors & health providers to share a common platform under this program. In order to link beneficiaries with various MGHN facilities, Merry Tarang Network (Community health volunteers provides elementary MCH information to community. HLPPT has instituted the Social Franchising health network in two States (Uttar Pradesh & Rajasthan) with more than 300 private hospitals. The programme has ensured 4.3 million Antenatal Check-ups, over 16.80 lakh institutional deliveries, 3.9 lakh sterilizations and 4.25 lakhs IUCD insertions till FY 2021-22.



Training to Merry Tarang Workers (MTWs)

18. स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन और सुदृढीकरण

एचएलएफपीपीटी 2021 से जयपुर, राजस्थान के वाटिका में एक पीएचसी और बस्सी में एक सीएचसी का संचालन और प्रबंधन कर रहा है, जो बोश द्वारा समर्थित है। कार्यक्रम के उद्देश्य एनक्यूएस और लक्ष्या के अनुपालन में पीएचसी/सीएचसी की सेवाओं/मानकों का उन्नयन और रखरखाव भी सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत होती है। समुदाय के समग्र स्वास्थ्य और भलाई में सुधार करना और 'व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं' की उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। हमारी सामुदायिक मोबिलाइजेशन गतिविधियों के माध्यम से सुविधाओं में 25% की वृद्धि हुई है।

19. उत्कृष्ट विकास प्रभाव बॉन्ड

निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उच्च गुणवत्ता वाली मातृ देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एचएलएफपीपीटी ने राजस्थान में 'उत्कृष्ट' लागू किया, जो एक अभिनव परिणाम आधारित वित्तीय व्यवस्था तंत्र के साथ स्वास्थ्य रक्षा में विश्व का पहला स्वास्थ्य विकास प्रभाव बॉन्ड (डीआईबी) है। एफओजीएसआई द्वारा प्रारंभित किए गए सुरक्षित प्रसव के लिए एनएबीएच और मान्यता मानकों द्वारा लघु स्वास्थ्य सुरक्षा संगठन (एसएचसीओ), एनएबीएच द्वारा प्रवेश स्तर के प्रमाणन मानकों और मान्यता मानकों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रयास हैं। अस्पतालों को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी आती है। एचएलएफपीपीटी के समर्थन से, 240 से अधिक सुविधाएं सफलतापूर्वक जेक्यूएस मानक तक पहुँच गईं, जबकि 230 से अधिक सुविधाओं ने वास्तविक मान्यता गुणवत्ता प्रत्यायन प्राप्त किया और 120+ सुविधाओं ने वास्तविक एनएबीएच मान्यता प्राप्त की।



Training to Merry Tarang Workers (MTWs)

18. Operationalizing and Strengthening of Health Facilities

HLFPPT has been operationalizing and managing one PHC at Vatika and one CHC at Bassi in Jaipur, Rajasthan supported by BOSCH since 2021. The programme objective ensures the up-gradation and maintenance of the services /standards of the PHC/CHC in compliance with NQAS and LaQshya, resulting in health system strengthening. Emphasis is also on improving the overall health and well-being of the community and ensuring the availability, accessibility, and affordability of “Comprehensive Health Care Services”. There has been an increase of 25% inpatient footfall at facilities through our community mobilization activities.

19. UTKRISHT Development Impact Bond

With an aim to promote high-quality maternal care in private health care facilities, HLFPPT implemented ‘Utkrisht’ in Rajasthan, world’s first Health Development Impact Bond (DIB) in Healthcare with an innovative results-based financing mechanism. The efforts aimed to facilitate the Small Healthcare Organization (SHCO) Entry-level certification standards by NABH and Manyata standards for safe delivery, initiated by the FOGSI. The hospitals are provided with trainings and technical assistance for improving quality of services, resulting in reduced maternal and neonatal mortality. With HLFPPT’s support, more than 240 facilities successfully reached JQS standard while more than 230 facilities achieved Actual Manyata Quality Accreditation and 120+ facilities achieved Actual NABH Accredited.

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अभिशासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन

आपकी कंपनी प्रारंभ से अनुकरणीय अभिशासन मानकों के लिए प्रसिद्ध हैं और पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अखण्डता पर अपना ज़ोर समर्पित करना जारी रखती है। कंपनी नैतिक मूल्यों का पालन करने और इसके द्वारा ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में भी प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा अभिस्वीकृत कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियों का मूल लक्ष्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अखंडता का उच्चतम स्तर प्राप्त करना है। यह लक्ष्य सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर मार्गनिर्देश के अनुपालनार्थ मात्र ही नहीं, बल्कि कार्यपद्धतियों और प्रणालियों को समाविष्ट करके उसके परे भी जाना है, जो कॉर्पोरेट अभिशासन के उत्तम प्रथा के अनुसार है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश विधिपूर्वक पालन कर रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से कंपनी अधिनियम 2013 के अधिकांश प्रावधानों को बना दिया है। नया अधिनियम, देश में कॉर्पोरेट अभिशासन व्यवस्था को मज़बूत करने की ओर एक सकारात्मक कदम है। आपकी कंपनी पहले ही नए कानून के अधीन प्रावधान किए गए अधिकांश अभिशासन अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन कर रही है।

कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियाँ एवं प्रथाएँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर फोकस करती हैं :

- 1) बोर्ड और प्रबंधन से संबंधित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को पहचानना।
- 2) प्रकटीकरण स्तर के उच्च स्तरों को बनाये रखने हुए पारदर्शिता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना।
- 3) इसकी कार्य पद्धति में उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना और बनाये रखना।
- 4) जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की मज़बूत पद्धति सुनिश्चित करना।
- 5) यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के कर्मचारी कॉर्पोरेट मूल्यों को स्वीकार करते हैं और उनको अपने व्यवहार में लागू करता है।
- 6) यह सुनिश्चित करना कि निर्णय बनाने की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शक है।
- 7) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी वैश्विक रूप से स्वीकृत कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों का अनुसरण करती है।

आपकी कंपनी में अनुसरण करने वाले कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये जाते हैं।

1. मंडल के आकार और बनावट :

मंडल की संरचना, व्यावसायिकता, ज्ञान और अनुभव के सर्वोत्तम मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड को सक्षम बनाता है और व्यवसाय के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है। आपकी कंपनी एक सरकारी उपक्रम होने से, सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज़रिए किया जाता है। मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उचित मिश्रण है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम यह विनिर्धारित करता है कि निदेशकों की संख्या तीन (3) से कम नहीं और दस (10) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निदेशक मंडल की स्वीकृत संख्या नौ (9) है और कंपनी निदेशक मंडल की वर्तमान शक्ति आठ (8) है

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले दो (2) आधिकारिक निदेशक
- तीन (3) स्वतंत्र निदेशक और
- तीन (3) कार्यात्मक निदेशक - यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (विपणन) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं।

बोर्ड के आठ (8) निदेशकों से तीन (3) महिला निदेशक हैं। मंडल की संरचना पर्याप्त रूप से सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

27 अप्रैल, 2022 तक के निदेशक मंडल की बनावट नीचे दी जाती है। निदेशकों में कोई भी सार्वजनिक कंपनियों के 10 से अधिक बोर्ड स्तरीय समितियों के सदस्य नहीं रहे हैं, जिन में वे ऐसी पाँच समितियों से अधिक में या तो निदेशक हैं या अध्यक्षता नहीं संभालते हैं।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company's philosophy on Code of Governance

Your Company is renowned for exemplary governance standards since inception and continues to devote its emphasis on transparency, accountability and integrity. The Company is committed to adhere to the ethical values and thereby ensures fairness to all stakeholders including customers, employees, investors and society at large. The basic objective of Corporate Governance policies adopted by the Company is to attain the highest levels of transparency, accountability and integrity. This objective extends not merely to complying with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, but also to go beyond them by putting in place procedures and systems, which are in accordance with the best practices of Corporate Governance. The Company has been methodically following the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises.

The Ministry of Corporate Affairs has made the majority of the provisions of the Companies Act, 2013 effective from 1st April, 2014. The new Act is a positive step towards strengthening corporate governance regime in the country. Your Company is already in substantial compliance with most of the governance requirements provided under the new law.

The Company's Corporate Governance policies and practices focus on the following principles:

1. To recognize the respective roles & responsibilities of the Board and Management.
2. To achieve the highest degree of transparency by maintaining a high degree of disclosure levels.
3. To ensure and maintain high ethical standards in its functioning.
4. To ensure a sound system of risk management and internal controls.
5. To ensure that employees of the Company subscribe to the corporate values and apply them to their conduct.
6. To ensure that the decision making process is fair and transparent.
7. To ensure that the Company follows globally recognized corporate governance practices

A brief description of the Corporate Governance practices followed in your Company is given below.

1. SIZE AND COMPOSITION OF BOARD:

The composition of the Board represents an optimal mix of professionalism, knowledge and experience and enables the Board to discharge its responsibilities and provide effective leadership to the business. Your Company, being a Government Undertaking, the appointment/nomination of all the Directors is done by the President of India, through the Ministry of Health & Family Welfare. The Board has an appropriate mix of executive and non-executive Directors. The Articles of Association of the Company stipulates that the number of Directors shall not be less than three (3) and not more than ten (10).

The sanctioned strength of Board of Directors is Nine (9) and the present actual strength of Board of Directors of the Company is Eight (8) comprising

- Two (2) official Directors representing the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
- Three (3) Independent Directors and
- Three (3) Functional Directors namely Chairman & Managing Director, Director (Marketing), and Director (Finance)

Among the present Eight directors there are three (3) women directors on the Board. The composition of the Board is substantially in line with the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, Government of India.

The Composition of the Board of Directors as on 27th April 2022 is given below. None of the Directors are member of more than 10 Board level Committees of public companies in which they are Directors nor holds chairmanship in more than five such committees.

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	संभाले अन्य निदेशकशिप की संख्या	अन्य कंपनियों में मंडल समिति के अध्यक्षता/ सदस्यता की संख्या
1	श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक	5	शून्य
2	श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस	सरकार नामित निदेशक	4	शून्य
3	श्रीमती रोली सिंह आई ए एस	सरकार नामित निदेशक	2	शून्य
4	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)	1	शून्य
5	श्री टी.राजशेखर	निदेशक (विपणन)	1	शून्य
6	डॉ.गीता शर्मा	निदेशक (वित्त)	4	शून्य
7	डॉ.पी.विजयचंद्र रेड्डि	गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	शून्य
8	श्रीमती नीता बूचरा	गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	2	शून्य
9	प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज	गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	शून्य

निदेशक मंडल कंपनी के अच्छा अभिशासन, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। बोर्ड के भूमिका, कार्यकलाप, उत्तरदायित्व और जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित किये गये हैं। मंडल अपने प्रत्ययी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपनी स्ट्रैटेजिक पर्यवेक्षण करने में स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रबंध नैतिकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण के उच्चतम मानकों का अनुसरण करता है। गैर कार्यपालक निदेशकों सहित मंडल के हर सदस्य को कंपनी से संबंधित किसी भी जानकारी का पूर्ण पहुँच है।

2. बैठक और हाजिरी

जहाँ तक संभव है बैठक की नोटिस और कार्यसूची नोट निदेशकों को पहले से ही परिचालित किए जाते हैं। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 12 मई, 2021, 08 जुलाई, 2021, 27 जुलाई, 2021, 28 सितंबर 2021 और 24 जनवरी 2022 को पाँच बोर्ड बैठकें आयोजित की गयीं।

मंडल बैठक और गत वार्षिक सामान्य बैठक की हाजिरी सूचना नीचे दी जाती है।

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल बैठकों की संख्या	2021-22 के दौरान बैठक की हाजिरी	
		मंडल बैठक	गत ए जी एम
श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस	5	5	जी हाँ
डॉ.धर्मेंद्र एस गंगवार आई ए एस	4	4	जी हाँ
डॉ.मंदीप के भंडारी आई ए एस	4	4	जी हाँ
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	5	5	जी हाँ
श्री टी.राजशेखर	5	5	जी हाँ
डॉ.गीता शर्मा	5	5	जी हाँ
डॉ.पी.विजयचंद्र रेड्डि	5	5	जी हाँ
श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस	1	1	लागू नहीं
श्रीमती नीता बूचरा	1	1	लागू नहीं
प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज	1	1	लागू नहीं
श्रीमती रोली सिंह आई ए एस	1	1	लागू नहीं

Sl. No.	Name of the Director	Category of Director	No. of Other Directorship held	No. of membership / Chairmanship of Board Committee in other companies
1	Shri. K Beji George IRTS	Chairman and Managing Director	5	Nil
2	Shri Ashish Srivastava IAS	Government Nominee Director	4	Nil
3	Smt Roli Singh IAS	Government Nominee Director	2	Nil
4	Shri E A Subramanian	Director (Technical & Operations)	1	Nil
5	Shri T. Rajasekar	Director (Marketing)	1	Nil
6	Dr Geeta Sharma	Director (Finance)	4	Nil
7	Dr P Vijayachander Reddy	Non official part Time Director (Independent Director)	0	Nil
8	Smt Neeta Boochra	Non official part Time Director (Independent Director)	2	Nil
9	Prof. (Dr.)Adarsh Pal Vig	Non official part Time Director (Independent Director)	0	Nil

The Board of Directors plays a primary role in ensuring good governance and smooth functioning of the Company. The Board's role, functions, responsibility and accountability are clearly defined. The Board acts with autonomy and independence in exercising its strategic supervision, discharging its fiduciary responsibilities and ensuring that the management observes the highest standards of ethics, transparency and disclosure. Every member of the Board, including the Non-Executive Directors, has full access to any information related to the Company.

2. MEETING AND ATTENDANCE

The Notice and Agenda notes of the Meetings are circulated to the Directors as far as possible in advance. During the financial year under review, five Board meetings were held on 12th May 2021, 08th July 2021, 27th July 2021, 28th September 2021, and 24th January 2022.

Information of attendance at the board meetings and the last annual general meeting is given below:

Name of the Director	No. of Board Meetings held during the tenure	Attendance in Meetings during 2021-22	
		Board Meetings	Last AGM
Shri K Beji George IRTS	5	5	Yes
Dr.Dharmendra S Gangwar IAS	4	4	Yes
Dr.Mandeep K Bhandari IAS	4	4	Yes
Shri E A Subramanian	5	5	Yes
Shri T. Rajasekar	5	5	Yes
Dr.Geeta Sharma	5	5	Yes
Dr P Vijayachander Reddy	5	5	Yes
Shri Ashish Srivastava IAS	1	1	N.A
Smt Neetha Boochra	1	1	N.A
Prof. (Dr.)Adarsh Pal Vig	1	1	N.A
Smt Roli Singh IAS	1	1	N.A

3. निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम चयन विभाग द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति करती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके निदेशकशिप के पारिश्रमिक और शर्त व निबंधन के निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को पाँच वर्षों की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहला है, नियुक्त किए जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों को भी तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 20,000/- और बोर्ड की उप समितियों में भाग लेने के लिए रु.15,000/- का भुगतान किया जाता है।

4. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक) नियम 2014 जो 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ है, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशकों/कार्यपालकों को कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (के एम पी) के रूप में पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के उनके वर्तमान शर्त व निबंधन पर नियुक्त किया है:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस | - | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2. श्री ई.ए.सुब्रमण्यन | - | निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) |
| 3. श्री टी.राजशेखर | - | निदेशक (विपणन) |
| 4. डॉ.गीता शर्मा | - | निदेशक (वित्त) |
| 5. श्री संतोष चेरियान | - | मुख्य वित्तीय अधिकारी & वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त)प्रभारी |
| 6. श्री जयकृष्णन.ए.आर | - | कंपनी सचिव एवं सह उपाध्यक्ष (सी ए एस) |

5. कंपनी नीतियाँ

संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने की नीति

कंपनी संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने पर, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) नियम, 2014 के सभी संगत प्रावधानों का अनुसरण करती है।

नामांकन और पारिश्रमिक नीति

एचएलएल एक सरकारी कंपनी रहने से निदेशकों को नियुक्त करने और उनके पारिश्रमिक तय करने का अधिकार भारत सरकार के साथ निहित है। कंपनी निदेशकों की पारिश्रमिक नीतियों के संबंध में डी पी ई मार्गनिर्देशों के अधीन शासित किया जाता है। कंपनी ने इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित संगत मार्गनिर्देशों के साथ अनुपालन किया था।

6. बोर्ड चार्टर

कंपनी के न्यासी के रूप में बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास उपलब्धि के लिए स्पष्ट उद्देश्य और नीतियाँ हैं, जो कंपनी के दृष्टि कोण और लक्ष्य के अनुरूप हैं। बोर्ड स्ट्रैटेजिक निर्देश प्रदान करता है, कॉर्पोरेट निष्पादन की समीक्षा करता है, स्ट्रैटेजिक निर्णयों को अधिकृत और अनुवीक्षण करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और पणधारियों की हित की सुरक्षा करता है। निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल द्वारा कंपनी में अभिस्वीकृत बोर्ड चार्टर का पालन करता है, जो कंपनी के निदेशक मंडल और उसके प्राधिकरणों का प्रत्यायोजन के कर्तव्य, संरचना, उत्तरदायित्व और प्रचालन और उसके प्राधिकार के प्रत्यायोजन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है।

7. व्यवसाय आचरण संहिता और आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मंडल सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता और नैतिकता निर्धारित की है। सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने वर्ष 2021 - 22 के दौरान आचरण संहिता के साथ अनुपालन करने की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा नीचे दी गयी है।

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), Government of India appoints Chairman & Managing Director and the other Functional Directors after the due process of selection is completed by Public Enterprises Selection Board. The remuneration and terms and conditions of their directorship are decided by Department of Public Enterprises. The Chairman & Managing Director and the Functional Directors are appointed for a period of five years or till the date of their superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Non-official part-time Independent Directors are also appointed by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India for a period of three years and are paid a sitting fee of Rs.20,000/- for attending each meeting of the Board of Directors and Rs.15000/- for attending the Sub Committees of Board.

4. APPOINTMENT OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to the provisions of Section 203 of Companies Act 2013 read with Companies (Appointment Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014, which have come into force from 1st April, 2014 the Board of directors has appointed the following Directors/Executives as the Key Managerial Personnel (KMPs) of the Company on their existing terms & conditions of appointment, including remuneration:

1. Shri K BejiGeorge IRTS - Chairman & Managing Director
2. Shri E A Subramanian - Director (Technical & Operation)
3. Shri T Rajasekar - Director (Marketing)
4. Dr. Geeta Sharma - Director (Finance)
5. Shri Santhosh Cherian - Chief Financial Officer & Senior Vice-President(Finance)(i/c)
6. Shri Jaikrishnan A R - Company Secretary & Associate Vice-President(CAS)

5. COMPANY POLICIES

Policy on dealing with Related Party transactions:

The Company strictly follows all relevant provisions in the Companies Act, 2013 and the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 on dealing with Related Party transactions.

Nomination and Remuneration Policy:

HLL being a Government Company, the power to appoint Directors and to fix their remuneration vests with Government of India. The Company is governed under DPE Guidelines regarding the Remuneration Policies of Directors. The Company had complied with the relevant guidelines prescribed by the Department of Public Enterprises in this regard.

6. BOARD CHARTER

As Trustees of the Company, the Board ensures that the Company has clear goals and policies for achievement which are in alignment with the Vision and Mission of the Company. The Board provides strategic directions, reviews corporate performance, authorizes and monitors strategic decisions, ensures regulatory compliances and safeguards interest of stakeholders. The Board of Directors adhere to the Board Charter adopted by the Board of Directors, which clearly sets out the role, structure, responsibilities and operation of Company's Board of Directors and its delegation of authority.

7. CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors of your Company has laid down a Code of Conduct and Ethics for the Board Members and Senior Management of the Company. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct during the year 2021-22. A declaration to this effect signed by the Chairman & Managing Director is provided below..

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की पणधारी को

विषय : आचरण संहिता और नैतिकता का अनुपालन

में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी मंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचरण संहिता के साथ अनुपालन की पुष्टि की है ।

ह./-

के बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

02 अगस्त, 2022

तिरुवनंतपुरम

8. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एचएलएल के बोर्ड पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशक की बैठक आयोजित करना संभव नहीं था।

9. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने निदेशक मंडल की बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स (एस एस -1) और सामान्य बैठक पर सेक्रेटेरियल मानकों (एस एस-2) का अनुमोदन दिया। ये मानक 1 जुलाई, 2015 के प्रभाव से लागू हो गये। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने दोनों मानकों का अनुपालन किया है। एस एस -1 और एस एस -2 निदेशक मंडल की बैठक, समितियों की बैठक, सामान्य बैठक और इससे संबंधित अन्य मामलों के आयोजन और संचालन करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।

10. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

कंपनी ने 'इंड ए एस' के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण तैयार किये हैं ।

11. मंडल की समितियाँ

मंडल की समितियाँ अपने अभिशासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्यायोजित प्राधिकरण के भीतर सूचित निर्णयों को लेने के लिए गठित की गयी है। अच्छे अभिशासन प्रथा के भाग के रूप में, कंपनी की समितियाँ बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के साथ गठित की जाती हैं और सदस्यों की नियुक्ति एवं विचारार्थ विषय का स्थायीकरण/समितियों की भूमिका निदेशक मंडल द्वारा किये जाते हैं। जब कभी आवश्यक हो, समितियाँ विभिन्न मामलों पर मंडल के लिए विशिष्ट सिफारिशें भी देती हैं। समितियों के सभी अवलोकन, सिफारिशें और निर्णय, सूचनार्थ या अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

कंपनी ने अब निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की हैं, यानी:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति
4. रणनीति सूत्रीकरण और निवेश समिति

11.1.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन तंत्र के मुख्य स्तंभों में एक है बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा समिति, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की अखण्डता के विश्वास को बढ़ाने का लक्ष्य करती है और यह लेखापरीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

11.1.2 31.3.2021 तक की संरचना

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

To the Stakeholders of HLL Lifecare Limited

Sub: Compliance with Code of Conduct and Ethics

I hereby declare that all the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct as adopted by the Board of Directors.

Sd/-

K Beji George IRTS
Chairman and Managing Director

02nd August 2022
Thiruvananthapuram

8. INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING

For the majority period under review there was only one Independent Director on the Board of HLL. Accordingly, it was not possible to hold Independent Director's meeting

9. SECRETARIAL STANDARDS

The Central Government has issued the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2). These Standards came into force on 01st July 2015. Adherence by the Company to these Standards is mandatory as per the provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, your Company has complied with both the Standards. The SS 1 and SS 2 prescribes a set of principles for convening and conducting the Meetings of the Board of Directors, meetings of Committees,

General Meetings and such other matters related thereto

10. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

The Company has prepared the financial statements for the year 2021-22 in accordance with the IND AS..

11. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board Committees play a crucial role in the governance structure of the Company and have been constituted to focus on specific areas and make informed decisions within the authority delegated. As a part of good governance practice, the Committees of the Company are constituted with the formal approval of the Board and appointment of members and fixing of terms of reference/role of the Committees done by the Board of Directors. The Committees also make specific recommendations to the Board on various matters whenever required. All observations, recommendations and decisions of the Committees are placed before the Board for information or for approval.

The Company has currently established following committees, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. CSR Committee
4. Strategy Formulation & Investment Committee

11.1.1 Audit Committee

Audit Committee at the Board level is one of the main pillars of Corporate Governance mechanism of the Company. Audit Committee aims to enhance the confidence in the integrity of Company's financial reporting, Internal control processes and act as a link between the Auditors and Board of Directors

11.1.2 Composition as on 31.3.2022

The Audit committee comprises the following members.

- क) डॉ.विजयचंद्र रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)
- ख) प्रो.(डॉ.)आदर्श पाल विज, स्वतंत्र निदेशक
- ग) निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
- घ) निदेशक (विपणन)

लेखापरीक्षा समिति में एक और स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति में ऊपर पुनर्गठित जैसे लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगी। इसलिए, सरकार द्वारा दो रिक्त पदों की ओर अधिक स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किये जाने पर कंपनी पुनः लेखापरीक्षा समिति पुनर्गठित करेगी।

11.1.3. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित मामलों की समीक्षा करती है:

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में शामिल हैं :

- i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के शर्तों के लिए सिफारिश;
- ii) लेखापरीक्षकों के स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और अनुवीक्षण;
- iii) वित्तीय विवरण की परीक्षा और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;
- iv) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या कोई भी आगामी संशोधन;
- v) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण एवं निवेशों की संवीक्षा।
- vi) जहाँ कहीं आवश्यक है, कारबार या कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन और
- viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के ज़रिए जुड़ाई गई निधियों के उद्दिष्ट उपयोग की निगरानी करना;
- ix) कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वास योग्य सुनिश्चित करने की ओर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और इसके वित्तीय विवरण के प्रकटीकरण करना;
- x) लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन के लिए मंडल को सिफारिश करना;
- xi) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
- xii) वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले निम्न विशेष संदर्भ के साथ प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;
 - क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के शर्तों में मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले निदेशकों के जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामले।
 - ख. लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में यदि कोई बदलाव है और उसके कारण ;
 - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय लिए जाने के आधार पर प्राकलन सहित मुख्य लेखा प्रविष्टियाँ;
 - घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में बनाए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;
 - च. किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; और
 - छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिबंध;
- xiii) बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना;
- xiv) प्रबंध के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- xv) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रधान कर रहे अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, विस्तार और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित कोई आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की पर्याप्तता है तो समीक्षा करना ;
- xvi) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और/या उसपर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- xvii) आंतरिक लेखापरीक्षकों/अभिकरणों द्वारा कोई आंतरिक जाँच निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ मामले की संदेहित धोखेबाज़ी, अनियमिता या प्रत्यक्ष प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है, मामले बोर्ड को रिपोर्ट करना;
- xviii) लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के बारे में चर्चा करने के अतिरिक्त कोई उद्दिग्गता के क्षेत्र के पता लगाने के लिए उत्तर लेखापरीक्षा की चर्चा;
- xix) जमाकर्ताओं, ऋणपत्रधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के लिए कारणों की जाँच करना;
- xx) विसिल ब्लोवर मेकानिसम के कार्य की समीक्षा करना;

- a) Dr Vijayachander Reddy, Independent Director (Chairperson)
- b) Shri E.A Subramanian, Director (Technical & Operations)
- c) Shri T.Rajasekar, Director (Marketing)
- d) Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig, Independent Director
- e) Smt. Neeta Boochra, Independent Director

11.1.3 Audit Committee reviews the following matters:

The terms of reference of the Audit Committee includes:

- i) Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;
- ii) Review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- iii) Examination of the financial statement and the auditors' report thereon;
- iv) Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;
- v) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- vi) Valuation of undertakings or assets of the Company, where it is necessary;
- vii) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- viii) and Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.
- ix) Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- x) Recommending to the Board the fixation of audit fees.
- xi) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
- xii) Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - a. Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of Section 134 of the Companies Act 2013;
 - b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - e. Compliance with legal requirements relating to financial statements;
 - f. Disclosure of any related party transactions;and
 - g. Qualifications in the draft audit report.
- xiii) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
- xiv) Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
- xv) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
- xvi) Discussionwithinternalauditorsand/orauditorsany significantfindingsandfollowupthereon.
- xvii) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/agenciesintomatters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- xviii) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
- xix) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.
- xx) To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.

- xxi) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;
- xxii) संसद के सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर गई अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा करना;
- xxiii) स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच में एक खुला अवसर प्रदान करना
- xxiv) कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करना। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित किया जाय जो संबंधित पार्टी लेनदेनों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा; स्वतंत्र लेखापरीक्षा के साथ कवरेज की पूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को आश्वस्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वयन की समीक्षा करना;
- xxvi) स्वतंत्र लेखापरीक्षा और प्रबंधन के साथ निम्नलिखितों को विचार करना और समीक्षा करना :
- कंप्यूटीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और
 - प्रबंध प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक के संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशों।
- xxvii) प्रबंधन आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना
- पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित चालू वर्ष के महत्वपूर्ण निष्कर्ष
 - कार्यकलापों के कार्य-क्षेत्र या अपेक्षित जानकारी के लिए पहुँच पर कोई भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामना करने पड़ी कठिनाइयाँ
- xxviii) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ के शर्तों में उल्लिखित किए जैसे कोई अन्य कार्य कार्यान्वित करना।

11.1.4 बैठकें और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें क्रमशः 7 मई, 2021, 15 जून, 2021, 6 जुलाई, 2021, 26 जुलाई, 2021, 21 सितंबर, 2021 और 7 जनवरी, 2022 को आयोजित की गईं। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार हैं।

समिति के सदस्यों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डॉ. पीजयचंदर रेड्डि	6	6
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	6	6
श्री टी.राजशेखर	6	6
प्रो. (डॉ.) आदर्श पाल विग	-	-
श्रीमती नीता बूचरा	-	-

11.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्दिष्ट मामलों को शामिल करके समिति के कार्यक्षेत्र और संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया गया।

11.2.1. संरचना

- क) डॉ. विजयचंदर रेड्डि, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)
- ख) श्री.ई.ए.सुब्रमण्यन निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
- ग) डा. गीता शर्मा निदेशक (वित्त)
- घ) प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज, स्वतंत्र निदेशक
- ङ) श्रीमती नीता बूचरा, स्वतंत्र निदेशक

11.2.2 बैठक और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 23 फरवरी, 2022 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई।

- xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C&A G audit.
- xxii) To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.
- xxiii) Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.
- xxiv) Review all related party transactions in the Company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.
- xxv) Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
- xxvi) Consider and review the following with the independent audit or and the management:
 - The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
 - Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.
- xxvii) Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
 - Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
 - Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.
- xxviii) Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

11.1.4 Meetings and Attendance

During the year under review, six meetings of the Audit Committee were held on 7th May 2021, 15th June 2021, 6th July 2021, 26th July 2021, 21st September 2021 and 07th January 2022 respectively.

The attendance of the members at the meeting is as follows

Name of the Committee Member	No. of meetings held during the tenure	No. of meetings attended
Dr P Vijayachander Reddy	6	6
Shri E A Subramanian	6	6
Shri T Rajasekar	6	6
Prof. (Dr.) Adarsh Pal Vig	-	-
Smt. Neeta Boochra	-	-

11.2 Nomination and Remuneration Committee

The scope and terms of reference of the Committee was enlarged by including the matters specified in Section 178 of the Companies Act, 2013.

11.2.1 Composition

- a) Dr Vijayachander Reddy, Independent Director (Chairman)
- b) Shri E.A. Subramanian, Director (Technical & Operations)
- c) Dr. Geeta Sharma, Director (Finance)
- d) Prof.(Dr.)Adarsh Pal Vig, Independent Director
- e) Smt Neeta Boochra, Independent Director

11.2.2 Meetings and Attendance

During the year under review, one Nomination & Remuneration Committee meeting held on 23rd February 2022.

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

समिति के सदस्यों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डॉ. पी विजयचंद्र रेड्डी	1	1
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	1	1
डॉ.गीता शर्मा	1	1
प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज	1	1
श्रीमती नीता बूचरा	1	1

11.3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति

11.3.1.संरचना

- क) डॉ.विजयचंद्र रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)
 ख) श्री ई.ए.सुब्रमण्यन निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)-सदस्य
 ग) श्री टी.राजशेखर निदेशक (विपणन)-सदस्य
 घ) डॉ.गीता शर्मा निदेशक (वित्त)-सदस्य

11.3.2 विचारार्थ विषय

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है। सी एस आर और एस डी समिति के कार्यक्षेत्र/विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं।

- क) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी सिफारिश करना जो कंपनी द्वारा किए जानेवाले कार्यकलापों को इंगित करेगा।
 ख) उपरोक्त कार्यकलापों पर खर्च किए जानेवाली राशि की सिफारिश करना।
 ग) समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति का अनुवीक्षण करना।

11.3.3 बैठक और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की दो बैठकें 21 सितंबर, 2021 और 11 मार्च, 2022 को हुईं।

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

समिति के सदस्यों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डॉ. पी विजयचंद्र रेड्डी	2	2
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	2	2
श्री टी.राजशेखर	2	2
डॉ.गीता शर्मा	2	2

11.4 रणनीति सूत्रीकरण & निवेश समिति

11.4.1 विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषय में निम्नलिखित शामिल हैं :

- कंपनी के लिए दीर्घावधि रणनीतियों एवं नीति विकसित करना।
- एचएलएल के आंतरिक और बाहरी कारोबारी माहौल का आकलन।
- कंपनी के वार्षिक व्यापार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया विकसित करना।
- विज्ञान 2020 योजना में उल्लिखित जैसे एचएलएल के लक्ष्यों और योजनाओं को समर्थन कर रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मूल्य निर्धारण करना और अनुमोदन करना।
- रणनीतिक कार्यसूची के साथ आवधिक वरिष्ठ नेतृत्व बैठकें नियोजित करना।
- कंपनी में रणनीति प्रबंधन विभाग के प्रभावी संचालन के लिए मार्गनिर्देश प्रदान करना।
- कार्यान्वयन समस्याओं को पहचान कर या परियोजना प्रक्षिप्त रिपोर्टों के ज़रिए उत्कृष्ट निष्पादन में निदेशक मंडल को परियोजनाओं के मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए मदद करना।

The attendance of the members at the meeting is as follows:

Name of the Committee Member	No. of meetings held during the tenure	No. of meetings attended
Dr P Vijayachander Reddy	1	1
Shri E A Subramanian	1	1
Dr Geeta Sharma	1	1
Prof.(Dr.)Adarsh Pal Vig	1	1
Smt Neetha Boochra	1	1

11.3 Corporate Social Responsibility Committee

11.3.1 Composition

- Dr. Vijayachander Reddy, Independent Director (Chairperson)
- Shri E.A Subramanian, Director (T&O) –Member
- Shri T.Rajasekar, Director (Marketing) – Member
- Dr Geeta Sharma. Director (Finance) - Member

11.3.2 Terms of reference

The terms of reference of the CSR Committee are as per the provisions of the Companies Act, 2013. The following are the scope/terms of reference of the CSR & SD Committee:

- Formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Company.
- Recommend the amount of expenditure to be incurred on the above activities
- Monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Company from time to time.

11.3.3 Meetings and Attendance

During the year under review, two CSR committee meetings were held on 21st September 2021 and 11t March 2022.

The attendance of the members at the meeting is as follows:

Name of the Committee Member	No. of meetings held during the tenure	No. of meetings attended
Dr P Vijayachander Reddy	2	2
Shri E A Subramanian	2	2
Shri T Rajasekar	2	2
Dr Geeta Sharma	2	2

11.4 Strategy Formulation and Investment Committee

11.4.1 Terms of reference

The terms of reference of the Committee includes the following

- Develop long-term strategies and policies for the company.
- Assessment of HLL's internal and external business environment.
- Develop a strategic management process for achieving company's annual business targets.
- Assess and approve for implementation projects that are supportive of goalsand plans of HLL as outlined in the Vision 2020 Plan.
- Plan periodic senior leadership meetings with a strategic agenda.
- Provide guidance for effective functioning of the strategic management department in the Company.
- Assist the Board of directors in monitoring and evaluation of projects by identifying implementation problems or outstanding performance through project exception reports.

- viii. सभी परियोजनाओं के वित्तीय एवं निष्पादन का मॉनिटर करके मूल्यांकन करना।
 ix. मंडल को निवेश/परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करना।
 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई बैठक का आयोजन नहीं हुआ।

12. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

मंडल को कंपनी के भीतर किसी भी सूचना के लिए संपूर्ण पहुँच है। मंडल को नियमित रूप से प्रदान की गई सूचना में शामिल हैं:

- क) वार्षिक प्रचालन योजनाएं एवं बजट और कोई भी अद्यतन
 ख) वार्षिक खाता, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
 ग) कंपनी की तिमाही परिणाम।
 घ) संयुक्त कंपनी और संयुक्त - उद्यम कंपनी के कार्यवृत्त सहित मंडल के अन्य समितियों और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।
 ङ) प्रमुख निवेश, संयुक्त और संयुक्त उद्यम, स्ट्रेटैजिक गठबंधनों आदि का गठन।
 च) बड़े संविदा प्रदान करना।
 छ) निदेशकशिप के बारे में निदेशकों की हित का प्रकटीकरण और अन्य कंपनियों में उनके द्वारा अधिग्रहित समिति पद।
 ज) कंपनी की वाणिज्यिक स्थिति पर मासिक रिपोर्ट।
 झ) विभिन्न चालू परियोजनाएँ/योजनाएं और बजट उपयोगिता की स्थिति पर रिपोर्ट।
 ञ) वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि जैसे मानव संसाधन/ औद्योगिक संपर्क कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण विकास।
 ट) लाभांश का गैर भुगतान, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि जैसे कोई भी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और अंशधारियों की सेवा का गैर-अनुपालन।
 ठ) अन्य वास्तविक महत्वपूर्ण सूचना।

13. बैठकोत्तर अनुवर्ती प्रणाली

कंपनी के अभिशासन प्रक्रिया में मंडल और मंडल समिति (ओं) के निर्णयों पर ली गई/लंबित कार्रवाई के लिए प्रभावी बैठकोत्तर अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है।

14. शेयरधारण स्वरूप

एचएलएल भारत या विदेश के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। कंपनी की संपूर्ण साम्या प्रदत्त शेयर पूँजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नॉमिनियों द्वारा अधिकार में रखी है।

15. सामान्य निकाय बैठकें

कंपनी के पिछले तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार हैं:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान	क्या विशेष संकल्प(ँ) पारित किया गया या नहीं
53वाँ ए जी एम	2018-2019	30 सितंबर, 2019	अपराह्न 03.00 बजे	नई दिल्ली	जी नहीं
53वाँ स्थगित ए जी एम	2018-2019	17 अक्टूबर, 2019	पूर्वाह्न 10.30 बजे	नई दिल्ली	जी नहीं
54वाँ	2019-2020	30 दिसंबर, 2020	पूर्वाह्न 10.30 बजे	वी सी/ओ ए बी एम	जी हाँ
54वाँ स्थगित ए जी एम	2019-2020	31 मार्च, 2021	अपराह्न 3.00 बजे	वी सी/ओ ए बी एम	जी नहीं
55वाँ ए जी एम	2020-2021	30 नवंबर, 2021	पूर्वाह्न 10.30 बजे	वी सी/ओ ए बी एम	जी हाँ

viii) Monitor and evaluate financial and physical performance of all projects.

ix) Recommend investment / project proposals to the Board.

During the year under report, no meetings were held.

12. INFORMATION TO BE PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

The Board has complete access to any information within the Company. The information inter alia, regularly supplied to the Board includes:

- a) Annual operating plans and budgets and any updates
- b) Annual Accounts, Directors' Report, etc.
- c) Quarterly results of the Company.
- d) Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board including minutes of Subsidiary Company and Joint-venture Company.
- e) Major Investments, formation of Subsidiaries and Joint Ventures, Strategic Alliances, etc.
- f) Award of large Contracts.
- g) Disclosure of Interest by Directors about directorship and committee positions occupied by them in other Companies.
- h) Report on the status of various on going projects / scheme and Budget Utilization.
- j) Any significant development in Human Resources/Industrial Relations front like signing of wage agreement, etc.
- i) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders' service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
- j) Other materially important information.

13. POST MEETING FOLLOW-UP SYSTEM:

The Governance process in the Company include an effective post-meeting follow-up, review and reporting process for action taken/pending on decisions of the Board and the Board Committee(s).

14. SHAREHOLDING PATTERN

HLL is not listed at any Stock Exchange in India or abroad. The entire paid up equity share capital of the Company is held by the President of India and his nominees

15. GENERAL BODY MEETINGS:

The Date, Time and Venue of the last three Annual General Meetings of the Company is as follows

AGM	Financial Year	Date	Time	Venue	Whether Special Resolution(s) Passed or Not
53rd AGM	2018-2019	30th Sep. 2019	03.00 p.m.	New Delhi	No
53rd Adjourned AGM	2018-2019	17th Oct. 2019	10.30 a.m.	New Delhi	No
54th	2019-2020	30th Dec. 2020	10.30 a.m.	VC/OAVM	Yes
54th Adjourned AGM	2019-2020	31st Mar. 2021	03.00 p.m.	VC/OAVM	No
55th AGM	2020-2021	30th Nov. 2021	10.30 a.m.	VC/OAVM	Yes

16. प्रकटीकरण:

- वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच लेन-देन का विवरण, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे की टिप्पणी के रूप में दिया गया है। इन लेन-देनों को कंपनी के हितों के साथ कोई अधिक संभावित संघर्ष नहीं है। संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेने देन सामान्य व्यापार और व्यतिरेक लेन-देन आमने सामने की कीमत पर थे।
- कंपनी द्वारा किसी भी गैर अनुपालन और किसी भी सांविधिक भुगतान अपेक्षाओं पर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर आरोपित जुर्माना, निंदा करने का कोई मामला नहीं था।
- राजभाषा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देश।
- वर्ष के दौरान और कंपनी में पिछले तीन वर्षों में भी राजभाषा कार्यान्वयन का अनुपालन किया गया है।
- वित्तीय विवरण की तैयारी करते समय कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा अधिसूचित सभी सुसंगत लेखा मानकों का पालन किया है।
- व्यय के कोई भी मद खाता बही में डेबिट नहीं की गयी थी, जो व्यवसाय उद्देश्यों के लिए नहीं है।
- कंपनी ने पर्याप्त रूप से अपनी सभी परिसंपत्तियों और सभी व्यापार जोखिम का पर्याप्त रूप से बीमा किया है और कंपनी के व्यापार इस के लिए विधिवत् बीमा प्रीमियम भुगतान किया है।
- कंपनी के विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के रुपया मूल्य को और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा और जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है।
- कंपनी विसल ब्लोवर नीति अपनायी है और यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्टिंग के संबंध में लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

17. सामान्य सूचनाएँ

निदेशकों का प्रशिक्षण :

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश मई 2010 को अपनाया है। डी पी ई दिशानिर्देशों के आधार पर, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति अपनायी है।

संचार का साधन

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के समयोचित प्रकटीकरण अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन अभ्यास का मूल है। इसकी ओर आपकी कंपनी ने निम्नलिखित पहल ले लिया है।

वेबसाइट	कंपनी के कॉर्पोरेट वेबसाइट www.lifecarehll.com उत्पादों, व्यवसाय खंडों, आगामी परियोजनाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कंपनी अपनी लेखे के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों का विवरण कार्यालयीन वेबसाइट में भी प्रकाशित करती है।
समाचार विज्ञप्ति	कंपनी के विकास और परिवर्तन पर सभी अद्यतन कंपनी के मासिक फोटो न्यूज़ लेटर, मासिक बुलेटिन और त्रैमासिक पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं और कार्यालय के वेबसाइट www.lifecarehll.com पर प्रदर्शित किये जाते हैं।
मीडिया विज्ञप्ति	कंपनी के विकास और परिवर्तन पर सभी अद्यतन प्रेस विज्ञप्तियों के ज़रिए बाहरी दर्शकों को घोषित किया जाता है। माँग के अनुसार, मीडिया को सीधे बताने के लिए कॉर्पोरेट संचार कभी-कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है।

16. DISCLOSURES:

- Details of transactions between the Company and its subsidiaries, associates, key managerial personnel during the year 2021-22 are given as Note to the Annual Accounts for the year ended 31 March, 2022. These transactions do not have any potential conflict with the interests of the Company at large. All transactions with the related parties were in the ordinary course of business and at arm's length price.
- There were no cases of non-compliance by the Company and penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority on any statutory payment requirements.
- Presidential directives issued by the Central government in respect of Official Language
- Implementation have been complied with during the year and also in the last three years in the Company.
- The Company has followed all relevant Accounting Standards notified by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 while preparing the Financial Statements.
- There were no items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.
- The Company has adequately insured all its assets and also the various business risks connected with the business of the Company and that it has duly paid insurance premium.
- The Company has adopted Foreign Exchange & Risk Management Policy to protect Rupee value of Foreign currency cash flows of the Company from adverse impact of fluctuations in exchange rates and interest rates.
- The Company has adopted Whistle Blower policy and it is affirmed that no person has been denied access to the Audit Committee in respect of reporting of suspected violations.

17. GENERAL INFORMATION

Training of Directors:

The Company has adopted Guidelines on Corporate Governance May 2010 issued by Department of Public Enterprise. Based on the DPE guidelines the company has adopted Training policy for Board members

Means of Communication:

Timely disclosure of relevant and reliable information is at the core of good Corporate Governance practice. Toward this end your Company has taken following initiatives.

Website	The Company's Corporate Website www.lifecarehll.com provides comprehensive information about the products, business segments, upcoming projects etc. The Company also publishes its annual audited statement of accounts in its official website.
News Releases	All updates on company's developments and changes are published through Company's Monthly photo newsletter, monthly bulletin and quarterly magazine and are also displayed on the company's website www.lifecarehll.com
Media Releases	All updates on company's developments and changes are announced to the external audiences through Press Releases. As the matter demands, CC occasionally conducts Press Conferences to brief the media directly.

मल्टीमीडिया रचना	कॉर्पोरेट संचार एचएलएल के विविध प्रभागों/विभागों के लिए पूर्णतया इन-हाउस तरीके से ब्रोशर, पत्रक, बैनर, बोर्ड सहित विभिन्न रचनात्मक सामग्रियों और कई अन्य सामग्रियों को बनाता है। सी सी कंपनी के घटनाओं के फोटो और वीडियो कवरेज भी करता है।
सामाजिक मीडिया	कंपनी के नये लॉच, परिवर्तन और घटनायें फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/lifecarehll में प्रकाशित किये जाते हैं। कंपनी के वीडियो वेबसाइट में वेबिनार के ज़रिए और यूट्यूब चैनल- www.youtube.com/channelHLL के माध्यम से भी प्रदर्शित किये जाते हैं।
वार्षिक रिपोर्ट	कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों आदि जैसे अन्य सभी हकदारों को परिचालित की जाती है।

संयंत्र स्थान

विनिर्माण	संयंत्र का नाम एवं स्थान	पता
गर्भनिरोधक	पेरूरकडा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, पेरूरकडा फैक्टरी, पेरूरकडा, तिरुवनंतपुरम - 695005
अस्पताल उत्पादें	आक्कुलम फैक्टरी तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड आक्कुलम फैक्टरी, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम - 695017
गर्भनिरोधक	काक्कनाडु फैक्टरी केच्चि, (के एफ सी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड कोचिन स्पेशल इकॉनॉमिक ज़ोन डिविज़न, प्लॉट नं. 16ए/1, काक्कनाडु, कोचिन - 682037
गर्भनिरोधक, फार्मा और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादें	कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी), कर्नाटका	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड कनगला फैक्टरी, बेलगाम, कर्नाटका - 591225
अस्पताल उत्पादें	मनेसर फैक्टरी, गुडगाव, (एम एफ जी), हरियाना	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड मनेसर यूनिट, प्लॉट नं:71 सेक्टर-7, गुडगाव, हरियाना - 122050
फार्मा उत्पादें	सानवर रोडु फैक्टरी इंदोर, मध्य प्रदेश (पी एफ आई)	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, सेक्टर - ई, सानवर रोडु औद्योगिक क्षेत्र, इंदोर - मध्यप्रदेश
गर्भनिरोधक	ऐरापुरम फैक्टरी, कोचिन, (आई एफ सी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, रि-सर्वे नं.156/3, ब्लॉक नं. 29, रबडु पार्क, वलयनचिरंगरा, ऐरापुरम, कोचिन - 683 556
आयुर्वेद और यूनानी उत्पादें	हरिद्वार फैक्टरी, उत्तराखंड	घर्सा सं. 37, ग्राम मखनपुर, भगवानपुर तहसील, हरिद्वार जिला, उत्तराखंड - 247 661

Multimedia Production	CC produces various creative materials including brochures, leaflets, banners, boards and several other materials totally in-house for HLL's various divisions/departments. CC also conducts photo and video coverage of company's events.
Social Media	Company's new launches, changes and events are published in the Facebook Page- https://www.facebook.com/lifecarehll . The company videos are displayed through webinar in the website and also through the YouTube channel – www.youtube.com/channelHLL
Annual Report	The Annual Report of the Company is circulated to the shareholders, Ministry of Health & Family Welfare, Comptroller and Auditor General of India and all others entitled thereto like Statutory Auditors etc.

Plant Locations

Manufacturing	Plant Name & Location	Address
Contraceptives	Peroorkada Factory, Thiruvananthapuram (PFT), Kerala	HLL Lifecare Ltd, Peroorkada Factory, Peroorkada Thiruvananthapuram - 695005
Hospital Products	Akkulam Factory, Thiruvananthapuram (AFT), Kerala	HLL Lifecare Ltd, Akkulam Factory, Akkulam, Thiruvananthapuram - 695017
Contraceptives	Kakkanad Factory Kochi, (KFC),Kerala	HLL Lifecare Ltd, Cochin Special Economic Zone, Division, Plot No:16A/1, Kakkannadu, Cochin - 682037
Contraceptives Pharma and personal hygiene Products	Kanagala Factory, Belgaum, (KFB) Karnataka	HLL Lifecare Ltd Kanagala Factory, Belgaum, Karnataka - 591225
Hospital Products	Manesar Factory, Gurgaon, (MFG),Haryana	HLL Lifecare Ltd, Manesar Unit, Plot No: 71 Sector 7, Gurgaon, Haryana -122050
Pharma Products	Sanver Road Factory, Indore, Madhya Pradesh (PFI)	HLL Lifecare Ltd, Sector-E, Sanver Road Industrial Area, Indore - Madhya Pradesh
Contraceptives	Irapuram Factory, Cochin, (IFC), Kerala	HLL LifecareLtd, Re-Sy.No156/3, Block No.29 Rubber Park, Valayanchirangara Irapuram, Cochin-683 556
Ayurveda & Unani products	Haridwar Factory, Uttarakhand	Kharsa No. 37, Gram Makhanpur, Bhagwanpur Tehsil, Haridwar District, Uttarakhand – 247 661

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण

1. उद्योग विश्लेषण

स्वास्थ्यरक्षा उद्योग - आउटलुक

स्वास्थ्य रक्षा राजस्व और रोज़गार दोनों की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। स्वास्थ्य रक्षा में अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। भारतीय स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र बढ़ती कवरेज, सेवाओं और, सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों के बढ़ते खर्च के कारण तेज़ी से बढ़ रहा है। भारतीय स्वास्थ्य रक्षा वितरण प्रणाली को सार्वजनिक और निजी दो प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है। सरकार, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली, प्रमुख शहरों में सीमित माध्यमिक और तृतीयक संरक्षण संस्थानों को शामिल करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों (पी एच सी) के रूप में बुनियादी स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएँ प्रदान करने पर केंद्रित है। निजी क्षेत्र महानगरों और टियर I एवं टियर II शहरों में प्रमुख संकेंद्रण के साथ अधिकांश माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थांश संरक्षण संस्थान प्रदान करता है। भारत का प्रतिस्पर्धी लाभ अच्छी तरह से प्रशिक्षित मेडिकल पेशेवरों के अपने बड़े पूल में निहित हैं। भारत एशिया और पश्चिमी देशों में अपने समकक्ष लोगों की तुलना में लागत प्रतिस्पर्धी भी है। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या पश्चिमी यूरोप की तुलना में एक दहाई है। वित्त वर्ष 2022 तक भारतीय स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना को यु एस \$349.1 दशलक्ष अदद तक पहुँचने की उम्मीद है। ई-स्वास्थ्य बाज़ार का आकार 2025 तक 10.6 दशलक्ष यु एस \$ पहुँचने का अनुमान है। (स्रोत आई बी ई एफ)

गर्भनिरोधक :

गर्भनिरोधक बाज़ार 2020 में यु एस डी 21.8 बिलियन से अधिक हो गए और 2022 एवं 2027 की अवधि में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है। यौन स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता जन्म नियंत्रण विधियों की मांग और अभिग्रहण में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसी तरह, अनुकूल सरकारी पहल और प्रतिपूर्ति की स्थिति बाज़ार के विकास को बढ़ावा दे रही है। गर्भनिरोधक उपयोग में वृद्धि ने, यौन संचारित संक्रमणों के जोखिम को कम किया है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर सहित स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार किया है। इसके अलावा, जन्म नियंत्रण के उद्देश्य से इन गर्भनिरोधक उपकरणों को चुनने वाले स्त्रीरोग विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि आनेवाले वर्षों में उद्योग के विकास को गति देने की ओर अग्रसर है। आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों के बारे में जागरूकता, सुरक्षित और प्रभावी मौखिक गर्भनिरोधकों के बढ़ते उपयोग और किशोर गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताएँ बाज़ार विस्तारण को और बढ़ावा दे रही हैं। (स्रोत:- एफ पी 2030)।

फार्मास्यूटिकल्स :

वैश्विक स्वास्थ्य में अत्यधिक योगदान करते हुए, भारतीय दवा उद्योग आयतन के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। वित्त वर्ष 22 (2021-2022) में, फार्मास्यूटिकल उद्योग ने 9-11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से उभरते घरेलू बाज़ारों से प्रेरित था। महामारी के कारण हुए व्यवधान के बीच अपनी ताकत और प्रतिबद्धता दिखाते हुए, उद्योग ने न केवल पर्याप्त दवाएँ उपलब्ध कराने की क्षमता का प्रदर्शन किया है बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा निवारक और क्वारंटाइन सुविधाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महामारी से लड़ने के लिए नवीन दृष्टिकोणों के साथ-साथ उपलब्ध दवाओं के संभावित उपयोग का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके, उद्योग कोविड -19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को पार करने में सक्षम रहा है। 2022 तक आगे बढ़ते हुए, यह उम्मीद करता है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग से दुनिया भर में लोगों के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की ओर तेजी से दवा की खोज और विकास को सक्षम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा ।

अस्पताल उत्पादों - ब्लड बैग्स :

डिस्पोजेबल ब्लड बैग बाज़ार की बिक्री आकार 2020 में \$221.1 मिलियन था और 2030 तक \$357.2 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2022 से 2030 तक 4.9% की सी ए जी आर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में रक्तदान शिविरों की बढ़ती संख्या और प्लाज़्मा संग्रह में वृद्धि से डिस्पोजेबल रक्त बैग के उपयोग में वृद्धि हो रही है। कैंसर सर्जरी की बढ़ती संख्या भविष्य में डिस्पोजेबल ब्लड बैग के उपयोग को बढ़ाएगी। कोविड - 19 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के बढ़ने से, ब्लड बैग की मांग बढ़ गई है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले कई व्यक्ति कोविड -19 से संक्रमित हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और कई लोगों को रक्त आधान की आवश्यकता भी होती है। फलस्वरूप, महामारी के बाद ब्लड बैग और उपकरणों की मांग बढ़ गई है। कई सरकारें भी रक्तदान बढ़ाने को मदद करने के लिए पहल ले रही है। इसके फलस्वरूप, ब्लड बैग की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. INDUSTRY ANALYSIS

Healthcare Industry-Outlook

Healthcare has become one of India's largest sector, both in terms of revenue and employment. Healthcare comprises hospitals, medical devices, clinical trials, outsourcing, telemedicine, medical tourism, health insurance and medical equipment. The Indian healthcare sector is growing at a brisk pace due to its strengthening coverage, services and increasing expenditure by public as well private players. Indian healthcare delivery system is categorised into two major components public and private. The Government, i.e. public healthcare system, comprises limited secondary and tertiary care institutions in key cities and focuses on providing basic healthcare facilities in the form of primary healthcare centres (PHCs) in rural areas. The private sector provides majority of secondary, tertiary, and quaternary care institutions with major concentration in metros and tier I and tier II cities. India's competitive advantage lies in its large pool of well-trained medical professionals. India is also cost competitive compared to its peers in Asia and Western countries. The cost of surgery in India is about one-tenth of that in the US or Western Europe.

Contraceptives:

Contraceptives Market size exceeded USD 21.8 billion in 2020 and is anticipated to grow exponentially during the period from 2022 and 2027. The rising awareness pertaining to sexual health is expected to increase the demand and adoption of birth control methods. Similarly, favorable government initiatives and reimbursement scenarios is augmenting the market growth. The upsurge in the use of contraception has reduced the risk of sexually transmitted infections and enhanced health- related outcomes comprising maternal & infant mortality. Moreover, an upsurge in the number of gynecologists preferring these contraception devices for the purpose of birth control is poised to spur the industry growth in the coming years. Rise in awareness of modern contraceptives, increasing use of safe & effective oral pills, and health complications related to teenage pregnancies further stimulate the market expansion. (Source:-FP2030)

Pharmaceuticals:

Contributing immensely to global health, the Indian pharmaceutical industry by volume is the 3rd largest in the world. In (2021- 2022) FY22, the pharmaceutical industry recorded a growth of 9-11 per cent which was mainly driven by a push from emerging and domestic markets. By showing strength and commitment amid the disruption caused by the pandemic, the industry not only exhibited its ability to provide adequate medicines but contributed significantly to other areas like sanitation, preventive healthcare and quarantine facilities. It was through careful evaluation of the possible use of available drugs along with innovative approaches to fight the pandemic, the industry was able to overcome the challenges posed by COVID-19. Going forward to 2022, it is expected that the Indian pharmaceutical industry will foster a culture of R&D and innovation to enable rapid drug discovery and development to improve the health outcomes of people worldwide.

नैदानिक सेवाएँ :

निदान किसी भी बीमारी का पता लगाने, निदान करने और आकलन करने का मुख्य आधार है। बीमारी का इलाज, प्रबंधन और निवारण के संबंध में 70 प्रतिशत से अधिक चिकित्सा निर्णय निदान पर आधारित हैं। भारत में नैदानिक उद्योग रु. 675 बिलियन रुपए का है और अगले पाँच वर्षों में 10 प्रतिशत की तीव्र वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है, जैसे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य रक्षा जागरूकता में वृद्धि (जिसके कारण घरेलू जाँच बहुत बड़े तरीके से लागू में आई है), गतिहीन जीवन शैली के कारण जीवन शैली संबंधी बीमारियों जैसे मधुमेह और हृदय रोगों में तेज़ी से वृद्धि, निवारक स्वास्थ्य रक्षा परीक्षण, बीमा सेवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों के खर्च करने की शक्ति में समग्र वृद्धि।

रीटेल फार्मसी : (आई बी ई एफ)

भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र विभिन्न वैकसीनों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में जेनेरिक मांग का 40% और यू के में सभी दवाओं का 25% आपूर्ति करता है। विश्व स्तर पर भारत दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। देशीय दवा उद्योग में 3,000 दवा कंपनियाँ और ~10500 विनिर्माण यूनिटों का नेटवर्क शामिल है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश में उद्योग को और अधिक ऊँचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा पूल भी है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ खिलाड़ी है। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो मात्रा के हिसाब से दुनिया भर में आपूर्ति का 20% और वैश्विक टीकाकरण मांग का लगभग 60% की आपूर्ति करता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र यु एस\$ 42 बिलियन का है और मात्रा के मामले में तीसरा और दुनिया भर में मूल्य के मामले में 13 वें स्थान पर है।

भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, अगले दशक में देशीय बाज़ार 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। भारत का देशीय फार्मास्यूटिकल बाज़ार 2021 में यु एस\$ 42 बिलियन है, 2024 तक यु एस\$ 65 बिलियन और आगे 2030 तक ~ यु एस\$ 120-130 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है।

भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में जैव औषधियों, जैव-सेवाएँ, जैव-कृषि, जैव-उद्योग और जैव-सूचना विज्ञान शामिल हैं। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का मूल्य 2020 में यु एस\$ 70.2 बिलियन था और 2025 तक यु एस\$ 150 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।

Hospital Products- Blood Bags:

The disposable blood bag market size was valued at \$221.1 million in 2020, and is estimated to reach \$357.2 million by 2030, growing at a CAGR of 4.9% from 2022 to 2030. Increase in number of blood donation camps across the world, and rise in plasma collection lead to surge in use of disposable blood bag. The growing number of cancer surgeries can lead to rise in use of disposable blood bags in the future. With the rise of the COVID-19 public health emergency, the demand for blood bags has increased. Many individuals with weak immune systems have been infected by COVID-19 and hospitalized, and many require a blood transfusion. As a result, the demand for blood bags and equipment has risen, following the pandemic. Many governments are also taking initiatives to help increase blood donation. As a result, the demand for blood bags is expected to increase.

Diagnostic Services:

Diagnostics are the mainstay of the detection, diagnosis and assessment of any disease. Over 70 per cent of the medical decisions regarding disease treatment, management and prevention are based on diagnostics. In India, the diagnostic industry stands at a whopping Rs 675 billion and is estimated to grow at a rapid annual rate of <10 per cent over the next five years, egged on by increasing wellness and healthcare awareness (due to which home testing has come into being in a much bigger way), rapid rise in lifestyle diseases like diabetes and cardiovascular diseases due to sedentary lifestyle, preventive healthcare testing, insurance services, and the overall rise in the spending power of people among all strata of society.

Retail Pharmacy: (ibef)

India is the largest provider of generic drugs globally. Indian pharmaceutical sector supplies over 50% of global demand for various vaccines, 40% of generic demand in the US and 25% of all medicine in the UK. Globally, India ranks 3rd in terms of pharmaceutical production by volume and 14th by value. The domestic pharmaceutical industry includes a network of 3,000 drug companies and ~10,500 manufacturing units. India enjoys an important position in the global pharmaceuticals sector. The country also has a large pool of scientists and engineers with the potential to steer the industry ahead to greater heights. In the global pharmaceuticals sector, India is a significant and rising player. India is the world's largest supplier of generic medications, accounting for 20% of the worldwide supply by volume and supplying about 60% of the global vaccination demand. The Indian pharmaceutical sector is worth US\$ 42 billion and ranks 3rd in terms of volume and 13th in terms of value worldwide.

According to the Indian Economic Survey 2021, the domestic market is expected to grow 3x in the next decade. India's domestic pharmaceutical market is at US\$ 42 billion in 2021 and likely to reach US\$ 65 billion by 2024 and further expand to reach ~US\$ 120-130 billion by 2030.

India's biotechnology industry comprises biopharmaceuticals, bio-services, bio-agriculture, bio-industry, and bioinformatics. The Indian biotechnology industry was valued at US\$ 70.2 billion in 2020 and is expected to reach US\$ 150 billion by 2025.

2. वित्तीय निष्पादन स्नेपशॉट

पिछले 10 वर्षों के लिए कंपनी के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए जाते हैं :
 दस वर्षों के निष्पादन परिणाम का झलक (ऑकड़े रुपए लाखों में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
व्यापारवर्त	83,294.11	94,168.16	1,05,804.96	1,04,469.12	1,05,434.98	1,07,538.27	1,44,436.65	1,67,764.97	5,08,131.02	35,66,866.72
कुल आय	84,000.45	95,368.83	1,06,203.33	1,05,197.12	1,06,470.71	1,08,854.76	1,47,168.59	1,73,913.91	5,13,884.30	35,69,816.59
मूल्यहास, ब्याज और कर (ई बी डी आई टी) के पूर्व अर्जन	7,268.51	7,837.31	9,330.25	1,0137.26	2,829.47	1,608.45	1,03,20.83	21,249.25		
मूल्यहास	2,084.96	2,375.87	2,983.12	3,652.03	3,860.54	5,134.24	5,428.86	5,333.77		
ब्याज	1,402.68	1,840.35	2,594.34	2,870.64	3,028.44	2,961.15	3355.90	3,457.20	2375.13	2,410.31
कर	773.40	1,050.31	597.65	900.27	(1,521.31)	471.40	(310.77)	1,409.75	3,921.61	14,358.78
कर के बाद लाभ/ (हानि)	3,007.47	2,570.77	3,155.14	2,714.32	(2,538.21)	(6,958.34)	1,846.84	11,048.53	11,233.00	40,822.40
इक्विटी लाभांश %	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	1.24	124%
लाभांश भुगतान	387.07	387.07	387.07	387.07	-	-	-	-	1,490.00	1,928.71
इक्विटी शेयर पूंजी	19,353.50	19,353.50	19,353.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	1,553.50	1,553.50
आरक्षित और अधिशेष	18,468.10	20,586.01	23,275.31	25,950.97	22,946.09	15,884.34	17,070.41	28,254.79	37,020.60	75,337.96
निवल मूल्य	37,821.60	39,939.51	42,628.81	54,992.47	51,987.59	44,925.84	46,111.91	57,296.29	38574.10	76,891.46
सकल अचल परिसंपत्तियाँ	32,290.70	35,771.72	42,379.98	55,244.09	43,590.75	49,312.16	50,293.66	54,795.43	55179.39	59,109.44
निवल अचल परिसंपत्तियाँ	21,958.17	25,663.53	30,903.52	32,878.41	36,339.22	36,974.16	32,684.50	31,904.10	29060.10	26,716.06
कुल परिसंपत्तियाँ	85,811.40	1,83,348.62	2,10,189.10	2,38,530.28	2,49,321.19	2,51,297.32	2,77,458.63	2,80,523.13	4,41,143.82	6,68,945.09
कर्मचारियों की संख्या	1875	1831	1837	1868	1728	1659	1569	1440	1410	

2. FINANCE PERFORMANCE SNAPSHOT

The summarized financial results of the company for the last 10 years are given below:
 Ten year's performance results at a glance (Figures ₹ in Lacs)

Description	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Turnover	83,294.11	94,168.16	1,05,804.96	104,469.12	105,434.98	107,538.27	1,44,436.65	1,67,764.97	5,08,131.02	35,66,866.72
Total Income	84,000.45	95,368.83	1,06,203.33	105,197.12	106,470.71	1,08,854.76	1,47,168.59	1,73,913.91	5,13,884.30	35,69,816.59
Earnings Before Depreciation, Interest and Tax (EBDIT)	7,268.51	7,837.31	9,330.25	10,137.26	28,29.47	16,08.45	10,320.83	21,249.25	22,270.00	62,048.26
Depreciation	2,084.96	2,375.87	2,983.12	3,652.03	3,860.54	5,134.24	5,428.86	5,333.77	4,760.00	4,456.76
Interest	1,402.68	1,840.35	2,594.34	2,870.64	3,028.44	2,961.15	3,355.90	3,457.20	2,320.00	2,410.31
Tax	773.40	1,050.31	597.65	900.27	(1,521.31)	471.40	(310.77)	1,409.75	3,920.00	14,358.78
Profit/(Loss) After Tax	3,007.47	2,570.77	3,155.14	2,714.32	(2,538.21)	(6,958.34)	18,46.84	11,048.53	11,270.00	40,822.40
Equity Dividend %	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	1.24	124%
Dividend Payout	387.07	387.07	387.07	387.07	-	-	-	-	1,490.00	1,928.71
Equity Share Capital	19,353.50	19,353.50	19,353.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	15,53.50	1,553.50
Reserves and Surplus	18,468.10	20,586.01	23,275.31	25,950.97	22,946.09	15,884.34	17,070.41	28,254.79	37,064.00	75,337.96
Net Worth	37,821.60	39,939.51	42,628.81	54,992.47	51,987.59	44,925.84	46,111.91	57,296.29	38,617.50	76,891.46
Gross Fixed Assets	32,290.70	35,771.72	42,379.98	55,244.09	43,590.75	49,312.16	50,293.66	54,795.43	55,703.00	59,109.44
Net Fixed Assets	21,958.17	25,663.53	30,903.52	32,878.41	36,339.22	36,974.16	32,684.50	31,904.10	32,296.00	26,716.06
Total Assets	85,811.40	1,83,348.62	2,10,189.10	2,38,530.28	2,49,321.19	2,51,297.32	2,77,458.63	2,80,523.13	4,38,587.00	6,68,945.09
Number of Employees	1875	1831	1837	1868	1728	1659	1569	1440	1410	

3. प्रत्यक्ष निष्पादन

एचएलएल विश्व भर में गर्भनिरोधक उत्पादों की एक श्रृंखला का अग्रणी निर्माता और विपणनकर्ता है। यह विभिन्न प्रकार के अस्पताल उत्पाद, फार्मा उत्पाद और स्वास्थ्य सेवा वितरण सेवाएँ भी प्रदान करता है। 2021-22 के दौरान एचएलएल की विनिर्माण गतिविधियों की समीक्षा नीचे दी गई है :

क्रम सं.	उत्पाद	यूनिट	संस्थापित क्षमता	विनिर्मित मात्रा (चालू वर्ष)	उपयोग क्षमता (%)	विनिर्मित मात्रा (पिछले वर्ष)
1	कंडोम	दशलक्ष अदद	1971.00	1063.31	53.94%	1302.27
2	ब्लड बेग	दशलक्ष अदद	12.50	8.15	65.20%	4.83
3	स्यूचर	लाख डज़न	6.00	0.79	13.16%	0.82
4	कॉपर-टी	दशलक्ष अदद	17.754	4.13	23.26%	7.96
5	मौखिक गर्भनिरोधक गोलिएँ	दशलक्ष साइकिल्स	460.00	27.39	5.95%	84.51
6	सैनिटरी नैपकिन	दशलक्ष अदद	392.00	66.08	16.86%	211.61
7	नैदानिक टेस्ट किट	दशलक्ष किट्स	52.00	9.20	17.69%	15.77

4. वेंडिंग व्यवसाय प्रभाग (वी बी डी)

- सी पी सी बी मानदंडों के अनुसार स्मोक कंट्रोल यूनिट के साथ सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर्स का परिचय वी बी डी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सी पी सी बी के मानदंडों का अनुपालन करते हुए स्मोक कंट्रोल यूनिट के साथ सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर्स की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन और 15 वें एफ सी आयोग की निधि से देश में लागू की गई इस तरह की पहली परियोजना है।
- 3 सत्रों को शामिल करते हुए ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत कोविड 19 महामारी के मद्देनज़र, स्कूलों को बंद कर दिया गया था और स्कूलों में एम एच एम कार्यक्रमों को लागू करना संभव नहीं था। वी बी डी ने आहार, पोषण और प्रतिरक्षा, सामाजिक जागरूकता और लिंग समानता, जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास जैसे 3 और सत्रों को जोड़ते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में व्यापक किशोर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम केरल के आस-पास के 600 स्कूलों में कार्यान्वित किए गए।
- राजस्थान और तेलंगाना राज्य में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर स्थापित करने के लिए परिपत्र स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों ने सभी नगर पालिकाओं/स्थानीय निकायों को स्वच्छ भारत मिशन/ स्वच्छ सर्वेक्षण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एचएलएल मशीन स्थापित करने का निर्देश दिया है।



3. PHYSICAL PERFORMANCE

HLL is a leading manufacturer and marketer of a range of contraceptive products around the globe. It also provides a variety of hospital products, pharma products and healthcare delivery services. A review of HLL's manufacturing activities during 2021-22 is given below:

Sl. No.	Product	Unit	Installed Capacity	Quantity Manufactured (Current year)	Capacity utilization (%)	Quantity Manufactured (Previous Year)
1	Condoms	Mn. Pcs	1971.00	1063.31	53.94%	1302.27
2	Blood Bags	Mn. Pcs	12.50	8.15	65.20%	4.83
3	Suture	Lakh Doz.	6.00	0.79	13.16%	0.82
4	Copper-T	Mn. Pcs	17.754	4.13	23.26%	7.96
5	Oral Contraceptive Pills	Mn.Cycles	460.00	27.39	5.95%	84.51
6	Sanitary Napkin	Mn. Pcs	392.00	66.08	16.86%	211.61
7	Diagnostic Test Kits	Mn. Kits	52.00	9.20	17.69%	15.77

4. VENDING BUSINESS DIVISION (VBD)

1. Introduction of Sanitary Napkin Incinerators with Smoke Control Unit as per CPCB norms

VBD had introduced Sanitary Napkin Incinerators with Smoke Control Unit complying the norms of CPCB in the states of Karnataka and Andhra Pradesh in various gram panchayats. This project is first of such kind in the country implemented with funds from Swachh Bharat Mission and 15th FC commission.

2. Introduction of Online Awareness programs including addition of 3 more sessions.

In the wake of COVID 19 pandemic, schools were closed and it was not possible to implement MHM programs in schools. VBD introduced Comprehensive Adolescent Health Awareness program in online platform adding 3 more sessions such as Diet, Nutrition and Immunity, Social Awareness and Gender equality, Life Skills and Personality Development. The programs were implemented in around 600 schools in Kerala.

3. Circular for Installation of Sanitary Napkin Vending Machines and Incinerators in the state of Rajasthan and Telangana

Under the Swachh Bharat Mission program, the states of Rajasthan and Telangana has given direction to all municipalities/local bodies to install HLL machines to comply with the Swachh Bharat Mission/ SwachhSurvekshan guidelines.



5. जोखिम और उद्विग्नता

- जोखिम: एचएलएल व्यवसाय के लिए सरकार और सरकारी संगठन पर अत्यधिक निर्भर है। सरकार को अधिमानित विक्रेता की हानि की स्थिति एचएलएल की दूरदर्शिता और रणनीति काफी रूप से प्रभावित कर सकती है।
- शमन योजना : कंपनी नए उत्पादों और सेवाओं को प्रारंभ करना और 'लगातार मार्किट शेयर को बढ़ाने' के दो आयामी रणनीतियों द्वारा इस जोखिम को शमन करने की योजना बनाती है, जो मध्यम जोखिम रणनीतियों से कम हैं।
- जोखिम : निर्यात एवं देशीय बाज़ार, दोनों के लिए अपेक्षित अनुपालन के वर्धित स्तर, उत्पादों और सेवाओं की लागत को बढ़ाता है।
- शमन योजना : कंपनी को लक्षित राज्यक्षेत्रों में उपयुक्त विनियमन के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित टीम को सुव्यवस्थित करके इस जोखिम को शमन करने का भरोसा है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी उपयुक्तता

दिये गये व्यापार की प्रकृति और प्रचालन के आकार के अनुसार, आपकी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्न मर्दों को प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गयी है :

- आंतरिक जाँच और शीघ्र रिपोर्टिंग के साथ लेन-देन का सही रिकॉर्डिंग।
- लागू लेखांकन मानकों एवं नीतियों का पालन करना।
- लागू विधियों, नीतियों और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग और परिसंपत्तियों की सुरक्षा।
- सभी संयंत्रों, बिक्री कार्यालयों, मुख्यालय आदि को जोड़ने वाली इंटरग्रेटेड एस ए पी प्रणाली।
- आंतरिक लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों की लेखापरीक्षा समिति बैठक में समीक्षा की जाती है
- और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- कंपनी के प्रचालनों के बढ़ते आकार और जटिलता के साथ तालमेल रखने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों/ मार्गनिर्देशों, प्राधिकरणों और अनुमोदन प्रक्रियाओं को प्रदान करती है। उद्देश्य को बनाए रखने के लिए कंपनी को सदस्यों के रूप में अधिकांश स्वतंत्र निदेशक सहित एक लेखापरीक्षा समिति है। कंपनी सनदी लेखाकारों के स्वतंत्र फर्मों एवं अपने ही कोर्पोरेट लेखापरीक्षा सेवा प्रभाग (सी ए एस) के ज़रिए, सभी स्थानों पर आवधिक लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित योजना पर आधारित कार्यकलाप कार्यान्वित करती हैं और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में कोई भी विचलन लाती हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का संक्षेप और कार्यान्वयन की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाती है।

7. सचेतक विवरण

निदेशक रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों, उम्मीदों एवं प्राकलनों के वर्णन करनेवाले विवरण चालू व्यवसाय परिवेश के आधार पर है। कई घटक कंपनी के वास्तविक परिणाम, निष्पादन या उपलब्धियों के कारण हो सकते हैं, जो भविष्य के परिणाम, निष्पादन या उपलब्धियों से अधिक मात्रा में अलग होगा, वह ऐसे अग्रवर्ती विवरणों द्वारा अभिव्यक्त या सूचित किया जाएगा। पाठकों से आगाह किया जाता है कि दूरदेशी बयानों पर अनुचित दृढ़ विश्वास न रखें।

निदेशक मंडल की तरफ से

के. बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन :08419099]

तारीख : 02 अगस्त, 2022

स्थान : तिरुवनंतपुरम

5. RISK AND CONCERNS

- Risk: HLL is highly dependent on Government and Government organization for business. Loss of 'preferred vendor to government' status may impact HLL's vision and strategies significantly.
- Mitigation plan: The Company plans to mitigate this risk by two-pronged strategies of 'introducing new products and services' and 'continuously increasing market share', which are low to medium risk strategies.
- Risk: Increasing levels of compliance required for both export and domestic markets increases cost of products and services.
- Mitigation plan: The Company is confident of mitigating this risk by establishing dedicated teams to ensure compliance with applicable regulations in target territories.

6. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

Given the nature of the business and size of operations, your Company's internal control system has been designed to provide for

- Accurate recording of transactions with internal checks and prompt reporting.
- Adherence to applicable Accounting Standards and Policies.
- Compliance with applicable statutes, policies and management policies and procedures.
- Effective use of resources and safeguarding of assets.
- An integrated SAP System connecting all Plants, Sales Offices, Head office, etc.
- Observations arising out of Internal Audit are reviewed at the Audit Committee meeting and follow up action taken.
- Systems and Procedures are periodically reviewed to keep pace with the growing size and complexity of Company's operations.

The internal control system provides for well documented policies/guidelines, authorisations and approval procedures. The Company has an Audit Committee with majority of Independent Directors as members to maintain the objective. The Company through independent firms of Chartered Accountants and its own Corporate Audit/Assurance Service Division (CAS), carries out periodic audits at all locations and functions based on the plan approved by Audit Committee and brings out any deviation to internal control procedures. The summary of Internal Audit observations and status of implementation are submitted to the Audit.

7. CAUTIONARY STATEMENT

Statements in the Director's Report and Management Discussion & Analysis describing the Company's objectives, projections, expectations and estimates are based on current business environment. Many factors could cause the actual results, performances or achievements of the Company to be materially different from any future results, performances or achievements that may be expressed or implied by such forward looking statements. Readers are cautioned not to place undue conviction on the forward looking statements.

For and on behalf of Board of Directors

K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN: 08419099]

Date: 02nd August 2022
Place: Thiruvananthapuram

अनुबंध I
एमओ यु 2021-22 के लक्ष्यों की उपलब्धि

क्रम सं.	एम ओ यु पैरामीटर (यूनिट)	उत्कृष्ट के लिए एमओयु लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1	प्रचालन से राजस्व (रुपए करोड़ों में)	7893	36039.92
2	परिसंपत्ति व्यापारावर्त अनुपात (%)	64.94%	343.06%
3	राजस्व के प्रतिशतता के रूप में ई बी आई टी डी ए (%)	9.09%	1.76%
4	निवल मूल्य पर वापसी (%)	28.17%	68.10%
5	नियोजित पूँजी पर वापसी (%)	40.79%	75.07%
6	ई पी एस (रुपए/शेयर)	74.13	266.63
7	कुल आय (रुपए करोड़ों में)	7947	36059.18
8	प्रचालन (निवल) से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्तियाँ (निवल) (दिनों की संख्या)	60	28
9	कैपेक्स (रुपए करोड़ों में)	44.29	14.10
10	तीसरी तिमाही के अंत तक कैपेक्स उपलब्धि (रुपए करोड़ों में)	39.86	9.33
11	पीबीटी की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पर व्यय (%)	2%	0.94%
12	प्रचालन से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में निर्यात (%)	5%	0.24%
13	पिछले वर्ष की तुलना में खपत किए गए कुल आयात में कमी (%)	5%	कोई कमी नहीं

ACHIEVEMENT OF MOU 2021-22 TARGETS

Sl. No	MoU Parameters (Unit)	MoU Target for Excellent	Actual Achievement
1	Revenue from Operations (Rs. in Crores)	7893	36039.92
2	Asset turnover ratio (%)	64.94%	343.06%
3	EBITDA as a percentage of Revenue (%)	9.09%	1.76%
4	Return on Net Worth (%)	28.17%	68.10%
5	Return on Capital Employed (%)	40.79%	75.07%
6	EPS (Rs/ Share)	74.13	266.63
7	Total Income (Rs. In Crores)	7947	36059.18
8	Trade Receivables (Net) as number of days of Revenue from Operations (Gross) (No. of Days)	60	28
9	CAPEX (Rs. In Crores)	44.29	14.10
10	CAPEX achievement till end of 3rd Quarter (Rs. In Crores)	39.86	9.33
11	Expenditure on R&D/Innovations as % of PBT (%)	2%	0.94%
12	Exports as % of Revenue from Operations (%)	5%	0.24%
13	Reduction in total imports consumed over previous year (%)	5%	No reduction

अनुबंध II

फार्म सं.एओसी- 2

(कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 के अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (एच) और नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा प्रारंभ किये ठेके/व्यवस्थाओं के सिवा तीसरे उपबंध के अधीन कुछ व्यतिरेक लेन-देन सहित विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म :

1. व्यतिरेक के आधार पर न रहे ठेके या व्यवस्थाएँ या लेनदेन के विवरण

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रारंभित कोई ठेके या व्यवस्थाएँ या लेन - देन नहीं थे जो व्यतिरेक के आधार पर नहीं थे ।

2. व्यतिरेक के आधार पर महत्वपूर्ण ठेका या व्यवस्था या लेन -देन का विवरण।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण ठेके या व्यवस्थाएँ या व्यतिरेक के आधार पर लेन-देन के विवरण इस प्रकार हैं:

संबंधित पार्टी(ओं) का नाम और रिश्ते की प्रकृति	ठेके/व्यवस्थाएँ/ लेन -देन की प्रकृति	ठेका/ व्यवस्था/लेन -देन की अवधि	मूल्य सहित मुख्य शर्तें, यदि कोई है तो (₹ लाखों में)	बोर्ड अनुमोदन की तारीख, यदि कोई है तो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी रकम यदि कोई है तो
हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी) - सहयोगी	बिक्री	लागू नहीं	208.00		शून्य
	किराया आय	लागू नहीं	57.00		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं			शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	-		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	20.00		शून्य
लाइफ सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड - संयुक्त उद्यम कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	-		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	388.00		शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं			शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं			शून्य
	खरीदियाँ	लागू नहीं			शून्य
एचएलएल बायोटेक लिमिटेड - पूर्ववर्ती सहायक कंपनी	वेतन और भत्ते	लागू नहीं			शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं			शून्य
	परामर्श व्यय	लागू नहीं			शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं			शून्य
	ऋण	लागू नहीं			शून्य
गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) - सहायक कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	63.00		शून्य
	वेतन और भत्ते	लागू नहीं			शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	709.00		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	2.00		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	750.00		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	88.00		शून्य
	खरीदियाँ	लागू नहीं	12.00		शून्य

FORM NO. AOC-2

[Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014]

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

There were no contracts or arrangements or transactions entered into during the year ended March 31st, 2022, which were not on arm's length basis.

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

The details of material contracts or arrangements or transactions on arm's length basis for the year ended 31st March 2022 are as follows:

Name (s) of the related Party & Nature of relationship	Nature of contract/ arrangements/ transactions	Duration of contract/ arrangements/ transactions	Salient terms including the value, if any (₹in lakhs)	Date of Board approval, if any	Amount paid as advance, if any
Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)- Associate	Sales	NA	208.00		Nil
	Rental Income	NA	57.00		Nil
	Other Expenses	NA			Nil
	Sundry Debtors	NA	-		Nil
	Consultancy / service	NA	20.00		Nil
Life Spring Hospitals Private Limited- Joint venture Company	Other Expense	NA	-		Nil
	Sundry Debtors	NA	388.00		Nil
	Investment in shares	NA			Nil
	Consultancy / service	NA			Nil
HLL Biotech Limited – Erstwhile Subsidiary company	Purchases	NA			Nil
	Salaries & allowances	NA			Nil
	Consultancy/ Service	NA			Nil
	Consultancy expenses	NA			Nil
	Other Expenses	NA			Nil
	Loan	NA			Nil
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) -Subsidiary company	Other expenses	NA	63.00		Nil
	Salaries & allowances	NA			Nil
	Investment in shares	NA	709.00		Nil
	Other expenses	NA	2.00		Nil
	Sundry debtors	NA	750.00		Nil
	Consultancy/ Services	NA	88.00		Nil
	Purchases	NA	12.00		Nil

संबंधित पार्टी(ओं) का नाम और रिश्ते की प्रकृति	ठेके/व्यवस्थाएँ/ लेन -देन की प्रकृति	ठेका/ व्यवस्था/लेन -देन की अवधि	मूल्य सहित मुख्य शर्तें, यदि कोई है तो (₹ लाखों में)	बोर्ड अनुमोदन की तारीख, यदि कोई है तो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी रकम यदि कोई है तो
एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड - पूर्ववर्ती सहायक कंपनी	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	-		शून्य
	किराया आय	लागू नहीं			शून्य
	ऋण	लागू नहीं			शून्य
	वेतन और भत्ते	लागू नहीं			शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं			शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं			शून्य
एचएलएल इंफ्राटेक सर्वोसिस लिमिटेड - सहायक कंपनी	किराया आय	लागू नहीं	279.00		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	155.00		शून्य
	लाभांश आय	लागू नहीं	800.00		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	206.00		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	293.00		शून्य
	विविध लेनदार	लागू नहीं	353.00		शून्य
एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ समाज - सहयोगी	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	5.00		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं			शून्य
	अन्य देयताएं	लागू नहीं	1.00		शून्य
एचएलएल प्रबंधन अकादमी - सोसाइटी	वेतन और भत्ते	लागू नहीं	20.00		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	1.10		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	421.00		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	5.00		शून्य
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड - सहायक कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	-		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	-		शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	-		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	-		शून्य
लाइफ सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड - संयुक्त उद्यम कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	11.00		शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	951.00		शून्य

निदेशक मंडल की तरफ से

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 [दिन: 08419099]

दिनांक : 2 अगस्त , 2022

स्थान : तिरुवनंतपुरम

Name (s) of the related Party & Nature of relationship	Nature of contract/ arrangements/ transactions	Duration of contract/ arrangements/ transactions	Salient terms including the value, if any (₹in lakhs)	Date of Board approval, if any	Amount paid as advance, if any
HLL Medipark Limited - Erstwhile Subsidiary company	Investment in shares	NA		-	Nil
	Rental Income	NA			Nil
	Loan	NA			Nil
	Salaries & allowances	NA			Nil
	Other Expense	NA			Nil
	Consultancy/ Services	NA			Nil
HLL Infra Tech Services Limited - Subsidiary company	Rental Income	NA	279.00		Nil
	Consultancy/ Service	NA	155.00		Nil
	Dividend Income	NA	800.00		Nil
	Other Expense	NA	206.00		Nil
	Sundry Debtors	NA	293.00		Nil
	Sundry Creditors		353.00		Nil
	Investment in shares	NA	5.00		Nil
HLL Pratheeksha Charitable Society - Associate	Other expenses	NA			Nil
	Other liabilities	NA	1.00		Nil
HLL Management Academy – Society	Salaries & allowances	NA	20.00		Nil
	Other Expenses	NA	1.00		Nil
	Sundry Debtors	NA	421.00		Nil
	Consultancy / Services	NA	5.00		Nil
HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd. – Subsidiary Company	Other Expenses	NA			Nil
	Sundry Debtors	NA			Nil
	Investment in shares	NA			Nil
	Consultancy / Services	NA			Nil
Lifespring Hospitals Private Limited – Joint Venture Company	Sundry Debtors	NA	11.00		Nil
	Investment in shares	NA	951.00		Nil

For and on behalf of Board of Directors
K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN:08419099]

Date: 02nd August 2022
 Place: Thiruvananthapuram

फार्म नं.एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का उद्घरण

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को
समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I पंजीकरण और अन्य विवरण :

सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621

पंजीकरण तारीख : 01/03/1966

कंपनी का नाम : एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड

कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : पब्लिक कंपनी

पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड़, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम -695012

क्या सूचीबद्ध कंपनी : जी नहीं

रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आर टी ए) का नाम, पता व संपर्क विवरण, यदि कोई है : लागू नहीं

II. कंपनी के मुख्य व्यवसाय कार्यकलाप

कंपनी के कुल व्यापारावर्त के 10% या उसके अधिक योगदान कर रहे सभी व्यवसाय कार्यकलापों को बनाया जाएगा :-

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा के एन आई सी कोड	कंपनी के कुल व्यापारावर्त की %
1.	गर्भनिरोधक उत्पादें		0.81
2.	स्वास्थ्य रक्षा		0.23
3.	फार्मा उत्पादें		2.10
4.	परियोजनाएं और सेवाएं		1.68
5.	कोविड 19 के लिए आपातकालीन आपूर्ति		95.18

III नियंत्रण, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी के नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	नियंत्रण/ सहायक/ सहयोगी	रखे गए शेयरों की %	लागू खंड
1.	गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड	यु24231जीए1980एसजीसी000412	सहायक	74%	2(6)
2.	एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्विस लिमिटेड	यु45200केएल2014जीओआई036617	सहायक	100%	2(87)
3.	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	यु 85200युपी2017जीओआई095591	सहायक	100%	2(87)
4.	लाइफ सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	यु85110केएल2008पीटीसी021819	सहयोगी	50%	2(87)

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31st March, 2022
of HLL LIFECARE LIMITED

[Pursuant to Section 92(1) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies
 (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

CIN :U25193KL1966GOI002621

Registration Date:01/03/1966

Name of the Company: HLL Lifecare Limited Category/Sub-Category of the Company: Public Company

Address of the Registered Office and contact details:

HLLBhavan, Mahilamandiram Road, Poojappura, Trivandrum-695 012

Whether listed company:No

Name, Address and contact details of Registrar & Transfer Agents (RTA), if any: N/A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Contraceptive Products		0.81
2.	Healthcare		0.23
3.	Pharma Products		2.10
4.	Projects and Services		1.68
5.	Emergency Supplies for Covid-19		95.18

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	Name and address Of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% Of Shares Held	Applicable Section
1.	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited	U24231GA1980SGC000412	Subsidiary	74%	2(6)
2.	HLL Infra Tech Services Limited	U45200KL2014GOI036617	Subsidiary	100%	2(87)
3.	HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd.	U85200UP2017GOI095591	Subsidiary	100%	2(87)
4.	Life Spring Hospitals Pvt.Ltd.	U85110KL2008PTC021819	Associate	50%	2(87)

IV. शेयर होल्डिंग पैटेन (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमेट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमेट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति/एचयुएफ				नगण्य				नगण्य	
(ख) केंद्र सरकार		15535000	15535000	100		15535000	15535000	100	लागू नहीं
(ग) राज्य सरकार (रें)									
(घ) निकाय/ कॉर्पोरेशन									
(ङ) बैंक/एफ आई									
(च) अन्य कोई (पी एस ई & आई टी एस नॉमिनी)									
उप-कुल (क) (1) :-	लागू नहीं	15535000	15535000	100	लागू नहीं	15535000	15535000	100	लागू नहीं
(2) विदेशी									
(क) एन आर आई-व्यक्ति									
(ख) अन्य-व्यक्ति									
(ग) निकाय कॉर्पोरेशन									
(घ) बैंक/एफ आई									
(ङ) अन्य कोई									
उप-कुल(क)(2) :-									
कुल प्रमोटर का शेयरधारण (क) =(क)(1)+(क)(2)	लागू नहीं	15535000	15535000	100%	लागू नहीं	15535000	15535000	100%	लागू नहीं

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year%				% Changes during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Share	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/HUF				Negligible				Negligible	
b) Central Govt		15535000	15535000	100		15535000	15535000	100	NA
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks/FI									
f) Any Other (PSE & ITS Nominee)									
Sub-total(A) (1):-	NA	15535000	15535000	100	NA	15535000	15535000	100	NA
(2) Foreign									
(a) NRIs - Individuals									
(b) Other – Individuals									
(c) Bodies Corp.									
(d) Banks/FI									
(e) Any Other									
Sub-total(A) (2):-									
Total Share holding of Promoter (A) = (A) (1)+(A)(2)	NA	15535000	15535000	100%	NA	15535000	15535000	100%	NA

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थाएँ									
(क) म्यूचल फंड									
(ख) बैंक/एफ आई									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रें)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ङ) उद्यम पूँजी निधियों									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) एफ आई आई एस									
(ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि									
(झ) अन्य									
उप-कुल (ख) (1) :-	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
2. गैर संस्थाएँ	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(क) निकाय कॉर्पोरेशन									
(i) भारतीय									
(ii) प्रवासी									
(ख) व्यक्ति									
(i) ₹1 लाख तक नाममात्र शेयर पूँजी रखनेवाले शेयरधारक व्यक्ति									
(ii) ₹1 लाख से अधिक मामूली शेयर पूँजी रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक									
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख) = (ख) (1) + (ख)(2)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
कुल योग (क+ख+ग)	लागू नहीं	15535000	15535000	100%	लागू नहीं	15535000	15535000	100%	लागू नहीं

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year%				% Changes during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Share	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
(a) Mutual Funds									
(b) Banks/FI									
(c) Central Govt									
(d) State Govt(s)									
(e) Venture Capital Funds									
(f) Insurance Companies									
(g) FII's									
(h) Foreign Venture Capital Funds									
(i) Others									
Sub-total (B)(1):-	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA
(2) Non-Institutions									
(a) Bodies Corp.									
(i) Indian									
(ii) Overseas									
(b) Individuals									
(i) Individual share holders holding nominal share capital upto ₹1 lakh									
(ii) Individual share holders holding nominal share capital in excess of ₹1 lakh									
Total Share holding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year%				% Changes during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Share	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA
Grand Total (A+B+C)	NA	15535000	15535000	100%	NA	15535000	15535000	100%	NA

v) प्रमोटर्स की हिस्सेदारी

क्रम. सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	कुल शेयरों में गिरवी/भारग्रस्त शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	कुल शेयरों में गिरवी/भारग्रस्त शेयरों की %	
1	भारत सरकार	15535000	100%	-	15535000	100%	-	लागू नहीं

(vi) प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो, कृपया स्पष्ट करें)

क्रम.सं.		वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	
	वर्ष के प्रारंभ में	15535000	100	15535000	100
	प्रमोटर्स की तारीखवार वृद्धि/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	*वर्ष के दौरान शेयरधारिता में कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदा. आबंटन/अंतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :	15535000	100	15535000	100
	वर्ष के अंत में	15535000	100	15535000	100

(vii) उच्च दस शेयरधारकों के शेयरधारिता स्वरूप (जी डी आर एवं ए डी आर के निदेशकों, प्रमोटर्स और धारकों के अलावा)

क्रम.सं.	प्रत्येक 10 उच्च शेयरधारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
1	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य		शून्य	
2	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :				
3	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान यदि अलगाव हो गया है तो, अलगाव की तारीख)	शून्य		शून्य	

V. Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change In share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	Govt. of India	15535000	100%	-	15535000	100%	-	NA

VI. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	
	At the beginning of the year	15535000	100	15535000	100
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters	NA	NA	NA	NA
	*Share holding during the Year specifying the reasons for decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	15535000	100	15535000	100
	At the end of the year	15535000	100	15535000	100

VII. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	Nil		Nil	
2	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g.allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):				
3	At the End of the year (or on the date of separation, if Separated during theyear)	Nil		Nil	

(viii) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम.सं.	प्रत्येक निदेशकों और के एम पी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
	वर्ष के प्रारंभ में				
1)	डॉ. धर्मेंद्र एस गंगवार आई ए एस, निदेशक	100	नगण्य	100	नगण्य
2)	डॉ. मंदीप कुमार भंडारी आई ए एस, निदेशक	100			
3)	श्री ई.ए. सुब्रमण्यन, निदेशक	100			
4)	श्री टी. राजशेखर, निदेशक	100			
5)	डॉ. गीता शर्मा	100			
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/ अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :				
	वर्ष के अंत में				
1)	डॉ. धर्मेंद्र एस. गंगवार आई ए एस, निदेशक	100	नगण्य	100	नगण्य
2)	डॉ. मंदीप कुमार भंडारी, आई ए एस, निदेशक	100			
3)	श्री ई.ए. सुब्रमण्यन, निदेशक	100			
4)	श्री टी. राजशेखर, निदेशक	100			
5)	डॉ. गीता शर्मा, निदेशक	100			

(ix) ऋण ग्रस्तता

शेष/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं।

(रुपए लाखों में)

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल रकम				
ii) देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए	32561.00			32561.00
iii) उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	28.62			28.62
कुल (i+ii+iii)	32589.62			32589.62
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• जोड़				
• कमी				
निवल परिवर्तन	16809.62			16809.62
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
मूल रकम	15780.00			15780.00
देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए	0			0
उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	0			0
कुल (i+ii+iii)	15780.00			15780.00

VIII. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

SI No	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
1)	Dr Dharmendra S Gangwar IAS, Director	100	Negligible	100	Negligible
2)	Dr Mandeep Kumar Bhandari IAS, Director	100			
3)	Shri E A Subramanian, Director	100			
4)	Shri T Rajasekar, Director	100			
5)	Dr Geeta Sharma	100			
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment /transfer/bonus/sweat equity etc)				
	At the end of the year				
1)	Dr Dharmendra S Gangwar IAS, Director	100	Negligible	100	Negligible
2)	Dr Mandeep Kumar Bhandari IAS, Director	100			
3)	Shri. E A Subramanian, Director	100			
4)	Shri. T Rajasekar, Director	100			
5)	Dr. Geeta Sharma, Director	100			

IX. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid	32561.00			32561.00
iii) Interest accrued but not due	28.62			28.62
Total (i+ii+iii)	32589.62			32589.62
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition				
• Reduction				
Net Change	16809.62			16809.62
Indebtedness at the end of the financial year				
Principal Amount	15780.00			15780.00
Interest due but not paid	0			0
Interest accrued but not due	0			0
Total (i+ii+iii)	15780.00			15780.00

(X) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक
क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

क्रमसं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम डी/डब्लियु टी डी/प्रबंधक के नाम				कुल रकम
		श्री के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस	श्री ई.ए. सुब्रह्मण्यन	डॉ.गीता शर्मा	श्री टी. राजशेखर	
1.	सकल वेतन					
	(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	47.41	45.41	51.08	48.42	192.32
	(ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य।	0.30	3.71	5.87	3.06	12.94
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन वेतन के बजाय लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ की % के रूप में -अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-	-
5.	अन्य, स्पष्ट करें (नियोक्ता पी एफ अंशदान और अंशदायी पेंशन)	-	4.26	5.03	4.04	13.33
	कुल (क)	47.71	53.38	61.98	55.52	218.59
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम डी/डब्लियु टी डी/प्रबंधक के नाम			कुल रकम
		डॉ.विजय चंद्र रेड्डी	डॉ.आदर्श पाल विज	श्रीमती नीता बूचरा	
1.	स्वतंत्र निदेशक				
	<ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क। • कमीशन • अन्य, स्पष्ट करें 	1.50	0.25	0.25	2.00
	कुल (1)	1.50	0.25	0.25	2.00
2.	अन्य गैर- कार्यपालक निदेशक				
	<ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, स्पष्ट करें 	-	-	-	-
	कुल (2)	शून्य			शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	1.50	0.25	0.25	2.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा				

X. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD / WTD / Manager				Total Amount
		Shri K Beji George IRTS	Shri E A Subramanian	Dr Geeta Sharma	Shri T Rajasekar	
1.	Gross salary					
	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	47.41	45.41	51.08	48.42	192.32
	b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	0.30	3.71	5.87	3.06	12.94
	c) Profits in lieu of salary under u/s 17(3) Income tax Act, 1961	-	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify.	-	-	-	-	-
5	Others, please specify (Employer PF contribution & contributory pension)	-	4.26	5.03	4.04	13.33
6	Total (A)	47.71	53.38	61.98	55.52	218.59
	Ceiling as per the Act					

B. Remuneration to other directors:

(₹ in Lakh)

Sl.No	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager			Total Amount
		Dr.Vijay chander Reddy	Dr.Adarsh Pal Vig	Mrs.Neeta Boochra	
1	Independent Directors <ul style="list-style-type: none"> • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify 	1.50	0.25	0.25	2.00
	Total (1)	1.50	0.25	0.25	2.00
2.	Other Non-Executive Directors <ul style="list-style-type: none"> • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify 	-	-	-	-
	Total (2)	Nil			Nil
	Total (B) = (1+2)	1.50	0.25	0.25	2.00
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्लियु टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सी ई ओ	कंपनी सचिव	सी ई ओ	
1	सकल वेतन	-	-	-	-
	(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	-	22.91	26.35	49.26
	(ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य।	-	-	1.71	1.71
	(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बजाय लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन -लाभ की % के रूप में -अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, स्पष्ट करें (नियोक्ता पी एफ अंशदान और अंशदायी पेंशन)	-	2.29	2.21	4.50
6.	कुल	-	25.20	30.27	55.47

XI. जुर्माना/दंड/अपराध का समझौता करना :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए जुर्माना / दंड/ अधिरोपित समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आर डी/एन सी एल टी/अदालत]	यदि कोई अपील बनाया गया है (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. भूल-चूक में अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD / MANAGER / WTDa.

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
		CEO	Company Secretary	CEO	
1	Gross salary	-	-	-	-
	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	22.91	26.35	49.26
	b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-	1.71	1.71
	c) Profits in lieu of salary under u/s 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission as - % of profit, - others specify.	-	-	-	-
5	Others, please specify (Employer PF contribution & contributory pension)	-	2.29	2.21	4.50
6	Total	-	25.20	30.27	55.47

XI. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

अनुबंध IV
ए जी एम के लिए सी ए जी की अंतिम टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

क्रम सं.	सी ए जी अंतिम टिप्पणी	प्रबंधन की प्रतिक्रिया
1.	क. सामान्य कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 284वीं बैठक में भारत सरकार को रु. 122.40 करोड़ का लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव दिया । हालाँकि, वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था जैसाकि भारतीय लेखांकन मानक-10 के पैरा 13 द्वारा आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि 'यदि लाभांश रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित किए जाते हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित होने से पहले, लाभांश को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस समय कोई दायित्व मौजूद नहीं है । इस तरह के लाभांश इंड ए एस 1 वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के अनुसार टिप्पणियों में प्रकट किए जाते हैं ।	प्रकटीकरण में चूक को भविष्य के मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए नोट किया जाता है ।

MANAGEMENT RESPONSE ON CAG FINAL COMMENT

S. NO	CAG Final Comment	Management Response
1	<p>A. General</p> <p>The Board of Directors in its 284th meeting of held on 26th July 2022 proposed to declare dividend of ₹122.40 crore to Government of India. However, no disclosure was made in the Financial Statements as required by Para 13 of Indian Accounting Standard-10 which state that 'if dividends are declared after the reporting period but before the Financial Statements are approved for issue, the dividends are not recognized as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. Such dividends are disclosed in the notes in accordance with Ind AS 1 Presentation of Financial Statements.</p>	<p>The disclosure requirement is noted. The same shall be complied in future</p>

अनुबंध V

बी वी आर & एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीस एलएलपी

एल एल पी पहचान सं.ए.ई -7079

‘स्वस्तिका’, टी आर/53/3933
लाल सलाम रोड
का कॉन्वेंड रोड,
पोन्नुरुणी
वैटिला.पी.ओ, कोचिन-682 019
दूरभाष : 0484-4046696, +919895630786
ईमेल : info@directus.co.in

फर्म सं.एम आर 3

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार]

सेवा में

सदस्य
मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621
एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695012, भारत

हम, बी वी आर & एसोसिएट्स कंपनी सचिव एलएलपी ने मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड [सी आई एन: यु25193केएल1966जी ओ आई002621] (बाद में ‘कंपनी’ कहा जाता है) द्वारा उपयुक्त सांविधिक प्रावधानों और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन करने की सचिवालयीन लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवालयीन लेखापरीक्षा उस तरीके से आयोजित की गयी जो कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय प्रकट करने के लिए एक उचित आधार हमें प्रदान किया गया।

बही, कागज़ातें, कार्यवृत्त, प्रपत्र एवं फाइल किए गए रिटर्न और हमें दिए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखापरीक्षा आयोजित करने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कंपनी के संस्था के ज्ञापन व अंतर्नियम और अनुबंध 1 में उल्लिखित जैसे नियमों के प्रयोज्य प्रावधान, मानक, दिशानिर्देश आदि का भी अनुपालन किया है और इसके पश्चात् बनाए गए रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी को उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र भी है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के प्रावधानों के अनुसार, 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे कार्यवृत्त, प्रपत्र और दाखिल किए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए नियम ;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक, उसके अधीन नियम और विनियम;
- जमाकर्ता अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम;
- प्रतिभूति अनुबंध विनियम अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम

हमने कंपनी द्वारा उद्योग विशिष्ट लागू अधिनियमों, सामान्य कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए सिस्टम और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों

Annexure V

BVR & ASSOCIATES
Company secretaries LLP

LLP Identification Number : AAE-7079

“Swastika”, TR/53/3933, Lal Salam Road
Off Convent Road, Ponnurunni
Vytila P.O., Cochin-682019
Ph : 0484-4046696, +91 98956 30786
email : info@directus.co.in

FORM NO: MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2022
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and

Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]To

The Members

HLL LIFECARE LIMITED

CIN: U25193KL1966GOI002621

HLL BHAVAN, MAHILAMANDIRAM ROAD,
POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA - 695012, INDIA

We, BVR & ASSOCIATES Company Secretaries LLP, have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by M/s. HLL LIFECARE LIMITED [CIN: U25193KL1966GOI002621] (hereinafter called “the Company”). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of books, papers, minutes, forms and returns filed and other records produced to us and according to information and explanations given to us by the Company, its officers, agents, and authorised representatives during the conduct of the secretarial audit, we hereby report that, in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2022 complied with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made there under, the Memorandum and Articles of Association of the Company and also applicable provisions of the laws as mentioned in Annexure 1, standards, guidelines etc., and also the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the minutes, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31.03.2022 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations framed there under
- (iv) The Securities Contract Regulation Act, 1956 and the Rules made there under

We have relied on the representations made by the company and its officers for systems and mechanisms formed by the company for compliances under industry specific applicable Acts, general Laws and regulations to the company. The list of other major head/Groups of Acts, Laws and Regulations as applicable to the company is given in Annexure 1.

के अन्य मुख्य शीर्ष/ग्रुपों की सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है : भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा जारी किए गए सचिवालय मानक लागू सीमा तक । कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी रहने से, लिस्टिंग विनियम कंपनी के लिए लागू नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अधिनियम, नियम, विनियमों , दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल को अपेक्षित संख्या स्वतंत्र निदेशकों के अलावा कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक, महिला निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के उचित संतुलन के साथ गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की बनावट में हुए बदलाव शुल्क/अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ अनुपालन करके कार्यान्वित किए गए हैं।

बोर्ड बैठक आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गयी कि कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिवस पूर्व अग्रिम रूप से भेजी गईं और बैठक के पूर्व कार्यसूची मर्दानों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण माँगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। बहुमत निर्णय के माध्यम से किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचार भी कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

निदेशकों ने उनकी नियुक्ति की पात्रता के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त अनुपालन किया है, वे स्वतंत्र रहने से और निदेशकों और प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता के साथ और ठेके और व्यवस्थाओं में हित के प्रकटीकरण और शेयरहोल्डिंग/ डिबेंचर होल्डिंग और अन्य कंपनियों में और अन्य संस्थाओं में निदेशकशिप के रूप में अनुपालन किया है।

हम समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट करते हैं :

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश घोषित किया है और कंपनी अधिनियम 2013, के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन देखा गया ।

कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानूनों के अतिरिक्त विधियों की एक सूची प्रदान की है और यह देखा गया है कि कंपनी को लागू सभी कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

यहाँ लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के साथ अनुपालन का अनुवीक्षण करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं

स्थान:तिरुवनंतपुरम

दिनांक : 31.07.2021

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एल एल पी

ए सी एस गोकुल आर आई

पदधारी साझेदार

एफ सी एस नं.11868

सी पी नं.14245

युडीआईएन : ए021269डी000724037

पी आर नं.706/2019

यह रिपोर्ट हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ भी पढ़ी जानी है जिसे अनलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable.

The Company being an unlisted company the Listing Regulations are not applicable to the company.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc.

We further report that

The Board of Directors of the Company is constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Woman Director and Independent Director during the reporting period. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 with payment of fee/additional fees.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent at least seven days in advance, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel and also with regard to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings/debenture holdings and directorships in other companies and interests in other entities.

We report that, during the year under review:

The Company has declared final dividend for F.Y 2020-21 to its shareholders during the period under scrutiny and all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 were seen complied with.

The Company has provided a list of statutes in addition to the laws as mentioned above and it has been observed that there are systems in place to ensure compliance of all laws applicable to the company.

We further report that;

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Place: Trivandrum

Date: 01.08.2022

For BVR & Associates
Company Secretaries LLP

ACS Gokul R I
Designated Partner
FCS No. 11868
C P No. 14245
UDIN: A021269D000724037
PR No.706/2019

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

परिशिष्ट क

सेवा में

सदस्य,

मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड

इस तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जानी है :

1. सचिवालयीन अभिलेख का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन अभिलेखों पर एक राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो, सचिवालयीन अभिलेखों के अंतर्वस्तु की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे।
3. सचिवालयीन अभिलेखों पर सही तथ्य परिलक्षित किया गया है, को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है। हम मानते हैं कि जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वह हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखाबहियों के शुद्धता एवं औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ कहीं अपेक्षित हैं, हमें कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधान का अनुपालन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच, परीक्षा के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।
7. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।
8. हमने सी पी एस ई के लिए निगमित अभिशासन पर डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

स्थान : तिरुवनंतपुरम

दिनांक :01.08.2022

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एल एल पी

ए सी एस गोकुल आर आई

पदधारी साझेदार

एफ सी एस नं.11868

सी पी नं.14245

युडीआईएन : ए021269डी000724037

पी आर नं.706/2019

‘Annexure A’

To,

The Members,
M/s. HLL LIFECARE LIMITED

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records.
3. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
6. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
8. We have not commented on the compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs.

Place: Trivandrum

Date: 01.08.2022

For BVR & Associates
Company Secretaries LLP

ACS Gokul R I
Designated Partner
FCS No. 11868
C P No. 14245
UDIN: A021269D000724037
PR No.706/2019

परिशिष्ट 1

कंपनी के लिए लागू उद्योग विशिष्ट नियम की सूची

1. फैक्टरी अधिनियम, 1948
2. वायु (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
4. पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986
5. औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
6. कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013
7. औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

स्थान : तिरुवनंतपुरम
दिनांक : 01.08.2022

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एल एल पी
ए सी एस गोकुल आर आई
पदधारी साझेदार
एफ सी एस नं.11868
सी पी नं.14245
युडीआईएन : ए021269डी000724037
पी आर नं.706/2019

Annex 1

List of Industry specific laws applicable to the company

1. The Factories Act, 1948
2. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
3. Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974
4. The Environment (Protection) Act, 1986
5. Sexual Harassment of Women at the work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
6. Drugs & Cosmetics Act, 1940

Place: Trivandrum

Date: 01.08.2022

For BVR & Associates
Company Secretaries LLP

ACS Gokul R I
Designated Partner
FCS No. 11868
C P No. 14245
UDIN: A021269D000724037
PR No.706/2019

अनुबंध - VI

बी वी आर & एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीस एलएलपी

एल एल पी पहचान सं.ए.ई -7079

‘स्वस्तिका’, टी आर/53/3933

लाल सलाम रोड

का कॉन्वेंड रोड, पोन्नुरुणी

वैटिला.पी.ओ, कोचिन-682 019

दूरभाष : 0484-4046696, +919895630786

ई-मेल: info@directus.co.in

अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्य

मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,

सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621

एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड, पूजप्पुरा,

तिरुवनंतपुरम, केरल - 695012, भारत

हमने दिनांक 14 मई, 2010 के डी पी ई का.ज्ञा.सं.18(8)/2005-जी एम द्वारा निर्धारित जैसे 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की अनुपालन की शर्तों की जाँच की है ।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन करना प्रबंध का उत्तरदायित्व है । हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत कार्य पद्धतियों और कार्यान्वयन तक सीमित थी । यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा या मत की अभिव्यक्ति नहीं है ।

हमारी राय और हमें दिए विवरणों पर अपनी सूचना के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर उल्लिखित डी पी ई का.ज्ञा. में निर्धारित जैसे कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

आगे हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है न ही कार्य क्षमता या प्रभावकारिता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को चलाया है ।

स्थान : तिरुवनंतपुरम

दिनांक :11.07.2022

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एल एल पी

गोकुल आर आई

पदधारी साझेदार

एम नं.11868

सी पी नं.14245

युडीआईएन : ए021269डी000596261

Annexure VI

BVR & ASSOCIATES
Company secretaries LLP

LLP Identification Number : AAE-7079

“Swastika”, TR/53/3933, Lal Salam Road
Off Convent Road, Ponnuranni
Vytala P.O., Cochin-682019
Ph : 0484-4046696, +91 98956 30786
email : info@directus.co.in

COMPLIANCE CERTIFICATE

To,

The Members

HLL LIFECARE LIMITED

CIN: U25193KL1966GOI002621

HLL BHAVAN, MAHILAMANDIRAM ROAD,
POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA - 695012, INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by HLL Lifecare Limited for the financial year ended on 31st March 2022, as stipulated by DPE OM No. 18(8)/2005-GM dated 14th May 2010.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE O.M.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company

For **BVR & Associates Company Secretaries LLP**

Place: Trivandrum

Date: 11.07.2022

Gokul R I

Designated Partner

M.No.F11868

CP.No. 14245

UDIN: A021269D000596261

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2021-22

STANDALONE FINANCIAL STATEMENT 2021-22

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड के सदस्यों को

पूजप्पुरा, केरल - 695012

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) उस तारीख में समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण सार्थक लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी समाविष्ट हैं(इसके बाद " स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नीचे अनुच्छेद के प्रतिबंध विचार के लिए आधार में वर्णित मामले के संभाव्य प्रभाव को छोड़कर, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना देता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (भारतीय लेखा मानक) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों, 31 मार्च 2022 तक की कंपनी के कार्यों की स्थिति में , उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं उचित चित्र देता है:

विचारों का आधार

हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एस ए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा चलाई। उन मानकों के अधीन हमारी उत्तदायित्वों को हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान द्वारा जारी किए नैतिक कोड के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र हैं, के साथ -साथ उसके अधीन बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत है, और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई के नैतिक कोड के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे प्रतिबंध लेखापरीक्षा राय को एक आधार देने के लिए पर्याप्त एवं उचित है।

मामले का ज़ोर

हम नीचे विस्तृत मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

- क. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 2.1, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के अधीन ब्याज के प्रावधान के संबंध में कार्य का वर्णन करती है।
- ख. शेष और सुलह की पुष्टि पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 2.33।
- ग. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 2.43 स्टॉकिस्टों द्वारा लौटाए गए कुछ समाप्त स्टॉक का लेन देन का वर्णन करती है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किये गये थे, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जानेवाली प्रमुख सूचना प्रौद्योगी (आईटी) प्रणाली।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला विवरण

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of HLL Lifecare Limited
Poojapura, Kerala-695012

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **HLL Lifecare Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of changes in Equity and the Cash Flow Statement for the year ended on that date and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2022, its profit, total comprehensive income, the changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the matters detailed below. Our opinion is not modified in respect of these matters:

- a. Note No 2.1 of the standalone financial statements, which describes the practice regarding provisioning of interest under section 16 of the Micro, Small & Medium Enterprises, Development Act.
- b. Note No 2.33 of the standalone financial statements on the confirmation of balance and reconciliation.
- c. Note No 2.43 of the standalone financial statements describing the treatment of certain expired stocks returned by stockists

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Information technology (IT) systems used in financial reporting process

Key Audit Matter Description

कंपनी की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर है, जैसे कि एक जोखिम विद्यमान है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में अंतराल के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्डगलत हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी एसएपी ईआरपी समाधान के एक पुराने संस्करण का उपयोग कर रही है जिसे बहुत पहले लागू किया गया था और इसलिए अब इसे पूर्ण विकसित एंड टु एंड समाधान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए कुछ स्तरों पर मैनुअल गणना की आवश्यकता होती है। कंपनी द्वारा उपयोग किए गए जानेवाले विभिन्न अन्य सॉफ्टवेयर से डेटा जिनमें से कुछ कई स्थानों पर बड़े लेनदेन की मात्रा को संभाल रहे हैं, को भी एकीकरण इंटरफेस के माध्यम से एसएपी में कैप्चर किया जाता है। पुराने संस्करण के उपयोग, रिपोर्टिंग उद्देश्या के लिए मैनुअल गणना और हाल ही में व्यापक परीक्षण और समीक्षा के बिना कई सॉफ्टवेयर के उपयोग के कारण हमने आईटी सिस्टम और नियंत्रण को प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।

हमारे लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था

निष्पादित मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमने प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर यूजर एक्सेस प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, कर्तव्यों का अलगाव, सिस्टम समाधान नियंत्रण और सिस्टम ऑप्लिकेशन नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया।

हमने प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन, मास्टर प्रबंधन, कर्तव्यों के प्रबंधन अलगाव, सिस्टम समाधान नियंत्रण और सिस्टम समाधान नियंत्रण और प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग ध्यान केंद्रित किया। हमने वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन पर प्रमुख नियंत्रणों की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता और कर्तव्यों के अलगाव को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए निवारक नियंत्रणों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी पर संचालित प्रमुख नियंत्रणों के एक नमूने का परीक्षण किया। वित्तीय और रिपोर्टिंग प्रणालियों पर प्रमुख नियंत्रणों के एक चयनित समूह के लिए हमने स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया कि ये नियंत्रण वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहे या मानक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के पालन करके बदले गए। अन्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया उन में सुरक्षा कॉन्फिगरेशन और सिस्टम इंटरफेस नियंत्रण शामिल हैं।

हमने मैनुअल गणना क्षेत्रों की पहचान की है और हमारी राय से उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किया है। हमने प्रभारी नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में नमूनों का परीक्षण किया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी पढ़ना है, और ऐसे करने में विचार करें कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप में असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई प्रमुख गलत विवरण है, तो हमें शासन के साथ प्रभावित लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंध और अभिशासन के साथ प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में ("अधिनियम") अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम

The Company's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being misstated. Also, the company is using an older version of the SAP ERP Solution implemented long back and hence could not be used now as a full fledged end to end solution, necessitating manual calculations at certain levels for reporting purposes. Data from various other software used by the company, some of which are handling large transaction volumes at multiple locations, are also captured into SAP through integration interfaces. A comprehensive system testing and review of the present software environment is pending. We have identified 'IT systems and controls' as key audit matter because of the use of older version, manual calculation for reporting purpose and the use of multiple software without a recent comprehensive test and review

How the matter was addressed in our audit

Principal Audit Procedures Performed

We focused on user access management, master management, change management, segregation of duties, system reconciliation controls and system application controls over key financial accounting and reporting systems.

We tested a sample of key controls operating over the information technology in relation to financial accounting and reporting systems, design and operating effectiveness of key controls over user access management and preventive controls designed to enforce segregation of duties. For a selected group of key controls over financial and reporting systems, we independently performed procedures to determine that these control remained unchanged during the year or were changed following the standard change management process. Other areas that were assessed included security configurations and system interface controls.

We have identified the manual calculation areas and performed additional test to obtain reasonable assurance to form our opinion. We have tested samples in key areas of concern to ensure the effectiveness of the control system in force.

INFORMATION OTHER THAN THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors Report including the annexures to Directors' Report, Secretarial audit Report, Management Discussion & Analysis Report and Corporate Governance Report included in the Annual report, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and change in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the

2015 के नियम यथा संशोधित (भारतीय लेखा मानक) विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल करके भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी परिवर्तन के सही और निष्पक्ष चित्र देता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाना; और स्टैंडअलोन भारतीय लेखापरीक्षा मानकों के वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने की ओर प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही और निष्पक्ष चित्र देता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण प्रत्यक्षभौतिक अयथार्थ विवरण से मुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन को चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, चालू समुत्थान से संबंधित मामले का प्रकटीकरण जैसे उपयुक्त है करना और लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या प्रचालन रोकने का इरादा रखता है, या ऐसे करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य है, धोखाधड़ी या गलती के कारण, स्टैंडलोन वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से प्रमुख गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करना, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह कोई प्रत्याभूति नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा एक प्रमुख अयथार्थ विवरण की खोज करेगी, जब यह मौजूद है। अयथार्थ विवरण धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और यदि एकल या कुल में यह प्रमुख तब माना जाता है, जब वे इन स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हमने पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लिया है और व्यावसायिक संदेह का अनुरक्षण किया है। हम भी :

- वित्तीय विवरणों के मुख्य अयथार्थ विवरण की जोखिमों को पहचान करना और आकलन करना, यदि धोखाधड़ी या गलती के कारण; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं प्रदर्शन करना; और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न एक मुख्य गलत विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में गुप्त षडयंत्र, जालसाजी, जानबूझकर चूक, बकवास या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के सिलसिले में लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थिति के लिए उचित है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं, कि क्या कंपनी को वित्तीय विवरण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन का औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा बनाये गये संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू समुत्थान के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, जो एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने की कंपनी की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर ध्यान देना अपेक्षित है या, यदि ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। तथापि, भविष्य की घटना या शर्त कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडलोन वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यदि स्टैंडलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरीके से प्रतिनिधान करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के अयथार्थ विवरण का परिमाण है प्रमुखता, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलकर, इसे संभावित बनाता है, जो वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय पर प्रभावित हो सकते हैं। हम अपने मात्रात्मक प्रमुखता और गुणवत्ता घटक (i) हमारे लेखापरीक्षा काम के कार्यक्षेत्र का नियोजन और हमारे काम के परिणाम के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचान किये गये

Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to the financial statement in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements

किसी गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन, पर विचार करते हैं।

हम लेखापरीक्षा के दौरान, पहचान की गयी आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय निर्धारण और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम के संबंध में उच्च प्रबंधन को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारी लोगों को भी विवरण सहित सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर आने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में उनको सूचित किया गया है और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जिनका चालू अवधि के स्टैंडलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व था और इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में निर्धारित करते हैं जब तक विधि या विनियम इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में संसूचित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य के दुष्परिणाम ऐसी संसूचना के सार्वजनिक हित के लाभ को उचित रूप से महत्व देने की अपेक्षा की जायेगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. आगे अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हम ने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए अपेक्षित सभी सूचना और स्पष्टीकरण अपने उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप माँगा और प्राप्त कर लिया है;
- ख) हमारी राय में, जहाँ तक कि उन लेखाबही की हमारी जाँच से प्रकट होता है कि विधि द्वारा अपेक्षित जैसे खाते के उचित लेखाबही को कंपनी द्वारा बनायी रखी है;
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बही के साथ समझौते में हैं।
- घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन करते हैं;
- ङ) कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित धारा 164 की उप-धारा (2) का प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट “ इस रिपोर्ट के अनुबंध - 1 “ में देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- छ) कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है।
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जा रहे अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है:
 - i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है।
 - ii. कंपनी ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालीन ठेके पर अपेक्षित जैसे लागू कानून या लेखांकन मानकों के अधीन प्रत्यक्ष

may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. Further, as required by section 143(3) of the Act, we further report that:
 - a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including the Statement of Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d) In our opinion, the aforesaid Standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
 - e) As per notification no.GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, provisions of sub-section (2) of section 164 regarding disqualification of directors are not applicable to the Company;
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure 1 to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
 - g) As per notification no.GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, Sec 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company.
 - h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone financial statements.
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for

संभावित नुकसान यदि कोई हो के लिए प्रावधान किया है।

- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि की ओर अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
 - iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) सहित, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा, की मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देना या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं;
 - (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या यूनिट से कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी जो कि फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी हैं;
 - (ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास है कि ऊपर (क) और (ख) के अधीन प्रदान किए जैसे नियम 11 (ई) के उप खंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
 - v. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
 - (ख) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 2 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव देते हैं।
 3. अधिनियम की धारा 143 (5) की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 3 में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 003978एस)

आर श्रीधर

साझेदार

सदस्यता सं. 026343

युडीआईएन: 22026343एओएचजीइज़ड डब्लियु 7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख: 02 अगस्त, 2022

material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.

- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. (a) The final dividend proposed in the previous year, declared and paid by the Company during the year is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.

(b) The Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
2. As required by section 143(5) of the Act, we give in Annexure 2, the report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statement of the company.
 3. As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2020 (“the Order”) issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in Annexure 3 a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

For Sridhar & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 003978S)

R. Sridhar
Partner
(Membership No. 026343)
UDIN:22026343AOHGZW7627

Place: Thiruvananthapuram
Date : 02 August 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

हमारी रिपोर्ट के खंड अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 1 (एफ) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

राय

हमने, 31 मार्च 2022 तक उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलकर, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में, कंपनी, को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देश नोट में दिये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंध की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंध, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये (“मार्गदर्शन नोट”) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित जैसे, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का निवारण एवं खोज, लेखा अभिलेखों का सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित जैसे मार्गनिर्देश नोट और लेखांकन पर मानक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, और दोनों को भारत के सनदी लेखाकार की संस्था द्वारा जारी किए गए हैं के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गनिर्देश नोट यह अपेक्षित करता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और यदि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित किये गये और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभावी रूप से चालू किया गया है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने की ओर लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करना।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनके प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना है कि प्रत्यक्ष कमजोरी विद्यमान है, और डिज़ाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता का प्रचालन शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय के आधार पर प्रक्रियाओं का चयन किया गया, जिस में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने को पर्याप्त और उचित है।

उन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और

ANNEXURE 1 TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 (F) UNDER 'REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS' SECTION OF OUR REPORT OF EVEN DATE)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (the "Act")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HLL Lifecare Limited ("the Company") as of 31st March, 2022 in conjunction with our audit of the Standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting With Reference to these Standalone financial statements

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone financial statements

साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने की ओर, अभिकल्पित प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियायें शामिल हैं: (1.) अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में सही एवं काफी उचित विवरण प्रतिबिंबित होते हैं। (2.) उचित आश्वासन प्रदान करना है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने की आवश्यकता के रूप में लेन-देन रिकॉर्ड किये गये हैं, और केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के प्राप्ति एवं खर्च किये जा रहे हैं। (3.) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रकृति के रोकथाम या समय पर खोज, से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें

कूटसंधि या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष गलत विवरण उत्पन्न हो सकता है और पता नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जायेगा या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 003978एस)

आर श्रीधर

साझेदार

(सदस्यता सं. 026343)

युडीआईएन: 22026343एओएचजीइज़ड डब्लियु 7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख: 02 अगस्त, 2022

for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate

For Sridhar & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 003978S)

R. Sridhar
Partner
(Membership No. 026343)
UDIN:22026343AOHGZW7627

Place: Thiruvananthapuram
Date : 02 August 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध -2

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट “ के अधीन पैरा 2 में संदर्भित।)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

क्रम. सं.	निर्देश	की गई कार्रवाई	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि है तो, वित्तीय संभावनाएँ सहित लेखों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधन का निहितार्थ यदि कोई है तो स्पष्ट करें।	<p>कंपनी के पास विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए एक ईआरपी (एसएपी) प्रणाली और अन्य सोफ्टवेयर हैं। अन्य सोफ्टवेयर के डेटा को इंटरफेस या बैच अपलोड के माध्यम से एसएपी में भी एकीकृत किये गये हैं, जिन्हें मेन्युअल रूप से संकलित किया जाता है और उपयुक्त जाँच और नियंत्रण के साथ एसएपी में अपलोड किया जाता है। सभी लेखांकन लेनदेन आई टी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।</p> <p>हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के किसी भी प्रसंस्करण पर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि, हमने आईटी सिस्टम से जुड़े कुछ ऑडिट जोखिमों की पहचान की है, जिनका वर्णन हमारी रिपोर्ट के मुख्य लेखापरीक्षा मामला खंडों में किया गया है साथ ही इसे संबोधित करने की हमारी प्रक्रिया भी है।</p> <p>तदनुसार हमें लेखों की विश्वसनीयता पर उन जोखिमों के कोई भी प्रभाव का पता नहीं चला है।</p>	शून्य
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बनाए किसी विद्यमान ऋण का पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट /बट्टे खाते में डालने के कोई मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट /बट्टे खाते में डालने के कोई मामला नहीं था।	शून्य
3	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग की गयी हैं? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार दो मामलों को छोड़कर उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था।	

**ANNEXURE 2 TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(REFERRED TO IN PARAGRAPH 2 UNDER 'REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY
REQUIREMENTS' SECTION OF OUR REPORT OF EVEN DATE)**

**Auditors Report for the year ended 31 March 2022 as per the Directions issued
by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(5) of the
Companies Act 2013**

Sl. No	Directions	Action Taken	Impact on standalone financial statements
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	<p>The company has an ERP (SAP) system and other software for different verticals. The data from other software are also integrated to SAP through interfaces or batch uploads, which are manually compiled and uploaded into SAP, with appropriate checks and controls. All the accounting transactions are processed through IT system.</p> <p>In our opinion and according to the information and explanation provided to us, we haven't noticed any processing of accounting transactions outside the IT system. However, we have identified certain audit risks associated with the IT system, which are described in the Key Audit Matters section of our report, along with our process to address the same.</p> <p>Accordingly, we have not come across any implications of those risks on the integrity of the accounts.</p>	Nil
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	According to the information and explanations given to us, there were no cases of restructuring of any existing loans or cases of waiver/write off of debts/loans/interests etc, made by a lender to the company's inability to repay the loan, during the year.	Nil
3	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central / State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	According to the information and explanations given to us, funds received by the Company for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions except for the following two cases :	

	<p>1. वर्ष 2016-17 के लिए निर्यात अवसरचना और संबद्ध कार्यकलाप (एसआईडीई) योजना के विकास के लिए राज्यों को समर्थन देने की ओर एचएलएल परिसर, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए लैब टेस्टिंग संस्थापित करने की ओर नवंबर 2016 के दौरान कंपनी को एमओसी & आई से रु.14 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। मंजूरी पत्र की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है कि कंपनी को परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है और 31.03.2018 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना है और यह कि अनुदेयी द्वारा नियम एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में पूर्ण या आंशिक रूप से अनुदान 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी है।</p> <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक नियमित आधार पर निर्धारित एमओसी & आई को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं की है क्योंकि परियोजना अब पूरी हो गई है और सभी पहलुओं में चालू हो गई है और वर्तमान में ईएमआई - ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला एनएबीएल मान्यता प्रक्रिया के अधीन है, जो अगस्त 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।</p>	<p>रुपए 0.057 करोड़ की आकस्मिक देयता 31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2022 तक रु. 1.43 करोड़ का अप्रयुक्त रकम पर ब्याज के रूप में माना जाता है।</p> <p>इसके अलावा किसी अन्य वित्तीय निहितार्थ की परिकल्पना नहीं की गई है।</p>
	<p>2. कंपनी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एम ओ एच) से मार्च 2018 में सहेली नॉन - स्टेरायडल ओसीपी के प्रचार के लिए 5.00 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई थी। अनुदान अप्रयुक्त रहा और एमओएचएफडब्लियु ने 2 जून 2022 के पत्र के माध्यम से उस पर अर्जित ब्याज के साथ अप्रयुक्त अनुदान को वापस करने की मांग की।</p>	<p>31.03.2022 को ब्याज के लिए 1.14 करोड़ रुपए का प्रावधान बनाया गया है।</p>

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 003978एस)

आर श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 026343
युडीआईएन: 22026343एओएचजीइज़ड डब्लियु 7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख: 02 अगस्त, 2022

		<p>1. A Grant of Rs.14 Crores was received by the company from MoC & I during November, 2016 for setting up testing lab for medical equipments at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities(ASIDE) for the year 2016-17. The terms of the sanction letter inter alia contain that the company has to complete the project in a time bound manner and submit the utilisation certificate by 31.03.2018 and that the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest at 10% per annum</p> <p>According to the information and explanations given to us, the company has submitted utilization certificates to MoC & I as stipulated on regular basis up to 31st March 2022 and does not envisage repayment of the grant as the project is now completed and commissioned in all aspects and currently the EMI-EMC testing lab is under NABL accreditation process, which is expected to be completed by the end of August 2022.</p>	<p>A Contingent liability of Rs. 0.57 Crores is considered towards interest on the unutilized amount of Rs. 1.43 Crores as on 31.03.2022 from the date of scheduled completion of 31.03.2018.</p> <p>Apart from this no other financial implication is envisaged.</p>
		<p>2. The company had received an amount of Rs.5.00 Crores for promotion of Saheli Non-Steroidal OCP in March 2018 from Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW). The grant remained unutilized and MOHFW has vide letter dated 2nd June 2022 sought surrender of the un-utilized grant along with interest accrued thereon.</p>	<p>Provision towards interest of Rs.1.14 Crores has been made as on 31.03.2022.</p>

For Sridhar & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 003978S)

R. Sridhar
Partner
(Membership No. 026343)
UDIN:22026343AOHGZW7627

Place: Thiruvananthapuram
Date : 02 August 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध '3' (सम तिथि की हमारी रिपोर्ट की धारा 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अधीन पैरा 3 में संदर्भित)

- I) कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में :
- (क) (क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के लिए हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने संपत्ति संयंत्र और उपकरण की परिमाणात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष प्रबंधन द्वारा किया जाता है और वर्ष के दौरान ऐसे सत्यापन पर कोई गंभीर विसंगतियाँ नहीं पायी गयी है।
- (ग) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के रिकॉर्ड की जाँच हमसे किया गया और एक वित्तीय ऋण दाता से उनके पास जमा किए गए शीर्षक विलेखों के संबंध में प्राप्त पुष्टि, वित्तीय विवरणों पर प्रकट की गई सभी अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन परिसंपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।
- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii. कंपनी की वस्तुसूची के संबंध में :
- (क) हमें सूचित किया जाता है कि वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष प्रबंधन द्वारा किया गया है। हमें दिए गए सूचना और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्डों के अनुसार ऐसे सत्यापन पर प्रत्येक वर्ष के लिए कुल मिलाकर 10% या उसके अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं।
- (ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को विद्यमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा बैंकों से मंजूर की गई है। हमारी राय में हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा बैंकों के साथ दायर की गई तिमाही रिटर्न या विवरण आम तौर पर कंपनी के लेखा बही के अनुरूप हैं और कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं देखी गई हैं।
- iii. कंपनियों, फर्मों सीमित देयता साझेदार या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में किए गए निवेश, प्रदान की गई प्रतिभूति या गारंटी प्रदान करने के संबंध में ऋण या अग्रिम।
- (क) (क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।
- (ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई प्रतिभूति, ऋण की प्रकृति में दिए गए ऋण और अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत का विवरण और तुलन पत्र की तारीख पर बकाया शेष इस प्रकार है:

**ANNEXURE 3 TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(REFERRED TO IN PARAGRAPH 3 UNDER 'REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY
REQUIREMENTS' SECTION OF OUR REPORT OF EVEN DATE)**

- i. In respect of the Company's Property Plant and Equipment and Intangible Assets:
- a) (A) According to the information and explanation given to us and the records produced to us for our verification, the Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property Plant and Equipment and relevant details of right-of-use assets.
- (B) According to the information and explanation given to us, the Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
- b) We are informed that the Property, Plant and Equipment of the company are physically verified by the management annually and no material discrepancies were noticed on such verification during the year.
- c) According to the information and explanation given to us, the records of the Company examined by us and the confirmation received from a financial lender in respect of title deeds deposited with them, the title deeds of all the immovable properties (other than the properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the company) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company.
- d) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment (including Right of Use Assets) or Intangible assets during the year.
- e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2022 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
- ii. In respect of the Company's Inventories:
- a) We are informed that the physical verification of inventory has been conducted by the management annually. According to the information furnished to us and records examined by us no discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class were noticed on such verification. In our opinion, the procedures of physical verification of inventory followed by management are reasonable and adequate in relation to size of the company and the nature of its business
- b) According to the information and explanations given to us, the company has been sanctioned working capital limit in excess of Five crore rupees, in aggregate, during the year, from banks on the basis of security of current assets. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the quarterly returns or statements filed by the company with such banks are generally in agreement with the books of account of the Company and no material discrepancies have been observed.
- iii) In respect of Investments made, security or guarantees provided, grant of loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties :
- a) (A) According to the information and explanation given to us, the company has not provided any loans or advances in the nature of loans, or stood guarantee, or provided security to its subsidiaries, joint ventures or associates.
- (B) According to the information and explanation given to us, the details of investments made, guarantees provided, security given, loans and advances granted in the nature of loans, secured or unsecured, to parties other than subsidiaries, joint ventures or associates, during the year, and the balance outstanding at the balance sheet date are as follows :

(रुपए करोडों में)

वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल रकम	निवेश	ऋण	गारंटी
एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) (पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी)	शून्य	0.49*	शून्य
उपरोक्त मामलों में तुलनपत्र की तारीख के अनुसार बकाया शेष			
एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) (पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी)	शून्य	शून्य	शून्य

उपरोक्त के अलावा कंपनी ने कर्मचारियों को ऋण भी प्रदान किया है जिसको नियमित आधार पर पेरोल के माध्यम से वसूल किए जाते हैं और कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम दिया जाता है जो निर्धारित जैसे चुकाया जा रहा है।

* टिप्पणी 2.17 में दिये जैसे, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड से बकाया राशि वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

- ख) हमारी राय में और हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किए गये निवेश, प्रदान किए ऋण, दी गई प्रतिभूति और ऋण की प्रकृति में सभी ऋण और अग्रिमों के अनुदान का नियम एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है।
- ग) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की निर्धारित अनुसूची के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है और अस्थायी ऋण जो बकाया था और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड से देय ऊपर iii (क) में उल्लिखित जैसे वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला दिया जाता है।
- घ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार कोई अतिदेय राशि नहीं है।
- ङ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार दिए गये ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, नवीकृत या बढ़ाया गया है या समान पार्टियों को दिए गए विद्यमान ऋणों के अतिदेय निपटान के लिए नए ऋण दिए गए हैं।
- च) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के अनुसार, कंपनी ने उपरोक्त iii (क) में बताई गई सीमा को छोड़कर, मांग पर या किसी भी शर्तों या चुकोती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (76) में निर्धारित प्रमोटर्स या संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई राशि नहीं दी गई।
- iv) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋणों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है। हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने न तो कोई गारंटी दी है और न ही कोई प्रतिभूति प्रदान की है।
- v. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान आम जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया है।
- vi) हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने इसकी निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।
- vii. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और सांविधिक देय राशि के संबंध में कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी परीक्षा के अनुसार (क) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ इसके लिए लागू सामान और सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि, आय-कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और अन्य सांविधिक देय सहित निर्विवाद सांविधिक देय जमा करने में सामान्य रूप से

(Rs. In Crs)

Aggregate amount granted/provided during the year	Investments	Loans	Guarantees
HLL Medipark Ltd (HML) (erstwhile 100% subsidiary)	NIL	0.49*	NIL
Balance outstanding as on balance sheet date in the above cases			
HLL Medi Park Ltd (HML) (erstwhile 100% subsidiary)	NIL	NIL	NIL

In addition to the above, the company has also provided loans to employees which are recovered through payroll on a regular basis and interest free advance to employees which are being repaid as stipulated.

* As given in Note 2.17, the amount outstanding from HLL Medipark Ltd has been written off during the year.

- b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, investments made, loan provided, security given and the terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans are, prima facie, not prejudicial to the Company's interest.
- c) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us there is no loans or advances in the nature of loan with stipulated schedule of repayment of principal and payment of interest and the temporary loan that was outstanding and due from HLL Medipark Ltd has been written off during the year, as stated in iii (a) above.
- d) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there are no overdue amounts.
- e) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, no loans or advances in the nature of loan granted which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdue of existing loans given to the same parties.
- f) As per the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the Company has not granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment, except to the extent reported in iii (a) above. No amounts were granted as loan to Promoters or related parties as defined in clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- iv) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the Company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Companies Act in respect of the loans granted during the year and the company has not made any investments during the year. According to the information and explanation given to us, the company has not given any guarantee given or provided any security.
- v) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, no deposits have been accepted by the Company from public during the year.
- vi) We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under Section 148 (1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion, that prima facie the prescribed cost records have been maintained. We have, however, not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.
- vii) According to the information and explanations furnished to us and according to our examination of the records of the Company in respect of the Statutory dues :
- a) The company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, employees' state insurance, provident fund, income tax, duty of customs, duty of excise, cess and other material statutory dues applicable to it. According to the information and

नियमित रही है। हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सामान और सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि, आय-कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और अन्य सांविधित देय 31 मार्च 2022 तक देय होने की तारीख से छे महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया रहे थे के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, धन कर, उत्पाद शुल्क, और उप कर की देय राशि का विवरण जो किसी भी विवाद के कारण ज़मा नहीं किये गये है, नीचे दिये जाते हैं:

सांविधि का नाम	देय की प्रकृति	फोरम जहाँ मामला लंबित है।	रकम के संबंधित अवधि	सम्मिलित रकम(₹. करोड़ों में)
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	केरल वैट	2009-10	0.07
तेलंगाना वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	तेलंगाना सीएसटी	2013-14	0.50
तेलंगाना वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	तेलंगाना सीएसटी	2017-18	0.04
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	दिल्ली वैट	2016-17	0.06
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	दिल्ली वैट	2013-14 से 2016-17	0.19
वाणिज्यिक कर विभाग	सीईएसटीएटी (बेंगलोर)	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी)	2012-15	18.46
वाणिज्यिक कर विभाग	सीईएसटीएटी (बेंगलोर)	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी)	2012-17	8.59
आय कर अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	सीमा शुल्क के अपर आयुक्त	2015-16	1.12
वाणिज्यिक कर विभाग	बिक्री कर	सीएसटी प्राधिकरण	2013-14	1.66
वाणिज्यिक कर विभाग	बिक्री कर	सीएसटी प्राधिकरण	2014-15	3.27
वाणिज्यिक कर विभाग	बिक्री कर	सीएसटी प्राधिकरण	2017-18	0.17
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	केरल वैट प्राधिकरण	2014-15	1.34
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	केरल वैट प्राधिकरण	2016-17	0.49
वाणिज्यिक कर विभाग	सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी)	2010-2012	0.11
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2011-12	0.25
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2012-13	0.32
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2013-14	2.31
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2014-15	0.54
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2016-17	1.55
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील) सी आई टी (अपील)	2017-18	0.33
कुल				41.37

viii. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, ऐसा कोई लेन देन नहीं था

explanations given to us there are no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service Tax, employees' state insurance, provident fund, income tax, duty of customs, duty of excise, cess and other material statutory dues applicable to the company in arrears as at 31st March 2022 for a period of more than six months from the date they become payable.

- b) Details of dues of sale tax, income tax, customs duty, goods and service tax, wealth tax, excise duty and cess, which have not been deposited on account of any dispute are as shown below :

Nature of Statute	Nature of Dues	Forum where Dispute pending	Period to which the amount relates	Amount involved (Rs. in crs)
Commercial Taxes Department	VAT	Kerala VAT	2009-10	0.07
Telangana Commercial Taxes Department	VAT	Telangana CST	2013-14	0.50
Telangana Commercial Taxes Department	VAT	Telangana CST	2017-18	0.04
Commercial Taxes Department	VAT	Delhi VAT	2016-17	0.06
Commercial Taxes Department	VAT	Delhi VAT	2013-14 TO 2016-17	0.19
Commercial Taxes Department	CESTAT (Bangalore)	The Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)	2012-15	18.46
Commercial Taxes Department	CESTAT (Bangalore)	The Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)	2012-17	8.59
The Customs Act, 1962	Customs	Additional Commissioner of Customs	2015-16	1.12
Commercial Taxes Department	Sales Tax	CST authorities	2013-14	1.66
Commercial Taxes Department	Sales Tax	CST authorities	2014-15	3.27
Commercial Taxes Department	Sales Tax	CST authorities	2017-18	0.17
Commercial Taxes Department	VAT	Kerala VAT Authorities	2014-15	1.34
Commercial Taxes Department	VAT	Kerala VAT Authorities	2016-17	0.49
Commercial Taxes Department	CESTAT	The Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)	2010-2012	0.11
The Income Tax Act, 1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2011-12	0.25
The Income Tax Act, 1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2012-13	0.32
The Income Tax Act, 1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2013-14	2.31
The Income Tax Act, 1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2014-15	0.54
The Income Tax Act, 1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2016-17	1.55
The Income Tax Act, 1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2017-18	0.33
Total				41.37

- viii) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there were no transactions that are not recorded in the books of account to be surrendered or disclosed as

जो आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किये जाने वाले खाता बही में रिकॉर्ड नहीं किया गया है।

- ix. कंपनी के ऋण और उधार के संबंध में
- क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने बैंकों पर ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है और किसी अन्य उधारदाताओं से कोई ऋण या उधार नहीं है।
- ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- ग) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।
- घ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और कंपनी के स्टैंडअलोन विवरणों की समग्र परीक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रथम दृष्टया कंपनी द्वारा अल्पकालिक अधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि के उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- ङ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षा पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी यूनितों या व्यक्तियों से कोई धन नहीं लिया है।
- च) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।
- x. क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण और रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।
- ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।
- xi. क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृश्य की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के अधीन केंद्र सरकार के साथ कंपनी नियम (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) 2014 की नियम 13 के अधीन निर्धारित जैसे फॉर्म एडीटी - 4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है।
- ग) प्रबंधन द्वारा हमें प्रतिनिधित्व जैसे, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हि सिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती है।
- xiii. हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहाँ लागू है और ऐसे लेनदेन के विवरण लागू लखा मानकों द्वारा आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- xiv. क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हालांकि, हमारी राय में, रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।
- ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षाधीन अवधि के लिए हमारे द्वारा विचार किया गया है।

income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

- ix) In respect of loans and borrowings of the company
- a) According to the information and explanations given to us and as per the records of the Company verified by us, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to the banks and there are no loans or borrowings from any other lenders.
 - b) According to the information and explanations given to us, the Company has not been declared as a wilful defaulter by any bank or financial institution or other lenders.
 - c) According to the information and explanations given to us, the Company has not availed any term loans during the year.
 - d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us and on an overall examination of the Standalone Financial Statements of the Company, we report that, prima facie, no funds raised on short term basis have been used by the Company for long-term purposes.
 - e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures.
 - f) According to the information and explanations given to us, the company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures, or associate companies.
- x) a) According to the information and explanations given to us and our verification of records, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments).
- b) According to the information and explanations given to us and based on the examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partially or optionally convertible debentures during the year.
- xi) a) Based upon the audit procedures performed for the purpose of reporting true and fair view of the financial statements and according to the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year.
- b) During the year, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.
- c) As represented to us by the Management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year.
- xii) The Company is not a Nidhi company. Accordingly, the reporting requirements under clause (xii) of paragraph 3 of the Order are not applicable.
- xiii) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, all transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Act where applicable and the details of such transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.
- xiv) a) The Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business. However, in our opinion, the reporting and review system need to be strengthened.
- b) The internal audit reports of the Company issued till the date of the audit report, for the period under audit have been considered by us.

- xv) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- xvi) क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I ए के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर- बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में निर्धारित जैसे एक मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
घ) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ग्रूप के हिस्से के रूप में कोई (सीआईसी) नहीं है।
- xvii) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा समाविष्ट वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।
- xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- xix) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए वित्तीय अनुपातों के आधार पर, परिपक्वता वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की समय बढ़ाने और अपेक्षित तिथियां, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी प्रत्यक्ष अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंतर देय हो जाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंतर देय होनेवाली सभी देयताएं कम हो जाती है, देय होने पर कंपनी द्वारा उन्हें डिस्चार्ज दी जाएगी।
- xx) क) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, लाभकारी परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी भी निधि में रु. 0.14 करोड़ की अव्ययित राशि को हस्तांतरित नहीं किया है; हालांकि प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के विनिर्दिष्ट समय के अंतर स्थानांतरित किया जाएगा।
ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अधीन विनिर्दिष्ट लाभकारी परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 003978एस)

आर श्रीधर

साझेदार

सदस्यता सं. 026343

युडीआईएन: 22026343एओएचजीइज़ड डब्लियु 7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख: 02 अगस्त, 2022

- xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with them.
- xvi) a) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- b) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934
- c) The company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India.
- d) According to the information and explanations given to us, there are no CIC as part of the Group.
- xvii) The Company has not incurred cash losses during the year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
- xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year.
- xix) On the basis of the financial ratios disclosed in the standalone financial statements, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- xx) a) According to the information and explanations given to us, and based on our examination, in respect of other than ongoing projects, the company has not transferred the unspent amount of Rs.0.14 Crores to any of the funds specified in Schedule VII to the Companies Act; however the management has represented that the same shall be transferred within the specified time of six months from the end of the financial year in compliance with the second proviso to sub section 5 of Section 135 of the said act.
- b) According to the information and explanations given to us, and based on our examination, there is no unspent amount in respect of ongoing projects specified under section 135 of the companies Act.

For Sridhar & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 003978S)

R. Sridhar
Partner
(Membership No. 026343)
UDIN: 22026343AOHGZW7627

Place: Thiruvananthapuram
Date : 02 August 2022

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002

सं.ए एम जी-IV/पीएसयू-एचएलएल/131/2022-23/598

दिनांक 13.10.2022

सेवा में

अध्यक्ष
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पूजप्पुरा पी.ओ,
तिरुवनंतपुरम -695012
केरल

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

कृपया इसके साथ संलग्न 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ देखें।

कृपया इस पत्र को पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
(संजय कुमार झा)
लेखापरीक्षा महा निदेशक
(केंद्रीय व्यय)
नई दिल्ली

दूरभाष : 91-1123702422

फैक्स : 91-1123702271

ई-मेल : dgace@cag.gov.in

वेबसाइट : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

No. AMG-IV/PSU/HLL/131/2022-23 / 598

Dated : 13.10.2022

To

The Chairman
HLL Lifecare Limited,
Poojappura P.O.
Thiruvananthapuram -695012
Kerala

Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of Companies Act 2013 on the Standalone Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2022 .

Sir,

Please find enclosed herewith comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the standalone financial statements of HLL LIFE CARE LIMITED for the year ended 31 March 2022

The receipt of this letter may please be acknowledged..

Yours faithfully

(Sanjay Kumar Jha)
Director General of Audit
(Central Expenditure)
New Delhi

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह कहा गया है कि यह उनके दिनांक 02 अगस्त 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किए गए हैं।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की पूछताछ और कंपनी के कार्मिक तथा चयनात्मक परीक्षा के कुछ लेखांकन रिकोर्डों पर मुख्यतः सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों, जो मेरे ध्यान में आये हैं, को हाइलाइट करना चाहता हूँ और जो वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए मेरे विचार आवश्यक हैं।

प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क. सामान्य

कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 284वीं बैठक में भारत सरकार को रु.122.40 करोड़ का लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव दिया। हालाँकि, वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था, जैसाकि भारतीय लेखांकन मानक-10 के पैरा 13 द्वारा आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि 'यदि लाभांश रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित किए जाते हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित होने से पहले, लाभांश को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस समय कोई दायित्व मौजूद नहीं है। इस तरह के लाभांश इंड ए एस 1 वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के अनुसार टिप्पणियों में प्रकट किए जाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(संजयकुमार झा)
महा निदेशक लेखापरीक्षा
स्वास्थ्य केंद्रीय व्यय
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13.10.2022

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF HLL LIFECARE LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of Standalone financial statements of HLL LIFECARE LIMITED for the year ended 31st March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 02 August 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the Standalone financial statements of HLL LIFECARE LIMITED for the year ended 31st March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

Comments on Disclosure

A. General

The Board of Directors of the Company in its 284th meeting held on 26th July 2022 proposed to declare dividend of 122.40 crore to Government of India. However, no disclosure was made in the Financial Statements as required by Para 13 of Indian Accounting Standard-10 which state that 'if dividends are declared after the reporting period but before the financial statements are approved for issue, the dividends are not recognised as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. Such dividends are disclosed in the notes in accordance with Ind AS i Presentation of Financial Statements.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

(Sanjay Kumar Jha)
Director General of Audit
(Central Expenditure)
New Delhi

Place : New Delhi
Date : 13.10. 2022

31 मार्च, 2022 का स्टैंडअलोन तुलन पत्र

विवरण		टिप्पणी सं	31.03.2022	31.03.2021	01.04.2020
			तक	तक	तक
			₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
क	परिसंपत्तियाँ				
	गैर चालू परिसंपत्तियाँ				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	214.90	238.98	269.47
	पूँजी कार्य में प्रगति	3	12.55	10.34	4.10
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	2.15	2.76	3.58
	परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु)	3	27.53	35.59	33.71
	निवेश संपत्ति	3	10.03	11.32	12.10
			267.16	298.99	322.96
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	i) निवेश	4	16.67	16.67	16.67
	ii) अन्य	5	1.54	1.41	1.30
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	6	70.82	20.02	10.06
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	7	-	-	-
	गैर-चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	8	19.36	6.24	13.31
			375.55	343.33	364.30
	चालू परिसंपत्तियाँ				
	वस्तुसूचियाँ	9	199.80	337.69	195.08
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	i) व्यापार प्राप्य वस्तुएं	10	2,514.64	1,826.28	837.00
	ii) रोकड़ व रोकड़ समतुल्य	11	1,053.11	869.05	28.37
		क & ख			
	iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	11 ग	284.31	5.34	10.27
	iv) ऋण	12	4.25	26.83	23.89
	v) अन्य	13	21.20	12.99	10.75
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	930.84	250.97	189.10
			5,008.15	3,329.15	1,294.46
	बिक्री के लिए रखी वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	2.35	-	0.39	0.29
	कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पड़ी परियोजनाओं के रोकड़ व बैंक शेष	2.9	1,305.75	713.00	856.16
	कुल परिसंपत्तियाँ		6,689.45	4,385.87	2,515.21
ख	इक्विटी व देयताएं				
	इक्विटी				
	i) इक्विटी शेयर पूँजी	15	15.54	15.54	15.54
	ii) अन्य इक्विटी	16	753.38	370.64	282.59
			768.92	386.18	298.13

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

Particulars		Note No.	As at	As at	As at
			31.03.2022	31.03.2021	01.04.2020
			(₹ crs)	(₹ crs)	(₹ crs)
A	ASSETS				
	Non-current assets				
	Property, Plant & Equipment	3	214.90	238.98	269.47
	Capital work-in-progress	3	12.55	10.34	4.10
	Intangible Assets	3	2.15	2.76	3.58
	Right of Use Assets(ROU)	3	27.53	35.59	33.71
	Investment Property	3	10.03	11.32	12.10
			267.16	298.99	322.96
	Financial Assets				
	i) Investments	4	16.67	16.67	16.67
	ii) Others	5	1.54	1.41	1.30
	Deferred Tax Assets (Net)	6	70.82	20.02	10.06
	Other Non Current Assets	7	-	-	-
	Non-Current Tax Asset (Net)	8	19.36	6.24	13.31
			375.55	343.33	364.30
	Current assets				
	Inventories	9	199.80	337.69	195.08
	Financial Assets				
	i) Trade Receivables	10	2,514.64	1,826.28	837.00
	ii) Cash and cash equivalents	11 a & b	1,053.11	869.05	28.37
	iii) Bank balances other than (ii) above	11.c	284.31	5.34	10.27
	iv) Loans	12	4.25	26.83	23.89
	v) Others	13	21.20	12.99	10.75
	Other current assets	14	930.84	250.97	189.10
			5,008.15	3,329.15	1,294.46
	Assets classified as held for sale	2.35	-	0.39	0.29
	Cash and Bank Balances of Projects Held under Trust as per contra	2.9	1,305.75	713.00	856.16
	TOTAL ASSETS		6,689.45	4,385.87	2,515.21
B	EQUITY AND LIABILITIES				
	Equity				
	i) Equity Share Capital	15	15.54	15.54	15.54
	ii) Other Equity	16	753.38	370.64	282.59
			768.92	386.18	298.13

विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2022	31.03.2021	01.04.2020
		तक ₹ करोड़ों में	तक ₹ करोड़ों में	तक ₹ करोड़ों में
देयताएं				
गैर चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
i) उधार	17	-	22.84	44.00
ii) पट्टा देयता (आर ओ यु)	2.30	20.11	30.11	29.27
प्रावधान	18	28.68	7.57	6.55
अन्य गैर चालू देयताएं	19	14.08	-	-
		62.87	60.52	79.82
चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
i) उधार	20	157.80	302.77	339.95
i)क) पट्टा देयता (आर ओ यु)	2.30	8.07	5.50	5.34
ii) देय व्यापार	21			
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए बकाया	21.क	30.41	11.23	20.05
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा बकाया	21.ख	848.75	1,660.59	507.03
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	413.46	218.90	192.40
प्रावधान	23	104.98	106.91	94.88
अन्य चालू देयताएं	24	2,988.44	920.27	121.45
		4,551.91	3,226.17	1,281.10
कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन रखी परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम	2.9	1,305.75	713.00	856.16
कुल इक्विटी व देयताएं		6,689.45	4,385.87	2,515.21
कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1			
वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2			

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
 फर्म नं.003978 एस

के.बेजी जोर्ज, आईआरटीएस
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 [डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [डिन:08225251]

संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी & सीएफओ
 [एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सीएएस)
 [ए सी एस : 14328]

आर. श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं. 026343
 युडीआईएन :22026343एओएचजीइज़डडब्लियु7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम
 तारीख : 02.08.2022

Particulars	Note No.	As at	As at	As at
		31.03.2022	31.03.2021	01.04.2020
		(₹ crs)	(₹ crs)	(₹ crs)
Liabilities				
Non-current liabilities				
Financial Liabilities				
i) Borrowings	17	-	22.84	44.00
ia) Lease Liability (ROU)	2.30	20.11	30.11	29.27
Provisions	18	28.68	7.57	6.55
Other Non Current Liabilities	19	14.08	-	-
		62.87	60.52	79.82
Current liabilities				
Financial Liabilities				
i) Borrowings	20	157.80	302.77	339.95
ia) Lease Liability (ROU)	2.30	8.07	5.50	5.34
ii) Trade payables	21			
Outstanding to Micro and Small Enterprises	21.a	30.41	11.23	20.05
Outstanding Other than Micro and Small Enterprises	21.b	848.75	1,660.59	507.03
iii) Other Financial Liabilities	22	413.46	218.90	192.40
Provisions	23	104.98	106.91	94.88
Other Current Liabilities	24	2,988.44	920.27	121.45
		4,551.91	3,226.17	1,281.10
Advances Received for Projects Held under Trust as per contra	2.9	1,305.75	713.00	856.16
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		6,689.45	4,385.87	2,515.21
Corporate Information and Significant Accounting Policies	1			
Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements	2			

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For Sridhar & Co
Chartered Accountants
 Firm No. 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO
 [FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)
 [ACS:14328]

R. Sridhar
 Partner
 Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHGZW7627

Place : Thiruvananthapuram
 Date : 02.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2022 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ों में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ों में)
आय			
प्रचालनों से राजस्व	25	35,668.67	5,081.31
अन्य आय	26	29.50	57.53
कुल आय		35,698.17	5,138.84
व्यय			
उपभुक्त मालों की लागत	27	209.54	215.98
व्यापार स्टॉक के क्रय	28	32,796.02	3,819.09
तैयार माल, कार्य प्रगति में और व्यापार स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन।	29	129.36	(128.08)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	30	250.62	188.04
वित्त लागत	31	24.11	23.24
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	3	44.57	47.64
अन्य व्यय	32	1,620.42	766.41
ठेका व्यय	2.36	71.71	54.59
कुल व्यय		35,146.35	4,986.91
कर के पूर्व लाभ/(हानि)		551.82	151.93
कर व्यय			
चालू कर व्यय		192.30	45.45
एम ए टी क्रेडिट पात्रता		-	-
आस्थगित कर	6	(48.71)	(6.24)
		143.59	39.21
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		408.23	112.72
अन्य व्यापक आय			
(i) मदे जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा - निर्धारित लाभ योजनाओं में पुनर्मापन		(8.28)	(13.06)
(ii) ऐसी मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		2.08	3.29
कुल अन्य व्यापक आय		(6.20)	(9.77)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		402.03	102.95
प्रति शेयर अर्जन (₹)			
- मूल (₹ 10/- शेयर का अंकित मूल्य)			
- हल्का	1.25	262.78	72.56
कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2		

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म नं.003978 एस

के.बेजी जोर्ज, आईआरटीएस
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 [दिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [दिन:08225251]

संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी & सीएफओ
 [एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सीएएस)
 [ए सी एस : 14328]

आर. श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं. 026343
 युडीआईएन :22026343एओएचजीइज़डडब्लिनयु7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम
 तारीख : 02.08.2022

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

Particulars	Note No.	Year ended	Year ended
		31.03.2022	31.03.2021
		(₹ crs)	(₹ crs)
Income			
Revenue from operations	25	35,668.67	5,081.31
Other income	26	29.50	57.53
Total Income		35,698.17	5,138.84
Expenses			
Cost of materials consumed	27	209.54	215.98
Purchases of stock-in-trade	28	32,796.02	3,819.09
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	29	129.36	(128.08)
Employee benefits expense	30	250.62	188.04
Finance costs	31	24.11	23.24
Depreciation and amortisation expense	3	44.57	47.64
Other expenses	32	1,620.42	766.41
Contract Expenses	2.36	71.71	54.59
Total Expenses		35,146.35	4,986.91
Profit / (Loss) before tax		551.82	151.93
Tax expense:			
Current tax expense		192.30	45.45
MAT Credit Entitlement		-	-
Deferred tax	6	(48.71)	(6.24)
		143.59	39.21
Profit / (Loss) for the year		408.23	112.72
Other Comprehensive Income			
(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurement of Defined Benefit Plans		(8.28)	(13.06)
(ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss		2.08	3.29
Total Other Comprehensive Income		(6.20)	(9.77)
Total Comprehensive Income for the year		402.03	102.95
Earnings per share (₹) - Basic (Face value of ₹ 10/- Share)	1.25	262.78	72.56
- Diluted		262.78	72.56
Corporate Information and Significant Accounting Policies	1		
Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements	2		

For and on behalf of the Board of Directors

 Vide our report of even date attached
For Sridhar & Co
Chartered Accountants
 Firm No. 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO
 [FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)
 [ACS:14328]

R. Sridhar
 Partner
 Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHGZW7627

 Place : Thiruvananthapuram
 Date : 02.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

₹ करोड़ों में

चालू रिपोर्टिंग अवधि	अप्रैल 1, 2021 के प्रारंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 के अंत में शेष राशि
	15.54			-	15.54

₹ करोड़ों में

पिछले रिपोर्टिंग अवधि	अप्रैल 1, 2020 के प्रारंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 के अंत में शेष राशि
	15.54			-	15.54

ख. अन्य इक्विटी

1. चालू रिपोर्टिंग अवधि							₹ करोड़ों में
विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	कुल
	लंबित शेयर आबंटन	पूँजी आरक्षित	संचय समीकरण लाभांश	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2021 को शेष	-	-	1.30	257.12	127.85	(16.06)	370.21
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ					0.43		0.43
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि			1.30	257.12	128.28	(16.06)	370.64
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					408.23	(6.20)	402.03
लाभांश					(19.29)		(19.29)
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण							-
31 मार्च, 2020 के अंत में शेष राशि			1.30	257.12	517.22	(22.26)	753.38

Statement of Changes in Equity for the Year ended 31st March, 2022

A. Equity Share Capital

₹ crs.

Current reporting Period	Balance at the beginning of April 1, 2021	Changes in equity share capital due to Prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of March 31, 2022
	15.54	-	-	-	15.54

₹ crs.

Previous reporting period	Balance at the beginning of April 1, 2020	Changes in equity share capital due to Prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of March 31, 2021
	15.54	-	-	-	15.54

B. Other Equity

1. Current Reporting Period							₹ crs
Particulars	Shares pending allotment	Reserves and Surplus				Other Comprehensive Income	Total
		Capital Reserve	Dividend Equalisation Reserve	General Reserve	Retained Earnings		
Balance as on April 01, 2021	-	-	1.30	257.12	127.85	(16.06)	370.21
Changes in accounting policy or prior period errors					0.43		0.43
Restated balance at the beginning of the current reporting period			1.30	257.12	128.28	(16.06)	370.64
Total comprehensive income for the year					408.23	(6.20)	402.03
Dividend					(19.29)		(19.29)
Transfer to retained earnings							-
Balance at the end of March 31, 2022			1.30	257.12	517.22	(22.26)	753.38

2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि							₹ करोड़ों में
विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	कुल
	लंबित शेयर आबंटन	पूँजी आरक्षित	संचय समीकरण लाभांश	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2020 को शेष			1.30	257.12	30.42	(6.29)	282.55
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ				-	0.04		0.04
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निधारित शेष राशि			1.30	257.12	30.46	(6.29)	282.59
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					112.72	(9.77)	102.95
लाभांश					(14.90)		(14.90)
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण							-
31 मार्च, 2021 के अंत में शेष	-	-	1.30	257.12	128.28	(16.06)	370.64

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म नं.003978 एस

के.बेजी जोर्ज, आईआरटीएस
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 [डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [डिन:08225251]

संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी & सीएफओ
 [एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सीएएस)
 [ए सी एस : 14328]

आर. श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं. 026343
 युडीआईएन :22026343एओएचजीइजडडब्लिनयु7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम
 तारीख : 02.08.2022

2.Previous Reporting Period							₹ crs
Particulars	Shares pending allotment	Reserves and Surplus				Other Comprehensive Income	Total
		Capital Reserve	Dividend Equalisation Reserve	General Reserve	Retained Earnings		
Balance as on April 01, 2020			1.30	257.12	30.42	(6.29)	282.55
Changes in accounting policy or prior period errors					0.04		0.04
Restated balance at the beginning of the current reporting period			1.30	257.12	30.46	(6.29)	282.59
Total comprehensive income for the year					112.72	(9.77)	102.95
Dividend					(14.90)		(14.90)
Transfer to retained earnings							-
Balance at the end of March 31, 2021	-	-	1.30	257.12	128.28	(16.06)	370.64

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No. 003978S

K.Beji George, IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

R. Sridhar
Partner
Membership No:026343
UDIN: 22026343AOHGZW7627

Place : Thiruvananthapuram
Date : 02.08.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर के पूर्व लाभ	551.82	151.93
समायोजन;		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	44.57	47.64
अवास्तविक विदेशी मुद्रा अभिलाभ और हानियाँ	1.06	0.67
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.06	0.02
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(0.07)	(0.04)
लाभांश आय	(8.00)	(10.00)
वित्त लागत	24.11	23.24
ब्याज आय	(6.03)	(16.95)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	607.52	196.51
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन		
प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
वस्तुसूची	137.89	(142.61)
व्यापार देनदारियाँ	(689.44)	(989.94)
अल्पकालीन ऋण एवं पेशगियाँ	22.59	(5.19)
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(746.97)	(59.06)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(7.81)	
गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयता (पट्टा) में परिवर्तन	0.63	(0.88)
प्रचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
व्यापार देनदारियाँ	(792.66)	1,144.74
अन्य चालू देयतायें	2,262.75	825.32
अल्पकालीन प्रावधान	(1.93)	12.03
प्रचालन से बनाई रोकड़	792.54	980.91
निवल आय कर (प्रदत्त)/वापसी	(146.75)	(54.89)
प्रचालन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह - (क)	645.79	926.02
ख. निवेशी कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
चालू पूँजी कार्य में प्रगति	(2.21)	(6.24)
पी पी ई और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/बिक्री	(18.58)	(15.53)
प्राप्त ब्याज आय	6.03	16.95
प्राप्त लाभांश आय	8.00	10.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
बैंक ज़मा में निवेश (तीन से अधिक महीनों के मूल परिपक्वता होने वाले)	(278.97)	4.93
निवेशी कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ख)	(285.73)	10.11

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
	₹ crs	₹ crs
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	551.82	151.93
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation expenses	44.57	47.64
Unrealised foreign currency gains and losses	1.06	0.67
Loss on sale of Property, plant and equipment	0.06	0.02
Profit on sale of Property, plant and equipment	(0.07)	(0.04)
Dividend income	(8.00)	(10.00)
Finance costs	24.11	23.24
Interest income	(6.03)	(16.95)
Operating profit / (loss) before working capital changes	607.52	196.51
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	137.89	(142.61)
Trade receivables	(689.44)	(989.94)
Short-term loans and advances	22.59	(5.19)
Other current assets	(746.97)	(59.06)
Changes in other non-current assets	(7.81)	-
Changes in Non Current Assets & Liability (Leases)	0.63	(0.88)
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Trade payables	(792.66)	1,144.74
Other current liabilities	2,262.75	825.32
Short-term provisions	(1.93)	12.03
Cash generated from operations	792.54	980.91
Net income tax (paid) / refunds	(146.75)	(54.89)
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)	645.79	926.02
B. Cash flow from investing activities		
Capital Work in Progress	(2.21)	(6.24)
Purchase/Sale of PPE and intangible assets	(18.58)	(15.53)
Interest income received	6.03	16.95
Dividend income received	8.00	10.00
Changes in other Financial Assets	-	-
Investments in bank deposits (having original maturity of more than three months)	(278.97)	4.93
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)	(285.73)	10.11

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
गैर चालू ऋणों की चुकौती	(42.39)	(21.16)
अन्य दीर्घकालीन देयताओं की चुकौती	21.11	1.02
चालू ऋणों की चुकौती	14.08	0.10
प्रदत्त वित्त लागत	(24.11)	(23.24)
प्रदत्त लाभांश	(19.29)	(14.90)
वित्तीय कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ग)	(50.59)	(58.17)
नकद एवं नकद तुल्यांक में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	309.47	877.96
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्यांक	585.83	(292.13)
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक	895.31	585.83
नकद तथा नकद तुल्यांक का मिलान :		
नकद तथा नकद तुल्यांक	898.15	589.97
न्यून : नकद प्रवाह विवरण इंड एस 7 में परिभाषित जैसे नकद तथा नकद तुल्यांक को बैंक शेष के रूप में नहीं माना गया है*	2.83	4.14
टिप्पणी 1.11 में शामिल किए गए निवल नकद तथा नकद तुल्यांक (नकद प्रवाह विवरण इंड एस 7 में निर्धारित जैसे)	895.31	585.83
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक*		
* समाविष्टियाँ		
(क) हस्तगत कैश	2.11	2.01
(ख) बैंकों के साथ शेष		
(i) जमा खाते में	976.25	830.39
(ii) चालू खाते में	14.88	15.87
(iii) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि	-	0.03
(iv) परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि	57.82	20.54
(v) ई ई एफ सी खाते में	2.05	0.22
(vi) कैश क्रेडिट खाते में	(89.48)	(165.36)
(v) ओवरड्राफ्ट खाते में	(68.32)	(117.86)
	895.31	585.83

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
	₹ crs	₹ crs
C. Cash flow from financing activities		
Repayment of non current borrowings	(42.39)	(21.16)
Repayment of other longterm liabilities	21.11	1.02
Repayment of current borrowings	14.08	0.10
Finance cost paid	(24.11)	(23.24)
Dividend paid	(19.29)	(14.90)
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)	(50.59)	(58.17)
Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	309.47	877.96
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	585.83	(292.13)
Cash and cash equivalents at the end of the year	895.31	585.83
Reconciliation of Cash and cash equivalents :		
Cash and cash equivalents	898.15	589.97
Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flow	2.83	4.14
Net Cash and cash equivalents (as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flow) included in Note 1.11	895.31	585.83
Cash and cash equivalents at the end of the year *		
* Comprises:		
(a) Cash on hand	2.11	2.01
(b) Balances with banks		
(i) In Deposit account	976.25	830.39
(ii) In current accounts	14.88	15.87
(iii) Funds earmarked for CSR	-	0.03
(iv) Funds earmarked for Projects	57.82	20.54
(v) In EEFC accounts	2.05	0.22
(vi) In cash credit accounts	(89.48)	(165.36)
(vii) In overdraft accounts	(68.32)	(117.86)
	895.31	585.83

- 1) उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण इंड ए एस-7 में निर्दिष्ट परोक्ष प्रणाली के अधीन तैयार किया गया है।
- 2) इस साल के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करने की ओर पिछले वर्ष के आँकड़ों का, जहाँ आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकरण किया गया है।
- 3) वर्ष के प्रारंभ और अंत में नकद तुल्यांक बैंक ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय नकदी ऋण भी शामिल है।
- 4) न्यास के अधीन रही परियोजना निधि के लेन - देन और शेष ₹1,305.75 करोड (पिछले वर्ष ₹713 करोडा) को नकद प्रवाह में शामिल नहीं किया गया है।
- 5) वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन

₹ करोड़ों में

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को	नकद प्रवाह	गैर-नकदी परिवर्तन		31 मार्च, 2022 तक
			उचित मूल्य समायोजन	अन्य अधिग्रहण के कारण	
गैर-चालू उधार (गैर-चालू उधार की चालू परिपक्वता सहित)	42.39	(42.39)			-
चालू उधार	283.22	(125.42)			157.80
	325.61	167.82)	-	-	157.80

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म नं.003978 एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 [दिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [दिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी & सी एफ ओ
 [एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
 [ए सी एस : 14328]

आर. श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं. 026343
 यु डी आई एन : 22026343
 ए ओ एच जी इज़ड
 डब्लिनयु7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम
 तारीख : 02.08.2022

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method set out in the Ind AS-7.
- 2) The previous year's figures have been re-grouped wherever necessary in order to confirm to this year's presentation.
- 3) Cash Equivalents at the beginning and end of the year includes Bank Overdraft and Cash Credit repayable on demand
- 4) Transactions of project funds held under Trust and balance of ₹ 1,305.75 crs (previous year ₹713 crs)are not included in the Cashflow
- 5) Changes in Liabilities arising from Financing Activities

₹ Crs

Particulars	As at 1st April 2021	Cashflows	Non - Cash Changes		As at 31st March 2022
			Fair Value Adjustment	Others on account of Acquisition	
Non current Borrowings (including current maturity of Non - Current Borrowings)	42.39	(42.39)			-
Current Borrowings	283.22	(125.42)			157.80
	325.61	(167.82)	-	-	157.80

For and on behalf of the Board of Directors

 Vide our report of even date attached
For Sridhar & Co
Chartered Accountants
 Firm No. 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO
 [FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)
 [ACS:14328]

R. Sridhar
 Partner
 Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHGZW7627

 Place : Thiruvananthapuram
 Date : 02.08.2022

टिप्पणी 1- सूचना एवं सार्थक लेखांकन नीतियाँ।

निगमित सूचना

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड वर्ष 1966 में समाविष्ट कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के द्वारा शासित और भारत में अधिवासित भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वामित्व रखे, मिनिरत्ना उद्यम है। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को 21 फरवरी, 2012 से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एचएलएल भवन, पूजपुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित है। मूल कंपनी गर्भनिरोधक उत्पादों की श्रेणी के विनिर्माण एवं विपणन, अस्पताल उत्पादों, महिला स्वास्थ्य फार्मा उत्पादों और स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना, फार्मसी और नैदानिक सेवाओं के रीटेल व्रंखला के लिए परामर्श एवं ठेका सेवाएं प्रदान करने में लगी रहती है। कंपनी देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को प्रबंध करती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2 अगस्त 2022 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे।

नए लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 18 जून 2021 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लेखांकन मानकों में कुछ संशोधन अधिसूचित किया है। कंपनी ने इस वित्तीय विवरण को तैयार करने में इन संशोधनों को अपनाया।

इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए नए मानकों और मौजूदा मानकों के संशोधनों को अधिसूचित करता है। 23 मार्च 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया। ये 1 अप्रैल 2022 से ही लागू हैं।

1 क सार्थक लेखांकन नीतियाँ

1.1 तैयारी का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार, प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अधीन (i) कुछ वित्तीय साधन जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है; (ii) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियाँ जिन्हें उनकी अग्रणीत राशि के निचले स्तर पर और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है; (iii) व्युत्पन्न वित्तीय साधन और (iv) निर्धारित लाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार नीचे लेखांकन नीतियों में बताया जैसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर तैयार किए जाते हैं। इंड ए एस, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के तहत निर्धारित हैं। लेखांकन नीतियों को जहाँ एक नव जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, को छोड़कर लगातार लागू किया गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और जहाँ अन्यथा इंगित किए गए करोड़ों को छोड़कर सभी मूल्यों को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किए जाते हैं।

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर माल व सेवाओं के लिए विनिमय में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होता है या एक व्यवस्थित माप तिथि में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही वह कीमत सीधे देखने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के अनुमान लगाने में कंपनी परिसंपत्ति या दायित्व की विशेषताओं को ध्यान में रखता है यदि बाजार सहभागी माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन

Note 1: Corporate Information and Significant Accounting Policies

Corporate information

HLL Lifecare Limited, incorporated in the year 1966, is a MiniRatna Enterprise, fully owned by Government of India, domiciled in India, and governed by the provisions of the Companies Act, 2013. HLL Lifecare Ltd was converted into a Public Limited Company with effect from 21st February 2012. The Company's registered office is situated at HLL Bhavan, Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala, India. The company is engaged in the manufacturing and marketing of a range of Contraceptive products, Hospital products, Women Health Pharma products, providing Consultancy & Contract services for healthcare infrastructure, Procurement and Diagnostic services. The company caters to both domestic and international markets.

The stand-alone financial statements were approved for issue in accordance with a resolution of the Board of directors on 02nd August 2022.

Recent accounting pronouncements

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has notified certain amendments to Accounting standards as per the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 on 18th June 2021. The company adopted these amendments in the preparation of this financial statement.

Further Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022. These are applicable from 01st April 2022 only

1A Significant accounting policies

1.1 Basis of Preparation

These standalone financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS), under the historical cost convention on the accrual basis except for: (i) certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period; (ii) Non-current assets classified as held for sale which are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell; (iii) derivative financial instrument and (iv) defined benefit plans – plan assets that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below, the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use. The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) and all values are rounded to the nearest Crores except where otherwise indicated.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair

विशेषताओं को ध्यान में रखे है। इन वित्तीय विवरणों में मापन और/या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य का निर्धारण, शेयर आधारित भुगतान लेनदेन जो इंड एस 102 के दायरे में है, लीजिंग लेनदेन जो इंड एस 116 के दायरे में है, और मापन जिसे उचित मूल्य से कुछ समानताएँ हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे कि इंड ए एस 2 में निवल वसूली योग्य मूल्य या इंड एस 36 में उपयोग में मूल्य को छोड़कर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1,2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापन के इनपुट देखे जा सकते हैं और उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व इसकी संपूर्णता में है, जो निम्नानुसार वर्णित है :

- स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) होते हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।
- स्तर 2 इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट हैं; जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए देखने योग्य हैं;
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए न देखे जा सकने वाले इनपुट हैं।

1.2 परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्ति और देयताओं को प्रस्तुत करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद व नकद तुल्यांक में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर, परिसंपत्ति और देयताओं के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा 12 महीना माना गया है।

परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू / गैर चालू में वर्गीकरण

तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, परिसंपत्ति वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि :

- (i) सामान्य परिचालन चक्र में होने यह वसूल करने की उम्मीद है, या बेचे जाने या उपभुक्त होने का इरादा है: या
- (ii) यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से रखा है या
- (iii) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर वसूल करना अपेक्षित है या
- (iv) यह परिसंपत्ति नकद या नकद तुल्यांक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विचलित होने से जब तक प्रतिबंधित नहीं या देयता व्यवस्थित करने के लिए उपयोगित करता है।

सभी अन्य परिसंपत्तियाँ गैर चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

इस प्रकार यह देयता चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

- (i) यह सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा है।
- (ii) यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से होता है।
- (iii) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित किये जाने के लिए देय है, या
- (iv) कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान करने के लिए कोई अप्रतिबंध अधिकार नहीं है।

देयता का शर्त, जो प्रतिकक्षि के विकल्प पर इक्विटी साधनों को जारी करने के द्वारा इसके निपटान पर परिणत होगा,

value for measurement and/ or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of Ind AS 102, leasing transactions that are within the scope of Ind AS 116, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realisable value in Ind AS 2 or value in use in Ind AS 36.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorised into Level 1, 2, or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly: and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

1.2 Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current

All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, 12 months has been considered by the Company for the purpose of current or non-current classification of assets and Liabilities.

Classification of Assets and Liabilities into Current/Non-Current:

For the purpose of Balance Sheet, an asset is classified as current if:

- i. It is expected to be realised, or is intended to be sold or consumed, in the normal operating cycle; or
- ii. It is held primarily for the purpose of trading; or
- iii. It is expected to realise the asset within twelve months after the reporting period; or
- iv. The asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current

Similarly, a liability is classified as current if:

- i. It is expected to be settled in the normal operating cycle; or
- ii. It is held primarily for the purpose of trading; or
- iii. It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or
- iv. The Company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Terms of a liability that could result in its settlement by the issue of equity instruments at the option

इस वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं करता है।

सभी अन्य देयताएं गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

1.3 कोविड -19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कंपनी ने वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि की वसूली सहित इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड-19 से संबंधित महामारी से होनेवाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभाव्य भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कंपनी ने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि पर हमारे वर्तमान अनुबंध की शर्तें, क्रेडिट रिपोर्ट, व्यवसाय से भविष्य की मात्रा का अनुमान और अन्य संबंधित जानकारी आदि सहित आंतरिक और बाहरी जानकारी का उपयोग किया है। मुख्य तथ्यों की समीक्षा करके वर्तमान अनुमानों के आधार पर कंपनी को उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की रखवाय राशि की वसूली की जाएगी और उपार्जित देयताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव, इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के निकट निगरानी करना जारी रखेगा।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यहास और संचित खराब हानि यदि कोई हो, दिये गये हैं। अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत को तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन के इरादे से उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते।

लागत में उधार पर ब्याज (भारित औसत दर पर परिकलित) और इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

नई परियोजनाओं/व्यवसायों की नई लाइन की पहचान के लिए हुए राजस्व व्यय को पूँजीगत कार्यप्रगति के रूप में माना जाता है। इसे व्यवसाय शुरू करने के पहले वर्ष में परियोजना लागत में समाहित किया जाएगा। यदि तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर नई परियोजना/व्यवसाय की नई लाइन अमल में नहीं आती है, तो पूरे खर्च को तीसरे वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाएगा। उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियाँ, पहचान की गयी कोई खराब हानि कम करके लागत पर जोड़ा जाता है।

निर्माण अवधि का खर्च पूँजी कार्य प्रगति के अधीन शामिल किया जाता है और यह निर्माण इसकी समाप्ति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित मदों में आर्बिट्रि किया जाता है। फार्मस्यूटिकल्स विनिर्माण सुविधा के संबंध में हुए खर्च मान्यता प्रक्रिया पूरा होने तक चालू पूँजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियों को किसी भी मान्यता प्राप्त हानि से कम लागत पर ले जाया जाता है।

रु.5 लाख या अधिक अलग-अलग मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे, स्टान्ट बर्ड उपकरण और सर्वोसिंग उपकरण या 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है, को उनके अधिग्रहण पर पूँजीकृत किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास किए गए हैं। इसके अलावा संयंत्र और मशीनरी के तहत सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर और अन्य परिसंपत्तियों (अमूर्त संपत्ति और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है ताकि उन परिसंपत्तियों, जिनका उपयोगी जीवन किसी तकनीकी सलाह

of the counterparty does not affect this classification.

All other liabilities are classified as non-current.

1.3 Estimation of Uncertainties relating to the global health pandemic from COVID -19

The company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 in the preparation of these standalone financial statements including the recoverability of carrying amounts of financial and non-financial assets and liabilities. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company has at the date of approval of these standalone financial statements, used internal and external information including our current contract terms, credit reports, future volume estimate from the business and other related information etc. Having reviewed the underlying data and based on current estimates the Company expects the carrying amount of the assets will be recovered and there is no significant impact on liabilities accrued. The impact of COVID -19 on the Company's financial statements may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

1.4 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss if any.

Cost directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use as intended by the management. Cost includes all incidental expenditure net of tax credits wherever applicable.

The cost includes interest on borrowings (calculated at the weighted average rates) and administrative expenses specifically attributable to the acquisition of such assets.

Revenue expenses incurred for identification of new projects/ new line of businesses are treated as capital work in progress. This will be absorbed into the project cost in the first year of commencing the business. If the new project/ new line of business does not materialize within a period of three financial years, the entire expenses shall be charged to Revenue in the 3rd year. Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

Expenditure during construction period is included under Capital Work-in-Progress and the same is allocated to the respective items of Property, Plant and Equipment on the completion of construction. In respect of pharmaceutical manufacturing facility, expenditure incurred are included under Capital Work in Progress till the validation process is completed.

Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

Spare parts, stand by equipment and servicing equipment having individual value of ₹5 lakh or more and are expected to be used for a period more than 12 months are capitalized on their acquisition.

Depreciation on Property, Plant and Equipment other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and

के आधार पर निर्धारित किया जाता है, को छोड़कर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाए।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं :

परिसंपत्ति की श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन
पट्टा भूमि	पट्टे की अवधि
फैक्टरी भवन	30 वर्ष
फैक्टरी भवन के अलावा अन्य भवन	60 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	15 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो।
ईसीजी, एक्स-रे, सीटी स्कान, एमआरआई मशीन आदि	13 वर्ष
फर्नीचर व फिक्चर	10 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो।
मोटर वाहन	8 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
कंप्यूटर व लैपटॉप	3 वर्ष
प्रयोगशाला उपकरण	10 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो।
विद्युत संस्थापन	10 वर्ष

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

मुख्य परिसंपत्ति के घटकों को अलग से पहचानना और निर्धारित किया गया था, यदि उनके पास एक उपयोगी जीवन है जो मूल परिसंपत्ति से महत्वपूर्ण रूप से अलग है। मूल परिसंपत्ति की मूल लागत के 10% को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक सीमा के रूप में माना गया है कि कोई घटक महत्वपूर्ण है या नहीं।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों में अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि जिसकी लागत ₹ 5000/- प्रत्येक या उससे कम है तो परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के लिए जोड़ने की तिथि पर ध्यान दिए बिना क्रय के वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

मूल मशीनरी के लिए लागू समान दरों और पद्धति का उपयोग करके उपकरण के साथ प्राप्त किए गए मशीनरी पुर्जों का मूल्यहास किए जाते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए अलग रूप से खरीदे गए मशीनरी पुर्जों के मामले में, संबंधित मशीनरी के समाप्त जीवन के लिए संचित मूल्यहास के बराबर दर वर्ष के मूल्यहास के साथ अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज की जाती है।

अस्वीकृत

निपटान या परिसंपत्ति के सतत उपयोग से उठाने के लिए प्रतीक्षित भविष्य के आर्थिक फायदे नहीं होने पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मद को अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान या निवृत्ति पर उठाने वाले कोई भी अभिलाभ या हानि को बिक्री परिणाम और परिसंपत्ति के रखाव रकम के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और उसको लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.5 निवेश संपत्ति

leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice.

The estimated useful life as per Companies Act 2013 are as follows:

Category of Asset	Estimated Useful life
Leasehold land	Period of lease
Factory Buildings	30 years
Buildings other than Factory Buildings	60 years
Plant & Machinery	15 years or Terms of agreement of business whichever is earlier
ECG, X-Ray, CT scan, MRI machines etc	13 years
Furniture and Fixtures	10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier
Motor Vehicles	8 years
Office equipment	5 years
Computers & Laptops	3 years
Laboratory equipment	10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier
Electrical Installations	10 years

The depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically including at each financial year end.

Components of main assets were identified and determined separately, if they have a useful life that is materially different from that of the principal asset. 10% of the original cost of the principal asset has been considered as threshold limit to determine whether a component is material or not.

When significant parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Additions to Property Plant and Equipment costing ₹5000/- each or less are fully depreciated during the year of purchase, irrespective of the date of addition retaining the residual value of assets.

Machinery spares acquired with the equipment are depreciated using the same rates and method applicable for the original machinery. In the case of Machinery spares procured separately for future use, rate equivalent to accumulated depreciation for the expired life of the relative machinery are charged in the year of acquisition along with depreciation for the year.

De-recognition:

An item of Property, Plant and Equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of Property, Plant and Equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in Statement of Profit or Loss.

संपत्ति जो लंबी अवधि के किराया वस्तु या पूँजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है और जिस पर कंपनी द्वारा कब्जा नहीं किया गया है या उसके संचालन के लिए हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत शामिल है। आगामी व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तभी पूँजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मर्दों की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत के व्यय होने पर खर्च की जाती है।

जब किराए पर दी गई संपत्ति को खाली कर दिया जाता है और प्रबंधन का इरादा अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों के उद्देश्य के लिए खाली हिस्से का उपयोग करना होता है, तो निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा अन्य निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन के अनुरूप है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और उसके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। जब एक निवेश संपत्ति का हिस्सा बदल दिया जाता है, तो बदले गए हिस्से की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

सेवानिवृत्ति या निवेश संपत्ति के निपटान से होनेवाले अभिलाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त किया जाता है।

1.6 अमूर्त परिसंपत्ति

अनुसंधान एवं विकास

नए वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान व समझ को प्राप्त करने की संभावना के साथ किए गए अनुसंधान गतिविधियों पर किए गए व्यय को खर्च होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विकास गतिविधियों में नए या काफी बेहतर उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के उत्पादन के लिए एक योजना या डिज़ाइन शामिल है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी जब निम्नलिखित सभी प्रदर्शित किए गए हों:

- विकास लागतों को मज़बूती से मापा जा सकता है;
- उत्पाद या प्रक्रिया, तकनीकी एवं वाणिज्य की दृष्टि से व्यवहार्य है ;
- भविष्य के आर्थिक लाभ संभाव्य है; तथा
- कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन/क्षमता रखने का इरादा रखता है।

पूँजीकृत किए जानेवाले व्यय में सामग्री की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग की ओर तैयार करने के लिए

1.5 Investment Property:

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied, or part occupied by the Company for its operations, is classified as investment property.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable, borrowing costs. Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred.

When a property given on rent is vacated and the management's intention is to use the vacated portion for the purpose of its own business needs, Investment Properties are reclassified as Buildings under Property, Plant and Equipment.

Depreciation on Investment Properties other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Investment properties are depreciated using the written down value method over their estimated useful lives which is consistent with the useful lives followed for depreciating Buildings under Property, Plant and Equipment.

An investment property is derecognised on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment property is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognised in Statement of profit or loss.

1.6 Intangible Asset

Research and development

Expenditure on research activities undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding are recognised as an expense when incurred.

Development activities involve a plan or design for the production of new or substantially improved products and processes.

An internally-generated intangible asset arising from development is recognised if and only if all of the following have been demonstrated:

- development costs can be measured reliably;
- the product or process is technically and commercially feasible;
- future economic benefits are probable; and
- the Company intends to and has sufficient resources/ability to complete development and to use or sell the asset.

सीधे जिम्मेदार अन्य लागतें शामिल हैं। अन्य विकास व्यय को लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। अनुवर्ती व्ययों को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है जब वे उस विशिष्ट परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों को पूँजीकृत किया जाता है और लागत कम संचित परिशोधन और संचित खराब हानियों पर ले जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को समेकित लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च अन्य परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के हिस्सा नहीं बनता है।

असीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्ति परिशोधित नहीं की जाती है, लेकिन प्रतिवर्ष हानि के लिए जाँच की जाती है। अनिश्चितकालीन जीवन आगे भी समर्थन योग्य होगा यह निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष असीमित काल के मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है। यदि नहीं है तो असीमित से सीमित की ओर उपयोगी जीवन का परिवर्तन संभावित आधार पर बनाया जाता है।

परिशोधन को उनके आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी - रेखा प्रणाली के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत 3 वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है जबकि ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को यथानुपात आधार पर 8 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क करार अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

ट्रेड मार्क/पेटेंट 5 साल की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

ट्रेड मार्क व्यय

ट्रेड मार्क पंजीकरण पर खर्च हुए व्यय, चालू पूँजीगत कार्य के रूप में प्रगति पर माना जाएगा और लाइसेंस प्राप्त होते ही 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के अधीन पूँजीकृत किया जाएगा। इन लाइसेंसों पर खर्च हुए उत्तरवर्ती व्यय को ऐसे व्यय खर्च हुई अवधि में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, अनुमानित उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास/परिशोधन की विधि की समीक्षा की जाती है, अनुमान में किसी बदलाव के प्रभाव के साथ प्रत्याशित आधार पर हिसाब लगाया जा रहा है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या उपयोग या निपटान से कोई भविष्य आर्थिक फायदा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अस्वीकृत किया जाता है। एक अमूर्त संपत्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, परिसंपत्ति अस्वीकृत होते समय लाभ हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.7 पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी की पट्टे की परिसंपत्ति में मुख्य रूप से भूमि, भवन संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। अनुबंध की शुरुआत में कंपनी इस का आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। यदि अनुबंध का विचार करने की ओर कुछ समय की अवधि पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है, का आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि:

- i. अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।
- ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक हित लाभ को काफी हद तक प्राप्त करने का

The expenditure to be capitalised include the cost of materials and other costs directly attributable to preparing the asset for its intended use. Other development expenditure is recognised in profit or loss as incurred.

Subsequent expenditures are capitalised only when they increase the future economic benefits embodied in the specific asset to which they relate.

Intangible assets with finite useful lives are capitalized and carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

Intangible assets with indefinite useful lives are not Amortized but are tested for impairment annually. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Amortization is recognized on a straight-line basis over their estimated useful lives.

The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 years on pro-rata basis. License fee paid is amortized equally over the agreement period.

Trademark/Patents are amortized over a period of 5 years

Trademark Expenses

Expenses incurred on trademark registrations will be treated as Capital work in progress and will be capitalized under 'intangible assets' when licenses are received. Subsequent expenditure incurred on those licenses will be recognized as revenue expenses in the period in which such expenses are incurred.

The residual values, estimated useful life and method of depreciation/amortization of Intangible assets are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

De-recognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

1.7 Leases

Company as a lessee:

The company's lease assets primarily consist of land, buildings, plant and machinery. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract is or contains a lease, the Company assesses whether :

- i. The contract involves the right to control the use of an identified asset

अधिकार है और

iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग के निर्देश देने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तिथि पर कंपनी परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयु) और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक समान पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पावधि पट्टा) और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों को छोड़कर यह एक पट्टेदार है। इन अल्पावधि और कम मूल्य परिसंपत्ति के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे भुगतान को पहचानती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयु की परिसंपत्ति और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा।

परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे भुगतान के अलावा किसी भी पट्टे प्रोत्साहन से कम किसी भी प्रारंभिक सीधा लागत के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है। वे यदि कोई मूल्यहास और खराब हानि को कम संचित लागत पर तत्पश्चात् मापा जाता है तो परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, पट्टे की अल्पकालीन अवधि एवं अंतर्निहित परिसंपत्ति की लाभदायकता को सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूल नहीं की जा सकती है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य के लिए वसूली योग्य राशि (यानी, बेचने के लिए कम लागत और उपयोग में मूल्य का उच्च उचित मूल्य) एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब तक परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि का निर्धारण नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टे देयता पर ब्याज को प्रतिबिंब करने के लिए रखाव रकम में वृद्धि करके और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम को कम करके पट्टा देयता को बाद में पुनः मापा जाता है।

पट्टे भुगतान का निर्धारण करने के लिए पट्टे अवधि में बदलाव या इंडेक्स या दर में बदलाव जैसी कुछ घटनाएं होने पर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है। पुनर्माप सामान्यतः पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देयता और परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.8 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित किया जाता है कि क्या वहाँ कोई संकेत है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और एक क्षति हानि को मान्यता दी जाती है, यदि किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि समेकित लाभ और हानि के विवरण में इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम है।

उपयोग में मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का प्रयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर कटौती की जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाज़ार निर्धारण पर प्रतिबिंबित है और परिसंपत्तियों पर स्पष्ट

- ii. The Company has right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of the lease and
- iii. The Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a right-of-use asset (ROU) and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease. Certain lease arrangements include the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. ROU assets and lease liabilities includes these options when it is reasonably certain that they will be exercised.

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Right of use assets are evaluated for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (i.e., the higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the Cash Generating Unit (CGU) to which the asset belongs.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payment made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and Right of Use asset are separately presented in the Balance Sheet and lease payments are classified as financing cash flows.

1.8 Impairment of Non-financial assets

The Company's non-financial assets are assessed at each reporting date to determine whether there is any indication that the carrying amount may not be recoverable. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated, and an impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its estimated recoverable amount in the statement of profit and loss.

Recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value

जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकद प्रवाह का अनुमान समायोजित नहीं किया गया है।

सीजीयु के संबंध में पहचान की गयी क्षति हानि को पहले सीजीयु को आर्बिटित सद्भावना (यदि कोई हो) की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए निर्धारित किया जाता है, और फिर अनुपात के आधार पर सीजीयु (या सीजीयु के ग्रूप) की अन्य परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए आर्बिटित किया जाता है।

सद्भावना के संबंध में एक क्षति हानि को बाद में उलट नहीं किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके लिए पूर्व अवधियों में क्षति हानि की पहचान की गई है, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा करता है कि क्या कोई संकेत है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो क्षति हानि को उलट दिया जाता है। इस तरह का उत्क्रमण केवल उस सीमा तक किया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई है, मूल्यहास या परिशोधन के निवल, यदि कोई क्षति हानि की पहचान नहीं की गई थी।

विकासाधीन परियोजनाओं के मामले में, भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान हाल के बजट या परियोजना से संबंधित पूर्वानुमानों के आधार पर लगाया जाता है, जो वर्तमान बाज़ार स्थितियों में समायोजित किया जाता है।

1.9 समनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी इंड एएस 27 के अनुसार अपने सभी निवेशों को समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में लागत पर मापती है।

1.10 वस्तुसूची

कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, कार्य प्रगति, स्टॉक-इन-ट्रेड और स्पेयर और तैयार माल से युक्त मालसूची और कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है।

कच्चे माल, भंडार, पुर्जे, उपभोक्ता साधन और व्यापार माल की लागत में क्रय की लागत और कर और शुल्क शामिल है और पात्र कर क्रेडिट के निवल है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्रियाँ, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और अचल खर्च के उचित अनुपात शामिल है जो एक व्यवस्थित आधार पर आर्बिटित किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में अन्य संबंधित सभी लागत जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुए हैं।

कच्चे माल, भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यांकन के लिए औसतन भार फार्मुला का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रगति, संक्रमण में स्थित/निरीक्षणधीन सामग्रियों को वास्तविक प्रक्रिया लागत पर लिए जाते हैं। हर वर्ष में अप्रयुक्त ढीला औजारों को उनके उपयोगी कार्यकाल पर ध्यान रखकर पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं और पुनर्मूल्यांकित लागत पर लिये जाते हैं। विनिर्मित तैयार माल /व्यापार के लिए खरीदे गये मालों को, पात्र क्रेडिट के कर एवं शुल्क सहित न्यूनतम लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं। स्टॉक में विनिर्मित/विक्रय तैयार माल जिसका शेल्फ लाइफ रिपोर्टिंग तारीख से 3 महीनों के अंतर समाप्त होता है, को शून्य मूल्य पर लिए जाते हैं।

सामग्रियों/ तैयार उत्पादों के मर्दों की धीमी गति के संबंध में यदि कोई हानि के लिए प्रावधान उपयोगिता/विपणन योग्यता के संबंध में तकनीकी राय प्राप्त करने के बाद परिकलित किया जाता है। धीमी गति से चलनेवाली, अप्रचलित और अन्य गैर-बिक्री योग्य वस्तुसूची के लिए भत्ता निर्धारित करने में कंपनी जिन कारकों पर विचार करती है, उनमें अनुमानित शेल्फ लाइफ जीवन, नियोजित उत्पाद विच्छेदन, मूल्य परिवर्तन, वस्तुसूची पुराना हो जाना और प्रतिस्पर्धी नए उत्पादों की शुरुआत शामिल हैं, इनमें से प्रत्येक कारक ग्रूप के व्यवसाय और बाज़ारों को कुछ हद तक प्रभावित करता है। कंपनी इन सभी घटकों पर विचार करती है और आवधिक आधार पर अपने वास्तविक अनुभव को दर्शाने के लिए वस्तुसूची प्रावधान को समायोजित करता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य में वस्तुसूचियों के लिए व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राकलित विक्रय मूल्य समाप्ति की सभी प्राकलित

using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted

Impairment loss recognised in respect of a CGU is allocated first to reduce the carrying amount of goodwill (if any) allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other assets of the CGU (or groups of CGUs) on a pro rata basis.

An impairment loss in respect of goodwill is not subsequently reversed. In respect of other assets for which impairment loss has been recognised in prior periods, the Company reviews at each reporting date whether there is any indication that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. Such a reversal is made only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

In the case of projects under development, the future cash flows are estimated based on the most recent budgets or forecasts relating to the project, adjusted to the current market conditions.

1.9 Investments in Subsidiaries and Joint Venture

The company measures all its investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at cost in accordance with Ind AS 27

1.10 Inventories

Inventories consisting of raw materials and packing materials, work-in-progress, stock-in-trade, stores and spares and finished goods and are measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost of raw materials, stores, spares, consumable tools and traded goods comprises cost of purchases and includes taxes and duties and is net of eligible tax credits. Cost of work-in-progress, and finished goods comprises direct materials, direct labour and an appropriate proportion of variable and fixed overheads, which is allocated on a systematic basis. Cost of inventories also includes all other related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

The weighted average formula is used for the valuation of raw materials, stores and spares. Work-in-progress, materials in transit/under inspection is carried at actual process cost. Unused Loose Tools are revalued every year taking into account the useful life of the tools and carried at the revalued cost. Finished goods manufactured/goods purchased for trading are valued at lower of cost/net realizable value, including taxes and duties net of eligible tax credits. Manufactured / traded finished goods in stock other than pharmaceutical products whose shelf life expires within three months from the reporting date are taken at NIL value.

The provision for loss if any in respect of slow-moving items of materials/finished products are accounted after obtaining the technical opinion regarding the usability/marketability. The factors that the Company considers in determining the allowance for slow moving, obsolete and other non-saleable inventory include estimated shelf life, planned product discontinuances, price changes, ageing of inventory and introduction of competitive new products, to the extent each of these factors impact the Company's business and markets. The Company considers all these factors and adjusts the inventory provision to reflect its actual experience on a periodic basis.

लागत और बिक्री के लिए बनाई गयी आवश्यक लागत कम कर के प्रतिनिधान करता है।

1.11 नकद और नकद तुल्यांक

हस्तगत नकद और बैंक के साथ माँग जमा समावेशित है। नकद तुल्यांक अल्पावधि शेष (आमतौर पर 3 महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले) के हैं उच्च नकदी निवेश, जो नकद की ज्ञात रकम में आसानी से परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं। इंड एएस 7 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट भी शामिल हैं जो माँग पर चुकाने योग्य होते हैं।

1.13 वित्तीय साधन

पहचान और प्रारंभिक मापन

जब जारी किए गए व्यापार प्राप्य और ऋण प्रतिभूतियाँ उत्पन्न होते ही उन्हें मान्यता दी जाती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है। एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, जैसा उचित हो, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के सीधे अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागतों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

i) प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को

- परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

पर माप कर वर्गीकृत किया जाता है।

ii) एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में नामित नहीं किया गया है।

- परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है; तथा
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

iii) एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

iv) सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें ऊपर वर्णित जैसे परिशोधित लागत एफवीओसीआई में मापा गया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो एफवीटीपीएल में मापा जाता है। इसमें सभी व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अपरिवर्तनीय ढंग से नामित कर सकती है जो अन्यथा एफवीटीपीएल

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale

1.11 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (usually having a maturity period of 3 months or less), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. For the purpose of cash flow statement as per Ind AS 7, Cash Equivalents also include Bank Overdraft and Cash credit which are repayable on demand

1.12 Financial Instruments .

Recognition and initial measurement

Trade receivables and debt securities issued are initially recognised when they are originated. All other financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in the statement of profit and loss.

Classification and subsequent measurement

Financial assets

- i) On initial recognition, a financial asset is classified as measured at
 - Amortised cost
 - Fair value through other comprehensive income
 - Fair value through profit and loss
- ii) A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
 - The asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual flows; and
 - The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- iii) A financial asset is subsequently measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- iv) All financial assets not classified as measured at amortised cost or as measured at FVOCI as described above are measured at FVTPL. This includes all derivative financial assets. On initial recognition, the Company may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI as at

के रूप में परिशोधन लागत पर या एफवीओसीआई में मापी जानेवाली आवश्यकताओं को पूरा करता है यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होनेवाले लेखांकन बेमेल को समाप्त या महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है।

- v) एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश आय सहित निवल लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में अन्य व्यापक आय में पहचान की गयी उचित मूल्य परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश सहित आय को समेकित लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत क्षति हानि से कम की जाती है। किसी ब्याज सहित आय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि और क्षति हानि को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।

- vi) वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि यदि और इस अवधि में कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलता है।

वित्तीय देयताएँ

- i) वित्तीय देयताओं को परिशोधन लागत पर मापने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या
- ii) एक वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे होल्ड-फॉर-ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या यह एक व्युत्पन्न है या इसे प्रारंभिक मान्यता इस तरह नामित किया गया है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी ब्याज व्यय सहित निवल लाभ व हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।
- iii) अन्य वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ब्याज व्यय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है। गैर-मान्यता पर किसी भी लाभ या हानि को भी लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह किसी लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित करता है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया गया है या जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है और वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं रखती है।

कंपनी लेनदेन में प्रवेश करती है जिससे वह अपनी तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करती है लेकिन हस्तांतरित परिसंपत्तियों के सभी या पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और प्रतिफलों को बरकरार रखती है, हस्तांतरित परिसंपत्ति को अमान्य नहीं किया जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त करने पर, परिसंपत्ति की बहन राशि और प्राप्त व प्राप्य राशि के बीच का अंतर संचयी अभिलाभ या हानि है जिसे समेकित लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाना है।

वित्तीय देयताएँ

कंपनी एक वित्तीय देयता को तब मान्यता देती है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द या समापन हो जाता है। गैर-मान्यता प्राप्त वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और भुगतान व देय प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को समेकित

FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise.

- v) Financial assets at FVTPL – These are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest or dividend income, are recognised in profit or loss.

Financial assets at FVOCI – These assets are subsequently measured at fair value, with fair value changes recognised in other comprehensive income. Income, including any interest or dividend, are recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost – These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. The amortised cost is reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment losses are recognised in profit and loss.

- vi) Financial assets are not re-classified subsequent to their initial recognition, except if and in the period the Company changes its business model for managing its financial assets.

Financial liabilities

- i) Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or
- ii) A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, or it is a derivative or it is designated as such in initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in profit and loss.
- iii) Other financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest expense, foreign exchange gains and losses are recognised in profit and loss. Any gain or loss on de-recognition is also recognised in profit and loss.

De-recognition

Financial assets

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Company neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

The Company enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its balance sheet, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets, the transferred assets are not derecognised.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is the cumulative gain or loss that has to be recognised in the statement of profit and loss.

Financial liabilities

The Company de-recognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability de-

अभिलाभ एवं हानि के विवरण में लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब वित्तीय देयता की शर्तों में संशोधन किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी भिन्न होता है, तो कंपनी इसको भी मान्यता देती है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देयता को उचित मूल्य पर अमान्य किया जाता है। समाप्त की गई वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच के अंतर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य

अपने वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित करने में, कंपनी विभिन्न तरीकों और मान्यताओं का उपयोग करती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद बाजार तिथियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों में रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार मूल्य और डीलर उद्धरण शामिल हैं। उचित मूल्य का आकलन करने के सभी तरीके जिसके परिणामस्वरूप मूल्य का सामान्य अनुमान लगाया जाता है, और ऐसा मूल्य वास्तव में कभी भी वसूल नहीं किया जा सकता है।

ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि, तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती है, जब और केवल तभी जब राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो और इसका इरादा या तो उन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करना है और देयताओं को एक साथ निपटाने का है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए हानि भत्ता को मान्यता देती है जिसे एफवीटीपीएल में नहीं मापा गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधन लागत/ एफवीओसीआई पर ले जानेवाली ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ, क्रेडिट -हानि है। जब एक या अधिक घटनाएँ होती हैं तो एक वित्तीय परिसंपत्ति, क्रेडिट हानि होती है जिनका वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

कंपनी बैंक शेष को छोड़कर जीवन भर की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर हानि भत्ता को मापती है, जिसे 12 महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के रूप में मापा जाता है, जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ते को हमेशा आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय साधन के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली प्रत्याशित क्रेडिट हानि है। 12 महीने का ईसीएल, ईसीएल का एक हिस्सा है, जो डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन :

व्यापार प्राय के लिए आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानि 'ईसीएल' भत्ता को मापने के लिए कंपनी ने इंड एस 109 'वित्तीय साधनों' के तहत एक मॉडल अपनाया है। मॉडल प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को क्रेडिट हानियों के संभाव्यता-वारित अनुमान के रूप में निर्धारित करता है।

क्षति हानियों और उल्लंघनों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

परिशोधन लागत पर /एफवीओसीआई पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ते को परिसंपत्तियों की सकल अग्रणीत राशि से घटाया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि को इस सीमा तक बढ़े खाते में डाल (आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से) दिया जाता है कि वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

1.13. नकद प्रवाह विवरण

recognised and the sum of consideration paid and payable is recognised as gain or loss in the statement of profit and loss.

The Company also de-recognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows under the modified terms are substantially different. In this case, a new financial liability based on modified terms is recognised at fair value. The difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new financial liability with modified terms is recognised in profit and loss.

Fair Value of Financial Instruments

In determining the fair value of its financial instruments, the Company uses a variety of methods and assumptions that are based on market conditions and risks existing at each reporting date. The methods used to determine fair value include discounted cash flow analysis, available quoted market prices and dealer quotes. All methods of assessing fair value resulting general approximation of value, and such value may never actually be realized.

Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and net amount presented in the balance sheet when, and only when there is a legally enforceable right to set off the amounts and it intend either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of financial assets

The Company recognises loss allowance for expected credit loss ('ECL') on financial asset which are not measured at FVTPL. At each reporting date, the Company assess whether such financial assets carried at amortised cost / FVOCI are credit – impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

The Company measures loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses except for bank balances which are measured as 12 month expected credit losses for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to life time expected credit losses.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

Measurement of expected credit losses

The Company has adopted a model, as permitted under Ind AS 109 "Financial Instruments", for measuring lifetime expected credit loss "ECL" allowance for trade receivables. The model determines the expected credit losses as the probability-weighted estimate of credit losses.

The impairment losses and reversals are recognised in statement of profit and loss.

Loss allowance for financial assets measured at amortised cost / at FVOCI are deducted from gross carrying amount of the assets. The gross carrying amount of a financial assets is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery.

नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष प्रणाली के उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर नकदी प्रकृति के और किसी आस्थगन या गत या भविष्य कैश आवतियों के प्रोद्भवन या भुगतान के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों के लाभ/(हानि) और कर समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रबंध कार्यकलापों से होनेवाले नकदी प्रवाह को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अलग किया जाता है।

1.14 राजस्व मान्यता

माल की बिक्री :

कंपनी, गर्भनिरोधक, अस्पताल उत्पाद, महिला स्वास्थ्य रक्षा फार्मा और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद जैसे अपने उत्पादों की एक शृंखला से राजस्व उत्पन्न करती है।

मालों की बिक्री से होनेवाले राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब बेचे जा रहे उत्पादों का नियंत्रण हमारे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और जब कोई अधूरा दायित्व नहीं रह जाता है। हमारे अनुबंधों में निष्पादन दायित्वों का प्रेषण वितरण के समय या ग्राहक की शर्तों के आधार पर औपचारिक ग्राहक स्वीकृति पर पूरा किया जाता है। राजस्व को किसी भी व्यापार छूट, मात्रा में छूट और सरकार की ओर से एकत्र किए गए किसी भी कर या शुल्क जैसे माल और सेवा कर आदि की कटौती के बाद अनुबंधित मूल्य के आधार पर मापा जाता है। इस तरह की छूट और कटौती के प्रावधान का अनुमान लगाने के लिए संचित अनुभव का उपयोग किया जाता है। राजस्व केवल इस हद तक पहचाना जाता है कि यह अत्यधिक संभावना है कि एक महत्वपूर्ण उलटाव नहीं होगा।

सेवाओं का समर्पण :

कंपनी स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं, प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाओं, रिटेल फार्मसी सेवाओं, अवसंरचना विकास सेवाओं, परियोजना प्रबंधन परामर्श व संबद्ध सेवाओं, सुविधा प्रबंधन सेवाओं और प्रपण परामर्श सेवाओं से राजस्व अर्जित करती है।

प्रदान की गई सेवाओं से आय को ग्राहकों के साथ समझौतों/व्यवस्थाओं के आधार पर मान्यता दी जाती है जैसा कि सेवा की जाती है और कोई अधूरे दायित्व नहीं हैं। सेवाओं से राजस्व के संबंध में कंपनी समय की अवधि में मान्यता का पालन करती है।

अन्य प्रचालन राजस्व :

अन्य प्रचालन राजस्वों में कंपनी के प्रचालनों से सहायक गतिविधियों से आय शामिल है और जब ठेका के शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब पहचान किया जाता है।

निर्यात बिक्री से संबंधित शुल्क वापसी /निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात के वर्ष में परिकलित किए जाते हैं।

1.15. अन्य आय

बीजक में निर्धारित जैसे विविध देनदारों से देरी से की गई वसूली के लिए यदि कोई ब्याज आय है तो यह समझ जाने तक की पहचान नहीं की जाती है। उपर्युक्त के अलावा आय प्रोद्भवन के आधार पर परिकलित किए जाते हैं।

1.16 विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण

कंपनी के वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको इसके कार्यात्मक मुद्रा भी है।

यदि लेन-देन की तिथि पर औसत दर, वास्तविक दर का अनुमान लगती है, तो विदेशी मुद्राओं में लेन-देन, इसकी तारीखों पर विनिमय दरों पर या औसत दर पर कंपनी कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गीत मौद्रिक परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर निर्धारित होने पर विनिमय दर पर कार्यात्मक

1.13 Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on audited financial statements.

1.14 Revenue recognition

Sale of goods:

The Company generates revenue from a range of its products viz., Contraceptives, Hospital products, Women Healthcare Pharma and Personal hygiene products.

Revenue from sale of goods is recognised when control of the products being sold is transferred to our customer and when there are no longer any unfulfilled obligations. The Performance Obligations in our contracts are fulfilled at the time of dispatch, delivery or upon formal customer acceptance depending on customer terms. Revenue is measured on the basis of contracted price, after deduction of any trade discounts, volume rebates and any taxes or duties collected on behalf of the Government such as goods and services tax, etc. Accumulated experience is used to estimate the provision for such discounts and rebates. Revenue is only recognised to the extent that it is highly probable a significant reversal will not occur.

Rendering of services:

The company generates revenue from Healthcare Services, Laboratory and Diagnostic Services, Retail Pharmacy Services, Infrastructure Development services, Project Management Consultancy and allied services, Facility Management Services, and Procurement Consultancy Services.

Income from services rendered is recognised based on agreements/arrangements with the customers as the service is performed and there are no unfulfilled obligations. In respect of revenue from services the company follows recognition over a period of time.

Other Operating Revenues:

Other operating revenues comprise of income from ancillary activities incidental to the operations of the Company and is recognized when the right to receive the income is established as per the terms of the contract.

Duty drawback/export incentive in respect of export sales are accounted in the year of export.

1.15 Other Income

Interest income if any for delayed realization from Trade debtors as stipulated in invoices is not recognized, unless realized. Income other than the above are accounted on accrual basis.

1.16 Foreign currency transactions and translations

The company's financial statements are presented in Indian Rupee (₹), which is also its functional currency.

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency of the Company, at the exchange rates at the dates of the transactions or an average rate if the average rate approximates the actual rate at the date of the transaction.

मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर मौद्रिक परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दर पर बदल दिए जाते हैं। योग्य नकदी प्रवाह हेजेज, जो प्रभावी होते हैं और जिन्हें ओसीआई में मान्यता प्राप्त है, को बदलने से उत्पन्न होनेवाले विनिमय मतभेदों को छोड़कर, विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1.17 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान (निर्यात प्रोत्साहन सहित) तभी स्वीकृत किया जाता है जब उचित आश्वासन मिलता है कि कंपनी उनके साथ संबंध शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होंगे।

राजस्व मदों के स्वरूप में सरकारी अनुदान को एक अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के विवरणों में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मानी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बिक्रियों से संबंधित राजस्व अनुदान/इमदाद (उत्पाद इमदाद के अलावा) को अन्य आय के अधीन अलग रूप से प्रकट किए जाते हैं जब कि उत्पाद इमदाद को बिक्री और सेवाओं के अधीन प्रकट किए जाते हैं।

मूल्यहास परिसंपत्ति के प्रति अनुदान के संबंध में परिसंपत्ति की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया जाता है और उस पर अनुदान को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसको उस अवधि पर मूल्यहास चार्ज किए अनुपात में लाभ या हानि विवरण में आय के रूप में पहचान किया जाता है। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं।

जब कंपनी को गैर मौद्रिक परिसंपत्ति का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य में अभिलेखित हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के हितलाभ के उपभोग के रूप में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ एवं हानि खाते में जारी मान्यता प्राप्त है।

सरकारी अनुदान जो चुकाने योग्य हो जाता है, उसे लेखांकन अनुमान (इंड एस 8, लेखा नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन) में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। आय से संबंधित अनुदान की चुकौती को पहले अनुदान के संबंध में मान्यता प्राप्त किसी भी परिशोधित आस्थगित ऋण के लिए लागू किया जाता है। इस हद तक कि चुकौती ऐसे किसी भी आस्थगित ऋण से अधिक है, या जब कोई आस्थगित ऋण मौजूद नहीं है तो चुकौती को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

किसी परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान की चुकौती को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करके या आस्थगित आय शेष को प्रतिदेय राशि से घटाकर मान्यता दी जाएगी। संचयी अतिरिक्त मूल्यहास जिसे अनुदान के अभाव में आज तक लाभ या हानि में मान्यता दी गई होगी, को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाएगी।

1.18 कर्मचारी फायदे

निर्धारित लाभ योजना:

उपदान

कंपनी, पात्र स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना (उपदान योजना) प्रदान करती है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, क्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार की अवधि के आधार पर एक रकम का एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। भारतीय कानून द्वारा अनुमत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक योजना में योगदान का निवेश किया जाता है।

इन निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में देयताएँ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन के ज़रिए निर्धारित की जाती है। ये निर्धारित लाभ योजनाएँ ग्रुप

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional currency at the exchange rate at the reporting date. Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair value in a foreign currency are translated into the functional currency at the exchange rate when the fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that are measured based on historical cost in a foreign currency are translated at the exchange rate at the date of the transaction. Exchange differences are recognised in profit or loss, except exchange differences arising from the translation of qualifying cash flow hedges to the extent that the hedges are effective, which are recognised in OCI.

1.17 Government grants

Government grants are recognized only when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received.

Government grants in the nature of revenue items are recognized in the statement of profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

Revenue grants/subsidy (other than product subsidy) relating to sales are disclosed separately under other operating revenues, whereas product subsidy is disclosed under sales and services.

In respect of grants against depreciable asset, the cost of the asset is shown at gross value and grant thereon is treated as capital grant, which are recognized as income in the statement of profit or loss over the period and the proportion in which depreciation is charged. Government grants related to assets are presented in the Balance sheet as Deferred Grant.

When the company received grant of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at fair value and recognised in the profit and loss account over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

A Government grant that becomes repayable is accounted for as a change in accounting estimate (Ind AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). Repayment of a grant related to income is first applied against any unamortised deferred credit recognised in respect of the grant. To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment is recognised immediately in profit or loss.

Repayment of a grant related to an asset shall be recognised by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. The cumulative additional depreciation that would have been recognised in profit or loss to date in the absence of the grant shall be recognised immediately in profit or loss.

1.18 Employee benefits

Defined Benefit Plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan ('the Gratuity Plan') covering eligible permanent and temporary employees. The Gratuity Plan provides a lump-sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment with the Company. The contributions are invested in a scheme with the Life Insurance Corporation of India as permitted by Indian law.

को बीमांकिक जोखिमों, जैसे दीर्घायु जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाज़ार जोखिम के लिए प्रकट करती हैं। कंपनी अपनी तुलन पत्र में एक निर्धारित लाभ योजना के निवल दायित्व को एक परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता देती है। निवल निर्धारित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनःमापन के माध्यम से लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। निर्धारित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दर को लागू करके गणना की गई आय से अधिक योजना परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का वास्तविक रिटर्न, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। किसी भी योजना संशोधन के प्रभाव को लाभ व हानि के विवरण में निवल लाभ में मान्यता दी जाती है।

मुआवज़ा अनुपस्थिति

कंपनी को केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए मुआवज़ा अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो संचित और गैर-संचित दोनों प्रकार में हैं। अनुपयोगी पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की प्राप्त की जानेवाली अतिरिक्त राशि पर प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के ज़रिए मुआवज़ा की अनुपस्थिति को संचित करने की अपेक्षित लागत निर्धारित की जाती है जो तुलन पत्र की तारीख में जमा हो गया है। गैर-संचित मुआवज़ा अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

रोज़गार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोज़गार के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, संहिता लागू होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता लागू होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगा और संहिता लागू होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।

निर्धारित अंशदान योजना

भविष्य निधि

कंपनी के योग्य कर्मचारियों को भविष्य निधि से लाभ प्राप्त होते हैं, एक पोस्ट-रोज़गार लाभ, जिसके तहत पात्र कर्मचारी और कंपनी दोनों पीएफ अधिकारियों को कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा।

ईएसआई और अन्य अंशदान योजनाएँ

निर्धारित अन्य अंशदान योजनाओं, यानी अधिवर्षिता निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और आय निधियों के लिए कंपनी का अंशदान, केलिए भुगतान संगत विधियों के अधीन की योजनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है और भारग्रहण की अवधि में समेकित लाभ एवं हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जब सेवार्य कर्मचारियों द्वारा समर्पित की जाती हैं। राशि का भुगतान संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को किया जाता है और कंपनी को आगे कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित अंशदान योजना में कंपनी ने 9-10-2012 को कंपनी रॉल पर रहे स्थायी कर्मचारियों के लिए 1-4-2011 से प्रभावित अंशदायी पेंशन योजना भी शामिल हैं। कंपनी कर्मचारियों से बराबरी अंशदान मूल वेतन एवं डी ए के 3% के साथ योगदान करेगी। पेंशन योजना जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंध किया जाता है। योगदान के अलावा कंपनी को कोई और कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

Liabilities with regard to these defined benefit plans are determined by actuarial valuation, performed by an independent actuary, at each Balance Sheet date using the projected unit credit method. These defined benefit plans expose the Company to actuarial risks, such as longevity risk, currency risk, interest rate risk and market risk.

The Company recognizes the net obligation of a defined benefit plan in its Balance Sheet as an asset or liability. Gains and losses through re-measurements of the net defined benefit liability/ (asset) are recognized in other comprehensive income and are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. The actual return of the portfolio of plan assets, in excess of the yields computed by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation is recognized in other comprehensive income. The effect of any plan amendments is recognized in net profit in the Statement of Profit and Loss.

Compensated Absences

The Company has a policy on compensated absences only to permanent employees which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absences is determined by actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid / availed as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absences is recognized in the period in which the absences occur.

The Code on Social Security, 2020 relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

Defined Contribution Plans

Provident Fund

Eligible employees of company receive benefits from a provident fund, a post –employment benefit under which both the eligible employee and the company make monthly contributions to the provident fund plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary to PF authorities and the company will have no legal or constructive obligation to pay further amounts.

ESI and Other Contribution Plans

Payments to other defined contribution plans i.e., superannuation fund, Employee State Insurance and other funds are determined based on the schemes under the relevant statutes and charged to the Statement of Profit and Loss in the period of incurrence when the services are rendered by the employees. The amounts are paid to respective government authorities and the company has no further legal or constructive obligation.

Defined contribution plan also includes the Contributory pension scheme effective from 1-4-2011 for the permanent employees who are on the rolls of the company as on 9-10-2012. Company contributes 3% of basic plus DA with a matching contribution from employees as per the pension scheme. The pension scheme is managed by LIC of India. The company has no further legal or constructive obligation beyond the contribution.

Obligations for contributions to defined contribution plans are recognized as an employee benefit

देयता, उस सेवा के बदले में लाभ की बेदाग राशि भुगतान करने की प्रतीक्षा में संबंधित सेवार्यें समर्पित करने की अवधि के वेतन, मज़दूरी, निष्पादन प्रोत्साहन, चिकित्सा लाभ और अन्य अल्पकालीन लाभों के संबंध में कर्मचारियों को उपार्जित करने के लाभ के लिए पहचान की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में पहचान की गयी देयतायें रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा दिये जाने के लिए प्रत्याशित भविष्य के अनुमानित नकद बहिर्वाह के विद्यमान मूल्य पर मापा जाता है।

सेवा समाप्ति लाभ :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन किए गए भुगतान को भारग्रहण पर लाभ और हानि की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.19 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों, जो ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जिन्हें अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत, उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियाँ अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों।

संपत्तियों/परिसंपत्तियों के ग्रूप के अर्जन के लिए विशेष रूप से लिए गए ऋण पर ब्याज परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों पर आनुपातिक रूप से आबंटित किया जाता है।

सभी अन्य उधार लागत उस अवधि, जिसमें उनका खर्च किए गए हैं, में लाभ या हानि में पहचान की जाती है।

1.20 खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंड, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। कंपनी का मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता, संसाधनों के आबंटन और प्रचालन खंडों के निष्पादन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

1.21 आय कर

आय कर खर्च, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है। चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचान की जाती है, इसके सिवाय वे जब इससे संबंधित मद जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचान किये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, उस अवसर पर चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी पहचान किये जाते हैं।

चालू कर :

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में समायोजन शामिल है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्त की जाने की उम्मीद की गई कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं को केवल तभी ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और इसका उद्देश्य, परिसंपत्ति का एहसास करना और देयता को निवल आधार पर या एक साथ निपटाना है।

आस्थगित कर :

आस्थगित कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रणीत राशियों और करराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानेवाली संगत राशियों के बीच के अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर निम्न के

expense in the statement of profit and loss in the periods during which the related services are rendered by the employees.

Short-term and other long-term employee benefits:

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of salaries, wages, performance incentives, medical benefits and other short term benefits in the period the related service is rendered, at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Company in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination Benefits:

Payments made under Voluntary Retirement Scheme are charged to Statement of Profit and Loss on incurrence.

1.19 Borrowing costs

The borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Interest on loan taken specifically for acquiring assets/group of assets, are proportionately allocated to respective assets based on asset value.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

1.20 Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker of the Company is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.

1.21 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

Current Tax:

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax reflects the best estimate of the tax amount expected to be paid or received after considering the uncertainty, if any, related to income taxes. It is measured using tax rates (and tax laws) enacted or substantively enacted by the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset only if there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and it is intended to realise the asset and settle the liability on a net basis or simultaneously.

लिए मान्यता नहीं दी जाती है :

- लेन-देन में संपत्ति या देयताओं की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न अस्थायी अंतर जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और वह लेन देन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है।
- सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश से संबंधित अस्थायी मतभेद उस हद तक कि कंपनी अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि वे निकट भविष्य में उल्टा नहीं होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ-गैर-मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक मान्यता प्राप्त/कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना/अब संभावित नहीं है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति प्राप्त किया जाता है या देयता का निपटारा किया जाता है, जो उन कानूनों के आधार पर होता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर उम्मीद करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताएँ ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देयताएँ और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई या विभिन्न कर संस्थाओं पर वसूल किए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन वे वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को निवल आधार पर निपटाने का इरादा रखते हैं या उनकी कर परिसंपत्ति और देयताएँ एक साथ वसूली की जाएंगी।

कर की स्थिति

अनिश्चित कर स्थितियों के प्रोद्भवन के लिए प्रबंधन को संभावित जोखिमों के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रोद्भवन को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य राशि का उपयोग करके मापा जाता है, जिसके आधार पर इकाई अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी करने की अपेक्षा करती है। कर लाभों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि प्रबंधन लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या के आधार पर और कर प्राधिकरण मामले को कैसे हल करेगा, इसकी अपेक्षा के आधार पर समाप्त नहीं होता है कि इस तरह के लाभ अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। एक बार स्वीकार नहीं किए जाने के संभावित माने जाने पर प्रबंधन प्रत्येक भौतिक कर लाभ की समीक्षा करता है और संबंधित कर योग्य राशियों के निर्धारण में अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाता है।

1.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

गत घटना के परिणामस्वरूप जब कंपनी को विद्यमान दायित्व है (विधिक या निर्माणात्मक), प्रावधानों को पहचान किया जाता है, यह संभावित है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करना अपेक्षित होगा और दायित्व की रकम का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जब कंपनी कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करता है, उदाहरण के लिए, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति निश्चित हो। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

यदि ऐसे के समय मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं जो ऐसे के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाज़ार आकलन को दर्शाता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

Deferred Tax:

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for:

- Temporary differences arising on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.
- Temporary differences related to investments in subsidiaries, associates and joint arrangements to the extent that the Company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets – unrecognised or recognised, are reviewed at each reporting date and are recognised/ reduced to the extent that it is probable/ no longer probable respectively that the related tax benefit will be realised.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

Tax positions

Accruals for uncertain tax positions require management to make judgments of potential exposures. Accruals for uncertain tax positions are measured using either the most likely amount or the expected value amount depending on which method the entity expects to better predict the resolution of the uncertainty. Tax benefits are not recognised unless the management based upon its interpretation of applicable laws and regulations and the expectation of how the tax authority will resolve the matter concludes that such benefits will be accepted by the authorities. Once considered probable of not being accepted, management reviews each material tax benefit and reflects the effect of the uncertainty in determining the related taxable amounts.

1.22 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, and it is probable that the company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement.

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में नहीं पहचान की गयी हैं, इसलिए इस रकम कभी भी वसूल नहीं किये जाने वाले आय की स्वीकृति में परिणत होगी। तथापि, जब रकम की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है तब संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है और पहचान की जाती है।

आकस्मिक देयता पिछली घटनाओं से उत्पन्न कर रहे एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व को पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे नहीं पहचान की गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभवाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों को राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.23 पूर्व प्रदत्त खर्च

प्रति रु.10000/- तथा उससे कमवाले के मदों से संबंधित पूर्व प्रदत्त खर्च राजस्व की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.24 बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

यदि रखाव रकम उनके निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी तो गैर चालू परिसंपत्तियों और निपटान ग्रूप को बिक्री के लिए रखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) उनकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तब माना जाता है, बशर्त कि ऐसी परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत होती है और इसकी बिक्री अत्याधिक संभावित होती है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद की जानी है।

बिक्री के लिए रखे वर्गीकृत गैर चालू परिसंपत्तियों (और निपटान ग्रूप) इनके रखाव रकम के न्यूनतम दर पर मापा जाता है और बेचने के लिए उचित मूल्य के कम लागत न्यूनतम से मापा जाता है और बिक्री के लिए धरित गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

1.25 प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं हल्का ईपीएस रकम वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा इक्विटी धारकों को देने की ओर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर मूल एवं हल्का आय*	31.03.2022	31.03.2021
निवल लाभ का अंश ₹ करोड़ों में		
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कर के बाद लाभ	408.23	112.72
डिनोमिनेटर- अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की औसतन संख्या	15535000	15535000
शेयरों की संख्या- मूल & हल्का	15535000	15535000
अर्जन प्रति शेयर (₹)		
मूल (प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य)	262.78	72.56
हल्का(प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य)	262.78	72.56

If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

Contingent assets are not generally recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of income that may never be realised. Contingent assets, whose realization of income is virtually certain, are disclosed separately. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and is recognized.

Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not possible that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts and reviewed at each Balance Sheet date to reflect the current management estimate.

1.23 Prepaid Expenses

Prepaid expenses of items of ₹10000/- each and below are charged off to the revenue.

1.24 Non-current assets held for sale

Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (and disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs of disposal. Noncurrent assets held for sale are not depreciated or amortised.

1.25 Earnings per Share

Basic and Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

Basic and Diluted Earnings per share *	31.03.2022	31.03.2021
Numerator Net Profit ₹. In Crs		
Profit after Tax as per Statement of Profit & Loss	408.23	112.72
Denominator - Average No. of Equity Shares outstanding during the period	15535000	15535000
No. of Shares - Basic & Diluted	15535000	15535000
Earnings per share (₹)		
Basic (Face Value of ₹ 10/- per share)	262.78	72.56
Diluted (Face Value of ₹ 10/- per share)	262.78	72.56

1 ख महत्वपूर्ण लोखांकन अनुमान और निर्णय

इंड एस के साथ समनुरूपता में वित्तीय विवरण की तैयारी प्रबंध को वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं की रकम (प्रासंगिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचार करके निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान बनाना अपेक्षित है।

निर्णय, आकलन और संबंधित धारणाएँ, ऐतिहासिक अनुभव और अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के प्रभाव के आकलन सहित अन्य घटकों पर आधारित होती है, जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

प्रासंगिक व्यय

कानूनी, ठेके दार, भूमि पहुँच और अन्य दावाएँ सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में सामान्य व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से प्रासंगिक देयताएँ उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रकृति से, आकस्मिक व्यय का समाधान किया जाएगा, जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ होती हैं, या होने में विफल हो जाता है। अस्तित्व का मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय के संभावित मात्रा के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय और भविष्य घटनाओं के परिणाम के संबंध में स्वाभाविक रूप से अनुमानों का उपयोग शामिल है।

आकलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख में भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और अनिश्चितता आकलन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के रखाव रकम को प्रत्यक्ष समायोजन को कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ये नीचे वर्णित हैं। भविष्य के विकास के संबंध विद्यमान स्थिति और पूर्वानुमान जैसे भी हो, बाज़ार के परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से हैं। परिवर्तन हो जायें जो ऐसे परिवर्तन जब होते हैं, पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।

निर्धारित हितलाभ योजना/अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमाकिक मूल्यांकन उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमाकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाने में शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो। इन में छूट दर, भविष्य की वेतन की वृद्धियाँ और मृत्यु दर का निर्धारण समाविष्ट हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति से जुड़े जटिलता के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन करना अत्यधिक भावुक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में सभी धारणाएँ समीक्षा की जाती है।

परिवर्तन के अधीन सबसे अधिक पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न परियोजनाओं के प्रत्याशित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है, उनके उचित मूल्य स्तर -2, स्तर -3 इनपुटों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट्स जहाँ संभव हो निरीक्षण बाज़ारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, तो उचित मूल्यों को संस्थापित करने के लिए अपने विवेक के अनुसार एक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में मूल्य आकलन, मात्रा आकलन, दर आकलन

1B Critical accounting estimates and judgments.

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS, requires the Management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year.

The judgements, estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors including estimation of effects of uncertain future events that are considered to be relevant. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized.

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgement and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising that are beyond the control of the company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Defined benefit plans / Other Long term employee benefits

The cost of the defined benefit plans and other long term employee benefit plans are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate; future salary increases and mortality rates.

Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

The parameter most subject to change is the discount rate. The management considers the interest rates of government securities based on expected settlement period of various plans.

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the discounted cash flow (DCF) model based on level-2 and level-3 inputs. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as price estimates, volume estimates, rate

आदि जैसे इनपुटों के विचार शामिल हैं। इन घटकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गये उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

व्यापार प्रायों के लिए खराब हानि प्रावधान, अदायगी न करना और अपेक्षित हानि दर के जोखिम के बारे में धारणाओं पर आधारित है। कंपनी इन पूर्वानुमानों को बनाने और कंपनी के विगत इतिहास के आधार पर खराब हानि के गणना के लिए इनपुट और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अन्य घटकों के चयन करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है।

राजस्व

ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों में एक ग्राहक को कई उत्पादों और सेवाओं को हस्तांतरित करने वादा शामिल है। ग्राहक अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को मान्यता और माप के लिए माना जाता है जब पार्टियों द्वारा अनुबंध को लिखित रूप में अनुमोदित किया गया है, अनुबंध के पार्टी, अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। कंपनी अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का आकलन करती है और अनुबंध में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान करती है। बाँटने योग्य को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान और ऐसे बाँटने योग्य से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने के लिए ग्राहक की क्षमता की ओर इन विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य के आबंटन में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

आयकर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रदत्त/वसूली की अपेक्षित राशि सहित आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली का आकलन करने में, प्रबंधन इस बात पर विचार करता है कि क्या कुछ भाग या सभी आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली नहीं की जाएगी। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्त अवधि के दौरान भावी कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन को करने में आस्थगित आयकर देयताओं, अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों के अनुसूचित उत्क्रमण पर विचार करता है। ऐतिहासिक कर योग्य आय के स्तर और अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर जिसमें आस्थगित आयकर परिसंपत्ति कटौती योग्य है, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी उन कटौती योग्य अंतरों के लाभों को माना जाएगा। वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की राशि हालांकि निकट अवधि में कम की जा सकती है यदि आगे ले जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान कम कर दिया जाता है।

2. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अतिरिक्त प्रकटीकरण/ स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास [एम एस एम ई डी] अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण सं संबंधित कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी नीचे जैसे हैं :

(₹ लाखों में)

क्र.सं		31.03.2022	31.03.2021
(क)	वर्षांत में अप्रदत्त शेष मूल राशि	30.41	11.23
(ख)	वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदत्त मूल राशि का विलंबित भुगतान	शून्य	शून्य
(ग)	एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त वास्तविक ब्याज	शून्य	शून्य
(घ)	सहमत शर्तों के अनुसार सभी विलंबित भुगतान के लिए वर्ष के दौरान देय एवं प्रदत्त सामान्य ब्याज	शून्य	शून्य
(ङ)	वर्ष के दौरान कुल उपार्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष	शून्य	शून्य

estimates etc. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Impairment of financial assets

The impairment provisions for trade receivables are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The company uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation based on the company's past history and other factors at the end of each reporting period.

Revenue

The Company's contracts with customers include promises to transfer multiple products and services to a customer. Revenues from customer contracts are considered for recognition and measurement when the contract has been approved, in writing, by the parties to the contract, the parties to contract are committed to perform their respective obligations under the contract, and the contract is legally enforceable. The Company assesses the services promised in a contract and identifies distinct performance obligations in the contract. Identification of distinct performance obligations to determine the deliverables and the ability of the customer to benefit independently from such deliverables, and allocation of transaction price to these distinct performance obligations involves significant judgement

Income Tax

Significant judgments are involved in determining the provision for income taxes, including amount expected to be paid/recovered for uncertain tax positions. In assessing the realizability of deferred income tax assets, management considers whether some portion or all of the deferred income tax assets will not be realized. The ultimate realization of deferred income tax assets is dependent upon the generation of future taxable income during the periods in which the temporary differences become deductible. Management considers the scheduled reversals of deferred income tax liabilities, projected future taxable income and tax planning strategies in making this assessment. Based on the level of historical taxable income and projections for future taxable income over the periods in which the deferred income tax assets are deductible, management believes that the company will realize the benefits of those deductible differences. The amount of the deferred income tax assets considered realizable, however, could be reduced in the near term if estimates of future taxable income during the carry forward period are reduced.

2. Explanatory Notes/Additional Disclosure forming part of Standalone Financial statements for the year 2021-22

- 2.1 Disclosures required by the Micro, Small and Medium Enterprises Development [MSMED] Act, 2006 to the extend information available with the company is as under :

(₹ in Crores)

SI		31.03.2022	31.03.2021
(a)	The principal amount remaining unpaid at the end of the year.	30.41	11.23
(b)	The delayed payments of principal amount paid beyond the appointed date during the year.	Nil	Nil
(c)	Interest actually paid under Section 16 of the MSMED Act.*	Nil	Nil
(d)	Normal interest due and payable during the year, for all the delayed payments, as per the agreed terms.	Nil	Nil
(e)	Total interest accrued during the year and remaining unpaid.	Nil	Nil

* कंपनी, प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावा/अधिनिर्णय के मामले में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत देय ब्याज. यदि कोई हो, का अनुमान लगाने और प्रदान करने की प्रथा का पालन कर रही है।

2.2 समनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व की सीमा निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	संस्थापन देश	संबंध	31.03.2022 को स्वामित्व ब्याज
गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल)	भारत	समनुषंगी	74%
एचएलएल इन्फ्रस्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड (हाइट्स)	भारत	समनुषंगी	100%
लाइफसिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	50%
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	भारत	समनुषंगी	100%

2.3 कंपनी ने कोच्चि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित अपनी यूनिट में महिला कंडोम एफसी 2 नाइट्राइल संस्करण के विनिर्माण के लिए मेसर्स फीमेल हेल्थ कंपनी (यूके) से ऋण के आधार पर रु.0.89 करोड़ मूल्य के उपकरण प्राप्त किए थे। आपूर्ति किए गए उपकरणों की संपत्ति और शीर्षक मेसर्स फीमेल हेल्थ कंपनी, यू.के. के पास निहित होने के कारण कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ पारित नहीं की गई हैं।

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यूनीपिल संयंत्र शामिल है, कंपनी द्वारा कनगला, बेलगाम में डब्लियुएचओ सीजीएमपी (जेनीवा) अनुपालन सुविधा का संस्थापन किया गया है। यूनीपिल उत्पाद तीन विदेश देशों के साथ पंजीकृत किया गया है, जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है और कंपनी अधिक देशों में भी उत्पाद को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2021-22 के दौरान युनिपिल टैबलेट के 99500 स्ट्रिप्स का निर्माण किया गया था, जिसमें 54990 स्ट्रिप्स वर्ष के दौरान विभिन्न देशों में कंसाइनियों को भी भेजे गए थे। परिसंपत्ति का रखाव मूल्य, वसूली योग्य मूल्य से कम है और इसलिए यूनिपिल संयंत्र पर कोई खराब हानि नहीं पहचान की गयी है।

2.5 वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत शून्य है। (पिछला वर्ष ₹ शून्य है)

2.6 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹ 1000 करोड़ या उससे अधिक के व्यापारवर्त या ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक के निवल लाभवाली हर कंपनी, सी एस आर (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) की ओर तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के निवल लाभ (कर के पूर्व लाभ) के औसतन के कम से कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विवरण निम्नलिखित हैं।

(क) वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जानेवाली सकल रकम -रु.1.65 करोड़।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रकम -रु.1.68 करोड़।

(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गयी रकम :

		नकद में (₹ करोड़)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	1.54
	कुल	1.54

(घ) चालू परियोजनाओं का विवरण (135(5) और 135(6) में संशोधन के अनुसार)

*The company is following the practice of estimating and providing interest , if any , payable under section 16 of MSMED Act only in case claimed/adjudicated by authorities

2.2 The extent of ownership in Subsidiary/Joint Venture Companies are as follows:

Name of the Company	Country of Incorporation	Relationship	Ownership Interest as on 31.03.2022
Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL)	India	Subsidiary	74%
HLL InfraTech Services Limited (HITES)	India	Subsidiary	100%
Life Spring Hospitals Pvt. Ltd	India	Joint Venture	50%
HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	India	Subsidiary	100%

2.3 The Company had received from M/s. Female Health Company (UK) equipments valuing ₹0.89 Crores on loan basis for the manufacture of female condom FC2 Nitrile version at its unit located in Cochin Export Processing Zone. No accounting entries have been passed as the property & title of the equipment supplied vests with M/s. Female Health Company, U.K.

2.4 Property, Plant and Equipment includes Unipill Plant, a WHO GMP (Geneva) compliant facility, set up by the company at Kanagala Belgaum. The product Unipill is registered with three foreign countries where registration is mandatory and the company is in the process of registering the product in more countries. During the year 2021-22 , 99500 strips of UNIPILL tablet was manufactured, out of which 54990 strips were also dispatched during the year to multiple consignees in different countries. The carrying value of the asset is lower than the recoverable value and hence no impairment is recognized on the Unipill Plant.

2.5 Borrowing costs capitalised during the year is Nil. (Previous Year is ₹ Nil)

2.6 As per Schedule VII of the Companies Act, 2013, every company with net worth of ₹ 500 Cr or more, or with a turnover of ₹1000 Cr or more or having a net profit of ₹5 Cr or more is required to spend at least 2% of the average net profits (Profit before tax) of three immediately preceding financial years towards CSR (Corporate Social Responsibility).

The following are the details for the financial year 2021-22.

(a) Gross amount to be spent by the Company during the year 2021-22:- ₹ 1.65 Crs.

(b) Amount approved by the board to be spent during the year: - ₹ 1.68 Crs.

(c) Amount spent during the year on: -

		In cash (₹ Crs)
(i)	Construction/acquisition of any asset	-
(ii)	On purposes other than (i) above	1.54
	Total	1.54

(d) Details of ongoing projects (in line with amendments to 135(5) and 135(6))

विवरण	रकम(करोड़ों में)	रकम(करोड़ों में)
अधशेष 21-22		0.03
कंपनी के साथ	शून्य	
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता	0.03	
वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम		1.54
कंपनी के बैंक खाता से	1.51	
अलग अव्ययित सीएसआर खाता से	0.03	
अंतिम शेष :21-22		0.14
कंपनी के साथ(कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर प्रेषित किया जाना है।)	0.14	
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता	शून्य	

(ड) वर्ष के अंत में कमी :- 0.14 करोड़

(च) सी एस आर गतिविधियों की तरीका और कमी के कारण :-

क्रम संख्या	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार गतिविधि की प्रकृति	आबंटित राशि	खर्च की गयी राशि	कमी	खर्च न करने का कारण
I	स्वास्थ्य रक्षा का प्रोग्राम	1.37	1.26	0.11	रु. 0.05 करोड़ खर्च नहीं किए गए थे क्योंकि लाभार्थी ने परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की थी। रु.0.06 करोड़ को आकस्मिकता के रूप में रखा गया था जिसका उपयोग नहीं किया जा सका।
II	वृद्धाश्रम और विशेष शिक्षा	0.15	0.15	0.00	
III	स्वच्छता	0.10	0.10	0.03	खर्च की गई राशि में 20-21 से अग्रणीत अव्ययित राशि के रु. 0.03 करोड़ रुपये शामिल है।
IV	विकलांग बच्चे और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं का प्रोग्राम	0.03	0.03	0.00	
	कुल	1.65	1.54	0.14	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक को 30.09.2022 तक प्रेषित किया जाना है।

Particulars	Amount (in Crs)	Amount (in Crs)
Opening balance 21-22		0.03
With company	NIL	
In separate CSR unspent account	0.03	
Amount spent during the year		1.54
From Company's bank account	1.51	
From Separate unspent CSR account	0.03	
Closing balance: 21-22		0.14
With company (to be remitted to one of the funds specified in Schedule VII of the Companies Act 2013 within 6 months of the end of the Financial Year)	0.14	
In separate CSR unspent account	Nil	

(e) Shortfall at the end of the year: -0.14 Crs

(f) Nature of CSR Activities & Reason for Shortfall: -

SI No	Nature of activity as per Schedule VII of CA 2013	Amount allocated	Amount spent	Shortfall	Reason for non-spending
i	Promoting Healthcare	1.37	1.26	0.11	Rs. 0.05 Crores was not spent as the beneficiary had not provided the required information for taking up the project. Rs. 0.06 Crore was kept as contingency which could not be utilised
ii	Old age homes and Special education	0.15	0.15	0.00	
iii	Sanitation	0.10	0.10	0.03	Amount spent included Rs 0.03 Crore of unspent amount carried forward from 20-21
iv	Promoting differently abled children and livelihood enhancement projects	0.03	0.03	0.00	
	Total	1.65	1.54	0.14	To be remitted to one of the funds specified in Schedule VII of the Companies Act 2013 by 30.09.2022

- 2.7 बीमा प्रीमियम में सेवानिवृत्ति के बाद के मेडिकल फायदे के लिए प्रदत्त चिकित्सा बीमा प्रीमियम की किश्त शामिल है।
- 2.8 वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की ओर कोई अदायगी नहीं थी।
- 2.9 कंपनी सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ समझौतों के अधीन प्रापण परियोजना और अवसंरचना विकास परियोजना चला रही है, जिसके लिए ट्रस्ट के अधीन अलग-अलग बहियों का रखरखाव किया जाता है। इन परियोजनाओं की संपत्ति और देनदारियों परियोजनाओं को आर्बिट्रेशन करनेवाली सरकार और उसकी एजेंसियों के पास हैं और निरीक्षण और लेखा परीक्षा उनकी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, इन परिसंपत्तियों और देनदारियों का सारांश केवल सूचना के उद्देश्य के लिए अनुबंध I के रूप में प्रकट किया गया है और कंपनी द्वारा ट्रस्ट के तहत रखी गई इन परियोजनाओं के नकद और बैंक शेष और संबंधित देनदारियों को तुलन पत्र में विपरीत मदों के रूप में प्रकट किया गया है।
- 2.10 भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियू) को कंडोम और विविध गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.08.2005 के आदेश के अनुसार एचएलएल को 'कैप्टिव पदवी' प्रदान की है और वह समय-समय पर विस्तार के लिए समीक्षाधीन है। एचएलएल की कैप्टिव पदवी पर दिया गया अंतिम विस्तार 31.03.2024 तक विधिमान्य है।
- कंपनी मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पाद(कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोलीयाँ, ई सी गोलीयाँ, कॉपर-टी और ट्यूबल रिंग्स), प्रेग्नन्सी टेस्ट किट और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति करती है। कैबिनेट आदेश और इसके तदनंतर संशोधनों के अनुसार, मंत्रालय वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष की एल 1 दर के आधार पर अस्थायी दर पर एचएलएल को आपूर्ति आदेश प्रदान करेगा। तदनंतर, खुली निविदा द्वारा निर्धारित एल 1 दर को उसी वित्तीय वर्ष में एचएलएल को इसकी आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के ज़रिए एल 1 मूल्य निर्धारण के अभाव में, एचएलएल से आपूर्ति के लिए उचित मूल्य निर्धारण करने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के टैरिफ कमीशन (टीसी) को या वित्त मंत्रालय के लागत एवं लेखा शाखा (सीएबी) को संदर्भ किया जाएगा।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कंपनी द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर वर्ष 2019-20 के दौरान एचएलएल द्वारा आपूर्ति किए गए कंडोम के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सीएबी को संदर्भित किया है और अध्ययन रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है।
- 2.11 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) और मेसेर्स अकुमन फंड, यु एस ए (अकुमन) के बीच में 50:50 साम्या शेरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम सत्ता के रूप में फरवरी 2008 में मेसेर्स लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था। इस संयुक्त उद्यम को भारत के आर-पार के कम आयवाली महिलाओं को उच्च गुणवत्तावाली, किफायती मातृ स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। यह शहरी गंदी बस्तियों के निकट छोटे आकार (20बिस्तर) के प्रसूती अस्पतालों में प्रचालन करता है। समुदाय जिसमें इन अस्पतालों स्थित हैं, को पीडियाट्रिक संरक्षण (प्रतिरक्षण सहित), नैदानिक एवं फार्मसी सेवाएँ और स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा भी प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.03.2022तक) के अंत में, संयुक्त उद्यम की इक्विटी शेर पूँजी में एचएलएल द्वारा कुल निवेश रु. 951 करोड़ था। अब, संयुक्त उद्यम हाइड्राबाद में 10 अस्पतालों के क्लस्टर चला रहा है।
- संयुक्त उद्यम कंपनी 2016-17 से लाभदायक हो गई और कोविड महामारी के कारण 2020-21 को छोड़कर लगातार लाभ की रिपोर्ट की। पिछले तीन साल के निष्पादन नीचे दिए गए हैं।

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20
	रकम करोड़ों में		
नकद लाभ	3.00	(1.01)	1.07
मूल्यहास/ ऋणमुक्ति	0.30	0.33	0.34
कर के पूर्व लाभ	2.70	(1.34)	0.73
आस्थगित कर आय	0.05	0.03	0.01
कर के बाद लाभ	2.75	(1.31)	0.74

- 2.7 Insurance premium includes instalment of medical insurance premium paid for post-retirement medical benefits.
- 2.8 During the year there was no payment towards voluntary retirement scheme.
- 2.9 The company has been undertaking the Procurement Projects & Infrastructure Development Projects under agreements with Government and its agencies, for which separate books are maintained under trust . The assets and liabilities of these projects are with the Government and its agencies allotting the projects and the inspection and audit are their responsibility. In accordance with the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the summary of these Assets & Liabilities are disclosed as Annexure I only for information purpose and the cash and bank balances of these projects held by the Company under trust and the corresponding liabilities are disclosed as contra items in the Balance Sheet.
- 2.10 Govt. of India has accorded “captive status” to HLL vide Order dated 26.08.2005 for the supply of condoms and other Contraceptive products to the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and same is subjected to review for extension from time to time. The last extension granted on captive status of HLL is valid upto 31.03.2024.

The Company supplies Contraceptive products (Condoms, Oral Contraceptive Pills, EC Pills, Copper-T and Tubal Rings), Pregnancy Test Kits and Sanitary Napkins to the Ministry. As per the Cabinet order and its subsequent amendments, the Ministry shall place the supply orders on HLL in the beginning of the year at the provisional rates based on the L1 rates of the previous year. Subsequently, the L1 rates determined through the open tender shall be made applicable to HLL as the final rate for its supplies during the same financial year. In the absence of L1 rate determination through the tender process, reference shall be made either to Tariff Commission (TC) of the Ministry of Commerce & Industry or Cost & Accounts Branch (CAB) of the Ministry of Finance for determining the fair price for the supplies from HLL.

MoHFW based on the representation by the company, referred to CAB for fair price fixation of Condoms supplied by HLL during 2019-20 and the study report is awaited.

- 2.11 M/s. Life Spring Hospitals (P) Limited was formed in February 2008 as a Joint Venture entity with 50:50 equity shareholding between HLL Lifecare Ltd. [HLL] and M/s Acumen Fund Inc., USA [Acumen]. This JV was formed with the objective of providing High Quality, Affordable Maternal Health Care for Low-Income Women across India. It operates small-sized (20 bed) maternity hospitals in the proximity of urban slums. The hospitals also provide paediatric care (including immunizations), diagnostic and pharmacy services, and health care education to the communities in which its hospitals are located. At the end of the FY 2021-22 (upto 31.03.2022), total investment by HLL in the equity share capital of the JV was ₹9.51 Crores. Presently, the JV is running a cluster of ten hospitals in Hyderabad.

The JV company turned profitable since 2016-17 and reported profits consecutively except for 2020-21 due to the covid pandemic. The past three year performance is as below:

Particulars	2021-22	2020-21	2019-20
	Amount in ₹ Crs		
Cash Profit	3.00	(1.01)	1.07
Depreciation & Amortization	0.30	0.33	0.34
Profit Before Tax	2.70	(1.34)	0.73
Deferred tax Income	0.05	0.03	0.01
Profit After Tax	2.75	(1.31)	0.74

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का विचार है कि इस संयुक्त उद्यम में एचएलएल द्वारा इक्विटी निवेश से जुड़ी कोई संभावित हानि नहीं है।

2.12 एमसीए ने दिनांक 22.03.2021 के आदेश के अनुसार एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, जो सीसीईए द्वारा अनुमोदित एकीकृत वैक्सिन कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एचएलएल द्वारा गठित 100% समनुषंगी कंपनी है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड योजना की नियत यानी 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है और एचबीएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के अधीन एक सीपीएसई बन गया है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा निवेश की गई शेयर पूँजी और एचएलएल द्वारा किए गए संबंधित निवेश को घटाकर रु.274.878 करोड़ है। एचएलएल द्वारा बनाया गया रु. 1 लाख का प्रारंभिक निवेश भारत सरकार से प्राप्य के रूप में नोट-13 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य में दिखाया गया है।

2.13 कंपनी को जनवरी 2008 से 430.10एकड़ भूमि का अधिकार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अधीन केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण शोध संस्थान (सी एल टी आर आई), तमिलनाडु से 99वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आर्बटित किया गया है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की 10.02.2012 को आयोजित इसकी बैठक में ₹10.12 करोड़ (प्रति एकड़ के लिए ₹16.50लाख की दर पर 56 एकड़ और प्रति एकड़ ₹2लाख की दर पर छोटी पहाड़ी के 44 एकड़) के मूल्य के लिए एकीकृत वैक्सिन कॉम्प्लेक्स (आई वी सी) के संस्थापन की ओर चेंगलपेट्टु में कंपनी के अधिकार के 430.10 एकड़ में से 100 एकड़ अनुदान देने के लिए सिफारिश की थी।

पी आई बी की सिफारिशों को आर्थिक कार्य के कैबिनेट समिति (सी सी ई ए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पी आई बी की सिफारिशों के अनुसार आई वी सी के संस्थापन करने के लिए एचएलएल की 100% सहायक कंपनी, मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल) को बनाया गया है। एच बी एल के नाम में 100एकड़ भूमि के अंतरण की कानूनी औपचारिकताएँ और उसके बदले में एचबीएल को अभी तक पूरा किया जाना है, कंपनी ने 20 फरवरी 2014 में इस उद्देश्य के लिए पहचान की गई 100एकड़ भूमि 94वर्षों के लिए रु.1/- की दर पर एच बी एल के नाम में उप पट्टे पर ली है।

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को दी गई 100 एकड़ में से 3.38एकड़ भूमि ₹ 1/- मात्र के वार्षिक पट्टा किराये पर 92वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टानजेडको) (टीएनईबी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को पट्टे पर दिया गया है। एचबीएल और टानजेड को के बीच में उप - पट्टा 19 सितंबर 2016 को कार्यान्वित किया गया।

एचबीएल ने 19 अक्टूबर 2021 के पत्र के ज़रिए एचएलएल से एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था, जिसमें चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकारों के स्थानांतरण का संकेत देते हुए एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। जवाब में, एचएलएल ने 30 अक्टूबर 2021 के पत्र द्वारा एचबीएल को सूचित किया था कि एमसीए 22 मार्च 2021 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित डीमर्जर योजना के पैरा 3.4 के अनुसार चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकार एचबीएल में स्थानांतरित किया गया है। इस पत्र की एक प्रति निदेशक, सीएलटीआरआई को सूचनार्थ भेजी गई है। एचएलएल द्वारा जारी किए गए पत्र के बावजूद, इस तथ्य पर विचार करते हुए वह भूमि एक अचल परिसंपत्ति है, पट्टे को सीधे एचबीएल के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुनःदस्तावेज़ीकरण करना पड़ सकता है।

2.14 मेडिपार्क संस्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में चेंगलपेट्टु, कांचीपुरम जिले (तमिलनाडु) में पट्टे पर ली गई 330.10 एकड़ भूमि को उप पट्टे पर देने के कैबिनेट के अनुमोदन के फलस्वरूप 20 दिसंबर 2016 को एचएलएल की अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड निगमित किया गया है। उक्त 330.10 एकड़ भूमि एचएमएल को मार्च 2017 के दौरान उप पट्टे के आधार पर आर्बटित की गई थी। एचएलएल ने एचएमएल में इक्विटी शेयर पूँजी की ओर 6.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021के आदेश के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड योजना की नियत तिथि अर्थात् 01अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है। योजना के अनुसार, भारत सरकार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को उनके द्वारा एचएमएल में किए गए ₹ 6.40 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रतिफल का भुगतान करेगी। तदनुसार, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड में कंपनी द्वारा किए गए निवेश को इस हद तक कम कर दिया गया है और टिप्पणी सं -13 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य के तहत भारत सरकार से प्राप्य के रूप में खुलासा किया गया है।

Considering the above, the management is of the view that there is no potential impairment associated with the equity investment by HLL in this JV.

- 2.12 MCA has vide order dated 22.03.2021 approved the demerger of HLL Biotech Ltd (HBL), the 100% subsidiary formed by HLL for setting up the Integrated Vaccine Complex as approved by CCEA. HLL Biotech Ltd has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme i.e., 01st April 2019 and HBL has become a CPSE under the direct ownership of Govt. of India. Accordingly, the share capital invested by Gol and corresponding investment made by HLL is reduced to the tune of Rs. 274.88 Crores. The initial investment of Rs. 1.00 Lakh made by HLL is shown as receivable from Govt of India in Note 13- Current Financial Assets- Others.
- 2.13 The Company is in possession of 430.10 acres of land since January 2008, allotted on lease for a period of 99 years from the Central Leprosy Teaching Research Institute (CLTRI), Tamil Nadu, under directives from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 had recommended to earmark 100 acres of land out of the 430.10 acres in possession with the Company at Chengalpattu for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), for a value of ₹10.12 crores (56 acres at ₹16.50 lacs per acre and 44 acres of hillock @ ₹ 2 lacs per acre).

The recommendations of the PIB are approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA).

M/s HLL Biotech Limited (HBL), was formed as 100% subsidiary of HLL for setting up the IVC, in line with the PIB recommendations. As the legal formalities of transfer of 100 acres of land in the name of HLL and in turn to HBL are yet to be completed, the Company had, on 20th February 2014, sub-leased the 100 acres identified for the purpose, in favour of HBL at ₹1/- for 94 years.

Out of 100 acres land leased to HLL Biotech Limited, 3.38 Acres of land is given on lease to Tamilnadu Generation and Distribution Corporation Ltd [TANGEDCO] (Subsidiary of TNEB Ltd.) for a period of 92 years, on an annual lease rent of ₹1/- only. The sub-lease between HBL and TANGEDCO was executed on 19th September 2016.

HBL had vide letter dated 19th October 2021 requested HLL to issue a letter indicating transfer of leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamilnadu. In response, HLL had by letter dated 30th October 2021 informed HBL that according to Para 3.4 of the Demerger Scheme approved by the MCA by its Order dated 22nd March 2021 the leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamilnadu stands transferred to HBL. A copy of this letter was marked to Director, CLTRI for information. In spite of the letter issued by HLL, considering the fact that land is an immovable property, re-documentation may have to be done to complete the process of transfer the lease directly in the name of HBL.

- 2.14 Consequent to Cabinet Approval to sub-lease the 330.10-acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to the company in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited was incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The said 330.10-acre land was allotted to HML on sublease basis during March 2017. HLL has invested Rs. 6.40 Crores towards Equity share capital in HML.

Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HML from HLL by MCA vide order dated 31st March 2021, HLL Medipark Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme i.e., 01st April 2019. As per the scheme, Govt. of India shall pay HLL Lifecare Limited the consideration of equity investment made by HLL in HML of ₹ 6.40 Crores. Accordingly, the investment made by the company in HLL Medipark Limited is reduced

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचएमएल के डीमर्जर द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाइयों के आधार पर, एचएमएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के एक सीपीएसई बन गया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की योजना के खंड 3.4 के अनुसार वैक्सीन व्यवसाय कारोबार का हिस्सा बननेवाली किसी भी अचल संपत्ति में सभी अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे और एचएमएल में निहित हो जाएंगे। इसके बावजूद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भूमि एक अचल संपत्ति है, एचएमएल के नाम पर सीधे पट्टे के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुनः दस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है।

- 2.15 आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 1 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एचएलएल के वैक्सीन उद्यम और मेडिपार्क परियोजना को तीन महीने की अवधि के अंतर अलग एसपीवी के रूप में बदलने और उसके बाद दो चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड में सरकार की इक्विटी का 100% की बिक्री के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), विनिवेश प्रक्रिया का समन्वय करने का नोडल एजेंसी, (1) लेन-देन सलाहकार (टी ए) के रूप में मेसेर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवट लिमिटेड (पीडब्लियुसी) और (2) विधिक सलाहकार (एल ए) के रूप में मेसेर्स क्रॉफोर्ड बेल्ले & कंपनी को चयनित प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है। परिसंपत्ति मूल्य-निर्धारक (ए वी) के रूप में मेसेर्स एड्रॉइट टेक्निकल सर्वोसिस प्राइवट लिमिटेड का चयन प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया।

एचएलएल के प्रस्तावित सामरिक विनिवेश के लिए इच्छुक निवेशकों से हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करनेवाली अधिसूचना एचएलएल के बारे में प्रारंभिक सूचना सहित ज्ञापन के साथ 14 दिसंबर 2021 को टीए द्वारा प्रकाशित की गई थी। एचएलएल पीआईएम प्रकाशित करने और ईओआई के लिए निमंत्रण के बाद, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (दीपम) ने दीपम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेन-देन सलाहकार और एचएलएल की वेबसाइटों पर चार (4) शुद्धिपत्र प्रकाशित किए।

टीए द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन मोड के माध्यम से ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2022 थी और ईओआई की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 थी। योग्य इच्छुक बोलीदाताओं (क्यूआईबी) को सूचना देने के लिए टीए की नियत तारीख 28 मार्च 2022 थी।

प्रस्तावित विनिवेश और इस संबंध में आवश्यक कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- 2.16 एचएलएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन नियमों के साथ पठित मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी) को रु.65 करोड़ तक अस्थायी ऋण(अप्रतिभूत) प्रदान किया था। 31.03.2022 को ऋण के कारण एचएलएल बायोटेक लिमिटेड से बकाया राशि 31.03.2021 का बकाया राशि रु. 19.41 करोड़ के प्रति शून्य है।
- 2.17 वर्ष के दौरान मेसेर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) ने कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अधीन मेसेर्स एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) (पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी) को मासिक आधार पर देय एचएलएल द्वारा लाभ उठाई नकदी ऋण सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर की दर पर विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 1.68 करोड़ तक की अस्थायी ऋण (अप्रतिभूत) प्रदान किया था। एचएलएल बोर्ड ने 24 मई 2022 को हुई अपनी 283 वीं बोर्ड बैठक में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड से बकाया रहा रु.2.18 करोड़ को बड़े खाते डालने का अनुमोदन दिया और इसे 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए पी & एल में प्रभारित किया जाता है।

to this extent and is disclosed as Receivable from Govt. of India under Note -13 Current Financial Assets-Others.

HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate action(s) necessitated by the Demerger of HML and based on the actions taken by the Ministry, HML has become a CPSE under the direct ownership of the Government of India.

According to Clause 3.4 of the Scheme of Demerger of HML from HLL approved by the Ministry of Corporate Affairs all rights in any immovable property forming part of the Vaccine Business Undertaking shall stand transferred and be vested in HML. In spite of this, considering the fact that land is an immovable property, re-documentation may have to be done to complete the process of transfer the lease directly in the name of HML.

- 2.15 The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 has granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs with 100% equity holding by Govt. of India within a period of three months and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process. The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), the nodal agency coordinating the disinvestment process selected (1) M/s. Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PWC) as Transaction Advisor (TA) and (2) M/s. Crawford Bayley & Co. as Legal Advisor (LA) through competitive bidding process. M/s. Adroit Technical Services Pvt. Ltd was selected as Asset Valuer (AV) by the Administrative Ministry through competitive bidding process.

The Notification inviting Expression of Interest (EOI) from interested investors for the proposed strategic disinvestment of HLL together with Preliminary Information Memorandum about HLL was published by the TA on 14th December 2021.

After publishing HLL PIM and invitation for EOI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, Government of India [DIPAM] published four (4) corrigenda on the websites of DIPAM, Ministry of Health & Family Welfare, Transaction Advisor and HLL.

According to the schedule published by the TA, last date for submission of EOIs through online mode was 14th March 2022 and the last date for submission of physical copy of EOI was 21st March 2022. The due date for TA to give intimation to Qualified Interested Bidders (QIB) was 28th March 2022.

Periodic review meetings are held by Department of Investment and Public Asset Management with the Ministry of Health to discuss about the proposed disinvestment and actions required in this regard.

- 2.16 HLL had granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of Companies Act, 2013 read with rules upto Rs. 65 Crores to M/s HLL Biotech Ltd (erstwhile 100% subsidiary company). The balance due from HLL Biotech Ltd on account of the loan as on 31.03.2022 is Nil against the dues of Rs. 19.41 Crores on 31.03.2021.
- 2.17 HLL Lifecare Limited (HLL) had granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under to M/s. HLL Medipark Ltd (HML)(erstwhile 100% subsidiary) up to ₹ 1.68 Crore for meeting various expenditure at the rate of interest linked to maximum interest rate applicable to Cash credit facility availed by HLL payable on monthly basis. HLL Board vide its 283rd Board meeting held on 24th May 2022, approved the write off of Rs. 2.18 Crores due from HLL Medipark Ltd and the same is charged to the P&L for the year ended 31.03.2022.

2.18 जीएपीएल 2014 से एचएलएल की सहायक कंपनी है, जिसमें ईडीसी लिमिटेड गोवा के साथ एचएलएल की 74% शेयर है। 31.03.2022 को कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय के अनुसार कंपनी का निवल रकम नकारात्मक है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लाभरहित कंपनी हो गई। जीएपीएल प्रबंधन ने अपनी 191 वीं बोर्ड बैठक में एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की, जिसपर चर्चा की गई। जीएपीएल बोर्ड सैद्धांतिक रूप से पुनरुद्धार योजना के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड से संयुक्त रूप से उनकी शेयरधारिता के अनुपात में रु.14.31 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी जुटाने की योजना के साथ सहमत हुआ जिसमें एचएलएल की इक्विटी शेयर पूँजी रु.10.59 करोड़ है।

अतः प्रबंधन का विचार है कि निवेश से जुड़े कोई संभावित हानि नहीं है।

2.19 उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु अस्पताल स्कंध के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 1 अगस्त, 2017 को एचएलएल की एक अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल) गठित किया गया। एचएलएल ने एचएमसीसीएचएल में इक्विटी शेयर पूँजी की ओर रु. 0.10 करोड़ निवेश किया था। हालांकि एचएमसीसीएचएल उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका जिसके लिए एसपीवी की स्थापना की गई थी।

शेल कंपनी को बनाए रखने के लिए अन्य आकस्मिक लागतों के साथ-साथ प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से नाम काटकर एचएमसीसीएचएल को बंद करने का निर्णय लिया और कंपनी ने 23 जुलाई 2021 को इस संबंध में निदेशक मंडल की आवश्यक मंजूरी प्राप्त की। एचएमसीसीएचएल में वर्ष 2021-22 के दौरान कोई लेन-देन नहीं है।

बोर्ड के फैसले के आधार पर, एचएमसीसीएचएल के निदेशकों ने आवेदन के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति बांड और शपथ-पत्र जारी किया है। सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रशासनिक मंत्रालय से अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक विधिवत नोटरीकृत क्षतिपूर्ति बांड भी प्राप्त किया जाएगा। तदनुसार, एचएलएल ने क्षतिपूर्ति बांड प्रदान करने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया है। मंत्रालय से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने पर, कंपनी कंपनियों के रजिस्ट्रार से कंपनी को काट करने के लिए आवेदन करेगी।

2.20 एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने चेंगलपेट्टु में एकीकृत वैक्सिन परियोजना स्थापित करने के लिए एचएलएल अवसंरचना विकास प्रभाग (आईडीडी) को सिविल निर्माण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। एचएलएल-आईडीडी ने खुली निविदा प्रक्रिया के ज़रिए मेसर्स शापूरजी पल्लोनजी & कंपनी प्रा. लिमिटेड को परियोजना प्रदान किया है। एसपीसीपीएल ने परियोजना पूरा करने की संशोधित निर्धारित तारीख से 571 दिनों की देरी के साथ पूरी की। एसपीसीपीएल को देय भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच में वाद-विवाद हुआ। एसपीसीपीएल ने रु.74.95 करोड़ का मध्यस्थता दावा दायर किया जिसके विरुद्ध एचएलएल ने रु.46.07 करोड़ का काउंटर दावा की है। मध्यस्थता चल रही है। एचबीएल के निदेशक मंडल ने एसपीसीपीएल के मध्यस्थता दावे को संभालने की मंजूरी दे दी जो एचबीएल-आईवीसी के निर्माण से संबंधित है, मध्यस्थता दावे को एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के वित्तीय में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

2.21 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वप्रेरणा से वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी की गई निविदाओं में अभिकथित कार्टेलिज़ेशन के लिए पुरुष गर्भनिरोधक उत्पादों के दस निजी विनिर्माताओं के खिलाफ जाँच प्रारंभ की थी और जाँच में कंपनी को अभिकथित गुटबंदी के लिए एक पार्टी के रूप में भी शामिल की थी। कंपनी से माँगी गई सभी जानकारी भी प्रस्तुत की गई। एचएलएल ने डीजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दायर किया है। वर्ष 2019 के डब्ल्यू.पी नं. 2293 में तेलंगाना न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2019के आदेश के मद्देनज़र, मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए, आयोग ने 20.11.2019 को नियत मामले में डीजी रिपोर्ट पर अंतिम सुनवाई को रद्द करने का निर्णय लिया और 15.11.2019 को अन्य विरोधी पक्षों के साथ एचएलएल को इसकी सूचना दी। 15.11.2019 के बाद सीसीआई से और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ।

2.22 वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस) ने एचएलएल अमृत स्टोर्स के माध्यम से सीजीएचएस के द्वारा अपेक्षित दवाओं के प्रापण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया था। दिनांक 21 अगस्त, 2018

- 2.18 GAPL is a subsidiary of HLL since 2014 along with EDC Ltd Goa, with a 74% stake by HLL. As per the audited financials of the company as on 31.03.2022, the networth of the company is negative and as per the DPE guidelines the company became sick. GAPL management in its 191st Board meeting presented a Revival plan, which was discussed. GAPL Board in principle agreed to the revival plan with a plan to raise additional equity of Rs. 14.31 Crores jointly from HLL Lifecare Ltd and EDC Ltd. in the ratio of their shareholding of which HLL share of equity capital is Rs. 10.59 crores.

Hence, the management is of the view that there is no potential impairment loss associated with the investment.

- 2.19 HLL Mother & Child Care Hospitals Limited (HMCCHL) was formed as a separate 100% subsidiary of HLL on 1st August 2017, as a Special Purpose Vehicle for operationalization of Mother & child Hospitals Wings in Uttar Pradesh. HLL had invested Rs. 0.10 crs towards equity share capital in HMCCHL. However, HMCCHL could not serve the objective for which the SPV was set up.

Considering the fact that maintaining a shell company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs, the Board decided to close down HMCCHL by striking off the name from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 and that the company obtained necessary approval of Board of Directors in this regard on 23rd July 2021. There are no transactions during the year 2021-22 in HMCCHL.

Based on the Board decision, the directors of HMCCHL has issued the Indemnity bond and affidavits required for the application. Being Government Company, a duly notarized Indemnity Bond from the Administrative Ministry signed by the Under Secretary or equivalent officer shall also be obtained. Accordingly, HLL has requested the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India to provide the Indemnity Bond. Up on receipt of the Indemnity Bond from the Ministry, the company will apply for strike off of the company from the Registrar of Companies.

- 2.20 HLL Biotech Ltd, appointed HLL - Infrastructure Development Division (IDD) as Civil Construction consultant for setting up the Integrated Vaccine Project in Chengalpattu. HLL - IDD awarded the project to M/s Shapoorji Pallonji & Company Pvt Ltd, Chennai through Open Tender Process. SPCPL completed the project with a delay of 571 days from the revised scheduled date of completion. Dispute arose between the parties with regard to payments due to SPCPL. SPCPL has filed an arbitration claim of ₹74.95 Crores against which HLL has filed a counter claim of ₹ 46.07 Crores. The arbitration is under progress. The Board of Directors of HBL has approved taking over of the arbitration claim of SPCPL as the same is pertaining to the construction of HBL-IVC, the arbitration claim is disclosed as contingent liability in the financials of HLL Biotech Ltd.
- 2.21 The Competition Commission of India (CCI) suo moto had initiated (30.9.2014) an investigation against ten private manufacturers of male contraceptive products for alleged cartelisation in tenders floated by Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) during the period 2010 to 2013 and upon investigation the Company was also included as a party to the alleged cartelisation. All information sought from the company was also submitted. HLL has filed response to the DG report. In view of the Order dated 14.10.2019 passed by the Hon'ble Court of Telangana in W.P. No. 2293 of 2019, staying all further proceedings in the matter, the Commission decided to cancel the date of final hearing on DG Report fixed in the matter on 20.11.2019 and communicated the same to HLL along with other Opposite Parties on 15.11.2019. No further communication from CCI was received after 15.11.2019.
- 2.22 During the year 2018-19, Central Government Health Services (CGHS) communicated the

के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आपूर्ति किए गए दवाओं के लिए भुगतान एमआरपी के 30% से कम नहीं छूट पर किया जाएगा। तदनुसार आपूर्तियाँ पूरी की गईं। सीजीएचएस को चिकित्सा आपूर्ति पर लागत प्लस 25 % मार्कअप पर बिल्लिंग की शर्तों को संशोधित किया गया था। सीजीएचएस ने एचएलएल को क्रय लागत प्लस जीएसटी की ओर पूरी रकम का भुगतान किया, हालांकि सेवा शुल्क के लिए दावा अभी भी लंबित है। 31.03.2022 तक सीजीएचएस से सेवा शुल्क के लिए कुल बकाया रु.15.71 करोड़ है। इस निष्पादन का प्रावधान 31.03.2022 तक उपलब्ध है।

2.23 आरबीडी और एचसीएस प्रभाग प्रत्येक सेंटर के दैनिक लेन-देन प्राप्त करने के लिए इको ग्रीन, एलआईएस एचएमआईएस, आरआईएस और बिल्लिंग मोड्यूल, टेलिरेडियॉलजी, पीएसीएस और आरआईएसपीएसीएस जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। लेन-देन का सारांश आवधिक आधार पर एचएलएल खाता बही में अधिकृत कर लिया है।

2.24 सरकारी अनुदान

क. ईएमआई ईएमसी लेब

एचएलएल कैंपस, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की ओर एमओसी & आई से एचएलएल को प्राप्त निर्यात अवसरचना और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास(एसाईड) के लिए राज्यों को सहायता के अधीन नवंबर 2016 के दौरान रु.14 करोड़ की रकम प्राप्त हुई थी। मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार, (क) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एचएलएल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। (ख) परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है (ग) एचएलएल को 31.03.2018को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा (घ) अनुदानग्राही अनुदेयी नियमों व शर्तों के पालन करने में विफल होने की स्थिति में, अनुदान का पूरा या उसका हिस्सा प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

यह परियोजना निर्माणाधीन है और नियमित आधार पर निर्धारित जैसे उपयोग प्रमाणपत्र एमओसी & आई को प्रस्तुत किये गए हैं और 31 मार्च 2022 तक का यूसी भी जमा किया गया है। कंपनी को समय के विस्तार के लिए लिखित स्वीकृति मिलना बाकी है। हालांकि, मंत्रालय ने एचएलएल के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया है। कंपनी अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं करती है, जैसे कि परियोजना अब पूरी हो चुकी है और सभी पहलुओं में चालू हो गई है। वर्तमान में ईएमआई-ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला एनएबीएल प्रत्यापन प्रक्रिया के लिए जा रही है, जो अगस्त 2022 के अंत तक पूरी हो जाएगी।

31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2022 तक के ₹ 1.43 करोड़ की अप्रयुक्त रकम के ब्याज को ₹ 0.57 करोड़ की आकस्मिक देयता मानी जाती है।

ख. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है जिसमें पूंजी के साथ-साथ राजस्व अनुदान भी शामिल है। परमाणु विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड से (रु.0.24 करोड़) ड्युअल परपस फ्लूरोसीन और इलक्ट्रोकेम के लिए इलक्ट्रोस्पिंग क्यू डॉट्स नैनोफिब्रस मेम्ब्रेन के विकास के लिए है, मेटल रिड्यूस्ड कार्बन नैनोमेटिरियल्स के विकास के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (0.16 करोड़) से मलेरिया का पता लगाने और जल शोधन पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय (0.16 करोड़) से सरकारी अनुदान हैं।

ग. सहेली प्रोत्साहन अनुदान

कंपनी को मार्च 2018 में एमओएचएफडब्लियु से सहेली नॉन-स्टिरोइडल ओसीपी के प्रोत्साहन अनुदान की ओर रु 5.00 करोड़ प्राप्त किया गया। अनुदान अप्रयुक्त रहा और एमओएचएफडब्लियु ने जून 2022 के पत्र से अर्जित ब्याज के साथ अप्रयुक्त अनुदान को वापसी मांगी। ब्याज के लिए प्रावधान 31.03.2022 तक उपलब्ध है।

2.25 वर्ष 2015-16के दौरान कंपनी ने फार्मास्यूटिकल फंड और सप्लाई एजेंसी, इथियोपिया के माध्यम से इथियोपिया मंत्रालय को

approval of the competent authority for procurement of medicines required by CGHS through HLL AMRIT stores. As per the OM dated 21st August 2018, the payment for the medicines supplied shall be made at a discount of not less than 30% of MRP. Accordingly, supplies were completed. The terms of billing were further revised to Cost plus 25% markup on medical supplies to CGHS. CGHS paid to HLL full amount towards purchase cost plus GST, however the claim towards service charges is still pending. The total dues from CGHS towards the service charges is Rs. 15.71. Crores as on 31.03.2022. Provision to this effect is available as on 31.03.2022

2.23 RBD and HCS divisions are using multiple software's like Eco Green, LIS, HMIS, RIS & Billing module, Teleradiology, PACS and RISPACS for capturing daily transactions of each centres. Summary of transactions are captured in HLL books of accounts on a periodical basis.

2.24 Government Grants:

a. EMI EMC Lab

An amount of ₹14 Crores was received by HLL from MoC & I during November 2016 for setting up testing lab for medical equipments at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE). As per the terms of the sanction letter, (a) A committee shall be constituted by HLL for implementation and monitoring the projects including a representative from the Department of Commerce, (b) the project is to be completed in time bound manner, (c) HLL has to submit the utilisation certificate by 31.03.2018, (d) In the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest at 10% per annum.

The project is under construction and utilization certificates were submitted to MoC & I as stipulated on regular basis and the UC upto 31st March 2022 is also submitted. The company is yet to get a written approval for extension of time. However, Ministry has categorically not denied HLL's request. The company does not envisage repayment of the grant as the lab is now completed and commissioned in all aspects. Currently the EMI-EMC testing lab is going for NABL accreditation process, which will be completed by the end of August 2022.

A Contingent liability of Rs. 0.57 Crores is considered towards interest on the un-utilised amount of Rs. 1.43 Crores as on 31.03.2022 from the date of scheduled completion of 31.03.2018.

b. Grant for R& D Projects

The corporate R&D centre is in receipt of grants from Govt for various projects which includes capital as well as revenue grant. The Government Grants are from Board of Research in Nuclear Sciences (Rs. 0.24 Crores) is for development of Electrospun Q dots Nanofibrous Membrane for dual purpose fulorescence and electrochem, from Science & Engineering Research Board (Rs 0.16 Crores) for Development of Metal Reduced carbon nanomaterials -Malaria Detection & from Directorate of Environment & Climate Change (Rs. 0.16 Crores) on Water Purification.

c. Saheli Promotional Grant

The company received Rs. 5.00 Crores towards Promotional Grant for Saheli Non-Steroidal OCP in March 2018 from MoHFW. The grant remained unutilized and MOHFW has vide letter dated June 2022 sought surrender of the unutilised grant along with accrued interest. Provision towards interest is available as on 31.03.2022

2.25 During the year 2015-16, the company had exported 69.88 Mpcs of male condoms to Ministry of Ethiopia through Pharmaceutical Fund and Supply Agency, Ethiopia and the collections were

पुरुष कंडोम के 69.88दशलक्ष अदद निर्यात किया था और संग्रहण भी प्राप्त हुआ था। बाद में पीएफएसए ने सूचित किया कि इन में से कुछ बैच इथियोपिया फुड मेडिसिन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन (ईएफएमएचसीए) के परीक्षणों में असफल हो गये हैं। इस शर्त पर चार परेषण में पूरी आपूर्ति प्रतिस्थापित करने की सहमति व्यक्त की गयी कि इथियोपियन संस्था को एचएलएल द्वारा प्रतिस्थापित किये गये प्रत्येक बैच की ओर खराब सामग्रियों के समान मात्रा वापस भोजना है।

कंपनी ने वर्ष 2017-18के दौरान कंडोम के 15 दशलक्ष अदद (35 बैचों में) बदले में प्रतिस्थापित किया और फार्मस्यूटिकल फंड और सप्लाई एजेंसी (पीएफएसए) ने 137 बैचों से 15 दशलक्ष अदद वापस किए। वापसी मालों के केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नै में आगे परीक्षण किया गया और सभी बैच पारित किये गये। पीएफएसए ने सूचित किया था कि वे पहले सहमत किये जैसे वे प्रतिस्थापन के साथ जारी नहीं रहेंगे।

पीएफएसए, एथियोपिया ने हमें भुगतान की गई रकम की शेष रकम की वापसी मांग कर दिनांक 13.2.2018 को कानूनी नोटीस भेजा था। हालांकि दिनांक 21.02.2018 के पत्र के अनुसार एचएलएल द्वारा इसको इनकार कर दिया गया।

23 सितंबर 2020 को पीएफएसए ने एचएलएल के खिलाफ फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के साथ उपरोक्त मामले के अनुरूप 45.60करोड आईएनआर के बराबर दावा रकम के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया। एचएलएल को फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया से 12.10.2020 को सूचना मिली कि इस मामले पर पहली सुनवाई फरवरी 2021 को होगी। एचएलएल 18.02.2021को अपने वकील, अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवाद बयान दाखिल किया।

29.04.2021 को सुनवाई हुई और मामला आदेश के लिए पोस्ट किया गया है। रु.45.60 करोड का दावा राशि आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है।

- 2.26 लेखांकन मानक (ए एस -37) के अनुसार प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ, 31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे में बनाए गए प्रावधानों में गति से संबंधित प्रकटीकरण निम्न जैसे हैं:

(रु.करोड)

वर्ष	वस्तुसूचियों की ओर प्रावधान		अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता*		अन्य के लिए प्रावधान**	
	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21
प्रारंभिक शेष	1.79	0.27	20.75	22.34	15.39	15.39
परिवर्धन	4.18	1.79	172.10	24.84	-	-
उपयोग		-	1.51	24.26	-	-
व्युत्क्रम	0.65	0.27	0.34	2.17	-	-
अंतिम शेष	5.32	1.79	191.00	20.75	15.39	15.39

* अप्रचलित वस्तुसूची की ओर प्रावधान बनाया गया।

*** प्राप्य और अन्य की ओर प्रावधान बनाए गए।

- 2.27 टिप्पणी सं 10 के अनुसार व्यापार प्राप्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से प्राप्य रु. 137.41 करोड शामिल है। इस में से रु. 123.74 करोड केरल के पारिपल्ली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित है, परियोजना नवंबर, 2010 में पूरी हुई और 21/10/2016 को ईएसआईसी द्वारा अधिग्रस्तित की गयी और शेष रकम रु. 13.67 करोड अन्य असाइनमेंट से संबंधित है। इन में से रु. 123.74 करोड, रु. 28.98 करोड किये गये काम का मूल्य है और रु. 94.76 करोड का एक्सलेशन क्लेम अक्टूबर 2012 से समय विस्तार के लिए लंबित अनुमोदन है।

इस रु 94.76 करोड प्राप्य के खिलाफ रु 62.45 करोड को इस टर्न की परियोजना पर मेर्सस एल & टी को देय वर्धित दावों के खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।

also received. Later PFSA communicated that some of the batches failed the tests of Ethiopia Food Medicines and Health Care Administration (EFMAHCA). It was agreed to replace the entire supplies in four consignments on the condition that the Ethiopian entity has to send back equal quantity of the defective material against each batch of replacement done by HLL.

The Company replaced 15 Mpcs of Condom (in 35 batches) and in return Pharmaceuticals Fund and Supply Agency (PFSA) has returned 15 Mpcs from 137 batches during 2017-18. The returned goods were further tested at Central Drug Testing Laboratory, Chennai and all batches were passed. PFSA had informed that they would not continue with the replacement, as agreed earlier.

PFSA, Ethiopia had sent a legal notice dated 13.02.2018 demanding refund of balance amount paid to us. However, this was denied by HLL vide letter dated 21.02.2018.

On 23rd September 2020, PFSA filed a Civil Case against HLL with the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia in line with the above matter for a claim amount equivalent to INR 45.60 Cr. HLL received intimation from the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia on 12.10.2020 that the first hearing on the matter will be in February 2021. HLL filed the defense statement through our counsel on 18.2.2021.

Hearing was held on 29.04.2021 and the matter is posted for orders. The claim amount of Rs. 45.60 Crores is included in contingent liability.

- 2.26 Pursuant to the Ind AS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the disclosure relating to movement in provisions made in the accounts for the year ended 31st March 2022 is as follows:

(₹Cr)

Year	Provision against Inventories*		Allowance for Bad and doubtful debts**		Provision for Others**	
	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21
Opening Balance	1.79	0.27	20.75	22.34	15.39	15.39
Additions	4.18	1.79	172.10	24.84		-
Utilizations		-	1.51	24.26	-	-
Reversals	0.65	0.27	0.34	2.17	-	-
Closing Balance	5.32	1.79	191.00	20.75	15.39	15.39

*Provision created against obsolete inventories.

**Provision created against Receivables and Others.

- 2.27 Trade Receivables as per Note No 10 includes ₹ 137.41 crores receivable from Employees State Insurance Corporation (ESIC). Out of this, ₹123.74 Crores pertains to claims for Construction of Medical College at Paripally in Kerala, the project started in November 2010, was completed, and taken over by ESIC on 21/10/2016 and balance ₹13.67 crores pertains to other assignments. Out of this ₹ 123.74 crores, ₹ 28.98 crores is value of work done and ₹ 94.76 crores being escalation claims pending approval for extension of time from October 2012.

As against this ₹ 94.76 crores of receivable, ₹ 62.45 crores is recognized as expenses towards escalation claims payable to M/s. L & T as part of their bills on this turnkey project

एचएलएल अनुबंध के अनुसार आज भुगतान जारी करने के लिए अनुरोध करने से, ईएसआईसी के पत्र दिनांक 27.03.2018 के अनुसार एचएलएल को ₹ 92.93 करोड़ को वापस भुगतान करने का निर्देश दिया जो एचएलएल और ईएसआईसी के बीच में दिनांक 21.01.2010 के किसी भी सहमत अनुबंध की शर्तों के आधार पर नहीं है। लंबे समय से लंबित प्राप्ति को विचार करके एचएलएल ने ईएसआईसी के साथ के समझौते के अनुसार विवाद निवारण प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया है और मध्यस्थता में रु. 437.19 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, मध्यस्थ को समाप्त कर दिया गया था, और विवाद समाधान में अत्यधिक देरी को देखते हुए, एचएलएल ने इस विवाद में सीपीएसईएस विवाद (एमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र को अपनाने का निर्णय लिया और 24.01.2022 को हुई 282 वीं बैठक में इस आशय की स्वीकृति प्रदान की गई। एमआरसीडी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुरोध/आवेदन 03.01.2022 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किया गया था।

दिनांक 26.04.2022 के आदेश के अधीन एक समिति गठित की गई है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव और विधि कार्य विभाग के सचिव शामिल हैं। समिति को अपने गठन के 3 महीने के अंदर अपने निर्णय को अंतिम रूप देना अनिवार्य है और पहली बैठक 02.05.2022 को आयोजित की गई थी। इसके लिए प्रावधान 31.03.2022 तक उपलब्ध है।

मेसेर्स एल & टी के साथ व्यवस्थापन लंबित होने के कारण, अनुबंध के अनुसार मेसेर्स एल & टी द्वारा विवाद निवारण तंत्र की शुरुआत की गई थी। तदनुसार एचएलएल ने एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है और मेसेर्स एल&टी ने ₹248.07 करोड़ के ब्याज (30.09.2019) के साथ ₹ 278.95 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया। एचएलएल ने ₹38.50 करोड़ के काउंटर दावे के साथ दावों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए अपने प्रतिवाद के बयान को प्रस्तुत किया। आगे एल & टी के प्रत्युत्तर के लिए उत्तर देते हुए एचएलएल के काउंटर दावे को ₹53.98 करोड़ में संशोधित कर दिया गया। वर्ष 21-22 के दौरान, एचएलएल ने काउंटर दावों में संशोधन के लिए अर्जी दायर की। एल & टी ने एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ एक अर्जी दायर की और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अर्जी की अनुमति दी और एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने का आदेश पारित किया और एक नया एकल मध्यस्थ को नियुक्त किया। इस बीच में, एचएलएल ने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) भी दर्ज किया है। हालांकि, एचएलएल और एल & टी राशि के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।

- 2.28 एचएलएल ने गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से राज्य भर में जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए अपने पहल के रूप में अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर (एडीडीपीएमजेएस) खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस संबंध में, एचएलएल ने 6 सितंबर 2016 को मेसेर्स गुजरात राज्य सीएसआर प्राधिकरण और मेसेर्स गुजरात मेडिकल सर्वोसिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनने तक फार्मसियों की स्थापना और संचालन के लिए एमओयु हस्ताक्षर किया। एचएलएल ने नवंबर 2016 के महीने में गुजरात में 52 अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर संस्थापित किये थे। 2017 में, गुजरात सरकार द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था, लेकिन इसने रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएं और प्रचालन को नहीं निकाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार द्वारा पारित संकल्प के अनुसार, एचएलएल ने 18.05.2018 के प्रभाव से स्टोर का प्रचालन ले लिया।

संकल्प के अनुसार, जीएमएससीएल ने उसकी लेखापरीक्षा आयोजित करने के बाद स्थानांतरण की तारीख तक गुजरात प्रचालन की हानि रकम व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है।

इस प्रकार 17/05/2018 तक रु. 12.32 करोड़ की रकम की संचित हानि अन्य चालू परिसंपत्तियों - टिप्पणी-14 के तहत मेसेर्स गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएसपीएल) से प्राप्य के रूप में परिकलित किया गया है और इसके लिए एक प्रावधान 31.03.2022 तक उपलब्ध है। आगे रु. 13.70 करोड़ मेंडिसिन आपूर्ति की ओर गुजरात मेडिकल सर्वोसिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) से देय है जो व्यापार प्राप्य में शामिल किया गया है। जीएमएससीएल से परिक्रामी निधि के रूप में एचएलएल द्वारा प्राप्त रु. 15.00 करोड़ की रकम चालू वित्तीय परिसंपत्तियों-अन्य के अधीन दिखायी गई है।

As HLL was requesting for release of eligible payments due as per contract, ESIC vide letter dated 27.03.2018 directed HLL to pay back ₹ 92.93 crores, which is not based on any agreed contract terms between HLL and ESIC dated 21.01.2010. Considering the long pending receivables, HLL has requested for dispute redressal process as per agreement between ESIC and a claim of Rs.437.19 crores is submitted in arbitration. However the arbitrator was terminated, and considering the inordinate delay in the dispute resolution, HLL decided to adopt Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes [AMRCD] in this dispute and approval to this effect was accorded in 282nd Board meeting held on 24.01.2022. The request / application for initiating AMRCD proceedings was made to the Secretary, MoHFW for initiating AMRCD proceedings was made on 03.01.2022.

Vide order dated 26.04.2022 a committee comprising of Secretary Ministry of Health and Family Welfare, Secretary Ministry of Labour and Employment, and Secretary Department of Legal affairs is constituted. The committee is mandated to finalise its decision within 3 months of its constitution and the first meeting was held on 02.05.2022. Provision towards this is available as on 31.03.2022.

Due to pendency of settlement on dues with M/s. L & T, Dispute redressal mechanism as per contract was initiated by M/s L&T. Accordingly HLL appointed Sole arbitrator and M/s. L&T submitted claim of ₹ 278.95 crores along with interest (up to 30.09.2019) of ₹ 248.07 crores. HLL submitted its statement of Defence explicitly denying the claims along with counter claim of ₹ 38.50 crores. Further while responding to the Rejoinder of L&T, the counter claim of HLL was revised to ₹53.98 crores. During the year 21-22, HLL filed petition to amend counter claims. L & T filed a petition with Hon'ble Delhi High Court to terminate the mandate of sole Arbitrator and the Hon'ble High Court allowed the petition and passed order terminating the mandate of Sole Arbitrator and appointed a new sole Arbitrator. In the meantime, HLL has also filed a Special Leave Petition (SLP) before the Supreme Court. However, HLL and L&T are trying for an amicable settlement of the amount in the spirit of mediation.

- 2.28 HLL in association with Gujarat State Government started the process of opening AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores (ADDPMJAS) as part of their initiative for promoting Generic Drugs across the State. In this regard, HLL signed a MoU with M/s. Gujarat State CSR Authority and M/s. Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] on 6th September 2016 for setting up and operating pharmacies until a JV Company is formed. HLL had set up 52 AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores in Gujarat in the month of November 2016. In 2017, A JV company was formed by Govt of Gujarat, but it did not take out the Assets, Liabilities and Operations of Retail Drug Stores. As per the Resolution passed by Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, HLL has taken over the operations of the stores w.e.f 18.05.2018

As per the Resolution, GMSCL has agreed to settle the loss amount of Gujarat operations till the date of transfer after conducting audit of the same.

The cumulative loss up to 17/05/2018 amounting to ₹ 12.32 Crores is accounted as receivable from M/s Gujarat ArogyaSeva Private Limited [GASPL] under Note 14 – Other Current Assets. Further ₹ 13.70 Crores is due from Gujarat Medical Services Corporation Ltd (GMSCL) against medicine supplies, which is included in Trade Receivables and provision towards this is available as on 31.03.2022. An amount of ₹ 15.00 crores received by HLL as revolving fund from GMSCL is shown under Note 22 – Current Financial Liabilities Others.

As per the MOU terms, GMSCL vide letter dated 28.01.2021 has appointed M/S Dhirubhai Shah & Co LLP, Chartered Accountants to do the special audit of the HLL claim of operational loss.

समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिनांक 28.01.2021के पत्र संख्या के अनुसार जीएमएससीएल ने मेसेर्स धीरूभाई शाह & कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार को एचएलएल के प्रचालन हानि के दावे का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा टीम ने हमारे दावे के लिए समर्थन दस्तावेजों का सत्यापन पूरा किया और एचएलएल ने मार्च 2022 तक सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट कर दिया है। लेखापरीक्षा पार्टी अपनी रिपोर्ट जीएमएससीएल को प्रस्तुत की जाती है और ₹12.32 करोड़ की दावा रकम की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र करने के लिए जीएमएससीएल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

2.29 टिप्पणी -14 अन्य चालू परिसंपत्तियों में मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज से प्राप्य रु. 4.92 करोड़ की रकम शामिल है जो मध्यस्थता के अधीन है। वर्ष 2018-19के दौरान कंपनी को मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज के मामले में को 01.04.2014 के प्रभाव से प्रति वर्ष 9% की दर के ब्याज के साथ रु. 4.92 करोड़ के लिए कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थता एवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके लिए प्रावधान, बही में उपलब्ध है।

2.30 पट्टे जहाँ एचएलएल पट्टेदार है

कंपनी के पट्टों में मुख्य रूप से विनिर्माण व्यवसाय के साथ गोदाम सुविधाओं के लिए भूमि और भवन और संयंत्र और उपकरण शामिल हैं। आरओयु परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है :

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ)

रु. करोड़ों में

विवरण	भूमि व मकान	संयंत्र व उपकरण	कुल
1अप्रैल 2020 तक के शेष	6.49	27.22	33.71
वित्तीय वर्ष 2020-21के दौरान परिवर्धन	-	8.31	8.31
निपटान	-	-	-
31 मार्च 2021 तक के शेष	6.49	35.53	42.02
संचित मूल्यहास	0.64	5.79	6.43
31 मार्च 2021 तक के निवल ब्लॉक	5.85	29.74	35.59
1अप्रैल 2021 तक के शेष	5.85	29.74	35.59
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च 2022 तक के शेष	5.85	29.74	35.59
संचित मूल्यहास	0.65	7.41	8.06
31 मार्च 2022 तक के निवल ब्लॉक	5.21	22.33	27.53

पट्टा देयता

रु. करोड़ों में

विवरण	पट्टा देयता
1 अप्रैल 2020 तक के शेष	34.61
अवैतनिक किराया समायोजित उलटा	1.77
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन	8.31
अर्जित ब्याज	2.58
पट्टा किराया	8.13
31 मार्च 2021 तक के शेष	35.61
1 अप्रैल 2021 तक के शेष	35.61

The audit team has completed the verification of the supporting documents of our claim and HLL has clarified all queries by March 2022. The auditor is yet to submit their report to GMSCL and follow up is made with GMSCL for the re-imburement of the claim amount of ₹ 12.32 Cr at the earliest.

- 2.29 Note 14 - Other Current Assets include an amount of ₹4.92 Crs receivable from M/s Goa Mining Industries which was under Arbitration. During the year 2018-19, the company has received an arbitral award in favour of the company for ₹ 4.92 Crs with interest at 9% per annum w.e.f. 01.04.2014 in the case of M/s Goa Mining Industries. Provision towards this is available in the books.

2.30 Leases where HLL is Lessee

The Company's leases mainly comprise of land and buildings and Plant and equipment for manufacturing, business as well as warehouse facilities. The details of ROU Assets and Liabilities are as follows:

Right of Use Assets (Leased Assets)

₹ in Crore

Particulars	Land & Building	Plant & Equipment	Total
Balance as on 1st April 2020	6.49	27.22	33.71
Additions during FY 2020-21	-	8.31	8.31
Disposals	-	-	-
Balance as on 31st March 2021	6.49	35.53	42.02
Accumulated depreciation	0.64	5.79	6.43
Net Block as on 31st March 2021	5.85	29.74	35.59
Balance as on 1st April 2021	5.85	29.74	35.59
Additions during FY 2021-22	-	-	-
Disposals	-	-	-
Balance as on 31st March 2022	5.85	29.74	35.59
Accumulated depreciation	0.65	7.41	8.06
Net Block as on 31st March 2022	5.20	22.33	27.53

Lease Liability

₹ in Crore

Particulars	Lease liability
Balance as on 1st April 2020	34.61
Unpaid rent Adjusted Reversed	1.77
Additions during FY 2020-21	8.31
Interest accrued	2.58
Lease rent	8.13
Balance as on 31st March 2021	35.61
Balance as on 1st April 2021	35.61

विवरण	पट्टा देयता
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जोड़	-
अर्जित ब्याज	2.57
पट्टा किराया	10.00
31 मार्च 2022 तक का शेष	28.18
चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	8.07
गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	20.11

मानक द्वारा अपेक्षित जैसे, पट्टा देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण अन्य वित्तीय देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण से अलग दिखाया गया है टिप्पणी-33 : वित्तीय साधन

2.31 कोविड- 19 के प्रापण के लिए नोडल एजेंसी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 फरवरी 2020 को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के प्रापण के लिए एचएलएल को नोडल प्रापण एजेंसी के रूप में नामित किया। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट शामिल है जिनमें कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क, गॉगल्स, नाइट्राइल ग्लव्स, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद यानी वेंटिलेटर, दवाएं जैसे एचसीक्यू और एज़िथ्रोमाइसिन, कार्ट्रिज आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, घरेलू स्रोतों से संभावित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करके उपरोक्त उत्पादों के प्रापण शुरू किया। कपडा मंत्रालय (एमओटी) की मदद से विकसित विनिर्माण क्षमताएं, मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की मदद मांगी गई। इस उद्देश्य के लिए एक 24/7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष चालू किया गया था।

जनवरी 2021 के दौरान, एचएलएल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीदी के लिए प्रापण एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अग्रिम भुगतान और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार द्वारा पहचाना गया। दो घरेलू वैक्सीन निर्माताओं से प्रापण किया जाना था। प्रारंभिक आदेश के लिए, धनराशि प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि से जारी की गई थी और उसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एचएलएल के माध्यम से वैक्सीन प्रापण का निधीकरण कर रहा है। एचएलएल ने वैक्सीन के प्रापण की गतिविधियों के लिए एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की क्षमता का उपयोग किया है और तदनुसार वैक्सीन की आपूर्तियों पर प्रबंधन शुल्क एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साथ साझा किये गये थे।

कोविड वैक्सीन

एचएलएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एमओएचएफडब्लियु निधि के स्रोतों से नीचे उल्लिखित कोविड वैक्सीन खरीदे और आपूर्ति की है।

आपूर्तिकर्ता	वैक्सीन	डोजों की संख्या
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड	कोवैक्सीन	31.29 करोड़
सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड	कोवीशील्ड	122.25 करोड़
बायोलजिकल ई लिमिटेड	कोरबीवैक्स	5.00 करोड़

एचएलएल ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड से सेवाओं का लाभ उठाया है, कोविड वैक्सीन प्रापण की दिशा में एचएलएल की पूर्ववर्ती सहायक कंपनी है। ऐसी सेवाओं के लिए, एचएलएल ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड से वैक्सीनों की आपूर्ति के लिए एमओएचएफडब्लियु से प्राप्त प्रबंधन शुल्क का 50% एचबीएल को भुगतान किया है।

उपरोक्त वैक्सीनों के अलावा, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेमेडिसिवर वैक्सीन और एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दवा के प्रापण किया है और वेंटिलेटर की आपूर्ति जारी रखी।

Particulars	Lease liability
Additions during FY 2021-22	-
Interest accrued	2.57
Lease rent	10.00
Balance as on 31st March 2022	28.18
Lease liability classified as current	8.07
Lease liability classified as Non-current	20.11

As required by the Standard, maturity analysis of Lease Liabilities have been shown separately from the maturity analysis of other financial liabilities under Note 33 : Financial Instruments.

2.31 Nodal agency for Procurement of COVID-19

MoHFW on 21st Feb 2020 designated HLL as the nodal procurement agency for procurement of essential medical supplies concerning Covid-19 management. The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipment's (PPE) Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products i.e., Ventilators, Medicines like HCQ & Azithromycin, Cartridges etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products by identifying potential manufacturers / suppliers from domestic sources, developed manufacturing capabilities with the help of Ministry of Textiles (MoT), standardized testing protocols, and the help of Indian Missions abroad was sought for import from overseas suppliers. A 24/7 Emergency Control Room was made operational for the purpose.

During January 2021, HLL was appointed as Procuring Agency for the procurement of Covid19 Vaccine as well. The procurement was to be made from three domestic vaccine manufacturers, as identified by Government of India, with upfront payment and supply commitments. For initial order, funds towards the same was released from PM CARES fund and thereafter, MoHFW is funding the vaccine procurement through HLL. HLL has utilized the capacity of HLL Biotech Limited towards the vaccine procurement activities and accordingly management fee on vaccine supplies were shared with HLL Biotech Ltd.

COVID VACCINE

HLL has purchased and supplied the below mentioned Covid Vaccines for the Financial Year 2021-22 from the sources of MoHFW fund

Supplier	Vaccine	No. of Doses
Bharat Biotech International Ltd	Covaxin	31.29 Crs
Serum Institute Life Sciences Pvt Ltd	Covishield	122.25 Crs
Biological E Ltd	Corbevax	5.00 Crs

HLL has availed the services from HLL Biotech Ltd, erstwhile subsidiary of HLL towards Covid Vaccine Procurement. For such services, HLL has paid HBL 50% of the management fee received from MOHFW, for supplies of vaccines from Bharat Biotech International Ltd and Serum Institute Life Sciences Pvt Ltd.

In addition to the above Vaccines, HLL Lifecare Limited has procured Remdesivir vaccine and Amphotericin injection medicine from various suppliers and continued Ventilator supplies.

- 2.32 निदेशक मंडल ने 27 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 280 वीं बैठक में, 1 जनवरी 2017 से कंपनी के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के वेतनमान में संशोधन और 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ को मंजूरी दी। बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पत्र संख्या ए-45013/117/2021/एचपीई दिनांक 23 मार्च 2022 द्वारा संशोधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए। राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार, 01 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ के साथ 1 जनवरी 2017 से वेतन संशोधन लागू किया गया था।
- 2.33 देनदार, लेनदार तथा ऋण व पेशगियों में शेष पुष्टि/मेल-मिलाप के अधीन है। तथापि निर्यात बिक्री से प्राप्य विदेशी मुद्रा, पुष्टि/मेल मिलाप के अधीन है और इसके फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा मूल्यांकन का अभिलाभ या हानि भिन्न हो सकते हैं।
- 2.34 निवेश संपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण
- (i) किराए से आय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
किराए से आय	3.93	3.96
किराए की आय बनानेवाले प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	-	-
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जिससे किराए की आय नहीं बनाते हैं।	-	-
मूल्यहास	0.69	0.78
निवेश संपत्तियों के पट्टे पर देने से लाभ	3.24	3.18

(i) उचित मूल्य

31 मार्च 2022 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य सीपीडब्लियु रेटिंग के आधार पर प्रति पीएआर (प्लिथ क्षेत्र संदर्भ) ₹15.31 करोड़ अनुमानित है।

(ii) मूल्यहास

निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।

- 2.35 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो तकनीकी अप्रचलन और परिसंपत्तियाँ पुराने होने के कारण अनुप्रयोगी है और उन्हें स्क्रेप की गई परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के संचयन और स्क्रेप निपटान की आर्थिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों को नियमित अंतराल पर एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा। बिक्री के लिए रखी गई और एक वर्ष के भीतर बेची नहीं गई स्क्रेप की गई संपत्ति को गैर -चालू संपत्ति में ले जाया जाता है और बहियों में प्रदान किया जाता है।
- 2.36 अनुबंध व्यय, परियोजना और सेवा प्रभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय है, जिसकी ओर अनुबंध आय को मान्यता दी जाती है।
- 2.37 इंड एएस 109के अनुसार वित्तीय साधन पर अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 33 में दिया गया है।
- 2.38 इंड एएस 19के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 34 में दिया गया है।
- 2.39 इंड एएस 37 के अनुसार आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 35 में दिये गये हैं।
- 2.40 इंड एएस 24के अनुसार संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 36 में दिया गया है।
- 2.41 इंड एएस 108के अनुसार परिचालन खंड के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 37 में दिया गया है।
- 2.42 इंड एएस 12के अनुसार आयकर और आस्थगित कर के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 38 में दिया गया है।

निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ 189.06

2.32 The Board of Directors in its 280th meeting held on 27th July 2021, approved the revision of scales of pay of Board Level and Below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of the Company with effect from 1st January 2017 and the financial benefit from 1st April 2021. Pursuant to the approval of the Board, the Ministry of Health and Family Welfare vide letter No. A-45013/117/2021/HPE dated 23rd March 2022 issued the Presidential Directive for implementation of the revision. In line with the Presidential Directive, the wage revision was implemented with effect from 1st January 2017 with financial benefit from 01st April 2021.

2.33 Balance in Debtors, Creditors and loans and advances are subject to confirmation / reconciliation. However, most of the debtors are government /government institutions Receivable in Foreign Currency out of Export sales is subject to confirmation/reconciliation and consequently Foreign Currency Valuation gain or loss may vary.

2.34 **Additional Disclosure for Investment Properties:**

(i) Rental Income: (₹ in Crores)

Description	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Rental income	3.93	3.96
Direct Operating Expenses that generated Rental Income	-	-
Direct Operating Expenses that did not generate Rental Income	-	-
Depreciation	0.69	0.78
Profit from leasing of investment properties	3.24	3.18

(ii) Fair value:

Fair value of Investment Properties as on 31st March 2022 is estimated at ₹ 15.31 crores based on CPW ratings per PAR (Plinth area reference).

(iii) Depreciation:

Depreciation on Investment properties have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.

2.35 Assets classified as held for sale consists of non-Current assets which are un-serviceable due to technological obsolescence and ageing of the assets and are declared as scrapped assets. These assets will be disposed of through a tendering process on regular intervals taking into consideration of the accumulation of these items and economic quantity of scrap disposal. Scrapped assets held for sale and not sold within a year are taken to non-current assets and provided for in the books

2.36 Contract Expenses are direct expenses incurred towards the implementation of various projects by Projects & Services Division against which Contract Income is recognized.

2.37 The disclosures required on Financial Instruments as per Ind AS 109 are given in Note 33.

2.38 The disclosures relating to Employee Benefit expense as per Ind AS 19 are given in Note 34.

2.39 The disclosures relating to Contingent Liabilities and contingent assets as per Ind AS 37 are given in Note 35.

2.40 The disclosure relating of Related Party transactions as per Ind AS 24 are given in Note 36.

2.41 The disclosure in respect of Operating Segments as per Ind AS 108 is given in Note 37.

2.42 The disclosure in respect of Income Tax and Deferred Tax as per Ind AS 12 is given in Note 38.

2.43 वर्ष के दौरान रु.4.23 करोड़ के एक्सपायर्ड सोशल मार्केटिंग कंडोम और रु.1.04 करोड़ की मौखिक गर्भनिरोधक गोлияँ, कुल मिलाकर रु.5.27 करोड़ का दो स्टॉकिस्ट लौटा दिया है। विपणन प्रभाग के अनुसार, ड्रग्स और फार्मास्युटिकल उद्योग में व्यवसाय कार्य के अनुसार स्टॉक को वापस लिया जाना है। चूँकि बोर्ड ने उक्त समाप्त हो चुके स्टॉक के बट्टे खाते में डालने को मंजूरी नहीं दी है और इन लेनदेन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और यह विचार करते हुए कि इसमें शामिल राशि वित्तीय विवरणों को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं कर रही है, कंपनी ने रिटर्न का हिसाब नहीं लिया है और कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2.44 पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनर्समूहित किया गया है।

कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त नियामक जानकारी

- 1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड के डीमार्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए पत्र दिनांक 22 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 पर 01.04.2019 के प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नोट 2.13 और 2.14 में बताए गए परिवर्तनों को छोड़कर ऐसे परिवर्तनों का हिसाब लिया है।
- 2 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अधीन कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
- 3 कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- 4 परिसंपत्ति पर सभी शुल्क सांविधिक अवधि के अंदर आरओसी के साथ पंजीकृत किए गए हैं।
- 5 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- 6 वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।
- 7 कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- 8 कंपनी की चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों के साथ कार्यशील पूंजी की सीमा है और बैंकों को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियाँ सामान्य रूप से बही खाते के साथ समझौते में है।
- 9 कंपनियों की परतों की संख्याओं के साथ अनुपालन के संबंध में, कंपनी (परतों की संख्या का प्रतिबंध) नियम, 2017 के नियम 2 (घ) के अनुसार यह प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- 10 कंपनी ने प्रमोटर्स, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को नोट संख्या 12 ऋण और नोट 36 संबंधित पार्टी लेनदेन के तहत प्रकट किए गए अग्रिम के अलावा गंभीर रूप से या संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।
- 11 कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी को कंपनी अधिनियम के अधीन बंद की गई कंपनी से कोई संबंध नहीं है।
- 12 हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में समझ के साथ कोई निधि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य श्रोत या प्रकार के निधि से) चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करेगा।
- 13 हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्था सहित कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ है, यह समझने के साथ लिखित रूप में दर्ज किया गया है या अन्यथा कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।
- 14 कंपनी की कोई अघोषित आय नहीं है जिसे सरेंडर कर दिया गया है या आयकर अधिनियम 1961 के अधीन वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में प्रकट किया गया है।

2.43 During the year two stockists have returned the expired social marketing condoms of Rs. 4.23 Cr and Oral Contraceptive pills of Rs. 1.04 Crores, aggregating to Rs. 5.27 Cr. Since Board has not approved the write off of the said expired stock and called for clarification and details in respect of these transactions and considering that the amount involved is not materially affecting the financial statements, company has not accounted for the returns and no provisions are made towards the same.

2.44 Figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary.

Additional Regulatory information as required by Companies Act

- 1 The Ministry of Corporate affairs has approved the scheme of arrangement of demerger of HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd with effect from 01-04-2019 vide MCA letter dated 22nd March 2021 and 31st March 2021. The company has accounted the effect of such changes in the financial year 2020-21 except for those stated in Note 2.13 and 2.14
- 2 No proceeding under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) has been initiated against the company.
- 3 The Company has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial institution or lenders during the year.
- 4 All charges on assets have been registered with ROC within the statutory period.
- 5 The company has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the financial year 2021-22.
- 6 The title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the company
- 7 The company has not revalued its Plant, Property and Equipment during the year
- 8 The company has working capital limits with banks on the basis of security of current assets and the quarterly returns submitted to the banks are generally in agreement with books of accounts
- 9 With respect of compliance with number of layers of companies, the provision is not applicable to a Government Company as per Rule 2(d) of Companies (Restriction of number of Layers) Rules, 2017
- 10 The company has not granted any loans or advance in the nature of loans to Promoters, Directors, KMPs and to Related parties either severally or jointly other than Advance disclosed under Note No 12 Loans and Note 36 Related party transaction.
- 11 As per the information available with the company the company does not have a relation with company struck off under the Companies Act
- 12 To the best of our knowledge and belief no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries.
- 13 To the best of our knowledge and belief no funds have been received by the company from any person or any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries.
- 14 The company doesn't have any undisclosed income that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income tax act 1961.

एचएलएल लाइफ़केयर लीमिटेड 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलॉन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3: संयंत्र, संपत्ति और उपकरण

(क) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(₹ करोड़ों में)

क	अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहास और हानि			निवल ब्लॉक		
		1 अप्रैल 2021	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022	1 अप्रैल 2021	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
क	मूर्त परिसंपत्तियाँ										
	(क) भूमि										
	पूर्ण स्वामित्व	5.93			5.93						5.93
	पट्टे पर भूमि	7.03	-	-	7.03	0.49	0.08	-	0.57		6.46
	(ख) इमारतें	158.00	0.64	(0.70)	159.34	52.51	8.13	(0.10)	60.74		98.60
	(ग) रोड	1.07	-	-	1.07	0.88	0.04	-	0.91		0.16
	(घ) संयंत्र व मशीनरी	190.77	4.47	0.79	194.44	100.49	16.15	0.72	115.92		78.52
	(ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण	46.56	0.18	0.02	46.72	33.29	3.50	0.02	36.77		9.95
	(च) फर्नीचर व जुड़नार	31.10	1.64	0.05	32.69	23.28	3.50	0.05	26.73		5.97
	(छ) मोटर गाडियाँ	0.73	0.00	-	0.73	0.61	0.02	-	0.64		0.09
	(ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग	14.16	1.85	0.27	15.74	12.42	1.14	0.26	13.30		2.44
	(झ) कार्यालय उपकरण	5.44	1.10	0.02	6.52	4.28	0.70	0.02	4.95		1.57
	(ञ) लैब उपकरण	25.83	0.41	0.01	26.23	19.37	1.65	0.01	21.00		5.22
	कुल	486.59	10.30	0.47	496.43	247.61	34.90	0.98	281.54		214.90
	पिछले वर्ष	478.91	9.09	1.40	486.59	209.43	39.44	1.26	247.61		238.98
ख	निवेश संपत्ति	15.96	-	0.70	15.26	4.64	0.69	0.10	5.23		10.03
	पिछले वर्ष	15.96			15.96	3.86	0.78	-	4.64		11.32
ग	पूँजी कार्य में प्रगति										
	(क) सिविल कार्य में प्रगति	9.52	1.79	0.70	10.60	-	-	-	-		10.60
											9.52

NOTES TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022
Note 3 : Plant, Property and Equipment

(₹ in Crs)

a) Current Reporting period

Fixed Assets	Gross block				Accumulated depreciation and impairment				Net block	
	1st April 2021	Additions	Disposals/ Adjustments	31st March 2022	1st April 2021	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31st March 2022	31st March 2022	31st March 2021
A. Tangible assets										
(a) Land										
Freehold	5.93	-	-	5.93	-	-	-	-	5.93	5.93
Leasehold	7.03	-	-	7.03	0.49	0.08	-	0.57	6.46	6.54
(b) Buildings	158.00	0.64	(0.70)	159.34	52.51	8.13	(0.10)	60.74	98.60	105.48
(c) Roads	1.07	-	-	1.07	0.88	0.04	-	0.91	0.16	0.19
(d) Plant and Machinery	190.77	4.47	0.79	194.44	100.49	16.15	0.72	115.92	78.52	90.28
(e) Electrical Installation & Eqpt.	46.56	0.18	0.02	46.72	33.29	3.50	0.02	36.77	9.95	13.26
(f) Furniture & Fixture	31.10	1.64	0.05	32.69	23.28	3.50	0.05	26.73	5.97	7.82
(g) Motor Vehicles	0.73	0.00	-	0.73	0.61	0.02	-	0.64	0.09	0.12
(h) Computer Data Processing	14.16	1.85	0.27	15.74	12.42	1.14	0.26	13.30	2.44	1.74
(i) Office Equipment	5.44	1.10	0.02	6.52	4.28	0.70	0.02	4.95	1.57	1.16
(j) Lab Equipment	25.83	0.41	0.01	26.23	19.37	1.65	0.01	21.00	5.22	6.46
Total	486.59	10.30	0.47	496.43	247.61	34.90	0.98	281.54	214.90	238.98
Previous year	478.91	9.09	1.40	486.59	209.43	39.44	1.26	247.61	238.98	269.47
B Investment Property	15.96	-	0.70	15.26	4.64	0.69	0.10	5.23	10.03	11.32
Previous year	15.96			15.96	3.86	0.78	-	4.64	11.32	12.10
C Capital Work In Progress										
(a) Civil work in progress	9.52	1.79	0.70	10.60	-	-	-	-	10.60	9.52

अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहास और हानि				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2021	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022	1 अप्रैल 2021	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(ख) परामर्श चार्ज	0.16	-	-	0.16	-	-	-	-	0.16	0.16
(ड) मशीनरी डब्लियु आई पी	0.66	1.48	0.35	1.79	-	-	-	-	1.79	0.66
कुल	10.34	3.27	1.06	12.55	-	-	-	-	12.55	10.34
पिछले वर्ष	4.10	6.60	0.36	10.34	-	-	-	-	10.34	4.10
घ अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	12.68	0.27	-	12.96	9.97	0.89	-0.00	10.87	2.09	2.71
(ख) ट्रेडमार्क और पेटेंट	1.00	0.04	-	1.03	0.95	0.03	-	0.98	0.05	0.05
कुल	13.68	0.31	-	13.99	10.92	0.92	-0.00	11.85	2.15	2.76
पिछले वर्ष	13.51	0.17	-	13.68	9.93	0.99	-0.00	10.92	2.76	3.58
ड परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार										
(क) संयंत्र व मशीनरी	45.24	-	-	45.24	15.50	7.41	-	22.91	22.33	29.74
(ख) इमारतें	7.62	-	-	7.62	1.77	0.65	-	2.42	5.20	5.85
कुल	52.86	-	-	52.86	17.27	8.06	-	25.33	27.53	35.59
पिछले वर्ष 20-21	44.55	8.31	-	52.86	10.84	6.43	-	17.27	35.59	33.71

टिप्पणी :

- पूर्ण स्वामित्व भूमि के मूल्य में निम्नलिखित शामिल हैं -
 - केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 11.44 एकड़ के टोकन मूल्य ₹ 1/- रहा है।
 - केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 7.14 एकड़ के टोकन मूल्य ₹ 1/- रहा है।
 - कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अंतरित 25 एकड़ और 38 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹ 4.86 लाख रहा है।
 - कनगला गाँव में विविध पार्टियों से खरीदे 15 एकड़ और 33 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹ 16.83 लाख रहा है।
 - चेन्नई में 0.30 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाले भूमि की कीमत ₹ 567.92 लाख रहा है।
 - चेरुवैक्कल गाँव में 20 सेंट भूमि की कीमत ₹ 0.76 लाख रहा है।
 - केरल सरकार द्वारा अंतरित 1.06 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 2.16 लाख रहा है।
- इंड ए एस 101 के अनुसार 01.04.2015 (संक्रमण तारीख) तक की सभी परिसंपत्तियों को संक्रमण तारीख तक के इसकी समझी लागत के रूप में पूर्व जी ए पी के अनुसार मापित, मूल कीमत अपनाने के लिए कंपनी को चुना है।
- पट्टे पर भूमि की लागत में निम्नलिखित शामिल है।
 - 99 वर्षों के लिए केरल के बालरामपुरम में पट्टे पर रही 3 एकड़ भूमि और इमारत की लागत ₹ 130.46 लाख रही है। (01.04.2015 को समझा लागत - ₹ 123.74 लाख)

Fixed Assets	Gross block			Accumulated depreciation and impairment			Net block		
	1st April 2021	Additions	Disposals/ Adjustments	31st March 2022	1st April 2021	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31st March 2022	31st March 2021
(b) Consultancy Charges	0.16	-	-	0.16	-	-	-	0.16	0.16
(c) Machinery WIP	0.66	1.48	0.35	1.79	-	-	-	1.79	0.66
Total	10.34	3.27	1.06	12.55	-	-	-	12.55	10.34
Previous year	4.10	6.60	0.36	10.34	-	-	-	10.34	4.10
D Intangible assets									
(a) Computer Software	12.68	0.27	-	12.96	9.97	0.89	-0.00	10.87	2.71
(b) Trademarks & Patents	1.00	0.04	-	1.03	0.95	0.03	-	0.98	0.05
Total	13.68	0.31	-	13.99	10.92	0.92	-0.00	11.85	2.76
Previous year	13.51	0.17	-	13.68	9.93	0.99	-0.00	10.92	3.58
E Right of use Assets									
(a) Plant and Machinery	45.24	-	-	45.24	15.50	7.41	-	22.91	29.74
(b) Buildings	7.62	-	-	7.62	1.77	0.65	-	2.42	5.85
Total	52.86	-	-	52.86	17.27	8.06	-	25.33	35.59
Previous year	44.55	8.31	-	52.86	10.84	6.43	-	17.27	33.71

Note:

- Cost of Free hold Land includes -
 - ₹ 1 /- being the token value of 11.44 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
 - ₹ 1 /- being the token value of 7.14 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
 - ₹ 4.86 lacs being the price of freehold land of 25 acres and 38 Guntas transferred by Karnataka Industrial Area Development Board.
 - ₹ 16.83 lacs being the price of freehold land of 15 acres and 33 Guntas purchased from various parties at kanagala village.
 - ₹ 567.92 lacs being the price of freehold land of 0.30 acres at Chennai.
 - ₹ 0.76 Lacs being price of 20 Cents of land at Cheruvaikal Village.
 - ₹ 2.16 Lacs being value of 1.06 acres of land transferred by the Govt. of Kerala.
- As per IND AS 101, the Company has elected to adopt the carrying value measured as per previous GAAP as on 01-04-2015 (Transition date) of all assets as its Deemed cost as on Transition Date.
- Cost of Lease hold land includes the following
 - ₹ 130.46 lacs being the original cost of 3 acres of leasehold land and building at Balramapuram, Kerala for 99 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.123.74 Lacs)

- ख) ₹29.41 लाख मुंबई में 60 वर्षों के लिए पट्टे पर लिए 1005.22 स्क्वयर मीटर्स का प्लॉट आर्बंटन मूल्य रहा है। (01.04.2015 को समझा लागत - ₹ 87.48 लाख)
- ग) ₹261.94 लाख न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी (नोएडा), उत्तर प्रदेश में 90 वर्षों के लिए आर्बिट 5000 स्क्वयर मीटर पट्टे पर ली गयी भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 को समझा लागत - ₹ 231.51 लाख)
- घ) ₹262.39 लाख रबड़ पार्क इंडिया प्राइवट लिमिटेड से 90 वर्षों के लिए रबड़ पार्क, ऐंगपुरम, पेरंबावूर, केरल राज्य की 306 सेन्ट भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 को समझा लागत - ₹ 260.07 लाख)
4. ₹99/-केंद्रीय लेप्रसी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सी एल टी आर आई), चेंगलपेट्टे, तमिलनाडु में 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आर्बिट 430.10 एकड़ भूमि के मूल्य रहा है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के 430.10 एकड़ भूमि में 100 एकड़ भूमि एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को @10.12 करोड़ की दर पर निर्धारित किया गया है (56 एकड़ प्रति एकड़ के लिए @ ₹16.5 लाख पर और हिल्लोक के 44 एकड़ प्रति एकड़ @ ₹ 2.00 लाख पर)।
5. अधिकार के 430.10 एकड़ों में 3.38 एकड़ भूमि, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रति वर्ष ₹ 1/- पर 92 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गयी है।
6. केरल सरकार ने कोन्नी तालूक, इरवोन गांव, पत्तनमतिट्टा जिला केरल में 4.783 एकड़ भूमि (पुनर सर्वे नं. 34/146/1,35/120/2,35/120/3) ग्रीनफील्ड ब्लडबैग परियोजना स्थापित करने की ओर आर्बिट किया। भूमि कंपनी को सुपुर्द की गयी है। भूमि को प्रति वर्ष ₹ 19400/- की दर से पट्टे किराये पर 30 वर्षों की अवधि के लिए आर्बिट किया गया है।
7. अपनाई गई मूल्यहास रीति निम्न जैसी है।
(क)मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन अपेक्षा के अनुसार किया गया है।
(ख)संयंत्र और मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास चार्ज किया गया है और अन्य परिसंपत्तियों के लिए (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यहासित मूल्य प्रणाली चार्ज की गयी है ताकि अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के मूल्य के 5% अवशेष मूल्य रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत मूल्यहासित कर सकें।
- (ग) ट्रेडमार्क/पेटेंट पाँच वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया।
- (घ) ईआरपी सोफ्टवेयर के अलावा अन्य सोफ्टवेयर सोल्यूशन 3 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित की गयी है, जबकि ईआर पी सोफ्टवेयर सोल्यूशन 8 वर्षों की अवधि के लिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित किया गया।
- (ङ) निरंतर प्रक्रिया से प्रकृति के संयंत्रों में बंद होने के बावजूद उपयोगीजीवन के आधार पर मूल्यहास लगाया गया है।
8. चेंगलपेट्टे, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु) में 330.10 एकड़ भूमि मॉडिफाई के संस्थापन के लिए वर्ष 2009 को उप पट्टे पर देने के कैबिनेट अनुमोदन के परिणामस्वरूप एचएलएल मॉडिफाई लिमिटेड 20 दिसंबर, 2016 को एचएलएल के 100% अलग समनुषंगी के रूप में प्रारंभ किया गया। एचएलएल मॉडिफाई लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर द्वारा 90% तक और तमिलनाडु उद्योग विकास बोर्ड (टिडुको) द्वारा 10% तक इक्विटी भागीदारी होगी। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने मार्च, 2017 को नयी समनुषंगी कंपनी में ₹10.01 लाख का निवेश किया है। तमिलनाडु में चेंनै के पास चेंगलपेट्टे 330.10 एकड़ क्षेत्र में संस्थापित किये जा रहे मॉडिफाई लिमिटेड में मॉडिफाई लिमिटेड में मॉडिफाई लिमिटेड का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना और साधारण सुविधाएं होंगी।
9. संपत्ति भूमि और उपकरण, जो परिचालन पट्टे के अधीन है, पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम या पट्टा करार, जो कम है, के अनुसार उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।
10. अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा में किए गए निम्न पूंजी व्यय की मूल लागत अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन में शामिल है।
- | | 2021-22 | | 2020-21 | |
|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | (₹ करोड़ों में) | | (₹ करोड़ों में) | |
| लैब उपकरण | 0.15 | | 0.144 | |
| कार्यालय उपकरण | 0.01 | | 0.021 | |
| विद्युत संस्थापन | | | 0.003 | |
| | 0.17 | | 0.17 | |
11. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 को इंड ए एस 116 को कार्यान्वित किया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति को लागू किया और टिप्पणी 2.30 में परिसंपत्ति के उपयोग करने के अधिकार का खुलासा किया।

- b) ₹ 92.41 lacs being the allotment value of 1005.22 sq. mtrs plot in Mumbai on lease for 60 years. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.87.48 Lacs)
- c) ₹ 261.94 lacs being the value of 5000 Sq.Mtr. of leasehold land allotted in the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Uttar Pradesh for 90 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.231.51 Lacs)
- d) ₹ 262.39 Lacs being the value of 306 Cents of land at rubber park, Irapuram, Perumbavoor, Kerala State for 81 years from Rubber Park India (P) LTD. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.260.07 Lacs)
4. ₹99/- being the value of 430.10 acres leasehold land allotted in Chengalpettu, Chennai, on lease for a period of 99 years, from Central Leprosy Training & Research Institute (CLTRI) in Chengalpettu, Tamil Nadu. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.93/-). In line with the decision of the Cabinet Committee on Economic Affairs, 100 acres of land is earmarked out of the 430.10 acres in possession, for HLL Biotech Limited, valued at Rs. 10.12 crores (56 acres at Rs. 16.5 Lacs per acre and 44 acres of hilllock at Rs. 2.00 Lacs per acre) was transferred from HLL to HBL by way of sub lease deed on the consideration of Rs.1/- for a period of ninety four years but was not accounted for by HBL.
5. 3.38 Acres of land, out of 100cm acres in possession, is given on lease for a period of 92 years at ₹1/- per year to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd
6. The Govt of Kerala has allotted on lease 4.783 acre of Land (Re-survey no. 34/146/1, 35/120/2,35/120/3) at Konni Taluk, Iravon Village,Pathanamthitta District, Kerala towards setting up of Green Field Blood Bag Project.The land has been handed over to the company. The land is allotted on Lease Rent at Rs. 19400/- per year for a period of 30 years.
7. Methods of depreciation adopted are as follows.
- Depreciation on tangible assets including Investment Property have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.
 - Depreciation has been charged on straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold asset) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act.
 - Trade Mark/ Patents are amortised over a period of 5 years.
 - The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 Years on pro-rata basis. Licence fee paid is amortized over the agreement period.
 - Depreciation has been charged on useful life basis irrespective of the shut downs in plants which are in the nature of Continuous Process. Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 330.10 acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to the company in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited was incorporated on 20.12.2016 and the said 330.10 land was allotted to HML on sublease basis during March 2017
 - Depreciation on Property Plant and Equipment which are under operating lease , is provided on the basis of useful life as per Companies Act or as per lease agreement whichever is lower.
10. Additions to fixed assets include original cost of the following capital expenditure incurred in the approved R&D facility.

	2021-22 (₹ in Crs)	2020-21 (₹ in Crs)
Lab Equipments	0.15	0.144
Office Equipments	0.01	0.021
Electrical Installation	0.17	0.003
		0.17

11. The Company implemented INDAS 116 on 1st/April 2019, and applied the modified retrospective method and right of use assets are disclosed in Note 2.30

एचएलएल लाइफ़केयर लीमिटेड 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलॉन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 संयंत्र, संपत्ति और उपकरण

(ख) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(₹ करोड़ों में)

क	अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहास और हानि				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2020	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
	मूल परिसंपत्तियाँ										
	(क) भूमि										
	पूर्ण स्वामित्व	5.93	-	-	5.93	-	-	-	-	5.93	5.93
	पट्टे पर भूमि	7.03	-	-	7.03	0.41	0.08	-	0.49	6.54	6.62
	(ख) इमारतें	157.46	0.54	-	158.00	43.52	8.99	-	52.51	105.48	113.94
	(ग) रोड	1.07	-	-	1.07	0.81	0.07	-	0.88	0.19	0.26
	(घ) संयंत्र व मशीनरी	188.22	3.18	0.64	190.77	84.00	17.01	0.53	100.49	90.28	104.22
	(ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण	46.14	0.51	0.10	46.56	28.46	4.93	0.09	33.29	13.26	17.68
	(च) फर्नीचर व जुड़नार	28.19	3.15	0.25	31.10	18.77	4.75	0.24	23.28	7.82	9.43
	(छ) मोटर गाड़ियाँ	0.73	-	-	0.73	0.57	0.04	-	0.61	0.12	0.16
	(ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग	13.46	0.80	0.10	14.16	11.52	1.00	0.10	12.42	1.74	1.94
	(झ) कार्यालय उपकरण	5.11	0.47	0.13	5.44	3.91	0.50	0.13	4.28	1.16	1.20
	(ञ) लेब उपकरण	25.57	0.44	0.19	25.83	17.46	2.08	0.18	19.37	6.46	8.10
	कुल	478.91	9.09	1.40	486.59	209.43	39.44	1.26	247.61	238.98	269.47
	पिछले वर्ष	487.79	7.91	0.84	494.86	168.55	45.25	0.52	213.29	269.47	319.24
ख	निवेश संपत्ति	15.96	-	-	15.96	3.86	0.78	-	4.64	11.32	12.10
	पिछले वर्ष	15.96	-	-	15.96	3.01	0.85	-	3.86	12.10	12.95
ग	पूँजी कार्य में प्रगति										
	(क) चालू करने के लिए लिबल पड़ी परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTES TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

(₹ in Cr)

Note 3 : Plant, Property and Equipment

(b) Previous Reporting Period

Fixed Assets	Gross block			Accumulated depreciation and impairment				Net block		
	1st April 2020	Additions	Disposals/ Adjustments	31st March 2021	1st April 2020	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31st March 2021	31st March 2021	31st March 2020
A. Tangible assets										
(a) Land										
Freehold	5.93	-	-	5.93	-	-	-	-	5.93	5.93
Leasehold	7.03	-	-	7.03	0.41	0.08	0.49	6.54	6.62	6.62
(b) Buildings	157.46	0.54	-	158.00	43.52	8.99	52.51	105.48	113.94	113.94
(c) Roads	1.07	-	-	1.07	0.81	0.07	0.88	0.19	0.26	0.26
(d) Plant and Machinery	188.22	3.18	0.64	190.77	84.00	17.01	0.53	100.49	90.28	104.22
(e) Electrical Installation & Eqpt.	46.14	0.51	0.10	46.56	28.46	4.93	0.09	33.29	13.26	17.68
(f) Furniture & Fixture	28.19	3.15	0.25	31.10	18.77	4.75	0.24	23.28	7.82	9.43
(g) Motor Vehicles	0.73	-	-	0.73	0.57	0.04	-	0.61	0.12	0.16
(h) Computer Data Processing	13.46	0.80	0.10	14.16	11.52	1.00	0.10	12.42	1.74	1.94
(i) Office Equipment	5.11	0.47	0.13	5.44	3.91	0.50	0.13	4.28	1.16	1.20
(j) Lab Equipment	25.57	0.44	0.19	25.83	17.46	2.08	0.18	19.37	6.46	8.10
Total	478.91	9.09	1.40	486.59	209.43	39.44	1.26	247.61	238.98	269.47
Previous year	487.79	7.91	0.84	494.86	168.55	45.25	0.52	213.29	269.47	319.24
B Investment Property	15.96	-	-	15.96	3.86	0.78	-	4.64	11.32	12.10
Previous year	15.96	-	-	15.96	3.01	0.85	-	3.86	12.10	12.95
C Capital Work In Progress										
(a) Assets Pending Commissioning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहास और हानि				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2020	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2021	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
	(ख) सिविल कार्य में प्रगति	2.92	6.60	-	9.52	-	-	-	-	9.52
(ग) परामर्श चार्ज	0.16	-	0.00	0.16	-	-	-	-	0.16	0.16
(घ) नयी परियोजनाओं पर आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) मशीनरी डब्लियु आई पी	1.02	-	0.36	0.66	-	-	-	-	0.66	1.02
कुल	4.10	6.60	0.36	10.34	-	-	-	-	10.34	4.10
पिछले वर्ष	2.18	2.86	0.93	4.10	-	-	-	-	4.10	2.18
घ अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	12.51	0.17	-	12.68	8.98	0.99	-0.00	9.97	2.71	3.53
(ख) ट्रेडमार्क और पेटेंट	1.00	-	-	1.00	0.95	-	-	0.95	0.05	0.05
कुल	13.51	0.17	-	13.68	9.93	0.99	-0.00	10.92	2.76	3.58
पिछले वर्ष	12.97	0.54	-	13.51	7.54	2.39	-	9.93	3.58	5.43
ङ परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार										
(क) संयंत्र व मशीनरी	36.93	8.31	-	45.24	9.71	5.79	-	15.50	29.74	27.22
(ख) इमारतें	7.62	-	-	7.62	1.13	0.64	-	1.77	5.85	6.49
कुल	44.55	8.31	-	52.86	10.84	6.43	-	17.27	35.59	33.71
पिछले वर्ष	44.55	-	-	44.55	5.22	5.62	-	10.84	33.71	39.33

Fixed Assets	Gross block				Accumulated depreciation and impairment				Net block	
	1st April 2020	Additions	Disposals/ Adjustments	31st March 2021	1st April 2020	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31st March 2021	31st March 2021	31st March 2020
(b) Civil work in progress	2.92	6.60	-	9.52	-	-	-	-	9.52	2.92
(c) Consultancy Charges	0.16	-	0.00	0.16	-	-	-	-	0.16	0.16
(d) Incidental Expenses on New Projects	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(e) Machinery WIP	1.02	-	0.36	0.66	-	-	-	-	0.66	1.02
Total	4.10	6.60	0.36	10.34	-	-	-	-	10.34	4.10
Previous year	2.18	2.86	0.93	4.10	-	-	-	-	4.10	2.18
D Intangible assets										
(a) Computer Software	12.51	0.17	-	12.68	8.98	0.99	-0.00	9.97	2.71	3.53
(b) Trademarks & Patents	1.00	-	-	1.00	0.95	-	-	0.95	0.05	0.05
Total	13.51	0.17	-	13.68	9.93	0.99	-0.00	10.92	2.76	3.58
Previous year	12.97	0.54	-	13.51	7.54	2.39	-	9.93	3.58	5.43
E Right of use Assets										
(a) Plant and Machinery	36.93	8.31	-	45.24	9.71	5.79	-	15.50	29.74	27.22
(b) Buildings	7.62	-	-	7.62	1.13	0.64	-	1.77	5.85	6.49
Total	44.55	8.31	-	52.86	10.84	6.43	-	17.27	35.59	33.71
Previous year	44.55	-	-	44.55	5.22	5.62	-	10.84	33.71	39.33

(क) सी डब्लियु आई पी पुराने अनुसूची

(₹ करोड़ों में)

सी डब्लियु आई पी	सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2022)				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
चल रही परियोजनाएँ	3.27	8.65	0.18	0.46	12.55
अस्थायी रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
सी डब्लियु आई पी	सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2021)				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
चल रही परियोजना	8.91	0.19	0.49	0.76	10.34
अस्थायी रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए जिसका समापन अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, निम्नलिखित सी डब्लियु आई पी समाप्ति अनुसूची दी जाएगी।

सी डब्लियु आई पी	सी डब्लियु आई पी में रकम				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
शून्य					

(ग) विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी डब्लियु आई पी में रकम				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
शून्य					

(a) CWIP ageing schedule

(₹ in Crs)

CWIP	Amount in CWIP (31.03.2022)				Total
	Less than 1year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3yrs	
Projects in progress	3.27	8.65	0.18	0.46	12.55
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
CWIP	Amount in CWIP (31.03.2021)				Total
	Less than 1year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3yrs	
Projects in progress	8.91	0.19	0.49	0.76	10.34
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

(b) For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following CWIP completion schedule shall be given

CWIP	Amount in CWIP				Total
	Less than 1year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3yrs	
					Nil

(c) Intangible Assets under development completion

(₹ in Crs)

Intangible Assets under development completion	Amount in CWIP				Total
	Less than 1year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3yrs	
					Nil

टिप्पणी 4. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-निवेश

क्रम सं.	निगमित निकाय का नाम	धारण की सीमा %	शेयर/यूनिटों की संख्या	रकम ₹ करोड़ों में	शेयर/यूनिटों की संख्या	रकम ₹ करोड़ों में
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
	अनुद्धृत-पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर					
	लागत पर किया गया					
I	इक्विटी उपकरणों में निवेश					
	I) समनुषंगियाँ					
	क) प्रत्येक ₹10 का इक्विटी शेयर					
	एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड	100.00	20,00,000	0.05	20,00,000	0.05
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (नीचे टिप्पणी 2.19 देखें)	100.00	1,00,000	-	1,00,000	-
	ख) प्रत्येक ₹ 100 का इक्विटी शेयर					
	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	74.00	14,07,480	7.09	14,07,480	7.09
	II) संयुक्त उद्यम					
	क) प्रत्येक ₹ 10 का इक्विटी शेयर					
	लाइफ़सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	50.00	85,79,929	9.51	85,79,929	9.51
	III) संरचित संस्थाएं					
	केरल एनविरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.16	20,000	0.02	20,000	0.02
	कुल			16.67		16.67

टिप्पणी :

1. एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड के संबंध में निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि रु. 0.10 करोड है।

Note 4. Non-Current Financial Assets - Investments

Sl. No.	Name of the Body Corporate	Extent of Holding (%)	No. of Shares / Units	Amount in ₹ crs	No. of Shares / Units	Amount in ₹ crs
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
	Unquoted -Fully paid equity Shares					
	<i>Carried at cost</i>					
1	Investment in Equity Instruments					
	I) Subsidiaries					
	a) Equity Shares of ₹10 each					
	HLL Infratech Services Ltd	100.00	20,00,000	0.05	20,00,000	0.05
	HLL Mother & Child Care Hospital Limited (Refer Note 2.19)	100.00	1,00,000	-	1,00,000	-
	b) Equity Shares of ₹100 each					
	Goa Antibiotics And Pharmaceuticals Limited	74.00	14,07,480	7.09	14,07,480	7.09
	II) Joint Ventures					
	a) Equity Shares of ₹10 each					
	Life Spring Hospital Pvt.Ltd	50.00	85,79,929	9.51	85,79,929	9.51
	III) Structured Entities					
	Kerala Enviro Infrastructures Ltd.	0.16	20,000	0.02	20,000	0.02
	Total			16.67		16.67

Note:-

- In respect of HLL Mother & Child Care Hospital Ltd the aggregate amount of Impairment in the value of investments is Rs 0.10 Crs.

टिप्पणी 5. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
अप्रतिभूत, शोध समझे गए		
प्रतिभूति जमा	1.54	1.41
कुल	1.54	1.41

टिप्पणी 6. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		
क) आस्थगित कर देयताएं	(10.28)	(9.68)
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	81.10	29.71
कुल	70.82	20.02

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियाँ		
परिसंपत्तियों का डब्लियु डी वी (आर ओ यु परिसंपत्तियों के अलावा)	(3.35)	(2.96)
आर ओ यु परिसंपत्तियाँ	(6.93)	(6.72)
आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव	(10.28)	(9.68)
आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव		
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	51.94	9.09
अचल स्टॉक और अप्रयुक्त स्टॉक के लिए प्रावधान	1.34	0.16
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	20.73	14.16
आर ओ यु देयताएँ	7.09	6.29
आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव	81.10	29.71
निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियाँ	70.82	20.02

Note 5. Non-Current Financial Assets - Others

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Unsecured, Considered good		
Security Deposits	1.54	1.41
Total	1.54	1.41

Note 6. Deferred Tax Asset (Net)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Deferred tax asset (Net)		
a) Deferred tax liabilities	(10.28)	(9.68)
b) Deferred tax assets	81.10	29.71
Total	70.82	20.02

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Deferred tax (liability) / asset		
WDV of Assets (Other than ROU Assets)	(3.35)	(2.96)
ROU Assets	(6.93)	(6.72)
Tax effect of items constituting deferred tax liability	(10.28)	(9.68)
Tax effect of items constituting deferred tax assets		
Provision for doubtful debts	51.94	9.09
Provision for Non Moving Stock & Obsolete Stock	1.34	0.16
Provision for Employee benefits	20.73	14.16
ROU Liabilities	7.09	6.29
Tax effect of items constituting deferred tax assets	81.10	29.71
Net deferred tax (liability) / asset	70.82	20.02

टिप्पणी 7. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
अप्रचलित परिसंपत्तियाँ	0.31	-
न्यून: अप्रचलित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	(0.31)	-
कुल	-	-

टिप्पणी 8. गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
अग्रिम आय कर (निवल प्रावधान)	19.36	6.24
कुल	19.36	6.24

टिप्पणी 9. वस्तुसूची

(निम्नतम लागत पर या निवल वसूली साध्य मूल्य)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
क. कच्चे माल	25.53	26.65
ख. पैकिंग सामग्रियाँ	8.41	11.21
ग. कार्य प्रगति	18.01	18.42
घ. तैयार माल		
विनिर्मित उत्पाद	31.06	26.07
सामाजिक विपणन उत्पाद	0.90	1.36
आउटसोर्सड उत्पाद	98.11	231.59
मार्गस्थ माल	0.01	0.02
	130.08	259.04
ड. सामान्य भंडार एवं उपभोज्य	10.40	12.82
च. अन्य सामग्रियाँ, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, इमारती सामान आदि	11.91	10.39
छ. प्रबंधन द्वारा पुनर्मूल्यांकित और प्रमाणित औजार	0.15	0.06
ज. अन्य		
उपहार मदे	0.13	0.12
लेखन सामग्री	0.51	0.77
	0.64	0.90
	205.12	339.48
न्यून : अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान	5.32	1.79
कुल	199.80	337.69

Note 7. Other Non - Current Assets

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Obsolete Asset	0.31	-
Less: Provision for Obsolete Asset	(0.31)	
Total	-	-

Note 8. Non-Current Tax Asset (Net)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Advance Income Tax (Net of Provisions)	19.36	6.24
Total	19.36	6.24

Note 9. Inventories

(At lower of, cost or net realisable value)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
a. Raw Materials	25.53	26.65
b. Packing Materials	8.41	11.21
c. Work-in-progress	18.01	18.42
d. Finished goods		
Manufactured Products	31.06	26.07
Social Marketing Products	0.90	1.36
Outsourced Products	98.11	231.59
Goods-in transit	0.01	0.02
	130.08	259.04
e. General Stores and Consumables	10.40	12.82
f. Other materials, machinery, spare parts, building materials etc.	11.91	10.39
g. Tools revalued and certified by management	0.15	0.06
h. Others		
Gift items	0.13	0.12
Stationery	0.51	0.77
	0.64	0.90
	205.12	339.48
Less : Provision for Obsolete Stock	5.32	1.79
Total	199.80	337.69

टिप्पणी 10. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-व्यापार प्राप्तियाँ

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	तक	तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए*	4.92	10.17
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	2,509.73	1,816.11
संदिग्ध समझे गए	190.99	20.75
	2,705.64	1,847.03
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	190.99	20.75
	2,514.64	1,826.28
कुल	2,514.64	1,826.28

* साख पत्र, बैंक गारंटी या ग्राहक जमा के प्रति सुरक्षित

पुराने अनुसूची - व्यापार प्राप्तियाँ

₹ करोड़ों में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
(i) विवादित - शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ	31 मार्च, 2022 तक	1,806.10	307.82	328.90	33.49	38.33	2,514.64
	31 मार्च, 2021 तक	1,394.53	119.74	62.10	48.98	61.55	1,686.90
(ii) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	31 मार्च, 2022 तक	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण	31 मार्च, 2022 तक	5.08	0.79	0.09	-	2.93	8.89
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित - शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ	31 मार्च, 2022 तक	-	0.01	-	0.50	138.88	139.39
	31 मार्च, 2021 तक	0.01	-	0.50	0.19	138.69	139.39
(v) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	31 मार्च, 2022 तक	-	0.11	1.47	18.96	21.55	42.09
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	11.13	0.77	8.22	20.12
(vi) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण	31 मार्च, 2022 तक	-	-	-	0.02	0.61	0.63
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	-	-	0.62	0.62
कुल योग	31 मार्च, 2022 तक	1,811.18	308.73	330.46	52.97	202.30	2,705.64
	31 मार्च, 2021 तक	1,394.54	119.74	73.73	49.94	209.08	1,847.03

* साख पत्र, बैंक गारंटी या ग्राहक जमा के प्रति सुरक्षित

Note 10. Current Financial Assets - Trade Receivables

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Secured, considered good*	4.92	10.17
Unsecured, considered good	2,509.73	1,816.11
Considered Doubtful	190.99	20.75
	2,705.64	1,847.03
Less: Allowance for doubtful debts	190.99	20.75
	2,514.64	1,826.28
Total	2,514.64	1,826.28

* Secured against Letter of Credit, Bank Guarantee or Customer Deposit

Ageing Schedule- Trade Receivables

(₹ in Crs)

Particulars		Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed - Trade receivables considered good	As at March 31, 2022	1,806.10	307.82	328.90	33.49	38.33	2,514.64
	As at March 31, 2021	1,394.53	119.74	62.10	48.98	61.55	1,686.90
(ii) Undisputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk	As at March 31, 2022						-
	As at March 31, 2021						
(iii) Undisputed - Trade receivables credit impaired	As at March 31, 2022	5.08	0.79	0.09		2.93	8.89
	As at March 31, 2021						
(iv) Disputed - Trade receivables considered good	As at March 31, 2022	-	0.01	-	0.50	138.88	139.39
	As at March 31, 2021	0.01		0.50	0.19	138.69	139.39
(v) Disputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk	As at March 31, 2022	-	0.11	1.47	18.96	21.55	42.09
	As at March 31, 2021			11.13	0.77	8.22	20.12
(vi) Disputed - Trade receivables credit impaired	As at March 31, 2022	-	-	-	0.02	0.61	0.63
	As at March 31, 2021					0.62	0.62
Grand Total	As at March 31, 2022	1,811.18	308.73	330.46	52.97	202.30	2,705.64
	As at March 31, 2021	1,394.54	119.74	73.73	49.94	209.08	1,847.03

* Secured against Letter of Credit, Bank Guarantee & Customer Deposit

टिप्पणी 11. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) बैंकों में शेष		
(i) चालू खाते में	14.88	15.87
(ii) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि	-	0.03
(iii) परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि	57.82	20.54
(iv) 3 महीने से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	976.25	830.39
(v) ई ई एफ सी खाते में	2.05	0.22
(ख) अन्य		
(i) हस्तगत कैश	2.11	2.01
(ii) हस्तगत स्टाम्प	0.00	0.00
कुल	1,053.11	869.05
(ग) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष		
जमा खाते में	281.48	1.20
उधार और गारंटी के लिए मार्जिन मणी के रूप में रखे सावधि जमा	2.83	4.14
कुल	284.31	5.34

टिप्पणी :

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च 2021 को नकद और नकद समतुल्यों में क्रमशः ₹ 2.83 करोड़ और ₹ 4.14 करोड़ के प्रतिबंधित नकद और बैंक शेष शामिल हैं। प्रतिबंध मुख्य रूप से गारंटी के खिलाफ मार्जिन राशि जमा के रूप में रखे गए बैंक शेष के कारण हैं।

Note 11. Cash and Cash Equivalents

Particulars	As at	As at
	31.03.2022	31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Balances with banks		
(i) In Current accounts	14.88	15.87
(ii) Funds earmarked for CSR	-	0.03
(iii) Funds earmarked for Projects	57.82	20.54
(iv) In Term deposit accounts with less than 3 months maturity	976.25	830.39
(v) In EEFC accounts	2.05	0.22
(b) Others		
(i) Cash in hand	2.11	2.01
(ii) Stamps in Hand	0.00	0.00
Total	1,053.11	869.05
(c) Bank balances other than (a) above		
In deposit accounts	281.48	1.20
In Term deposits held for margin money for borrowings and guarantee	2.83	4.14
Total	284.31	5.34

Note:

Cash and cash equivalents as at March 31,2022 and March 31,2021 include restricted cash and bank balances of ₹2.83 crs and ₹4.14 crs, respectively. The restrictions are primarily on account of bank balances held as margin money deposits against guarantees.

टिप्पणी 12. ऋण

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगियाँ		
प्रतिभूत, शोध्द्य समझे गए	0.00	(0.00)
अप्रतिभूत, शोध्द्य समझे गए	4.25	5.75
संदिग्ध समझे गए	-	0.01
	4.25	5.76
न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों के लिए भत्ता		0.01
उप कुल	4.25	5.74
(ख) संबंधित पार्टियों को ऋण		
अप्रतिभूत, शोध्द्य समझे गए	-	21.09
उप कुल	-	21.09
कुल	4.25	26.83

टिप्पणी: चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण और पेशगियों में देय राशि शामिल है

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
निदेशक	0.00	0.00
कंपनी के अन्य अधिकारीगण	0.54	0.53
कुल	0.54	0.53

Note 12. Loans

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Loans and Advances to employees		
Secured, considered good	0.00	(0.00)
Unsecured, considered good	4.25	5.75
Considered Doubtful	-	0.01
	4.25	5.76
Less: Allowance for doubtful loans and advances		0.01
Sub Total	4.25	5.74
(b) Loans to Related parties		
Unsecured, considered good	-	21.09
Sub Total	-	21.09
Total	4.25	26.83

Note: Current Financial Assets - Loans and Advances include amounts due from:

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Directors	0.00	0.00
Other officers of the Company	0.54	0.53
Total	0.54	0.53

टिप्पणी 13. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ -अन्य

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) प्रोद्भूत ब्याज	10.34	1.99
(ख) भारत सरकार से प्राप्तियाँ	6.42	6.42
(ग) प्रतिभूति जमा	4.44	4.58
कुल	21.20	12.99

टिप्पणी 14. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
लेनदारों को अग्रिम, विभिन्न सरकारी एजेंसियों को जमा, अन्य आदि		
शोध समझे गए	918.12	227.90
संदिग्ध समझे गए	15.39	15.39
उप कुल	933.80	243.29
न्यून : पेशगियों के लिए प्रावधान	(15.39)	(15.39)
उप कुल	918.42	227.90
अन्य		
(क) निर्यात प्रोत्साहन/वापसी शुल्क	1.92	3.96
(ख) डी ई पी बी लाइसेंस एफ एम आई , एम ई आई एस & आर ओ डी टी ई पी का स्टॉक	1.75	0.54
(ग) परियोजनाओं से प्राप्य	-	5.01
(घ) पूर्व प्रदत्त व्यय	2.49	2.07
(ङ) अग्रिम बिक्री कर	-	0.20
(च) प्राप्य सहेली अनुदान	6.26	11.28
उप कुल	12.42	23.07
कुल	930.84	250.97

टिप्पणी 15. शेयर पूँजी

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) प्राधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर-30,00,00,000 संख्याएं	300.00	300.00
(ख) जारी की गई शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर-	15.54	15.54
1,55,35,000 संख्या (31.03.2021 तक)		
1,55,35,000 संख्या (31.03.2022 तक)		
(ग)अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर-	15.54	15.54
1,55,35,000 संख्या (31.03.2021 तक)		
1,55,35,000 संख्या (31.03.2022 तक)		
कुल	15.54	15.54

Note 13. Current Financial Assets - Others

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Accrued Interest	10.34	1.99
(b) Receivable from Govt of India	6.42	6.42
(c) Security Deposit	4.44	4.58
Total	21.20	12.99

Note 14. Other current assets

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Advances Other than Capital Advances		
Advance to Creditors, Deposit to various Govt agencies, others etc		
Considered good	918.42	227.90
Considered Doubtful	15.39	15.39
Sub Total	933.80	243.29
Less:-Provision for Advances	(15.39)	(15.39)
Sub Total	918.42	227.90
Others		
(a) Export Incentives/Duty Draw back	1.92	3.96
(b) Stock of DEPB Licence FMI,MEIS &RoDTEP	1.75	0.54
(c) Receivable from Projects	-	5.01
(d) Prepaid Expenses	2.49	2.07
(e) Sales Tax Advances	-	0.20
(f) Saheli Subsidy Receivable	6.26	11.28
Sub Total	12.42	23.07
Total	930.84	250.97

Note 15. Share Capital

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Authorised Share Capital		
Equity shares of ₹10/-each - 30,00,00,000 Nos.	300.00	300.00
(b) Issued Share Capital		
Equity shares of ₹10/- each:		
1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2021)	15.54	15.54
1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2022)		
(c) Subscribed and fully paid up Share Capital		
Equity shares of ₹10/- each:		
1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2021)	15.54	15.54
1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2022)		
Total	15.54	15.54

शेयर पूँजी का मेल मिलाप

विवरण	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ों में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ों में
इक्विटी शेयर पूँजी				
प्राधिकृत				
अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
परिवर्धन	-	-	-	-
अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
जारी किए गए				
अथ शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
परिवर्धन/(छूट)				
अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
अभिदत्त और प्रदत्त				
अथ शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
परिवर्धन/(छूट)				
अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54

5% से अधिक शेयर पास रखे प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों के विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
	रखे शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशतता	धारण किए शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	1,55,35,000	100%	1,55,35,000	100%

प्रवर्तकों की शेयरधारिता के विवरण

प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	1,55,35,000	100%	-

Reconciliation of Share Capital

Description	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
	No of Shares	₹ crs	No of Shares	₹ crs
Equity Share Capital				
Authorized				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
Additions				
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
Issued				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
Additions/(Reductions)				
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
Subscribed & Paid up				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
Additions/(Reductions)				
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54

Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

Name of shareholder	AS AT 31.03.2022		AS AT 31.03.2021	
	Number of shares held	% of Holding	Number of shares held	% of Holding
President of India	1,55,35,000	100%	1,55,35,000	100%

Details of Shareholdings of Promoters

Promoter Name	No of Shares	% of total Shares	% Change during the year
President of India	1,55,35,000	100%	-

टिप्पणी 16. अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) लाभांश समीकरण आरक्षित	1.30	1.30
(ख) सामान्य आरक्षित		
अथ शेष	257.12	257.12
अंतिम शेष	257.12	257.12
(ग) प्रतिधारित अर्जन		
अथ शेष	128.28	30.46
जोड़ : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	408.23	112.72
न्यून : लाभांश	19.29	14.90
अंतिम शेष	517.22	128.28
(घ) अन्य व्यापक आय		
अथ शेष	(16.06)	(6.29)
जोड़ : प्रतिधारित कमाई से पुनर्वर्गीकृत शेष	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(6.20)	(9.77)
अंतिम शेष	(22.26)	(16.06)
कुल	753.38	370.64

टिप्पणी. अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
लाभांश समीकरण आरक्षित	1.30	1.30
सामान्य आरक्षित	257.12	257.12
अन्य व्यापक आय	(22.26)	(16.06)
प्रतिधारित अर्जन	517.22	128.28
कुल	753.38	370.64

Note 16. Other Equity

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Dividend Equalisation Reserve	1.30	1.30
(b) General reserve		
Opening balance	257.12	257.12
Closing balance	257.12	257.12
(c) Retained Earnings		
Opening balance	128.28	30.46
Add: Profit / (Loss) for the year	408.23	112.72
Less: Dividend	19.29	14.90
Closing balance	517.22	128.28
(d) Other Comprehensive Income		
Opening Balance	(16.06)	(6.29)
Add: Balance reclassified from Retained earnings	-	-
Other comprehensive income for the year	(6.20)	(9.77)
Closing Balance	(22.26)	(16.06)
Total	753.38	370.64

Note. Other Equity

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Dividend Equalisation Reserve	1.30	1.30
General Reserve	257.12	257.12
Other Comprehensive Income	(22.26)	(16.06)
Retained Earnings	517.22	128.28
Total	753.38	370.64

टिप्पणी 17. गैर-चालू वित्तीय देयताएं-उधार

(परिशोधित लागत पर किया गया)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) प्रतिभूत उधार		
आवधिक ऋण :		
आवधिक ऋण रुपया	-	22.84
कुल	-	22.84

(i) दीर्घकालिक उधार के लिए चुकोती के शर्त के विवरण और प्राप्त दीर्घकालिक उधार के संबंध में दी गई प्रतिभूति ।

विवरण	प्रतिभूति के विवरण	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
बैंकों से आवधिक ऋण :					
ऋण रुपया					
- एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड	पेरूरकडा फैक्टरी - बालरामपुरम सुविधा, आक्कुलम के निगमित आर & डी केंद्र, आक्कुलम, कनगला के सैनिटरी नेपकिन विनिर्माण यूनिट के ऋण से खरीदी चल संपत्तियों पर प्रथम चार्ज। आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम के मकान और भूमि पर साम्यिक बंधक।	-	-	6.96	-
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	पारी पासु के आधार पर कंपनी के संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर चार्ज का विस्तार नोएडा मकान फेस II और ऐरापुरम के भूमि और मकान पर साम्यिक बंधक	-	-	35.43	-
कुल - बैंकों से आवधिक ऋण		-	-	42.39	-
12 महीनों के बाद देय		-	-	22.84	-

टिप्पणी 18. प्रावधान (गैर चालू)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	28.68	7.57
कुल	28.68	7.57

Note 17. Non-Current Financial Liabilities - Borrowings

(Carried at Amortized Cost)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Secured Borrowings		
Term loans:		
Rupee Term Loan	-	22.84
Total	-	22.84

(i) Details of terms of repayment for the long-term borrowings and security provided in respect of the secured long-term borrowings:

Particulars	Details of security	As At 31.03.2022		As At 31.03.2021	
		Secured	Unsecured	Secured	Unsecured
		₹ crs	₹ crs	₹ crs	₹ crs
Term loans from banks:					
<u>Rupee Loan</u>					
- HDFC Bank Limited	First charge over movable assets purchased out of the loan at Peroorkada Factory- Balaramapuram facility, Corporate R&D Centre at Akkulam, Sanitary Napkin Manufacturing Unit at Kanagala Equitable mortgage over land and building at Akkulam, Trivandrum.		-	6.96	
- State Bank of India	Extension of charge over entire current assets of the company on pari passu basis Equitable Mortgage over the Noida Building Phase II & land and building at Irapuram		-	35.43	
Total - Term loans from banks		-	-	42.39	-
Payable after 12 months		-	-	22.84	-

Note 18. Provisions (Non Current)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Provision for performance related pay	28.68	7.57
Total	28.68	7.57

टिप्पणी 19. अन्य गैर-चालू देयताएं

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
आस्थगित सरकारी अनुदान	14.08	14.08
कुल	14.08	14.08

टिप्पणी 20. चालू वित्तीय देयताएँ - उधार (परिशोधित लागत पर विवरित)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) मांग पर प्रतिदेय ऋण (नकदी ऋण) - प्रतिभूत		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	77.26	130.72
कैनरा बैंक से	0.00	0.18
एच डी एफ सी बैंक से	12.21	34.47
उप कुल	89.48	165.36
(ख) बैंकों से अल्पकालीन ऋण -प्रतिभूत- ओवरड्राफ्ट		
कैनरा बैंक से	0.02	53.13
एस बी आई से	68.31	64.72
उप कुल	68.32	117.86
(ग) दीर्घकालीन ऋण के चालू परिपक्वताएं		
मियादी ऋण		
एच डी एफ सी बैंक से मियादी ऋण रुपया	-	4.71
एस बी आई से मियादी ऋण रुपए	-	14.84
उप कुल	-	19.55
कुल	157.80	302.77

टिप्पणियाँ: (i) प्रतिभूत अल्पकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण :

विवरण	प्रतिभूति की प्रकृति	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण			
एस बी आई	कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर पारि पासु चार्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम के मकान सहित भूमि पर जमानती के रूप में सांख्यिक बंधक। मंजूर की गई सीमा है- एस बी आई (₹.220 करोड़), कैनरा बैंक (₹.50 करोड़) & एच डी एफ सी बैंक (₹.42 करोड़)	77.26	130.72
कैनरा बैंक		0.00	0.18
एच डी एफ सी बैंक		12.21	34.47
कुल		89.48	165.36

बैंकों से अल्पकालिक ऋण -प्रतिभूत ओवरड्राफ्ट

कैनरा बैंक से	परियोजना जमा से प्रतिभूत	0.02	53.13
एस बी आई से		68.31	64.72
	कुल	68.32	117.86

दीर्घकालीन ऋण के चालू परिपक्वताएं

अगले 12 महीनों के अंदर देय को चालू देयताओं के रूप में माना जाता है।	प्रतिभूति के विवरण टिप्पणी 17 गैर चालू वित्तीय देयताएँ - उधार	-	19.55
कुल		-	19.55

Note 19. Other Non Current Liabilities

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Deferred Government Grant	14.08	-
Total	14.08	-

Note 20. Current Financial Liabilities - Borrowings (Stated at Amortized Cost)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Loans repayable on demand (Cash Credit) - Secured	.	
From State Bank of India	77.26	130.72
From Canara Bank	0.00	0.18
From HDFC Bank	12.21	34.47
Sub Total	89.48	165.36
(b) Short Term Loans from Banks -Secured Overdraft		
From Canara Bank	0.02	53.13
From SBI	68.31	64.72
Sub Total	68.32	117.86
(c) Current Maturities of long term debt		
Term loans		
Rupee Term Loan from HDFC Bank	-	4.71
Rupee Term Loan from SBI	-	14.84
Sub Total	-	19.55
Grand Total	157.80	302.77

Notes: (i) Details of security for the secured short-term borrowings:

Particulars	Nature of security	As at	As at
		31.03.2022	31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
Loans repayable on demand from banks:			
SBI	Parri passu charge over current assets of the company. Equitable Mortgage as collateral over the land with building at Poojappura, Trivandrum towards State Bank of India. The limits sanctioned are SBI (Rs.220 Cr), Canara Bank (Rs. 50 Cr) & HDFC Bank (Rs. 42 Cr)		
Canara Bank		77.26	130.72
HDFC Bank		0.00	0.18
Total		12.21	34.47
		89.48	165.36

Short Term Loans from Banks - Secured overdraft

From Canara Bank	Secured by Project Deposits	0.02	53.13
From SBI		68.31	64.72
Total		68.32	117.86

Current Maturities of long term debt

Payable within next 12 months treated as Current Liabilities	Details of Security in Note 17 Non-Current Financial Liabilities - Borrowings	-	19.55
Total		-	19.55

टिप्पणी 21. चालू वित्तीय देयताएं-देय व्यापार

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
व्यापार देनदारियाँ:		
सामग्रियों, सेवाओं और व्ययों के लिए		
क. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	30.41	11.23
ख. अन्य	848.75	1,660.59
कुल	879.16	1,671.82

देय व्यापार पुराने अनुसूची

₹ करोड़ों में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया	कुल				
		1 महीने से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज़्यादा	
(i) एम एस एम ई	31 मार्च, 2022	29.87	0.14	0.08	0.32	30.41
	31 मार्च, 2021	10.55	0.47	0.12	0.09	11.23
(ii) अन्य	31 मार्च, 2022	682.39	36.03	1.64	71.16	791.22
	31 मार्च, 2021	1489.4	42.64	54.76	16.26	1,603.06
(iii) विवादित देय राशि एम एस एम ई	31 मार्च, 2022	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2021	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि अन्य	31 मार्च, 2022	-	-	-	57.53	57.53
	31 मार्च, 2021	-	-	-	57.53	57.53
कुल योग	31 मार्च, 2022	712.26	36.17	1.72	129.01	879.16
	31 मार्च, 2021	1499.95	43.11	54.88	73.88	1,671.82

टिप्पणी 22 चालू वित्तीय देयताएं-अन्य

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
अन्य		
ई एम डी और प्रतिभूति जमा	47.65	52.69
अन्य देयताएं	365.81	166.20
कुल	413.46	218.90

Note 21. Current Financial Liabilities - Trade Payables

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Trade payables:		
for materials, services and expenses		
a. Micro Small and Medium Enterprises	30.41	11.23
b. Others	848.75	1,660.59
Total	879.16	1,671.82

Trade Payables ageing schedule

₹ crs

Particulars		Outstanding for following periods from due date of payment				TOTAL
		Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
(i) MSME	As at March 31, 2022	29.87	0.14	0.08	0.32	30.41
	As at March 31, 2021	10.55	0.47	0.12	0.09	11.23
(ii) Others	As at March 31, 2022	682.39	36.03	1.64	71.16	791.22
	As at March 31, 2021	1489.4	42.64	54.76	16.26	1,603.06
(iii) Disputed dues MSME	As at March 31, 2022					-
	As at March 31, 2021					-
(iv) Disputed dues Others	As at March 31, 2022				57.53	57.53
	As at March 31, 2021				57.53	57.53
Grand Total	As at March 31, 2022	712.26	36.17	1.72	129.01	879.16
	As at March 31, 2021	1499.95	43.11	54.88	73.88	1,671.82

Note 22. Current Financial Liabilities - Others

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Others		
(i) EMD & Security Deposits	47.65	52.69
(ii) Other Liabilities	365.81	166.20
Total	413.46	218.90

टिप्पणी 23. प्रावधान (चालू)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान :		
(i) बॉनस और प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	2.62	3.16
(ii) निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	7.57	6.55
(iii) उपदान के लिए प्रावधान	26.69	23.31
(iv) ग्रुप ई एल प्रीमियम के लिए प्रावधान	7.95	8.68
(ख) प्रावधान - अन्य :		
(i) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	-	14.90
(ii) सी एस आर देयताओं के लिए प्रावधान	0.14	0.03
(iii) देय व्यय के लिए प्रावधान	60.01	50.28
कुल	104.98	106.91

टिप्पणी 24 अन्य चालू देयताएं

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) ग्राहक/मुवक्किल से अग्रिम	2,986.99	920.27
(ख) अग्रिम में प्राप्त आय	0.72	-
(ग) परियोजनाओं के लिए देय	0.73	-
कुल	2,988.44	920.27

Note 23. Provisions (Current)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Provision for employee benefits:		
(i) Provision for bonus and incentive	2.62	3.16
(ii) Provision for performance related pay	7.57	6.55
(iii) Provision for gratuity	26.69	23.31
(iv) Provision for group EL Premium	7.95	8.68
(b) Provision - Others:		
(i) Provision for Proposed Dividends	-	14.90
(ii) Provision for CSR liability	0.14	0.03
(iii) Provision for Expense Payable	60.01	50.28
Total	104.98	106.91

Note 24. Other Current Liabilities

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Advance from Customers/Clients	2,986.99	920.27
(b) Income Received in Advance	0.72	-
(c) Payable to Projects	0.73	-
Total	2,988.44	920.27

टिप्पणी : 25 प्रचालन से राजस्व

क्रम सं	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क)	उत्पादों की बिक्री *	33,403.81	4,269.88
(ख)	सेवाओं की बिक्री	2,156.99	532.57
(ग)	ठेके से आय	81.23	63.97
(घ)	अन्य प्रचालन राजस्व	26.64	214.89
	कुल	35,668.67	5,081.31

टिप्पणी	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(i)	उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं		
	गर्भनिरोधक उत्पादों की बिक्री	277.15	408.36
	स्वास्थ्यरक्षा उत्पादों की बिक्री	79.79	94.27
	फार्मा उत्पाद	744.45	610.15
	कोविड - 19 की आपातकालीन आपूर्ति	32,302.42	3,157.10
	उप कुल	33,403.81	4,269.88
	सेवाओं की बिक्री	524.73	323.46
	कोविड सेवाएँ	1,632.26	209.11
	ठेके से आय	81.23	63.97
	अन्य प्रचालन राजस्व	26.64	214.89
	कुल योग	35,668.67	5,081.31
	अन्य प्रचालन राजस्व शामिल हैं :		
	सहेली और नोवेक्स की बिक्री पर प्रचार सब्सिडी	3.74	3.42
	शुल्क छूट/शुल्क वापसी/अन्य निर्यात प्रोत्साहन	4.51	5.43
	रद्दी माल, रद्दी कंडोम और अन्य विविध मर्चों की बिक्री	4.68	3.81
	निविदा फार्म की बिक्री	0.20	0.15
	खर्चों की प्रतिपूर्ति (कोविड - 19 आपूर्ति के लिए)	13.50	202.08
	कुल	26.64	214.89

Note 25. Revenue from operations

S.No	Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(a)	Sale of products	33,403.81	4,269.88
(b)	Sale of services	2,156.99	532.57
(c)	Income from Contract	81.23	63.97
(d)	Other operating revenues	26.64	214.89
	Total	35,668.67	5,081.31

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(i)	Sale of products comprises		
	Sale of Contraceptive Products	277.15	408.36
	Sale of Healthcare Products	79.79	94.27
	Pharma Products	744.45	610.15
	Emergency supplies for COVID-19	32,302.42	3,157.10
	Sub Total	33,403.81	4,269.88
	Sale of services	524.73	323.46
	Covid services	1,632.26	209.11
	Income from Contract	81.23	63.97
	Other operating revenues	26.64	214.89
	Grand Total	35,668.67	5,081.31
	Other operating revenues comprise:		
	Promotional Subsidy on Saheli and Novex sales	3.74	3.42
	Duty Rebate / Duty drawback / Other export incentives	4.51	5.43
	Sale of scrap, waste condoms and other misc.items	4.68	3.81
	Sale of tender form	0.20	0.15
	Reimbursement of Expenses (for COVID-19 supplies)	13.50	202.08
	Total	26.64	214.89

टिप्पणी : 26 अन्य आय

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क)	ब्याज आय (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	6.03	16.95
(ख)	अन्य गैर-प्रचालन आय (नीचे टिप्पणी (ii) देखें)	23.47	40.58
	कुल	29.50	57.53

टिप्पणी	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
		को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(i)	ब्याज आय में शामिल है :		
	क) अन्यो पर	5.89	16.42
	ख) जमों पर	0.14	0.53
	कुल-ब्याज आय	6.03	16.95
(ii)	अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल हैं :		
	कर्मचारी आवासों से किराए का आय	0.03	0.03
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.07	0.01
	बीमा दावा	0.03	0.10
	पुनरांकित किए अधिक प्रावधान/ऋण	5.12	13.68
	पट्टा किराया	4.27	4.04
	लाभांश आय (समनुषंगी-एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वीसेस लिमिटेड से सब्सिडी)	8.00	10.00
	विनिमय में उतार-चढ़ाव	0.45	2.43
	अन्य विविध आय	5.50	10.27
	कुल-अन्य गैर-प्रचालन आय	23.47	40.58

टिप्पणी : 27 खपा हुआ माल की लागत

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
आरंभिक स्टॉक	37.86	27.95
जोड़ : खरीद	205.62	225.89
	243.48	253.84
न्यून : अंतिम स्टॉक	33.93	37.86
खपा हुआ माल की लागत	209.54	215.98
उपभुक्त सामग्री में शामिल है :		
कच्चे माल	102.11	122.51
रसायन	44.78	24.78
पैकिंग सामग्रियाँ	53.84	55.95
गुणवत्ता एवं उप-ठेका व्यय की लागत	8.82	12.35
बेची गई सामग्रियों की लागत	0.00	0.38
कुल	209.54	215.98

Note 26. Other income

Particulars		Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(a)	Interest income (Refer Note (i) below)	6.03	16.95
(b)	Other non-operating income (Refer Note (ii) below)	23.47	40.58
	Total	29.50	57.53

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(i)	Interest income comprises:		
	a) On Others	5.89	16.42
	b) On Deposits	0.14	0.53
	Total - Interest income	6.03	16.95
(ii)	Other non-operating income comprises:		
	Rental income from Staff quarters	0.03	0.03
	Profit on sale of fixed assets	0.07	0.04
	Insurance claims	0.03	0.10
	Excess provision / credits written back	5.12	13.68
	Lease rent	4.27	4.04
	Dividend Income (from subsidiary-HLL Infra Tech Services Ltd)	8.00	10.00
	Exchange Fluctuation	0.45	2.43
	Other Misc.Income	5.50	10.27
	Total - Other non-operating income	23.47	40.58

Note 27. Cost of materials consumed

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Opening stock	37.86	27.95
Add: Purchases	205.62	225.89
	243.48	253.84
Less: Closing stock	33.93	37.86
Cost of material consumed	209.54	215.98
Material consumed comprises:		
Raw Materials	102.11	122.51
Chemicals	44.78	24.78
Packing Materials	53.84	55.95
Cost of quality and Sub contract Expense	8.82	12.35
Cost of Goods sold Materials	0.00	0.38
Total	209.54	215.98

टिप्पणी : 28 व्यापार स्टॉक की खरीदी

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
व्यापार उत्पाद	32,789.63	3,816.65
सामाजिक विपणन ब्रांडेड उत्पाद	6.38	2.44
कुल	32,796.02	3,819.09

टिप्पणी : 29 तैयार मालों, कार्य प्रगति और व्यापार स्टॉक में परिवर्तन

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
वर्ष के अंत में वस्तुसूची		
तैयार माल	130.08	259.04
कार्य प्रगति	18.01	18.42
	148.09	277.45
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची		
तैयार माल	259.04	131.43
कार्य प्रगति	18.42	17.95
	277.45	149.38
निवल(वृद्धि)/कमी	129.36	(128.08)
न्यून : एन आर वी में प्रतिस्थापित किए वस्तुसूची को असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है।	-	-
कुल	129.36	(128.08)

टिप्पणी: 30 कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) वेतन और प्रोत्साहन	202.20	146.33
(ख) अंशदान -		
भविष्य निधि	15.04	12.60
नई पेंशन योजना	2.36	1.88
उपदान और अर्जित छुट्टी	12.68	13.77
कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान	1.07	1.13
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	17.28	12.33
कुल	250.62	188.04

Note 28. Purchases of stock-in-trade

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Trading Products	32,789.63	3,816.65
Social Marketing Branded Products	6.38	2.44
Total	32,796.02	3,819.09

Note 29. Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock - in - trade

Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
<u>Inventories at the end of the year:</u>		
Finished goods	130.08	259.04
Work-in-progress	18.01	18.42
	148.09	277.45
<u>Inventories at the beginning of the year:</u>		
Finished goods	259.04	131.43
Work-in-progress	18.42	17.95
	277.45	149.38
Net (increase) / decrease	129.36	(128.08)
Less: Write down of inventory to NRV shown as exceptional item	-	-
TOTAL	129.36	(128.08)

Note 30. Employee benefits expense

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Salaries and incentives	202.20	146.33
(b) Contributions to -		
Provident fund	15.04	12.60
New pension scheme	2.36	1.88
Gratuity and Earned Leave	12.68	13.77
Contribution to ESI	1.07	1.13
(c) Staff welfare expenses	17.28	12.33
Total	250.62	188.04

टिप्पणी : 31 वित्त लागत

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) ब्याज व्यय :		
(i) नकदी उधार	17.88	17.07
(ii) आवधिक ऋण	2.40	4.22
(ख) अन्य उधार लागत	1.26	0.13
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए अधिकार पर ब्याज (आर ओ यु)	2.57	1.81
कुल	24.11	23.24

टिप्पणी : 32 अन्य व्यय

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
विज्ञापन एवं प्रचार और बिक्री प्रोत्तमन व्यय	31.19	29.10
एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय	318.10	150.39
बिजली और इंधन चार्ज	41.68	33.46
भाड़ा और अन्य विक्रय व्यय	68.86	165.49
यात्रा तथा परिवहन	9.08	7.95
अन्य उत्पादन व्यय	15.39	18.26
कोविड प्रापण पर सीमा शुल्क	-	116.79
ठेके कर्मचारियों को वेतन	55.04	42.83
परामर्श तथा सेवा शुल्क	828.35	91.21
विविध व्यय	23.84	28.18
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान	177.97	27.03
मशीनरी का मरम्मत तथा अनुरक्षण	5.10	4.95
डाक तथा तार, दूरभाष	4.79	4.53
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.26	0.24
निगमित आर & डी केंद्र व्यय	5.02	3.43
किराया	7.58	5.06
मुद्रण तथा लेखन सामग्रियाँ	3.22	2.45
अन्य परिसंपत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण	4.67	4.41
जल चार्ज	1.83	1.14

Note 31. Finance Costs

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Interest expense on:		
(i) Cash credit	17.88	17.07
(ii) Term Loan	2.40	4.22
(b) Other borrowing costs	1.26	0.13
(c) Interest on Right of Use Assets(ROU)	2.57	1.81
Total	24.11	23.24

Note 32 Other expenses

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Advertisement & Publicity and Sales Promotion Expenses	31.19	29.10
HCS Direct expenses	318.10	150.39
Power & fuel charges	41.68	33.46
Freight & Other Selling Expenses	68.86	165.49
Travelling & Conveyance	9.08	7.95
Other Production expenses	15.39	18.26
Customs duty on Covid procurements	-	116.79
Wages to Contract Labourers	55.04	42.83
Consultancy & Service Charges	828.35	91.21
Miscellaneous Expenses	23.84	28.18
Provision for bad & doubtful debts/Advances	177.97	27.03
Repairs & Maintenance Machinery	5.10	4.95
Postage & Telegram, Telephone	4.79	4.53
Research & Development Expenses	0.26	0.24
Corporate R&D Centre Expenses	5.02	3.43
Rent	7.58	5.06
Printing & Stationery	3.22	2.45
Repairs & maintenance of other assets	4.67	4.41
Water charges	1.83	1.14

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
बीमा चार्ज	2.94	3.35
बैंक चार्ज	2.32	1.46
कर्मचारियों की भर्ती व्यय	0.13	0.20
दर एवं कर	1.71	0.64
बड़े खाते डाले गए बेकार स्टॉक के लिए प्रावधान	4.18	1.92
बड़े खाते डाले गए बेकार भंडार और परिसंपत्ति को बड़े खाते डालना/प्रावधान	0.86	0.29
प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	0.21	0.07
इमारतों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	1.89	1.32
बड़े खाते डाले गए अशोध्य कर्ज एवं अग्रिम	2.25	19.64
लेखापरीक्षकों के भुगतान (नीचे टिप्पणी(तें) देखें)	0.21	0.21
जी एस टी लेखापरीक्षा शुल्क	-	0.05
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	0.05	0.04
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.06	0.02
रद्दी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	(0.00)
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च	1.65	0.26
प्रदत्त रायल्टी	0.01	0.02
कुल	1,620.42	766.41

टिप्पणी (i) लेखापरीक्षकों के भुगतान

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(i) लेखापरीक्षकों के भुगतान में शामिल है।		
लेखापरीक्षा शुल्क	0.16	0.15
लेखापरीक्षा शुल्क कर	0.03	0.03
लेखापरीक्षा व्यय	0.02	0.03
कुल	0.21	0.21

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Insurance charges	2.94	3.35
Bank Charges	2.32	1.46
Staff recruitment expenses	0.13	0.20
Rates & Taxes	1.71	0.64
Provision for obsolete stock written off	4.18	1.92
Obsolete store written off & Asset Write off/ Provision	0.86	0.29
Training program expenses	0.21	0.07
Repairs & maintenance of buildings	1.89	1.32
Bad debt & advances written off	2.25	19.64
Payments to auditors (Refer Note (i) below)	0.21	0.21
GST Audit Fees	-	0.05
Cost audit fees	0.05	0.04
Loss on sale of Fixed Assets	0.06	0.02
Loss on sale of scrapped assets	-	(0.00)
Corporate Social Responsibility expenses	1.65	0.26
Royalty paid	0.01	0.02
Total	1,620.42	766.41

Note (i) Payment to Auditors

Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(i) Payments to the auditors comprises		
Audit fees	0.16	0.15
Tax Audit fees	0.03	0.03
Audit expenses	0.02	0.03
Total	0.21	0.21

अनुपात:-

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	अंतर %
(क) वर्तमान अनुपात (चालू परिसंपत्ति/ चालू देयताएँ) चालू देयताएँ : - चालू देयताएँ - पट्टा दायित्व-लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	1.10	1.04	5.98%
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात (ऋण/इक्विटी) वर्ष के दौरान दीर्घकालिक ऋण चुकाया गया है और कोविड प्रचालन के कारण लाभ में वृद्धि होने की वजह से इक्विटी में वृद्धि हुई है।	0.24	0.94	-74%
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात (निवल प्रचालन आय/ऋण सेवा) कोविड प्रचालन के कारण निवल प्रचालन आय में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप ऋण सेवा कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई है।	25.74	9.59	168%
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी (पी ए टी)/(कुल इक्विटी) कोविड प्रचालन के कारण लाभ में वृद्धि, इक्विटी पर वापसी में वृद्धि हुई है।	0.53	0.29	82%
(ङ) वस्तुसूची व्यापारावर्त अनुपात (बेचे गए माल की कीमत/औसत वस्तुसूची) कोविड प्रचालन के कारण बिक्री में वृद्धि और स्टॉक होल्डिंग्स में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है।	123.29	14.67	841%
(च) व्यापार प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात (प्रचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्य) कोविड प्रचालन के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है और व्यापार प्राप्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात में वृद्धि हुई है।	16.43	3.82	331%
(छ) व्यापार प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात (बेचे गए माल की कीमत/औसत व्यापार प्राप्य) (बेचे गए माल की लागत कोविड प्रचालन के कारण बढ़ गयी है और व्यापार देय राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि वर्ष के दौरान कोविड प्रापण के अधिकांश विक्रेताओं का भुगतान किया गया है।	25.98	3.55	631%

RATIOS:-

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021	Variance %
(a) Current Ratio (Current Assets / Current Liabilities)	1.10	1.04	5.98%
Current Liabilities:-Current Liabilites - Lease obligation- current maturities of long term borrowings			
(b) Debt Equity Ratio (Debt/Equity)	0.24	0.94	-74%
Long Term Debt has been repaid during the year and the equity has increased due to increase in Profit due to COVID Operations			
(c) Debt Service Coverage Ratio (Net Operating Income / Debt Service)	25.74	9.59	168%
Net operating Income has increased due to COVID operations this has resulted in increase in Debt service coverage ratio			
(d) Return on Equity Ratio (PAT/(Total equity))	0.53	0.29	82%
Increase in profit due to COVID operations the return on Equity has increased			
(e) Inventory Turnover Ratio (Cost of Goods Sold / Average Inventory)	123.29	14.67	841%
Due to Increase in sales due to COVID operations and and no corresponding increase in stock holdings has resulted in increase in ratio			
(f) Trade receivables Turnover Ratio (Revenue from operations / Average Trade Receivables)	16.43	3.82	331%
Revenue has increased due to COVID operations and there was no corresponding increase in Trade receivables thereby resulting in receivables turnover ratio			
(g) Trade Payables Turnover Ratio (Cost of good sold/Average Trade Payables)	25.98	3.55	631%
Cost of Goods sold has increased due to COVID operations and there was no increase in trade payables as most of the vendors for COVID procurements has been paid off during the year.			

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	अंतर %
(ज) चालू पूँजीकार्य व्यापारावर्त अनुपात प्रचालन से राजस्व/चालू पूँजी कार्य	79.59	65.20	22%
(झ) निवल लाभ अनुपात (पी ए टी/निवल बिक्री) कोविड प्रचालन से निवल मार्जिन कोविड प्रापण से केवल 2.5% प्रबंधन शुल्क था। इसलिए व्यापारावर्त में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद निवल लाभ में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।	1.14%	2.22%	-48%
(ञ) नियोजित पूँजी पर वापसी (ई बी आई टी/(नियोजित पूँजी) कोविड प्रचालन से निवल लाभ में वृद्धि के कारण नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ बढ़ा है।	0.75	0.43	
(ट) निवेश पर वापसी (निवेश पर आय)/(कुल निवेश)	48%	60%	-20%

Particulars		Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021	Variance %
(h)	Working capital Turnover ratio	79.59	65.20	22%
	Revenue from operations/ Working Capital			
(i)	Net Profit Ratio	1.14%	2.22%	-48%
	(PAT/Net Sales)			
	The net margin from COVID operations was only 2.5%. Hence there is no propotional increase in Net profit inspite of substantial increase in turnover			
(j)	Return on Capital Employed	0.75	0.43	75%
	(EBIT/(Capital Employed)			
	Due to Increase in Net profit from COVID operations, the Return on Capital Employed has increased			
(k)	Return on Investment	48%	60%	-20%
	(Income on Investments) / (Total Investments)			

टिप्पणी 33 : वित्तीय साधन (टिप्पणी : 2.37 देखें)

क. पूँजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूँजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से हितधारकों के लिए अधिकतम वापसी करने के दौरान कंपनी की संस्थाएं लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रहेंगी । कंपनी वार्षिक प्रचालन योजनाओं और दीर्घकालीन उत्पाद और अन्य कार्यनीति निवेश योजनाओं के आधार पर अपेक्षित पूँजी की रकम निर्धारित करती है । कंपनी की निधिक अपेक्षाएं इक्विटी और अन्य दीर्घकालिक/ह्रस्वकालिक ऋणों के ज़रिए पूरी की जाती है । कंपनी की पूँजी संरचना में कंपनी के निवल ऋण (टिप्पणी 17 और 20 में विस्तृत जैसे उधार) और कंपनी के कुल इक्विटी शामिल है । कंपनी के इक्विटी अनुपात का कुल ऋण और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर कंपनी पूँजी संरचना का मॉनिटर करती है ।

₹ करोड़ों में

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
उधार	157.80	325.61
इक्विटी पूँजी	15.54	15.54
आरक्षण और अधिशेष	753.38	370.64
इक्विटी	768.92	386.18
ऋण/इक्विटी	0.21:1	0.84:1

ख. वित्तीय साधनों की श्रेणी

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
क. परिशोधित लागत पर मापित		
i) व्यापार प्राप्य	2514.64	1826.28
ii) नकद और नकद तुल्यांक	1337.42	874.39
iii) ऋण एवं अन्य	25.45	39.82
ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न परिसंपत्ति	-	-
वित्तीय देयताएं		
क. परिशोधित लागत पर मापित		
वित्तीय देयताएं		
i) उधार	157.80	325.61
ii) देय व्यापार	879.16	1671.82
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	413.46	218.90
ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न देयता	-	-

ग. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

राजकोष कार्य व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करता है, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के लिए पहुँच का समन्वयन करता है, आंतरिक जोखिम रिपोर्टों के ज़रिए प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का अनुवीक्षण और प्रबंधन करता है जो एक्सपोज़र का विश्लेषण डिग्री और जोखिम के परिमाण द्वारा किया जाता है । इन जोखिमों में बाज़ार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर पर जोखिम और अन्य कीमत जोखिम) क्रेडिट और तरलता जोखिम शामिल है ।

NOTE 33: FINANCIAL INSTRUMENTS (REFER NOTE:2.37)

A. Capital Management

The Company manages its capital to ensure that entities in the Company will be able to continue as going concern, while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance. The Company determines the amount of capital required on the basis of annual operating plans and long-term product and other strategic investment plans. The funding requirements are met through equity and other long-term/short-term borrowings. The capital structure of the Company consists of net debt (borrowings as detailed in notes 17 & 20) and total equity of the Company. The Company monitors the capital structure on the basis of total debt to equity ratio and maturity profile of the overall debt portfolio of the Company.

₹ in Crs.

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Borrowings	157.80	325.61
Equity Capital	15.54	15.54
Reserves & Surplus	753.38	370.64
Equity	768.92	386.18
Debt/ Equity	0.21:1	0.84:1

B. Categories of Financial Instruments

₹ in Crs

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Financial Assets		
a. Measured at Amortised Cost		
i) Trade Receivables	2514.64	1826.28
ii) Cash and cash equivalents	1337.42	874.39
iii) Loans & Others	25.45	39.82
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Asset	-	
Financial Liabilities		
a. Measured at Amortised Cost	-	-
Financial Liabilities		
i) Borrowings	157.80	325.61
ii) Trade payables	879.16	1671.82
iii) Other financial liabilities	413.46	218.90
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Liability	-	-

C. Financial risk management

The treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

कंपनी, इन हेज जोखिम एक्सपोजरों से बचाने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को उपयोग करके इन जोखिमों के प्रभावों को कम करने की कोशिश करती है। वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विदेशी विनिमय जोखिम पर लिखित सिद्धांत, वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग और अधिक लिक्विडिटी का निवेश प्रदान करता है। कंपनी अव्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

घ. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, भविष्य के अर्जन, वसूलीयोग्य उचित मूल्य या भविष्य के रोकड़ प्रवाह, जो एक वित्तीय उपकरण के मूल्य में परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, में किसी हानि के जोखिम है। कंपनी के कार्यकलाप, प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय पर और ब्याज दरों में परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों में इसकी खुलासा करती है। कंपनी अपने वित्त प्रभाग के माध्यम से अपने मुद्रा एवं ब्याज दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न साधनों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर के प्रबंधन के द्वारा नियमित निगरानी रखती है।

ङ. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन करती है, फलस्वरूप, विनिमय दर में अस्थिरता के जोखिम उत्पन्न होता है। कंपनी एक केंद्रीकृत राजकोष प्रभाग के माध्यम से इसकी मुद्रा दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंधन करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न साधनों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं में मूल्यवर्गित कंपनी के विदेशी मुद्रा की रखाव रकम टिप्पणी में दी गई हैं।

च. विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव मूल्य

31 मार्च, 2022 तक (सभी रकम रुपए लाखों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा-निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं) पर निवल समग्र एक्सपोजर
	सकल एक्सपोजर	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोजर	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोजर	सकल एक्सपोजर	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोजर	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोजर	
यु एस डी	14.88		14.88	12.08		12.08	(2.8)
ई यू आर	0.12		0.12	0.061		0.061	(0.059)
सी एच एफ	0.04		0.041				(0.041)
ए ई डी	0.13		0.13				(0.13)
जी बी पी	0.00		0.00				(0.00)
कुल	15.17		15.17	12.14		12.14	(3.03)

The Company seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Company's policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, the use of financial derivatives, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

D. Market Risk

Market risk is the risk of any loss in future earnings, in realizable fair values or in future cash flows that may result from a change in the price of a financial instrument. The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company actively manages its currency and interest rate exposures through its finance division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

E. Foreign currency risk management

The Company undertakes transactions denominated in foreign currencies; consequently, exposures to exchange rate fluctuations arise. The Company actively manages its currency rate exposures through a centralized treasury division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary liabilities at the end of the reporting period are given in Note

F. Carrying value of Foreign Exchange Assets & Liabilities

As on March 31, 2022 (all amounts are in equivalent ₹ in Crs):

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency - net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	14.88		14.88	12.08		12.08	(2.8)
EUR	0.12		0.12	0.061		0.061	(0.059)
CHF	0.04		0.041				(0.041)
AED	0.13		0.13				(0.13)
GBP	0.00		0.00				(0.00)
Total	15.17		15.17	12.14		12.14	(3.03)

31 मार्च, 2021 को (सभी रकम रुपए करोड़ों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा-निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं) पर निवल समग्र एक्सपोज़र
	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल परिसंपत्ति एक्सपोज़र	
यु एस डी	21.39		21.39	11.79		11.79	(9.60)
ई यू आर	0.12		0.12	1.09		1.09	0.97
ए ई डी	0.055		0.055				(0.055)
सी एच एफ	0.00		0.00				(0.00)
जी बी पी	0.00		0.00				(0.00)
कुल	21.57		21.57	12.88		12.88	(8.69)

छ. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख विदेशी मुद्राओं के प्रति कंपनी के विविध प्रचालनों के कार्यात्मक मुद्राओं में चलन इसके प्रचालनों से कंपनी के राजस्व में प्रभावित कर सकता है। कार्यात्मक मुद्रा की किसी भी कमज़ोरी कंपनी के आयात की लागत और उधार की लागत को प्रभावित हो सकती है और इसके फलस्वरूप कंपनी के पूँजी व्यय के वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर एक्सपोज़र के एकत्रीकरण के द्वारा प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और प्रत्येक मुद्रा के विदेशी विनिमय दर में एक ही समानांतर विदेशी विनिमय दर 2% तक बदलाव किया जाता है, जो विदेशी विनिमय दर पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल मौद्रिक वस्तु अंकित बकाया विदेशी मुद्रा शामिल है और विदेशी मुद्रा दर में 2% परिवर्तन के लिए अवधि की समाप्ति पर उनके अंतरण को समायोजित करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण शामिल है, जहाँ ऋण का मूल्य वर्ग ऋणदाता या उधारकर्ता के कार्यात्मक मुद्रा के अलावा करेंसी में है।

प्रबंधन की राय में, संवेदनशीलता विश्लेषण, निहित विदेशी मुद्रा जोखिम का अप्रतिनिधिक है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति का एक्सपोज़र वर्ष के दौरान के एक्सपोज़र पर प्रभावित नहीं करता है।

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्राओं में कंपनी की संवेदनशील गतिविधि प्रस्तुत करती है।

₹ करोड़ों में

यु एस डी प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.06)	(0.19)
यूरो प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.0012)	0.0194
जी बी पी प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	-	-
ए ई डी प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.0026)	0.00
सी एच एफ प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.0008)	(0.0011)

As on March 31, 2021 (all amounts are in equivalent ₹ in Crs):

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency -net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	21.39		21.39	11.79		11.79	(9.60)
EUR	0.12		0.12	1.09		1.09	0.97
AED	0.055		0.055				(0.055)
CHF	0.00		0.00				(0.00)
GBP	0.00		0.00				(0.00)
Total	21.57		21.57	12.88		12.88	(8.69)

G. Foreign currency sensitivity analysis

Movement in the functional currencies of the various operations of the Company against major foreign currencies may impact the Company's revenues from its operations. Any weakening of the functional currency may impact the Company's cost of imports and cost of borrowings and consequently may increase the cost of financing the Company's capital expenditures. The foreign exchange rate sensitivity is calculated for each currency by aggregation of the net foreign exchange rate exposure of a currency and a simultaneous parallel foreign exchange rates shift in the foreign exchange rates of each currency by 2%, which represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 2% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external loans, where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

The following table details the Company's sensitivity movement in the foreign currencies.

₹ in Crs.

Particulars	USD impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.06)	(0.19)
Particulars	EURO Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.0012)	0.0194
Particulars	GBP Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	-	-
Particulars	AED Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.0026)	0.00
Particulars	CHF Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.0008)	(0.0011)

ज. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर जोखिम को एक्सपोज़ किया गया है क्योंकि यह स्थायी एवं अस्थायी ब्याज दर दोनों में से निधि उधार लेती है। यह जोखिम, स्थायी एवं अस्थायी दर ऋणों के बीच उचित मिश्रण का अनुरक्षण करते हुए और ब्याज दर स्वैप संविदा के उपयोग से कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाता है। उत्तम लागत प्रभावी हेजिंग कार्यनीतियों को लागू किया गया है, यह सुनिश्चित करने की ओर ब्याज दर विचार और निर्धारित जोखिम प्रवृत्ति के साथ तालमेल रखने के लिए हेजिंग गतिविधियाँ नियमित रूप से मूल्यांकित की जाती हैं।

झ. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर रुपए और विदेशी मुद्रा ऋण दोनों के लिए ब्याज दर के एक्सपोज़र के आधार पर नीचे निर्धारित किये गये हैं। अस्थायी दर देयताओं के लिए विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की बकाया देयता की रकम पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ब्याज दर खतरे को आंतरिक रूप से रिपोर्टिंग करते समय 25 आधार पॉइंट वृद्धि या कमी का उपयोग किया जाता है और ब्याज दरों में संभाव्य उचित परिवर्तन के प्रबंधन निर्धारण प्रतिनिधान करता है।

निम्नलिखित तालिका ब्याज दर में 0.25% परिवर्तन के लिए लाभ में संभावित प्रभाव प्रदान करती है, अन्य घटक स्थिर रहता है।

₹ करोड़ों में

उधार	कर के पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	2021-22	2020-21
आई एन आर	0.21	0.40

ञ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम का उल्लेख करता है यानी एक प्रतिपक्षी इसके संविदात्मक दायित्व पूरा नहीं करेगा, जो कंपनी की वित्तीय हानि का कारण बन जाता है। प्राप्य व्यापार वस्तुओं में देश भर के विविध उद्योगों एवं भौगोलिक क्षेत्रों तक व्याप्त असंख्य ग्राहक शामिल है। कंपनी के व्यापार और अन्य प्राप्तियों में भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या वाले ग्राहक शामिल हैं, अतः कंपनी एकाग्रता जोखिम को प्रकट नहीं की जाती है। कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल के ज़रिए और प्रत्येक मामले के तौर पर संदिग्ध ऋणों के लिए एक भत्ता बनाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव रकम अधिकतम क्रेडिट एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व करती है। बैंक के साथ शेष की रखाव रकम, बैंक के साथ अल्पकालीन जमा, व्यापार प्राप्य वस्तुओं, मार्जिन राशि और इक्विटी निवेश को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल अधिकतम एक्सपोज़र है।

ट. उचित मूल्य मापन

प्रबंधन निर्धारित करता है कि प्राप्य देयताओं का उचित मूल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, बैंक शेष, प्राप्य और देय प्रतिभूति जमा, कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगी, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देय व्यापार, अन्य चालू वित्तीय देयताएं उनके रखाव मूल्य को अनुमानित करते हैं।

ड. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम उस जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाने का उल्लेख करता है। लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, पर्याप्त लिक्विडिटी का अनुरक्षण करना और सुनिश्चित करना कि अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है। कंपनी अपनी अधिक निधि बैंक स्थायी जमा और म्यूचल निधि में निवेश करती है, जो अल्पतम बाज़ार जोखिम को अंकित करता है। कंपनी वित्तीय लचीलापन को अनुरक्षण करने की दृष्टि से ऋण और पूँजी बाज़ारों में उपलब्ध निधिक विकल्पों का लगातार निगरानी भी करती है।

ढ. लिक्विडिटी तालिका

निम्नलिखित तालिकाएं सहमत चुकौती अवधि के साथ इसके गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण देती हैं। तालिकाएं जल्द से जल्द तारीख, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, के आधार पर वित्तीय देयताओं के गैर छूट नकद प्रवाहों के आधार पर की गयी हैं।

H. Interest rate risk management

The Company is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Company by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings and by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

I. Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for both rupee and foreign currency loans at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming that the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 25-basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

The following table provides the possible impact in the profits for a change of 0.25% in interest rate, other factor remaining constant

₹ in Crs

Borrowings	Effect on Profit before Tax	
	2021-22	2020-21
INR	0.21	0.40

J. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. The Company's trade and other receivables consists of a large number of customers, across geographies, hence the Company is not exposed to concentration risk. The Company makes an allowance for doubtful debts using expected credit loss model and, on a case, to case basis.

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure is the total of the carrying amount of balances with banks, short term deposits with banks, trade receivables, margin money and other financial assets excluding equity investments.

K. Fair value Measurement

The management assesses that the fair value of Trade receivables, Cash and Cash equivalents, Bank Balances, Security deposits receivable & paid, Loans and advances to employees, other non-derivative current financial assets, Trade payables, other current financial liabilities approximate their carrying value.

L. Liquidity Risk

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Company invests its surplus funds in bank fixed deposit, which carry minimal mark to market risks. The Company also constantly monitors funding options available in the debt and capital markets with a view to maintaining financial flexibility.

M. Liquidity Table

The following table details the Company's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay.

₹ करोड़ों में

विवरण	प्रथम वर्ष में देय	2 से 5 वर्षों में देय	5 वर्ष के बाद देय	रखाव रकम/संविदात्मक नकदी प्रवाह
मार्च 31, 2022				
उधार	157.80	-	-	157.80
देय व्यापार	879.17	-	-	879.17
पट्टा दायित्व	10.01	18.18	2.21	30.40
अन्य वित्तीय देयताएं	413.46	-	-	413.46
मार्च 31, 2021				
उधार	302.77	22.84	-	325.61
देय व्यापार	1,671.82	-	-	1,671.82
पट्टा दायित्व	10.00	27.86	2.54	40.40
अन्य वित्तीय देयताएं	218.90	-	-	218.90

₹ in Crs

Particulars	Due in 1st year	Due in 2nd to 5th year	Due after 5th year	Carrying amount/ Contractual Cash Flow
March 31,2022				
Borrowings	157.80	-	-	157.80
Trade payables	879.17	-	-	879.17
Lease Obligations	10.01	18.18	2.21	30.40
Other financial liabilities	413.46	-	-	413.46
March 31,2021				
Borrowings	302.77	22.84	-	325.61
Trade payables	1,671.82	-	-	1,671.82
Lease Obligations	10.00	27.86	2.54	40.40
Other financial liabilities	218.90	-	-	218.90

टिप्पणी 34 : कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 2.38 देखें)

इंड ए एस 19 “कर्मचारी हितलाभ” के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण

निर्धारित अंशदान योजनाएँ

वर्ष के दौरान निर्धारित अंशदान के कारण लाभ और हानि के विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी गई है :

(i) बीमांकिक अनुमान

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
छूट दर (प्रति वर्ष)	0.07	0.06	0.07	0.06
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर (प्रति वर्ष)	0.06	0.01	0.07	0.00
मुआवजा वृद्धि दर(प्रति वर्ष)	0.07	0.07	0.07	0.07
मृत्यु दर	भारतीय जीवन मृत्यु दर (1994-96) अंतिम तालिका			

(ii) दायित्वों के वर्तमान मूल्य का समाधान

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	81.00	67.09	20.47	13.14
वर्तमान सेवा लागत	4.10	4.61	10.78	8.80
ब्याज लागत	5.39	4.07	1.37	0.86
बीमांकिक (अभिलाभ)/दायित्वों पर हानि	8.51	12.98	(4.51)	(0.18)
भूगतान/निपटान किए गए लाभ	(9.54)	(7.76)	(2.49)	(2.15)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	89.46	81.00	25.62	20.47

(iii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	56.16	49.82	12.53	13.66
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	4.00	3.25	1.07	0.89
नियोक्ता द्वारा योगदान	10.41	11.31	7.48	0.25
स्थानांतरण/अधिग्रहण	0.00	(0.38)	0.00	(0.03)
भुगतान किए गए लाभ/निपटान	(9.54)	(7.76)	(2.49)	(2.15)
पुनर्माप - प्रत्याशित प्रतिलाभ से अधिक योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	0.23	(0.08)	0.00	(0.09)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	61.27	56.16	18.59	12.53

NOTE 34: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES (REFER NOTE 2.38)

Disclosures required under Ind AS 19 "Employee Benefits"

Defined Contribution Plans

During the year the following amounts have been recognised in the statement of profit and loss on account of defined contribution plans:

(i) Actuarial Assumptions

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Discount Rate (per annum)	0.07	0.06	0.07	0.06
Expected rate of return on plan assets (per annum)	0.06	0.01	0.07	0.00
Compensation escalation Rate (per annum)	0.07	0.07	0.07	0.07
Mortality Rate	Indian Lives Mortality (1994-96) Ultimate Table			

(ii) Reconciliation of present value of obligations

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Present value of obligation at the beginning of the year	81.00	67.09	20.47	13.14
Current service cost	4.10	4.61	10.78	8.80
Interest cost	5.39	4.07	1.37	0.86
Actuarial (gain)/loss on obligations	8.51	12.98	(4.51)	(0.18)
Benefits paid/Settlement	(9.54)	(7.76)	(2.49)	(2.15)
Present value of obligation at the end of the year	89.46	81.00	25.62	20.47

(iii) Reconciliation of fair value of plan assets

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Fair value of plan assets at the beginning of the year	56.16	49.82	12.53	13.66
Expected return on plan assets	4.00	3.25	1.07	0.89
Contributions by employer	10.41	11.31	7.48	0.25
Transfer In/Acquisitions	0.00	(0.38)	0.00	(0.03)
Benefits paid/Settlement	(9.54)	(7.76)	(2.49)	(2.15)
Remeasurements- Return on Plan assets over expected return	0.23	(0.08)	0.00	(0.09)
Fair value of plan assets at the end of the year	61.27	56.16	18.59	12.53

(iv) योजना परिसंपत्तियों प्रबंधित परिसंपत्तियों के विवरण

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
योजना परिसंपत्तियों प्रबंधित परिसंपत्तियों के विवरण	61.27	56.16	18.59	12.53

(v) कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणी

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
इक्विटीज	0%	0%	0%	0%
बांड्स	0%	0%	0%	0%
गिल्ट्स	0%	0%	0%	0%
खुद का निवेश/संपत्ति	0%	0%	0%	0%
अन्य-बीमाकर्ता प्रबंधित निधि (भारतीय जीवन बीमा निगम)*	100%	100%	100%	100%

* बीमा कंपनी द्वारा वित्त पोषित योजना परिसंपत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी के अभाव में, प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की योजना परिसंपत्तियों की संरचना, प्रत्येक श्रेणी की राशि पर योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रतिशत का खुलासा नहीं किया गया है।

(vi) वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (परिसंपत्ति)/देयता

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	89.46	81.00	25.62	20.47
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	61.27	56.16	18.59	12.53
(परिसंपत्ति) देयता के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त वित्त पोषित निवल वर्तमान मूल्य	28.19	24.83	7.03	7.95

(vi) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
चालू सेवा लागत	4.10	4.31	10.78	8.80
ब्याज लागत	5.39	4.37	1.37	0.86
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	(4.00)	(3.25)	(1.07)	(0.89)
अवधि में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	0.00	0.00	(4.51)	(0.09)
वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	5.49	5.43	6.57	8.68

(iv) Description of plan assets managed assets

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Description of plan assets managed assets	61.27	56.16	18.59	12.53

(v) Major category of plan assets as % of total plan assets

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Equities	-	-	-	-
Bonds	-	-	-	-
Gilts	-	-	-	-
Own Investment/ Properties	-	-	-	-
Others- Insurer Managed Funds (LIC of India)*	100%	100%	100%	100%

* In the absence of detailed information regarding plan assets which is funded by Insurance Company, the composition of each major category of plan assets, the percentage on amount of each category to the fair value of plan assets has not been disclosed.

(vi) Net (Asset)/Liability recognised in the balance sheet as at the end of the year

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Present value of obligation at the end of the year	89.46	81.00	25.62	20.47
Fair value of plan assets at the end of the year	61.27	56.16	18.59	12.53
Net present value of funded obligation recognised as (asset) / liability in the balance sheet	28.19	24.83	7.03	7.95

(vii) Expenses recognised in the statement of profit and loss

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Current service cost	4.10	4.31	10.78	8.80
Interest cost	5.39	4.37	1.37	0.86
Return on plan assets	(4.00)	(3.25)	(1.07)	(0.89)
Actuarial (gain)/loss recognised in the period	0.00	0.00	(4.51)	(0.09)
Total expenses recognised in the statement of profit and loss for the year	5.49	5.43	6.57	8.68

(viii)

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त निवल बीमाकिक हानियाँ/ (अभिलाभ)	8.28	13.06	(4.51)	(0.09)
योजना परिसंपत्तियों की वास्तविक प्रतिफल	4.24	3.18	1.07	0.80

(ix) दायित्व का गैर चालू और चालू मूल्य

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
गैर-चालू	22.16	1.20	3.51	4.06
चालू	6.03	0.65	3.52	3.92
दायित्व का कुल मूल्य				

(x) चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्यता प्राप्त राशि

	उपदान (निधिक)		मुआवजा अनुपस्थितियाँ (निधिक)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में	करोड़ों में
उपदान (निधिक)				
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	89.46	81.00	25.62	20.47
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	61.27	56.16	18.59	12.53
निधिक स्थिति-(परिसंपत्ति)/देयता	28.19	24.83	7.03	7.95
योजना दायित्व पर बीमाकिक (अभिलाभ)/हानि	5.39	12.98	(4.51)	(0.18)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमाकिक (अभिलाभ)/हानि	0.23	(0.08)	0.00	(0.09)

(xi) महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण(निर्धारित लाभ दायित्व पर प्रभाव) इस प्रकार है:

क. उपदान (निधिक)

रकम करोड़ों में

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
	1% वृद्धि	1% कमी	1% वृद्धि	1% कमी
बढ़ा दर	85.70	93.64	77.24	85.17
वर्द्धित वेतन दर	91.95	86.83	84.41	77.61
कर्मचारी टर्नओवर	89.53	89.38	161.35	163.16

ख. मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
	1% वृद्धि	1% कमी
बढ़ा दर	23.93	27.55
वेतन वृद्धि दर	27.46	23.98
कर्मचारी टर्नओवर	25.56	25.70

उपरोक्त विश्लेषण में अन्य घटकों में परिवर्तन अन्य घटकों के साथ किया जाता है। वर्षों से बिना छूट वाला नकद प्रवाह, बिना छूट के कुल नकदी प्रवाह है, लेकिन अन्य घटकों को बरकरार रखता है और कर्मचारियों के वर्तमान पूरक के लिए कुल भुगतान है।

(viii)

₹ in Crs

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Net Actuarial losses /(gains) recognised in Other Comprehensive Income	8.28	13.06	(4.51)	(0.09)
Actual return of plan assets	4.24	3.18	1.07	0.80

(ix) Non current and current value of obligation

₹ in Crs

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Non-current	22.16	1.20	3.51	4.06
Current	6.03	0.65	3.52	3.92
Total value of obligation				

(x) Amount recognised in current year and previous four years

₹ in Crs

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Gratuity (Funded)				
Present value of defined benefit obligations	89.46	81.00	25.62	20.47
Fair value of plan assets	61.27	56.16	18.59	12.53
Funded status - (asset)/liability	28.19	24.83	7.03	7.95
Actuarial (gain)/loss on plan obligations	5.39	12.98	(4.51)	(0.18)
Actuarial (gain)/loss on plan assets	0.23	(0.08)	0.00	(0.09)

(xi) A quantitative sensitivity analysis for significant assumption (impact on defined benefit obligation) is as below:

A. Gratuity (Funded)-

₹ in Crs

	Year ended 31.03.2022		Year ended 31.03.2021	
	1% Increase	1% Decrease	1% Increase	1% Decrease
Discount Rate	85.70	93.64	77.24	85.17
Salary increase rate	91.95	86.83	84.41	77.61
Employee turnover	89.53	89.38	161.35	163.16

B. Compensated absences (Funded)-

₹ in Crs

	Year ended 31.03.2022	
	1% Increase	1% Decrease
Discount Rate	23.93	27.55
Salary increase rate	27.46	23.98
Employee turnover	25.56	25.70

In the above analysis the change in the factor is made with other factors remaining intact. Undiscounted Cash flow over the years is the aggregate cash flow without discounting but keeping other factors intact and is the total payout for the current complement of staff.

(xii) परिपक्वता प्रोफाइल-भविष्य में अपेक्षित भुगतान

समय सीमा (वर्षों में)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान (निधिक)	मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)
1 से कम या बराबर	15.81	4.02
2-5	51.40	13.84
6-10	27.13	9.45
10 से अधिक	39.50	22.62

(xiii) प्रमुख बीमांकिक जोखिमों पर टिप्पणी ।

- (क) बीमांकिक जोखिम - यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे । यह निम्न में से किसी एक कारण से उत्पन्न हो सकता है ।
 प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव : वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, के परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक दर पर दायित्व में वृद्धि होगी ।
 मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता : यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो उपदान लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा । चूंकि मृत्यु फायदा पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, नकदी प्रवाह के त्वरण से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा ।
 निकासी दरों में परिवर्तनशीलता : यदि वास्तविक निकासी दर अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक है तो उपदान लाभों का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा । इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख के अनुसार लाभ निहित है या नहीं ।
- (ख) निवेश जोखिम : निधिक योजनाओं के लिए जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित संपत्ति का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है । ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है । यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान बड़ा दर में परिवर्तन होते हैं, तो इसका परिणाम निवल देयता या निधिक स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है ।
- (ग) लिक्विडिटी जोखिम : यह वह जोखिम है जो कंपनी अल्पकालिक उपदान भुगतान को पूरा करने में सक्षम नहीं है । यह देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी/नकद की बराबर की अनुपलब्धता या समय पर लिक्विड परिसंपत्तियों की बिक्री न होने के कारण हो सकता है । उच्च वेतन और लंबी अवधि की सेवा वाले या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारी, महत्वपूर्ण स्तर के लाभ जमा करते हैं । यदि ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं/सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है ।
- (घ) बाज़ार जोखिम : बाज़ार जोखिम वित्तीय बाज़ारों के परिवर्तन और उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है । एक बीमांकिक धारणा जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वह है बड़ा दर । बड़ा दर पैसे के समय मूल्य को दर्शाता है । बड़ा दर में वृद्धि से योजना के लाभों के निर्धारित लाभ दायित्व में कमी आती है और इसके विपरीत । यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी ब्रांडों पर प्रतिफल पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि के अनुसार प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के संपर्क में आता है ।
- (ङ) वैधानिक जोखिम : वैधानिक जोखिम कानून/विनियम में परिवर्तन के कारण योजना देनदारियों में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है । सरकार उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन कर सकती है जिससे कंपनियों को कर्मचारियों को अधिक लाभ का भुगतान करने की आवश्यकता होगी । यह सीधे निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा । नया श्रम संहिता एक मामला है और इसे उसी वर्ष तुरंत मान्यता देनी होगी जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी होगा ।

टिप्पणी :

1. उपरोक्त प्रकटीकरण स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा प्रमाणित और कंपनी द्वारा भरोसा की गई जानकारी पर आधारित हैं ।
2. कंपनी की योजना परिसंपत्ति का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उसकी उपदान और मुआवजा अनुपस्थिति योजना के संबंध में कंपनी की निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के संदर्भ में किया जाता है । कंपनी के पास योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(xii) Maturity profile - future expected payments

₹ Crs

Time period (in years)	Year ended 31.03.2022	
	Gratuity (Funded)	Compensated absences (Funded)
Less than or equal to 1	15.81	4.02
2 - 5	51.40	13.84
6 -10	27.13	9.45
Above 10	39.50	22.62

(xiii) Note on key actuarial risks

- (a) Actuarial Risk- It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons. Adverse Salary Growth Experience: Salary hikes that are higher than the assumed salary escalation will result into an increase in Obligation at a rate that is higher than expected. Variability in mortality rates: If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption than the Gratuity benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cash flow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate. Variability in withdrawal rates: If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption than the Gratuity benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.
- (b) Investment Risk - For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.
- (c) Liquidity Risk - This is the risk that the Company is not able to meet the short-term gratuity pay outs. This may arise due to non availability of enough cash/cash equivalent to meet the liabilities or holding of illiquid assets not being sold in time. Employees with high salaries and long durations of service or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign / retire from the company there can be strain on the cash flows.
- (d) Market Risk - Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate / government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.
- (e) Legislative Risk- Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation / regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation. The new labour code is a case in point and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

Notes:

- The above disclosures are based on information certified by the independent actuary and relied upon by the company.
- The plan assets of the company are managed by the Life Insurance Corporation of India in terms of insurance policies taken to fund the obligations of the Company with respect to its Gratuity and Compensated Absences Plan. Information on categories of plan assets is not available with the company

टिप्पणी सं. 35 प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 2.39 देखें)

प्रासंगिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (हद तक उपलब्ध नहीं है)		2021-22	2020-21
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(i)	प्रासंगिक देयताएँ		
	(i) आय कर		
	क) कंपनी के खिलाफ पडी आय कर माँगें, ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं करती है तथा जिसके संबंध में कंपनी अपील में रहे हैं प्रावधान नहीं किए गए तथा लंबित पडे निर्धारण एवं ब्याजों से संबंधित ऐसे मामलों में अनन्य है।	5.30	6.15
	ख) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए कंपनी के खिलाफ पडे बिक्री कर और सेवा कर दावे,	36.07	29.72
	(ii) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किये गए कंपनी के खिलाफ पडे दावे ।	349.55	155.09
	(iii) सरकारी विभागों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	68.57	61.39
	(iv) अन्यो के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	1.59	1.66
	(v) कॉर्पोरेट गारंटियाँ जारी की गईं और आज की तारीख तक बकाया है	40.85	29.07
	(vi) साख-पत्र (निवल मार्जिन राशि)	2.42	7.76
	(vii) अन्य	0.57	0.62
	कुल	504.92	291.45
(ii)	प्रतिबद्धताएँ		
	लंबित रिबेट दावा जिसके लिए अपील फायल किया गया।	0.01	0.03
	कुल	0.01	0.03
(iii)	प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ		
	राज्य नवाचार परिवार नियोजन सेवा एजेंसी (सिफप्सा) के साथ विधिक मुकदमा में कंपनी के अनुकूल मध्यस्थता निर्णय।	26.84	26.84

टिप्पणियाँ

- 1) प्रासंगिक देयता को प्रति वर्ष मूल प्लस 12% की ब्याज दर पर परिकलित किया गया है। दावेदारों द्वारा बनाए गए दावे 8-24% से लेकर है। जैसे भी हो, आयकर और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त जैसे सांविधिक ब्याज लेवी को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 12% दर से अधिक आने वाले मामलों में प्रति वर्ष 12 % की दर पर सभी दावों के लिए ब्याज दर ली गयी है। आकस्मिक परिसंपत्तियों पर ब्याज पर विचार नहीं किये गये ।
- 2) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए दावों में रु.8.71 करोड़ शामिल है, जिसके खिलाफ रु.7.31 करोड़ की बैंक गारंटी अदालत में प्रस्तुत की गई हैं । इसलिए दोहराव से बचने के लिए रु.7.31 करोड़ को बैंक गारंटी से रखा गया है ।
- 3) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में प्रार्थी द्वारा दावा की गई कोई विकल्प लागत/हानि शामिल नहीं है ।

NOTE: 35 CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS (REFER:2.39)

Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for)		2021-22	2020-21
		Rs. In Cr	Rs. In Cr
(I) Contingent Liabilities			
(i)	Income Tax		
	(a) Income Tax demands against the Company not acknowledged as debt and not provided for in respect of which the Company is in appeal and exclusive of the similar matters in respect of pending assessments and interest.	5.30	6.15
	(b) Sales Tax & Service Tax Claims against the Co. not acknowledged as debt	36.07	29.72
(ii)	Claims against the Company not acknowledged as debts	349.55	155.09
(iii)	Bank Guarantees to Govt. Departments. (Net of Margin Money)	68.57	61.39
(iv)	Bank Guarantees to others(net of margin money)	1.59	1.66
(v)	Corporate Guarantees issued and outstanding as on date	40.85	29.07
(vi)	Letter of Credits (net of Margin Money)	2.42	7.76
(vii)	Others	0.57	0.62
TOTAL		504.92	291.45
(II) Commitments			
	Pending rebate claim for which appeals filed	0.01	0.03
TOTAL		0.01	0.03
(III) Contingent Assets			
Arbitration award in favour of the company in the legal case with State Innovations in Family Planning Services Agency (SIFPSA)		26.84	26.84

Notes

- Contingent liability has been calculated as Principal plus Interest at 12% p.a. The claims made by the claimants have ranged from 8-24%. However, keeping in view the statutory interest levies like Income Tax and principle of Natural Justice, the rate of interest for all claims have been taken at 12% p.a, in cases where the interest is above 12% p.a. Interest on contingent assets have not been considered
- Claims not acknowledged as debts include Rs. 8.71 Crores against which a bank guarantee of Rs. 7.31 Cr is submitted to Court. Hence Rs. 7.31 Cr is excluded from Bank Guarantee to avoid duplication.
- Claims not acknowledged as debts does not include any opportunity cost/loss claimed by petitioners

टिप्पणी : 36 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.40 देखें)

इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण

संबंध	नाम
सहायक कंपनी	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वोसिस लिमिटेड (हाइट्स)
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल)
संयुक्त उद्यम	लाइफ़सिंग अस्पताल पाइवेट लिमिटेड(एल एस एच)
सहयोगी	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)
	एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के एम पी)	क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव & सी एफ ओ
	श्री के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी)
	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन - निदेशक (तकनीकी & प्रचालन)
	श्री टी.राजशेखर-निदेशक (विपणन)
	डॉ.गीता शर्मा - निदेशक (वित्त)
	श्री संतोष चेरियान सी - एस वी पी (एफ) प्रभारी & सी एफ ओ
	श्री जयकृष्णन ए.आर. -कंपनी सचिव एवं ए वी पी (सी ए एस)
	ख.स्वतंत्र निदेशक
	डॉ.विजयचंद्र रेड्डी
	प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विज(03-01-2022 से नियुक्त)
	श्रीमती नीता बूचरा (03-01-2022 से नियुक्त)
	ग. सरकारी नॉमिती निदेशक
	डॉ. मनदीप कुमार भंडारी आई ए एस (24-01-2022 से कार्यमुक्त)
	श्रीमती रोली सिंह आई ए एस (24-01-2022 से नियुक्त)
	डॉ. धर्मद्रा एस.गंगवार आई ए एस(30-12-2022 से कार्यमुक्त)
श्री संजय कुमार आई ए एस(24-01-2022 से कार्यमुक्त)	
श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस (24-01-2022 से नियुक्त)	
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का मानदेय	₹ 2.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.67 लाख) (विवरण अनुबंध - 1 के रूप में संलग्न है।)

NOTE : 36 RELATED PARTY DISCLOSURE (REFER NOTE. 2.40)

Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24

Description of Relation	Names	
Subsidiaries	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL)	
Joint Venture	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	
Associates	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	
	HLL Management Academy (HMA)	
	HLL Pratheeksha Charitable Society	
Key Management Personnel (KMP)	A. Chairman & Managing Directors, Whole Time Directors, Company Secretary & CFO	
	Shri. K.Beji George ,IRTS Chairman & Managing Director (CMD)	
	Shri.E A Subramanian Director (Technical & Operations)	
	Shri. T. Rajasekar- Director (Marketing)	
	Dr. Geeta Sharma- Director (Finance)	
	Shri. Santhosh Cherian.C - SVP(F) i/c & CFO	
	Shri. Jaikrishnan A.R - Company Secretary & AVP(CAS)	
	B. Independent Directors	
	Dr. Vijaychander Reddy	
	Prof.(Dr.) Adarsh Pal Vig (appointed w.e.f 03-01-2022)	
	Smt.Neeta Boochra (appointed w.e.f 03-01-2022)	
	C. Government Nominee Directors	
	Dr.Mandeep Kumar Bhandari IAS (ceased w.e.f 24-01-2022)	
	Smt.Roli Singh IAS (appointed w.e.f 24-01-2022)	
	Dr.Dharmendra S. Gangwar IAS(ceased w.e.f 30-12-2021)	
	Shri.Sanjay Kumar IAS (ceased w.e.f 24-01-2022)	
	Shri.Ashish Srivastava IAS (appointed w.e.f 24-01-2022)	
	Remuneration to Key Managerial Personnel	₹2.74 crores (Previous period - ₹1.67 crores) (details enclosed as annexure-1)

टिप्पणी : 36 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.40 देखें)

महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

₹ करोड़ों में

क्रम सं.	इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण	नियंत्रण	2021-22	2020-21
1.	बिक्री/दावा हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	2.08	0.04
2.	खरीदियाँ एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		-	0.18
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	0.12	-
3.	किराया आय एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	2.79	2.80
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		-	0.23
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	0.57	0.54
4.	परामर्श/सेवाओं से आय एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		-	0.48
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	0.88	0.33
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	1.55	2.25
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		-	0.03
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	0.20	0.19
	लाइफ़सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच)	50%	-	0.00
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) *	100%	0.05	0.03
5.	प्राप्त लाभांश से आय एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	8.00	10.00
6.	वेतन और भत्ता एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)			0.38
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	0.63	0.57
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)	100%	-	0.44
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) *	100%	0.20	0.20
7.	परामर्श व्यय एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		-	49.10
8.	ऋण एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		-	19.40
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		-	1.68
9.	अन्य व्यय एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)			0.28
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	0.02	0.02
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	2.06	0.80
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		-	0.00

Note : 36 Related Party Disclosure (Refer Note. 2.40)
Significant Related Party Transactions

(₹ crs)

Sr. No.	Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24	Control	2021-22	2020-21
1	Sales/Claims			
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLPPT)	100%	2.08	0.04
2	Purchases			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		-	0.18
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	0.12	-
3	Rental Income			
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	2.79	2.80
	HLL Medipark Ltd (HML)		-	0.23
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLPPT)	100%	0.57	0.54
4	Income from Consultancy/Service			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		-	0.48
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	0.88	0.33
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	1.55	2.25
	HLL Medipark Ltd (HML)		-	0.03
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLPPT)	100%	0.20	0.19
	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	50%	-	0.00
	HLL Management Academy (HMA)*	100%	0.05	0.03
5	Income from dividend			
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	8.00	10.00
6	Salaries & Allowances			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		-	0.38
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	0.63	0.57
	HLL Medipark Ltd (HML)	100%	-	0.44
	HLL Management Academy (HMA)*	100%	0.20	0.20
7	Consultancy expenses:			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		-	49.10
8	Loan			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		-	19.40
	HLL Medipark Ltd (HML)		-	1.68
9	Other Expenses			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		-	0.28
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	0.02	0.02
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	2.06	0.80
	HLL Medipark Ltd (HML)		-	0.00

क्रम सं.	इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण	नियंत्रण	2021-22	2020-21
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) *		0.01	0.92
10.	विविध देनदार			
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	3.88	3.17
	लाइफ़सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच)	50%	0.11	0.11
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	7.50	5.73
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	2.93	5.33
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) *	100%	4.21	3.92
11.	विविध लेनदार			
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	0.00	-
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	0.00	-
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	3.53	-
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए) *	100%	0.15	-
12.	शेयरों में निवेश			
	लाइफ़सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच)	50%	9.51	9.51
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	7.09	7.09
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	0.05	0.05
13.	अन्य देयताएं			
	एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी	100%	0.01	0.01

सरकारी संबंधित संस्थाएं जहाँ महत्वपूर्ण लेन-देन किए गए

ऊपर रिपोर्ट किये गये लेन-देनों के अलावा, कंपनी को अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन है, जिस में निम्न शामिल है लेकिन निम्न तक सीमित नहीं है ।

*एचएमए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के लिए सी एस आर गतिविधियों के लिए नामित एजेंसी है ।

सरकार का नाम : भारत सरकार (केंद्र और राज्य सरकार)

लेन-देन की प्रकृति

- उत्पाद और सेवाओं की बिक्री
- अन्य व्यय
- विविध देनदार
- अन्य देयताएं

ये लेन-देन अन्य संस्थाएं, जो सरकार से संबंधित नहीं है, की तुलना में कंपनी के व्यवसाय शर्तों के साधारण क्रम में किया गया है ।

Sr. No.	Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24	Control	2021-22	2020-21
	HLL Management Academy (HMA)*		0.01	0.01
10	Sundry Debtors			
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	100%	3.88	3.17
	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	50%	0.11	0.11
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	7.50	5.73
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	2.93	5.33
	HLL Management Academy (HMA)*	100%	4.21	3.92
11	Sundry Creditors			
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	100%	0.00	-
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	0.00	-
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	3.53	-
	HLL Management Academy (HMA)*	100%	0.15	-
12	Investment in Shares			
	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	50%	9.51	9.51
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	7.09	7.09
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	0.05	0.05
13	Other Liabilities			
	Pratheeksha Charitable Society	100%	0.01	0.01

Government related entities where significant transactions carried out

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:

*HMA is the designated agency for CSR activities for HLL Lifecare Ltd Name of Government: Government of India (Central and State Government)

Nature of Transactions:

- Sale of Products and Services
- Other Expenses
- Sundry Debtors
- Other Liabilities

These transactions are conducted in the ordinary course of the Company's business on terms comparable to those with other entities that are not government related.

अनुबंध- I - मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का अनुबंध

₹ करोड़ों में

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	रोज़गारोत्तर लाभ	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	कुल पारिश्रमिक	बैठक शुल्क	बकाया ऋण (सकल)/प्राप्य अग्रिम
श्री के.बेजी जोर्ज	0.48	-	-	0.48	-	-
श्री सुब्रमण्यन.ई.ए	0.53	-	-	0.53	-	0.00
श्री राजशेखर.टी	0.56	-	-	0.56	-	0.00
श्रीमती डॉ.गीता शर्मा	0.62	-	-	0.62	-	-
श्री संतोष चेरियान.सी	0.30	-	-	0.30	-	-
श्री जयकृष्णन.ए.आर	0.25	-	-	0.25	-	0.00
डॉ.विजयचंद्र रेड्डी	-	-	-	-	0.02	-
श्री आदर्श पाल विज	-	-	-	-	0.00	-
श्रीमती नीता बोचरा	-	-	-	-	0.00	-
कुल	2.74	-	-	2.74	0.02	0.00

अल्पकालिक लाभों का विवरण

₹ करोड़ों में

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	वेतन और भत्ता	भविष्य निधि में योगदान	सी पी एस/ पेंशन में योगदान	अन्य लाभ व भत्ते	कुल
श्री के.बेजी जोर्ज	0.38	-	0.05	0.05	0.48
श्री सुब्रमण्यन.ई.ए	0.45	0.03	0.01	0.04	0.53
श्री राजशेखर.टी	0.48	0.03	0.01	0.03	0.56
श्रीमती डॉ.गीता शर्मा	0.51	0.04	0.01	0.06	0.62
श्री संतोष चेरियान.सी	0.26	0.02	-	0.02	0.30
श्री जयकृष्णन.ए.आर	0.23	0.02	0.00	-	0.25

* रोज़गारोत्तर हितलाभों को समग्र आधार पर निर्धारित/भुगतान किया जाता है और व्यक्तिगत आधार पर पता लगाने योग्य नहीं है।

Annexure I - Remuneration of Key Managerial Personnel

Rs in cr

Key managerial Personnel	Short Term employee Benefit	Post employment Benefit *	Other long term employee benefit	Total Remuneration	Sitting Fees	Outstanding Loans (Gross) / Advance receivables
Shri. K.Beji George	0.48			0.48		-
Shri.Subramanian.E.A	0.53			0.53	-	0.00
Shri.Rajeseekar T	0.56			0.56	-	0.00
Smt.Dr.Geeta Sharma	0.62			0.62	-	-
Shri.Santhosh Cherian C	0.30			0.30		-
Shri.Jaikrishnan A.R.	0.25			0.25	-	0.00
Dr.P.Vijayachander Reddy	-			-	0.02	-
Shri.Adarsh Pal Vig	-			-	0.00	-
Smt.Neeta Boochra	-			-	0.00	-
Total	2.74	-	-	2.74	0.02	0.00

Details of Short term benefits

Key managerial Personnel	Salaries & Allowance	Contribution to PF	Contribution to CPS / Pension	Other benefits & Perks	Total
Shri. K.Beji George	0.38	-	0.05	0.05	0.48
Shri.Subramanian.E.A	0.45	0.03	0.01	0.04	0.53
Shri.Rajeseekar T	0.48	0.03	0.01	0.03	0.56
Smt.Dr.Geeta Sharma	0.51	0.04	0.01	0.06	0.62
Shri.Santhosh Cherian C	0.26	0.02	-	0.02	0.30
Shri.Jaikrishnan A.R.	0.23	0.02	0.00	-	0.25

* Post-employment benefits are actuarially determined/paid on overall basis, and not ascertainable on individual basis

टिप्पणी 37. इंड ए एस-108 खंड रिपोर्टिंग के अधीन प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.41 देखें)

₹ करोड़ों में

विवरण	2021-22						2020-21					
	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएं एवं सेवाएं	कोवड-19	कुल	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएं एवं सेवाएं	कोवड-19	कुल
राजस्व खंड												
निवल बिक्री और सेवाएं	277.15	79.79	744.45	598.88	33,948.11	35,648.38	408.37	94.27	610.15	400.24	3,568.28	5,081.31
अन्य अविनिधानीय राजस्व						49.79						57.53
कुल						35,698.17						5,138.84
कर के पूर्व लाभ												
ब्याज और कर के पूर्व लाभ	(99.21)	(28.59)	16.10	33.36	835.27	756.94	18.79	(10.37)	15.29	28.06	132.32	184.10
न्यून : - ब्याज	6.92	1.83	4.3.2	7.68	-	20.75	7.14	1.00	3.48	12.13	-	23.75
न्यून:- अन्य अविनिधानीय व्यय						216.46						36.37
पूर्व अवधि मद्दे						-						-
जोड- अन्य अविनिधानीय आय						32.09						27.95
कर के पूर्व लाभ	(106.13)	(30.42)	11.79	25.68	835.27	551.82	11.65	(11.37)	11.81	15.93	132.32	151.93

**NOTE 37: DISCLOSURE UNDER IND AS-108 SEGMENT REPORTING
(REFER NOTE:2.41)**

(₹ crs)

Particulars	2021-22					2020-21						
	Contraceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total	Contraceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total
Segment Revenue												
Net Sales & Services	277.15	79.79	744.45	598.88	33,948.11	35,648.38	408.37	94.27	610.15	400.24	3,568.28	5,081.31
Other Unallocable Revenue	-	-	-	-	-	49.79	-	-	-	-	-	57.53
Total						35,698.17						5,138.84
Profit before Tax												
Profit before Interest & Tax	(99.21)	(28.59)	16.10	33.36	835.27	756.94	18.79	(10.37)	15.29	28.06	132.32	184.10
Less:- Interest	6.92	1.83	4.32	7.68	-	20.75	7.14	1.00	3.48	12.13	-	23.75
Less: Other unallocable expenditure						216.46						36.37
Prior period items						-						-
Add:-Other unallocable income						32.09						27.95
Profit before tax						551.82						151.93
	(106.13)	(30.42)	11.79	25.68	835.27	551.82	11.65	(11.37)	11.81	15.93	132.32	151.93

विवरण	2021-22						2020-21					
	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएं एवं सेवाएं	कोवड-19	कुल	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएं एवं सेवाएं	कोवड-19	कुल
कर के पूर्व लाभ												
(क) आर्बिटि अचल परिसंपत्तियाँ	101.40	31.56	10.89	59.58	-	203.43	115.98	22.39	0.49	120.23	0.31	
(ख) आर्बिटि चालू परिसंपत्तियाँ	85.60	258.87	946.11	(147.12)	3,509.59	4,653.45	75.25	79.29	60.51	141.91	3,241.27	
(क + ख)	187.00	290.42	957.00	(87.53)	3,509.99	4,856.89	191.23	101.68	61.00	262.14	3,241.59	
आर्बिटि चालू देयताएं	(455.78)	(200.00)	479.89	(690.07)	5,337.16	4,471.19	67.22	81.85	1,470.55	549.21	1,167.97	
नियुक्त पूंजी आर्बिटन	642.78	490.43	477.11	602.54	(1,827.16)	385.69	124.01	19.83	(1,409.54)	(287.07)	2,073.61	
नियुक्त पूंजी के अविनिधानीय अंश						383.23						
कुल नियुक्त पूंजी						768.92						

2. सेक्टररी खंड सूचना-भौगोलिक

राजस्व	2021-22	2020-21
भारत	35,612.72	5,053.10
भारत के बाहर	85.45	85.74
नियुक्त पूंजी	35,698.17	5,138.84
	2021-22	2020-21
भारत	768.92	386.18
भारत के बाहर	-	-
	768.92	386.18

(₹ crs)

Particulars	2021-22					2020-21						
	Contraceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total	Contraceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total
Capital Employed												
(a) Allocated Fixed Assets	101.40	31.56	10.89	59.58	-	203.43	115.98	22.39	0.49	120.23	0.31	259.40
(b) Allocated Current Assets	85.60	258.87	946.11	(147.12)	3,509.99	4,653.45	75.25	79.29	60.51	141.91	3,241.27	3,598.23
(a+b)	187.00	290.42	957.00	(87.53)	3,509.99	4,856.89	191.23	101.68	61.00	262.14	3,241.59	3,857.64
Allocated Current Liabilities	(455.78)	(200.00)	479.89	(690.07)	5,337.16	4,471.19	67.22	81.85	1,470.55	549.21	1,167.97	3,336.80
Capital Employed Allocation	642.78	490.43	477.11	602.54	(1,827.16)	385.69	124.01	19.83	(1,409.54)	(287.07)	2,073.61	520.83
Unallocable portion of Capital Employed												(134.65)
Total Capital Employed						768.92						386.18

2. Secondary Segment Information - Geographical (₹ crs)

Revenue	2021-22	2020-21
India	35,612.72	5,053.10
Outside India	85.45	85.74
Capital Employed	35,698.17	5,138.84
	2021-22	2020-21
India	768.92	386.18
Outside India	-	-
	768.92	386.18

टिप्पणी 38 : आय कर (टिप्पणी 2.42 देखें) सतत प्रचालनों से संबंधित आय कर

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
चालू कर	191.30	45.45
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट) - निवल		
आय कर	1.00	-
मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
मैट क्रेडिट का व्युत्क्रम	-	-
आस्थगित कर/(देयता)		
चालू वर्ष से संबंधित	70.82	16.30
पिछले वर्ष से संबंधित	(20.02)	(10.06)
लाभ और हानि में पहचान किए गए कुल आय कर व्यय	141.50	39.21
वर्ष के लिए लेखांकन लाभ में मेल मिलाप किये गये आय कर व्यय :		
कर के पूर्व लाभ	551.81	151.55
आय कर दर।	25.168%	25.168%
लाभ बही के अनुसार आय कर व्यय	138.88	39.21
अनुमति नहीं दिए गए व्यय का प्रभाव	1.65	1.49
गैर कर योग्य आय का प्रभाव	(8.00)	-
मूल्यहास और ऋणमुक्ति का प्रभाव	5.96	13.33
प्रावधानों का प्रभाव	209.34	20.20
परिसंपत्तियों की बिक्री का प्रभाव	0.01	(0.02)
कटौतियों का प्रभाव		(21.02)
पट्टे का प्रभाव	0.61	(4.75)
अन्य आय का प्रभाव	(1.28)	19.80
कुल	208.29	29.03
आय कर के अनुसार आय	760.10	180.58
न्यून : हानियों को आगे ले आना	-	-
कर योग्य आय	760.10	180.58
कर लाभ के अनुसार आय कर व्यय	191.30	45.45
कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का प्रभाव		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
मूल्यहास	51.92	9.09
वस्तुसूची से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	1.34	0.16
कर्मचारी भुगतान और कटौतियों से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	72.67	10.43
पट्टे की परिसंपत्तियों पर प्रभाव	7.09	6.29
कुल (क)	133.02	25.98
आस्थगित कर देयताएँ		
पट्टे की परिसंपत्तियों पर प्रभाव	6.93	-
मूल्यहास का प्रभाव	55.27	9.68
कुल (ख)	62.20	9.68
निवल आस्थगित परिसंपत्तियाँ (क) - (ख)	70.82	16.30
अन्य व्यापक आय में पहचान किए गए आय कर		
निर्धारित लाभ दायित्व के पुनः मापन	(2.08)	(3.29)

* टिप्पणी : कंपनी द्वारा वर्ष 2020-21 से आय कर अधिनियम की धारा 115 बी ए ए के अधीन कम कर दर का विकल्प चुना गया है।

NOTE 38 INCOME TAXES (REFER NOTE 2.42)
INCOME TAX RELATING TO CONTINUING OPERATIONS

₹ in Crs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Current Tax	191.30	45.45
Adjustments/(credits) related to previous years-Net		-
Income Tax	1.00	-
Mat Credit Entitlement	-	-
Reversal of MAT Credit	-	-
Deferred Tax Asset/ (Liability)		-
In respect of the current year	70.82	16.30
In respect of the previous year	(20.02)	(10.06)
Total Income Tax expense recognised in Profit & Loss	141.50	39.21
Income Tax expense for the year reconciled to the accounting profit:		
Profit before Tax	551.81	151.55
Income Tax Rate*	25.168%	25.168%
Income Tax expense as per Book Profits	138.88	39.21
Effect of Expenses not allowed	1.65	1.49
Effect of Income not taxable	(8.00)	-
Effect of Depreciation and Amortisations	5.96	13.33
Effect of Provisions	209.34	20.20
Effect of Sale of Assets	0.01	(0.02)
Effect of Deductions		(21.02)
Effect of Leases	0.61	(4.75)
Effect of other income	(1.28)	19.80
Total	208.29	29.03
Income as per Income Tax	760.10	180.58
Less: Carry forward of losses	-	-
Taxable Income	760.10	180.58
Income Tax expense as per Tax Profits	191.30	45.45
Effect of deductible temporary differences		
Deferred Tax Assets		
Depreciation	51.92	9.09
Effect of provisions related to Inventory	1.34	0.16
Effect of provisions related to Employee payments and deductions	72.67	10.43
Effect to Leased Assets	7.09	6.29
Total (A)	133.02	25.98
Deferred Tax Liabilities		
Effect to Leased Assets	6.93	-
Effect of Depreciation	55.27	9.68
Total (B)	62.20	9.68
Net Deferred Tax Assets (A)-(B)	70.82	16.30
Income Tax recognised in other comprehensive income		
Remeasurement of defined benefit obligation	(2.08)	(3.29)

*Note - Lower tax rates u/s 115 BAA of Income Tax Act are opted by the company from AY 2020-21

अनुबंध I - टिप्पणी नं. 2.9 में उल्लिखित

31 मार्च, 2022 को कार्यान्वयाधीन पड़ी परियोजनाओं की परिसंपत्तियों और देयताएं

₹ करोड़ों में

परियोजनाएं	एचएलएल के साथ न्यास के अधीन पड़े नकद और बैंक शेष		परिसंपत्तियाँ				देयताएं		कुल		
	2021-22	2020-21	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		कुल परिसंपत्तियाँ		चालू देयताएं		कुल		
			2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	
आई डी उत्तर											
आचार्या बरीहर आर जी एल रीजियनल कैंसर केयर सेंटर, कट्टक	1.43	1.28	0.04	0.00	1.46	1.28	1.46	1.28	1.46	1.28	
अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज (पी एम एस एस वाई)	18.60	17.07	0.35	0.26	18.95	17.33	18.95	17.33	18.95	17.33	
सी जी एच एस	2.74	3.39	0.21	0.02	2.95	3.41	2.95	3.41	2.95	3.41	
आई पी सी (गाज़ियाबाद)	11.78	15.74	1.60	2.82	13.37	18.55	13.37	18.55	13.37	18.55	
आयुष के अधीन एन ई आई एफ एम, पसीघाट	3.19	7.14	1.02	1.02	4.21	8.16	4.21	8.16	4.21	8.16	
एन आई पी एस/आर आई पी एस	52.63	57.99	4.64	7.82	57.26	65.81	57.26	65.81	57.26	65.81	
पी जी आई एम एस रोहतक	24.36	22.44	0.27	0.08	24.63	22.52	24.63	22.52	24.63	22.52	
पी एम एस एस वाई निवासीय परियोजना (ऋषिकेश एवं पटना)	3.77	3.42	0.47	0.61	4.24	4.03	4.24	4.03	4.24	4.03	
रिपन्स-एसवाल-मिसोरा	25.93	14.30	26.03	10.70	51.96	25.01	51.96	25.01	51.96	25.01	
अन्य परियोजनाएं	0.26	0.00	0.14	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	
आई डी उत्तर कुल	144.68	142.75	34.76	23.35	179.44	166.10	179.44	166.10	179.44	166.10	
आई डी दक्षिण											
जिम्पर	8.67	19.05	0.37	(2.15)	9.04	16.90	9.04	16.90	9.04	16.90	
एमएमसी	18.49	18.30	1.88	1.62	20.38	19.92	20.38	19.92	20.38	19.92	
एम सी कोवि	1.82	(1.75)	17.37	17.42	19.19	15.67	19.19	15.67	19.19	15.67	
एम सी कॉम्प्लेक्स परियोजनाएं	2.69	3.01	1.05	(3.88)	3.73	(0.87)	3.73	(0.87)	3.73	(0.87)	
एम सी तिरुवनंतपुरम परियोजनाएं	2.39	2.34	0.16	(1.24)	2.55	1.10	2.55	1.10	2.55	1.10	
उद्योग विभाग परियोजनाएं	8.26	8.11	0.22	0.06	8.48	8.18	8.48	8.18	8.48	8.18	
के एस एस टी एम	3.65	4.10	1.24	1.54	4.89	5.64	4.89	5.64	4.89	5.64	
मलबार कैंसर केंद्र	0.10	(29.20)	(23.79)	(23.79)	(23.69)	(52.99)	(23.69)	(52.99)	(23.69)	(52.99)	
एन आर एच एम	0.12	0.19	3.48	1.75	3.59	1.93	3.59	1.93	3.59	1.93	

ANNEXURE I - REFERRED TO IN NOTE NO. 2.9
 Assets and Liabilities of projects under implementation as on 31st March 2022

Projects	ASSETS				LIABILITIES				Total ₹ in Crs	
	Cash & Bank balances held under trust with HLL		Other Assets		Total Assets		Current Liabilities		2021-22	2020-21
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
ID North										
Acharya Barihar RGL Cancer Care Cuttak	1.43	1.28	0.04	0.00	1.46	1.28	1.46	1.28	1.46	1.28
Aigrah Medical College (PMSSY)	18.60	17.07	0.35	0.26	18.95	17.33	18.95	17.33	18.95	17.33
CGHS	2.74	3.39	0.21	0.02	2.95	3.41	2.95	3.41	2.95	3.41
IPC (Gaziabad)	11.78	15.74	1.60	2.82	13.37	18.55	13.37	18.55	13.37	18.55
NEIFM Pasighat under AYUSH	3.19	7.14	1.02	1.02	4.21	8.16	4.21	8.16	4.21	8.16
NIPS / RIPS	52.63	57.99	4.64	7.82	57.26	65.81	57.26	65.81	57.26	65.81
PGIMS Rohtak	24.36	22.44	0.27	0.08	24.63	22.52	24.63	22.52	24.63	22.52
PMSSY Residential project (Rishikesh & Patna)	3.77	3.42	0.47	0.61	4.24	4.03	4.24	4.03	4.24	4.03
RIPANS-AIZAWL-MIZORA	25.93	14.30	26.03	10.70	51.96	25.01	51.96	25.01	51.96	25.01
Other Projects	0.26	0.00	0.14	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00
ID North Total	144.68	142.75	34.76	23.35	179.44	166.10	179.44	166.10	179.44	166.10
ID South										
JIPMER	8.67	19.05	0.37	(2.15)	9.04	16.90	9.04	16.90	9.04	16.90
MMC	18.49	18.30	1.88	1.62	20.38	19.92	20.38	19.92	20.38	19.92
MC Konni	1.82	(1.75)	17.37	17.42	19.19	15.67	19.19	15.67	19.19	15.67
MC Kozhikode Projects	2.69	3.01	1.05	(3.88)	3.73	(0.87)	3.73	(0.87)	3.73	(0.87)
MCTrivanthrum Projects	2.39	2.34	0.16	(1.24)	2.55	1.10	2.55	1.10	2.55	1.10
Industries Department Projects	8.26	8.11	0.22	0.06	8.48	8.18	8.48	8.18	8.48	8.18
KSS TM	3.65	4.10	1.24	1.54	4.89	5.64	4.89	5.64	4.89	5.64
Malabar Cancer Center	0.10	(29.20)	(23.79)	(23.79)	(23.69)	(52.99)	(23.69)	(52.99)	(23.69)	(52.99)
NRHM	0.12	0.19	3.48	1.75	3.59	1.93	3.59	1.93	3.59	1.93

परियोजनाएँ	एचएलएल के साथ न्यास के अधीन पड़े नकद और बैंक शेष		परिसंपत्तियाँ				देयताएँ			कुल		
	2021-22	2020-21	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		कुल परिसंपत्तियाँ		चालू देयताएँ			2021-22	2020-21	
			2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22			2020-21
अन्य परियोजनाएँ	1.25	4.63	14.08	14.02	15.33	18.65	15.33	18.65	15.33	18.65	18.65	18.65
ट्रिडा	0.34	0.32	0.10	0.10	0.44	0.42	0.44	0.42	0.44	0.42	0.44	0.42
डैडल कॉलेज आलप्पुषा	0.43	0.65	0.05	(0.13)	0.49	0.52	0.49	0.52	0.49	0.52	0.49	0.52
आई डी दक्षिण कुल	48.23	29.76	16.21	5.32	64.43	35.08	64.43	35.08	64.43	35.08	64.43	35.08
पी सी डी												
एम्स जैसी संस्था	117.19	134.90	99.25	90.53	216.44	225.53	216.44	225.53	216.44	225.53	216.44	225.53
केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन	13.92	7.08	2.91	2.87	16.83	9.95	16.83	9.95	16.83	9.95	16.83	9.95
जी एम सी & एच नागपूर	9.29	8.44	5.53	5.50	14.83	13.94	14.83	13.94	14.83	13.94	14.83	13.94
जीएमएसडी, कोल्ड पी सी डी	11.31	9.58	0.20	0.16	11.50	9.74	11.50	9.74	11.50	9.74	11.50	9.74
सरकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	7.71	6.56	7.92	7.86	15.62	14.42	15.62	14.42	15.62	14.42	15.62	14.42
टीकाकरण	35.04	156.01	1.13	0.71	36.17	156.72	36.17	156.72	36.17	156.72	36.17	156.72
अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था	3.05	2.08	0.15	0.10	3.21	2.18	3.21	2.18	3.21	2.18	3.21	2.18
दिल्ली नगर निगम	2.94	1.55	2.73	2.71	5.67	4.26	5.67	4.26	5.67	4.26	5.67	4.26
नाको पी सी डी	2.62	0.62	1.03	(0.11)	3.65	0.51	3.65	0.51	3.65	0.51	3.65	0.51
अन्य परियोजनाएँ	37.18	(3.55)	8.38	31.04	45.56	27.49	45.56	27.49	45.56	27.49	45.56	27.49
पीजीआईएमएस रोहतक	18.83	21.92	2.52	2.43	21.34	24.36	21.34	24.36	21.34	24.36	21.34	24.36
पीएमएसएसवाई पी सी डी	72.02	76.80	24.23	11.55	96.26	88.35	96.26	88.35	96.26	88.35	96.26	88.35
पी सी डी कुल	331.10	422.00	155.98	155.45	487.08	577.45	487.08	577.45	487.08	577.45	487.08	577.45
वैक्सीन परियोजनाएँ	3.93	3.41	2.38	2.38	6.30	5.79	6.30	5.79	6.30	5.79	6.30	5.79
एम सी एस & ए आई आई ए परियोजना	777.81	115.08	(754.22)	(62.55)	23.59	52.53	23.59	52.53	23.59	52.53	23.59	52.53
कुल योग	1,305.75	713.01	(544.89)	123.95	760.86	836.95	760.86	836.95	760.86	836.95	760.86	836.95

Projects	ASSETS						LIABILITIES				Total ₹ in Crs	
	Cash & Bank balances held under trust with HLL		Other Assets		Total Assets		Current Liabilities					
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Other Projects	1.25	4.63	14.08	14.02	15.33	18.65	15.33	18.65	15.33	18.65	15.33	18.65
TRIDA	0.34	0.32	0.10	0.10	0.44	0.42	0.44	0.42	0.44	0.42	0.44	0.42
Dental College Alappuzha	0.43	0.65	0.05	(0.13)	0.49	0.52	0.49	0.52	0.49	0.52	0.49	0.52
ID South Total	48.23	29.76	16.21	5.32	64.43	35.08	64.43	35.08	64.43	35.08	64.43	35.08
PCD												
AIIMS LIKE INSTITUTE	117.19	134.90	99.25	90.63	216.44	225.53	216.44	225.53	216.44	225.53	216.44	225.53
Central drug standard control organisation	13.92	7.08	2.91	2.87	16.83	9.95	16.83	9.95	16.83	9.95	16.83	9.95
GMC&H NAGPUR	9.29	8.44	5.53	5.50	14.83	13.94	14.83	13.94	14.83	13.94	14.83	13.94
GMSD_COLD PCD	11.31	9.58	0.20	0.16	11.50	9.74	11.50	9.74	11.50	9.74	11.50	9.74
Govt. National capital territory, delhi	7.71	6.56	7.92	7.86	15.62	14.42	15.62	14.42	15.62	14.42	15.62	14.42
IMMUNIZATION	35.04	156.01	1.13	0.71	36.17	156.72	36.17	156.72	36.17	156.72	36.17	156.72
International Institute of Population Sciences	3.05	2.08	0.15	0.10	3.21	2.18	3.21	2.18	3.21	2.18	3.21	2.18
Municipal corporation of delhi	2.94	1.55	2.73	2.71	5.67	4.26	5.67	4.26	5.67	4.26	5.67	4.26
NACO PCD	2.62	0.62	1.03	(0.11)	3.65	0.51	3.65	0.51	3.65	0.51	3.65	0.51
Other Projects	37.18	(3.55)	8.38	31.04	45.56	27.49	45.56	27.49	45.56	27.49	45.56	27.49
PGIMS Rohtak	18.83	21.92	2.52	2.43	21.34	24.36	21.34	24.36	21.34	24.36	21.34	24.36
PMSSY PCD	72.02	76.80	24.23	11.55	96.26	88.35	96.26	88.35	96.26	88.35	96.26	88.35
PCD Total	331.10	422.00	155.98	155.45	487.08	577.45	487.08	577.45	487.08	577.45	487.08	577.45
Vaccine Projects	3.93	3.41	2.38	2.38	6.30	5.79	6.30	5.79	6.30	5.79	6.30	5.79
MCS & AIIA Project	777.81	115.08	(754.22)	(62.55)	23.59	52.53	23.59	52.53	23.59	52.53	23.59	52.53
Grand Total	1,305.75	713.01	(544.89)	123.95	760.86	836.95	760.86	836.95	760.86	836.95	760.86	836.95

वित्तीय विवरण 2021-22 की अतिरिक्त सूचना

₹ करोड़ों में

विवरण	2020-22	2019-21
क. आयात का मूल्य (सी आई एफ)		
कच्चे माल	24.69	24.41
संघटक तथा पुर्जे	1.38	0.78
पूँजीगत माल	0.73	-
तैयार माल	-	0.01
कुल	26.81	25.19
ख. विदेशी मुद्रा में व्यय		
सेवा चार्ज	0.34	0.17
बिक्री प्रोन्नमन व्यय	3.16	2.38
भाड़ा और निकासी व्यय	0.29	0.86
ब्याज और अन्य चार्ज	2.37	0.42
कुल	6.16	3.84
ग. विदेशी विनिमय में अर्जन		
निर्यात बिक्री/नमूना (एफ ओ बी मूल्य)	74.63	79.96
भाड़ा : बीमा	9.89	5.77
कुल	84.52	85.73
घ. कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक		
वेतन	1.92	1.18
भविष्य निधि अंशदान	0.11	0.10
सी पी एस अंशदान	0.03	0.01
अनुलब्धियाँ	0.13	0.11
कुल	2.19	1.41

उपदान और अर्जित छुट्टी की देयताएं भारत के जीवन बीमा निगम की ग्रूप योजनाओं द्वारा निधिक की जाती है। इसलिए प्रीमियम व्यक्तिगत तौर पर अभिनिश्चित नहीं है और अतः शामिल नहीं है।

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[दिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[दिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]
[ए सी एस : 14328]

जयकृष्णान.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)

आर. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 026343
यु डी आई एन : 22026343
ए ओ एच जी इज़ड
डब्लिनयु7627

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 02.08.2022

ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT 2021-2022

	₹ in Cr.	
Particulars	2021-22	2020-21
A.Value of imported (CIF)		
Raw Materials	24.69	24.41
Components and Spares	1.38	0.78
Capital Goods	0.73	-
Finished Products	-	0.01
Total	26.81	25.19
B.Expenditure in Foreign Currency		
Service Charges	0.34	0.17
Sales Promotion Expenses	3.16	2.38
Freight and clearing expenses	0.29	0.86
Interest and other Charges	2.37	0.42
Total	6.16	3.84
C.Earnings in Foreign Exchange		
ExportSales/Sample (FOB Value)	74.63	79.96
Freight & Insurance	9.89	5.77
Total	84.52	85.73
D.Remuneration to Functional Directors		
Salary	1.92	1.18
P.F.Contribution	0.11	0.10
CPS Contribution	0.03	0.01
Perquisites	0.13	0.11
Total	2.19	1.41

The Gratuity & Earned Leave liabilities are funded through Group Schemes with LIC of India. As such the premium is not ascertainable on individual basis and hence not included

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co
Chartered Accountants

Firm No. 003978S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

R. Sridhar
Partner
Membership No:026343
UDIN: 22026343AOHGZW7627

Place : Thiruvananthapuram
Date : 02.08.2022

समेकित वित्तीय विवरण 2021-22

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT 2021-22

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
पूजप्पुरा, केरल-695012 के सदस्यों को
समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

दिनांक 02.08.2002 को जारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट को अन्य मामलों के खंड के पैरा 2 में दिए गए कारणों के लिए युडीआईएन22026343एओएचएचएचपी4844 के साथ संशोधित किया गया, जिसे उपरोक्त युडीआईएन वित्तीय विवरणों में उल्लिखित समतुल्य तिथि की रिपोर्ट माना जा सकता है।

प्रतिबंध राय

हमने एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ("धारण कंपनी"), इसकी सहायक कंपनियों (धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी दोनों को एक साथ 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यम के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक के समेकित तुलन-पत्र लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उसी तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ, नकदी प्रवाह विवरण, सार्थक लेखांकन नीतियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश (बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) समाविष्ट हैं।

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रतिबंध विचार के पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके में देता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (इंड एएस) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों, 31 मार्च 2022 तक की ग्रुप के कार्यों की समेकित स्थिति में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनकी समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन एवं समेकित नकद प्रवाह निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं उचित चित्र देता है।

प्रतिबंध राय के लिए आधार

क. निम्नलिखित दो मामलों को छोड़कर धारण कंपनी और इसकी सहायक कंपनियाँ समान लेखांकन नीतियों का पालन करती है :

- समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं.1.6 के अनुसार, जो ग्रुप की अमूर्त परिसंपत्तियों के रख-रखाव का वर्णन करता है, ट्रेडमार्क/पेटेंट को 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। हालांकि, गोवा एंटीबायोटेक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), एक सहायक कंपनी के मामले में ट्रेडमार्क खर्चों को मान्यता की तारीख से 10 साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं.1.4 के अनुसार, जो ग्रुप की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रख-रखाव का वर्णन करता है, मूल्यहास संयंत्र एवं मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा विधि और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास मूल्यविधि (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि परिसंपत्तियों के अलावा) पर प्रभारित किया जाता है ताकि कोई भी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित उपयोगी कार्यकाल के उन परिसंपत्तियों को छोड़कर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल पर लागत के 5% अवशेष मूल्य बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बढ़े खाते में डालना है। हालांकि, गोवा एंटीबायोटेक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), एक सहायक कंपनी के मामले में, सभी परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास को मान्यता दी जाती है ताकि परिसंपत्तियों की लागत (पूर्ण स्वामित्व भूमि, पट्टे पर भूमि, पट्टे पर सुधार और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा) को सीधे-रेखा पद्धति का उपयोग करके उनके उपयोगी कार्यकाल पर उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम किया जा सके।

पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में, हम समेकित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त दो भिन्नताओं के प्रभाव का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं।

ख. गोवा एंटीबायोटेक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), एक समनुषंगी के मामले में,

- कंपनी ने इंड ए एस -109 वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रत्याशित क्रेडिट हानि को नहीं मापा है। प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ प्रतिबिंबित करने के लिए मापन करना अपेक्षित है।
- एक निष्पक्ष संभावित - भारित राशि जो संभावित परिणामों की एक श्रृंखला का मूल्यांकन करके निर्धारित की जाती है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of HLL Lifecare Limited
Poojapura, Kerala-695012

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements issued by revising the report dated 02.08.2022 with UDIN22026343AOHHHP4844 for the reasons given in para 2 of Other Matters section and this may be treated as the report of even date referred in the financial statements bearing the aforementioned UDIN

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of HLL Lifecare Limited ("the Holding Company"), its subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as "the Group") and its joint venture which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2022, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Consolidated Statement of changes in Equity and the Consolidated Cash Flows Statement for the year ended on that date and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "Consolidated Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the Consolidated State of Affairs of the Group as at 31st March 2022, its Consolidated Profit, Consolidated Total Comprehensive Income, the Consolidated Changes in Equity and its Consolidated Cash Flows for the year ended on that date.

Basis of Qualified Opinion

a. The Holding company and its subsidiaries follow the same accounting policies except for the following two cases :

- i. As per Note No.1.6 of Consolidated Financial Statements, which describes treatment of Group's intangible assets, Trademark/Patents are amortized over a period of 5 years. However, in the case of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary, trademark expenses are amortized over a period of 10 years from the date of recognition.
- ii. As per Note No.1.4 of Consolidated Financial Statements which describes treatment of Group's Property, Plant and Equipment, depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice. However, in case of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary, depreciation for all assets is recognized so as to write off the cost of assets (other than freehold land, leasehold land, leasehold improvements and properties under construction) less their residual values over their useful lives, using straight-line method.

In the absence of sufficient data, we are unable to quantify the impact of the above two deviations on the Consolidated Financial Statements

b. In case of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary;

- i. The Company has not measured expected credit losses of financial assets as per requirements of IND-AS 109 Financial Instruments. Expected credit losses are required to be measured to reflect;
 - a) an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;

- (ख) धन का सामयिक मूल्य; और
- (ग) पिछली घटनाओं, वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के पूर्वानुमानों के बारे में रिपोर्टिंग तिथि पर अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध उचित और समर्थन योग्य जानकारी।
- (ii) कंपनी ने मेसर्स गोवा फुड एंड फार्मा (पी) लिमिटेड के साथ विपणन व्यवस्था की थी। आर्बिट्रेशन एवार्ड की शर्तों के अनुसार, पार्टी का कंपनी पर रु.8.50 करोड़ का बकाया है, जिसमें रु.4.13 करोड़ मूल्य दावों की ओर और रु.4.37 करोड़ ब्याज की ओर हैं। कंपनी ने पिछले वर्ष में ब्याज को रु.2.65 करोड़ की सीमा तक मान्यता दी थी और खाता बही में अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए समान भत्ता बनाया था। इसके अलावा गोवा फुड एंड फार्मा (प्रा.) लिमिटेड को भी रु.0.16 करोड़ की जमा राशि दी गई थी।
- दो अन्य पार्टियों मेसर्स एम्सी एंटरप्राइजेज और मेसर्स मधुर फार्मा के मामले में, कंपनी ने उनके खिलाफ क्रमशः रु.0.55 करोड़ और रु.0.15 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिए अपील की है। उपरोक्त राशियों को देनदारों में दिखाया गया है हालांकि बकाया राशि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए कोई भत्ता नहीं दिया गया है। इन ऋणों के भुगतान के लिए पार्टियों की वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। परिणामस्वरूप हम यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि इन देय राशियों के लिए लाभ और हानि खाते में अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए पूर्ण या आंशिक भत्ता दिया जाना चाहिए था या नहीं।
- (iii) कंपनी ने कई सरकारी विभागों के पास रु.0.18 करोड़ की बयाना राशि जमा होने की रिपोर्ट करती है। इसमें से रु.0.12 करोड़ की जमा राशि 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है और इन जमाराशियों की वापसी के लिए पार्टियों की वित्तीय प्रतिबद्धता के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने इन देय राशियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि के लिए कोई भत्ता प्रदान नहीं किया है।

पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में, हम समेकित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त प्रतिबंधों के प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं।

हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए नैतिक कोड के अनुसार उसके अधीन बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन समेकित वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षक के लिए सुसंगत है, और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई के नैतिक कोड के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी प्रतिबंध राय को एक आधार देने के लिए पर्याप्त एवं उचित है।

मामले का ज़ोर

हम नीचे दिए गए विस्तृत मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

1. एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड, एक सहायक कंपनी की हड़ताल की स्थिति पर समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 2.19 और ग्रूप के समेकन से इसको निकाल देना।
2. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.1, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, विकास अधिनियम की धारा 16 के अधीन ब्याज से संबंधित कार्य का वर्णन करता है।
3. टिप्पणी सं. 2.38 समेकित वित्तीय विवरणों की शेष राशि और सुलह की पुष्टि।
4. टिप्पणी सं.2.49 स्टॉकस्टॉ द्वारा लौटाए गए कुछ अप्रचलित स्टॉक के रख-रखाव का वर्णन करने वाले समेकित वित्तीय विवरण।
5. गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), एक समनुषंगी के संबंध में :

क) कंपनी की कुल संपत्ति नकारात्मक है। हालांकि, प्रबंधन के अनुसार, यह अब तक एक लाभदायी संगठन है क्योंकि यह लगातार कंपनी के पुनरुद्धार और निष्पादन में सुधार के लिए नई योजनाओं की पहचान करने की प्रक्रिया में है। कंपनी को एक लाभदायी

(b) the time value of money; and

(c) reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

- ii. The Company had marketing arrangements with M/s Goa Food & Pharma (P) Limited. The party owes the company an amount of Rs.8.50 crores as per the terms of Arbitration Award out of which Rs.4.13 crores is towards substantive claims and Rs. 4.37 crores towards interest. The company had recognized in the earlier year interest to the extent of Rs.2.65 crores and created equal allowance for expected credit loss in the books of accounts. Further a deposit had also been given to Goa Food & Pharma (P) Limited of Rs. 0.16 crores.

In case of two other parties M/s Emcee Enterprises and M/s. Madhur Pharma, the company has preferred an appeal against them for recovering dues amounting to Rs.0.55 crores and Rs.0.15 crores respectively. The above amounts are shown in debtors however no allowance for expected credit loss is made for the dues. There is no information as regards the financial ability of the parties for payments of these debts. As a result we were unable to determine whether full or partial allowance for expected credit loss should have been made in the Profit and Loss Account for these dues.

- iii. The company reports Earnest Money Deposit lying with several government departments to the tune of Rs.0.18 crores. Out of this, deposits to the tune of Rs.0.12 crores are outstanding for more than 3 years and no information is available as regards financial commitment of the parties for refund of these deposits. Company has not provided any allowance for expected credit loss for these dues.

In the absence of sufficient data, we are unable to quantify the impact of the above qualifications on the Consolidated Financial Statements.

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the Consolidated Financial Statements

Emphasis of Matter

We draw attention to the matters detailed below. Our opinion is not modified in respect of these matters.

1. Note No.2.19 of the Consolidated Financial Statements on the status of the strike of process of HLL Mother & Child Care Hospitals Limited, a subsidiary, and exclusion of it from the consolidation of the Group.
2. Note No 2.1 of the Consolidated Financial Statements, which describes the practice regarding provisioning of interest under section 16 of the Micro, Small & Medium Enterprises, Development Act.
3. Note No 2.38 of the Consolidated Financial Statements on the confirmation of balance and reconciliation.
4. Note No 2.49 of the Consolidated Financial Statements describing the treatment of certain expired stocks returned by stockists.
5. As regard to the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL):
 - a) The company's net worth is negative. However, as per the management, it is still a going concern entity as because it is constantly in the process of identifying new plans for revival and improving the performance of the company. There is no uncertainty on the company's ability to continue as a going concern and

संगठन के रूप में जारी रखने की क्षमता पर कोई अनिश्चितता नहीं है और इसलिए वित्तीय विवरण एक लाभदायी संगठन के आधार पर तैयार किए गए हैं ।

- ख) व्यापार प्राप्य, जमा, ऋण और अग्रिमों के अधीन शेष के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.2.37.1 और विविध लेनदार, जो पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं ।
- ग) कंपनी द्वारा अभिमुख चलनिधि संकट के कारण, कर्मचारी वेतन से वसूल किए गए कई कर्मचारी वेतन तत्व तुलन पत्र की तारीख के भुगतान के लिए बकाया है । तुलन पत्र की तारीख के अनुसार भुगतान के लिए कर्मचारियों की वेतन वसूली रु.0.23 करोड़ है ।
- घ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के अधीन दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकें की हैं ।
- ङ) कंपनी ने आंध्र प्रदेश मेडिकल सर्वीसस और अवसंरचना विकास निगम (ए पी एम एस आई डी सी) और तेलंगाना राज्य मेडिकल सर्वीसस और अवसंरचना विकास निगम (टी एस एम आई डी सी) के साथ आपूर्ति ठेके में प्रवेश किया है । कंपनी के ये ग्राहक, ग्राहक द्वारा भेजे गए भुगतानों के लिए चालान विवरण प्रदान नहीं करते हैं । इसके अलावा, ग्राहक देर से वितरण शुल्क, समाप्ति स्टॉक आदि के लिए भी राशि काट लेते हैं, जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है । इस तरह के शुल्कों पर ग्राहक द्वारा समायोजित की गई पुरानी शेष राशि की मज़बूत संभावना है और इसलिए अब वसूली योग्य नहीं है । ऐसे देनदारों का दो साल से अधिक समय से बकाया रु.5.60 करोड़ रुपए हैं ।
- च) कंपनी के वित्तीय विवरण मेसर्स नेस्टर फार्मा के रु.0.24 करोड़ के पुराने बकाया को दर्शाता है । ये बकाया देय 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और वसूली के लिए पार्टी की ओर से कोई संचार नहीं किया गया है । हम यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है कि रिपोर्ट की गई ये शेष राशि वास्तव में देय है या नहीं ।
- छ) कंपनी के वित्तीय विवरण उन खर्चों के प्रावधानों को दर्शाते हैं जिनका भुगतान 5 वर्षों से अधिक के लिए रु.0.06 करोड़ तक किया जाना है । वसूली के लिए पार्टी की ओर से कोई संचार नहीं किया गया है । इस प्रकार, हम यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि रिपोर्ट की गई ये शेष राशियाँ वास्तव में देय हैं या नहीं ।
- ज) कंपनी के कर्मचारी ग्रुप उपदान ट्रस्ट ने कर्मचारियों की उपदान निधि के प्रबंधन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) के साथ एक योजना शुरू की है । इसी तरह कंपनी ने कर्मचारी संचयी अनुपस्थिति निधि के लिए एक योजना खोली है । कर्मचारियों की कार्यमुक्ति या सेवानिवृत्ति के समय, कंपनी एल आई सी को कर्मचारी की उपदान और छुट्टी भुनाना देय राशि का दावा करती है । एल आई सी उस कंपनी को दावा की गई राशि का भुगतान करता है, जिसे कंपनी संबंधित कर्मचारियों को भुगतान करता है । पिछले वित्तीय वर्षों में, कंपनी ने एल आई सी से संबंधित राशि प्राप्त किए बिना रु.0.08 करोड़ की उपदान देय राशि और रु.0.03 करोड़ के छुट्टी भुनाने का भुगतान किया है । इन भुगतानों को पहले के वित्तीय वर्षों में एल आई सी से प्राप्य राशि के रूप में रिपोर्ट करने के बजाय उपदान और छुट्टी भुनाना व्यय के रूप में दर्ज किया गया था । लेखापरीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष में, इन राशियों को एल आई सी से वसूल किया गया था । पिछले वित्तीय वर्षों में भुगतान किए गए खर्चों में वृद्धि के गलत प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में वसूल की गई राशि को लेखापरीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष के उपदान और छुट्टी भुनाना खर्चों से कम कर दिया गया है ।
- झ) कंपनी ने आंध्र प्रदेश मेडिकल सर्वीसस और अवसंरचना विकास निगम (ए पी एम एस आई डी सी) और तेलंगाना राज्य मेडिकल सर्वीसस और अवसंरचना विकास निगम (टी एस एम आई डी सी) से प्राप्त बिक्री आदेशों के लिए ज्योति एजेंसियों के साथ एक कमीशन अनुबंध किया है । अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कंपनी उपरोक्त सरकारी निगमों से बकाया राशि की देर से वसूली पर जुर्माना लगाने की हकदार है । इन सरकारी निगमों से बकाया अवधि के आधार पर, कंपनी रु.0.07 करोड़ का जुर्माना लगा सकती है, जिसे चार्ज नहीं किया गया है ।
- ञ) कंपनी गोवा में 3 सरकारी अस्पतालों - गोवा मेडिकल कॉलेज, बाम्बोलिम, पोंडा और मडगांव में दवा के आउटलेट चलाती है । इन दवा आउटलेटों को कंपनी पट्टे पर लेती है । हालांकि, कंपनी के सभी दवा आउटलेटों के पट्टा संविदा खत्म हो चुके हैं ।
6. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स) के संबंध में :
- क) निष्पादन संबंधित भुगतान के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं.2.33 में वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन संबंधित भुगतान के लिए रु.1.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

therefore financial statements have been prepared on a going concern basis

- b) Note No. 2.37.1 to the Consolidated Financial Statements regarding balances under trade receivables, deposits, loans and advances and sundry creditors which are subject to confirmation/reconciliation and consequent adjustment if any.
 - c) Due to liquidity crisis faced by the company, several employee salary elements recovered from employee salary are outstanding for payment as on the balance sheet date. Employee salary recoveries outstanding for payment as on balance sheet date stand to the tune of Rs. 0.23 crore.
 - d) Company has held two audit committee meetings during the financial year under audit.
 - e) Company has entered into supply contracts with Andhra Pradesh Medical Services and Infrastructure Development Corporation (APMSIDC) and Telangana State Medical Services and Infrastructure Development Corporation (TSMIDC). These customers of the company do not provide invoice details for the payments remitted by the customer. Further, customers also deduct amounts towards Late Delivery Charges, Expired Stock, etc details of which are not available. There is very strong possibility of older balances adjusted by the customer on such charges and hence are no longer recoverable. Such debtors balances outstanding for more than two years are to the tune of Rs. 5.60 crore.
 - f) Company's financial statements reflect old outstanding of MIs Nestor Pharma for Rs. 0.24 crore. These outstanding dues are pending for more than 10 years and there has been no communication from the party for recovery. We are not in a position to ascertain if these balances reported are actually payable.
 - g) Company's financial statements reflect provisions towards expenses which are outstanding to be paid for more than 5 years to the tune of Rs. 0.06 crore. There has been no communication from the party for recovery. As such, we are not in a position to ascertain if these balances reported are actually payable.
 - h) Company's Employees Group Gratuity Trust has opened a scheme with Life Insurance Corporation of India (LIC) for management of employees' gratuity funds. Similarly, company has opened a scheme for employee's cumulative absence fund. At the time of retirement or superannuation of employees, company claims the employee's gratuity and leave encashment dues to LIC. LIC pays the claimed amount to the company which company in-turn pays to the respective employees. In the previous financial years, company has paid gratuity dues of Rs.0.08 crore and leave encashment dues of Rs.0.03 crores without receiving the corresponding amount from LIC. These payments were recorded in the earlier financial years as gratuity and leave encashment expenses instead of reporting them as amounts receivable from LIC. In the financial year under audit, these amounts were recovered from LIC. To nullify the incorrect effect of increasing the expenses given in the earlier financial years, amount recovered in this financial year has been reduced from the gratuity and leave encashment expenses of the financial year under audit.
 - i) Company has entered into a commission contract with Jyothi Agencies for sales orders received from Andhra Pradesh Medical Services and Infrastructure Development Corporation (APMSIDC) and Telangana State Medical Services and Infrastructure Development Corporation (TSMIDC). As per terms of the contract, company is entitled to levy penalty on late recovery of dues from above government corporations. Based on the age of outstanding that is due from these government corporations, company can levy penalty to the tune of Rs. 0.07 crore which has not been charged.
 - j) Company runs medicine outlets in 3 government hospitals in Goa - Goa Medial College, Bambolim, Ponda and Margao. These medicine outlets are taken by the company on lease. However, the lease agreements of all the medicine outlets of the company have expired.
6. As regard to the HLL Infra Tech Services Limited (HITES):
- a) Note 2.33 of the Consolidated Financial Statements regarding Performance Related Payment, a provision of Rs. 1.32 crore has been made for PRP during the financial year.

ख) रु.141.11 करोड़ (लगभग) के जी एस टी इनपुट क्रेडिट के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 2.34, जो कंपनी के जी एस टी आर 2 बी में दर्शाया गया है। हालांकि, कंपनी द्वारा दावा नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी इस पर दावा करने का पात्र नहीं है।

ग) रु.3.31 करोड़ (लगभग) के प्राप्य टी डी एस के दावे के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2.35 परियोजना के जुटाव अग्रिमों और अल्पकालिक जमा पर ब्याज से संबंधित है जो परियोजना निधि का हिस्सा है और कंपनी की आय नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

धारण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्रणालियाँ, जैसा कि हमारे द्वारा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सहायक कंपनी के स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में रिपोर्ट की गई है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला विवरण

कंपनी की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर है, जैसे कि एक जोखिम विद्यमान है जो आईटी नियंत्रण वातावरण में, अंतराल बनाता है, के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। इसके अलावा, धारण कंपनी एसएपी ईआरपी समाधान के एक पुराने संस्करण का उपयोग कर रही है जिसे बहुत पहले लागू किया गया था रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए कुछ स्तरों पर मैनुअल गणना की आवश्यकता होती है और इसलिए अब इसे पूर्ण विकसित एंड टु एंड समाधान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। धारण कंपनी द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न अन्य सॉफ्टवेयर से डेटा जिनमें से कुछ कई स्थानों पर बड़े लेनदेन की मात्रा को संभाल रहे हैं, को भी एकीकरण इंटरफेस के माध्यम से एसएपी में कैप्चर किया जाता है। एक व्यापक प्रणाली परीक्षण और वर्तमान सॉफ्टवेयर वातावरण की समीक्षा लंबित है। पुराने संस्करण के उपयोग, रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए मैनुअल गणना और हाल ही में व्यापक परीक्षण और समीक्षा के बिना कई सॉफ्टवेयर के उपयोग के कारण हमने आईटी सिस्टम और नियंत्रण को प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।

हमारे लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था

निष्पादित मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमने प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर यूजर एक्सेस प्रबंधन, मास्टर प्रबंधन परिवर्तन प्रबंधन, कर्तव्यों का अलगाव, सिस्टम समाधान नियंत्रण और सिस्टम ऑप्लिकेशन नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया।

हमने वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन पर प्रमुख नियंत्रणों की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता और कर्तव्यों के अलगाव को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए निवारक नियंत्रणों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी पर संचालित प्रमुख नियंत्रणों के एक नमूने का परीक्षण किया। वित्तीय और रिपोर्टिंग प्रणालियों पर प्रमुख नियंत्रणों के एक चयनित समूह के लिए हमने स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया कि ये नियंत्रण वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहे या मानक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के पालन करके बदले गए। अन्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया उन में सुरक्षा कॉन्फिगरेशन और सिस्टम इंटरफेस नियंत्रण शामिल हैं।

हमने मैनुअल गणना क्षेत्रों की पहचान की है और अपनी राय बनाने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किया है। हमने प्रभारी नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में नमूनों का परीक्षण किया है।

- b) Note 2.34 of the Consolidated Financial Statements regarding GST input credit of Rs.141.11crore (approx.) which is reflecting in GSTR 2B of the Company. However, not claimed by the company as company is not eligible to claim this.
- c) Note 2.35 of the Consolidated Financial Statements regarding claiming of TDS Receivable of Rs. 3.31 crore (approx...) Pertaining to the interest on Project's mobilization advances and short-term deposit which is part of project funds and not income of the company.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the holding company of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole of the holding company, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Information technology (IT) systems used in financial reporting process of the Holding Company, as reported by us in the auditors' report to the standalone financial statement as the independent auditor of the Holding company.

Key Audit Matter Description

The holding company's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being misstated. Also, the holding company is using an older version of the SAP ERP Solution implemented long back and hence could not be used now as a full fledged end to end solution, necessitating manual calculations at certain levels for reporting purposes. Data from various other software used by the holding company, some of which are handling large transaction volumes at multiple locations, are also captured into SAP through integration interfaces. A comprehensive system testing and review of the present software environment is pending. We have identified 'IT systems and controls' as key audit matter of the holding company because of the use of older version, manual calculation for reporting purpose and the use of multiple software without a recent comprehensive test and review.

How the matter was addressed in our audit

Principal Audit Procedures Performed

We focused on user access management, master management, change management, segregation of duties, system reconciliation controls and system application controls over key financial accounting and reporting systems.

We tested a sample of key controls operating over the information technology in relation to financial accounting and reporting systems, design and operating effectiveness of key controls over user access management and preventive controls designed to enforce segregation of duties. For a selected group of key controls over financial and reporting systems, we independently performed procedures to determine that these control remained unchanged during the year or were changed following the standard change management process. Other areas that were assessed included security configurations and system interface controls.

We have identified the manual calculation areas and performed additional test to obtain reasonable assurance to form our opinion. We have tested samples in key areas of concern to ensure the effectiveness of the control system in force.

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचना

धारण कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी पढ़ें, और ऐसे करने में उस बात पर विचार करें कि समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप में असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई प्रमुख गलत विवरण है, तो हमें शासन के साथ प्रभारित लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंध और अभिशासन के साथ प्रभारितों का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (भारतीय लेखा मानक) विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) शामिल करके भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, समेकित नकदी प्रवाह और कंपनी की समेकित इक्विटी परिवर्तन के सही और निष्पक्ष चित्र देता है। इस उत्तरदायित्व में ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाना; और समेकित भारतीय लेखापरीक्षा मानकों के वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने की ओर प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही और निष्पक्ष चित्र देता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था विवरण से मुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल को चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने के लिए ग्रूप की क्षमता का आकलन करने के लिए, चालू समुत्थान से संबंधित मामले का प्रकटीकरण जैसे उपयुक्त है करना और लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या प्रचालन रोकने का इरादा रखता है, या ऐसे करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य है, धोखाधड़ी या गलती के कारण, समेकित वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से प्रमुख गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करना, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह कोई प्रत्याभूति नहीं है कि एसएसएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा एक प्रमुख अर्थव्यवस्था विवरण की खोज करेगी, जब यह मौजूद है। अर्थव्यवस्था विवरण धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और यदि एकल या कुल में यह प्रमुख तब माना जाता है, जब वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

INFORMATION OTHER THAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors Report including the annexures to Directors' Report, Secretarial audit Report, Management Discussion & Analysis Report and Corporate Governance Report included in the Annual report, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Holding Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance including Consolidated other comprehensive income, Consolidated cash flows and Consolidated change in equity of the Group and its joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and of its joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its joint venture is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of companies included in the Group and of its joint venture are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the Consolidated Financial Statements.

एसएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हमने पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लिया है और व्यावसायिक संदेह का अनुरक्षण किया है। हम भी :

- समेकित वित्तीय विवरणों के मुख्य अयथार्थ विवरण की जोखिमों को पहचानने और आकलन करें चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं प्रदर्शन करना; और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न एक मुख्य गलत विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में गुप्त षडयंत्र, जालसाजी, जानबूझकर चूक, बकवास या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हैं।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के सिलसिले में लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है कि धारण कंपनी को वित्तीय विवरण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।
- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा बनाये गये लेखांकन आकलन और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें। समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए ग्रूप और उसका संयुक्त जोखिम के अंतर्गत संस्थानों या व्यावसायिक कार्याकलापों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट अन्य संस्थाओं के लिए, जिनको अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
- लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, जो एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने की ग्रूप और उसके समयुक्त उद्यम की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण की अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होगा या यदि ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। तथापि, भविष्य की घटना या शर्त ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम को एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने में नुकसान होने के कारण बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यदि समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरीके से प्रतिनिधान करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए ग्रूप और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक कार्याकलापों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में समाविष्ट ऐसे संस्थाओं के वित्तीय विवरणों /वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट अन्य संस्थाओं के लिए, जिनको अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है, इस तरह के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' के शीर्षक वाले खंड में किया गया है।

भौतिकत्व समेकित वित्तीय विवरणों के अयथार्थ विवरण का परिमाण है प्रमुखता, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय पर प्रभावित हो सकते हैं।

हम धारण कंपनी के अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय और अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनके बारे में हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Holding Company has adequate internal financial controls with reference to the financial statement in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its joint venture to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements for which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audit carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's and of its joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its joint venture to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial statements / financial information of such entities or business activities within the Group and its subsidiaries, associates and joint ventures to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements / financial information of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in the section titled 'Other Matters' in this audit report

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम धारण कंपनी के अभिशासन से प्रभारित लोगों को एक विवरण प्रयास करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर आने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय उनको सूचित करना।

हम धारण कंपनी के अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जिनका चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व थे और इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियम इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य के दुष्परिणाम ऐसी संसूचना के सार्वजनिक हित के लाभ को उचित रूप से महत्व देने की अपेक्षा की जायेगी।

अन्य मामले

- (1) हम ने 2 सहायक कंपनियों से संबंधित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2022 तक रु. 3848.33 करोड़ की कुल परिसर्तियाँ शामिल हैं, उसी तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए रु. 374.36 करोड़ की कुल राजस्व और रु. 10.16 करोड़ का निवल नकद प्रवाह और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 2.75 करोड़ निवल लाभ का ग्रुप शेयर दर्शाता है। ये वित्तीय विवरण और वित्तीय सूचना अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण अन्य वित्तीय सूचना और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहाँ तक कि उन समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संबंध में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक कि यह उपर्युक्त समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, और नीचे अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों में संशोधित नहीं है।
- (2) यह रिपोर्ट, सहायक कंपनी, एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वोसिस लिमिटेड (हाइट्स) के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी की गई दिनांक 05.07.2022 के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, हमें प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 02.08.2022 के हमारे पिछली रिपोर्ट को संशोधित करके जारी की गई है, इसमें यह बताया गया था कि ' अधिनियम की धारा 143(5) की आवश्यकता के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए उक्त मामले में किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है और समेकित लेखापरीक्षकों के रूप में हमने इसे समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है; उसके बाद धारक कंपनी में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के पूरक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जाँच के अनुसार, हमें 17.08.2022 को सूचित किया गया कि हाइट्स के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने हाइट्स में भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक के पूरक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जाँच के उत्तर में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर उनकी रिपोर्ट सहित 26 जुलाई के पत्र के अनुसार जारी करने की मूल तारीख को बरकरार रखते हुए अपनी रिपोर्ट को संशोधित किया है, जिसके कारण हमें हाइट्स के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में परिवर्तनों को शामिल करने के लिए अपनी रिपोर्ट के अनुबंध 2 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। हम ने ऊपर वर्णित सीमा तक अनुबंध 2 में संशोधन किया है, ताकि धारण कंपनी में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा में इशारा की गई कमी को ठीक किया जा सके और हमारी पिछली रिपोर्ट के किसी अन्य भाग में कोई संशोधन नहीं हुआ है और इसलिए इसे वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सम तिथि की रिपोर्ट माना जा सकता है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. आगे अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित जैसे, "अन्य मामलों" पैरा में वर्णित जैसे सहायक और संयुक्त उद्यम के अलग वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर लागू सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (क) हम ने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए अपने उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप अपेक्षित सभी सूचना और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त कर लिये हैं:
 - (ख) हमारी राय में, अभी तक हमारी उन बहियों की परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त समेकित

We also provide those charged with governance of the Holding Company with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance of the Holding Company, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

OTHER MATTERS

1. We did not audit the financial statements and other financial information, in respect of 2 subsidiaries whose financial statements include total assets of Rs. 3848.33 crore as at March 31, 2022, total revenues of Rs. 374.36 crore and net cash outflow of Rs. 10.16 crore for the year ended on that date and financial statements and other financial information of joint venture which reflects Group's share of net profits of Rs. 2.75 crore for the year ended March 31, 2022. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors, whose financial statements, other financial information, and auditor's report have been furnished to us by the management. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and joint venture, and our report in terms of sub-sections (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries and joint venture, is based solely on the reports of such other auditors. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.
2. This report is issued by revising our earlier report dated 02.08.2022 since in the Independent Auditors Report issued by the Statutory Auditors of the Subsidiary Company, HLL Infra Tech Services Limited (HITES) dated 05.07.2022, furnished to us, it was reported that "as required by Section 143(5) of the Act no directions were issued by the Comptroller and Audit General of India. Therefore no specific reporting are required in the said matter" and as consolidating Auditors, we have included the same in our report to the Consolidated Financial Statements; thereafter, pursuant to the audit enquiry by the Supplementary Audit of the Comptroller and Audit General of India at the Holding Company, we were informed on 17.08.2022 that the Statutory Auditors of HITES have modified their report, retaining original date of issue, vide their letter dated 26 July by including their report on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in reply to the audit enquiry by the Supplementary Audit of the Comptroller and Audit General of India at HITES, which has necessitated us to revise the Annexure 2 to our report to include the changes in the auditors report of HITES. We have made the revision to the Annexure 2 to the extent explained above, so as to cure the defect pointed out in the supplementary audit by the Comptroller and Audit General of India at the Holding Company, and no other part of our earlier report underwent any revision and hence it may be treated as the report of even date mentioned in the financial statements.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. Further, as required by section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements of such subsidiaries and joint venture, as noted in the 'Other Matters' paragraph, we report, to the extent applicable that:
 - a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept so far as it appears from our examination of those

भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित नियमानुसार अपेक्षित उचित लेखाबही बनायी रखी है।

- (ग) इस रिपोर्ट के द्वारा निपटाए गए समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय के समेकित विवरण सहित समेकित लाभ एवं हानि का विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए अनुरक्षित संगत लेखाबहियों के साथ समझौता है।
- (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, संशोधित जैसे के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन करते हैं।
- (ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त प्रतिबंध विचारों के आधार वर्णित मामलों का ग्रूप के कार्यकलाप में एक प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।
- (च) कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी अयोग्यता से संबंधित धारा 164 की उप धारा (2) का प्रावधान धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी पर लागू नहीं है।
- (छ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट “अनुबंध - 1” में देखें जो कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट उन कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- (ज) कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 197 धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी पर लागू नहीं है।
- (झ) हमारी राय और हमारे उत्तम सूचना और हमें दिये स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार करने के आधार पर और समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम के अन्य वित्तीय सूचना, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, पैरग्राफ “अन्य मामलों” में नोट किये जैसे है:
- समेकित वित्तीय विवरण, ग्रूप और संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमा के प्रभाव को प्रकट करता है
 - समेकित वित्तीय विवरणों में लागू कानून या लेखांकन मानकों के अधीन व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालीन ठेके पर अपेक्षित जैसे यदि कोई प्रत्यक्ष संभावित नुकसान की ओर समेकित वित्तीय विवरणों में प्रवधान किया गया है।
 - 31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के दौरान भारत में निगमित धारण कंपनी उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि की ओर अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम नहीं थी।
 - (क) धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों को अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा की गई है ने प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम लिया गया या धारण कंपनी या ऐसी किसी भी साहायक कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) सहित, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से), इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा, की मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें;

books and reports of the other auditors;

- c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss including the Consolidated Statement of Other Comprehensive Income, the Consolidated Cash Flow Statement and Consolidated Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements;
- d) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
- e) The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Group;
- f) As per notification no.GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, provisions of sub-section (2) of section 164 regarding disqualification of directors are not applicable to the Holding Company and its subsidiaries.
- g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure 1, which is based on the auditors' reports of the Company and its subsidiary companies. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of those Companies.
- h) As per notification no.GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th June 2015, Sec 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Holding Company and its subsidiaries.
- i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statement as also the other financial information of the subsidiaries and joint venture, as noted in the "Other Matter" paragraph :
 - i. i. The Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on its financial position in its Consolidated Financial Statements.
 - ii. Provision has been made in the Consolidated Financial Statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company, its subsidiaries and joint venture incorporated in India during the year ended March 31, 2022.
 - iv. (a) The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act, have represented that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company or any of such subsidiaries to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or any of such subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ख) धारण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की इस अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, ने प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है। धारण कंपनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टी") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ प्राप्त किया गया है कि कंपनी या ऐसी कोई सहायक कंपनी चाहे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है या अन्यथा कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान गई अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी हैं;

(ग) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों को इस अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास है कि ऊपर (क) और (ख) के अधीन प्रदान किए जैसे नियम 11 (ई) के उप खंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

V (क) वर्ष के दौरान धारण कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष में प्रस्तावित लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है। सहायक कंपनियों से एक जीएपीएल ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। अन्य सहायक और संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में लाभांश की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

(ख) धारण कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 2 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट, उस पर की गई कार्रवाई और ग्रूप के खातों और ग्रूप का समेकित वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित जैसे, हम अनुबंध 3 में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म सं. 003978 एस

सी.ए. आर. श्रीधर

साझेदार

सदस्यता सं. 026343

युडीआईएन: 22026343 एयुडीटीपीडब्लियु 5959

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख: 21 सितंबर, 2022

- (b) The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act, have represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Holding Company or any of such subsidiaries from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company or any of such subsidiaries shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, performed by us on the Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. (a) The dividend declared or paid during the year by the Holding company is in compliance with Section 123 of the Act. GAPL, one of the subsidiaries, has not declared or paid any dividend during the year. The auditors of other subsidiary and joint venture have not commented on the declaration of dividend in their reports.
- (b) The Board of Directors of the Holding Company have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
2. As required by section 143(5) of the Act, we give in Annexure 2, the report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and consolidated financial statement of the group.
3. As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2020 (“the Order”) issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in Annexure 3 a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

CA. R. Sridhar
Partner
(Membership No. 026343)
UDIN: 22026343AUDTPW5959

Place : Thiruvananthapuram
Date : 21st September 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1 (सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 (जी) के अधीन अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट खंड में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

राय

हमने, 31 मार्च 2022 तक उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलकर, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (“धारण कंपनी”) उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा की है।

राय में, धारण कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (मार्गनिर्देश नोट) द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देश नोट में दिये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, धारण कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंध की जिम्मेदारी

संबंधित कंपनी के प्रबंध और निदेशक मंडल मार्गदर्शन नोट में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारण कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित जैसे, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का निवारण एवं खोज, लेखा अभिलेखों का सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारण कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित जैसे मार्गनिर्देश नोट और लेखांकन पर मानक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, और दोनों को भारत के सनदी लेखाकार की संस्था द्वारा जारी किए गए हैं के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गनिर्देश नोट यह अपेक्षित करता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और यदि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित किये गये और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभावी रूप से चालू किया गया है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने की ओर लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करना।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनके प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना है कि प्रत्यक्ष कमजोरी विद्यमान है, और डिजाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता का प्रचालन शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय के आधार पर प्रक्रियाओं का चयन किया गया, जिस में समेकित वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे दिये अन्य मामलों में संदर्भित संबंधित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने को पर्याप्त और उचित है।

ANNEXURE 1 TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 (G) UNDER 'REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS' SECTION OF OUR REPORT OF EVEN DATE)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (the "Act")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HLL Lifecare Limited ("the Holding Company") its subsidiaries and joint venture as of 31st March, 2022 in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

In our opinion, the Holding Company its subsidiaries and joint venture, has in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note").

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Company's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Holding Company its subsidiaries and joint venture, internal financial controls over financial reporting based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and audit evidences obtained by the other auditors of the relevant subsidiaries and joint venture in terms of their reports referred to in Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting with reference to Consolidated Financial Statements.

उन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने की ओर, अभिकल्पित प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियायें शामिल हैं: (1.) अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में सही एवं काफी उचित विवरण प्रतिबिंबित होते हैं। (2.) उचित आश्वासन प्रदान करना है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने की आवश्यकता के रूप में लेन-देन रिकॉर्ड किये गये हैं, और केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के प्राप्ति एवं खर्च किये जा रहे हैं। (3.) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रकृति के रोकथाम या समय पर खोज, से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें

कूटसंधि या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष गलत विवरण उत्पन्न हो सकता है और पता नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जायेगा या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

अन्य मामला

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अधीन हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह 2 सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम के अलग-अलग वित्तीय विवरण से संबंधित है यह पूरी तरह से ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म सं. 003978 एस

सी.ए. आर. श्रीधर

साझेदार

सदस्यता सं. 026343

युडीआईएन: 22026343 एयुडीटीपीडब्लियु 5959

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख: 21 सितंबर, 2022

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting With Reference to these Consolidated Financial Statements

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our report under Section 143(3) (i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to separate financial statement of 2 subsidiaries and a joint venture is based solely on the corresponding reports of the auditors of such subsidiaries and joint venture. Our opinion is not modified in respect of this matter.

For Sridhar & Co.
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

CA. R. Sridhar
Partner
M. No. 026343
UDIN: 22026343AUDTPW5959

Place : Thiruvananthapuram
Date : 21st September 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध -2

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट”खंड के अधीन पैरा 2 में संदर्भित।)

इन कंपनियों पर लागू अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए, धारण कंपनियों और उसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट नीचे देते हैं :

क्र. सं.	निर्देश	टिप्पणियाँ	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि है तो, वित्तीय संभावनाएँ सहित लेखों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधन का निहितार्थ यदि कोई है तो स्पष्ट करें।	<p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड</p> <p>कंपनी के पास विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए एक ईआरपी (एसएपी) प्रणाली और अन्य सॉफ्टवेयर हैं। अन्य सॉफ्टवेयर के डेटा को भी इंटरफेस या बैच अपलोड के माध्यम से एसएपी में भी एकीकृत किये गये हैं, जिन्हें मैन्युअल रूप से संकलित किया जाता है और उपयुक्त जाँच और नियंत्रण के साथ एसएपी में अपलोड किया जाता है। सभी लेखांकन लेनदेन आई टी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।</p> <p>हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के किसी भी प्रसंस्करण पर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि, हमने आईटी सिस्टम से जुड़े कुछ ऑडिट जोखिमों की पहचान की है, जिनका वर्णन हमारी रिपोर्ट के मुख्य लेखापरीक्षा मामला खंडों में किया गया है साथ ही इसे संबोधित करने की हमारी प्रक्रिया भी है।</p> <p>तदनुसार हमें लेखों की विश्वसनीयता पर उन जोखिमों के कोई भी प्रभाव का पता नहीं चला है।</p>	शून्य
		<p>2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड</p> <p>सभी लेखांकन लेनदेन एस ए पी लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। जैसा कि प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षक के दौरान दिये गये व्याख्या के अनुसार हमने आई टी सिस्टम के बाहर कोई लेखा लेनदेन नहीं देखा।</p>	
		<p>3. गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड</p> <p>कंपनी एसएपी ईआरपी पैकेज का उपयोग करके अपने लेनदेन के लिए लेखांकन कर रही है। सभी लेखांकन लेनदेन को एकीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है जो लेनदेन के सभी चरणों को शुरू से लेकर पूरा होने तक रिकॉर्ड करता है।</p>	

ANNEXURE 2 TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Based on the comments in the Auditors Report of the Holding Company its Subsidiaries and its Joint Venture companies, to the extend provisions of Section 143(5) of the Act applicable to these companies, we give below a report on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India

SI No	Directions	Action Taken	Impact on Consolidated Financial Statements
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	<p>1. HLL Lifecare Limited</p> <p>The company has an ERP (SAP) system and other software for different verticals. The data from other software are also integrated to SAP through interfaces or batch uploads, which are manually compiled and uploaded into SAP, with appropriate checks and controls. All the accounting transactions are processed through IT system.</p> <p>In our opinion and according to the information and explanation provided to us, we haven't noticed any processing of accounting transactions outside the IT system. However, we have identified certain audit risks associated with the IT system, which are described in the Key Audit Matters section of our report, along with our process to address the same.</p> <p>Accordingly, we have not come across any implications of those risks on the integrity of the accounts.</p> <p>2. HLL Infra Tech Services Limited</p> <p>All the accounting transactions are processed through SAP Accounting Software. As explained by the management during our we did not find any accounting transactions outside IT System.</p> <p>3. Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited</p> <p>The Company is accounting for its transactions using the SAP ERP package. All the accounting transactions are processed through the integrated ERP system which records all the phases of the transactions from inception to completion.</p>	NIL

क्र. सं.	निर्देश	टिप्पणियाँ	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर प्रभाव
2	<p>क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बनाए किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट /बट्टे खाते में डालने के कोई मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)</p>	<p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट /बट्टे खाते में डालने के कोई मामला नहीं था।</p> <p>2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बनाए गये किसी विद्यमान ऋण या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट /बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है।</p> <p>3. गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्ष के दौरान कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट /बट्टे खाते में डालने के कोई मामला नहीं था।</p>	शून्य
3	<p>क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग की गयी हैं? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।</p>	<p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार दो मामलों को छोड़कर उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था।</p> <p>1. वर्ष 2016-17 के लिए निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलाप (एएसआईडीई) योजना के विकास के लिए राज्यों को समर्थन के तहत एचएलएल परिसर, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए लैब टेस्टिंग संस्थापित करने की ओर नवंबर 2016 के दौरान कंपनी को एमओसी & आई से रु.14 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। मंजूरी पत्र की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है कि कंपनी को परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है और 31.03.2018 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना है और यह कि अनुदेयी द्वारा नियम एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में पूर्ण या आंशिक रूप से अनुदान 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी है।</p> <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक नियमित आधार पर निर्धारित एमओसी & आई को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं की है क्योंकि परियोजना अब पूरी हो गई है और सभी पहलुओं में चालू हो गई है और वर्तमान में ईएमआई - ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला एनएबीएल मान्यता प्रक्रिया के अधीन है, जो अगस्त 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।</p>	<p>1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड रुप 0.057 करोड़ की आकस्मिक देयता 31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2022 तक रु. 1.43 करोड़ का अप्रयुक्त रकम पर ब्याज के रूप में माना जाता है। इसके अलावा किसी अन्य वित्तीय निहितार्थ की परिकल्पना नहीं की गई है।</p>

SI No	Directions	Action Taken	Impact on Consolidated Financial Statements
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	<p>1. HLL Lifecare Limited</p> <p>According to the information and explanations given to us, there were no cases of restructuring of any existing loans or cases of waiver/write off of debts/loans / interests etc, made by a lender to the company's inability to repay the loan, during the year</p> <p>2. HLL Infra Tech Services Limited</p> <p>There is no an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.</p> <p>3. Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited</p> <p>There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of Debts/ loans/ interest etc. during the year.</p>	NIL
3	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	<p>1. HLL Lifecare Limited</p> <p>According to the information and explanations given to us, funds received by the Company for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions except for the following two cases:</p> <p>1. A Grant of Rs.14 Crores was received by the company from MoC & I during November, 2016 for setting up testing lab for medical equipments at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities(ASIDE) for the year 2016-17. The terms of the sanction letter inter alia contain that the company has to complete the project in a time bound manner and submit the utilisation certificate by 31.03.2018 and that the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest at 10% per annum.</p> <p>According to the information and explanations given to us, the company has submitted utilization certificates to MoC & I as stipulated on regular basis up to 31st March 2022 and does not envisage repayment of the grant as the project is now completed and commissioned in all aspects and currently the EMI-EMC testing lab is under NABL accreditation process, which is expected to be completed by the end of August 2022.</p>	<p>.HLL Lifecare Limited</p> <p>A Contingent liability of Rs. 0.57 Crores is considered towards interest on the unutilized amount of Rs. 1.43 Crores as on 31.03.2022 from the date of scheduled completion of 31.03.2018.</p> <p>Apart from this no other financial implication is envisaged.</p>

क्र. सं.	निर्देश	टिप्पणियाँ	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर प्रभाव
		2. कंपनी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एम ओ एच एफ डब्लियु) से मार्च 2018 में सहेली नॉन - स्टेरायडल ओसीपी को बढ़ावा देने के लिए 5.00 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई थी। अनुदान अप्रयुक्त रहा और एमओएचएफडब्लियु ने 2 जून 2022 के पत्र के माध्यम से उस पर अर्जित ब्याज के साथ अप्रयुक्त अनुदान को वापस करने की मांग की।	31.03.2022 को ब्याज के लिए 1.14 करोड़ रुपये का प्रावधान बनाया गया है।
		2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड कंपनी ने अपने नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों का उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया है।	शून्य
		3. गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्ष के दौरान कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट /बट्टे खाते में डालने के कोई मामला नहीं था।	शून्य

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 003978 एस)

आर श्रीधर
साझेदार
(सदस्यता सं. 026343)
युडीआईएन: 22026343 एयुडीटीपीडब्लियु 5959

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख: 21 सितंबर, 2022

SI No	Directions	Action Taken	Impact on Consolidated Financial Statements
		2. The company had received an amount of Rs.5.00 Crores for promotion of Saheli Non-Steroidal OCP in March 2018 from Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW). The grant remained unutilized and MOHFW has vide letter dated 2nd June 2022 sought surrender of the un-utilized grant along with interest accrued thereon.	Provision towards interest of Rs.1.14 Crores has been made as on 31.03.2022.
		2. HLL Infra Tech Services Limited Company has properly accounted for/ utilized funds received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies as per its term and conditions.	NIL
		3. Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited There were no cases of funds being received/receivable by the Company for specific schemes from central/state agencies.	NIL

For Sridhar & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 003978S)

R. Sridhar
Partner
(Membership No. 026343)
UDIN: 220263AUDTPW5959

Place : Thiruvananthapuram
Date : 21st September 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध '3'

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट की धारा 'अन्य विधिक एवं नियामक
अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अधीन पैरा 3 में संदर्भित)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत में निगमित और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित कंपनियों को, कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) के अधीन संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में अनुचित टिप्पणियाँ, विसंगतियाँ या प्रतिकूल टिप्पणियाँ दी गई हैं :

क्रम सं	कंपनियों का नाम & सी आई एन	धारण कंपनी/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जो प्रतिकूल या विसंगतिपूर्ण या हानिकारक है।
1	एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड सी आई एन : यु45200केएल2014जीओआई036616	सहायक कंपनी	खंड xix
2	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सी आई एन : यु24231जी ए1980एसजीसी000412	सहायक कंपनी	खंड xvii & xix
3	लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड सी आई एन : यु85110केएल2008पीटीसी021819	संयुक्त उद्यम	खंड xvii

कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म सं. 003978 एस)

सी.ए. आर. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 026343
युडीआईएन: 22026343 एयुडीटीपीडब्लियु 5959

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख: 21 सितंबर, 2022

ANNEXURE 3 TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 3 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

In our opinion and according to the information and explanations given to us, following companies incorporated in India and included in the Consolidated Financial Statements, have unfavourable remarks, qualifications or adverse remarks given by the respective auditors in their reports under the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (CARO):

No	Name of companies & CIN	Holding Company/ Subsidiary/ JV	Clause number of the CARO report which is unfavourable or qualified or adverse
1	HLL Infra Tech Services Limited CIN: U45200KL2014GOI036617	Subsidiary	Clause xix
2	Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited CIN : U24231GA1980SGC000412	Subsidiary	Clause xvii and xix
3	Lifespring Hospitals Private Ltd. CIN : U85110KL2008PTC021819\	JV	Clause xvii

For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No: 003978S

CA. R. Sridhar
Partner
M. No. 026343
UDIN: 22026343AUDTPW5959

Place : Thiruvananthapuram
Date : 21st September 2022

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002

सं.ए एम जी-IV/पीएसयू-एचएलएल/131/2022-23/596

दिनांक 13.10.2022

सेवा में

अध्यक्ष
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पूजप्पुरा पी.ओ,
तिरुवनंतपुरम -695012
केरल

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख), के अंतर्गत एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

कृपया इसके साथ संलग्न 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ देखें।

कृपया इस पत्र को पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
(संजय कुमार झा)
लेखापरीक्षा महा निदेशक
(केंद्रीय व्यय)
नई दिल्ली

दूरभाष : 91-11-23702422

फैक्स : 91-11-23702271

ई-मेल : dgace@cag.gov.in

वेबसाइट : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

Office of the Principal Director of Audit
(Health, Welfare and Rural Development) Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

No. .AMG-IV/PSU/HLL/131/2022-23 / 596,

Dated : 13.10.2022

To

The Chairman
HLL Life care Ltd.
Poojappura P.O
Thiruvananthapuram – 695012
Kerala

Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) r.w section 129 (4) of companies Act 2013 on the Consolidated Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended 31st March, 2022

Sir,

Please find enclosed herewith comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the consolidated financial statements of HLL LIFE CARE LIMITED for the year ended 31 March 2022.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully

(Sanjay Kumar Jha)
Director General of Audit
(Central Expenditure)
New Delhi

Ph. : 91-1123702422
Fax : 91-1123702271

E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह कहा गया है कि यह उनके दिनांक 21 सितंबर 2022 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किए गए हैं, जो उनके दिनांक 2 अगस्त, 2022 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है ।

मैं ने, भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अधीन एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त समेकित वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। हमने एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, एचएलएच बायोटेक लिमिटेड, एचएलएल इन्फ़ाटेक सर्विस लिमिटेड और गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की । आगे, निजी संस्था होने से लाइफ़सिंग अस्पताल (प्राइवट) लिमिटेड को उनके सांविधिक लेखापरीक्षा की नियुक्ति और अनुपूरक लेखापरीक्षा के आयोजन करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6) (क) लागू नहीं है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने इस कंपनी के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षा की नियुक्ति की न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है।

यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की पूछताछ और कंपनी के कार्मिक तथा चयनात्मक परीक्षा के कुछ लेखांकन रिकॉर्डों पर मुख्यतः सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है ।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों, जो मेरे ध्यान में आये हैं, को हाइलाइट करना चाहता हूँ और जो वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए मेरे विचार आवश्यक हैं ।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF HLL LIFECARE LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of consolidated financial statements of **HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2022** in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their revised Audit Report dated 21 September 2022 which supersedes their earlier Audit Report dated 2 August 2022.

1, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of **HLL Lifecare Limited for the year ended 31st March 2022** under section 143(6)(a) read with section 129 (4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of HLL Lifecare Limited, HLL Infratech Services Limited and Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of HLL Mother & Child Care Hospitals Limited for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to Lifespring Hospitals (P) Limited being private entity, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company.**

This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit report has been revised by the statutory auditor to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129 (4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the consolidated financial statements and the related audit report:

प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क. सामान्य

कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 284वीं बैठक में भारत सरकार को रु.122.40 करोड़ का लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव दिया। हालाँकि, वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था, जैसाकि भारतीय लेखांकन मानक-10 के पैरा 13 द्वारा आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि 'यदि लाभांश रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित किए जाते हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित होने से पहले, लाभांश को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस समय कोई दायित्व मौजूद नहीं है। इस तरह के लाभांश इंड ए एस 1 वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के अनुसार टिप्पणियों में प्रकट किए जाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(अशोक सिन्हा)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13.10.2022

Comments on Disclosure

A. General

The Board of Directors of the Company in its 284th meeting held on 26th July 2022 proposed to declare dividend of ₹ 122.40 crore to Government of India. However, no disclosure was made in the Financial Statements as required by Para 13 of Indian Accounting Standard-10 which state that if dividends are declared after the reporting period but before the financial statements are approved for issue, the dividends are not recognised as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. Such dividends are disclosed in the notes in accordance with Ind AS 1 Presentation of Financial Statements.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

(Sanjay Kumar Jha)
Director General of Audit
(Central Expenditure)
New Delhi

Place : New Delhi
Date : 13.10. 2022

31 मार्च, 2022 का समेकित तुलन-पत्र

विवरण		टिप्पणी सं	31.03.2022	31.03.2021	01.04.2020
			को	को	को
			(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)
क	परिसंपत्तियाँ				
	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	227.49	252.60	284.13
	पूंजी कार्य में प्रगति	3	12.56	10.35	4.11
	गुडविल (समेकन पर)		6.02	6.02	6.02
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	2.32	3.05	3.85
	परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु)	3	27.53	35.59	33.72
	निवेश संपत्ति	3	2.36	3.12	3.24
			278.28	310.73	335.07
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	i) इक्विटी विधि के अधीन हिसाब निवेश	4	2.94	1.57	2.22
	ii) अन्य निवेश	4	0.02	0.02	0.02
	iii) अन्य	5	1.76	1.67	1.54
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	6	75.00	20.47	13.81
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	7	-	-	-
	गैर चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	8	30.38	15.67	41.76
			388.38	350.13	394.42
	चालू परिसंपत्तियाँ				
	वस्तुसूचियाँ	9	200.76	338.50	196.84
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	i) व्यापार प्राप्तियाँ	10	2,737.65	2,039.21	1,019.60
	ii) नकद एवं नकद तुल्यांक	11. क & ख	1,069.03	889.38	51.32
	iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	11. सी	285.88	6.61	12.24
	iv) ऋण	12	5.68	28.22	24.67
	v) अन्य	13	21.71	13.09	10.94
	vi) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	954.60	265.05	199.22
			5,275.31	3,580.06	1,514.83
	बिक्री के लिए रखी वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	2.40	-	0.39	0.29
	कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के रोकड़ व बैंक शेष	2.9	4,847.49	4,388.00	4,185.10
	कुल परिसंपत्तियाँ		10,511.18	8,318.58	6,094.64
ख	इक्विटी व देयताएँ				
	इक्विटी				
	i) इक्विटी शेयर पूंजी	15	15.54	15.54	15.54
	ii) अन्य इक्विटी	16	769.59	378.99	295.75
	सत्ता के मालिकों को देने योग्य इक्विटी		785.13	394.53	311.29
	गैर नियंत्रित ब्याज		(2.96)	(1.40)	1.62
	कुल इक्विटी		782.17	393.13	312.91

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

Particulars		Note No.	As at 31.03.2022 (₹ crs)	As at 31.03.2021 (₹ crs)	As at 01.04.2020 (₹ crs)
A	ASSETS				
	Non-current assets				
	Property, Plant & Equipment	3	227.49	252.60	284.13
	Capital work-in-progress	3	12.56	10.35	4.11
	Goodwill (on consolidation)		6.02	6.02	6.02
	Intangible Assets	3	2.32	3.05	3.85
	Right of Use Assets(ROU)	3	27.53	35.59	33.72
	Investment Property	3	2.36	3.12	3.24
			278.28	310.73	335.07
	Financial Assets				
	i) Investments Accounted under Equity Method	4	2.94	1.57	2.22
	ii) Other Investments	4	0.02	0.02	0.02
	iii) Others	5	1.76	1.67	1.54
	Deffered tax asset (Net)	6	75.00	20.47	13.81
	Other Non Current Assets	7	-	-	-
	Non-Current Tax Asset (Net)	8	30.38	15.67	41.76
			388.38	350.13	394.42
	Current assets				
	Inventories	9	200.76	338.50	196.84
	Financial Assets				
	i) Trade Receivables	10	2,737.65	2,039.21	1,019.60
	ii) Cash and cash equivalents	11.a&b	1,069.03	889.38	51.32
	iii) Bank balances other than (ii) above	11.c	285.88	6.61	12.24
	iv) Loans	12	5.68	28.22	24.67
	v) Others	13	21.71	13.09	10.94
	Other current assets	14	954.60	265.05	199.22
			5,275.31	3,580.06	1,514.83
	Assets classified as held for sale	2.40	-	0.39	0.29
	Cash and Bank Balances of Projects Held under Trust as per contra	2.9	4,847.49	4,388.00	4,185.10
	TOTAL ASSETS		10,511.18	8,318.58	6,094.64
B	EQUITY AND LIABILITIES				
	Equity				
	i) Equity Share Capital	15	15.54	15.54	15.54
	ii) Other Equity	16	769.59	378.99	295.75
	Equity attributable to owners of the entity		785.13	394.53	311.29
	Non - Controlling interests		(2.96)	(1.40)	1.62
	Total Equity		782.17	393.13	312.91

विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2022	31.03.2021	01.04.2020
		को (₹ करोड़ों में)	को (₹ करोड़ों में)	को (₹ करोड़ों में)
देयताएँ				
गैर - चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ				
i) उधार	17	1.32	24.43	46.50
i)क) पट्टा देयताएँ निवल (आर ओ यु)	2.30	20.11	24.98	32.27
प्रावधान	18	28.68	7.57	6.55
अन्य गैर चालू देयताएँ	19	24.52	9.91	6.47
		74.63	66.89	91.79
चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ				
i) उधार	20	177.32	316.70	347.32
i)क) पट्टा देयता (आर ओ यु)	2.30	8.07	10.63	2.34
ii) देय व्यापार	21			
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया	21 क	31.06	11.51	22.54
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के लिए बकाया	21 ख	1,037.27	1,838.82	658.74
iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	22	450.79	306.03	222.87
प्रावधान	23	113.40	66.06	129.58
अन्य चालू देयताएँ	24	2,988.98	920.81	121.45
		4,806.89	3,470.56	1,504.84
कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम	2.9	4,847.49	4,388.00	4,185.10
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		10,511.18	8,318.58	6,094.64
निगमित सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1			
वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2			

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते श्रीधर एण्ड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म नं.003978 एस

के.बेजी जोर्ज, आईआरटीएस
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 [दिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [दिन:08225251]

संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी & सीएफओ
 [एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सीएएस)
 [ए सी एस : 14328]

आर. श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं. 026343
 युडीआईएन :22026343एओएचएचएचपी4844

स्थान : तिरुवनंतपुर
 तारीख : 02.08.2022

Particulars		Note No.	As at 31.03.2022 (₹ crs)	As at 31.03.2021 (₹ crs)	As at 01.04.2020 (₹ crs)
Liabilities					
Non-current liabilities					
Financial Liabilities					
	i) Borrowings	17	1.32	24.43	46.50
	ia) Lease Liability (ROU)	2.30	20.11	24.98	32.27
	Provisions	18	28.68	7.57	6.55
	Other non current liabilities	19	24.52	9.91	6.47
			74.63	66.89	91.79
Current liabilities					
Financial Liabilities					
	i) Borrowings	20	177.32	316.70	347.32
	ia) Lease Liability (ROU)	2.30	8.07	10.63	2.34
	ii) Trade payables	21			
	Outstanding to Micro and Small enterprises	21.a	31.06	11.51	22.54
	Outstanding to creditors other than Micro and Small enterprises	21.b	1,037.27	1,838.82	658.74
	iii) Other financial liabilities	22	450.79	306.03	222.87
	Provisions	23	113.40	66.06	129.58
	Other current liabilities	24	2,988.98	920.81	121.45
			4,806.89	3,470.56	1,504.84
	Advances Received for Projects Held under Trust as per contra	2.9	4,847.49	4,388.00	4,185.10
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES			10,511.18	8,318.58	6,094.64
Corporate Information and Significant Accounting Policies		1			
Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements		2			

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
 For Sridhar & Co
 Chartered Accountants
 Firm No. 003978S

K.Beji George, IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO
 [FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)
 [ACS:14328]

R. Sridhar
 Partner
 Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHHHP4844

Place : Thiruvananthapuram
 Date : 02.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण

विवरण	टिप्पणी सं	वर्ष 31.03.2022	वर्ष 31.03.2021
		को समाप्त ₹ करोड़ों में	को समाप्त ₹ करोड़ों में
सतत प्रचालन			
आय			
प्रचालनों से राजस्व	25	36,039.92	5,375.32
अन्य आय	26	19.26	46.00
कुल आय		36,059.18	5,421.32
व्यय			
उपभुक्त मालों की लागत	27	260.12	234.85
व्यापार स्टॉक के क्रय	28	32,798.39	3,820.20
तैयार माल, चालू कार्य प्रगति और व्यापार स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	29	129.47	(127.85)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	30	304.86	241.43
वित्त लागत	31	25.94	25.02
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	3	45.40	48.49
अन्य व्यय	32	1,636.07	778.31
ठेका व्यय	2.41	298.08	255.86
कुल व्यय		35,498.33	5,276.32
एक सहयोगी/एक संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि के शेयर के पूर्व लाभ/हानि		560.85	145.01
एक सहयोगी/एक संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि के शेयर कर के पूर्व लाभ/(हानि)		1.37	(0.66)
कर व्यय :			
चालू कर व्यय		198.43	49.63
आस्थगित कर	6	(48.72)	(6.65)
		149.71	42.98
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		412.51	101.37
बंद प्रचालनों से हानि		-	-
बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए हानि			
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		412.51	101.37
अन्य व्यापक आय			
(i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी			
- निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन		(5.99)	(14.19)
- संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय का शेयर		-	-
(ii) ऐसी मदों से संबंधित आय कर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		1.65	3.32
कुल अन्य व्यापक आय		(4.35)	(10.87)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		408.17	90.50

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

Particulars	Note No	Year ended	Year ended
		31.03.2022	31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
Continuing Operations			
Income			
Revenue from operations	25	36,039.92	5,375.32
Other income	26	19.26	46.00
Total Income		36,059.18	5,421.32
Expenses			
Cost of materials consumed	27	260.12	234.85
Purchases of stock-in-trade	28	32,798.39	3,820.20
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	29	129.47	(127.85)
Employee benefits expense	30	304.86	241.43
Finance costs	31	25.94	25.02
Depreciation and amortisation expense	3	45.40	48.49
Other expenses	32	1,636.07	778.31
Contract Expenses	2.41	298.08	255.86
Total expenses		35,498.33	5,276.32
Profit/loss before share of profit/loss of an associate /a joint venture		560.85	145.01
Share of profit/loss of an associate/a joint venture		1.37	(0.66)
Profit / (Loss) before tax		562.22	144.35
Tax expense:			
Current tax expense		198.43	49.63
Deferred tax	6	(48.72)	(6.65)
		149.71	42.98
Profit / (Loss) for the year from the continuing operations		412.51	101.37
Loss from discontinued operations		-	-
Loss for the year from discontinued operations			
Profit / (Loss) for the year		412.51	101.37
Other Comprehensive Income			
(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurement of Defined Benefit Plans		(5.99)	(14.19)
- Share of other comprehensive income in joint venture		-	-
(ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss		1.65	3.32
Total Other Comprehensive Income		(4.35)	(10.87)
Total Comprehensive Income for the year		408.17	90.50

विवरण	टिप्पणी सं	वर्ष 31.03.2022	वर्ष 31.03.2021
		को समाप्त ₹ करोड़ों में	को समाप्त ₹ करोड़ों में
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) के कारण			
कंपनी के मालिक		414.22	105.81
गैर नियंत्रित ब्याज		(1.70)	(4.44)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय के कारण			
कंपनी के मालिक		(4.49)	(10.61)
गैर नियंत्रित ब्याज		0.14	(0.26)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय के कारण			
कंपनी के मालिक			
सतत प्रचालन		409.73	95.20
बंद प्रचालन			
गैर नियंत्रित ब्याज		(1.56)	(4.70)
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर ₹ 10/- के लिए अंकित मूल्य) (सतत प्रचालनों के लिए)			
- मूल	1.24	266.63	68.11
- हल्का		266.63	68.11
निगमित सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2		

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
 अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
 [दिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [दिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
 [एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
 [ए सी एस : 14328]

आर.श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं.026343
 यु डी आई एन
 22026343
 एओएचएचएचपी4844

स्थान : तिरुवनंतपुरम
 तारीख : 02.08.2022

Particulars	Note No	Year ended	Year ended
		31.03.2022	31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
Profit / (Loss) for the year attributable to			
Owners of the company		414.22	105.81
Non - Controlling Interests		(1.70)	(4.44)
Other Comprehensive Income for the year attributable to			
Owners of the company		(4.49)	(10.61)
Non - Controlling Interests		0.14	(0.26)
Total Comprehensive Income for the year attributable to			
Owners of the company			
Continuing Operations		409.73	95.20
Discontinued Operations			
Non - Controlling Interests		(1.56)	(4.70)
Earnings per equity share (₹) (Face value of ₹10/- share) (for continuing operations)			
- Basic	1.24	266.63	68.11
- Diluted		266.63	68.11
Corporate Information and Significant Accounting Policies	1		
Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements	2		

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For Sridhar & Co
Chartered Accountants
Firm No. 003978S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]
Place : Thiruvananthapuram
Date : 02.08.2022

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

R. Sridhar
Partner
Membership No:026343
UDIN: 22026343AOHHHP4844

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

₹ करोड़ों में

चालू रिपोर्टिंग अवधि	1 अप्रैल, 2021 के आरंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 के अंत में शेष
	15.54	-	-	-	15.54

₹ करोड़ों में

पिछली रिपोर्टिंग अवधि	1 अप्रैल, 2020 के आरंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 के अंत में शेष
	15.54	-	-	-	15.54

ख. अन्य इक्विटी

1. चालू रिपोर्टिंग अवधि

₹ करोड़ों में

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	कुल
	लंबित शेयर आबंटन	निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित	लाभांश समकरण आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन		
1 अप्रैल, 2021 तक के शेष	-	-	1.30	256.41	135.39	(16.06)	377.04
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	1.95	-	1.95
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	1.30	256.41	137.34	(16.06)	378.99
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	0.12	414.26	(4.50)	409.89
लाभांश					(19.29)		(19.29)
प्रतिधारित अर्जन में अंतरण							-
31 मार्च, 2022 के अंत में शेष			1.30	256.53	532.31	(20.55)	769.59

Consolidated Statement of Changes in Equity for the Year ended 31st March 2022

A. Equity Share Capital

₹ Crs

Current Reporting Period	Balance at the beginning of April 1, 2021	Changes in equity share capital due to Prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of 31st March 2021
	15.54	-	-	-	15.54

₹ Crs

Previous reporting period	Balance at the beginning of April 1, 2020	Changes in equity share capital due to Prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of 31st March 2021
	15.54	-	-	-	15.54

B. Other Equity

1. Current Reporting Period

₹ Crs

Particulars	Reserves and Surplus					Other Comprehensive Income	Total
	Shares pending allotment	Corporate Social Responsibility Reserve	Dividend Equalisation Reserve	General Reserve	Retained Earnings		
Balance as on April 01, 2021	-	-	1.30	256.41	135.39	(16.06)	377.04
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	1.95	-	1.95
Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	-	1.30	256.41	137.34	(16.06)	378.99
Total comprehensive income for the year				0.12	414.26	(4.50)	409.89
Dividend					(19.29)		(19.29)
Transfer to retained earnings							-
Balance at the end of March 31, 2022			1.30	256.53	532.31	(20.55)	769.59

2. पिछली रिपोर्टिंग अवधि

₹ करोड़ों में

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	कुल
	लंबित शेयर आबंटन	निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित	लाभांश समकरण आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन		
1 अप्रैल, 2020 तक के शेष	-	0.54	1.30	256.41	43.75	(6.29)	295.71
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	0.04	-	0.04
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निधारित शेष राशि	-	0.54	1.30	256.41	43.79	(6.29)	295.75
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					108.45	(9.77)	98.68
लाभांश					(14.90)		(14.90)
प्रतिधारित अर्जन में अंतरण							-
31 मार्च, 2021 के अंत में शेष	-	-	1.30	256.41	137.34	(16.06)	378.99

निदेशक मंडल की तरफ से

 इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

 के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
 अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
 [दिन: 08419099]

 डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [दिन: 08225251]

 संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
 [एफ सी ए : 049893]

 जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
 [ए सी एस : 14328]

 आर.श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं.026343
 यु डी आई एन
 22026343
 एओएचएचएचपी4844

 स्थान : तिरुवनंतपुरम
 तारीख : 02.08.2022

2.Previous Reporting Period

₹ Crs

Particulars	Reserves and Surplus					Other Comprehensive Income	Total
	Shares pending allotment	Corporate Social Responsibility Reserve	Dividend Equalisation Reserve	General Reserve	Retained Earnings		
Balance as on April 01, 2020	-	0.54	1.30	256.41	43.75	(6.29)	295.71
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	0.04	-	0.04
Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	0.54	1.30	256.41	43.79	(6.29)	295.75
Total comprehensive income for the year					108.45	(9.77)	98.68
Dividend					(14.90)		(14.90)
Transfer to retained earnings							-
Balance at the end of March 31, 2021	-	-	1.30	256.41	137.34	(16.06)	378.99

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached

For Sridhar & Co
Chartered Accountants

Firm No. 003978S

K.Beji George IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)

[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO
 [FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)
 [ACS:14328]

R. Sridhar
 Partner

 Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHHHP4844

 Place : Thiruvananthapuram
 Date : 02.08.2022

वर्ष 31.03.2022 को समाप्त समेकित नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
	समाप्त ₹ करोड़ों में	समाप्त ₹ करोड़ों में
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर के पूर्व लाभ	560.85	145.01
समायोजन;		
मूल्यहास और परिशोधन	45.40	48.49
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.06	0.02
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(0.07)	0.04
वित्त लागत	25.94	25.02
ब्याज आय	(6.45)	17.64
चालू पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	625.74	236.21
चालू पूँजी में परिवर्तन :		
प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
वस्तुसूचियाँ	137.74	(141.66)
व्यापार प्राप्तियाँ	(687.18)	(1,019.61)
अल्पावधि ऋण एवं पेशगियाँ	13.93	(3.55)
दीर्घावधि ऋण एवं पेशगियाँ	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(770.12)	(44.77)
प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
देय व्यापार	(781.99)	1,169.05
अन्य चालू देयताएँ	144.76	84.88
दीर्घकालीन प्रावधान	-	-
अल्पावधि प्रावधान	47.35	(63.52)
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	2,103.90	799.36
बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियाँ	0.39	-
प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़	834.51	1,016.39
निवल आय कर(प्रदत्त)/वापसी	(153.31)	(54.13)
प्रचालन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (क)	681.20	962.26
ख. निवेशी कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
चालू पूँजी कार्य में प्रगति	(2.21)	(6.24)
पी पी ई और अमूर्त परिसंपत्तियों के खरीद	(18.79)	(16.10)
प्राप्त ब्याज	6.45	(17.64)
निवेश	-	-
बैंक जमा में निवेश (तीन महीनों से अधिक के मूल परिपक्वता रहनेवाले)	(279.27)	5.63
निवल रोकड़ प्रवाह/ (प्रयुक्त) निवेश कार्यकलापों से (ख)	(293.82)	(34.34)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
A. Cash flow from Operating Activities		
Profit before tax	560.85	145.01
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation	45.40	48.49
Loss on sale of Property, plant and equipment	0.06	0.02
Profit on sale of Property, plant & equipment	(0.07)	0.04
Finance costs	25.94	25.02
Interest income	(6.45)	17.64
Operating profit / (loss) before working capital changes	625.74	236.21
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	137.74	(141.66)
Trade receivables	(687.18)	(1,019.61)
Short-term loans and advances	13.93	(3.55)
Long-term loans and advances	-	-
Other current assets	(770.12)	(44.77)
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Trade payables	(781.99)	1,169.05
Other current liabilities	144.76	84.88
Long-term provisions	-	-
Short-term provisions	47.35	(63.52)
Other current liabilities	2,103.90	799.36
Assets held for sale	0.39	-
Cash generated from operations	834.51	1,016.39
Net income tax (paid) / refunds	(153.31)	(54.13)
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)	681.20	962.26
B. Cash flow from Investing Activities		
Capital Work in Progress	(2.21)	(6.24)
Purchase of PPE and intangible assets	(18.79)	(16.10)
Interest received	6.45	(17.64)
Investments	-	-
Investments in bank deposits (having original maturity of more than three months)	(279.27)	5.63
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)	(293.82)	(34.34)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
	समाप्त	समाप्त
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
ग. वित्तीयन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
गैर-चालू ऋणों से प्राप्तियाँ	(42.82)	(18.63)
अन्य गैर-चालू देयताओं से प्राप्तियाँ	-	-
अल्पसंख्यक ब्याज को भुगतान	-	-
प्रदत्त ब्याज	(25.94)	(25.02)
लाभांश	(19.29)	(14.90)
वित्तीयन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ग)	(88.04)	(58.54)
नकद एवं नकद तुल्यांक में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	299.33	869.37
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्यांक	592.82	(276.55)
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक	892.15	592.82
तुलन पत्र के साथ नकद तथा नकद तुल्यांक का मिलान :		
नकद एवं नकद तुल्यांक	896.55	598.23
न्यून : इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे नकद तथा नकद तुल्यांक के रूप में नहीं माने गये बैंक शेष	4.40	5.41
टिप्पणी 1.10 में शामिल निवल नकद एवं नकद तुल्यांक (इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे)	892.15	592.82
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक *		
* समाविष्ट :		
(क) रोकड़ शेष	2.11	2.01
(ख) बैंकों के साथ शेष		
(i) जमा खाते में	986.73	838.03
(ii) चालू खाते में	20.32	28.55
(iii) ई ई एफ सी खाते में	2.05	0.22
(iv) नकदी ऋण खाते में	(98.53)	(178.71)
(iv) ओ डी खाते में	(78.35)	(117.86)
(v) सी एस आर/परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधि	57.82	20.57
	892.15	592.82

- 1) उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण इंड ए एस -7 में प्रारंभित परोक्ष प्रणाली के अधीन तैयार किया गया है।
- 2) इस वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप करने की ओर जहाँ कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।
- 3) वर्ष के प्रारंभ और अंत के नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय नकदी ऋण शामिल हैं।
- 4) न्यास के अधीन पड़ी परियोजना निधि के लेनदेन और बकाया ₹ 4847.49 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 4388 करोड़) नकद प्रवाह में शामिल नहीं किया गया है।

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
C. Cash flow from Financing Activities		
Proceeds from non current borrowings	(42.82)	(18.63)
Proceeds from other non current liabilities	-	-
Payment to Minority interest	-	-
Interest paid	(25.94)	(25.02)
Dividend	(19.29)	(14.90)
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)	(88.04)	(58.54)
Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	299.33	869.37
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	592.82	(276.55)
Cash and cash equivalents at the end of the year	892.15	592.82
Reconciliation of Cash and cash equivalents with the Balance Sheet:		
Cash and cash equivalents	896.55	598.23
Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flows	4.40	5.41
Net Cash and cash equivalents (as defined in Ind AS 7 Statement of Cash Flows) included in Note 1.10	892.15	592.82
Cash and cash equivalents at the end of the year *		
* Comprises:		
(a) Cash on hand	2.11	2.01
(b) Balances with banks		
(i) In deposit accounts	986.73	838.03
(ii) In current accounts	20.32	28.55
(iii) In EEFC accounts	2.05	0.22
(iv) In cash credit accounts	(98.53)	(178.71)
(v) In OD accounts	(78.35)	(117.86)
(vi) Funds earmarked for CSR/Projects	57.82	20.57
	892.15	592.82

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method set out in the Ind AS-7.
- 2) The previous year's figures have been re-grouped wherever necessary in order to confirm to this year's presentation.
- 3) Cash Equivalents at the beginning and end of the year includes Bank Overdraft and Cash Credit repayable on demand
- 4) Transactions of project funds held under Trust and balance of Rs. 4847.49 crores (previous year Rs.4388 crores) are not included in the Cashflow

5) वित्तीयन कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन

₹ करोड़ों में

विवरण	1 अप्रैल, 2021 तक	नकद प्रवाह	गैर-नकद परिवर्तन		31 मार्च, 2022 तक
			उचित मूल्य समायोजन	अधिग्रहण के कारण अन्य	
गैर चालू उधार (गैर-चालू उधार के चालू परिपक्वता सहित)	24.43	(23.12)	-	-	1.32
चालू उधार	316.70	(139.38)	-	-	177.32
	341.13	(162.50)			178.64

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

आर.श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं.026343
यु डी आई एन :
22026343
एओएचएचएचपी4844

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 02.08.2022

5) Changes in Liabilities arising from Financing Activities

₹ in Cr

Particulars	As at 1st April 2021	Cashflows	Non - Cash Changes		As at 31st March 2022
			Fair Value Adjustment	Others on account of Acquisition	
Non current Borrowings (including current maturity of Non - Current Borrowings)	24.43	(23.12)	-	-	1.32
Current Borrowings	316.70	(139.38)	-	-	177.32
	341.13	(162.50)	-	-	178.64

For and on behalf of the Board of Directors

 Vide our report of even date attached
For Sridhar & Co
Chartered Accountants
 Firm No. 003978S

K.Beji George IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO
 [FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)
 [ACS:14328]

R. Sridhar
 Partner
 Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHHHP4844

 Place : Thiruvananthapuram
 Date : 02.08.2022

टिप्पणी 1- समेकित वित्तीय विवरणों की निगमित सूचना एवं सार्थक लेखांकन नीतियाँ।

निगमित सूचना

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ('मूल कंपनी') वर्ष 1966 में समाविष्ट कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा शासित और भारत में अधिवासित भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वामित्व रखे, मिनिरत्ना उद्यम है। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को 21 फरवरी, 2012 से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एचएलएल भवन, पूजपुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित है। मूल कंपनी गर्भनिरोधक उत्पादों की श्रेणी के विनिर्माण एवं विपणन, अस्पताल उत्पादों, महिला स्वास्थ्य फार्मा उत्पादों और स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना, फार्मसी और नैदानिक सेवाओं के रीटेल ऋंखला के लिए परामर्श एवं ठेका सेवाएं प्रदान करने में लगी रहती है। कंपनी देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों को प्रबंध करती है। मूल कंपनी को तीन सहायक कंपनियाँ और एक संयुक्त उद्यम है। एचएलएल इंफ़्राटेक सर्विस लिमिटेड जो निर्माण, अवसंरचना विकास, इंजीनियरी सेवाएँ, प्रापण प्रबंधन, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन सेवाओं के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगे रहते हैं, को छोड़कर सहायक कंपनियाँ सामान्यतः स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं। बाद में सहायक कंपनियों के साथ मिलकर मूल कंपनी "ग्रूप" के रूप में संदर्भित किया है।

समेकित वित्तीय विवरण 02-08-2022 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे।

नए लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 18 जून 2021 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लेखांकन मानकों में कुछ संशोधन अधिसूचित किया है। ग्रूप ने इस वित्तीय विवरण को तैयार करने में इन संशोधनों को अपनाया।

इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए नए मानकों और मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 23 मार्च 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया। ये 1 अप्रैल 2022 से ही लागू हैं।

1क सार्थक लेखांकन नीतियाँ

1.1 तैयारी/समेकन का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुसार, प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अधीन (i) कुछ वित्तीय साधन जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है; (ii) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियाँ जिन्हें उनकी अग्रणीत राशि के निचले स्तर पर और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है; (iii) व्युत्पन्न वित्तीय साधन और (iv) निर्धारित लाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार नीचे लेखांकन नीतियों में बताया जैसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर तैयार किए जाते हैं। इंड ए एस, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के तहत निर्धारित हैं। लेखांकन नीतियों को जहाँ एक नव जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, को छोड़कर लगातार लागू किया गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और जहाँ अन्यथा इंगित किए गए करोड़ों को छोड़कर सभी मूल्यों को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किए जाते हैं।

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर माल व सेवाओं के लिए विनिमय में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

Note 1: Corporate Information and Significant Accounting Policies of Consolidated Financial Statements

Corporate information

HLL Lifecare Limited, (“Parent Company”) incorporated in the year 1966, is a MiniRatna Enterprise, fully owned by Government of India, domiciled in India and governed by the provisions of the Companies Act, 2013. HLL Lifecare Ltd was converted into a Public Limited Company with effect from 21st February 2012. The Company's registered office is situated at HLL Bhavan, Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala, India. The Parent company is engaged in the manufacturing and marketing of a range of Contraceptive products, Hospital products, Women Health Pharma products, providing Consultancy & Contract services for healthcare infrastructure, Retail chain of pharmacies and Diagnostic services. The company caters to both domestic and international markets. The parent company has three subsidiaries and one joint venture. The subsidiaries are generally into health sector except for HLL Infratech services Limited (HITES), which is engaged in providing the services in the area of construction, infrastructure development, engineering services, procurement management, supply chain management, facility management services. The Parent Company together with its subsidiaries is hereinafter referred to as the “Group”.

The consolidated financial statements were approved for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors on 02-08-2022.

Recent accounting pronouncements

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has notified certain amendments to Accounting standards as per the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 on 18th June 2021. The Group adopted these amendments in the preparation of this financial statement.

Further Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022. These are applicable from 01st April 2022 only.

1A Significant accounting policies

1.1 Basis of Preparation / Consolidation

These consolidated financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS), under the historical cost convention on accrual basis except for: (i) certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period; (ii) Non-current assets classified as held for sale which are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell; (iii) derivative financial instrument and (iv) defined benefit plans – plan assets that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below as per the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use. The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) and all values are rounded to the nearest Crores except where otherwise indicated.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होता है या एक व्यवस्थित माप तिथि में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही वह कीमत सीधे देखने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के अनुमान लगाने में ग्रूप परिसंपत्ति या दायित्व की विशेषताओं को ध्यान में रखता है यदि बाज़ार सहभागी माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखे है। इन वित्तीय विवरणों में मापन और/या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य का निर्धारण, शेयर आधारित भुगतान लेनदेन जो इंड एस 102 के दायरे में है, लीज़िंग लेनदेन जो इंड एस 116 के दायरे में है, और माप जिसे उचित मूल्य से कुछ समानताएँ हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे कि इंड ए एस 2 में निवल वसूली योग्य मूल्य या इंड एस 36 में उपयोग में मूल्य को छोड़कर ऐसे आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापन के इनपुट देखे जा सकते हैं और उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व इसकी संपूर्णता में है, जो निम्नानुसार वर्णित है :

- स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) होते हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।
- स्तर 2 इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट हैं; जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए देखने योग्य हैं;
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए न देखे जा सकने वाले इनपुट हैं।

1.1क समेकन सिद्धांत

एचएलएल उन संस्थाओं को समेकित करता है जिनका वह स्वामित्व या नियंत्रण करता है। समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी, उसके नियंत्रित न्यासों और उसकी समनुषंगियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। नियंत्रण तब मौजूद होता है जब मूल कंपनी को इकाई के साथ उसकी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के लिए इकाई पर शक्ति होती है, उजागर होता है या अधिकार होता है और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मौजूदा अधिकारों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है जो क्षमता को प्रत्यक्ष प्रासंगिक गतिविधियाँ देते हैं जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सहायक कंपनियाँ नियंत्रण प्रारंभ होने की तारीख से नियंत्रण समाप्त होने तक की तिथि तक समेकित किए जाते हैं।

- क समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय लेखांकन मानक 110 (इंड ए एस 110) “समेकित वित्तीय विवरण”, भारतीय लेखांकन मानक 28 (इंड ए एस 28) “कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश” के अनुसार तैयार किया गया है।
- ख ग्रूप के समेकित वित्तीय विवरण, परिसंपत्तियाँ, देयताएँ, आय और खर्च जैसे समान मदों को जोड़कर मदवार आधार पर जोड़ दिया गया है। इंटर-ग्रूप शेष एवं इंटर-ग्रूप लेनदेन और अप्राप्त लाभ पूर्ण रूप से हटाया गया है।
- ग समनुषंगियों में निवेश की लागत, समनुषंगियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय पर निवल परिसंपत्तियों के बीच का अंतर समेकन पर सद्भाव के रूप में समेकित वित्तीय विवरण में पहचान किया जाता है। समेकन पर सद्भाव प्रतिवर्ष खराब हानि के लिए जाँच किया जाता है और मूल्यांकित किसी भी हानि प्रदान की जाती है।
- घ समेकित समनुषंगियों की निवल परिसंपत्तियों में गैर नियंत्रण ब्याज में समनुषंगी कंपनियों में मूल कंपनी द्वारा बनाए गए निवेश की तारीख पर गैर-नियंत्रण शेयरधारकों के लिए आरोप्य इक्विटी की रकम और निवेश की तारीख के अनुवर्ती इक्विटी में उनके शेयर के अतिरिक्त गति शामिल हैं।

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/ or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of Ind AS 102, leasing transactions that are within the scope of Ind AS 116, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realisable value in Ind AS 2 or value in use in Ind AS 36.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorised into Level 1, 2, or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

1.1A Principles of Consolidation

HLL consolidates entities which it owns or controls. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of the Company, its controlled trusts and its subsidiaries. Control exists when the parent has power over the entity, when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns by using its power over the entity. Power is demonstrated through existing rights that give the ability to direct relevant activities, those which significantly affect the entity's returns. Subsidiaries are consolidated from the date control commences until the date control ceases.

- a. The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard 110 (Ind AS 110) "Consolidated Financial Statements", Indian Accounting Standard 28 (Ind AS 28) "Investments in Associates and Joint Ventures" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- b. The Consolidated Financial Statements of the Group have been combined on a line-by-line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses. The intra-group balances and intra-group transactions and unrealized profits have been fully eliminated.
- c. The difference between the cost of investment in the subsidiaries, over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognized in the Consolidated Financial Statements as Goodwill on Consolidation. The Goodwill on consolidation is tested for impairment every year and any loss assessed is provided for.
- d. Non-controlling interests in the net assets of consolidated subsidiaries consists of the amount of equity attributable to the non-controlling shareholders at the dates on which investments are made by the Parent Company in the subsidiary companies and further movements in their share in the equity, subsequent to the dates of investment.

ड संयुक्त उद्यम में मूल कंपनी का निवेश इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए परिकल्पित किया जाता है। इक्विटी पद्धति के अधीन, साझेदार या संयुक्त उद्यम का निवेश प्रारंभ में लागत पर पहचान किया जाता है। निवेश की रखाव रकम, अधिग्रहण की तारीख तक संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों के ग्रुप शेयरों के परिवर्तनों को पहचान करने के लिए समायोजित की जाती है।

1.2 परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकरण

ग्रुप वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्ति और देयताओं को प्रस्तुत करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित ग्रुप के सामान्य परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद व नकद तुल्यांक में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर, परिसंपत्ति और देयताओं के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए ग्रुप द्वारा 12 महीना माना गया है।

परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू / गैर चालू में वर्गीकरण

तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, परिसंपत्ति वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि :

- सामान्य परिचालन चक्र में होने यह वसूल करने की उम्मीद है, या बेचे जाने या उपभुक्त होने का इरादा है: या
- यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से रखा है या
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर वसूल करना अपेक्षित है या
- यह परिसंपत्ति नकद या नकद तुल्यांक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विचलित होने से जब तक प्रतिबंधित नहीं या देयता व्यवस्थित करने के लिए उपयोगित करता है।

सभी अन्य परिसंपत्तियाँ गैर चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

इस प्रकार यह देयता चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

- यह सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा है।
- यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से होता है।
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित किये जाने के लिए देय है, या
- ग्रुप को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान करने के लिए कोई अप्रतिबंध अधिकार नहीं है।

देयता का शर्त, जो प्रतिकक्षि के विकल्प पर इक्विटी साधनों को जारी करने के द्वारा इसके निपटान पर परिणत होगा, इस वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं करता है।

सभी अन्य देयताएं गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

1.3 कोविड -19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

ग्रुप ने वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि की वसूली सहित इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड-19 से संबंधित महामारी से होनेवाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभाव्य भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में ग्रुप ने इन

- e. The parent company's investment in the joint venture is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the joint venture since the acquisition date..

1.2 Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current

The Group presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on Current/Non- Current classification.

All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the Group's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, 12 months has been considered by the Group for the purpose of current or non-current classification of assets and Liabilities.

Classification of Assets and Liabilities into Current/Non-Current:

For the purpose of Balance Sheet, an asset is classified as current if:

- (i) It is expected to be realised, or is intended to be sold or consumed, in the normal operating cycle; or
- (ii) It is held primarily for the purpose of trading; or
- (iii) It is expected to realise the asset within twelve months after the reporting period; or
- (iv) The asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Similarly, a liability is classified as current if:

- (i) It is expected to be settled in the normal operating cycle; or
- (ii) It is held primarily for the purpose of trading; or
- (iii) It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or
- (iv) The Group does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

Terms of a liability that could result in its settlement by the issue of equity instruments at the option of the counterparty does not affect this classification

All other liabilities are classified as non-current.

1.3 Estimation of Uncertainties relating to the global health pandemic from COVID -19

The Group has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 in the preparation of these consolidated financial statements including the recoverability of carrying amounts of financial and non-financial assets and liabilities. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Group has at the date of approval of these consolidated

समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि पर हमारे वर्तमान अनुबंध की शर्तें, क्रेडिट रिपोर्ट, व्यवसाय से भविष्य की मात्रा का अनुमान और अन्य संबंधित जानकारी आदि सहित आंतरिक और बाहरी जानकारी का उपयोग किया है। मुख्य तथ्यों की समीक्षा करके वर्तमान अनुमानों के आधार पर ग्रुप को उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की रखाव राशि की वसूली की जाएगी और उपार्जित देयताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रुप के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव, इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है और ग्रुप भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के निकट निगरानी करना जारी रखेगा।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यहास और संचित खराब हानि यदि कोई हो, दिये गये हैं।

अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत को तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन के इरादे से उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते।

लागत में उधार पर ब्याज (भारित औसत दर पर परिकल्पित) और इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

नई परियोजनाओं/व्यवसायों की नई लाइन की पहचान के लिए हुए राजस्व व्यय को पूँजीगत कार्यप्रगति के रूप में माना जाता है। इसे व्यवसाय शुरू करने के पहले वर्ष में परियोजना लागत में समाहित किया जाएगा। यदि तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर नई परियोजना/व्यवसाय की नई लाइन अमल में नहीं आती है, तो पूरे खर्च को तीसरे वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाएगा। उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियाँ, पहचान की गयी कोई खराब हानि कम करके लागत पर जोड़ा जाता है।

निर्माण अवधि का खर्च पूँजी कार्य प्रगति के अधीन शामिल किया जाता है और यह निर्माण इसकी समाप्ति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित मदों में आर्बिटित किया जाता है। फार्मस्यूटिकल्स विनिर्माण सुविधा के संबंध में हुए खर्च मान्यता प्रक्रिया पूरा होने तक चालू पूँजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है।

रु. 5 लाख या अधिक अलग-अलग मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे, स्टान्ट बई उपकरण और सर्वोसिंग उपकरण या 12 महिने से अधिक अवधि के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है, को उनके अधिग्रहण पर पूँजीकृत किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास किए गए हैं। इसके अलावा संयंत्र और मशीनरी के तहत सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर और अन्य परिसंपत्तियों (अमूर्त संपत्ति और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है ताकि उन परिसंपत्तियों, जिनका उपयोगी जीवन किसी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है, को छोड़कर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाए।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं :

परिसंपत्ति की श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन
पट्टा भूमि	पट्टे की अवधि
फैक्टरी भवन	30 वर्ष

financial statements, used internal and external information including our current contract terms, credit reports, future volume estimate from the business and other related information etc. Having reviewed the underlying data and based on current estimates, the Group expects the carrying amount of the assets will be recovered and there is no significant impact on liabilities accrued. The impact of COVID -19 on the Group's financial statements may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

1.4 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss if any.

Cost directly attributable to acquisition are capitalized until the Property, Plant and Equipment are ready for use as intended by the management. Cost includes all incidental expenditure net of tax credits wherever applicable.

The cost includes interest on borrowings (calculated at the weighted average rates) and administrative expenses specifically attributable to the acquisition of such assets.

Revenue expenses incurred for identification of new projects/ new line of businesses are treated as capital work in progress. This will be absorbed into the project cost in the first year of commencing the business. If the new project/ new line of business does not materialize within a period of three financial years, the entire expenses shall be charged to Revenue in the 3rd year. Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

Expenditure during construction period is included under Capital Work-in-Progress and the same is allocated to the respective items of Property, Plant and Equipment on the completion of construction. In respect of pharmaceutical manufacturing facility, expenditure incurred are included under Capital Work in Progress till the validation process is completed.

Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

Spare parts, stand by equipment and servicing equipment having individual value of ₹5 lakh or more and are expected to be used for a period more than 12 months are capitalized on their acquisition.

Depreciation on Property, Plant and Equipment other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice.

The estimated useful life as per Companies Act 2013 are as follows:

Category of Asset	Estimated Useful life
Leasehold land	Period of lease
Factory Buildings	30 years

परिसंपत्ति की श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन
फैक्टरी भवन के अलावा अन्य भवन	60 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	15 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो।
ईसीजी, एक्स-रे, सीटी स्कान, एमआरआई मशीन आदि	13 वर्ष
फर्नीचर व फिक्चर	10 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो।
मोटर वाहन	8 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
कंप्यूटर व लैपटॉप	3 वर्ष
प्रयोगशाला उपकरण	10 वर्ष या व्यवसाय समझौते की शर्तें जो भी पहले हो।
विद्युत संस्थापन	10 वर्ष

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मुख्य परिसंपत्ति के घटकों को अलग से पहचानना और निर्धारित किया गया था, यदि उनके पास एक उपयोगी जीवन है जो मूल परिसंपत्ति से महत्वपूर्ण रूप से अलग है। मूल परिसंपत्ति की मूल लागत के 10% को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक सीमा के रूप में माना गया है कि कोई घटक महत्वपूर्ण है या नहीं।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों में अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मर्दों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि जिसकी लागत ₹ 5000/- प्रत्येक या उससे कम है तो परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के लिए जोड़ने की तिथि पर ध्यान दिए बिना क्रय के वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

मूल मशीनरी के लिए लागू समान दरों और पद्धति का उपयोग करके उपकरण के साथ प्राप्त किए गए मशीनरी पुर्जों का मूल्यहास किए जाते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए अलग रूप से खरीदे गए मशीनरी पुर्जों के मामले में, संबंधित मशीनरी के समाप्त जीवन के लिए संचित मूल्यहास के बराबर दर वर्ष के मूल्यहास के साथ अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज की जाती है।

अस्वीकृत

निपटान या परिसंपत्ति के सतत उपयोग से उठाने के लिए प्रतीक्षित भविष्य के आर्थिक फायदे नहीं होने पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मद को अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान या निवृत्ति पर उठाने वाले कोई भी अभिलाभ या हानि को बिक्री परिणाम और परिसंपत्ति के रखाव रकम के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और उसको लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.5 निवेश संपत्ति

संपत्ति जो लंबी अवधि के किराया वस्तु या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है और जिस पर ग्रूप द्वारा कब्जा नहीं किया गया है या उसके संचालन के लिए हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत शामिल है। आगामी व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ ग्रूप को प्राप्त होंगे और मर्दों की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत के व्यय होने पर खर्च की जाती है।

Category of Asset	Estimated Useful life
Buildings other than Factory Buildings	60 years
Plant & Machinery	15 years or Terms of agreement of business whichever is earlier
ECG, X-Ray, CT scan, MRI machines etc	13 years
Furnitures and Fixtures	10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier
Motor Vehicles	8 years
Office equipments	5 years
Computers & Laptops	3 years
Laboratory equipments	10 years or Terms of agreement of business whichever is earlier
Electrical Installations	10 years

The depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically including at each financial year end.

Components of main assets were identified and determined separately, if they have a useful life that is materially different from that of the principal asset. 10% of the original cost of the principal asset has been considered as threshold limit to determine whether a component is material or not.

When significant parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Additions to Property Plant and Equipment, costing ₹5000/- each or less are fully depreciated during the year of purchase, irrespective of the date of addition retaining the residual value of assets.

Machinery spares acquired with the equipment are depreciated using the same rates and method applicable for the original machinery. In the case of Machinery spares procured separately for future use, rate equivalent to accumulated depreciation for the expired life of the relative machinery are charged in the year of acquisition along with depreciation for the year.

De-recognition:

An item of Property, Plant and Equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of Property, Plant and Equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in Statement of Profit or Loss.

1.5 Investment Property:

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied, or part occupied by the Group for its operations, is classified as Investment Property.

Investment Property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable, borrowing costs. Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred.

जब किराए पर दी गई संपत्ति को खाली कर दिया जाता है और प्रबंधन का इरादा अपनी व्यावसायिक जरूरतों के उद्देश्य के लिए खाली हिस्से का उपयोग करना होता है, तो निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा अन्य निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारतों के मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन के अनुरूप है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और उसके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। जब एक निवेश संपत्ति का हिस्सा बदल दिया जाता है, तो बदले गए हिस्से की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

सेवानिवृत्ति या निवेश संपत्ति के निपटान से होनेवाले अभिलाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त किया जाता है।

1.6 अमूर्त परिसंपत्ति

अनुसंधान एवं विकास

नए वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान व समझ को प्राप्त करने की संभावना के साथ किए गए अनुसंधान गतिविधियों पर किए गए व्यय को खर्च होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विकास गतिविधियों में नए या काफी बेहतर उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के उत्पादन के लिए एक योजना या डिज़ाइन शामिल है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल तभी जब निम्नलिखित सभी प्रदर्शित किए गए हों:

- विकास लागतों को मज़बूती से मापा जा सकता है;
- उत्पाद या प्रक्रिया, तकनीकी एवं वाणिज्य की दृष्टि से व्यवहार्य है ;
- भविष्य के आर्थिक लाभ संभाव्य है; तथा
- ग्रूप विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन/क्षमता रखने का इरादा रखता है।

पूँजीकृत किए जानेवाले व्यय में सामग्री की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग की ओर तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य लागतें शामिल हैं।

अनुवर्ती व्ययों को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है जब वे उस विशिष्ट परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों को पूँजीकृत किया जाता है और लागत कम संचित परिशोधन और संचित खराब हानियों पर ले जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को समेकित लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च अन्य परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के हिस्सा नहीं बनता है।

असीमित उपयोगी जीवन सहित अमूर्त परिसंपत्ति परिशोधित नहीं की जाती है, लेकिन प्रतिवर्ष हानि के लिए जाँच की जाती है। अनिश्चितकालीन जीवन आगे भी समर्थन योग्य होगा यह निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष असीमित काल के मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है। यदि नहीं है तो असीमित से सीमित की ओर उपयोगी जीवन का परिवर्तन संभावित आधार पर बनाया जाता है।

When a property given on rent is vacated and the management's intention is to use the vacated portion for the purpose of its own business needs, Investment Properties are reclassified as Buildings under Property, Plant and Equipment.

Depreciation on Investment Properties other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Investment properties are depreciated using the written down value method over their estimated useful lives which is consistent with the useful lives followed for depreciating Buildings under Property, Plant and Equipment. Depreciation on Investment Properties other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013.

An Investment Property is derecognised on disposal or when the Investment Property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. When part of an Investment Property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Gains or losses arising from the retirement or disposal of Investment Property is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognised in Statement of profit or loss.

1.6 Intangible Asset

Research and development

Expenditure on research activities undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding are recognised as an expense when incurred.

Development activities involve a plan or design for the production of new or substantially improved products and processes.

An internally generated intangible asset arising from development is recognised if and only if all of the following have been demonstrated:

- development costs can be measured reliably;
- the product or process is technically and commercially feasible;
- future economic benefits are probable; and
- the Group intends to and has sufficient resources / ability to complete development and to use or sell the asset.

The expenditure to be capitalised include the cost of materials and other costs directly attributable to preparing the asset for its intended use. Other development expenditure is recognised in profit or loss as incurred.

Subsequent expenditures are capitalised only when they increase the future economic benefits embodied in the specific asset to which they relate.

Intangible assets with finite useful lives are capitalized and carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of consolidated profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

परिशोधन को उनके आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी - रेखा प्रणाली के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत 3 वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है जबकि ई आर पी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को यथानुपात आधार पर 8 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क करार अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है। ट्रेड मार्क/पेटेंट 5 साल की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

ट्रेड मार्क व्यय

ट्रेड मार्क पंजीकरण पर खर्च हुए व्यय, चालू पूँजीगत कार्य के रूप में प्रगति पर माना जाएगा और लाइसेंस प्राप्त होते ही 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के अधीन पूँजीकृत किया जाएगा। इन लाइसेंसों पर खर्च हुए उत्तरवर्ती व्यय को ऐसे व्यय खर्च हुई अवधि में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, अनुमानित उपयोगी जीवन और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास/परिशोधन की विधि की समीक्षा की जाती है, अनुमान में किसी भी बदलाव के प्रभाव के साथ प्रत्याशित आधार पर हिसाब लगाया जा रहा है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या उपयोग या निपटान से कोई भविष्य आर्थिक फायदा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अस्वीकृत किया जाता है। एक अमूर्त संपत्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, परिसंपत्ति अस्वीकृत होते समय लाभ हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.7 पट्टा

पट्टेदार के रूप में ग्रूप

ग्रूप की पट्टे की परिसंपत्ति में मुख्य रूप से भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। अनुबंध की शुरुआत में ग्रूप इस का आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। यदि अनुबंध का विचार करने की ओर बदले में कुछ समय की अवधि पहचान की गई परिसंपत्तियों का उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है, का आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि :

- अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।
- ग्रूप को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक हित लाभ को काफी हद तक प्राप्त करने का अधिकार है।
- ग्रूप को परिसंपत्ति के उपयोग के निर्देश देने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तिथि पर ग्रूप परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयू) और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक समान पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें बारह महीने या उससे कम अवधिवाले पट्टों (अल्पावधि पट्टा) और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों को छोड़कर यह एक पट्टेदार है। इन अल्पावधि और कम मूल्य परिसंपत्ति के पट्टों के लिए ग्रूप, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे भुगतान को पहचानती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू की परिसंपत्ति और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा।

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized but are tested for impairment annually. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Amortization is recognized on a straight-line basis over their estimated useful lives.

The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 years on pro-rata basis. License fee paid is amortized equally over the agreement period.

Trademark / Patents are amortized over a period of 5 years.

Trademark Expenses

Expenses incurred on trademark registrations will be treated as Capital work in progress and will be capitalized under 'intangible assets' when licenses are received. Subsequent expenditure incurred on those licenses will be recognized as revenue expenses in the period in which such expenses are incurred.

The residual values, estimated useful life and method of depreciation / amortization of Intangible assets are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

De-recognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

1.7 Leases

Group as a lessee:

The Group's lease assets primarily consist of land, buildings, plant and machinery. The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract is or contains a lease, the Group assesses whether:

- i. The contract involves the right to control the use of an identified asset
- ii. The Group has right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of the lease and
- iii. The Group has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Group recognises a right-of-use asset (ROU) and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease. Certain lease arrangements include the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. ROU

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की शुरूआत की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे भुगतान के अलावा किसी भी पट्टे प्रोत्साहन से कम किसी भी प्रारंभिक सीधा लागत के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है। वे यदि कोई मूल्यहास और खराब हानि को कम संचित लागत पर तत्पश्चात् मापा जाता है तो परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, पट्टे की अल्पकालीन अवधि एवं अंतर्निहित परिसंपत्ति की लाभदायकता को सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है जब भी घटनाओं या परिसिधितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूल नहीं की जा सकती है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य के लिए वसूली योग्य राशि (यानी, बेचने के लिए कम लागत और उपयोग में मूल्य का उच्च उचित मूल्य) एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब तक परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि का निर्धारण नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टे देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम में वृद्धि करके और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम को कम करके पट्टा देयता को बाद में पुनः मापा जाता है।

पट्टे भुगतान का निर्धारण करने के लिए पट्टे अवधि में बदलाव या इंडेक्स या दर में बदलाव जैसी कुछ घटनाएं होने पर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है।

पट्टा देयता और परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार को तुलन पत्र में अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.8 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

ग्रूप की गैर-वित्तीय संपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या वहाँ कोई संकेत है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और एक क्षति हानि को मान्यता दी जाती है, यदि किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि समेकित लाभ और हानि के विवरण में इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम है।

उपयोग में मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का प्रयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर कटौती की जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार निर्धारण पर प्रतिबिंबित है और परिसंपत्तियों पर स्पष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकद प्रवाह का अनुमान समायोजित नहीं किया गया है।

सीजीयू के संबंध में पहचान की गयी क्षति हानि को पहले सीजीयू को आबंटित सद्भावना (यदि कोई हो) की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए निर्धारित किया जाता है, और फिर अनुपात के आधार पर सीजीयू (या सीजीयू के ग्रूप) की अन्य परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि को कम करने के लिए आबंटित किया जाता है।

सद्भावना के संबंध में एक क्षति हानि को बाद में उलट नहीं किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके लिए पूर्व अवधियों में क्षति हानि की पहचान की गई है, ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा करता है कि क्या कोई संकेत है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो क्षति हानि को उलट दिया जाता है। इस तरह का उत्क्रमण केवल उस सीमा तक किया जाता है

assets and lease liabilities includes these options when it is reasonably certain that they will be exercised.

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Right of use assets are evaluated for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (i.e., the higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the Cash Generating Unit (CGU) to which the asset belongs.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payment made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and Right of Use asset are separately presented in the Balance Sheet and lease payments are classified as financing cash flows.

1.8 Impairment of Non-financial assets

The Group's non-financial assets are assessed at each reporting date to determine whether there is any indication that the carrying amount may not be recoverable. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated, and an impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its estimated recoverable amount in the statement of consolidated profit and loss.

Recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted

Impairment loss recognised in respect of a CGU is allocated first to reduce the carrying amount of goodwill (if any) allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other assets of the CGU (or groups of CGUs) on a pro rata basis.

An impairment loss in respect of goodwill is not subsequently reversed. In respect of other assets for which impairment loss has been recognised in prior periods, the Group reviews at each reporting date whether there is any indication that the loss has decreased or no longer exists. An

कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई है, मूल्यहास या परिशोधन के निवल, यदि कोई क्षति हानि की पहचान नहीं की गई थी।

विकासीय परियोजनाओं के मामले में, भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान हाल के बजट या परियोजना से संबंधित पूर्वानुमानों के आधार पर लगाया जाता है, जो वर्तमान बाजार स्थितियों में समायोजित किया जाता है।

1.9 वस्तुसूची

कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, कार्य प्रगति, स्टॉक-इन-ट्रेड और स्पेयर और तैयार माल से युक्त मालसूची और कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है।

कच्चे माल, भंडार, पुर्जे, उपभोक्ता साधन और व्यापार माल की लागत में क्रय की लागत और कर और शुल्क शामिल है और पात्र कर क्रेडिट के निवल है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्रियाँ, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और अचल खर्च के उचित अनुपात शामिल है जो एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में अन्य संबंधित सभी लागत जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुए हैं।

कच्चे माल, भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यांकन के लिए औसतन भार फार्मुला का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रगति, संक्रमण में स्थित/निरीक्षणधीन सामग्रियों को वास्तविक प्रक्रिया लागत पर लिए जाते हैं। हर वर्ष में अप्रयुक्त ढीला औजारों को उनके उपयोगी कार्यकाल पर ध्यान रखकर पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं और पुनर्मूल्यांकित लागत पर लिये जाते हैं। विनिर्मित तैयार माल /व्यापार के लिए खरीदे गये मालों को, पात्र क्रेडिट के कर एवं शुल्क सहित न्यूनतम लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं। स्टॉक में विनिर्मित/विक्रय तैयार माल जिसका शेल्फ लाइफ रिपोर्टिंग तारीख से 3 महीनों के अंतर समाप्त होता है, को शून्य मूल्य पर लिए जाते हैं।

सामग्रियों/ तैयार उत्पादों के मर्दों की धीमी गति के संबंध में यदि कोई हानि के लिए प्रावधान उपयोगिता/विपणन योग्यता के संबंध में तकनीकी राय प्राप्त करने के बाद परिकल्पित किया जाता है। धीमी गति से चलनेवाली, अप्रचलित और अन्य गैर-बिक्री योग्य वस्तुसूची के लिए भत्ता निर्धारित करने में ग्रुप जिन कारकों पर विचार करता है, उनमें अनुमानित शेल्फ लाइफ जीवन, नियोजित उत्पाद विच्छेदन, मूल्य परिवर्तन, वस्तुसूची पुराना हो जाना और प्रतिस्पर्धी नए उत्पादों की शुरुआत शामिल हैं, इनमें से प्रत्येक कारक ग्रुप के व्यवसाय और बाजारों को कुछ हद तक प्रभावित करता है। ग्रुप इन सभी घटकों पर विचार करता है और आवधिक आधार पर अपने वास्तविक अनुभव को दर्शाने के लिए वस्तुसूची प्रावधान को समायोजित करता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य में वस्तुसूचियों के लिए व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राकलित विक्रय मूल्य समाप्ति की सभी प्राकलित लागत और बिक्री के लिए बनाई गयी आवश्यक लागत कम कर के प्रतिनिधान करता है।

1.10 नकद और नकद तुल्यांक

हस्तगत नकद और बैंक के साथ माँग जमा समावेशित है। नकद तुल्यांक अल्पावधि शेष (आमतौर पर 3 महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले) के है उच्च नकदी निवेश, जो नकद की ज्ञात रकम में आसानी से परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं। इंड एस 7 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट भी शामिल हैं जो माँग पर चुकाने योग्य होते हैं।

1.11 वित्तीय साधन

पहचान और प्रारंभिक मापन

जब जारी किए गए व्यापार प्राप्य और ऋण प्रतिभूतियाँ उत्पन्न होते ही उन्हें मान्यता दी जाती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में मान्यता दी जाती है जब ग्रुप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है।

impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. Such a reversal is made only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

In the case of projects under development, the future cash flows are estimated based on the most recent budgets or forecasts relating to the project, adjusted to the current market conditions.

1.9 Inventories

Inventories consisting of raw materials and packing materials, work-in-progress, stock-in-trade, stores and spares and finished goods and are measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost of raw materials, stores, spares, consumable tools and traded goods comprises cost of purchases and includes taxes and duties and is net of eligible tax credits. Cost of work-in-progress, and finished goods comprises direct materials, direct labour and an appropriate proportion of variable and fixed overheads, which is allocated on a systematic basis. Cost of inventories also includes all other related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

The weighted average formula is used for the valuation of raw materials, stores and spares. Work-in-progress, materials in transit/under inspection is carried at actual process cost. Unused Loose Tools are revalued every year taking into account the useful life of the tools and carried at the revalued cost. Finished goods manufactured/goods purchased for trading are valued at lower of cost/net realizable value, including taxes and duties net of eligible tax credits. Manufactured / traded finished goods in stock other than pharmaceutical products whose shelf life expires within three months from the reporting date are taken at NIL value.

The provision for loss if any in respect of slow-moving items of materials / finished products are accounted after obtaining the technical opinion regarding the usability / marketability. The factors that the Group considers in determining the allowance for slow moving, obsolete and other non-saleable inventory include estimated shelf life, planned product discontinuances, price changes, ageing of inventory and introduction of competitive new products, to the extent each of these factors impact the Group's business and markets. The Group considers all these factors and adjusts the inventory provision to reflect its actual experience on a periodic basis.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

1.10 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (usually having a maturity period of 3 months or less), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. For the purpose of cash flow statement as per Ind AS 7, Cash Equivalents also include Bank Overdraft and Cash credit which are repayable on demand.

1.11 Financial Instruments

Recognition and initial measurement

Trade receivables and debt securities issued are initially recognised when they are originated. All other financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Group becomes a

एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, जैसा उचित हो, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के सीधे अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागतों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

- i) प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को
 - परिशोधित लागत
 - अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
 - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
 पर माप कर वर्गीकृत किया जाता है।
- ii) एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में नामित नहीं किया गया है।
 - परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है; तथा
 - वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।
- iii) एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।
- iv) सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें ऊपर वर्णित जैसे परिशोधित लागत पर मापा गया या एफवीओसीआई में मापा गया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो एफवीटीपीएल में मापा जाता है। इसमें सभी व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रारंभिक मान्यता पर, ग्रुप एक वित्तीय परिसंपत्ति को अपरिवर्तनीय ढंग से नामित कर सकता है जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत पर या एफवीओसीआई में मापी जानेवाली आवश्यकताओं को पूरा करता है यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होनेवाले लेखांकन बेमेल को समाप्त या महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है।
- v) एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश आय सहित निवल लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।
 एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में अन्य व्यापक आय में पहचान की गयी उचित मूल्य परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश सहित आय को समेकित लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
 परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ - इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके

party to the contractual provisions of the instrument.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in the statement of consolidated profit and loss.

Classification and subsequent measurement

Financial assets

- i) On initial recognition, a financial asset is classified as measured at
 - Amortised cost
 - Fair value through other comprehensive income
 - Fair value through profit and loss
- ii) A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
 - The asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual flows; and
 - The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- iii) A financial asset is subsequently measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- iv) All financial assets not classified as measured at amortised cost or as measured at FVOCI as described above are measured at FVTPL. This includes all derivative financial assets. On initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise.
- v) Financial assets at FVTPL – These are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest or dividend income, are recognised in profit or loss.

Financial assets at FVOCI – These assets are subsequently measured at fair value, with fair value changes recognised in other comprehensive income. Income, including any interest or dividend, are recognised in statement of consolidated profit and loss.

Financial assets at amortised cost – These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. The amortised cost is reduced by impairment

परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत क्षति हानि से कम की जाती है। किसी ब्याज सहित आय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि और क्षति हानि को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।

- vi) वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि यदि और इस अवधि में ग्रूप अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलता है।

वित्तीय देयताएँ

- i) वित्तीय देयताओं को परिशोधन लागत पर मापने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या
- ii) एक वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे होल्ड-फॉर-ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या यह एक व्युत्पन्न है या इसे प्रारंभिक मान्यता इस तरह नामित किया गया है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी ब्याज व्यय सहित निवल लाभ व हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।
- iii) अन्य वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ब्याज व्यय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है। गैर-मान्यता पर किसी भी लाभ या हानि को भी लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह किसी लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित करता है, तो ग्रूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर देता है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया गया है या जिसमें ग्रूप स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो हस्तांतरित करता है और न ही बरकरार रखता है और वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

ग्रूप लेनदेन में प्रवेश करता है जिससे वह अपनी तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है लेकिन हस्तांतरित परिसंपत्तियों के सभी या पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और प्रतिफलों को बरकरार रखता है, हस्तांतरित परिसंपत्ति को अमान्य नहीं किया जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त व प्राप्य राशि के बीच का अंतर संचयी अभिलाभ या हानि है जिसे समेकित लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाना है।

वित्तीय देयता

ग्रूप एक वित्तीय देयता को तब मान्यता देता है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द या समापन हो जाता है। गैर- मान्यता प्राप्त वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और भुगतान व देय प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को समेकित अभिलाभ एवं हानि के विवरण में लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब वित्तीय देयता की शर्तों में संशोधन किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी भिन्न होता है, तो ग्रूप इसको भी मान्यता देता है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देयता को उचित मूल्य पर अमान्य किया जाता है। समाप्त की गई वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच के अंतर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य

अपने वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित करने में, ग्रूप विभिन्न तरीकों और मान्यताओं का उपयोग करता है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद बाजार तिथियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों में रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार मूल्य और डीलर उद्धरण शामिल हैं। उचित

losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment losses are recognised in profit and loss.

- vi) Financial assets are not re-classified subsequent to their initial recognition, except if and in the period the Group changes its business model for managing its financial assets.

Financial liabilities

- i) Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or
- ii) A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, or it is a derivative or it is designated as such in initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in profit and loss.
- iii) Other financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest expense, foreign exchange gains and losses are recognised in profit and loss. Any gain or loss on de-recognition is also recognised in profit and loss.

De-recognition

Financial assets

The Group de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its balance sheet but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets, the transferred assets are not derecognised.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is the cumulative gain or loss that has to be recognised in the statement of consolidated profit and loss.

Financial liabilities

The Group de-recognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability de-recognised and the sum of consideration paid and payable is recognised as gain or loss in the statement of consolidated profit and loss.

The Group also de-recognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows under the modified terms are substantially different. In this case, a new financial liability based on modified terms is recognised at fair value. The difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new financial liability with modified terms is recognised in profit and loss.

Fair Value of Financial Instruments

In determining the fair value of its financial instruments, the Group uses a variety of methods and assumptions that are based on market conditions and risks existing at each reporting date. The methods used to determine fair value include discounted cash flow analysis, available

मूल्य का आकलन करने के सभी तरीके जिसके परिणामस्वरूप मूल्य का सामान्य अनुमान लगाया जाता है, और ऐसा मूल्य वास्तव में कभी भी वसूल नहीं किया जा सकता है।

ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि, तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती है, जब और केवल तभी जब राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो और इसका इरादा या तो उन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करना है और देयताओं को एक साथ निपटाने का है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

ग्रूप वित्तीय परिसंपत्ति पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए हानि भत्ता को मान्यता देता है जिसे एफवीटीपीएल में नहीं मापा गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ग्रूप यह आकलन करता है कि क्या परिशोधन लागत/ एफवीओसीआई पर ले जानेवाली ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ, क्रेडिट-हानि है। जब एक या अधिक घटनाएँ होती हैं तो एक वित्तीय परिसंपत्ति, क्रेडिट हानि होती है जिनका वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

ग्रूप बैंक शेष को छोड़कर जीवन भर की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर हानि भत्ता को मापता है, जिसे 12 महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के रूप में मापा जाता है, जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ते को हमेशा आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय साधन के प्रत्याशित जीवन पर सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली प्रत्याशित क्रेडिट हानि है। 12 महीने का ईसीएल, ईसीएल का एक हिस्सा है, जो डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन :

व्यापार प्राप्य के लिए आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानि 'ईसीएल' भत्ता को मापने के लिए ग्रूप ने इंड एएस 109 'वित्तीय साधनों' के तहत एक मॉडल अपनाया है। मॉडल प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को क्रेडिट हानियों के संभाव्यता-वारित अनुमान के रूप में निर्धारित करता है।

क्षति हानियों और उत्क्रमणों को समेकित लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

परिशोधन लागत पर /एफवीओसीआई पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ते को परिसंपत्तियों की सकल अग्रणीत राशि से घटाया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि को इस सीमा तक बढ़े खाते में डाल (आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से) दिया जाता है कि वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

1.12 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष प्रणाली के उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर नकदी प्रकृति के और किसी आस्थगन या गत या भविष्य कैश आवतियों के प्रोद्भवन या भुगतान के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों के लाभ/(हानि) और कर समायोजित किया जाता है। ग्रूप के प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रबंध कार्यकलापों से होनेवाले नकदी प्रवाह को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अलग किया जाता है।

1.13 राजस्व मान्यता

माल की बिक्री :

ग्रूप, गर्भनिरोधक, अस्पताल उत्पाद, महिला स्वास्थ्य रक्षा फार्मा और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद जैसे अपने उत्पादों की एक शृंखला से राजस्व उत्पन्न करता है।

माल की बिक्री से होनेवाले राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब बेचे जा रहे उत्पादों का नियंत्रण हमारे ग्राहक को हस्तांतरित

quoted market prices and dealer quotes. All methods of assessing fair value resulting general approximation of value, and such value may never actually be realized.

Offsetting:

Financial assets and financial liabilities are offset, and net amount presented in the balance sheet when, and only when there is a legally enforceable right to set off the amounts and it intend either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of financial assets

The Group recognises loss allowance for expected credit loss ('ECL') on financial asset which are not measured at FVTPL. At each reporting date, the Group assess whether such financial assets carried at amortised cost / FVOCI are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

The Group measures loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses except for bank balances which are measured as 12 month expected credit losses for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to lifetime expected credit losses.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

Measurement of expected credit losses:

The Group has adopted a model, as permitted under Ind AS 109 "Financial Instruments", for measuring lifetime expected credit loss "ECL" allowance for trade receivables. The model determines the expected credit losses as the probability-weighted estimate of credit losses.

The impairment losses and reversals are recognised in statement of consolidated profit and loss.

Loss allowance for financial assets measured at amortised cost / at FVOCI are deducted from gross carrying amount of the assets. The gross carrying amount of a financial assets is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery.

1.12 Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Group are segregated based on audited financial statements.

1.13 Revenue recognition

Sale of goods:

The Group generates revenue from a range of its products viz., Contraceptives, Hospital products, Women Healthcare Pharma and Personal hygiene products.

Revenue from sale of goods is recognised when control of the products being sold is transferred

किया जाता है और जब कोई अधूरा दायित्व नहीं रह जाता है। हमारे अनुबंधों में निष्पादन दायित्वों का प्रेषण वितरण के समय या ग्राहक की शर्तों के आधार पर औपचारिक ग्राहक स्वीकृति पर पूरा किया जाता है। राजस्व को किसी भी व्यापार छूट, मात्रा में छूट और सरकार की ओर से एकत्र किए गए किसी भी कर या शुल्क जैसे माल और सेवा कर आदि की कटौती के बाद अनुबंधित मूल्य के आधार पर मापा जाता है। इस तरह की छूट और घटौती के प्रावधान का अनुमान लगाने के लिए संचित अनुभव का उपयोग किया जाता है। राजस्व केवल इस हद तक पहचाना जाता है कि यह अत्यधिक संभावना है कि एक महत्वपूर्ण उलटाव नहीं होगा।

सेवाओं का समर्पण :

ग्रुप स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं, प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाओं, रीटेल फार्मसी सेवाओं, अवसंरचना विकास सेवाओं, परियोजना प्रबंधन परामर्श व संबद्ध सेवाओं, सुविधा प्रबंधन सेवाओं और प्रापण परामर्श सेवाओं से राजस्व अर्जित करता है।

प्रदान की गई सेवाओं से आय को ग्राहकों के साथ समझौतों/व्यस्थाओं के आधार पर मान्यता दी जाती है जैसा कि सेवा की जाती है और कोई अधूरे दायित्व नहीं हैं। सेवाओं से राजस्व के संबंध में ग्रुप समय की अवधि में मान्यता का पालन करता है।

अन्य प्रचालन राजस्व :

अन्य प्रचालन राजस्वों में ग्रुप के प्रचालनों से आनुषंगिक सहायक गतिविधियों से आय शामिल है और जब ठेका के शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब पहचान किया जाता है।

निर्यात बिक्री से संबंधित शुल्क वापसी /निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात के वर्ष में परिकलित किए जाते हैं।

1.14 अन्य आय

बीजक में निर्धारित जैसे विविध देनदारों से देरी से की गई वसूली के लिए यदि कोई ब्याज आय है तो की पहचान नहीं की गयी है तो, प्राप्त होने पर वसूल किया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा आय प्रोद्भवन आधार पर परिकलित किए जाते हैं।

1.15 विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण

ग्रुप के वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जो इसके कार्यात्मक मुद्रा भी है।

यदि लेन-देन की तिथि पर औसत दर, वास्तविक दर का अनुमान लगती है, तो विदेशी मुद्राओं में लेन-देन, इसकी तारीखों पर विनिमय दरों पर या औसत दर पर ग्रुप की कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित की मौद्रिक परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य निर्धारित होने पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में बदल दिए जाते हैं। गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताएँ जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दर पर बदल दिए जाते हैं। योग्य नकदी प्रवाह हेजेज, जो प्रभावी होते हैं और जिन्हें ओसीआई में मान्यता प्राप्त है, को बदलने से उत्पन्न होनेवाले विनिमय मतभेदों को छोड़कर, विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1.16 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान (निर्यात प्रोत्साहन सहित) तभी स्वीकृत किया जाता है जब उचित आश्वासन मिलता है कि ग्रुप उनके साथ संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होगा।

to our customer and when there are no longer any unfulfilled obligations. The Performance Obligations in our contracts are fulfilled at the time of dispatch, delivery or upon formal customer acceptance depending on customer terms. Revenue is measured on the basis of contracted price, after deduction of any trade discounts, volume rebates and any taxes or duties collected on behalf of the Government such as goods and services tax, etc. Accumulated experience is used to estimate the provision for such discounts and rebates. Revenue is only recognised to the extent that it is highly probable a significant reversal will not occur.

Rendering of services:

The Group generates revenue from Healthcare Services, Laboratory and Diagnostic Services, Retail Pharmacy Services, Infrastructure Development services, Project Management Consultancy and allied services, Facility Management Services, and Procurement Consultancy Services.

Income from services rendered is recognised based on agreements/arrangements with the customers as the service is performed and there are no unfulfilled obligations. In respect of revenue from services the Group follows recognition over a period of time.

Other Operating Revenues:

Other operating revenues comprise of income from ancillary activities incidental to the operations of the Group and is recognized when the right to receive the income is established as per the terms of the contract.

Duty drawback/export incentive in respect of export sales are accounted in the year of export.

1.14 Other Income

Interest income if any for delayed realization from Trade debtors as stipulated in invoices is not recognized, unless realized. Income other than the above are accounted on accrual basis.

1.15 Foreign currency transactions and translations

The Group's financial statements are presented in Indian Rupee (₹), which is also its functional currency.

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency of the Group, at the exchange rates at the dates of the transactions or an average rate if the average rate approximates the actual rate at the date of the transaction.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional currency at the exchange rate at the reporting date. Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair value in a foreign currency are translated into the functional currency at the exchange rate when the fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that are measured based on historical cost in a foreign currency are translated at the exchange rate at the date of the transaction. Exchange differences are recognised in profit or loss, except exchange differences arising from the translation of qualifying cash flow hedges to the extent that the hedges are effective, which are recognised in OCI.

1.16 Government grants

Government grants are recognized only when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received.

राजस्व मदों के स्वरूप में सरकारी अनुदान को एक अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के विवरणों में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें ग्रूप संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मानी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बिक्रियों से संबंधित राजस्व अनुदान/इमदाद (उत्पाद इमदाद के अलावा) को अन्य आय के अधीन अलग रूप से प्रकट किए जाते हैं जब कि उत्पाद इमदाद को बिक्री और सेवाओं के अधीन प्रकट किए जाते हैं।

मूल्यहास परिसंपत्ति के प्रति अनुदान के संबंध में परिसंपत्ति की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया जाता है और उस पर अनुदान को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसको उस अवधि पर मूल्यहास चार्ज किए अनुपात में लाभ या हानि विवरण में आय के रूप में पहचान किया जाता है। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं।

जब कंपनी को गैर मौद्रिक परिसंपत्ति का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य में अभिलेखित हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के हितलाभ के उपभोग के रूप में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समेकित लाभ एवं हानि खाते में जारी मान्यता प्राप्त है।

सरकारी अनुदान जो चुकाने योग्य हो जाता है, उसे लेखांकन अनुमान (इंड एस 8, लेखा नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन) में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। आय से संबंधित अनुदान की चुकौती को पहले अनुदान के संबंध में मान्यता प्राप्त किसी भी परिशोधित आस्थगित ऋण के लिए लागू किया जाता है। इस हद तक कि चुकौती ऐसे किसी भी आस्थगित ऋण से अधिक है, या जब कोई आस्थगित ऋण मौजूद नहीं है तो चुकौती को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

किसी परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान की चुकौती को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करके या आस्थगित आय शेष को प्रतिदेय राशि से घटाकर मान्यता दी जाएगी। संचयी अतिरिक्त मूल्यहास जिसे अनुदान के अभाव में आज तक लाभ या हानि में मान्यता दी गई होगी, को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाएगी।

1.17 कर्मचारी फायदे

निर्धारित लाभ योजना:

उपदान

ग्रूप, पात्र स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना (उपदान योजना) प्रदान करता है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, क्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और ग्रूप के साथ रोजगार की अवधि के आधार पर एक रकम का एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। भारतीय कानून द्वारा अनुमत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक योजना में योगदान का निवेश किया जाता है।

इन निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में देयताएँ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन के ज़रिए निर्धारित की जाती है। ये निर्धारित लाभ योजनाएँ ग्रूप को बीमांकिक जोखिमों, जैसे दीर्घायु जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम और बाज़ार जोखिम के लिए प्रकट करती हैं।

ग्रूप अपनी तुलन पत्र में एक निर्धारित लाभ योजना के निवल दायित्व को एक परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता देता है। निवल निर्धारित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनःमाप के माध्यम से लाभ और हानि को अन्य व्यापक आयमान्यता दी जाती है और बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। निर्धारित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दर को लागू करके गणना की गई आय से अधिक योजना परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का वास्तविक रिटर्न, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। किसी भी योजना संशोधन के प्रभाव को समेकित लाभ व हानि के विवरण में निवल लाभ में मान्यता दी जाती है।

मुआवज़ा अनुपस्थिति

ग्रूप को केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए मुआवज़ा अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो संचित और गैर-संचित दोनों हैं। अनुपयोगी पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की जानेवाली/प्राप्त की जानेवाली अतिरिक्त राशि पर प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट

Government grants in the nature of revenue items are recognized in the statement of profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

Revenue grants/subsidy (other than product subsidy) relating to sales are disclosed separately under other operating revenues, whereas product subsidy is disclosed under sales and services.

In respect of grants against depreciable asset, the cost of the asset is shown at gross value and grant thereon is treated as capital grant, which are recognized as income in the statement of profit or loss over the period and the proportion in which depreciation is charged. Government grants related to assets are presented in the Balance sheet as Deferred Grant

When the Group received grant of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at fair value and recognised in the consolidated profit and loss account over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

A Government grant that becomes repayable is accounted for as a change in accounting estimate (Ind AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). Repayment of a grant related to income is first applied against any unamortised deferred credit recognised in respect of the grant. To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment is recognised immediately in profit or loss.

Repayment of a grant related to an asset shall be recognised by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. The cumulative additional depreciation that would have been recognised in profit or loss to date in the absence of the grant shall be recognised immediately in profit or loss.

1.17 Employee benefits

Defined Benefit Plans

Gratuity

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan ('the Gratuity Plan') covering eligible permanent and temporary employees. The Gratuity Plan provides a lump-sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment with the Group. The contributions are invested in a scheme with the Life Insurance Corporation of India as permitted by Indian law.

Liabilities with regard to these defined benefit plans are determined by actuarial valuation, performed by an independent actuary, at each Balance Sheet date using the projected unit credit method. These defined benefit plans expose the Group to actuarial risks, such as longevity risk, currency risk, interest rate risk and market risk.

The Group recognizes the net obligation of a defined benefit plan in its Balance Sheet as an asset or liability. Gains and losses through re-measurements of the net defined benefit liability/ (asset) are recognized in other comprehensive income and are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. The actual return of the portfolio of plan assets, in excess of the yields computed by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation is recognized in other comprehensive income. The effect of any plan amendments is recognized in net profit in the Statement of Consolidated Profit and Loss.

Compensated Absences

The Group has a policy on compensated absences only to permanent employees which are both

पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के ज़रिए मुआवज़ा की अनुपस्थिति को संचित करने की अपेक्षित लागत निर्धारित की जाती है जो तुलन पत्र की तारीख में जमा हो गया है। गैर-संचित मुआवज़ा अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

रोज़गार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोज़गार के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, संहिता लागू होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। ग्रूप संहिता लागू होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगा और संहिता लागू होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।

निर्धारित अंशदान योजना

भविष्य निधि

ग्रूप के योग्य कर्मचारियों को भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, एक पोस्ट-रोज़गार लाभ, जिसके तहत पात्र कर्मचारी और ग्रूप दोनों पीएफ अधिकारियों को कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए ग्रूप का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा।

ईएसआई और अन्य अंशदान योजनाएँ

निर्धारित अन्य अंशदान योजनाओं, यानि अधिवर्षिता निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और आय निधियों के लिए कंपनी का अंशदान, के लिए भुगतान संगत विधियों के अधीन की योजनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है और भारग्रहण की अवधि में समेकित लाभ एवं हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जब सेवार्थ कर्मचारियों द्वारा समर्पित की जाती हैं। राशि का भुगतान संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को किया जाता है और ग्रूप को आगे कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित अंशदान योजना में कंपनी ने 9-10-2012 को कंपनी रॉल पर रहे स्थायी कर्मचारियों के लिए 1-4-2011 से प्रभावित अंशदायी पेंशन योजना भी शामिल हैं। ग्रूप कर्मचारियों से बराबरी अंशदान मूल वेतन एवं डी ए के 3% के साथ योगदान करेगी। पेंशन योजना जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंध किया जाता है। योगदान के अलावा ग्रूप को कोई और कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

निर्धारित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान समेकित लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

देयता, उस सेवा के बदले में लाभ की बेदाग राशि भुगतान करने की प्रतीक्षा में संबंधित सेवार्थ समर्पित करने की अवधि के वेतन, मज़दूरी, निष्पादन प्रोत्साहन, चिकित्सा लाभ और अन्य अल्पकालीन लाभों के संबंध में कर्मचारियों को उपार्जित करने के लाभ के लिए पहचान की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में पहचान की गयी देयतायें रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा दिये जाने के लिए प्रत्यक्ष भविष्य के अनुमानित नकद बहिर्वाह के विद्यमान मूल्य पर मापा जाता है।

सेवा समाप्ति लाभ :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन किए गए भुगतान को भारग्रहण पर लाभ और हानि की ओर प्रभारित किए गए हैं।

accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absences is determined by actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid / availed as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absences is recognized in the period in which the absences occur.

The Code on Social Security, 2020 relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Group will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

Defined Contribution Plans

Provident Fund

Eligible employees of the Group receive benefits from a provident fund, a post –employment benefit under which both the eligible employee and the Group make monthly contributions to the provident fund plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary to PF authorities and the Group will have no legal or constructive obligation to pay further amounts.

ESI and Other Contribution Plans

Payments to other defined contribution plans i.e., superannuation fund, Employee State Insurance and other funds are determined based on the schemes under the relevant statutes and charged to the Statement of Consolidated Profit and Loss in the period of incurrence when the services are rendered by the employees. The amounts are paid to respective government authorities and the Group has no further legal or constructive obligation.

Defined contribution plan also includes the Contributory pension scheme effective from 1-4-2011 for the permanent employees who are on the rolls of the Group as on 9-10-2012. Group contributes 3% of basic plus DA with a matching contribution from employees as per the pension scheme. The pension scheme is managed by LIC of India. The Group has no further legal or constructive obligation beyond the contribution.

Obligations for contributions to defined contribution plans are recognized as an employee benefit expense in the Statement of Consolidated Profit and Loss in the periods during which the related services are rendered by the employees.

Short-term and other long-term employee benefits:

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of salaries, wages, performance incentives, medical benefits and other short term benefits in the period the related service is rendered, at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination Benefits:

Payments made under Voluntary Retirement Scheme are charged to Statement of Consolidated Profit and Loss on incurrence.

1.18 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों, जो ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जिन्हें अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत, उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियाँ अपने उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों।

संपत्तियों/परिसंपत्तियों के ग्रुप के अर्जन के लिए विशेष रूप से लिए गए ऋण पर ब्याज परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों पर आनुपातिक रूप से आबंटित किया जाता है।

सभी अन्य उधार लागत उस अवधि जिसमें उनका खर्च किए गए हैं, में लाभ या हानि में पहचान की जाती है।

1.19 खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंड, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। ग्रुप का मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता, संसाधनों के आबंटन और प्रचालन खंडों के निष्पादन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

1.20 आय कर

आय कर खर्च, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है। चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचान की जाती है सिवाय वे जब इससे संबंधित मद अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचान किये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, उस अवसर पर चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी पहचान किये जाते हैं।

चालू कर :

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में समायोजन शामिल है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्त की जाने की उम्मीद की गई कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं को केवल तभी ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और इसका उद्देश्य, परिसंपत्ति का एहसास करना और देयता को निवल आधार पर या एक साथ निपटाना है।

आस्थगित कर :

आस्थगित कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानेवाली संगत राशियों के बीच के अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर निम्न के लिए मान्यता नहीं दी जाती है :

- लेन-देन में संपत्ति या देयताओं की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न अस्थायी अंतर जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और वह लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है।
- सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश से संबंधित अस्थायी मतभेद उस हद तक कि ग्रुप अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि वे निकट भविष्य में उलट नहीं होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ-गैर-मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त,

1.18 Borrowing costs

The borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Interest on loan taken specifically for acquiring assets/group of assets, are proportionately allocated to respective assets based on asset value.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

1.19 Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker of the Group is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.

1.20 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

Current Tax:

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax reflects the best estimate of the tax amount expected to be paid or received after considering the uncertainty, if any, related to income taxes. It is measured using tax rates (and tax laws) enacted or substantively enacted by the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset only if there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and it is intended to realise the asset and settle the liability on a net basis or simultaneously.

Deferred Tax:

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for:

- temporary differences arising on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.
- temporary differences related to investments in subsidiaries, associates and joint arrangements to the extent that the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets – unrecognised or recognised, are reviewed at each reporting date and are recognised/ reduced to the extent that it is probable/

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक मान्यता प्राप्त/कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना/अब संभावित नहीं है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का प्राप्त किया जाता है या देयता का निपटारा किया जाता है, जो उन कानूनों के आधार पर होता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से ग्रूप अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर उम्मीद करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताएँ ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देयताएँ और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई या विभिन्न कर संस्थाओं पर वसूल किए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन वे वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को निवल आधार पर निपटाने का इरादा रखते हैं या उनकी कर परिसंपत्ति और देयताएँ एक साथ वसूली की जाएंगी।

कर की स्थिति

अनिश्चित कर स्थितियों के प्रोद्भवन के लिए प्रबंधन को संभावित जोखिमों के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रोद्भवन को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य राशि का उपयोग करके मापा जाता है, जिसके आधार पर इकाई अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी करने की अपेक्षा करती है। कर लाभों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि प्रबंधन लागू कानूनों और वियमों की व्याख्या के आधार पर और कर प्राधिकरण मामले को कैसे हल करेगा, इसकी अपेक्षा के आधार पर समाप्त नहीं होता है कि इस तरह के लाभ अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। एक बार स्वीकार नहीं किए जाने के संभावित माने जाने पर प्रबंधन प्रत्येक भौतिक कर लाभ की समीक्षा करता है और संबंधित कर योग्य राशियों के निर्धारण में अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाता है।

1.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

गत घटना के परिणामस्वरूप जब ग्रूप को विद्यमान दायित्व है (विधिक या निर्माणात्मक), प्रावधानों को पहचान किया जाता है, यह संभावित है कि ग्रूप को दायित्व का निपटान करना अपेक्षित होगा और दायित्व की रकम का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जब ग्रूप कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करता है, उदाहरण के लिए, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति निश्चित हो। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के समेकित लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष है, तो प्रावधान पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं जो पैसे के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में नहीं पहचान की गयी हैं, इसलिए इस रकम कभी भी वसूल नहीं किये जाने वाले आय की स्वीकृति में परिणत होगी। तथापि, जब रकम की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है तब संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है और पहचान की जाती है।

आकस्मिक देयता पिछली घटनाओं से उत्पन्न कर रहे एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व को पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे नहीं पहचान की गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभवाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों को राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का

no longer probable respectively that the related tax benefit will be realised.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

Tax position:

Accruals for uncertain tax positions require management to make judgments of potential exposures. Accruals for uncertain tax positions are measured using either the most likely amount or the expected value amount depending on which method the entity expects to better predict the resolution of the uncertainty. Tax benefits are not recognised unless the management based upon its interpretation of applicable laws and regulations and the expectation of how the tax authority will resolve the matter concludes that such benefits will be accepted by the authorities. Once considered probable of not being accepted, management reviews each material tax benefit and reflects the effect of the uncertainty in determining the related taxable amounts.

1.21 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Group expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is certain. The expense relating to a provision is presented in the Statement of Consolidated Profit and Loss net of any reimbursement.

If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

Contingent assets are not generally recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of income that may never be realised. Contingent assets, whose realization of income is virtually certain, are disclosed separately. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and is recognized.

Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Group or a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not possible that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts and reviewed at each Balance Sheet date to reflect the

प्रकटीकरण किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.22 पूर्व प्रदत्त खर्च

प्रति रु.10000/- तथा उससे कमवाले के मदों से संबंधित पूर्व प्रदत्त खर्च राजस्व की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.23 बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

यदि रखाव रकम उनके निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी तो गैर चालू परिसंपत्तियों और निपटान ग्रूप को बिक्री के लिए रखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) उनकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तब माना जाता है, बशर्त कि ऐसी परिसंपत्ति (या निपटान ग्रूप) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत होती है और इसकी बिक्री अत्याधिक संभावित होती है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद की जानी है।

बिक्री के लिए रखे वर्गीकृत गैर चालू परिसंपत्तियों (और निपटान ग्रूप) इनके रखाव रकम के न्यूनतम पर मापा जाता है और बेचने के लिए उचित मूल्य के कम लागत न्यूनतम से मापा जाता है और बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

1.24 प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं हल्का ईपीएस रकम वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा इक्विटी धारकों को देने की ओर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर मूल एवं हल्का आय*		
	31.03.2022	31.03.2021
निवल लाभ का अंश ₹ करोड़ों में		
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कर के बाद लाभ	414.22	105.81
डिनॉमिनेटर- अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की औसत संख्या	15535000	15535000
शेयरों की संख्या- मूल & हल्का	15535000	15535000
अर्जन प्रति शेयर (₹)		
मूल (प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य)	266.63	68.11
हल्का(प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य)	266.63	68.11

1ख महत्वपूर्ण लोखांकन अनुमान और निर्णय

इंड एस के साथ समनुरूपता में वित्तीय विवरण की तैयारी प्रबंध को वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं की रकम (प्रासंगिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचार करके निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान बनाना अपेक्षित है।

निर्णय, आकलन और संबंधित धारणाएँ, ऐतिहासिक अनुभव और अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के प्रभाव के आकलन सहित अन्य घटकों पर आधारित होती है, जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

current management estimate.

1.22 Prepaid Expenses

Prepaid expenses of items of ₹10000/- each and below are charged off to the revenue.

1.23 Non-current assets held for sale

Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (and disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs of disposal. Noncurrent assets held for sale are not depreciated or amortised.

1.24 Earnings per Share

Basic and Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

Basic and Diluted Earnings per share *		
	31.03.2022	31.03.2021
Numerator Net Profit ₹. In Crores		
Profit after Tax as per Statement of Profit & Loss	414.22	105.81
Denominator - Average No. of Equity Shares outstanding during the period	15535000	15535000
No. of Shares - Basic & Diluted	15535000	15535000
Earnings per share (₹)		
Basic (Face Value of ₹ 10/- per share)	266.63	68.11
Diluted (Face Value of ₹ 10/- per share)	266.63	68.11

1B Critical accounting estimation and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS, requires the Management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year.

The judgements, estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors including estimation of effects of uncertain future events that are considered to be relevant. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized.

प्रासंगिक व्यय

कानूनी, ठेकादार, भूमि पहुँच और अन्य दावाएं सहित ग्रूप के खिलाफ दावों के संबंध में सामान्य व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से प्रासंगिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनकी प्रकृति से, आकस्मिक व्यय का समाधान किया जाएगा। जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं होती हैं, या होने में विफल हो जाता है। अस्तित्व का मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय के संभावित मात्रा के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय और भविष्य घटनाओं के परिणाम के संबंध में स्वाभाविक रूप से अनुमानों का उपयोग शामिल है।

आकलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख में भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और अनिश्चितता आकलन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के रखाव रकम को प्रत्यक्ष समायोजन को कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ये नीचे वर्णित हैं। भविष्य के विकास के संबंध विद्यमान स्थिति और पूर्वानुमान जैसे भी हो, बाज़ार के परिवर्तन या ग्रूप के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से हैं। परिवर्तन हो जायें जो ऐसे परिवर्तन जब होते हैं, पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।

निर्धारित हितलाभ योजना/अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमांकिक मूल्यांकन उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाने में शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो। इन में छूट दर, भविष्य की वेतन की वृद्धियाँ और मृत्यु दर का निर्धारण समाविष्ट हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में जुड़े जटिलता के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन करना अत्यधिक भावुक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में सभी धारणाएं समीक्षा की जाती हैं।

परिवर्तन के अधीन सबसे अधिक पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न परियोजनाओं के प्रत्याशित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है, उनके उचित मूल्य स्तर -2, स्तर -3 इनपुटों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट्स जहाँ संभव हो निरीक्षण बाज़ारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, तो उचित मूल्यों को संस्थापित करने के लिए अपने विवेक के अनुसार एक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में मूल्य आकलन, मात्रा आकलन, दर आकलन आदि जैसे इनपुटों के विचार शामिल हैं। इन घटकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गये उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

व्यापार प्रायों के लिए खराब हानि प्रावधान, अदायगी न करना और अपेक्षित हानि दर के जोखिम के बारे में धारणाओं पर आधारित है। ग्रूप इन पूर्वानुमानों को बनाने और कंपनी के विगत इतिहास के आधार पर खराब हानि के गणना के लिए इनपुट और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अन्य घटकों के चयन करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है।

राजस्व

ग्राहकों के साथ ग्रूप के अनुबंधों में एक ग्राहक को कई उत्पादों और सेवाओं को हस्तांतरित करने का वादा शामिल है। ग्राहक अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को मान्यता और माप के लिए माना जाता है जब पार्टियों द्वारा अनुबंध को लिखित रूप में अनुमोदित

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Group, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgement and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising that are beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Defined benefit plans / Other Long term employee benefits

The cost of the defined benefit plans and other long term employee benefit plans are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates.

Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

The parameter most subject to change is the discount rate. The management considers the interest rates of government securities based on expected settlement period of various plans.

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the discounted cash flow (DCF) model based on level-2 and level-3 inputs. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as price estimates, volume estimates, rate estimates etc. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Impairment of financial assets

The impairment provisions for trade receivables are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Group uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation based on the Group's past history and other factors at the end of each reporting period.

Revenue

The Group's contracts with customers include promises to transfer multiple products and services to a customer. Revenues from customer contracts are considered for recognition and

किया गया है, अनुबंध के पार्टों, अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। ग्रुप अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का आकलन करता है और अनुबंध में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान करता है। बाँटने योग्य को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान और ऐसे बाँटने योग्य से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने के लिए ग्राहक की क्षमता और इन विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य के आबंटन में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

आयकर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रदत्त/वसूली की अपेक्षित राशि सहित आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली का आकलन करने में, प्रबंधन इस बात पर विचार करता है कि क्या कुछ भाग या सभी आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली नहीं की जाएगी। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्त अवधि के दौरान भावी कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन को करने में आस्थगित आयकर देयताओं, अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों के अनुसूचित उत्क्रमण पर विचार करता है। ऐतिहासिक कर योग्य आय के स्तर और अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर जिसमें आस्थगित आयकर परिसंपत्ति कटौती योग्य है, प्रबंधन का मानना है कि ग्रुप उन कटौती योग्य अंतरों के लाभों को माना जाएगा। वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की राशि हालांकि निकट अवधि में कम की जा सकती है यदि आगे ले जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान कम कर दिया जाता है।

2 समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त प्रकटीकरण/ स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे जैसे हैं :

(₹ लाखों में)

क्र.सं		31.03.2022	31.03.2021
(क)	वर्षांत में अप्रदत्त शेष मूल राशि	31.06	11.51
(ख)	वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदत्त मूल राशि का विलंबित भुगतान	शून्य	शून्य
(ग)	एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त वास्तविक ब्याज	शून्य	शून्य
(घ)	सहमत शर्तों के अनुसार सभी विलंबित भुगतान के लिए वर्ष के दौरान देय एवं प्रदत्त सामान्य ब्याज	शून्य	शून्य
(ङ)	वर्ष के दौरान कुल उपार्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष	शून्य	शून्य

कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचान की गयी ऐसी पार्टियों की सीमा तक इस सूचना को निर्धारित किया गया है।

measurement when the contract has been approved, in writing, by the parties to the contract, the parties to contract are committed to perform their respective obligations under the contract, and the contract is legally enforceable. The Group assesses the services promised in a contract and identifies distinct performance obligations in the contract. Identification of distinct performance obligations to determine the deliverables and the ability of the customer to benefit independently from such deliverables, and allocation of transaction price to these distinct performance obligations involves significant judgement.

Income Tax

Significant judgments are involved in determining the provision for income taxes, including amount expected to be paid/recovered for uncertain tax positions. In assessing the realizability of deferred income tax assets, management considers whether some portion or all of the deferred income tax assets will not be realized. The ultimate realization of deferred income tax assets is dependent upon the generation of future taxable income during the periods in which the temporary differences become deductible. Management considers the scheduled reversals of deferred income tax liabilities, projected future taxable income and tax planning strategies in making this assessment. Based on the level of historical taxable income and projections for future taxable income over the periods in which the deferred income tax assets are deductible, management believes that the Group will realize the benefits of those deductible differences. The amount of the deferred income tax assets considered realizable, however, could be reduced in the near term if estimates of future taxable income during the carry forward period are reduced.

2 Additional Disclosures/ Explanatory Notes to Consolidated Financial Statements

2.1 Disclosures required by the Micro, Small and Medium Enterprises Development [MSMED] Act, 2006 are as under:

(₹ in Crs)

SI No.		31.03.2022	31.03.2021
(a)	The principal amount remaining unpaid at the end of the year.	31.06	11.51
(b)	The delayed payments of principal amount paid beyond the appointed date during the year.	Nil	Nil
(c)	Interest actually paid under Section 16 of the MSMED Act.*	Nil	Nil
(d)	Normal interest due and payable during the year, for all the delayed payments, as per the agreed terms.	Nil	Nil
(e)	Total interest accrued during the year and remaining unpaid.	Nil	Nil

This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Group.

कंपनी, प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावा/अधिनिर्णय के मामले में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत देय ब्याज. यदि कोई हो, का अनुमान लगाने और प्रदान करने की प्रथा का पालन कर रही है।

2.2 समनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व की सीमा निम्नानुसार है।

सहायक कंपनी/संयुक्त नियंत्रित कंपनी का नाम	संस्थापन देश	संबंध	31.03.2022 को स्वामित्व ब्याज
गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल)	भारत	समनुषंगी	74%
एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वोसिस लिमिटेड (हाइट्स)	भारत	समनुषंगी	100%
लाइफसिंंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	50%
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	भारत	समनुषंगी	100%

2.3 मूल कंपनी ने कोच्चि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित अपनी यूनिट में महिला कंडोम एफसी 2 नाइट्राइल संस्करण के विनिर्माण के लिए मेसेर्स फीमेल हेल्थ कंपनी (यूके) से ऋण के आधार पर रु.0.89 करोड़ मूल्य के उपकरण प्राप्त किए थे। आपूर्ति किए गए उपकरणों की संपत्ति और शीर्षक मेसेर्स फीमेल हेल्थ कंपनी, यू.के. के पास निहित होने के कारण कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ पारित नहीं की गई हैं।

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यूनीपिल संयंत्र शामिल है, कंपनी द्वारा कनगला, बेलगाम में डब्लियुएचओ सीजीएमपी (जेनीवा) अनुपालन सुविधा का संस्थापन किया गया है। यूनीपिल उत्पाद तीन विदेश देशों के साथ पंजीकृत किया गया है, जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है और कंपनी अधिक देशों में भी उत्पाद को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2021-22 के दौरान युनिपिल टैब्लेट के 99500 स्ट्रिप्स का निर्माण किया गया था, जिसमें 54990 स्ट्रिप्स वर्ष के दौरान विभिन्न देशों में कंसाइनियों को भी भेजे गए थे। परिसंपत्ति का रखाव मूल्य, वसूली योग्य मूल्य से कम है और इसलिए यूनिपिल संयंत्र पर कोई खराब हानि नहीं पहचान की गयी है।

2.5 वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लागत शून्य है। (पिछला वर्ष ₹ शून्य लाख है)

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, ₹500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹1000 करोड़ या उससे अधिक के व्यापारावर्त या ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक के निवल लाभवाली हर कंपनी, सी एस आर (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) की ओर तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के निवल लाभ (कर के पूर्व लाभ) के औसतन के कम से कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रुप के लिए विवरण निम्नलिखित हैं।

(क) वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रुप द्वारा खर्च की जानेवाली सकल रकम -रु.2.23 करोड़।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रकम -रु.2.26 करोड़।

(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गयी रकम :

	नकद में (₹ करोड़)
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	1.56
कुल	1.56

(घ) चालू परियोजनाओं का विवरण (135(5) और 135(6) में संशोधन के अनुसार):

*The group is following the practise of estimating and providing interest, if any, payable under section 16 of MSMED Act only in case claimed/adjudicated by authorities.

2.2 The extent of ownership in Subsidiary/Jointly Venture Companies are as follows:

Name of the Subsidiary / Jointly Controlled Entity	Country of Incorporation	Relationship	Ownership Interest as on 31.03.2022
Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL)	India	Subsidiary	74%
HLL Infra Tech Services Limited (HITES)	India	Subsidiary	100%
Life Spring Hospitals Pvt. Ltd	India	Joint Venture	50%
HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	India	Subsidiary	100%

2.3 The Parent Company had received from M/s. Female Health Company (UK) equipments valuing ₹0.89 Crores on loan basis for the manufacture of female condom FC2 Nitrile version at its unit located in Cochin Export Processing Zone. No accounting entries have been passed as the property & title of the equipment supplied vests with M/s. Female Health Company, U.K.

2.4 Property, Plant and Equipment includes Unipill Plant, a WHOGMP (Geneva) compliant facility, set up by the parent company at Kanagala Belgaum. The product Unipill is registered with three foreign countries where registration is mandatory and the parent company is in the process of registering the product in more countries. During the year 2021-22, 99500 strips of UNIPILL tablet was manufactured, out of which 54990 strips were also dispatched during the year to multiple consignees in different countries The carrying value of the asset is lower than the recoverable value and hence no impairment is recognized on the Unipill Plant.

2.5 Borrowing costs capitalised during the year is Nil. (Previous Year is ₹Nil lacs)

2.6 As per Schedule VII of the Companies Act, 2013, every company with net worth of ₹ 500 Cr or more, or with a turnover of ₹1000 Cr or more or having a net profit of ₹5 Cr or more is required to spend at least 2% of the average net profits (Profit before tax) of three immediately preceding financial years towards CSR (Corporate Social Responsibility).

The following are the details for group in the financial year 2021-22.

a) Gross amount to be spent by the Group during the year 2021-22 ₹ 2.23 Crores.

b) Amount approved by the board to be spent during the year- ₹ 2.26 Cores

c) Amount spent during the year on:

		In cash (₹ Crores)
(i)	Construction/acquisition of any asset	-
(ii)	On purposes other than (i) above	1.56
	Total	1.56

d) Details of ongoing projects (In line with amendments to 135(5) and 135(6):

विवरण	रकम(करोड़ों में)	रकम(करोड़ों में)
अधशेष 21-22	-	0.03
ग्रूप के साथ	-	-
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता	0.03	-
वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम	-	1.56
ग्रूप के बैंक खाता से	1.51	-
अलग अव्ययित सीएसआर खाता से	0.05	-
अंतिम शेष :21-22	-	0.70
ग्रूप के साथ(कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर प्रेषित किया जाना है।)	0.70	-
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता	शून्य	शून्य

(ड) वर्ष के अंत में कमी :- 0.70 करोड

(च) सी एस आर गतिविधियों की तरीका और कमी के कारण :-

क्र.सं	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार गतिविधि की प्रकृति	आबंटित राशि	खर्च की गयी राशि	कमी	खर्च न करने का कारण
I	स्वास्थ्य रक्षा का प्रोन्नमन	1.94	1.27	0.67	रु. 0.05 करोड खर्च नहीं किए गए थे क्योंकि लाभार्थी ने परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की थी। रु.0.06 करोड को आकस्मिकता के रूप में रखा गया था जिसका उपयोग नहीं किया जा सका। सी एस आर की कोई चालू परियोजना नहीं होने के कारण रु.0.56 करोड अव्ययित है और इसे अनुसूची VII गतिविधियों के अधीन निर्दिष्ट निधि में जमा किया जाना है।
II	वृद्धाश्रम और विशेष शिक्षा	0.15	0.15	0.00	
III	स्वच्छता	0.10	0.07	0.03	खर्च की गई राशि में 20-21 से अग्रेनीत अव्ययित राशि के रु. 2.62 लाख रुपये शामिल है।
IV	विकलांग बच्चे और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं का प्रोन्नमन	0.03	0.03	-	
	कुल	2.22	1.53	0.70	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक को 30.09.2022 तक प्रेषित किया जाना है।

Particulars	Amount (in Crores)	Amount (in Crores)
Opening balance 21-22	-	0.03
With Group	-	-
In separate CSR unspent account	0.03	-
Amount spent during the year	-	1.56
From Group's bank account	1.51	-
From Separate unspent CSR account	0.05	-
Closing balance: 21-22	-	0.70
With Group (to be remitted to one of the funds specified in Schedule VII of the Companies Act 2013 within 6 months of the end of the Financial Year)	0.70	-
In separate CSR unspent account	Nil	Nil

e) Shortfall at the end of the year: 0.70 Crores

f) Nature of CSR Activities & Reason for Shortfall:

Sl. No	Nature of activity as per Schedule VII of Companies Act, 2013	Amount allocated	Amount spent	Shortfall	Reason for non-spending
i	Promoting Healthcare	1.94	1.27	0.67	Rs. 0.05 Crores was not spent as the beneficiary had not provided the required information for taking up the project. Rs. 0.06 Crore was kept as contingency which could not be utilised. Rs. 0.56 Crores is unspent as there are no on-going projects of CSR and the same is to be deposited in the fund specified under Schedule VII activities.
ii	Old age homes and Special education	0.15	0.15	0.00	
iii	Sanitation	0.10	0.07	0.03	Amount spent included Rs 2.62 lakhs of unspent amount carried forward from 20-21
iv	Promoting differently abled children and livelihood enhancement projects	0.03	0.03	-	
	Total	2.22	1.53	0.70	To be remitted to one of the funds specified in Schedule VII of the Companies Act 2013 by 30.09.2022

- 2.7 बीमा प्रीमियम में सेवानिवृत्ति के बाद के मेडिकल फायदे के लिए प्रदत्त चिकित्सा बीमा प्रीमियम की किश्त शामिल है।
- 2.8 वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की ओर कोई अदायगी नहीं थी।
- 2.9 कंपनी सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ समझौतों के अधीन प्रापण परियोजना और अवसंरचना विकास परियोजना चला रही है, जिसके लिए ट्रस्ट के अधीन अलग-अलग बहियों का रखरखाव किया जाता है। इन परियोजनाओं की संपत्ति और देनदारियों परियोजनाओं को आर्बिट्र करनेवाली सरकार और उसकी एजेंसियों के पास हैं और निरीक्षण और लेखापरीक्षा उनकी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, कंपनी द्वारा ट्रस्ट के तहत रखी गई इन परियोजनाओं के नकद और बैंक शेष और संबंधित देयताओं को तुलन पत्र में विपरीत मदों के रूप में प्रकट किया गया है।
- 2.10 भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) को कंडोम और विविध गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.08.2005 के आदेश के अनुसार एचएलएल को 'कैप्टिव पदवी' प्रदान की है और वह समय-समय पर विस्तार के लिए समीक्षाधीन है। एचएलएल की कैप्टिव पदवी पर दिया गया अंतिम विस्तार 31.03.2024 तक विधिमान्य है।

कंपनी मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पाद(कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ, ई सी गोलियाँ, कॉपर-टी और ट्यूबल रिंग्स), प्रेनन्सी टेस्ट किट और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति करती है। कैबिनेट आदेश और इसके तदनंतर संशोधनों के अनुसार, मंत्रालय वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष की एल 1 दर के आधार पर अस्थायी दर पर एचएलएल को आपूर्ति आदेश प्रदान करेगा। तदनंतर, खुली निविदा द्वारा निर्धारित एल 1 दर को उसी वित्तीय वर्ष में एचएलएल को इसकी आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के ज़रिए एल 1 मूल्य निर्धारण के अभाव में, एचएलएल से आपूर्ति के लिए उचित मूल्य निर्धारण करने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के टेरिफ कमीशन (टीसी) को या वित्त मंत्रालय के लागत एवं लेखा शाखा (सीएबी) को संदर्भ किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कंपनी द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर वर्ष 2019-20 के दौरान एचएलएल द्वारा आपूर्ति किए गए कंडोम के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सीएबी को संदर्भित किया है और अध्ययन रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है।

- 2.11 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) और मेसेर्स अकुमन फंड, यु एस ए (अकुमन) के बीच में 50:50 साम्या शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम सत्ता के रूप में फरवरी 2008 में मेसेर्स लाइफ़सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था। इस संयुक्त उद्यम को भारत के आर-पार के कम आयवाली महिलाओं को उच्च गुणवत्तावाली, किफायती मातृ स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। यह शहरी गंदी बस्तियों के निकट छोटे आकार (20 बिस्तर) के प्रसूती अस्पतालों में प्रचालन करता है। समुदाय जिसमें इन अस्पतालों स्थित हैं, को पीडियाट्रिक संरक्षण (प्रतिरक्षण सहित), नैदानिक एवं फार्मसी सेवाएँ और स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा भी प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में, संयुक्त उद्यम की इक्विटी शेयर पूँजी में एचएलएल द्वारा कुल निवेश रु. 951 करोड़ था।

अब, संयुक्त उद्यम हाइद्राबाद में 10 अस्पतालों के क्लस्टर चला रहा है।

संयुक्त उद्यम कंपनी 2016-17 से लाभदायक हो गई और कोविड महामारी के कारण 2020-21 को छोड़कर लगातार लाभ की रिपोर्ट की। पिछले तीन साल के निष्पादन नीचे दिए गए हैं।

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20
	रकम करोड़ों में		
नकद लाभ	3.00	(1.01)	1.07
मूल्यहास/ ऋणमुक्ति	0.30	0.33	0.34
कर के पूर्व लाभ	2.70	(1.34)	0.73
आस्थगित कर आय	0.05	0.03	0.01
कर के बाद लाभ	2.75	(1.31)	0.74

- 2.7** Insurance premium includes instalment of medical insurance premium paid for post-retirement medical benefits.
- 2.8** During the year there was no payment towards voluntary retirement scheme.
- 2.9** The company has been undertaking the Procurement Projects & Infrastructure Development Projects under agreements with Government and its agencies, for which separate books are maintained under trust. The assets and liabilities of these projects are with the Government and its agencies allotting the projects and the inspection and audit are their responsibility. In accordance with the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the cash and bank balances of these projects held by the Company under trust and the corresponding liabilities are disclosed as contra items in the Balance Sheet.
- 2.10** Govt. of India has accorded “captive status” to HLL vide Order dated 26.08.2005 for the supply of condoms and other Contraceptive products to the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and same is subjected to review for extension from time to time. The last extension granted on captive status of HLL is valid upto 31.03.2024.

The Parent Company supplies Contraceptive products (Condoms, Oral Contraceptive Pills, EC Pills, Copper-T and Tubal Rings), Pregnancy Test Kits and Sanitary Napkins to the Ministry. As per the Cabinet order and its subsequent amendments, the Ministry shall place the supply orders on HLL in the beginning of the year at the provisional rates based on the L1 rates of the previous year. Subsequently, the L1 rates determined through the open tender shall be made applicable to HLL as the final rate for its supplies during the same financial year. In the absence of L1 rate determination through the tender process, reference shall be made either to Tariff Commission (TC) of the Ministry of Commerce & Industry or Cost & Accounts Branch (CAB) of the Ministry of Finance for determining the fair price for the supplies from HLL.

MoHFW based on the representation by the parent company, referred to CAB for fair price fixation of Condoms supplied by HLL during 2019-20 and the study report is awaited.

- 2.11** M/s. Life Spring Hospitals (P) Limited was formed in February 2008 as a Joint Venture entity with 50:50 equity shareholding between HLL Lifecare Ltd. [HLL] and M/s Acumen Fund Inc., USA [Acumen]. This JV was formed with the objective of providing High Quality, Affordable Maternal Health Care for Low-Income Women across India. It operates small-sized (20 bed) maternity hospitals in the proximity of urban slums. The hospitals also provide paediatric care (including immunizations), diagnostic and pharmacy services, and health care education to the communities in which its hospitals are located. At the end of the FY 2021-22, total investment by HLL in the equity share capital of the JV was ₹9.51 Crores.

Presently, the JV is running a cluster of ten hospitals in Hyderabad. The JV company turned profitable since 2016-17 and reported profits consecutively except for 2020-21 due to the covid pandemic. The past three-year performance is as below:

Particulars	2021-22	2020-21	2019-20
	Amount in ₹ crs		
Cash Profit	3.00	(1.01)	1.07
Depreciation & Amortization	0.30	0.33	0.34
Profit Before Tax	2.70	(1.34)	0.73
Deferred tax Income	0.05	0.03	0.01
Profit After Tax	2.75	(1.31)	0.74

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का विचार है कि इस संयुक्त उद्यम में एचएलएल द्वारा इक्विटी निवेश से जुड़ी कोई संभावित हानि नहीं है।

2.12 एमसीए ने दिनांक 24.03.2021 के आदेश के अनुसार एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, जो सीसीईए द्वारा अनुमोदित एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एचएलएल द्वारा गठित 100% समनुषंगी कंपनी है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड योजना की नियत यानी 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है और एचबीएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के अधीन एक सीपीएसई बन गया है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा निवेश की गई शेयर पूंजी और एचएलएल द्वारा किए गए संबंधित निवेश को घटाकर रु.274.88 करोड़ है। एचएलएल द्वारा बनाया गया रु. 1 लाख का प्रारंभिक निवेश भारत सरकार से प्राप्य के रूप में नोट-13 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य में दिखाया गया है।

2.13 कंपनी को जनवरी 2008 से 430.10 एकड़ भूमि का अधिकार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अधीन केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण शोध संस्थान (सी एल टी आर आई), तमिलनाडु से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आर्बटित किया गया है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की 10.02.2012 को आयोजित इसकी बैठक में ₹10.12 करोड़ (प्रति एकड़ के लिए ₹16.50लाख की दर पर 56 एकड़ और प्रति एकड़ ₹2 लाख की दर पर छोटी पहाड़ी के 44 एकड़) के मूल्य के लिए एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आई वी सी) के संस्थापन की ओर चेंगलपेट्टु में कंपनी के अधिकार के 430.10 एकड़ में से 100 एकड़ अनुदान देने के लिए सिफारिश की थी।

पी आई बी की सिफारिशों को आर्थिक कार्य के कैबिनेट समिति (सी सी ई ए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पी आई बी की सिफारिशों के अनुसार आई वी सी के संस्थापन करने के लिए एचएलएल की 100% सहायक कंपनी, मेसेस एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल) को बनाया गया है। एच बी एल के नाम में 100 एकड़ भूमि के अंतरण की कानूनी औपचारिकताएँ और उसके बदले में एचबीएल को अभी तक पूरा किया जाना है, कंपनी ने 20 फरवरी 2014 में इस उद्देश्य के लिए पहचान की गई 100 एकड़ भूमि 94 वर्षों के लिए रु. 1/- की दर पर एच बी एल के नाम में उप पट्टे पर ली है।

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को दी गई 100 एकड़ में से 3.38 एकड़ भूमि ₹ 1/- मात्र के वार्षिक पट्टा किराये पर 92 वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टानजेडको) (टीएनईबी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को पट्टे पर दिया गया है। एचबीएल और टानजेड को के बीच में उप - पट्टा 19 सितंबर 2016 को कार्यान्वित किया गया।

एचबीएल ने 19 अक्टूबर 2021 के पत्र के ज़रिए एचएलएल से एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था, जिसमें चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकारों के स्थानांतरण का संकेत देते हुए एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। जवाब में, एचएलएल ने 30 अक्टूबर 2021 के पत्र द्वारा एचबीएल को सूचित किया था कि एमसीए 22 मार्च 2021 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित डीमर्जर योजना के पैरा 3.4 के अनुसार चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में स्थित आईवीसी परियोजना से संबंधित 100 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकार एचबीएल में स्थानांतरित किया गया है। इस पत्र की एक प्रति निदेशक, सीएलटीआरआई को सूचनार्थ भेजी गई है। एचएलएल द्वारा जारी किए गए पत्र के बावजूद, इस तथ्य पर विचार करते हुए वह भूमि एक अचल परिसंपत्ति है, पट्टे को सीधे एचबीएल के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुनःदस्तावेज़ीकरण करना पड सकता है।

2.14 मेडिपार्क संस्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में चेंगलपेट्टु, कांचीपुरम जिले (तमिलनाडु) में पट्टे पर ली गई 330.10 एकड़ भूमि को उप पट्टे पर देने के कैबिनेट के अनुमोदन के फलस्वरूप 20 दिसंबर 2016 को एचएलएल की अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड निगमित किया गया है। उक्त 330.10 एकड़ भूमि एचएमएल को मार्च 2017 के दौरान उप पट्टे के आधार पर आर्बटित की गई थी। एचएलएल ने एचएमएल में इक्विटी शेयर पूंजी की ओर 6.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 के आदेश के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड योजना की नियत तिथि अर्थात् 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है। योजना के अनुसार, भारत सरकार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को उनके द्वारा एचएमएल में किए गए ₹ 6.40 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रतिफल का भुगतान करेगी। तदनुसार, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड में कंपनी द्वारा किए गए निवेश को

Considering the above, the management is of the view that there is no potential impairment associated with the equity investment by HLL in this JV.

2.12 MCA has vide order dated 22.03.2021 approved the demerger of HLL Biotech Ltd (HBL), the 100% subsidiary formed by HLL for setting up the Integrated Vaccine Complex as approved by CCEA. HLL Biotech Ltd has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme i.e., 01st April 2019 and HBL has become a CPSE under the direct ownership of Govt. of India. Accordingly, the share capital invested by GoI and corresponding investment made by HLL is reduced to the tune of Rs. 274.88 Crores. The initial investment of Rs. 1.00 Lakh made by HLL is shown as receivable from Govt of India in Note 13- Current Financial Assets- Others.

2.13 The Company is in possession of 430.10 acres of land since January 2008, allotted on lease for a period of 99 years from the Central Leprosy Teaching Research Institute (CLTRI), Tamil Nadu, under directives from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 had recommended to earmark 100 acres of land out of the 430.10 acres in possession with the Company at Chengalpattu for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), for a value of ₹10.12 crores (56 acres @ ₹16.50 lacs per acre and 44 acres of hillock @ ₹ 2 lacs per acre).

The recommendations of the PIB are approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA).

M/s HLL Biotech Limited (HBL), was formed as 100% subsidiary of HLL for setting up the IVC, in line with the PIB recommendations. As the legal formalities of transfer of 100 acres of land in the name of HLL and in turn to HBL are yet to be completed, the Company had, on 20th February 2014, sub-leased the 100 acres identified for the purpose, in favour of HBL @ ₹1/- for 94 years.

Out of 100 acres land leased to HLL Biotech Limited, 3.38 Acres of land is given on lease to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd [TANGEDCO] (Subsidiary of TNEB Ltd.) for a period of 92 years, on an annual lease rent of ₹1/- only. The sub-lease between HBL and TANGEDCO was executed on 19th September 2016.

HBL had vide letter dated 19th October 2021 requested HLL to issue a letter indicating transfer of leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamil Nadu. In response, HLL had by letter dated 30th October 2021 informed HBL that according to Para 3.4 of the Demerger Scheme approved by the MCA by its Order dated 22nd March 2021 the leasehold rights of 100 acres of land relating to IVC project situated at Chengalpattu, Tamil Nadu stands transferred to HBL. A copy of this letter was marked to Director, CLTRI for information. In spite of the letter issued by HLL, considering the fact that land is an immovable property, re-documentation may have to be done to complete the process of transfer the lease directly in the name of HBL.

2.14 Consequent to Cabinet Approval to sub-lease the 330.10-acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to the company in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited was incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The said 330.10-acre land was allotted to HML on sublease basis during March 2017. HLL has invested Rs. 6.40 Crores towards Equity share capital in HML.

Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HML from HLL by MCA vide order dated 31st March 2021, HLL Medipark Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme i.e., 01st April 2019. As per the scheme, Govt. of India shall pay HLL Lifecare Limited the consideration of equity investment made by HLL in HML of ₹ 6.40

इस हद तक कम कर दिया गया है और टिप्पणी सं -13 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य के तहत भारत सरकार से प्राप्य के रूप में खुलासा किया गया है।

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचएमएल के डीमर्जर द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाइयों के आधार पर, एचएमएल भारत सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व के एक सीपीएसई बन गया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की योजना के खंड 3.4 के अनुसार वैक्सीन व्यवसाय कारोबार का हिस्सा बननेवाली किसी भी अचल संपत्ति में सभी अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे और एचएमएल में निहित हो जाएंगे। इसके बावजूद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भूमि एक अचल संपत्ति है, एचएमएल के नाम पर सीधे पट्टे के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुनःदस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है।

- 2.15 आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 1 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एचएलएल के वैक्सीन उद्यम और मेडिपार्क परियोजना को तीन महीने की अवधि के अंतर अलग एसपीवी के रूप में बदलने और उसके बाद दो चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड में सरकार की इक्विटी का 100 % की बिक्री के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), विनिवेश प्रक्रिया का समन्वय करने का नोडल एजेंसी, (1) लेन-देन सलाहकार (टी ए) के रूप में मेसेर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवट लिमिटेड (पीडब्लियूसी) और (2) विधिक सलाहकार (एल ए) के रूप में मेसेर्स क्रॉफोर्ड बेल्ले & कंपनी को चयनित प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है। परिसंपत्ति मूल्य-निर्धारक (ए वी) के रूप में मेसेर्स एड्रोइट टेक्निकल सर्विसस प्राइवट लिमिटेड का चयन प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया।

एचएलएल के प्रस्तावित सामरिक विनिवेश के लिए इच्छुक निवेशकों से हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करनेवाली अधिसूचना एचएलएल के बारे में प्रारंभिक सूचना सहित ज्ञापन के साथ 14 दिसंबर 2021 को टीए द्वारा प्रकाशित की गई थी। एचएलएल पीआईएम प्रकाशित करने और ईओआई के लिए निमंत्रण के बाद, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (दीपम) ने दीपम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेन-देन सलाहकार और एचएलएल की वेबसाइटों पर चार (4) शुद्धिपत्र प्रकाशित किए।

टीए द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन मोड के माध्यम से ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2022 थी और ईओआई की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 थी। योग्य इच्छुक बोलीदाताओं (क्यूआईबी) को सूचना देने के लिए टीए की नियत तारीख 28 मार्च 2022 थी।

प्रस्तावित विनिवेश और इस संबंध में आवश्यक कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- 2.16 एचएलएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन नियमों के साथ पठित मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी) को रु. 65 करोड़ तक अस्थायी ऋण (अप्रतिभूत) प्रदान किया था। 31.03.2022 को ऋण के कारण एचएलएल बायोटेक लिमिटेड से बकाया राशि 31.03.2021 का बकाया राशि रु. 19.41 करोड़ के प्रति शून्य है।
- 2.17 वर्ष के दौरान मेसेर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) ने कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अधीन मेसेर्स एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) (पूर्ववर्ती 100% सहायक कंपनी) को मासिक आधार पर देय एचएलएल द्वारा लाभ उठाई नकदी ऋण सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर की दर पर विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए ₹1.68 करोड़ तक की अस्थायी ऋण (अप्रतिभूत) प्रदान किया था। एचएलएल बोर्ड ने 24 मई 2022 को हुई अपनी 283 वीं बोर्ड बैठक में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड से बकाया रहा रु. 2.18 करोड़ को बढ़े खाते डालने का अनुमोदन दिया और इसे

Crores. Accordingly, the investment made by the company in HLL Medipark Limited is reduced to this extent and is disclosed as Receivable from Govt. of India under Note -13 Current Financial Assets-Others.

HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate action(s) necessitated by the Demerger of HML and based on the actions taken by the Ministry, HML has become a CPSE under the direct ownership of the Government of India.

According to Clause 3.4 of the Scheme of Demerger of HML from HLL approved by the Ministry of Corporate Affairs all rights in any immovable property forming part of the Vaccine Business Undertaking shall stand transferred and be vested in HML. In spite of this, considering the fact that land is an immovable property, re-documentation may have to be done to complete the process of transfer the lease directly in the name of HML.

- 2.15** The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 has granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs with 100% equity holding by Govt. of India within a period of three months and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process. The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), the nodal agency coordinating the disinvestment process selected (1) M/s. Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PWC) as Transaction Advisor (TA) and (2) M/s. Crawford Bayley & Co. as Legal Advisor (LA) through competitive bidding process. M/s. Adroit Technical Services Pvt. Ltd was selected as Asset Valuer (AV) by the Administrative Ministry through competitive bidding process.

The Notification inviting Expression of Interest (EOI) from interested investors for the proposed strategic disinvestment of HLL together with Preliminary Information Memorandum about HLL was published by the TA on 14th December, 2021.

After publishing HLL PIM and invitation for EOI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, Government of India [DIPAM] published four (4) corrigenda on the websites of DIPAM, Ministry of Health & Family Welfare, Transaction Advisor and HLL.

According to the schedule published by the TA, last date for submission of EOIs through online mode was 14th March 2022 and the last date for submission of physical copy of EOI was 21st March 2022. The due date for TA to give intimation to Qualified Interested Bidders (QIB) was 28th March 2022.

Periodic review meetings are held by Department of Investment and Public Asset Management with the Ministry of Health to discuss about the proposed disinvestment and actions required in this regard.

- 2.16** HLL had granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of Companies Act, 2013 read with rules up to Rs. 65 Crores to M/s HLL Biotech Ltd (erstwhile 100% subsidiary company). The balance due from HLL Biotech Ltd on account of the loan as on 31.03.2022 is Nil against the dues of Rs.19.41 Crores on 31.03.2021.
- 2.17** HLL Lifecare Limited (HLL) had granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under to M/s. HLL Medipark Ltd (HML) (erstwhile 100% subsidiary) up to ₹ 1.68 Crore for meeting various expenditure at the rate of interest linked to maximum interest rate applicable to Cash credit facility availed by HLL payable on monthly basis. HLL Board vide its 283rd Board meeting held on 24th May 2022, approved the write off of Rs. 2.18 Crores due from HLL Medipark Ltd and the same is

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए पी & एल में प्रभावित किया जाता है।

- 2.18 जीएपीएल 2014 से एचएलएल की सहायक कंपनी है, जिसमें ईडीसी लिमिटेड गोवा के साथ एचएलएल की 74% शेयर है। 31.03.2022 को कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय के अनुसार कंपनी का निवल रकम नकारात्मक है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लाभरहित कंपनी हो गई। जीएपीएल प्रबंधन ने अपनी 191 वीं बोर्ड बैठक में एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की, जिसपर चर्चा की गई। जीएपीएल बोर्ड सैद्धांतिक रूप से पुनरुद्धार योजना के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड से संयुक्त रूप से उनकी शेयरधारिता के अनुपात में रु.14.31 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी जुटाने की योजना के साथ सहमत हुआ जिसमें एचएलएल की इक्विटी शेयर पूंजी रु.10.59 करोड़ है।

इसके संबंध में प्रबंधन का विचार है कि निवेश से जुड़े कोई संभावित हानि नहीं है।

- 2.19 उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु अस्पताल स्कंध के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 1 अगस्त, 2017 को एचएलएल की एक अलग 100% सहायक कंपनी के रूप में एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीसीएचएल) गठित किया गया। एचएलएल ने एचएमसीसीएचएल में इक्विटी शेयर पूंजी की ओर रु.10 लाख निवेश किया था। हालांकि एचएमसीसीएचएल उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका जिसके लिए एसपीवी की स्थापना की गई थी।

शेल कंपनी को बनाए रखने के लिए अन्य आकस्मिक लागतों के साथ-साथ प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से नाम काटकर एचएमसीसीएचएल को बंद करने का निर्णय लिया और कंपनी ने 23 जुलाई 2021 को इस संबंध में निदेशक मंडल की आवश्यक मंजूरी प्राप्त की। कंपनी में वर्ष 2021-22 के दौरान कोई लेन-देन नहीं है। अतः कंपनी को ग्रूप के साथ निगमित नहीं किया गया है।

बोर्ड के फैसले के आधार पर, एचएमसीसीएचएल के निदेशकों ने आवेदन के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति बांड और शपथ-पत्र जारी किया है। सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रशासनिक मंत्रालय से अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक विधिवत नोटरीकृत क्षतिपूर्ति बांड भी प्राप्त किया जाएगा। तदनुसार, एचएलएल ने क्षतिपूर्ति बांड प्रदान करने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया है।

मंत्रालय से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने पर, कंपनी कंपनियों के रजिस्ट्रार से कंपनी को काट करने के लिए आवेदन करेगी।

- 2.20 एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने चेंगलपेट्टु में एकीकृत वैक्सीन परियोजना स्थापित करने के लिए एचएलएल अवसंरचना विकास प्रभाग (आईडीडी) को सिविल निर्माण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। एचएलएल-आईडीडी ने खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए मेसर्स शापूरजी & कंपनी प्रा. लिमिटेड को परियोजना प्रदान किया है। एसपीसीपीएल ने परियोजना पूरा करने की संशोधित निर्धारित तारीख से 571 दिनों की देरी के साथ पूरी की। एसपीसीपीएल को देय भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच में वाद-विवाद हुआ। एसपीसीपीएल ने रु.74.95 करोड़ का मध्यस्थता दावा दायर किया जिसके विरुद्ध एचएलएल ने रु.46.07 करोड़ का काउंटर दावा की है। मध्यस्थता चल रही है। एचबीएल के निदेशक मंडल ने एसपीसीपीएल के मध्यस्थता दावे को संभालने की मंजूरी दे दी जो एचबीएल-आईवीसी के निर्माण से संबंधित है, मध्यस्थता दावे को एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के वित्तीय में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

- 2.21 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वप्रेरणा से वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) द्वारा जारी की गई निविदाओं में अभिकथित कार्टेलिज़ेशन के लिए पुरुष गर्भनिरोधक उत्पादों के दस निजी विनिर्माताओं के खिलाफ जाँच प्रारंभ की थी और जाँच में कंपनी को अभिकथित गुटबंदी के लिए एक पार्टी के रूप में भी शामिल की थी। कंपनी से माँगी गई सभी जानकारी भी प्रस्तुत की गई। एचएलएल ने डीजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दायर किया है। वर्ष 2019 के डब्लियु.पी.नं. 2293 में तेलंगाना न्यायलय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2019 के आदेश के मद्देनज़र, मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए, आयोग ने 20.11.2019 को नियत मामले में डीजी रिपोर्ट पर अंतिम सुनवाई को रद्द करने का निर्णय लिया और 15.11.2019 को अन्य विरोधी पक्षों के साथ एचएलएल को

charged to the Profit or Loss statement for the year ended 31.03.2022.

- 2.18** GAPL is a subsidiary of HLL since 2014 along with EDC Ltd Goa, with a 74% stake by HLL. As per the audited financials of the company as on 31.03.2022, the networth of the company is negative and as per the DPE guidelines the company became sick. GAPL management in its 191st Board meeting presented a Revival plan, which was discussed. GAPL Board in principle agreed to the revival plan with a plan to raise additional equity of Rs. 14.31 Crores jointly from HLL Lifecare Ltd and EDC Ltd. in the ratio of their shareholding, HLL share of equity capital is Rs. 10.59 crores.

In respect of the same, the management is of the view that there is no potential impairment loss associated with the investment.

- 2.19** HLL Mother & Child Care Hospitals Limited (HMCCHL) was formed as a separate 100% subsidiary of HLL on 1st August 2017, as a Special Purpose Vehicle for operationalization of Mother & child Hospitals Wings in Uttar Pradesh. HLL had invested Rs. 10 lakhs towards equity share capital in HMCCHL. However, HMCCHL could not serve the objective for which the SPV was set up.

Considering the fact that maintaining a shell company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs, the Board decided to close down HMCCHL by striking off the name from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 and that the company obtained necessary approval of Board of Directors in this regard on 23rd July 2021. There are no transactions in the company during the year 2021-22. Hence this company is not consolidated with the Group.

Based on the Board decision, the directors of HMCCHL has issued the Indemnity Bond and affidavits required for the application. Being Government Company, a duly notarized Indemnity Bond from the Administrative Ministry signed by the Under Secretary or equivalent officer shall also be obtained. Accordingly, HLL has requested the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India to provide a similar Indemnity Bond.

Up on receipt of the Indemnity Bond from the Ministry, the parent company will apply for strike off of the company from the Registrar of Companies.

- 2.20** HLL Biotech Ltd, appointed HLL - Infrastructure Development Division (IDD) as Civil Construction consultant for setting up the Integrated Vaccine Project in Chengalpattu. HLL - IDD awarded the project to M/s Shapoorji Pallonji & Company Pvt Ltd, Chennai through Open Tender Process. SPCPL completed the project with a delay of 571 days from the revised scheduled date of completion. Dispute arose between the parties with regard to payments due to SPCPL. SPCPL has filed an arbitration claim of ₹74.95 Crores against which HLL has filed a counter claim of ₹ 46.07 Crores. The arbitration is under progress. The Board of Directors of HBL has approved taking over of the arbitration claim of SPCPL as the same is pertaining to the construction of HBL-IVC, the arbitration claim is disclosed as contingent liability in the financials of HLL Biotech Ltd.

- 2.21** The Competition Commission of India (CCI) suo moto had initiated (30.9.2014) an investigation against ten private manufacturers of male contraceptive products for alleged cartelisation in tenders floated by Ministry of Health and Family Welfare (MoH & FW) during the period 2010 to 2013 and upon investigation the Company was also included as a party to the alleged cartelisation. All information sought from the company was also submitted. HLL has filed response to the DG report. In view of the Order dated 14.10.2019 passed by the Hon'ble Court of Telangana in W.P. No. 2293 of 2019, staying all further proceedings in the matter, the Commission decided to cancel the date of final hearing on DG Report fixed in the matter on 20.11.2019 and communicated the

इसकी सूचना दी। 15.11.2019 के बाद सीसीआई से और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ।

- 2.22 वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस) ने एचएलएल अमृत स्टोर्स के माध्यम से सीजीएचएस के द्वारा अपेक्षित दवाओं के प्रापण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया था। दिनांक 21 अगस्त, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आपूर्ति किए गए दवाओं के लिए भुगतान एमआरपी के 30% से कम नहीं छूट पर किया जाएगा। तदनुसार आपूर्तियाँ पूरी की गईं। सीजीएचएस को चिकित्सा आपूर्ति पर लागत प्लस 25 % मार्कअप पर बिल्लिंग की शर्तों को संशोधित किया गया था। सीजीएचएस ने एचएलएल को क्रय लागत प्लस जीएसटी की ओर पूरी रकम का भुगतान किया, हालांकि सेवा शुल्क के लिए दावा अभी भी लंबित है। 31.03.2022 तक सीजीएचएस से सेवा शुल्क के लिए कुल बकाया रु.15.71 करोड़ है। इस निष्पादन का प्रावधान 31.03.2022 तक उपलब्ध है।
- 2.23 आरबीडी और एचसीएस प्रभाग प्रत्येक सेंटर के दैनिक लेन-देन प्राप्त करने के लिए इको ग्रीन, एलआईएस एचएमआईएस, आरआईएस और बिल्लिंग मोड्यूल, टेलिरेडियॉलजी, पीएसीएस और आरआईएसपीएसीएस जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। लेन-देन का सारांश आवधिक आधार पर एचएलएल खाता बही में अधिकृत कर लिया है।

2.24 सरकारी अनुदान

क. ईएमआई ईएमसी लैब

एचएलएल कैंपस, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की ओर एमओसी & आई से एचएलएल को प्राप्त निर्यात अवसरचना और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास(एसाईड) के लिए राज्यों को सहायता के अधीन नवंबर 2016 के दौरान रु.14 करोड़ की रकम प्राप्त हुई थी। मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार, (क) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एचएलएल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। (ख) परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है (ग) एचएलएल को 31.03.2018 को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा (घ) अनुदानग्राही अनुदेयी नियमों व शर्तों के पालन करने में विफल होने की स्थिति में, अनुदान का पूरा या उसका हिस्सा प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

यह परियोजना निर्माणाधीन है और नियमित आधार पर निर्धारित जैसे उपयोग प्रमाणपत्र एमओसी & आई को प्रस्तुत किये गए हैं और 31 मार्च 2022 तक का यूसी भी जमा किया गया है। कंपनी को समय के विस्तार के लिए लिखित स्वीकृति मिलना बाकी है। हालांकि, मंत्रालय ने एचएलएल के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया है। कंपनी अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं करती है, जैसे कि परियोजना अब पूरी हो चुकी है और सभी पहलुओं में चालू हो गई है। वर्तमान में ईएमआई-ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला एनएबीएल प्रत्यापन प्रक्रिया के लिए जा रही है, जो अगस्त 2022 के अंत तक पूरी हो जाएगी।

31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2022 तक के ₹ 1.43 करोड़ की अप्रयुक्त रकम के ब्याज को ₹ 0.57 करोड़ की आकस्मिक देयता मानी जाती है।

ख. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है जिसमें पूंजी के साथ-साथ राजस्व अनुदान भी शामिल है। परमाणु विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड से (रु.0.24 करोड़) ड्युअल परपस फ्लूरोसीन ओर इलक्ट्रोकेम के लिए इलक्ट्रोस्पण क्यू डॉट्स नैनोफिब्रस मेम्ब्रेन के विकास के लिए है, मेटल रिड्यूस्ड कार्बन नैनोमेटिरियल्स के विकास के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (0.16 करोड़) से मलेरिया का पता लगाने और जल शोधन पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय (0.16 करोड़) से सरकारी अनुदान हैं।

ग. सहेली प्रोत्साहन अनुदान

कंपनी को मार्च 2018 में एमओएचएफडब्लियु से सहेली नॉन-स्टेरायडल ओसीपी के प्रोत्साहन अनुदान की ओर रु 5.00 करोड़ प्राप्त किया गया। अनुदान अप्रयुक्त रहा और एमओएचएफडब्लियु ने जून 2022 के पत्र से अर्जित ब्याज के साथ अप्रयुक्त अनुदान को वापसी मांगी। ब्याज के लिए प्रावधान 31.03.2022 तक उपलब्ध है।

same to HLL along with other Opposite Parties on 15.11.2019. No further communication from CCI was received after 15.11.2019.

2.22 During the year 2018-19, Central Government Health Services (CGHS) communicated the approval of the competent authority for procurement of medicines required by CGHS through HLL AMRIT stores. As per the OM dated 21st August 2018, the payment for the medicines supplied shall be made at a discount of not less than 30% of MRP. Accordingly, supplies were completed. The terms of billing were further revised to Cost plus 25% markup on medical supplies to CGHS. CGHS paid to HLL full amount towards purchase cost plus GST, however the claim towards service charges is still pending. The total dues from CGHS towards the service charges is Rs. 15.71 Crores as on 31.03.2022. Provision to this effect is available as on 31.03.2022.

2.23 RBD and HCS divisions are using multiple software's like Eco Green, LIS, HMIS, RIS & Billing module, Teleradiology, PACS and RISPACS for capturing daily transactions of each centre. Summary of transactions are captured in HLL books of accounts on a periodical basis.

2.24 Government Grants:

a. EMI EMC Lab:

An amount of ₹14 Crores was received by HLL from MoC & I during November 2016 for setting up testing lab for medical equipments at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE). As per the terms of the sanction letter, (a) A committee shall be constituted by HLL for implementation and monitoring the projects including a representative from the Department of Commerce, (b) the project is to be completed in time bound manner, (c) HLL has to submit the utilisation certificate by 31.03.2018, (d) In the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest @10% per annum.

The project is under construction and utilization certificates were submitted to MoC & I as stipulated on regular basis and the UC upto 31st March 2022 is also submitted. The company is yet to get a written approval for extension of time. However, Ministry has categorically not denied HLL's request. The company does not envisage repayment of the grant as the lab is now completed and commissioned in all aspects. Currently the EMI-EMC testing lab is going for NABL accreditation process, which will be completed by the end of August 2022.

A contingent liability of ₹0.57 Crores is considered towards interest on the un-utilised amount of ₹1.43 Crores as on 31.03.2022 from the date of scheduled completion of 31.03.2018.

b. Grant for R & D Projects:

The corporate R&D centre is in receipt of grants from Govt for various projects which includes capital as well as revenue grant. The Government Grants are from Board of Research in Nuclear Sciences (Rs. 0.24 Crores) is for development of Electrospun Q dots Nanofibrous Membrane for dual purpose fulorescence and electrochem, from Science & Engineering Research Board (Rs 0.16 Crores) for Development of Metal Reduced carbon nanomaterials -Malaria Detection & from Directorate of Environment & Climate Change (Rs. 0.16 Crores) on Water Purification.

c. Saheli Promotional Grant:

The company received Rs. 5.00 Crores towards Promotional Grant for Saheli Non-Steroidal OCP in March 2018 from MoHFW. The grant remained unutilized and MOHFW has vide letter dated June 2022 sought surrender of the unutilised grant along with accrued interest. Provision towards interest is available as on 31.03.2022.

2.25 वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने फार्मस्यूटिकल फंड और सप्लाई एजेंसी , इथियोपिया के माध्यम से इथियोपिया मंत्रालय को पुरुष कंडोम के 69.88 दशलक्ष अदद निर्यात किया था और संग्रहण भी प्राप्त हुआ था। बाद में पीएफएसए ने सूचित किया कि इन में से कुछ बैच इथियोपिया फुड मेडिसिन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन (ईएफएमएचसीए) के परीक्षणों में असफल हो गये हैं। इस शर्त पर चार परेषण में पूरी आपूर्ति प्रतिस्थापित करने की सहमति व्यक्त की गयी कि इथियोपियन संस्था को एचएलएल द्वारा प्रतिस्थापित किये गये प्रत्येक बैच की ओर खराब सामग्रियों के समान मात्रा वापस भेजना है।

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान कंडोम के 15 दशलक्ष अदद (35 बैचों में) बदले में प्रतिस्थापित किया और फार्मस्यूटिकल फंड और सप्लाई एजेंसी (पीएफएसए) ने 137 बैचों से 15 दशलक्ष अदद वापस किए। वापसी मालों के केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नै में आगे परीक्षण किया गया और सभी बैच पारित किये गये। पीएफएसए ने सूचित किया था कि वे पहले सहमत किये जैसे वे प्रतिस्थापन के साथ जारी नहीं रहेंगे।

पीएफएसए, इथियोपिया ने हमें भुगतान की गई रकम की शेष रकम की वापसी मांग कर दिनांक 13.2.2018 को कानूनी नोटिस भेजा था। हालांकि दिनांक 21.02.2018 के पत्र के अनुसार एचएलएल द्वारा इसको इनकार कर दिया गया।

23 सितंबर 2020 को पीएफएसए ने एचएलएल के खिलाफ फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के साथ उपरोक्त मामले के अनुरूप 45.60 करोड़ आईएनआर के बराबर दावा रकम के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया। एचएलएल को फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया से 12.10.2020 को सूचना मिली कि इस मामले पर पहली सुनवाई फरवरी 2021 को होगी। एचएलएल 18.02.2021 को अपने वकील, अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवाद बयान दाखिल किया।

29.04.2021 को सुनवाई हुई और मामला आदेश के लिए पोस्ट किया गया है। रु.45.60 करोड़ का दावा राशि आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है।

2.26 लेखांकन मानक (ए एस -37) के अनुसार प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे में बनाए गए प्रावधानों में गति से संबंधित प्रकटीकरण निम्न जैसे हैं:

(रु.करोड़)

वर्ष	वस्तुसूचियों की ओर प्रावधान		अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता*		अन्य के लिए प्रावधान**	
	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21
प्रारंभिक शेष	1.79	0.27	25.52	22.34	15.39	15.39
परिवर्धन	4.18	1.79	172.10	29.61	-	-
उपयोग		-	1.51	24.26	-	-
व्युत्क्रम	0.65	0.27	0.34	2.17	-	-
अंतिम शेष	5.32	1.79	195.77	25.52	15.39	15.39

* अप्रचलित वस्तुसूची की ओर प्रावधान बनाया गया।

*** प्राप्य और अन्य की ओर प्रावधान बनाए गए।

टिप्पणी सं 10 के अनुसार व्यापार प्राप्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से प्राप्य रु. 137.41 करोड़ शामिल है। इस में से रु. 123.74 करोड़ केरल के पारिपल्ली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित है, परियोजना नवंबर, 2010 में पूरी हुई और 21/10/2016 को ईएसआईसी द्वारा अधिग्रस्तित की गयी और शेष रकम रु. 13.67 करोड़ अन्य असाइनमेंट से संबंधित है। इन में से रु. 123.74 करोड़, रु. 28.98 करोड़ किये गये काम का मूल्य है और रु. 94.76 करोड़ का एक्सलेशन क्लेम अक्टूबर 2012 से समय विस्तार के लिए लंबित अनुमोदन है।

2.25 During the year 2015-16, the company had exported 69.88 Mpcs of male condoms to Ministry of Ethiopia through Pharmaceutical Fund and Supply Agency, Ethiopia and the collections were also received. Later PFSA communicated that some of the batches failed the tests of Ethiopia Food Medicines and Health Care Administration (EFMAHCA). It was agreed to replace the entire supplies in four consignments on the condition that the Ethiopian entity has to send back equal quantity of the defective material against each batch of replacement done by HLL.

The Company replaced 15 Mpcs of Condom (in 35 batches) and in return Pharmaceuticals Fund and Supply Agency (PFSA) has returned 15 Mpcs from 137 batches during 2017-18. The returned goods were further tested at Central Drug Testing Laboratory, Chennai and all batches were passed. PFSA had informed that they would not continue with the replacement, as agreed earlier.

PFSA, Ethiopia had sent a legal notice dated 13.02.2018 demanding refund of balance amount paid to us. However, this was denied by HLL vide letter dated 21.02.2018.

On 23rd September 2020, PFSA filed a Civil Case against HLL with the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia in line with the above matter for a claim amount equivalent to INR 45.60 Cr. HLL received intimation from the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia on 12.10.2020 that the first hearing on the matter will be in February 2021. HLL filed the defence statement through our counsel on 18.2.2021.

Hearing was held on 29.04.2021 and the matter is posted for orders. The claim amount of Rs. 45.60 Crores is included in contingent liability.

2.26 Pursuant to the Ind AS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the disclosure relating to movement in provisions made in the accounts for the year ended 31st March 2022 is as follows:

(₹ Crs)

Year	Provision against Inventories*		Allowance for Bad and doubtful debts**		Provision for Others**	
	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21
Opening Balance	1.79	0.27	25.52	22.34	15.39	15.39
Additions	4.18	1.79	172.10	29.61	-	-
Utilizations	-	-	1.51	24.26	-	-
Reversals	0.65	0.27	0.34	2.17	-	-
Closing Balance	5.32	1.79	195.77	25.52	15.39	15.39

*Provision created against obsolete inventories

**Provision created against receivables & others

2.27 Trade Receivables as per Note No 10 includes ₹ 137.41 crores receivable from Employees State Insurance Corporation (ESIC). Out of this, ₹123.74 Crores pertains to claims for Construction of Medical College at Paripally in Kerala, the project started in November 2010, was completed and taken over by ESIC on 21/10/2016 and balance ₹13.67 crores pertains to other assignments. Out of this ₹ 123.74 crores, ₹ 28.98 crores is value of work done and ₹ 94.76 crores being escalation claims pending approval for extension of time from October 2012.

इस ₹94.76 करोड़ प्राप्य के खिलाफ ₹62.45 करोड़ को इस टर्न की परियोजना पर मेसेर्स एल & टी को देय वर्धित दावों के खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।

एचएलएल अनुबंध के अनुसार आज भुगतान जारी करने के लिए अनुरोध करने से, ईएसआईसी के पत्र दिनांक 27.03.2018 के अनुसार एचएलएल को ₹92.93 करोड़ को वापस भुगतान करने का निर्देश दिया जो एचएलएल और ईएसआईसी के बीच में दिनांक 21.01.2010 के किसी भी सहमत अनुबंध की शर्तों के आधार पर नहीं है। लंबे समय से लंबित प्राप्तियों को विचार करके एचएलएल ने ईएसआईसी के साथ के समझौते के अनुसार विवाद निवारण प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया है और मध्यस्थता में रु. 437.19 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, मध्यस्थ को समाप्त कर दिया गया था, और विवाद समाधान में अत्यधिक देरी को देखते हुए, एचएलएल ने इस विवाद में सीपीएसईएस विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र को अपनाने का निर्णय लिया और 24.01.2022 को हुई 282 वीं बैठक में इस आशय की स्वीकृति प्रदान की गई। एएमआरसीडी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुरोध/आवेदन 03.01.2022 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किया गया था।

दिनांक 26.04.2022 के आदेश के अधीन एक समिति गठित की गई है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव और विधि कार्य विभाग के सचिव शामिल हैं। समिति को अपने गठन के 3 महीने के अंदर अपने निर्णय को अंतिम रूप देना अनिवार्य है और पहली बैठक 02.05.2022 को आयोजित की गई थी।

मेसेर्स एल & टी के साथ व्यवस्थापन लंबित होने के कारण, अनुबंध के अनुसार मेसेर्स एल & टी द्वारा विवाद निवारण तंत्र की शुरुआत की गई थी। तदनुसार एचएलएल ने एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है और मेसेर्स एल&टी ने ₹248.07 करोड़ के ब्याज (30.09.2019) के साथ ₹278.95 का दावा प्रस्तुत किया। एचएलएल ने ₹38.50 करोड़ के काउंटर दावे के साथ दावों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए अपने प्रतिवाद के बयान को प्रस्तुत किया। आगे एल & टी के प्रत्युत्तर के लिए उत्तर देते हुए एचएलएल के काउंटर दावे को ₹53.98 करोड़ में संशोधित कर दिया गया। वर्ष 21-22 के दौरान, एचएलएल ने काउंटर दावों में संशोधन के लिए अर्जी दायर की। एल & टी ने एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ एक अर्जी दायर की और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अर्जी की अनुमति दी और एकल मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने का आदेश पारित किया और एक नया एकल मध्यस्थ को नियुक्त किया। इस बीच में, एचएलएल ने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) भी दर्ज किया है। हालांकि, एचएलएल और एल & टी राशि के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।

2.28 एचएलएल ने गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से राज्य भर में जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए अपने पहल के रूप में अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर (एडीडीपीएमजेएस) खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस संबंध में, एचएलएल ने 6 सितंबर 2016 को मेसेर्स गुजरात राज्य सीएसआर प्राधिकरण और मेसेर्स गुजरात मेडिकल सर्विसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनने तक फार्मिसियों की स्थापना और संचालन के लिए एमओयु हस्ताक्षर किया। एचएलएल ने नवंबर 2016 के महीने में गुजरात में 52 अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर संस्थापित किये थे। 2017 में, गुजरात सरकार द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था, लेकिन इसने रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएं और प्रचालन को नहीं निकाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार द्वारा पारित संकल्प के अनुसार, एचएलएल ने 18.05.2018 के प्रभाव से स्टोर का प्रचालन ले लिया।

संकल्प के अनुसार, जीएमएससीएल ने उसकी लेखापरीक्षा आयोजित करने के बाद स्थानांतरण की तारीख तक गुजरात प्रचालन की हानि रकम व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है।

इस प्रकार 17/05/2018 तक रु. 12.32 करोड़ की रकम की संचित हानि अन्य चालू परिसंपत्तियों - टिप्पणी-14 के तहत मेसेर्स गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएसपीएल) से प्राप्य के रूप में परिकलित किया गया है। आगे रु. 13.70 करोड़ मेडिसिन आपूर्ति की ओर गुजरात मेडिकल सर्विसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) से देय है जो व्यापार प्राप्य में शामिल किया गया है। जीएमएससीएल से परिक्रामी निधि के रूप में एचएलएल द्वारा प्राप्त रु. 15.00 करोड़ की रकम टिप्पणी सं. 22 चालू वित्तीय परिसंपत्तियों-अन्य के अधीन दिखायी गई है।

As against this ₹ 94.76 crores, receivable, ₹ 62.45 crores is recognized as expenses towards escalation claims payable to M/s. L & T as part of their bills on this turnkey project.

As HLL was requesting for release of eligible payments due as per contract, ESIC vide letter dated 27.03.2018 directed HLL to pay back ₹ 92.93 crores, which is not based on any agreed contract terms between HLL and ESIC dated 21.01.2010. Considering the long pending receivables, HLL has requested for dispute redressal process as per agreement between ESIC and a claim of Rs.437.19 crores is submitted in arbitration. However, the arbitrator was terminated, and considering the inordinate delay in the dispute resolution, HLL decided to adopt Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes [AMRCD] in this dispute and approval to this effect was accorded in 282nd Board meeting held on 24.01.2022. The request / application for initiating AMRCD proceedings was made to the Secretary, MoHFW for initiating AMRCD proceedings was made on 03.01.2022.

Vide order dated 26.04.2022 a committee comprising of Secretary Ministry of Health and Family Welfare, Secretary Ministry of Labour and Employment, and Secretary Department of Legal affairs is constituted. The committee is mandated to finalise its decision within 3 months of its constitution and the first meeting was held on 02.05.2022. Provision towards this is available as on 31.03.2022.

Due to pendency of settlement on dues with M/s. L & T, Dispute redressal mechanism as per contract was initiated by M/s L&T. Accordingly HLL appointed Sole arbitrator and M/s. L&T submitted claim of ₹ 278.95 crores along with interest (up to 30.09.2019) of ₹ 248.07 crores. HLL submitted its statement of Defence explicitly denying the claims along with counter claim of ₹ 38.50 crores. Further while responding to the Rejoinder of L&T, the counter claim of HLL was revised to ₹53.98 crores. During the year 21-22, HLL filed petition to amend counter claims. L & T filed a petition with Hon'ble Delhi High Court to terminate the mandate of sole Arbitrator and the Hon'ble High Court allowed the petition and passed order terminating the mandate of Sole Arbitrator and appointed a new sole Arbitrator. In the meantime, HLL has also filed a Special Leave Petition (SLP) before the Supreme Court. However, HLL and L&T are trying for an amicable settlement of the amount in the spirit of mediation.

- 2.28** HLL in association with Gujarat State Government started the process of opening AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores (ADDPMJAS) as part of their initiative for promoting Generic Drugs across the State. In this regard, HLL signed a MoU with M/s. Gujarat State CSR Authority and M/s. Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] on 6th September 2016 for setting up and operating pharmacies until a JV Company is formed. HLL had set up 52 AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores in Gujarat in the month of November 2016. In 2017, a JV company was formed by Govt of Gujarat, but it did not take out the Assets, Liabilities and Operations of Retail Drug Stores. As per the Resolution passed by Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, HLL has taken over the operations of the stores w.e.f 18.05.2018.

As per the Resolution, GMSCL has agreed to settle the loss amount of Gujarat operations till the date of transfer after conducting audit of the same.

The cumulative loss up to 17/05/2018 amounting to ₹ 12.32 Crores is accounted as receivable from M/s Gujarat Arogya Seva Private Limited [GASPL] under Note no. 14: Other Current Assets. Further ₹ 13.70 Crores is due from Gujarat Medical Services Corporation Ltd (GMSCL) against medicine supplies, which is included in Trade Receivables and provision towards this is available as on 31.03.2022. An amount of ₹ 15.00 crores received by HLL as revolving fund from GMSCL is shown under Note no. 22: Current Financial Liabilities - Others.

समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिनांक 28.01.2021 के पत्र संख्या जीएमएससीएल के अनुसार जीएमएससीएल ने मेसेर्स धीरूभाई शाह & कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार को एचएलएल के प्रचालन हानि के दावे का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा टीम ने हमारे दावे केलिए समर्थन दस्तावेजों का सत्यापन पूरा किया और एचएलएल ने मार्च 2022 तक सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट कर दिया है। लेखापरीक्षा पार्टी अपनी रिपोर्ट जीएमएससीएल को प्रस्तुत की जाती है और ₹12.32 करोड की दावा रकम की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र करने के लिए जीएमएससीएल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

2.29 टिप्पणी -14 अन्य चालू परिसंपत्तियों में मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज से प्राप्य रु. 4.92 करोड की रकम शामिल है जो मध्यस्थता के अधीन है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज के मामले में को 01.04.2014 के प्रभाव से प्रति वर्ष 9% की दर के ब्याज के साथ रु. 4.92 करोड के लिए कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थता एवार्ड प्राप्त हुआ है।

2.30 पट्टे जहाँ गृप पट्टेदार है

गृप के पट्टों में मुख्य रूप से विनिर्माण व्यवसाय के साथ गोदाम सुविधाओं के लिए भूमि और भवन और संयंत्र और उपकरण शामिल हैं।

आरओयु परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है :

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ) रु. करोडों में

विवरण	भूमि व मकान	संयंत्र व उपकरण	कुल
1अप्रैल 2020 तक के शेष	6.49	27.22	33.71
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन	-	8.31	8.31
निपटान	-	-	-
31 मार्च 2021 तक के शेष	6.49	35.53	42.02
संचित मूल्यहास	0.64	5.79	6.43
31 मार्च 2021 तक के निवल ब्लॉक	5.85	29.74	35.59
1अप्रैल 2021 तक के शेष	5.85	29.74	35.59
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च 2022 तक के शेष	5.85	29.74	35.59
संचित मूल्यहास	0.65	7.41	8.06
31 मार्च 2022 तक के निवल ब्लॉक	5.20	22.33	27.53

As per the MOU terms, GMSCCL vide letter dated 28.01.2021 has appointed M/S Dhirubhai Shah & Co LLP, Chartered Accountants to do the special audit of the HLL claim of operational loss. The audit team has completed the verification of the supporting documents of our claim and HLL has clarified all queries by March 22. The auditor is yet to submit their report to GMSCCL and follow up is made with GMSCCL for the re-imbusement of the claim amount of ₹ 12.32 Cr at the earliest.

2.29 Note no. 14: Other Current Assets include an amount of ₹4.92 Crores receivable from M/s Goa Mining Industries which was under Arbitration. During the year 2018-19, the company has received an arbitral award in favour of the company for ₹ 4.92 Crores with interest @ 9% per annum w.e.f. 01.04.2014 in the case of M/s Goa Mining Industries. Provision towards this is available in the books.

2.30 Leases where the group is Lessee

The Group's leases mainly comprise of land and buildings and Plant and equipment for manufacturing, business as well as warehouse facilities.

The details of ROU Assets and Liabilities are as follows:

Right of Use Assets (Leased Assets)

(₹ Crs)

Particulars	Land & Building	Plant & Equipment	Total
Balance as on 1st April 2020	6.49	27.22	33.71
Additions during FY 2020-21	-	8.31	8.31
Disposals	-	-	-
Balance as on 31st March 2021	6.49	35.53	42.02
Accumulated depreciation	0.64	5.79	6.43
Net Block as on 31st March 2021	5.85	29.74	35.59
Balance as on 1st April 2021	5.85	29.74	35.59
Additions during FY 2021-22	-	-	-
Disposals	-	-	-
Balance as on 31st March 2022	5.85	29.74	35.59
Accumulated depreciation	0.65	7.41	8.06
Net Block as on 31st March 2022	5.20	22.33	27.53

पट्टा देयता

रु. करोड़ों में

विवरण	पट्टा देयता
1 अप्रैल 2020 तक के शेष	34.61
अवैतनिक किराया समायोजित उलटा	1.77
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्ध	8.31
अर्जित ब्याज	2.58
पट्टा किराया	8.13
31 मार्च 2021 तक के शेष	35.61
1 अप्रैल 2021 तक के शेष	35.61
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जोड	-
अर्जित ब्याज	2.57
पट्टा किराया	10.00
31 मार्च 2022 तक का शेष	28.18
चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	8.07
गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	20.11

मानक द्वारा अपेक्षित जैसे, पट्टा देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण अन्य वित्तीय देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण से अलग दिखाया गया है टिप्पणी-33 : वित्तीय साधन

2.31 कोविड- 19 के प्रापण के लिए नोडल एजेंसी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 फरवरी 2020 को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के प्रापण के लिए एचएलएल को नोडल प्रापण एजेंसी के रूप में नामित किया। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट शामिल है जिनमें कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क, गॉगल्स, नाइट्राइल ग्लॉव्स, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद यानी वेंटिलेटर, दवाएं जैसे एचसीक्यू और एंज़िथ्रोमाइसिन, कार्ट्रिज आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, घरेलू स्रोतों से संभावित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करके उपरोक्त उत्पादों के प्रापण शुरू किया। कपडा मंत्रालय (एमओटी) की मदद से विकसित विनिर्माण क्षमताएं, मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की मदद मांगी गई। इस उद्देश्य के लिए एक 24/7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष चालू किया गया था।

जनवरी 2021 के दौरान, एचएलएल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीदी के लिए प्रापण एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अग्रिम भुगतान और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार द्वारा पहचाना गया। दो घरेलू वैक्सीन निर्माताओं से प्रापण किया जाना था। प्रारंभिक आदेश के लिए, धनराशि प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि से जारी की गई थी और उसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एचएलएल के माध्यम से वैक्सीन प्रापण का निधिकरण कर रहा है। एचएलएल ने वैक्सीन के प्रापण की गतिविधियों के लिए एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की क्षमता का उपयोग किया है और तदनुसार वैक्सीन की आपूर्तियों पर प्रबंधन शुल्क एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साथ साझा किये गये थे।

कोविड वैक्सीन

एचएलएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एमओएचएफडब्लियु निधि के स्रोतों से नीचे उल्लिखित कोविड वैक्सिनो खरीदे और आपूर्ति की है।

Lease Liability		₹ in Crs
Particulars	Lease liability	
Balance as on 1st April 2020	34.61	
Unpaid Rent adjusted reversed	1.77	
Additions during FY 2020-21	8.31	
Interest accrued	2.58	
Lease rent	8.13	
Balance as on 31st March 2021	35.61	
Balance as on 1st April 2021	35.61	
Additions during FY 2021-22	-	
Interest accrued	2.57	
Lease rent	10.00	
Balance as on 31st March 2022	28.18	
Lease liability classified as current	8.07	
Lease liability classified as Non-current	20.11	

As required by the Standard, Maturity analysis of Lease Liabilities have been shown separately from the maturity analysis of other financial liabilities under Note 33: Financial Instruments.

2.31 Nodal agency for Procurement of COVID-19

MoHFW on 21st Feb 2020 designated HLL as the nodal procurement agency for procurement of essential medical supplies concerning Covid-19 management. The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipment's (PPE) Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products i.e., Ventilators, Medicines like HCQ & Azithromycin, Cartridges etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products by identifying potential manufacturers / suppliers from domestic sources, developed manufacturing capabilities with the help of Ministry of Textiles (MoT), standardized testing protocols, and the help of Indian Missions abroad was sought for import from overseas suppliers. A 24/7 Emergency Control Room was made operational for the purpose.

During January 2021, HLL was appointed as Procuring Agency for the procurement of Covid19 Vaccine as well. The procurement was to be made from three domestic vaccine manufacturers, as identified by Government of India, with upfront payment and supply commitments. For initial order, funds towards the same was released from PM CARES fund and thereafter, MoHFW is funding the vaccine procurement through HLL. HLL has utilized the capacity of HLL Biotech Limited towards the vaccine procurement activities and accordingly management fee on vaccine supplies were shared with HLL Biotech Ltd.

COVID VACCINE

HLL has purchased and supplied the below mentioned Covid Vaccines for the Financial Year 2021-22 from the sources of MoHFW fund:

आपूर्तिकर्ता	वैक्सीन	डोजों की संख्या
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड	कोवैक्सीन	31.29 करोड
सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड	कोवीशील्ड	122.25 करोड
बायोलजिकल ई लिमिटेड	कोरबीवैक्स	5.00 करोड

एचएलएल ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड से सेवाओं का लाभ उठाया है, कोविड वैक्सीन प्रापण की दिशा में एचएलएल की पूर्ववर्तीसहायक कंपनी है। ऐसी सेवाओं के लिए, एचएलएल ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड से वैक्सीनों की आपूर्ति के लिए एमओएचएफडब्लियु से प्राप्त प्रबंधन शुल्क का 50% एचबीएल को भुगतान किया है।

उपरोक्त वैक्सीनों के अलावा, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेमेडिसविर वैक्सीन और एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दवा के प्रापण किया है और वेंटिलेटर की आपूर्ति जारी रखी।

2.32 बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पत्र संख्या ए-45013/117/2021/एचपीई दिनांक 23 मार्च 2022 द्वारा संशोधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए। राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार, 01 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ के साथ 1 जनवरी 2017 से वेतन संशोधन लागू किया गया था। हाइट्स के संबंध में वेतन संशोधन 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी था।

2.33 डीपीई ओ.एम.सं. 2(70)/08-डीपीई(डब्लियुसी)-जीएल-XVI/08, दिनांक 26 नवंबर 2008, के अनुबंध -III के प्रावधान के अनुसार, पीआरपी प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादन पर आधारित होगा और सीपीएससी के लाभ से निकलेगा। पीआरपी के 60%, कर के पहले लाभ (पीबीटी) के 3% लाभ तक दिया जाएगा और पीआरपी के 40%, वृद्धिशील लाभ के 10% होगा। वृद्धिशील लाभ का अर्थ, पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में लाभ में वृद्धि होगा। हालांकि कुल पीआरपी वर्ष के पीबीटी के 5% तक सीमित होगा, जो सीपीएससी में अधिकारियों व गैर संघीय पर्यवेक्षकों के लिए होगा।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार पीआरपी की अधिकतम सीमा मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों (निष्क्रिय नकदी/ बैंक शेष पर ब्याज पर विचार किए बिना) से वर्ष के लाभ का 5% है। तदनुसार, लेखांकन के मिलान सिद्धांत का पालन करने के लिए एचएलएल इंफ्राटेक सर्विस लिमिटेड (हाइट्स) के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पीआरपी के लिए 1.32 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। मिलान सिद्धांत के अनुसार, खर्च उस अवधि के दौरान दर्ज किए जाने चाहिए जिसमें वे खर्च किए गए हों, भले ही नकदी का हस्तांतरण कब हुआ हो।

हालांकि, उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में कंपनी की पात्रता के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से अलग अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त प्रावधान की देयता का निर्वहन किया जाएगा।

2.34 एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विस लिमिटेड(हाइट्स) एक निष्पादन एजेंसी और प्रापण समर्थन एजेंट है और ग्राहकों के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से संबंधित निर्माण एवं प्रापण परियोजनाएँ चालू करते हैं।

निर्माण एवं प्रापण के लिए किए गए भुगतान को हाइट्स द्वारा चालू रखी परियोजनाओं के लिए चार्ज किया जाता है। कंपनी के राजस्व को इंड ए एस 115 में परिभाषित जैसे और न सकल निर्माण एवं प्रापण मूल्य के लिए ग्राहक के साथ के समझौते के अनुसार योग्य परामर्श शुल्क के लिए ही अंकित किया जाता है। इसलिए परियोजनाओं के लिए निर्माण व खरीद के लिए किए गए भुगतान से संबंधित जीएसटी क्रेडिट हाइट्स के लिए पात्र नहीं है।

वर्ष के दौरान, प्रापण/ठेकेदार के भुगतान के खिलाफ के जीएसटी क्रेडिट की ओर ₹ 141.11 करोड (अनुमानित) का रकम, हाइट्स के लिए पात्र नहीं है और उसी का दावा नहीं किया जाता है। हालांकि वही हाइट्स के जीएसटी संख्या पर प्रतिबिंबित किया जाता है।

Supplier	Vaccine	No. of Doses
Bharat Biotech International Ltd	Covaxin	31.29
Serum Institute Life Sciences Pvt Ltd	Covishield	122.25
Biological E Ltd	Corbevax	5.00

HLL has availed the services from HLL Biotech Ltd, erstwhile subsidiary of HLL towards Covid Vaccine Procurement. For such services, HLL has paid HBL 50% of the management fee received from MOHFW, for supplies of vaccines from Bharat Biotech International Ltd and Serum Institute Life Sciences Pvt Ltd.

In addition to the above Vaccines, HLL Lifecare Limited has procured Remdesivir vaccine and Amphotericin injection medicine from various suppliers and continued Ventilator supplies.

2.32 Pursuant to the approval of the Board, the Ministry of Health and Family Welfare vide letter No. A-45013/117/2021/HPE dated 23rd March 2022 issued the Presidential Directive for implementation of the revision. In line with the Presidential Directive, the wage revision was implemented with effect from 1st January 2017 with financial benefit from 01st April 2021. In respect of HITES, the wage revision was effective from 01st April 2020.

2.33 As per the provision of Annexure- III of the DPE O.M. No. 2(70)/08-DPE (WC)-GL-XVI/08 dated 26th November, 2008, the PRP would be based on physical and financial performance and will come out of profits of the CPSE. 60% of the PRP will be given with the ceiling of 3% of profit before Tax (PBT) and 40% of PRP will come from 10% of incremental profit. Incremental profit would mean the increase in profit as compared to previous year's profit. The total PRP, however, will be limited to 5% of the year's PBT, which will be for executives as well as non-unionised supervisors in a CPSE.

As per the above guidelines maximum ceiling of PRP is 5% of the year's profit from core business activities (without consideration of interest on idle cash/ bank balances). Accordingly, a provision of Rs 1.32 Crores has been made for PRP during current Financial Year in respect of HLL Infra Tech Services Limited (HITES) in order to follow the matching principle of accounting. As per the matching principle, the expenses should be recorded during the period in which they are incurred, regardless of when the transfer of cash occurs.

However, Payment of above-mentioned amount will be made after obtaining separate approvals from the competent authorities as per the eligibility of the company with reference to the above mentioned DPE guidelines.

2.34 HLL Infra Tech Services Limited (HITES) is an executing agency & procurement support agent and undertakes the construction and procurements projects related to Hospitals & Medical College for the clients.

The payment made for construction and procurement are charged to the projects held by HITES. The revenue of the company is booked only for the eligible consultancy fee as per the agreement with client and as defined in IND AS 115 and not for the gross construction and procurement value. Hence the GST credit related to the payments made for the construction and procurement for projects are not eligible to HITES.

During the year, an amount of Rs.141.11 Crores (Approx.) towards GST credit against the procurement/contractor payments is not eligible to HITES and the same is not claimed. However, the same is reflected on the GST number of HITES.

- 2.35 हाइट्स के संबंध में, कंपनी के कर दायित्व को ₹ 3.31 करोड़ (लगभग) के प्राप्य टीडीएस, अर्थात् परियोजना निधि और परियोजना के जुटाव अग्रिमों पर ब्याज से घटाया गया है, के साथ समायोजित करके धनवापसी का दावा कर रहा है। चूँकि ग्राहकों के साथ के समझौते के अनुसार परियोजनाओं की निधि के अंतर्गत के ब्याज पर घटाए गए टीडीएस को हाइट्स के पैन् में दर्ज किया जाता है, उसी को आयकर उद्देश्य के लिए क्रेडिट के रूप में लिया जाता है और समतुल्य निधि को संबंधित परियोजना निधि में वापस अंतरित किया जाता है।
- 2.36 हाइट्स के संबंध में, कंपनी ने अनुबंधों के लिए इंड ए एस 115 से संबंधित प्रकटीकरण के अनुसार शेष निष्पादन दायित्व का खुलासा नहीं किया है जो निष्पादन के अधीन है और 31.03.2022 को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि शेष निष्पादन दायित्व परिवर्तन के अधीन है और समाप्ति, अनुबंधों के दायरे में परिवर्तन, आवधिक पुनर्वैधीकरण, राजस्व के लिए समायोजन, जो अमल में नहीं आया है और मुद्रा के लिए समायोजित नहीं किया है, सहित कई कारकों से प्रभावित हैं।
- 2.37 जीएपीएल के वित्तीय विवरणों के संबंध में :
1. विविध देनदारों, ऋण एवं अग्रिमों, दावों, आपूर्तिकर्ताओं और विविध लेनदारों के साथ अग्रिम की शेष राशि पुष्टि/समाधान एवं परिणामी समाधान, यदि कोई हो, के अधीन है।
 2. जीएपीएल की आकस्मिक परिसंपत्ति शून्य है।
 3. वित्तीय वर्ष 2021-22 में गोवा सरकार से प्राप्त ब्याज इमदाद रु. 0.09 करोड़ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 0.02 करोड़ थी।
 4. भुगतान के लिए देय तिथि से छ महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया अप्रतिभूत व्यापार प्राप्य में गोवा फुड एंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (जीएफपीपीएल) से प्राप्त रु. 4.13 करोड़ शामिल हैं। पार्टी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में दिवालियापन के लिए आवेदन दायर किया है।
 5. 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्रदान की गई क्षति हानि शून्य है।
 6. पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंध की अनुमानित राशि और जो विकास के तहत मूर्त परिसंपत्ति के लिए प्रदान नहीं किया गया है, शून्य हैं।
- 2.38 देनदार, लेनदार तथा ऋण व पेशगियों में शेष पुष्टि/मेल-मिलाप के अधीन है । तथापि निर्यात बिक्री से प्राप्य विदेशी मुद्रा, पुष्टि /मेल मिलाप के अधीन है और इसके फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा मूल्यांकन का अभिलाभ या हानि भिन्न हो सकते हैं ।
- 2.39 निवेश संपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(i) किराए से आय

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
किराए से आय	0.85	0.97
मूल्यहास	0.17	0.12
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	0.69	0.53

(ii) उचित मूल्य

31 मार्च 2022 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य सीपीडब्लियु रेटिंग के आधार पर प्रति पीएआर (प्लिंथ क्षेत्र संदर्भ) ₹4.20 करोड़ अनुमानित है।

2.35 With respect to HITES, the Company is claiming refund by adjusting Company's tax liability with TDS receivable of Rs. 3.31 Crores (Approx.) i.e., deducted from the interest on project funds and project's mobilization advances. Since the interest belongs to the projects fund, as per the agreement with clients and the TDS deducted on the interest is recorded at the PAN of HITES, the same is taken as credit for income tax purpose and the equivalent fund is transferred back to the respective project fund.

2.36 With respect to HITES, the Company has not disclosed the remaining performance obligation as per IND AS 115 related disclosures for contracts which are under execution and not completed as on 31/03/2022 as remaining performance obligation are subject to change and are affected by several factors, including terminations, changes in the scope of contracts, periodic revalidations, adjustment for revenue that has not materialized and adjustments for currency.

2.37 With respect to GAPL financial statements:

1. The balances of Sundry Debtors, Loans and Advances, Claims, Advance with Suppliers and Sundry Creditors are subject to confirmation/reconciliation and consequent reconciliation, if any.
2. The Contingent Assets of GAPL is Nil.
3. Interest subsidy received from Goa Government is Rs. 0.09 Crores in the Financial Year 2021-22 as against Rs. 0.02 Crores in Financial Year 2020-21.
4. The Unsecured Trade Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment includes Rs. 4.13 Crores receivable from Goa Food and Pharma Private Limited (GFPPL). The party has filed application for insolvency in National Company Law Tribunal (NCLT).
5. Impairment loss provided for the period ended 31st March 2022 is Nil.
6. Estimated amount of contract remaining to be executed on capital accounts and not provided for Tangible assets, under Development are NIL.

2.38 Balance in Debtors, Creditors and loans and advances are subject to confirmation / reconciliation. However, most of the debtors are government /government institutions Receivable in Foreign Currency out of Export sales is subject to confirmation/reconciliation and consequently Foreign Currency Valuation gain or loss may vary.

2.39 Additional Disclosure for Investment Properties:

(i) Rental Income:

(Rs in Cr)

Description	As at 31 st March 2022	As at 31 st March 2021
Rental income	0.85	0.97
Depreciation	0.17	0.12
Profit from leasing of investment properties	0.69	0.53

(ii) Fair value:

Fair value of Investment Properties as on 31st March 2022 is estimated at ₹4.20 crores based on CPW ratings per PAR (Plinth Area Reference).

(iii) मूल्यहास

निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।

- 2.40 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो तकनीकी अप्रचलन और परिसंपत्तियाँ पुराने होने के कारण अनुप्रयोगी है और उन्हें स्क्रेप की गई परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के संचयन और स्क्रेप निपटान की आर्थिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों को नियमित अंतराल पर एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा। बिक्री के लिए रखी गई और एक वर्ष के भीतर बेची नहीं गई स्क्रेप की गई संपत्ति को गैर -चालू संपत्ति में ले जाया जाता है और बहियों में प्रदान किया जाता है।
- 2.41 अनुबंध व्यय, परियोजना और सेवा प्रभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय है, जिसकी ओर अनुबंध आय को मान्यता दी जाती है।
- 2.42 इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय साधन पर अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 33 में दिया गया है।
- 2.43 इंड एएस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 34 में दिया गया है।
- 2.44 इंड एएस 33 के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 35 में दिये गये हैं।
- 2.45 इंड एएस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 36 में दिया गया है।
- 2.46 इंड एएस 108 के अनुसार परिचालन खंड के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 37 में दिया गया है।
- 2.47 इंड एएस 12 के अनुसार आयकर और आस्थगित कर के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 38 में दिया गया है।
- 2.48 कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के संबंध में वित्तीय जानकारी अनुबंध I एवं II में दी गई है।
- 2.49 एचएलएल के संबंध में, वर्ष के दौरान दो स्टॉकिस्टों ने रु. 4.23 करोड़ के सामाजिक विपणन कंडोम और रु.1.04 करोड़ की मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ, कुल मिलाकर रु.5.27 करोड़ की एक्सपायर्ड सामग्रियाँ वापस कर दी हैं। विपणन प्रभाग के मुताबिक, ड्रग्स और फार्मस्यूटिकल इंडस्ट्री में बाजार रीति के अनुसार स्टॉक को वापस लेना होता है। चूँकि बोर्ड ने उक्त समाप्त हो चुके स्टॉक को बड़े खाते में डालने की मंजूरी नहीं दी है और इन लेनदेन के संबंध में स्पष्टीकरण एवं विवरण माँगा है और उस पर विचार करते हुए इसमें शामिल राशि वित्तीय विवरण को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं कर रही है, कंपनी के रिटर्न का हिसाब नहीं दिया है और उसी की ओर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 2.50 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः एकत्रित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त नियामक जानकारी

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना को एमसीए पत्र दिनांक 22 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 पर 01.04.2019 के प्रभाव से मंजूरी दे दी है। धारक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नोट 2.13 और 2.14 में बताए गए परिवर्तनों को छोड़कर ऐसे परिवर्तनों का हिसाब लिया है।
2. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अधीन ग्रूप के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
3. ग्रूप को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
4. परिसंपत्ति पर सभी शुल्क सांविधिक अवधि के अंदर आरओसी के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

(iii) Depreciation:

Depreciation on Investment properties have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.

- 2.40** Assets classified as held for sale consists of non-current assets which are un-serviceable due to technological obsolescence and ageing of the assets and are declared as scrapped assets. These assets will be disposed off through a tendering process on regular intervals taking into consideration of the accumulation of these items and economic quantity of scrap disposal. Scrapped assets held for sale and not sold within a year are taken to non-current assets and provided for in the books
- 2.41** Contract Expenses are direct expenses incurred towards the implementation of various projects by Projects & Services Division against which Contract Income is recognized.
- 2.42** The disclosures required on Financial Instruments as per Ind AS 109 are given in Note 33
- 2.43** The disclosures relating to Employee Benefit expense as per Ind AS 19 are given in Note 34
- 2.44** The disclosures relating to Contingent Liabilities and contingent assets as per Ind AS 33 are given in Note 35.
- 2.45** The disclosure relating of Related Party transactions as per Ind AS 24 are given in Note 36
- 2.46** The disclosure in respect of Operating Segments as per Ind AS 108 is given in Note 37
- 2.47** The disclosure in respect of Income Tax and Deferred Tax as per Ind AS 12 is given in Note 38
- 2.48** Financial Information regarding subsidiaries and joint venture as required by Companies Act, 2013 is given in Annexure I & II
- 2.49** In respect of HLL, during the year two stockists have returned the expired social marketing condoms of Rs. 4.23 Crores and Oral Contraceptive pills of Rs. 1.04 Crores, aggregating to Rs. 5.27 Cr. Since Board has not approved the write off of the said expired stock and called for clarification and details in respect of these transactions and considering that the amount involved is not materially affecting the financial statements, company has not accounted for the returns and no provisions are made towards the same.
- 2.50** Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to correspond with the current period classifications/disclosures.

Additional Regulatory information as required by Companies Act

- 1 The Ministry of Corporate affairs has approved the scheme of arrangement of demerger of HLL Biotech limited and HLL Medipark limited with effect from 01-04-2019 vide MCA letter dated 22nd March 2021 and 31st March 2021. The holding company has accounted the effect of such changes in the financial year 2020-21 except for those stated in 2.13 and 2.14.
- 2 No proceeding under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) has been initiated against the Group.
- 3 The Group has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial institution or lenders.
- 4 All charges on assets have been registered with ROC within the statutory period.

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
6. वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।
7. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
8. कंपनी की चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों के साथ कार्यशील पूंजी की सीमा है और बैंकों को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियाँ सामान्य रूप से बही खाते के साथ समझौते में है।
9. कंपनियों की परतों की संख्याओं के साथ अनुपालन के संबंध में, कंपनी (परतों की संख्या का प्रतिबंध) नियम, 2017 के नियम 2 (घ) के अनुसार यह प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।
10. कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को नोट संख्या 12 ऋण और नोट 36 संबंधित पार्टी लेनदेन के तहत प्रकट किए गए अग्रिम के अलावा गंभीर रूप से या संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।
11. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी को कंपनी अधिनियम के अधीन बंद की गई कंपनी से कोई संबंध नहीं है।
12. हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में समझ के साथ कोई निधि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य श्रोत या प्रकार के निधि से) चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करेगा।
13. हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्था सहित कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ है, यह समझने के साथ लिखित रूप में दर्ज किया गया है या अन्यथा कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।
14. कंपनी की कोई अघोषित आय नहीं है जिसे सरेंडर कर दिया गया है या आयकर अधिनियम 1961 के अधीन वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में प्रकट किया गया है।

- 5 The Group has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the Financial year 2021-22.
- 6 The title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the Group.
- 7 The Group has not revalued its Plant, Property and Equipment during the year
- 8 The Group has working capital limits with banks on the basis of security of current assets and the quarterly returns submitted to the banks are generally in agreement with books of accounts
- 9 With respect of compliance with number of layers of companies, the provision is not applicable to a Government Company as per Rule 2(d) of Companies (Restriction of number of Layers) Rules, 2017.
- 10 The Group has not granted any loans or advance in the nature of loans to Promoters, Directors, KMPs and to Related parties either severally or jointly other than Advance disclosed under Note No 12 Loans and Note 36 Related party.
- 11 As per the information available with the Group the Group does not have any relation with company struck off under the Companies Act.
- 12 To the best of our knowledge and belief no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Group to or in any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Group or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries.
- 13 To the best of our knowledge and belief no funds have been received by the Group from any person or any other person or entity including foreign entity with understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Group or provide any guarantee, security or like on behalf of the ultimate beneficiaries.
- 14 The Group doesn't have any undisclosed income that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income tax act 1961.

**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022**

Note 3 : Plant, Property and Equipment

a) Current Reporting period

(₹ in Cr)

Fixed Assets	Gross block						Accumulated depreciation and impairment				Net block	
	1 st April 2021	Additions	Retirement	Transfer	Disposals/ Adjustments	31 st March 2022	1 st April 2021	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31 st March 2022	31 st March 2022	31 st March 2021
A. Tangible assets												
(a) Land												
Freehold	5.93	-	-	-	-	5.93	-	-	-	5.93	5.93	5.93
Leasehold	7.03	-	-	-	-	7.03	0.08	-	0.57	6.46	6.54	6.54
(b) Buildings	173.00	0.64	-	0.00	(0.70)	174.34	58.18	(0.10)	67.00	107.34	114.82	114.82
(c) Roads	1.10	-	-	-	-	1.10	0.91	0.04	0.95	0.15	0.19	0.19
(d) Plant and Machinery	197.36	4.47	0.25	0.54	0.79	201.04	104.02	16.42	119.73	81.31	93.34	93.34
(e) Electrical Installation & Eqpt.	46.91	0.18	0.00	0.02	0.02	47.07	33.56	3.51	37.06	10.02	13.35	13.35
(f) Furniture & Fixture	32.16	1.64	0.00	0.05	0.05	33.76	23.86	3.61	27.42	6.34	8.30	8.30
(g) Motor Vehicles	0.73	0.00	-	-	-	0.73	0.61	0.02	0.63	0.10	0.12	0.12
(h) Computer Data Processing	15.32	2.06	0.17	0.10	0.29	17.08	13.32	1.31	14.35	2.74	2.00	2.00
(i) Office Equipment	5.74	1.11	0.01	0.01	0.03	6.82	4.53	0.71	5.21	1.60	1.21	1.21
(j) Lab Equipment	26.58	0.41	0.00	0.01	0.01	26.98	19.79	1.69	21.47	5.51	6.79	6.79
Total	511.86	10.52	0.43	0.73	0.49	521.88	259.26	36.14	294.39	227.49	252.60	252.60
Previous year	503.83	9.45	-	-	1.41	511.86	219.69	40.83	259.26	252.60	284.13	284.13
B Investment Property	3.82	-	-	-	0.70	3.12	0.70	0.17	0.10	0.76	2.36	3.12
Previous year	3.82	-	-	-	-	3.82	0.58	0.12	0.70	3.12	3.24	3.24
C Capital Work In Progress												

अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यहास और हानि					निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2021	जोड़	सेवानिवृत्ति	स्थानांतरण	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2022	1 अप्रैल 2021	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
	(क) सिविल कार्य में प्रगति	9.52	1.79	-	0.70	0.70	10.60	-	-	-	-	10.60
(ख) परामर्श चार्ज	0.17	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	0.17	0.17
(ग) मशीनरी डब्लियु आई पी	0.66	1.48	-	0.35	0.35	1.79	-	-	-	-	1.79	0.66
कुल	0.35	3.27	-	1.06	1.06	12.56	-	-	-	-	12.56	10.35
पिछले वर्ष	4.11	6.60	-	-	0.36	10.35	-	-	-	-	10.35	4.11
घ अमूर्त परिसंपत्तियाँ												
(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	13.49	0.27	-	-	-	13.76	10.50	1.00	(0.91)	12.41	1.35	2.99
(ख) ट्रेडमार्क एवं पेटेंट	1.00	0.04	-	-	-	1.04	0.95	0.03	0.91	0.07	0.97	0.05
कुल	14.49	0.31	-	-	-	14.80	11.44	1.04	(0.00)	12.48	2.32	3.05
पिछले वर्ष	14.19	0.30	-	-	0.00	14.49	10.33	1.11	(0.00)	11.44	3.05	3.85
परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार												
(क) संयंत्र व मशीनरी	45.24	-	-	-	-	45.24	15.50	7.41	22.91	22.33	29.74	29.74
(ख) इमारतें	7.62	-	-	-	-	7.62	1.77	0.65	2.42	5.20	5.85	5.85
(ग) भूमि	0.002	-	-	-	-	0.002	0.0001	0.00003	0.0001	0.002	0.002	0.002
कुल	52.86	-	-	-	-	52.86	17.27	8.06	-	25.33	27.53	35.59
पिछले वर्ष 20-21	44.55	8.31	-	-	-	52.86	10.84	6.43	17.27	35.59	33.72	33.72

टिप्पणी

- पूर्ण स्वामित्व भूमि के मूल्य में शामिल हैं -
 - केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 11.44 एकड़ के टोकन मूल्य ₹1/- रहा है।
 - केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 7.14 एकड़ के टोकन मूल्य ₹1/- रहा है।
 - कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अंतरित 25 एकड़ और 38 गुंटा की पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹4.86 लाख रहा है।
 - कनगला गाँव में विविध पार्टियों से खरीदे 15 एकड़ और 33 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹16.83 लाख रहा है।
 - चेन्नई में 0.30 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाले भूमि की कीमत ₹ 567.92 लाख रहा है।
 - चेरुवैक्कल गाँव में 20 सेंट भूमि की कीमत ₹ 0.76 लाख रहा है।
 - केरल सरकार द्वारा अंतरित 1.06 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 2.16 लाख रहा है।

(₹ Crs)

Fixed Assets	Gross block						Accumulated depreciation and impairment				Net block	
	1 st April 2021	Additions	Retirement	Transfer	Disposals/ Adjustments	31 st March 2022	1 st April 2021	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31 st March 2022	31 st March 2022	31 st March 2021
(a) Civil work in progress	9.52	1.79		0.70	0.70	10.60	-	-	-	-	10.60	9.52
(b) Consultancy Charges	0.17				-	0.17	-	-	-	-	0.17	0.17
(c) Machinery WIP	0.66	1.48		0.35	0.35	1.79	-	-	-	-	1.79	0.66
Total	10.35	3.27	-	1.06	1.06	12.56	-	-	-	-	12.56	10.35
Previous year	4.11	6.60			0.36	10.35	-	-	-	-	10.35	4.11
D Intangible assets												
(a) Computer Software	13.49	0.27			-	13.76	10.50	1.00	(0.91)	12.41	1.35	2.99
(b) Trademarks & Patents	1.00	0.04			-	1.04	0.95	0.03	0.91	0.07	0.97	0.05
Total	14.49	0.31	-	-	-	14.80	11.44	1.04	(0.00)	12.48	2.32	3.05
Previous year	14.19	0.30	-		0.00	14.49	10.33	1.11	(0.00)	11.44	3.05	3.85
E Right of use Assets												
(a) Plant and Machinery	45.24	-			-	45.24	15.50	7.41		22.91	22.33	29.74
(b) Buildings	7.62	-			-	7.62	1.77	0.65		2.42	5.20	5.85
(c) Land	0.002					0.002	0.0001	0.00003		0.0001	0.002	0.002
Total	52.86	-	-	-	-	52.86	17.27	8.06	-	25.33	27.53	35.59
Previous year 20-21	44.55	8.31	-			52.86	10.84	6.43	-	17.27	35.59	33.72

Note:

1. Cost of Free hold Land includes -

- ₹ 1/- being the token value of 11.44 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
- ₹ 1/- being the token value of 7.14 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
- ₹ 4.86 lacs being the price of freehold land of 25 acres and 38 Guntas transferred by Karnataka Industrial Area Development Board.
- ₹ 16.83 lacs being the price of freehold land of 15 acres and 33 Guntas purchased from various parties at kanagala village.
- ₹ 567.92 lacs being the price of freehold land of 0.30 acres at Chennai.
- ₹ 0.76 Lacs being price of 20 Cents of land at Cheruvaikal Village.
- ₹ 2.16 Lacs being value of 1.06 acres of land transferred by the Govt. of Kerala.

2. इंड ए एस 101 के अनुसार 01.04.2015 (संक्रमण तारीख) तक की सभी परिसंपत्तियों को संक्रमण तारीख तक के इसकी समझी लागत के रूप में पूर्व जी ए ए पी के अनुसार मापित, मूल कीमत अपनाने के लिए कंपनी को चुना है।
3. पट्टे पर भूमि की लागत में निम्नलिखित शामिल है।
- क) 99 वर्षों के लिए केरल के बालरामपुरम में पट्टे पर रही 3 एकड़ भूमि और इमारत की मूल्य लागत ₹130.46 लाख रही है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 123.74 लाख)
- ख) ₹ 92.41 लाख मुंबई में 60 वर्षों के लिए पट्टे पर लिए 1005.22 स्क्वयर मीटर्स प्लॉट का आबंटन मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 87.48 लाख)
- ग) ₹ 261.94 लाख न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी (नोएडा), उत्तर प्रदेश में 90 वर्षों के लिए आबंटित 5000 स्क्वयर मीटर पट्टे पर ली गयी भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 231.51 लाख)
- घ) ₹ 262.39 लाख रबड़ पार्क इंडिया प्राइवट लिमिटेड से 90 वर्षों के लिए रबड़ पार्क, ऐरापुरम, पेरंबादूर, केरल राज्य की 306 सेन्ट भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 260.07 लाख)
4. ₹ 99/- केंद्रीय लेप्रसी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सी एल टी आर आई), चेंनाय, तमिलनाडु में 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आबंटित 430.10 एकड़ भूमि के मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - ₹.93/-). आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के 430.10 एकड़ भूमि एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को @10.12 करोड़ की दर पर निर्धारित किया गया है (56 एकड़ प्रति एकड़ के लिए @ ₹16.5 लाख पर और हिल्लोक के 44 एकड़ प्रति एकड़ @ ₹ 2.00 लाख पर)।
5. अधिकार के 430.10 एकड़ों में 3.38 एकड़ भूमि, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रति वर्ष ₹ 1/- पर 92 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गयी है।
6. केरल सरकार ने कोत्री तालूक, इरावोन गांव, पत्तनमतिट्टा जिला केरल में 4.783 एकड़ भूमि (पुनर सर्वे नं. 34/146/1,35/120/2,35/120/3) ग्रीनफील्ड ब्लड बैग परियोजना स्थापित करने की ओर आबंटित भूमि कंपनी को सुपुर्द की है। भूमि को प्रति वर्ष ₹ 19400/- की दर से पट्टे किराये पर 30 वर्षों की अवधि के लिए आबंटित किया गया है।
7. अपनाई गई मूल्यह्रास रीति निम्न जैसी है।
- (क) मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची क्षे के अधीन अपेक्षा के अनुसार किया गया है।
- (ख) संयंत्र और मशीनों के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यह्रास चार्ज किया गया है और अन्य परिसंपत्तियों के लिए (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली चार्ज की गयी है ताकि अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के मूल्य के 5% अवशेष मूल्य रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत मूल्यह्रासित कर सकें।
- (ग) ट्रेडमार्क/पेटेंट पाँच वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया।
- (घ) ईआरपी सोफ्टवेयर के अलावा अन्य सोफ्टवेयर सोल्यूशन 3 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है, जबकि ईआर पी सोफ्टवेयर सोल्यूशन 8 वर्षों की अवधि के लिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की जाती है। भुगतान किये लाइसेंस शुल्क करार अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया गया।
8. चेंनाय, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु) में 330.10 एकड़ भूमि मीडियाक के संस्थापन के लिए वर्ष 2009 को उप पट्टे पर देने का कैबिनेट अनुमोदन के परिणामस्वरूप एचएलएल मीडियाक लिमिटेड 20 दिसंबर, 2016 को एचएलएल के 100% अलग समनुष्ठी के रूप में प्रारंभ किया गया। एचएलएल मीडियाक लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर द्वारा 90% तक और तमिलनाडु उद्योग विकास बोर्ड (टिड्को) द्वारा 10% तक इक्विटी भागीदारी होगी। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने मार्च, 2017 को नवी समनुष्ठी कंपनी में ₹10.01 लाख का निवेश किया है। तमिलनाडु में चेंनाय के पास चेंगलपेट्ट 330.10 एकड़ क्षेत्र में संस्थापित किये जा रहे मीडियाक लिमिटेड में मीडिकल प्रौद्योगिकी उद्योग के समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक अवसरचना और साधारण सुविधाएं होंगी।
9. संपत्ति भूमि और उपकरण, जो परिचालन पट्टे के अधीन है, पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम या पट्टा करार, जो कम है, के अनुसार उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।
10. अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा में किए गए निम्न ढूँजी व्यय की मूल लागत अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन में शामिल है।
- | | 2021-22 | 2020-21 |
|------------------|-------------|-------------|
| | ₹ लाखों में | ₹ लाखों में |
| लैब उपकरण | 0.15 | 0.144 |
| कार्यालय उपकरण | 0.01 | 0.021 |
| विद्युत संस्थापन | | 0.003 |
| | 0.17 | 0.17 |
11. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 को नए मानक कार्यान्वित किया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति को लागू किया गया और टिप्पणी सं. 2.30 में परिसंपत्तियों के उपयोग करने के अधिकार का खुलासा किये गये हैं।

2. As per IND AS 101, the Company has elected to adopt the carrying value measured as per previous GAAP as on 01-04-2015 (Transition date) of all assets as its Deemed cost as on Transition Date.
3. Cost of Lease hold land includes the following
- ₹ 130.46 lacs being the original cost of 3 acres of leasehold land and building at Bairampuram, Kerala for 99 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.123.74 Lacs)
 - ₹ 92.41 lacs being the allotment value of 1005.22 sq. mtrs plot in Mumbai on lease for 60 years. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.87.48 Lacs)
 - ₹ 261.94 lacs being the value of 5000 Sq.Mtr. of leasehold land allotted in the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Uttar Pradesh for 90 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.231.51 Lacs)
 - ₹ 262.39 Lacs being the value of 306 Cents of land at rubber park, Irapuram, Perumbavoor, Kerala State for 81 years from Rubber Park India (P) LTD. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.260.07 Lacs)
4. ₹ 99/- being the value of 430.10 acres leasehold land allotted in Chengalpettu, Chennai, on lease for a period of 99 years, from Central Leprosy Training & Research Institute (CLTRI) in Chengalpettu, Tamil Nadu. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - Rs.93 /-). In line with the decision of the Cabinet Committee on Economic Affairs, 100 acres of land is earmarked out of the 430.10 acres in possession, for HLL Biotech Limited, valued at Rs. 10.12 crores (56 acres at Rs. 16.5 Lacs per acre and 44 acres of hilllock at Rs. 2.00 Lacs per acre) was transferred from HLL to HBL by way of sub leased on the consideration of Rs.1/- for a period of ninety four years but was not accounted for by HBL.
5. 3.38 Acres of land, out of 100cm acres in possession, is given on lease for a period of 92 years at ₹1/- per year to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd
6. The Govt of Kerala has allotted on lease 4.783 acre of Land (Re-survey no. 34/146/1, 35/120/2,35/120/3) at Konni Taluk, Iravon Village, Pathanamthitta District, Kerala towards setting up of Green Field Blood Bag Project. The land has been handed over to the company. The land is allotted on Lease Rent at Rs. 19400/- per year for a period of 30 years.
7. Methods of depreciation adopted are as follows.
- Depreciation on tangible assets including Investment Property have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.
 - Depreciation has been charged on straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets(except intangible asset and leasehold asset) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act.
 - Trade Mark/ Patents are amortised over a period of 5 years.
 - The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 Years on pro-rata basis. Licence fee paid is amortized over the agreement period.
 - Depreciation has been charged on useful life basis irrespective of the shut downs in plants which are in the nature off Continuous Process.
8. Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 330.10 acre land at Chengalpettu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to the company in 2009, for setting up Medipark. HLL Medipark Limited was incorporated on 20.12.2016 and the said 330.10 land was allotted to HML on sublease basis during March 2017
9. Depreciation on Property Plant and Equipment which are under operating lease, is provided on the basis of useful life as per companies act or as per lease agreement whichever is lower.
10. Additions to fixed assets include original cost of the following capital expenditure incurred in the approved R&D facility.
- | | 2021-22
(₹ in Crs) | 2020-21
(₹ in Crs) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lab Equipments | 0.15 | 0.144 |
| Office Equipments | 0.01 | 0.021 |
| Electrical Installation | - | 0.003 |
| | 0.17 | 0.17 |
11. The Company implemented IND AS 116 on 1st April 2019, and applied the modified retrospective method and right of use assets are disclosed in Note 2.30

31 मार्च 20221 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ों में)

क	अचल परिसंपत्तियाँ		सकल ब्लॉक		संचित मूल्यहास और हानि			निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2020	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021
क									
	मूर्त परिसंपत्तियाँ								
	(क) भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूर्ण स्वामित्व	5.93	-	5.93	-	-	-	5.93	5.93
	पट्टे पर भूमि	7.03	-	7.03	0.41	0.08	-	6.54	6.62
	(ख) इमारतें	172.47	0.54	-	173.00	48.45	9.73	114.82	124.02
	(ग) सड़क	1.10	-	-	1.10	0.84	0.07	0.20	0.26
	(घ) संयंत्र व मशीनरी	194.81	3.19	0.64	197.36	87.25	17.31	93.33	107.57
	(ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण	46.50	0.51	0.10	46.92	28.70	4.95	13.36	17.80
	(च) फर्नीचर व जुड़नार	29.15	3.27	0.25	32.17	19.24	4.85	8.32	9.91
	(छ) मोटर गाड़ियाँ	0.73	-	-	0.73	0.57	0.04	0.12	0.16
	(ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग	14.40	1.02	0.10	15.32	12.27	1.16	1.99	2.13
	(झ) कार्यालय उपकरण	5.40	0.48	0.14	5.74	4.15	0.52	1.20	1.25
	(ञ) लैब उपकरण	26.30	0.44	0.19	26.56	17.83	2.12	6.79	8.47
	कुल	503.83	9.45	1.41	511.85	219.69	40.83	259.26	284.13
ख	निवेश संपत्ति	3.82	-	-	3.82	0.58	0.12	3.12	3.24
ग	पूँजी कार्य में प्रगति	-	-	-	-	-	-	-	-
	(क) कर्मशनिंग के लिए लीबित परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ख) स्थिल कार्य में प्रगति	2.92	6.60	-	9.52	-	-	9.52	2.92
	(ग) परामर्श चार्ज	0.17	0.00	0.00	0.17	-	-	0.17	0.17
	(घ) नवी परियोजनाओं पर आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ङ) मशीनरी डब्लियु आई पी	1.02	-	0.36	0.66	-	-	0.66	1.02
	(च) ट्रेडमार्क एवं पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	4.11	6.60	0.36	10.35	-	-	10.35	4.11
घ	अमूर्त परिसंपत्तियाँ								
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	13.19	0.31	-	13.49	9.38	1.11	10.49	3.80
	ट्रेडमार्क एवं पेटेंट	1.00	-	0.00	1.00	0.95	0.00	0.95	0.05
	कुल	14.19	0.31	0.00	14.49	10.33	1.11	11.44	3.85
ङ	आर ओ यु परिसंपत्तियाँ								
	(क) इमारतें	7.62	-	-	7.62	1.13	0.64	1.77	5.85
	(ख) संयंत्र व मशीनरी	36.93	8.31	-	45.24	9.71	5.79	15.50	27.23
	कुल	44.55	8.31	-	52.86	10.84	6.43	17.27	33.72

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021
Note 3 : Plant, Property and Equipment (₹ in Cr)

Fixed Assets	Gross block			Accumulated depreciation and impairment			Net block		
	1 st April 2020	Additions	Disposals/ Adjustments	31 st March 2021	1 st April 2020	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31 st March 2021	31 st March 2020
A. Tangible assets									
(a) Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freehold	5.93	-	-	5.93	-	-	-	5.93	5.93
Leasehold	7.03	-	-	7.03	0.41	0.08	-	6.54	6.62
(b) Buildings	172.47	0.54	-	173.00	48.45	9.73	-	114.82	124.02
(c) Roads	1.10	-	-	1.10	0.84	0.07	-	0.20	0.26
(d) Plant and Machinery	194.81	3.19	0.64	197.36	87.25	17.31	0.53	93.33	107.57
(e) Electrical Installation & Eqpt.	46.50	0.51	0.10	46.92	28.70	4.95	0.09	13.36	17.80
(f) Furniture & Fixture	29.15	3.27	0.25	32.17	19.24	4.85	0.24	8.32	9.91
(g) Motor Vehicles	0.73	-	-	0.73	0.57	0.04	-	0.12	0.16
(h) Computer Data Processing	14.40	1.02	0.10	15.32	12.27	1.16	0.10	1.99	2.13
(i) Office Equipment	5.40	0.48	0.14	5.74	4.15	0.52	0.13	1.20	1.25
(j) Lab Equipment	26.30	0.44	0.19	26.56	17.83	2.12	0.18	6.79	8.47
Total	503.83	9.45	1.41	511.85	219.69	40.83	1.27	259.26	284.13
B Investment Property	3.82	-	-	3.82	0.58	0.12	-	0.70	3.12
C Capital Work In Progress									
(a) Assets Pending Commissioning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Civil work in progress	2.92	6.60	-	9.52	-	-	-	9.52	2.92
(c) Consultancy Charges	0.17	0.00	0.00	0.17	-	-	-	0.17	0.17
(d) Incidental Expenses on New Projects	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(e) Machinery WIP	1.02	-	0.36	0.66	-	-	-	0.66	1.02
(f) Trademarks & Patents	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4.11	6.60	0.36	10.35	-	-	-	10.35	4.11
D Intangible assets									
a) Computer Software	13.19	0.31	-	13.49	9.38	1.11	-	3.00	3.80
b) Trademarks & Patents	1.00	-	0.00	1.00	0.95	0.00	-	0.05	0.05
Total	14.19	0.31	0.00	14.49	10.33	1.11	-	3.05	3.85
E ROU Assets									
(a) Buildings	7.62	-	-	7.62	1.13	0.64	-	1.77	6.49
(b) Plant & Machinery	36.93	8.31	-	45.24	9.71	5.79	-	15.50	27.23
Total	44.55	8.31	-	52.86	10.84	6.43	-	17.27	33.72

समेकित
(क) सी डब्लियु आई पी पुराने अनुसूची

(₹ करोड़ों में)

सी डब्लियु आई पी	सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2022)				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
चल रही परियोजनाएँ	3.27	8.65	0.19	0.46	12.56
अस्थायी रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
सी डब्लियु आई पी	सी डब्लियु आई पी में रकम (31.03.2021)				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
चल रही परियोजनाएँ	8.91	0.20	0.49	0.76	10.35
अस्थायी रूप से बंद की गयी परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए जिसका समापन अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, निम्नलिखित सी डब्लियु आई पी समाप्ति अनुसूची दी जाएगी।

सी डब्लियु आई पी	सी डब्लियु आई पी में रकम				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
					शून्य

(ग) विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विकास पूर्ण होने के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी डब्लियु आई पी में रकम				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
					शून्य

Consolidated
(a) CWIP ageing schedule

(₹ in Crs)

CWIP	Amount in CWIP (31.03.2022)				Total
	Less than 1 year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3 yrs	
Projects in progress	3.27	8.65	0.19	0.46	12.55
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
CWIP	Amount in CWIP (31.03.2021)				Total
	Less than 1 year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3 yrs	
Projects in progress	8.91	0.20	0.49	0.76	10.35
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

(b) For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following CWIP completion schedule shall be given

(₹ in Crs)

CWIP	Amount in CWIP				Total
	Less than 1 year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3 yrs	
					Nil

(c) Intangible Assets under development completion

(₹ in Crs)

Intangible Assets under development completion	Amount in CWIP				Total
	Less than 1 year	1-2 yrs	2-3 yrs	More than 3 yrs	
					Nil

टिप्पणी 4. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - निवेश

निगमित निकाय का नाम	धारण की सीमा (%)	शेयरों की सं./ यूनिट	₹ लाखों में	शेयर/ यूनिटों की सं.	₹ करोड़ों में
		31.03.2021 को		31.03.2020 को	
अनुद्धृत - पूर्णरूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर लागत पर ले जाया गया					
इक्विटी उपकरणों में निवेश					
I) सहायक कंपनियाँ					
क) प्रत्येक ₹ 10 का इक्विटी शेयर					
एचएलएल इंफ्राटेक सर्वोसिस लिमिटेड	100.00	20,00,000.00		20,00,000.00	
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल	100.00	1,00,000.00		1,00,000.00	
ख) प्रत्येक ₹ 100 का इक्विटी शेयर					
गोवा एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	74.00	14,07,480.00		14,07,480.00	
II) संयुक्त उद्यम					
प्रत्येक ₹ 10 का इक्विटी शेयर					
लाइफ़सिग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	50.00	85,79,929.00	2.94	85,79,929.00	1.57
III) संरचित संस्थाएँ					
गोवा राज्य सहकारी बैंक	0*	250.00	0.00	250.00	0.00
केरल एनविरो अवसंरचना लिमिटेड	0.16	20,000.00	0.02	20,000.00	0.02
कुल			2.96		1.59

टिप्पणी : -

1. एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड के संबंध में निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि रु. 0.10 करोड़ है
2. जी ए पी एल के पास गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में ₹ 100 के 250 शेयर हैं। शेयरों का प्रतिशतता 0.00025% है।

टिप्पणी 5. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
अप्रतिभूत, शोध समझे गए		
प्रतिभूति जमाएँ	1.76	1.58
अन्य अग्रिम	0.00	0.09
कुल	1.76	1.67

NOTE 4. NON CURRENT FINANCIAL ASSETS - INVESTMENTS

Name of the Body Corporate	Extent of Holding (%)	No. of Shares / Units	Amount in ₹ crs	No. of Shares / Units	Amount in ₹ crs
		As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
Unquoted -Fully paid equity Shares					
Carried at cost					
Investment in Equity Instruments					
I) Subsidiaries					
a) Equity Shares of ₹10 each					
HLL Infratech Services Ltd	100.00	20,00,000.00		20,00,000.00	
HLL Mother & Child Care Hospital Limited	100.00	1,00,000.00		1,00,000.00	
b) Equity Shares of ₹100 each					
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited	74.00	14,07,480.00		14,07,480.00	
II) Joint Ventures					
Equity Shares of ₹10 each					
Life Spring Hospital Pvt.Ltd	50.00	85,79,929.00	2.94	85,79,929.00	1.57
III) Structured entities					
Goa State Cooperative bank	0*	250.00	0.00	250	0.00
Kerala Enviro Infrastructures Ltd.	0.16	20,000.00	0.02	20,000	0.02
Total			2.96		1.59

Notes:-

- In respect of HLL Mother & Child Care Hospital Ltd the aggregate amount of Impairment in the value of investments is Rs 0.10 Crs.
- *GAPL holds 250 shares of ₹ 100 each in the Goa State Co-operative Bank Ltd. The percentage of shares is 0.00025%

NOTE 5. NON CURRENT FINANCIAL ASSETS - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Unsecured, Considered good		
Security Deposits	1.76	1.58
Other advances	0.00	0.09
Total	1.76	1.67

टिप्पणी 6. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
क) आस्थगित कर देयताएँ	(10.91)	(10.32)
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	85.90	30.78
कुल	75.00	20.47

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
आस्थगित कर (देयता)/ परिसंपत्ति		
परिसंपत्तियों का डब्लियु डी वी (आर ओ यु परिसंपत्तियों के अलावा)	(3.98)	(3.60)
आर ओ यु परिसंपत्तियाँ	(6.93)	(6.72)
आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव	(10.91)	(10.32)
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	53.27	10.42
अचल स्टॉक और अप्रयुक्त स्टॉक के लिए प्रावधान	1.34	0.16
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	20.73	10.43
अन्य	3.47	3.47
आर ओ यु देयताएँ	7.09	6.29
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव	85.90	30.78
निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति	75.00	20.47

टिप्पणी 7 . अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
अप्रचलित परिसंपत्ति	0.31	-
न्यून : अप्रचलित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	(0.31)	
कुल	-	-

टिप्पणी 8. गैर -चालू कर परिसंपत्ति (निवल)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
अग्रिम आय कर (निवल प्रावधान)	30.38	15.67
कुल	30.38	15.67

NOTE 6. DEFERRED TAX ASSET (NET)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Deferred tax asset (Net)		
a) Deferred tax liabilities	(10.91)	(10.32)
b) Deferred tax assets	85.90	30.78
Total	75.00	20.47

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Deferred tax (liability) / asset		
WDV of Assets (Other than ROU Assets)	(3.98)	(3.60)
ROU Assets	(6.93)	(6.72)
Tax effect of items constituting deferred tax liability	(10.91)	(10.32)
Tax effect of items constituting deferred tax assets		
Provision for doubtful debts	53.27	10.42
Provision for Non Moving Stock & Obsolete Stock	1.34	0.16
Provision for Employee Benefits	20.73	10.43
Others	3.47	3.47
ROU Liabilities	7.09	6.29
Tax effect of items constituting deferred tax assets	85.90	30.78
Net deferred tax (liability) / asset	75.00	20.47

NOTE 7. OTHER NON - CURRENT ASSETS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Obsolete Asset	0.31	-
Less: Provision for Obsolete Asset	(0.31)	-
Total	-	-

NOTE 8. NON-CURRENT TAX ASSET (NET)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Advance Income Tax (Net of Provisions)	30.38	15.67
Total	30.38	15.67

टिप्पणी 9. वस्तुसूची

(निम्नतम लागत पर या निवल वसूली साध्य मूल्य)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
क. कच्चे माल	26.00	26.94
ख. पैकिंग सामग्रियाँ	8.58	11.34
ग. कार्य प्रगति	18.01	18.51
घ. तैयार माल		
विनिर्मित उत्पाद	31.06	26.20
व्यापार माल (व्यापार के लिए अधिग्रहीत)	0.11	-
सामाजिक विपणन उत्पाद	0.90	1.36
आउट सोर्सड उत्पाद	98.11	231.59
मार्गस्थ माल	0.01	0.02
	130.19	259.17
ङ. सामान्य भंडार एवं उपभोज्य	10.53	12.94
च. अन्य सामग्रियाँ, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, इमारती सामान आदि	11.95	10.41
छ. प्रबंधन द्वारा पुनर्मूल्यांकित और प्रमाणित औज़ार	0.15	0.06
ज. अन्य :		
उपहार मर्चे	0.13	0.12
लेखन सामग्री	0.53	0.79
	0.66	0.91
	206.08	340.29
न्यून : अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान	5.32	1.79
कुल	200.76	338.50

NOTE 9. INVENTORIES

(AT LOWER OF, COST OR NET REALISABLE VALUE)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
a. Raw Materials	26.00	26.94
b. Packing Materials	8.58	11.34
c. Work-in-progress	18.01	18.51
d. Finished goods		
Manufactured Products	31.06	26.20
Stock-in-trade (Acquired For Trading)	0.11	-
Social Marketing Products	0.90	1.36
Outsourced Products	98.11	231.59
Goods-in transit	0.01	0.02
	130.19	259.17
e. General Stores and Consumables	10.53	12.94
f. Other materials, machinery, spare parts, building materials etc.	11.95	10.41
g. Tools revalued & certified by management	0.15	0.06
h. Others :		
Gift items	0.13	0.12
Stationery	0.53	0.79
	0.66	0.91
	206.08	340.29
Less : Provision for Obsolete Stock	5.32	1.79
Total	200.76	338.50

टिप्पणी 10. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्तियाँ

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों म	₹ करोड़ों म
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए*	4.92	10.17
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	2,732.73	2,029.05
संदिग्ध समझे गए	195.77	25.52
	2,933.42	2,064.74
न्यून :संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	195.77	25.52
कुल	2,737.65	2,039.21

* ऋण पत्र, बैंक गारंटी और ग्राहकों के जमा की ओर प्रतिभूत

टिप्पणी 10.क पुराने अनुसूची - व्यापार प्राप्तियाँ

₹ करोड़ों में

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) विवादित - शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ	31 मार्च, 2022 तक	1,945.63	325.33	351.29	62.26	48.14	2,732.64
	31 मार्च, 2021 तक	1,502.50	144.29	119.29	64.53	64.23	1,894.84
(ii) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	31 मार्च, 2022 तक	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण	31 मार्च, 2022 तक	5.08	0.79	0.09	-	2.93	8.89
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित - शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ	31 मार्च, 2022 तक	-	0.01	-	0.50	143.89	144.40
	31 मार्च, 2021 तक	0.01	-	0.50	0.19	143.69	144.39
(v) विवादित - व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	31 मार्च, 2022 तक	-	0.11	1.47	18.96	26.32	46.86
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	11.13	0.77	12.99	24.89
(vi) विवादित - खराब हुए व्यापार प्राप्य ऋण	31 मार्च, 2022 तक	-	-	-	0.02	0.61	0.63
	31 मार्च, 2021 तक	-	-	-	-	0.62	0.62
कुल योग	31 मार्च, 2022 तक	1,950.71	326.24	352.85	81.74	221.89	2,933.42
	31 मार्च, 2021 तक	1,502.51	144.29	130.92	65.49	221.53	2,064.74

NOTE 10. CURRENT FINANCIAL ASSETS - TRADE RECEIVABLES

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Secured, considered good*	4.92	10.17
Unsecured, considered good	2,732.73	2,029.05
Considered doubtful	195.77	25.52
	2,933.42	2,064.74
Less: Allowance for doubtful debts	195.77	25.52
Total	2,737.65	2,039.21

* Secured against Letter of Credit, Bank Guarantee & Customer Deposit

NOTE 10.A AGEING SCHEDULE- TRADE RECEIVABLES

₹ crs

Particulars		Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed - Trade receivables considered good	As at March 31, 2022	1,945.63	325.33	351.29	62.26	48.14	2,732.64
	As at March 31, 2021	1,502.50	144.29	119.29	64.53	64.23	1,894.84
(ii) Undisputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk	As at March 31, 2022	-	-	-	-	-	-
	As at March 31, 2021	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed - Trade receivables credit impaired	As at March 31, 2022	5.08	0.79	0.09	-	2.93	8.89
	As at March 31, 2021	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed - Trade receivables considered good	As at March 31, 2022	-	0.01	-	0.50	143.89	144.40
	As at March 31, 2021	0.01	-	0.50	0.19	143.69	144.39
(v) Disputed - Trade receivables which have significant increase in credit risk	As at March 31, 2022	-	0.11	1.47	18.96	26.32	46.86
	As at March 31, 2021	-	-	11.13	0.77	12.99	24.89
(vi) Disputed - Trade receivables credit impaired	As at March 31, 2022	-	-	-	0.02	0.61	0.63
	As at March 31, 2021	-	-	-	-	0.62	0.62
Grand Total	As at March 31, 2022	1,950.71	326.24	352.85	81.74	221.89	2,933.42
	As at March 31, 2021	1,502.51	144.29	130.92	65.49	221.53	2,064.74

टिप्पणी 11 . रोकड़ व रोकड़ समानार्थी

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) बैंकों के साथ बकाया		
(i) चालू खाते में	20.32	28.55
(ii) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि	-	0.03
(iii) परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि	57.82	20.54
(iv) 3 महीने से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	986.73	838.03
(v) ई ई एफ सी खाते में	2.05	0.22
(ख) अन्य		
(i) हस्तगत कैश	2.11	2.01
(ii) हस्तगत स्टाम्प	0.00	0.00
कुल	1,069.03	889.38
(ग) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष		
(i) जमा खाते में	281.48	1.20
(ii) उधार और गारंटी के लिए मार्जिन राशि के लिए धरित सावधि जमा में	4.40	5.41
	285.88	6.61

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च 2021 को नकद और नकद समकक्षों में क्रमशः ₹4.40 करोड़ रुपए और ₹5.41 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित नकद और बैंक शेष शामिल हैं। प्रतिबंध मुख्य रूप से गारंटी के खिलाफ मार्जिन राशि जमा के रूप में रखे गए बैंक शेष के कारण हैं।

NOTE 11.CASH AND CASH EQUIVALENTS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Balances with banks		
(i) In Current Accounts	20.32	28.55
(ii) Funds earmarked for CSR	-	0.03
(iii) Funds earmarked for Projects	57.82	20.54
(iv) In Term Deposit accounts with less than 3 months maturity	986.73	838.03
(v) In EEFC accounts	2.05	0.22
(b) Others		
(i) Cash in hand	2.11	2.01
(ii) Stamps in hand	0.00	0.00
Total	1,069.03	889.38
(c) Bank balances other than (a) above		
(i) In deposit accounts	281.48	1.20
(ii) In Term deposits held for margin money for borrowings and guarantee	4.40	5.41
Total	285.88	6.61

Cash and cash equivalents as at March 31, 2022 and March 31, 2021 include restricted cash and bank balances of ₹4.40 crs and ₹5.41 crs, respectively. The restrictions are primarily on account of bank balances held as margin money deposits against guarantees.

टिप्पणी 12 . ऋण

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगियाँ		
प्रतिभूत, शोध समझे गए	0.00	0.00
अप्रतिभूत, शोध समझे गए	5.68	7.14
संदिग्ध समझे गए	-	0.01
	5.68	7.15
न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों के लिए भत्ता	-	0.01
उप कुल	5.68	7.14
(ख) संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-
अप्रतिभूत, शोध समझे गए	-	21.09
उप कुल	-	21.09
कुल	5.68	28.22

टिप्पणी : चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण में देश राशि शामिल है।

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
निदेशक	0.00	0.00
कंपनी के अन्य अधिकारीगण	0.54	0.46
कुल	0.54	0.46

NOTE 12. LOANS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Loans and advances to employees		
Secured, considered good	0.00	0.00
Unsecured, considered good	5.68	7.14
Considered Doubtful	-	0.01
	5.68	7.15
Less: Allowance for doubtful loans and advances	-	0.01
Sub Total	5.68	7.14
(b) Loans to Related parties		
Unsecured, considered good	-	21.09
Sub Total	-	21.09
Total	5.68	28.22

Note: Current Financial Assets - Advances include amounts due from:

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Directors	0.00	0.00
Other officers of the Company	0.54	0.46
Total	0.54	0.46

टिप्पणी 13. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) प्रोद्भूत ब्याज	10.40	2.04
(ख) भारत सरकार से प्राप्तियाँ	6.42	6.42
(ग) प्रतिभूति जमा	4.45	4.63
(घ) अन्यो से प्राप्य राशि	0.45	-
कुल	21.71	13.09

टिप्पणी 14. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
लेनदारों को अग्रिम, विभिन्न सरकारी एजेंसियों को जमा, आदि को		
शोध समझे गए	942.12	242.13
संदिग्ध समझे गए	15.39	15.39
उप कुल	957.51	257.52
न्यून : अग्रिम के लिए प्रावधान	(15.39)	(15.39)
उप कुल	942.12	242.13
अन्य		
(क) निर्यात प्रोत्साहन/वापसी शुल्क	1.92	3.96
(ख) डी ई पी बी लाइसेंस एफ एम आई एवं एम ई आई एस का स्टॉक	1.75	0.55
(ग) पूर्व प्रदत्त व्यय	2.54	2.12
(घ) परियोजनाओं से प्राप्य	-	5.00
(ङ) ग्राहकों से शेष	0.00	-
(च) प्राप्य सहेली सब्सिडी	6.26	11.28
कुल	954.60	265.04

NOTE 13. CURRENT FINANCIAL ASSETS - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Accrued Interest	10.40	2.04
(b) Receivable from Govt of India	6.42	6.42
(c) Security Deposit	4.45	4.63
(d) Amount receivable from others	0.45	-
Total	21.71	13.09

NOTE 14. OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Advances Other than Capital Advances		
Advance to Creditors, Deposit to various Govt agencies, others etc		
Considered good	942.12	242.13
Considered doubtful	15.39	15.39
Sub Total	957.51	257.52
Less:-Provision for Advances	(15.39)	(15.39)
Sub Total	942.12	242.13
Others		
(a) Export Incentives/Duty Draw back	1.92	3.96
(b) Stock of DEPB Licence FMI & MEIS	1.75	0.55
(c) Prepaid expenses	2.54	2.12
(d) Receivable from Projects	-	5.00
(e) Balance with customers	0.00	-
(f) Saheli subsidy receivable	6.26	11.28
Total	954.60	265.04

टिप्पणी 15. शेयर पूँजी

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) प्राधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर - 30,00,00, 000 संख्याएँ	300.00	300.00
(ख) जारी की गई शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर		
1,55,35,000 संख्या (31.03.2021 तक)		
1,55,35,000 संख्या (31.03.2022 तक)	15.54	15.54
(ग) अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर -		
1,55,35,000 संख्या (31.03.2021 तक)		
1,55,35,000 संख्या (31.03.2022 तक)	15.54	15.54
कुल	15.54	15.54

शेयर पूँजी का मेल मिलाप

विवरण	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
	शेयरों की संख्या	₹ करोड़ों में	शेयरों की संख्या	₹ करोड़ों में
इक्विटी शेयर पूँजी				
प्राधिकृत				
अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
परिवर्धन	-	-	-	-
अंतिम शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
जारी किए गए				
अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
परिवर्धन/(कटौतियाँ)	-	-	-	-
अंतिम शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
अभिदत्त और प्रदत्त				
अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
परिवर्धन/(कटौतियाँ)	-	-	-	-
अंतिम शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54

5% से अधिक शेयर पास रखे प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
	रखे शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशतता	रखे शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	1,55,35,000	100%	1,55,35,000	100%

प्रमोटरों के शेयरधारण का विवरण

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1,55,35,000	100%	-

NOTE 15. SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Authorised Share Capital		
Equity shares of ₹10/-each - 30,00,00,000 Nos.	300.00	300.00
(b) Issued Share Capital		
Equity shares of ₹10/- each:	15.54	15.54
1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2021)		
1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2022)		
(c) Subscribed and fully paid up Share Capital		
Equity shares of ₹10/- each:	15.54	15.54
1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2021)		
1,55,35000 Nos. (As on 31.03.2022)		
Total	15.54	15.54

Reconciliation of Share Capital

Description	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
	No of Shares	₹ crs	No of Shares	₹ crs
Equity Share Capital				
Authorized				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
Additions	-	-		
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,00,000	300.00	30,00,00,000	300.00
Issued				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
Additions/(Reductions)	-	-		
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
Subscribed & Paid up				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54
Additions/(Reductions)	-	-		
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	15.54	1,55,35,000	15.54

Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

Name of shareholder	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
	Number of shares held	% of Holding	Number of shares held	% of Holding
President of India	1,55,35,000	100%	1,55,35,000	100%

Details of shareholdings of Promoters

Promoter Name	No of Shares	% of total Shares	% Change during the year
President of India	1,55,35,000	100%	-

टिप्पणी 16. अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) आरक्षित		
अथ शेष	-	0.54
जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन/स्थानांतरण	0.58	0.55
न्यून : वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित	-	0.20
न्यून : वर्ष के दौरान व्यय	0.02	-
न्यून : निधि में जमा किए जानेवाले सी एस आर	0.56	0.89
अंतिम शेष	0.00	0.00
(ख) लाभांश समीकरण आरक्षित	1.30	1.30
(ग) सामान्य आरक्षित		
अथ शेष	256.41	256.41
जोड़ : वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए एफ डी पर प्राप्त ब्याज का समाधान	0.12	-
अंतिम शेष	256.53	256.41
(घ) प्रतिधारित कमाई		
अथ शेष	137.34	43.79
जोड़ : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	409.73	95.20
अन्य समायोजन	0.04	3.01
आरक्षित से स्थानांतरित	0.58	1.09
पी & एल से ओ सी आई तक निवल ओ सी आई मदों का पुनर्वर्गीकरण	4.50	9.77
न्यून : प्रदत्त लाभांश	19.29	14.90
वर्तमान मूल्य गणना के अनुसार विद्युत बकाये पर ब्याज	-	0.07
सी एस आर के लिए आरक्षित	0.58	0.55
अंतिम शेष	532.31	137.34
(ङ) अन्य व्यापक आय		
अथ शेष	(16.06)	(6.29)
जोड़ : वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(4.50)	(9.77)
अंतिम शेष	(20.55)	(16.06)
कुल	769.59	378.99

टिप्पणी . अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
लाभांश समीकरण आरक्षण	1.30	1.30
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षण	0.00	0.00
अन्य व्यापक आय	(20.55)	(16.06)
सामान्य आरक्षण	256.53	256.41
प्रतिधारित अर्जन	532.31	137.34
कुल	769.59	378.99

NOTE 16. OTHER EQUITY

Particulars	As at	As at
	31.03.2022	31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Corporate Social Responsibility (CSR) Reserve		
Opening balance	-	0.54
Add: Additions / transfers during the year	0.58	0.55
Less: Transferred during the year to General Reserve	-	0.20
Less: Expenditure during the year	0.02	-
Less: CSR to be Deposited in Fund	0.56	0.89
Closing balance	0.00	0.00
(b) Dividend Equalisation Reserve	1.30	1.30
(c) General reserve		
Opening balance	256.41	256.41
Add: Reconciliation of Interest received on FD's for FY 2019-20 & 2020-21	0.12	-
Closing balance	256.53	256.41
(d) Retained Earnings		
Opening balance	137.34	43.79
Add : Profit / (Loss) for the year	409.73	95.20
Other Adjustment	0.04	3.01
Transferred from reserves	0.58	1.09
Reclassification of Net OCI items from P & L to OCI	4.50	9.77
Less: Dividend paid	19.29	14.90
Interest on Electricity arrears as per present value	-	0.07
Reserve for CSR	0.58	0.55
Closing balance	532.31	137.34
(e) Other Comprehensive Income		
Opening Balance	(16.06)	(6.29)
Add: Other Comprehensive Income for the year	(4.50)	(9.77)
Closing balance	(20.55)	(16.06)
Total	769.59	378.99

Note. Other Equity

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Dividend Equalisation Reserve	1.30	1.30
Corporate social responsibility reserve	0.00	0.00
Other Comprehensive Income	(20.55)	(16.06)
General Reserve	256.53	256.41
Retained Earnings	532.31	137.34
Total	769.59	378.99

टिप्पणी . 17. गैर चालू वित्तीय देयताएं - उधार में प्रतिभूति का विवरण

(परिशोधित रखाव रकम)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
प्रतिभूत उधार		
अवधिक ऋण:		
आवधिक ऋण रुपया	1.32	24.4
कुल	1.32	24.4

(र) दीर्घकालिक उधार के लिए चुकौती के शर्त के विवरण और प्राप्त दीर्घकालिक उधार के संबंध में दी गई प्रतिभूति ।

विवरण	प्रतिभूति के विवरण।	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
		प्रतिभूत ₹ करोड़ों में	अप्रतिभूत ₹ करोड़ों में	प्रतिभूत ₹ करोड़ों में	अप्रतिभूत ₹ करोड़ों में
बैंकों से आवधिक ऋण :					
रुपया आवधिक ऋण					
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से (पूर्व एस बी टी)	1) अन्य मियादी उधारदाताओं के साथ कंपनी के प्रचलित एवं भविष्य दोनों अचल परिसंपत्तियों (चल और अचल) जैसी परियोजना परिसंपत्तियों पर पारी पासु चार्ज की ओर प्रतिभूत 2) अन्य मियादी उधारदाताओं के साथ परियोजना नकदी प्रवाह और प्राप्य का दृष्टिबंधक। 3) भूमि (100 एकड़) पर पट्टा अधिकार का ई एम, जहाँ चंगलपेट्ट में फैक्टरी स्थित हैं। 4) धारक कंपनी, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड से कम्फर्ट पत्र (एच बी एल)	-	-	35.43	-
- एच डी एफ सी बैंक से	पेरूरकडा फैक्टरी - बालरामपुरम सुविधा, आक्कुलम के निगमित आर & डी केंद्र, आक्कुलम, कनगला के सैनिटरी नैपकिन विनिर्माण यूनिट के ऋण से खरीदी चल संपत्तियों पर प्रथम चार्ज। आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम (एचएलएल) के मकान और भूमि पर साम्यिक बंधक ।	-	-	6.96	-
एच डी एफ सी बैंक से	1) अन्य उधारदाताओं के साथ कंपनी के सभी चल और अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम पारी पासु चार्ज की ओर प्रतिभूत । 2) धारण कंपनी, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड से कम्फर्ट पत्र। 3) इस परियोजना के लिए निधिक करने वाले अन्य उधार देने वाले बैंकों के बराबर कोई अन्य प्रतिभूति (एच बी एल)।	-	-	0.00	-

NOTE 17. NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - BORROWINGS

(Carried at Amortized Cost)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Secured Borrowings		
Term loans:		
Rupee Term Loan	1.32	24.43
Total	1.32	24.43

(i) Details of terms of repayment for the long term borrowings and security provided in respect of the secured long term borrowings

Particulars	Details of security	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
		Secured	Unsecured	Secured	Unsecured
		₹ crs	₹ crs	₹ crs	₹ crs
Term loans from banks:					
Rupee Term Loan					
From State Bank of India (Earlier SBT)	1) Secured against Pari passu charge on the project assets such as fixed assets (movable and immovable) of the company, both present and future along with other term lenders. 2) Hypothecation of project cash flows and receivables along with other term lenders. 3) EM of lease hold right on land (100 acres) where the factory is located at chengalpettu. 4) Letter of comfort from the holding company HLL Lifecare Limited. (HBL)	-	-	35.43	-
From HDFC Bank	First charge over movable assets purchased out of the loan at Peroorkada Factory-Balaramapuram facility, Corporate R&D Centre at Akkulam, Sanitary Napkin Manufacturing Unit at Kanagala (HLL) Equitable mortgage over land and buildings at Akkulam, Trivandrum (HLL)	-	-	6.96	-
From HDFC Bank	1) Secured against first pari passu charge on all movable and immovable fixed assets of the company along with other lenders. 2) Comfort letter from Holding Company HLL Lifecare Limited. 3) Any other Securities to be on par with other lending banks funding this project. (HBL)	-	-	0.00	-

विवरण	प्रतिभूति के विवरण।	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	पारि पासू के आधार पर कंपनी की समग्र चालू परिसंपत्तियों पर चार्ज का विस्तार। नोएडा बिल्डिंग फेस II & भूमि और ऐरापुरम की मकान पर साम्यक बंधक एच बी एल	-	-	0.00	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	पट्टे की भूमि अधिकार, भूमि पर मकान और अन्य ढाँचा के साम्यिक बंधक द्वारा प्रतिभूत। संयंत्र और मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण, इलैक्ट्रिकल संस्थापन, फर्नीचर और जुड़नार, वाहन और अन्य चल संपत्ति (गोवा एंटिबायोटिक्स & फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड) का साम्यिक बंधक द्वारा प्रतिभूत	1.76	-	2.17	-
बैंकों से कुल आवधिक ऋण		1.76	-	44.57	-
न्यून: अगले 12 महीनों में देय		0.44	-	20.14	-
12 महीनों के बाद देय		1.32	-	24.43	-

Particulars	Details of security	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
		Secured	Unsecured	Secured	Unsecured
		₹ crs	₹ crs	₹ crs	₹ crs
From State Bank of India	Extension of charge over entire current assets of the company on pari passu basis Equitable Mortgage over the Noida Building Phase II & land and building at Irapuram	-	-	0.00	-
From State Bank of India	Secured by an equitable mortgage of leasehold rights of the land, building and other structures on the land. Hypothecation of plant & machinery, laboratory equipments, electrical installations, furniture & fixtures, vehicles and other movable assets. (Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited)	1.76	-	2.17	-
Total - Term loans from banks		1.76	-	44.57	-
Less: Payable within next 12 months		0.44	-	20.14	-
Payable after 12 months		1.32	-	24.43	-

टिप्पणी. 18. प्रावधान (गैर-चालू)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	28.68	7.57
कुल	28.68	7.57

टिप्पणी. 19. प्रावधान (गैर-चालू)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
वापसी योग्य प्रतिभूति जमा	7.17	7.09
देय वेतन बकाया	3.25	2.80
अंतिम निपटान	0.02	0.02
आस्थगित सरकारी अनुदान	14.08	-
कुल	24.52	9.91

NOTE 18. PROVISIONS (NON - CURRENT)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Provision for performance related pay	28.68	7.57
Total	28.68	7.57

NOTE 19. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Refundable security deposits	7.17	7.09
Salary Arrears Payable	3.25	2.80
Final settlement	0.02	0.02
Deferred Government Grant	14.08	-
Total	24.52	9.91

टिप्पणी 20. चालू वित्तीय देयताएँ - उधार (परिशोधन लागत पर कथित)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) मांग पर प्रतिदेय उधार (नकदी ऋण) - प्रतिभूत		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	86.32	144.06
कैनरा बैंक से	0.00	0.18
एच डी एफ सी बैंक से	12.21	34.47
उप कुल	98.53	178.71
(ख) बैंकों से अल्पकालीन उधार -प्रतिभूत- ओवरड्राफ्ट		
कैनरा बैंक से	0.02	53.13
एच डी एफ सी बैंक से	0.01	0.00
एस बी आई से	78.33	64.72
उप कुल	78.35	117.86
(ग) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
आवधिक ऋण		
एच डी एफ सी बैंक से रूपया आवधिक ऋण	-	4.71
एस बी आई से रूपया आवधिक ऋण	-	14.84
ई डी सी से आवधिक ऋण	0.44	0.59
उप कुल	0.44	20.14
कुल योग	177.32	316.70

टिप्पणी : (i) प्राप्त अल्पकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण :

विवरण	प्रतिभूति की प्रकृति	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण			
एस बी आई	कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर पारिपासु चार्ज। भारतीय	77.26	140.72
कैनरा बैंक	स्टेट बैंक की ओर पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम के मकान	-	0.18
एच डी एफ सी बैंक	सहित भूमि पर जमानती के रूप में साम्यिक बंधक। मंजूर	12.21	34.47
	की गई सीमा है- एस बी आई (₹.220 करोड़), कैनरा		
	बैंक (₹.50 करोड़), एच डी एफ सी बैंक (₹.42 करोड़)		
एस बी आई	गोवा सरकार- गोवा एंटीबायोटिक एवं फार्मास्यूटिकल्स	9.05	3.34
	लिमिटेड की पट्टे पर भूमि द्वारा प्रतिभूत		
कुल		98.53	178.71
बैंकों से अल्पकालिक ऋण-प्राप्त ओवरड्राफ्ट			
कैनरा बैंक से		0.02	53.13
एच डी एफ सी बैंक		0.01	-
एस बी आई से		78.33	64.72
कुल		78.35	117.86
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता			
अगले 12 महीनों के भीतर देय वर्तमान	टिप्पणी 17 गैर-चालू वित्तीय देयताएं उधार में प्रतिभूति	0.44	20.14
देनदारियों के रूप में माना जाता है।	का विवरण		
कुल योग		177.32	316.70

NOTE 20. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - BORROWINGS
(Stated at Amortized Cost)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Loans repayable on demand (Cash Credit) - Secured		
From State Bank of India	86.32	144.06
From Canara Bank	0.00	0.18
From HDFC Bank	12.21	34.47
Sub Total	98.53	178.71
(b) Short Term Loans from Banks - Secured Overdraft		
From Canara Bank	0.02	53.13
From HDFC Bank	0.01	0.00
From SBI	78.33	64.72
Sub Total	78.35	117.86
(c) Current maturities of long term debt		
Term loans		
Rupee Term Loan from HDFC Bank	-	4.71
Rupee Term Loan from SBI	-	14.84
Term loan from EDC	0.44	0.59
Sub Total	0.44	20.14
Grand Total	177.32	316.70

Notes: (i) Details of security for the secured short-term borrowings:

Particulars	Nature of security	As at	As at
		31.03.2022	31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
Loans repayable on demand from banks			
SBI	Parri passu charge over current assets of the company. Equitable Mortgage as collateral over the land with building at Poojappura, Trivandrum towards State Bank of India. The limits sanctioned are SBI (Rs.220 cr), Canara bank (Rs.50 cr), HDFC Bank (Rs.42 cr)	77.26	140.72
Canara Bank		-	0.18
HDFC Bank		12.21	34.47
SBI	Secured by Lease land of Goa Govt- Goa Antibiotics & Pharmacauticals Ltd	9.05	3.34
TOTAL		98.53	178.71
Short Term Loans from Banks - Secured overdraft			
From Canara Bank	Secured by Project Deposits	0.02	53.13
From HDFC Bank		0.01	-
From SBI		78.33	64.72
TOTAL		78.35	117.86
Current maturities of long-term debt			
Payable within next 12 months treated as Current Liabilities	Details of Security in Note 17 Non current financial liabilities - Borrowings	0.44	20.14
Grand Total		177.32	316.70

टिप्पणी 21. चालू वित्तीय देयताएँ - देय व्यापार

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
देय व्यापार :		
सामग्री, सेवाएँ और व्यय केलिए		
क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	31.06	11.51
ख. अन्य	1,037.27	1,838.82
कुल	1,068.33	1,850.33

देय व्यापार एजिंग अनुसूची

₹ करोड़ों में

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एम एस एम ई	31-03-22 तक	29.92	0.58	0.15	0.09	0.32	31.06
	31-03-21 तक	0.08	10.69	0.53	0.12	0.09	11.51
(ii) अन्य	31-03-22 तक	628.35	151.45	83.04	41.59	75.32	979.74
	31-03-21 तक	116.08	1502.46	88.76	55.03	18.96	1,781.29
(iii) विवादित देय राशि एम एस एम ई	31-03-22 तक	-	-	-	-	-	-
	31-03-21 तक	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि अन्य	31-03-22 तक	-	-	-	-	57.53	57.53
	31-03-21 तक	-	-	-	-	57.53	57.53
कुल योग	31-03-22 तक	658.27	152.03	83.19	41.68	133.17	1,068.33
	31-03-21 तक	116.16	1,513.15	89.29	55.15	76.58	1,850.33

NOTE 21. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - TRADE PAYABLES

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Trade payables:		
for materials, services and expenses		
a. Micro Small and Medium Enterprises	31.06	11.51
b. Others	1,037.27	1,838.82
Total	1,068.33	1,850.33

Trade Payables ageing schedule

₹ in crs

Particulars	Outstanding for following period from due date of payment					TOTAL	
	Less than 6 Months	6 Months - 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 yrs		
(i) MSME	As on 31-03-22	29.92	0.58	0.15	0.09	0.32	31.06
	As on 31-03-21	0.08	10.69	0.53	0.12	0.09	11.51
(ii) Others	As on 31-03-22	628.35	151.45	83.04	41.59	75.32	979.74
	As on 31-03-21	116.08	1502.46	88.76	55.03	18.96	1,781.29
(iii) Disputed dues MSME	As on 31-03-22	-	-	-	-	-	-
	As on 31-03-21	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues Others	As on 31-03-22	-	-	-	-	57.53	57.53
	As on 31-03-21	-	-	-	-	57.53	57.53
Grand Total	As on 31-03-22	658.27	152.03	83.19	41.68	133.17	1,068.33
	As on 31-03-21	116.16	1,513.15	89.29	55.15	76.58	1,850.33

टिप्पणी 22. चालू वित्तीय देयताएँ -अन्य

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
ई एम डी और प्रतिभूति जमा	51.45	63.13
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	0.05	0.05
अन्य देयताएँ	386.14	232.09
देय जी एस टी	13.15	10.77
कुल	450.79	306.03

टिप्पणी 23. प्रावधान (चालू)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान :		
(i) बॉनस और प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	3.01	3.49
(ii) निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	13.36	6.55
(iii) उपदान के लिए प्रावधान	27.18	25.96
(iv) ग्रूप ई एल प्रीमियम के लिए प्रावधान	8.54	9.89
(v) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	0.18	3.66
(ख) प्रावधान - अन्य :		
(i) देय व्यय के लिए प्रावधान	60.42	0.70
(ii) सी एस आर देयता के लिए प्रावधान	0.70	0.91
(iii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	-	14.90
कुल	113.40	66.06

टिप्पणी 24. अन्य चालू देयताएँ

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) उपभोक्ता/ग्राहकों से अग्रिम	2,987.53	920.81
(ख) अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	0.72	-
(ग) परियोजनाओं के लिए देय	0.73	-
कुल	2,988.99	920.81

NOTE 22. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
EMD & Security Deposits	51.45	63.13
Interest Accrued but not due	0.05	0.05
Other Liabilities	386.14	232.09
GST Payable	13.15	10.77
Total	450.79	306.03

NOTE 23. PROVISIONS (CURRENT)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Provision for employee benefits:		
(i) Provision for bonus and incentive	3.01	3.49
(ii) Provision for Performance related pay	13.36	6.55
(iii) Provision for gratuity	27.18	25.96
(iv) Provision for group EL Premium	8.54	9.89
(v) Provision for Pay Revision	0.18	3.66
(b) Provision - Others:		
(i) Provision for Expenses payable	60.42	0.70
(ii) Provision for CSR liability	0.70	0.91
(iii) Provision for proposed Dividend	-	14.90
Total	113.40	66.06

NOTE 24. OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Advance from Customers/Clients	2,987.53	920.81
(b) Income Received in Advance	0.72	-
(c) Payable to Projects	0.73	-
Total	2,988.99	920.81

टिप्पणी 25. प्रचालन से राजस्व

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क)	उत्पादों की बिक्री	33,473.28	4,295.49
(ख)	सेवाओं की बिक्री	2,458.35	800.65
(ग)	ठेका से आय	81.23	63.97
(घ)	अन्य प्रचालन राजस्व	27.07	215.21
	कुल	36,039.92	5,375.32

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(i)	उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं		
	गर्भनिरोधक उत्पादों की बिक्री	277.16	408.36
	स्वास्थ्यरक्षा उत्पादों की बिक्री	79.79	119.88
	फार्मा उत्पादों की बिक्री	813.91	610.15
	कोविड-19 के लिए आपातकालीन आपूर्ति	32,302.42	3,157.10
	उप कुल	33,473.28	4,295.49
	सेवाओं की बिक्री	826.09	591.54
	कोविड सेवाएं	1,632.26	209.11
	ठेके से आय	81.23	63.97
	अन्य प्रचालन राजस्व	27.07	215.21
	कुल योग	36,039.92	5,375.32
	अन्य प्रचालन राजस्व में शामिल है :		
	सहेली और नोवेक्स की बिक्री पर प्रोन्नमन इमदाद	3.74	3.42
	शुल्क में छूट/शुल्क वापसी/अन्य निर्यात प्रोत्साहन	4.51	5.43
	रद्दी, अपशिष्ट कंडोम और अन्य विविध मदों की बिक्री	5.11	4.14
	निविदा फार्म की बिक्री	0.20	0.15
	खर्चों की प्रतिपूर्ति (कोविड -19 के लिए आपूर्ति)	13.50	202.08
	कुल	27.07	215.21

NOTE 25. REVENUE FROM OPERATIONS

S.No	Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(a)	Sale of products	33,473.28	4,295.49
(b)	Sale of services	2,458.35	800.65
(c)	Income from Contract	81.23	63.97
(d)	Other operating revenues	27.07	215.21
	Total	36,039.92	5,375.32

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(i)	Sale of products comprises		
	Sale of Contraceptive Products	277.16	408.36
	Sale of Healthcare Products	79.79	119.88
	Sale of Pharma Products	813.91	610.15
	Emergency supplies for COVID-19	32,302.42	3,157.10
	Sub Total	33,473.28	4,295.49
	Sale of services	826.09	591.54
	Covid services	1,632.26	209.11
	Income from Contract	81.23	63.97
	Other operating revenues	27.07	215.21
	Grand Total	36,039.92	5,375.32
	Other operating revenues comprise:		
	Promotional Subsidy on Saheli and Novex sales	3.74	3.42
	Duty Rebate / Duty drawback / Other export incentives	4.51	5.43
	Sale of scrap, waste condoms and other misc.items	5.11	4.14
	Sale of tender form	0.20	0.15
	Reimbursement of Expenses (for COVID-19 supplies)	13.50	202.08
	Total	27.07	215.21

टिप्पणी 26. अन्य आय

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क)	ब्याज आय (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	6.45	17.64
(ख)	अन्य गैर-प्रचालन आय (नीचे टिप्पणी (ii) देखें)	12.81	28.36
	कुल	19.26	46.00

टिप्पणी	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(i)	ब्याज आय में सम्मिलित :		
	क) अन्यो पर	6.23	17.11
	ख) जमों पर	0.22	0.53
	कुल-ब्याज आय	6.45	17.64
(ii)	अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल हैं :		
	कर्मचारी आवासों से किराए आय	0.03	0.03
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.07	0.04
	बीमा दावा	0.03	0.10
	पुनरांकित किए अधिक प्रावधान/क्रेडिट	5.12	14.15
	पट्टा किराया	1.48	1.24
	रद्दी माल की बिक्री	0.03	0.07
	अन्य - सरकारी अनुदान	0.10	0.03
	विनिमय में उतार-चढ़ाव	0.44	2.43
	अन्य विविध आय	5.51	10.27
	कुल-अन्य गैर-प्रचालन आय	12.81	28.36

NOTE 26. OTHER INCOME

Particulars		Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(a)	Interest income (Refer Note (i) below)	6.45	17.64
(b)	Other non-operating income (Refer Note (ii) below)	12.81	28.36
	Total	19.26	46.00

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
		₹ crs	₹ crs
(i)	Interest income comprises:		
	a) On Others	6.23	17.11
	b) On Deposits	0.22	0.53
	Total - Interest income	6.45	17.64
(ii)	Other non-operating income comprises:		
	Rental income from Staff quarters	0.03	0.03
	Profit on sale of fixed assets	0.07	0.04
	Insurance claims	0.03	0.10
	Excess provision / credits written back	5.12	14.15
	Lease rent	1.48	1.24
	Sale of scrap	0.03	0.07
	Others - Govt Grant	0.10	0.03
	Exchange Fluctuation	0.44	2.43
	Other Misc.Income	5.51	10.27
	Total - Other non-operating income	12.81	28.36

टिप्पणी 27. खपा हुआ माल की लागत

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
आरंभिक स्टॉक	38.28	29.04
जोड़ : खरीदियाँ	256.42	244.10
	294.70	273.13
न्यून : अंतिम स्टॉक	34.59	38.28
प्रयुक्त सामग्री की लागत	260.12	234.85
प्रयुक्त सामग्री में शामिल है :		
कच्चे माल	143.09	128.38
केमिकल	44.85	24.86
पैकिंग सामग्रियाँ	63.36	68.87
गुणवत्ता एवं उप-टेका व्यय की लागत	8.82	12.35
बेची गई सामग्री की लागत	0.00	0.38
कुल	260.12	234.85

टिप्पणी 28. विक्रेय मालों की खरीद

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
व्यापार उत्पाद	32,792.01	3,817.76
सामाजिक विपणन ब्रांडेड उत्पाद	6.38	2.44
कुल	32,798.39	3,820.20

टिप्पणी 29. तैयार मालों की वस्तुसूची, चालू कार्य प्रगति में, और बिक्री माल

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
वर्ष के अंत में वस्तुसूची		
तैयार माल	130.08	259.06
कार्य प्रगति	18.01	18.51
बिक्री माल	0.11	0.10
	148.20	277.67
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची		
तैयार माल	259.06	131.47
कार्य प्रगति	18.51	18.13
बिक्री माल	0.10	0.22
	277.67	149.83
निवल(वृद्धि)/कमी	129.47	(127.85)
न्यून : असाधारण मद के रूप में दिखाई गई वस्तुसूची के एन आर बी की कमी	-	-
कुल	129.47	(127.85)

NOTE 27. COST OF MATERIALS CONSUMED

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Opening stock	38.28	29.04
Add: Purchases	256.42	244.10
	294.70	273.13
Less: Closing stock	34.59	38.28
Cost of material consumed	260.12	234.85
Material consumed comprises:		
Raw Materials	143.09	128.38
Chemicals	44.85	24.86
Packing Materials	63.36	68.87
Cost of quality and Sub contract Expense	8.82	12.35
Cost of Goods sold Materials	0.00	0.38
Total	260.12	234.85

NOTE 28. PURCHASES OF STOCK-IN-TRADE

Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Trading Products	32,792.01	3,817.76
Social Marketing Branded Products	6.38	2.44
Total	32,798.39	3,820.20

NOTE 29. CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, AND WORK-IN-PROGRESS AND STOCK - IN - TRADE

Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Inventories at the end of the year:		
Finished goods	130.08	259.06
Work-in-progress	18.01	18.51
Stock in Trade	0.11	0.10
	148.20	277.67
Inventories at the beginning of the year:		
Finished goods	259.06	131.47
Work-in-progress	18.51	18.13
Stock in Trade	0.10	0.22
	277.67	149.83
Net (increase) / decrease	129.47	(127.85)
Less: Write down of inventory to NRV shown as exceptional item	-	-
TOTAL	129.47	(127.85)

टिप्पणी 30. कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) वेतन और प्रोत्साहन	249.57	188.73
वेतन संशोधन का प्रावधान/(उलटा)	-	3.49
(ख) अंशदान -	20.27	17.21
भविष्य निधि	2.36	1.88
नई पेंशन योजना	13.33	15.67
उपदान एवं अर्जित छुट्टी	0.05	-
कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान	1.07	1.14
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	18.22	13.31
कुल	304.86	241.43

टिप्पणी 31. वित्त लागत

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(क) ब्याज व्यय :		
(i) नकदी उधार	18.99	18.27
(ii) आवधिक ऋण	2.59	4.48
(ख) अन्य उधार लागत	1.79	0.45
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु)	2.57	1.81
(घ) पट्टा देयताओं पर ब्याज	0.00	-
कुल	25.94	25.02

NOTE 30. EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Salaries and incentives	249.57	188.73
Provision/(Reversal) of Wage Revision	-	3.49
(b) Contributions to -		
Provident fund	20.27	17.21
New pension scheme	2.36	1.88
Gratuity & Earned Leave	13.33	15.67
Earned Leave Fund	0.05	-
Contribution to ESI	1.07	1.14
(c) Staff welfare expenses	18.22	13.31
Total	304.86	241.43

NOTE 31. FINANCE COSTS

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(a) Interest expense on:		
(i) Cash credit	18.99	18.27
(ii) Term Loan	2.59	4.48
(b) Other borrowing costs	1.79	0.45
(c) Interest on Right of Use Assets(ROU)	2.57	1.81
(d) Interest on Lease Liabilities	0.00	-
Total	25.94	25.02

टिप्पणी : 32 अन्य व्यय

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
विज्ञापन एवं प्रचार और बिक्री प्रोन्नतन व्यय	31.44	29.30
एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय	318.10	150.39
बिजली और इंधन चार्ज	43.33	35.87
स्टोर और पूजों की खपत	0.14	-
भाड़ा और अन्य विक्रय व्यय	72.30	165.95
यात्रा तथा परिवहन	12.24	9.82
अन्य उत्पादन व्यय	16.14	18.32
कोविड खरीद पर सीमा शुल्क	-	116.79
ठेके कर्मचारियों को वेतन	55.04	42.83
परामर्श तथा सेवा शुल्क	827.39	91.47
प्रशासनिक शुल्क	1.15	1.48
विविध व्यय	25.78	29.01
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान	177.97	27.03
मरम्मत तथा अनुरक्षण मशीनरी	6.61	5.53
डाक तथा तार, दूरभाष	4.79	4.53
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.26	0.24
निगमित आर & डी केंद्र व्यय	5.02	3.43
किराया	8.66	6.20
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	3.48	2.70
अन्य परिसंपत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण	4.99	4.65
जल चार्ज	1.92	1.21
बीमा चार्ज	2.99	3.43
बैंक चार्ज	2.32	1.46
कर्मचारियों के भर्ती व्यय	0.13	0.20
दर एवं कर	1.73	0.64
बड़े खाते डाले गए बेकार भंडार के लिए प्रावधान	4.18	1.92
बड़े खाते डाले गए बेकार भंडार और परिसंपत्ति बड़े खाते डालने/प्रावधान	0.88	0.41
प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	0.22	0.11
इमारतों के मरम्मत तथा अनुरक्षण	2.00	1.38
बड़े खाते डाले गए अशोध्य कर्ज एवं पेशगियाँ	2.25	19.68
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	0.26	0.27
जी एस टी लेखापरीक्षा शुल्क	-	0.05
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	0.05	0.04
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.07	0.02
रद्दी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	(0.00)
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व खर्च	2.22	1.35
रॉयल्टी प्रदत्त	0.01	0.02
दान	-	0.00
अन्य व्यय	0.00	0.56
विदेशी मुद्रा अभिलाभ/हानि	-	0.01
बड़े खाते डाले गए जी एस टी इनपुट क्रेडिट	-	0.04
कुल	1,636.07	778.31

NOTE 32. OTHER EXPENSES

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
Advertisement & Publicity and Sales Promotion Expenses	31.44	29.30
HCS Direct expenses	318.10	150.39
Power & fuel charges	43.33	35.87
Consumption of stores and spares	0.14	-
Freight & Other Selling Expenses	72.30	165.95
Travelling & Conveyance	12.24	9.82
Other Production expenses	16.14	18.32
Customs duty on Covid procurements	-	116.79
Wages to Contract Labourers	55.04	42.83
Consultancy & Service Charges	827.39	91.47
Administrative charges	1.15	1.48
Miscellaneous Expenses	25.78	29.01
Provision for bad & doubtful debts/Advances	177.97	27.03
Repairs & Maintenance Machinery	6.61	5.53
Postage & Telegram, Telephone	4.79	4.53
Research & Development Expenses	0.26	0.24
Corporate R&D Centre Expenses	5.02	3.43
Rent	8.66	6.20
Printing & Stationery	3.48	2.70
Repairs & maintenance of other assets	4.99	4.65
Water charges	1.92	1.21
Insurance charges	2.99	3.43
Bank Charges	2.32	1.46
Staff recruitment expenses	0.13	0.20
Rates & Taxes	1.73	0.64
Provision for obsolete stores written off	4.18	1.92
Obsolete stores written off and asset write off/provision	0.88	0.41
Training program expenses	0.22	0.11
Repairs & maintenance of buildings	2.00	1.38
Bad debt & advances written off	2.25	19.68
Payments to auditors (Refer Note (i) below)	0.26	0.27
GST Audit Fees	-	0.05
Cost audit fees	0.05	0.04
Loss on sale of Fixed Assets	0.07	0.02
Loss on sale of scrapped assets	-	(0.00)
Corporate Social Responsibility expenses	2.22	1.35
Royalty paid	0.01	0.02
Donation	-	0.00
Other Expenses	0.00	0.56
Foreign Exchange Gains / Loss	-	0.01
GST Input Credit W/Off	-	0.04
Total	1,636.07	778.31

टिप्पणी i. लेखापरीक्षकों को भुगतान

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
(i) लेखापरीक्षकों के भुगतान में शामिल है		
लेखापरीक्षा शुल्क	0.20	0.19
लेखापरीक्षा शुल्क कर	0.03	0.04
लेखापरीक्षा व्यय	0.03	0.04
कुल	0.26	0.27

अनुपात

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	अंतर %
(क) वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसंपत्ति/वर्तमान देयताएँ) वर्तमान देयताएँ : - वर्तमान देयताएँ - पट्टा दायित्व-लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	1.10	1.04	5.63%
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात (ऋण/इक्विटी) वर्ष के दौरान दीर्घकालिक ऋण चूकाया गया है और कोविड प्रचालन के कारण लाभ में वृद्धि होने की वजह से इक्विटी में वृद्धि हुई है।	0.26	0.95	-72%
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात (निवल प्रचालन आय/ऋण सेवा) कोविड प्रचालन के कारण निवल प्रचालन आय में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप ऋण सेवा कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई है।	24.43	8.71	181%
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी (पी ए टी)/(कुल इक्विटी) कोविड प्रचालन के कारण लाभ में वृद्धि, इक्विटी पर वापसी में वृद्धि हुई है।	0.53	0.26	104%
(ङ) वस्तुसूची व्यापारावर्त अनुपात (बेचे गए माल की कीमत/ओसत वस्तुसूची) कोविड प्रचालन के कारण बिक्री में वृद्धि और स्टॉक होल्डिंग्स में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है।	123.09	14.67	839%

Note i. Payment to auditors

Particulars	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
	₹ crs	₹ crs
(i) Payments to the auditors comprises		
Audit fees	0.20	0.19
Tax Audit fees	0.03	0.04
Audit expenses	0.03	0.04
Total	0.26	0.27

RATIOS:-

Particulars	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021	Variance %
(a) Current Ratio	1.10	1.04	5.63%
(Current Assets / Current Liabilities)			
Current Liabilities:-Current Liabilities - Lease obligation-current maturities of long term borrowings			
(b) Debt Equity Ratio	0.26	0.95	-72%
(Debt/Equity)			
Long Term Debt has been repaid during the year and the equity has increased due to increase in Profit due to COVID Operations			
(c) Debt Service Coverage Ratio	24.43	8.71	181%
(Net Operating Income / Debt Service)			
Net operating Income has increased due to COVID operations this has resulted in increase in Debt service coverage ratio			
(d) Return on Equity Ratio	0.53	0.26	104%
(PAT/(Total equity))			
Increase in profit due to COVID operations the return on Equity has increased			
(e) Inventory Turnover Ratio	123.09	14.67	839%
(Cost of Goods Sold/Average Inventory)			
Due to Increase in sales due to COVID operations and and no corresponding increase in stock holdings has resulted in increase in ratio			

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	अंतर %
(च) व्यापार प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात (प्रचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्य कोविड प्रचालन के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है और व्यापार प्राप्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात में वृद्धि हुई है।	15.09	3.51	329%
(छ) व्यापार प्राप्य व्यापारावर्त अनुपात (बेचे गए माल की कीमत/औसत व्यापार प्राप्य) (बेचे गए माल की लागत कोविड प्रचालन के कारण बढ़ गयी है और व्यापार देय राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि वर्ष के दौरान कोविड प्रापण के अधिकांश विक्रेताओं का भुगतान किया गया है।	22.74	3.10	633%
(ज) चालू पूँजीकार्य व्यापारावर्त अनुपात प्रचालन से राजस्व/चालू पूँजी कार्य	78.36	68.28	15%
(झ) निवल लाभ अनुपात (पी ए टी/निवल बिक्री कोविड प्रचालन से निवल मार्जिन कोविड प्रापण से केवल 2.5% प्रबंधन शुल्क था। इसलिए व्यापारावर्त में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद निवल लाभ में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।	1.14%	1.89%	-39%
(ञ) नियोजित पूँजी पर वापसी (ई बी ई टी)/नियोजित पूँजी कोविड प्रचालन से निवल लाभ में वृद्धि के कारण नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ बढ़ा है।	0.75	0.40	85%

Particulars		Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021	Variance %
(f)	Trade receivables Turnover Ratio	15.09	3.51	329%
	(Revenue from operations/Average Trade Receivables)			
	Revenue has increased due to COVID operations and there was no increase in Trade receivables thereby resulting in receivables turnover ratio			
(g)	Trade Payables Turnover Ratio	22.74	3.10	633%
	(Cost of good sold/Average Trade Payables)			
	Cost of Goods sold has increased due to COVID operations and there was no increase in trade payables as most of the vendors for COVID procurements has been paid off during the year.			
(h)	Working capital Turnover ratio	78.36	68.28	15%
	Revenue from operations/ Working Capital			
(i)	Net Profit Ratio	1.14%	1.89%	-39%
	(PAT/Net Sales)			
	The net margin from COVID operations were only 2.5% Management fee from the COVID procurements. Hence there is no propotional increase in Net profit inspite of substantial increase in turnover			
(j)	Return on Capital Employed	0.75	0.40	85%
	(EBIT/(Capital Employed)			
	Due to Increase in Net profit from COVID operations, the Return on Capital Employed has increased			

टिप्पणी 33 : वित्तीय उपकरण (टिप्पणी : 2.42 देखें)

क. पूँजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूँजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से हितधारकों के लिए अधिकतम वापसी करके कंपनी की संस्थाएं लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रहेंगी। कंपनी वार्षिक प्रचालन योजनाओं और दीर्घकालीन उत्पाद और अन्य कार्यनीति निवेश योजनाओं के आधार पर अपेक्षित पूँजी की रकम निर्धारित करती है। कंपनी की निधिक अपेक्षाएं इक्विटी और अन्य दीर्घकालिक/ह्रस्वकालिक ऋणों के ज़रिए पूरी की जाती हैं। कंपनी की पूँजी संरचना में कंपनी के निवल ऋण (टिप्पणी 17 और 20 में विस्तृत जैसे उधार) और कंपनी के कुल इक्विटी शामिल है। कंपनी के इक्विटी अनुपात का कुल ऋण और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर कंपनी पूँजी संरचना का मॉनिटर करती है।

₹ करोड़ों में

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2020 तक
उधार	178.64	341.13
इक्विटी पूँजी	15.54	15.54
आरक्षण और अधिशेष	769.58	378.99
इक्विटी	785.12	394.53
ऋण/इक्विटी	0.23:1	0.86:1

ख. वित्तीय उपकरणों की श्रेणी

₹ करोड़ों में

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2020 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
क. परिशोधित लागत पर मापित		
i) व्यापार प्राप्य	2737.68	2050.48
ii) नकद और नकद तुल्यांक	1354.90	896.00
iii) ऋण व अन्य	27.38	41.31
ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-
क. परिशोधित लागत पर मापित	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-
i) उधार	178.64	341.13
ii) देय व्यापार	1068.34	1850.33
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	450.80	306.03
ख. लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न देयताएं	-	-

ग. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

रोजकोष कार्य व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करता है, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के लिए पहुँच का समन्वयन करता है, आंतरिक जोखिम रिपोर्टों के ज़रिए प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का अनुवीक्षण और प्रबंधन करता है, जो एक्सपोज़र का विश्लेषण जोखिम

NOTE 33: FINANCIAL INSTRUMENTS (REFER NOTE:2.42)

A. Capital Management

The Company manages its capital to ensure that entities in the Company will be able to continue as going concern, while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance. The Company determines the amount of capital required on the basis of annual operating plans and long-term product and other strategic investment plans. The funding requirements are met through equity and other long-term/short-term borrowings. The capital structure of the Company consists of net debt (borrowings as detailed in notes 17 and 20) and total equity of the Company. The Company monitors the capital structure on the basis of total debt to equity ratio and maturity profile of the overall debt portfolio of the Company

₹ in Cr.

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Borrowings	178.64	341.13
Equity Capital	15.54	15.54
Reserves & Surplus	769.58	378.99
Equity	785.12	394.53
Debt/ Equity	0.23:1	0.86:1

B. Categories of Financial Instruments

₹ in Cr.

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Financial Assets		
a. Measured at Amortised Cost		
i) Trade Receivables	2737.68	2050.48
ii) Cash and cash equivalents	1354.90	896.00
iii) Loans & Others	27.38	41.31
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Asset	-	-
Financial Liabilities		
a. Measured at Amortised Cost		
Financial Liabilities		
i) Borrowings	178.64	341.13
ii) Trade payables	1068.34	1850.33
iii) Other financial liabilities	450.80	306.03
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Liability	-	-

C. Financial risk management

The treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

The Company seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to

की डिग्री और परिमाण द्वारा किया जाता है। इन जोखिमों में बाज़ार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य कीमत जोखिम सहित) क्रेडिट और तरलता जोखिम शामिल है।

कंपनी, इन हेज जोखिम एक्सपोज़रों से बचाने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को उपयोग करके इन जोखिमों के प्रभावों को कम करने की कोशिश करती है। वित्तीय व्युत्पन्न का उपयोग, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विदेशी विनिमय जोखिम वित्तीय व्युत्पन्न का उपयोग और अधिक लिक्विडिटी का निवेश पर लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी अव्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

घ. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, भविष्य के अर्जन, वसूलीयोग्य उचित मूल्य या भविष्य के रोकड़ प्रवाह जो एक वित्तीय साधन के मूल्य में परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, किसी हानि के जोखिम है। कंपनी के कार्यकलाप, प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय पर और ब्याज दरों में परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों में इसकी खुलासा करता है। कंपनी अपने वित्त प्रभाग के माध्यम से अपने मुद्रा एवं ब्याज दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग प्रबंधन के उचित स्तरों द्वारा सीमाओं और नियमित निगरानी के अधीन है।

ङ. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन करती है, फलस्वरूप, विनिमय दर में अस्थिरता के जोखिम उत्पन्न होता है। कंपनी एक केंद्रीकृत राजकोष प्रभाग के माध्यम से इसकी मुद्रा दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं में अंकित कंपनी के विदेशी मुद्रा की मूल राशि टिप्पणी में दी गई हैं।

च. विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों और देयताओं की मूल कीमत

31 मार्च, 2022 तक (सभी रकम ₹ करोड़ों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र-निवल परिसंपत्तियाँ/(निवल देयताएं)
	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	
यु एस डी	14.88		14.88	12.08		12.08	(2.80)
ई यू आर	0.12		0.12	0.061		0.061	(0.06)
सी एच एफ	0.04		0.041				(0.04)
ए ई डी	0.13		0.13				(0.13)
जी बी पी	0		0				0.00
कुल	15.17		15.17	12.14		12.14	(3.03)

hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Company's policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, the use of financial derivatives, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

D. Market Risk

Market risk is the risk of any loss in future earnings, in realizable fair values or in future cash flows that may result from a change in the price of a financial instrument. The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company actively manages its currency and interest rate exposures through its finance division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

E. Foreign currency risk management

The Company undertakes transactions denominated in foreign currencies; consequently, exposures to exchange rate fluctuations arise. The Company actively manages its currency rate exposures through a centralized treasury division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary liabilities at the end of the reporting period are given in Note

F. Carrying value of Foreign Exchange Assets & Liabilities

As on March 31, 2022 (all amounts are in equivalent ₹ in Cr):

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency - net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	14.88		14.88	12.08		12.08	(2.80)
EUR	0.12		0.12	0.061		0.061	(0.06)
CHF	0.04		0.041				(0.04)
AED	0.13		0.13				(0.13)
GBP	0		0				0.00
Total	15.17		15.17	12.14		12.14	(3.03)

31 मार्च, 2021 को (सभी रकम रुपए करोड़ों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र-निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं)
	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल परिसंपत्ति एक्सपोज़र	
यु एस डी	21.39		21.39	11.79		11.79	(9.60)
ई यू आर	0.12		0.12	1.09		1.09	0.97
ए ई डी	0.055		0.055				(0.055)
सी एच एफ	0.00		0.00				(0.00)
जी बी पी	0.00		0.00				(0.00)
कुल	21.57		21.57	12.88		12.88	(8.69)

छ.विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख विदेशी मुद्राओं के प्रति कंपनी के विविध प्रचालनों के कार्यात्मक मुद्राओं में चलन इसके प्रचालनों से कंपनी के राजस्व में प्रभावित कर सकता है। कार्यात्मक मुद्रा की किसी भी कमज़ोरी कंपनी के आयात की लागत और उधार की लागत को प्रभावित करेंगे और इसके फलस्वरूप कंपनी के पूँजी व्यय के वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर एक्सपोज़र के एकत्रीकरण के द्वारा प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और प्रत्येक मुद्रा के विदेशी विनिमय दर में एक ही समानांतर विदेशी विनिमय दर 2% तक बदलाव किया जाता है, जो विदेशी विनिमय दर पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल मौद्रिक वस्तु अंकित बकाया विदेशी मुद्रा शामिल है और विदेशी मुद्रा दर में 2% परिवर्तन के लिए अवधि की समाप्ति पर उनके अंतरण को समायोजित करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण शामिल है, जहाँ ऋण का मूल्य वर्ग ऋणदाता या उधारकर्ता के कार्यात्मक मुद्रा के अलावा करेंसी में है।

प्रबंध की राय में, संवेदनशीलता विश्लेषण, निहित विदेशी मुद्रा जोखिम का अप्रतिनिधिक है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति का एक्सपोज़र वर्ष के दौरान के एक्सपोज़र पर प्रभावित नहीं करता है।

As on March 31, 2021 (all amounts are in equivalent ₹ in Cr.:

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency - net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	21.39		21.39	11.79		11.79	(9.60)
EUR	0.12		0.12	1.09		1.09	0.97
AED	0.055		0.055				(0.055)
CHF	0.00		0.00				(0.00)
GBP	0.00		0.00				(0.00)
Total	21.57		21.57	12.88		12.88	(8.69)

G. Foreign currency sensitivity analysis

Movement in the functional currencies of the various operations of the Company against major foreign currencies may impact the Company's revenues from its operations. Any weakening of the functional currency may impact the Company's cost of imports and cost of borrowings and consequently may increase the cost of financing the Company's capital expenditures. The foreign exchange rate sensitivity is calculated for each currency by aggregation of the net foreign exchange rate exposure of a currency and a simultaneous parallel foreign exchange rates shift in the foreign exchange rates of each currency by 2%, which represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 2% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external loans, where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्राओं में संवेदिता गतिविधि प्रस्तुत करती है ।

₹ करोड़ों में

यु एस डी प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.06)	(0.19)
यूरो प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.0012)	0.0194
जी बी पी प्रभाव		
	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	-	-
ए ई डी प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.0026)	0.00
सी एच एफ प्रभाव		
विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
लाभ या हानि	(0.0008)	(0.0011)

ज.ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर को जोखिम एक्सपोज़ किया गया है क्योंकि यह स्थायी एवं अस्थायी ब्याज दर दोनों में से निधि उधार लेती है। यह जोखिम, स्थायी एवं अस्थायी दर ऋणों के बीच उचित मिश्रण का अनुरक्षण करते हुए और ब्याज दर स्वेप संविदा के उपयोग से कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाता है। उच्च लागत प्रभावी हेजिंग कार्यनीतियों को लागू किया गया है, यह सुनिश्चित करने की ओर ब्याज दर विचार और निर्धारित जोखिम प्रवृत्ति के साथ तालमेल रखने के लिए हेजिंग गतिविधियाँ नियमित रूप से मूल्यांकित की जाती हैं।

झ.ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर रुपए और विदेशी मुद्रा ऋण दोनों के लिए ब्याज दर के एक्सपोज़र के आधार पर नीचे निर्धारित किये गये हैं। अस्थायी दर देयताओं के लिए विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की बकाया देयता की रकम पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ब्याज दर खतरे को आंतरिक रूप से रिपोर्टिंग करते समय 25 आधार पॉइंट वृद्धि या कमी का उपयोग किया जाता है और ब्याज दरों में संभाव्य उचित परिवर्तन प्रबंधन के निर्धारण प्रतिनिधान करता है।

निम्नलिखित तालिका ब्याज दर में 0.25% परिवर्तन के लिए लाभ में संभावित प्रभाव प्रदान करती है, अन्य घटक स्थिर रहता है।

₹ करोड़ों में

उधार	कर के पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	2021-22	2020-21
आई एन आर	0.21	0.40

The following table details the Company's sensitivity movement in the foreign currencies.

₹ in Cr

Particulars	USD Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.06)	(0.19)
Particulars	EURO Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.0012)	0.0194
Particulars	GBP Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	-	-
Particulars	AED Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.0026)	0.00
Particulars	CHF Impact	
	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Profit or Loss	(0.0008)	(0.0011)

H. Interest rate risk management

The Company is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Company by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings and by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

I. Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for both rupee and foreign currency loans at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming that the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 25-basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

The following table provides the possible impact in the profits for a change of 0.25% in interest rate, other factor remaining constant

₹ in Cr

Borrowings	Effect on Profit before Tax	
	2021-22	2020-21
INR	0.21	0.40

ज. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम का उल्लेख करता है यानी एक प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्व पूरा नहीं करेगा, जो कंपनी की वित्तीय हानि का कारण बन जाता है। प्राप्य व्यापार वस्तुओं में देश भर के विविध उद्योगों एवं भौगोलिक क्षेत्रों तक व्याप्त असंख्य ग्राहक शामिल हैं। कंपनी के व्यापार और अन्य प्राप्तियों में भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या वाले ग्राहक शामिल हैं, अतः कंपनी एकाग्रता जोखिम को प्रकट नहीं की जाती है। कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल के ज़रिए और प्रत्येक मामले के तौर पर संदिग्ध ऋणों के लिए एक भत्ता बनाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव रकम अधिकतम क्रेडिट प्रभावन का प्रतिनिधित्व करती है। बैंक के साथ शेष की रखाव रकम, बैंक के साथ अल्पकालीन जमा, व्यापार प्राप्य वस्तुओं, मार्जिन राशि और इक्विटी निवेश को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल अधिकतम प्रभावन है।

ट. उचित मूल्य मापन

प्रबंधन निर्धारित करता है कि प्राप्य देयताओं का उचित मूल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, बैंक शेष, प्राप्य और देय प्रतिभूति जमा, कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगी, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देय व्यापार, अन्य चालू वित्तीय देयताएं उनके रखाव मूल्य को अनुमानित करते हैं।

ठ. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम उस जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाने का उल्लेख करता है। लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, पर्याप्त लिक्विडिटी का अनुरक्षण करना और सुनिश्चित करना कि अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है। कंपनी अपनी अधिक निधि बैंक स्थायी जमा और म्यूचल निधि में निवेश करती है, जो अल्पतम बाज़ार जोखिम को अंकित करता है। कंपनी वित्तीय लचीलापन को अनुरक्षण करने की दृष्टि से ऋण और पूँजी बाज़ारों में उपलब्ध निधिक विकल्पों को लगातार निगरानी भी करती है।

ड. लिक्विडिटी तालिका

निम्नलिखित तालिकाएं सहमत चुकौती अवधि के साथ इसके गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण देती हैं। तालिकाएँ, जल्द से जल्द तारीख, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, के आधार पर वित्तीय देयताओं के गैर छूट नकद प्रवाहों के आधार पर की गयी हैं।

₹ लाखों में

विवरण	प्रथम वर्ष में देय	2 से 5 वर्षों में देय	5 वर्ष के बाद देय	रखाव रकम
मार्च 31, 2022				
उधार	178.64	-	-	178.64
देय व्यापार	1068.34	-	-	1068.34
पट्टा दायित्व	10.01	18.18	2.21	30.40
अन्य वित्तीय देयताएं	450.80	-	-	450.80
मार्च 31, 2021				
उधार	341.13	-	-	341.13
देय व्यापार	1850.33	-	-	1850.33
पट्टा दायित्व	10.00	27.86	2.54	40.40
अन्य वित्तीय देयताएं	306.03	-	-	306.03

J. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. The Company's trade and other receivables consists of a large number of customers, across geographies, hence the Company is not exposed to concentration risk. The Company makes an allowance for doubtful debts using expected credit loss model and on a case to case basis.

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure is the total of the carrying amount of balances with banks, short term deposits with banks, trade receivables, margin money and other financial assets excluding equity investments.

K. Fair value Measurement

The management assesses that the fair value of Trade receivables, Cash and Cash equivalents, Bank Balances, Security deposits receivable & paid, Loans and advances to employees, other non-derivative current financial assets, Trade payables, other current financial liabilities approximate their carrying value.

L. Liquidity Risk

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Company invests its surplus funds in bank fixed deposit, which carry minimal mark to market risks. The Company also constantly monitors funding options available in the debt and capital markets with a view to maintaining financial flexibility.

M. Liquidity Table

The following table details the Company's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay.

₹ in Cr.

Particulars	Due in 1st year	Due in 2nd to 5th year	Due after 5th year	Carrying amount/ Contractual cash flow
March 31,2022				
Borrowings	178.64	-	-	178.64
Trade payables	1068.34	-	-	1068.34
Lease Obligations	10.01	18.18	2.21	30.40
Other financial liabilities	450.80	-	-	450.80
March 31,2021				
Borrowings	341.13	-	-	341.13
Trade payables	1850.33	-	-	1850.33
Lease Obligations	10.00	27.86	2.54	40.40
Other financial liabilities	306.03	-	-	306.03

टिप्पणी 34: इंड ए एस 19 'कर्मचारी हितलाभ' के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण

अंशदान योजना

(i) बीमांकिक अनुमान

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.12%	6.33%	7.12%	6.33%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	6.33%	0.50%	7.12%	0.00%
मुआवजा वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
मृत्यु दर	भारतीय जीवन मृत्यु दर (1994-96) अंतिम तालिका			

(ii) दायित्वों के वर्तमान मूल्य का समाधान

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	93.45	77.14	25.03	16.51
वर्तमान सेवा लागत	4.91	5.72	11.72	10.31
ब्याज लागत	6.18	4.72	1.64	1.08
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.33	14.26	(5.29)	(0.49)
प्रदत्त लाभ/निपटान	(11.79)	(8.38)	(3.23)	(2.38)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	100.08	93.45	29.87	25.03

(iii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	66.00	57.89	16.17	17.14
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी	4.68	3.80	1.31	1.12
नियोक्ता द्वारा योगदान	11.46	13.09	8.45	0.40
स्थानांतरण/अधिग्रहण	-	(0.38)	-	(0.03)
प्रदत्त लाभ/निपटान	(10.79)	(8.38)	(3.23)	(2.38)
पुनर्माप -अपेक्षित वापसी से अधिक योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी	0.18	(0.01)	(0.01)	(0.09)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	71.53	66.00	22.70	16.17

NOTE 34: DISCLOSURES REQUIRED UNDER IND AS 19 "EMPLOYEE BENEFITS"

Defined Contribution Plans:

(i) Actuarial Assumptions

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Discount Rate (per annum)	7.12%	6.33%	7.12%	6.33%
Expected rate of return on plan assets (per annum)	6.33%	0.50%	7.12%	0.00%
Compensation escalation Rate (per annum)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
Mortality Rate	Indian Lives Mortality (1994-96) Ultimate Table			

(ii) Reconciliation of present value of obligations

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Present value of obligation at the beginning of the year	93.45	77.14	25.03	16.51
Current service cost	4.91	5.72	11.72	10.31
Interest cost	6.18	4.72	1.64	1.08
Actuarial (gain)/loss on obligations	7.33	14.26	(5.29)	(0.49)
Benefits paid/Settlement	(11.79)	(8.38)	(3.23)	(2.38)
Present value of obligation at the end of the year	100.08	93.45	29.87	25.03

(iii) Reconciliation of fair value of plan assets

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Fair value of plan assets at the beginning of the year	66.00	57.89	16.17	17.14
Expected return on plan assets	4.68	3.80	1.31	1.12
Contributions by employer	11.46	13.09	8.45	0.40
Transfer In/Acquisitions	-	(0.38)	-	(0.03)
Benefits paid/Settlement	(10.79)	(8.38)	(3.23)	(2.38)
Remeasurements- Return on Plan assets over expected return	0.18	(0.01)	(0.01)	(0.09)
Fair value of plan assets at the end of the year	71.53	66.00	22.70	16.17

(iv) योजना परिसंपत्तियाँ, प्रबंधित परिसंपत्तियों के विवरण

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
योजना परिसंपत्तियाँ, प्रबंधित परिसंपत्तियों के विवरण	71.53	66.00	22.70	16.17

(v) कुल योजना परिसंपत्तियों के % के रूप में प्रमुख श्रेणी की योजना परिसंपत्तियां

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
इक्विटी	-	-	-	-
बांड	-	-	-	-
गिल्ट्स	-	-	-	-
खुद का निवेश/संपत्ति	-	-	-	-
अन्य - बीमाकर्ता प्रबंधित निधि (भारत का जीवन बीमा निगम)	100%	100%	100%	100%

*बीमा कंपनी द्वारा वित्त पोषित योजनागत परिसंपत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी के अभाव में, प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की योजना परिसंपत्तियों की संरचना, प्रत्येक श्रेणी की राशि पर योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य प्रतिशत का खुलासा नहीं किया गया है।

(vi) वर्ष के अंत में तुलन पत्र में पहचाने निवल (परिसंपत्ति) / देयता

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	100.08	93.45	29.87	25.03
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	71.53	66.00	22.70	16.17
तुलन पत्र में (परिसंपत्ति)/देयता के रूप में पहचाने वित्त पोषित दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य	28.55	27.45	7.17	8.86

(vii) लाभ और हानि के विवरण में पहचाने व्यय

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
वर्तमान सेवा लागत	4.94	5.08	11.72	10.31
ब्याज लागत	5.85	4.76	1.56	0.99
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	(4.41)	(3.68)	(1.24)	(1.04)
अवधि में मान्यता प्राप्त बीमाकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	(5.12)	(0.41)
वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में पहचाने कुल व्यय	6.38	6.16	6.91	9.84

(iv) Description of plan assets managed assets

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Description of plan assets managed assets	71.53	66.00	22.70	16.17

(v) Major category of plan assets as % of total plan assets

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Equities	-	-	-	-
Bonds	-	-	-	-
Gilts	-	-	-	-
Own Investment/ Properties	-	-	-	-
Others- Insurer Managed Funds (LIC of India)*	100%	100%	100%	100%

* In the absence of detailed information regarding plan assets which is funded by Insurance Company, the composition of each major category of plan assets, the percentage on amount of each category to the fair value of plan assets has not been disclosed.

(vi) Net (Asset)/Liability recognised in the balance sheet as at the end of the year

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Present value of obligation at the end of the year	100.08	93.45	29.87	25.03
Fair value of plan assets at the end of the year	71.53	66.00	22.70	16.17
Net present value of funded obligation recognised as (asset) / liability in the balance sheet	28.55	27.45	7.17	8.86

(vii) Expenses recognised in the statement of profit and loss

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
	in crs	in crs	in crs	in crs
Current service cost	4.94	5.08	11.72	10.31
Interest cost	5.85	4.76	1.56	0.99
Return on plan assets	(4.41)	(3.68)	(1.24)	(1.04)
Actuarial (gain)/loss recognised in the period	0.00	0.00	(5.12)	(0.41)
Total expenses recognised in the statement of profit and loss for the year	6.38	6.16	6.91	9.84

(viii)

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (हानि/लाभा)	7.87	14.12	(4.66)	1.30
योजनागत परिसंपत्तियों की वास्तविक वापसी	4.86	3.79	1.30	1.03

(ix) दायित्व का गैर चालू और चालू मूल्य

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
गैर चालू	27.58	6.85	7.38	7.93
चालू	6.70	2.79	3.90	4.60

(x) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में पहचान की गयी रकम

	उपदान(वित्त पोषित)		मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
उपदान (निधिक)				
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	100.08	93.45	29.87	25.03
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	71.53	66.00	22.70	16.17
वित्त पोषित स्थिति - (परिसंपत्ति)/देयता	28.55	27.45	7.17	8.86
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.18	14.26	(5.29)	(0.49)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.18	(0.01)	(0.01)	(0.09)

(xi) महत्वपूर्ण धारणा (निर्धारित लाभ दायित्व पर प्रभाव) के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया जाता है।

क. उपदान (निधिक)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
	1% वृद्धि	1% कमी	1% वृद्धि	1% कमी
छूट की दर	95.69	104.96	77.24	85.17
वेतन वृद्धि दर	103.26	96.81	84.41	77.61
कर्मचारी टर्नओवर	94.35	94.10	161.35	163.16

ख. मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)-

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
	1% वृद्धि	1% कमी
छूट की दर	27.86	32.17
वेतन वृद्धि दर	32.07	27.91
कर्मचारी टर्नओवर	28.18	28.24

उपरोक्त विश्लेषण में घटक में परिवर्तन अन्य घटकों के बरकरार रहने के साथ किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बिना छूट वाला नकदी प्रवाह है, लेकिन अन्य घटकों को बरकरार रखते हुए और कर्मचारियों के वर्तमान पूरक के लिए कुल भुगतान है।

(viii) Net Actuarial (losses / gains) recognised

₹ in Crs

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Net Actuarial (losses / gains) recognised in Other Comprehensive Income	7.87	14.12	(4.66)	1.30
Actual return of plan assets	4.86	3.79	1.30	1.03

(ix) Non current and current value of obligation

₹ in Crs

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Non-current	27.58	6.85	7.38	7.93
Current	6.70	2.79	3.90	4.60
Total value of obligation				

(x) Amount recognised in current year and previous years

₹ in Crs

	Gratuity (Funded)		Compensated absences (Funded)	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Gratuity (Funded)				
Present value of defined benefit obligations	100.08	93.45	29.87	25.03
Fair value of plan assets	71.53	66.00	22.70	16.17
Funded status - (asset)/liability	28.55	27.45	7.17	8.86
Actuarial (gain)/loss on plan obligations	6.18	14.26	(5.29)	(0.49)
Actuarial (gain)/loss on plan assets	0.18	(0.01)	(0.01)	(0.09)

(xi) A quantitative sensitivity analysis for significant assumption (impact on defined benefit obligation) is as below:
A. Gratuity (Funded)

₹ in Crs

	Year ended 31.03.2022		Year ended 31.03.2021	
	1% Increase	1% Decrease	1% Increase	1% Decrease
Discount Rate	95.69	104.96	77.24	85.17
Salary increase rate	103.26	96.81	84.41	77.61
Employee turnover	94.35	94.10	161.35	163.16

B. Compensated absences (Funded)-

₹ in Crs

	Year ended 31.03.2022	
	1% Increase	1% Decrease
Discount Rate	27.86	32.17
Salary increase rate	32.07	27.91
Employee turnover	28.18	28.24

In the above analysis the change in the factor is made with other factors remaining intact. Undiscounted Cash flow over the years is the aggregate cash flow without discounting but keeping other factors intact and is the total payout for the current complement of staff.

(xiii) प्रमुख बीमांकिक जोखिमों पर ध्यान दें

(₹ करोड़ों में)

समयसीमा (वर्षों में)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान (निधिक)	मुआवजा अनुपस्थिति (निधिक)
1 से कम या उसके बराबर	16.15	3.88
2 - 5	44.89	11.02
6-10	18.26	5.94
10 से ऊपर	14.94	7.37

- (क) बीमांकिक जोखिम - वे जोखिम जो लाभ की अपेक्षा से अधिक खर्च करते हैं। देयता नकदी प्रवाह को दर्शाने के लिए उपयोग की जानेवाली सभी धारणाएँ जोखिम के स्रोत हैं, यदि वास्तविक अनुभव अपेक्षित अनुभव से अधिक खराब हो जाता है - देनदारियों के देय होने पर उन्हें पूरा करने में असमर्थ होने का जोखिम हो सकता है। उदा: यदि मान लिया जाए कि वेतन वृद्धि दर वास्तविकता से कम है - तो यह जोखिम पैदा कर सकता है कि भुगतान किए जाने वाले वास्तविक लाभों की तुलना में प्रावधान अपर्याप्त हैं।
- (ख) निवेश जोखिम - प्रायोजक को न्यूनतम निवेश रिटर्न की गारंटी है (जिसे न्यूनतम फ्लोर रेट कहा जाता है) जो एक गैर-शून्य सकारात्मक प्रतिशत है। इसलिए कोई बाज़ार जोखिम नहीं है - प्रायोजक की बीमा पॉलिसी का समर्थन करने वाले अंतर्निहित निवेशों के बाज़ार मूल्य में कमी के कारण जोखिम। साथ ही निकासी और शुल्कों को मिलाकर किए गए योगदान के 90% की सीमा तक एक गारंटीकृत समर्पण मूल्य है।
- (ग) लिक्विडिटी जोखिम - निवेश एक बीमा पॉलिसी में किया जाता है जो बहुत तरल भी होता है - निकासी किसी भी समय हो सकती है। जब निकाली गई राशि वित्तीय वर्ष की शुरुआत की अधशेष राशि के 25% से अधिक हो, इसके अलावा, प्रायोजक द्वारा किसी प्रतिकूल समय पर की गई निकासी के लिए कोई बाज़ार मूल्य समायोजन नहीं लगाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निकासी करके आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है कि प्रति लेन-देन निकाली गई राशि उपरोक्त सीमा का उल्लंघन नहीं करती है। यह भी ध्यान दें कि तीन साल के बाद कोई सरेंडर चार्ज नहीं लगता है। पहले तीन वर्षों के दौरान भी समर्पण शुल्क न्यूनतम हैं।
- (घ) वैधानिक जोखिम : - इस योजना को नियंत्रित करने वाले विनियमन/कानून में बदलाव हो सकते हैं जो कंपनी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं (उदा: न्यूनतम लाभ की शुरुआत)

टिप्पणी :

1. उपरोक्त प्रकटीकरण स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा प्रमाणित और कंपनी द्वारा भरोसा की गई जानकारी पर आधारित है।
2. कंपनी की योजनागत संपत्ति का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उसकी उपदान और मुआवजा अनुपस्थिति योजना के संबंध में कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के संदर्भ में किया जाता है। कंपनी के पास परिसंपत्तियों की श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(xii) Maturity profile - future expected payments

₹ in Crs

Time period (in years)	Year ended 31.03.2022	
	Gratuity (Funded)	Compensated absences (Funded)
Less than or equal to 1	16.15	3.88
2 - 5	44.89	11.02
6 -10	18.26	5.94
Above 10	14.94	7.37

(xiii) Note on key actuarial risks

- (a) Actuarial Risk- the risks that benefits costs more than expected. All assumptions used to project the liability cash- flow are source of risk, if actual experience turns out to be worse than expected experience- there could be a risk of being unable to meet the liabilities as and when they fall due. E.g. If assumed salary growth rates turns out to be lesser than reality - this could cause a risk that the provisions are inadequate in comparison to the actual benefits required to be paid.
- (b) Investment Risk - There is a minimum investment return guaranteed to the Sponsor (called the minimum floor rate) which is a non- Zero positive percentage. Hence there is no market risk - risk due to reductions in the market value of the underlying investments backing the insurance policy of the sponsor. Also there is a guaranteed Surrender Value to the extent of 90 % of contributions made net of withdrawals and charges.
- (c) Liquidity Risk - The investment are made in an insurance policy which is also very liquid - withdrawals can happen at any tme. There is no Market Value adjustment imposed for the withdrawals done by the Sponsor at an untoward time except when the amount withdrawn exceeds 25% of the opening balance at the begining of the financial year. This can be easily managed by making multiple withdrawals to ensure that the amount withdrawn per transaction doesnot breach the limit above. Also note that there are no surrender charges after three years. During the first three years also the surrender charges are minimal.
- (d) Legislative Risk- There could be changes to regulation/ legislation governing this Plan that could affect the Company adversely (eg introduction of a minimum benefit).

Notes:

1. The above disclosures are based on information certified by the independent actuary and relied upon by the company.
2. The plan assets of the company are managed by the Life Insurance Corporation of India in terms of insurance policies taken to fund the obligations of the Company with respect to its Gratuity and Compensated Absences Plan. Information on categories of plan assets is not available with the company

टिप्पणी : 35 समेकित प्रासंगिक देयताएँ & प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 2.44 देखें)

प्रासंगिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (प्रावधान नहीं किए गए हद तक)		2021-22	2020-21
		₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
I)	प्रासंगिक देयताएँ		
	(i) आय कर		
	क) कंपनी के खिलाफ पडी आय कर माँगें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है तथा जिसके संबंध में कंपनी अपील में और प्रावधान नहीं किए गए तथा लंबित निर्धारण एवं ब्याजों से संबंधित ऐसे मामलों में अनन्य है ।	5.30	6.15
	ख) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए कंपनी के विरुद्ध पडे बिक्री कर और सेव कर दावे	36.09	29.74
	(ii) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये कंपनी के खिलाफ पडे दावे।	349.70	156.30
	(iii) सरकारी विभागों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	82.88	75.51
	(iv) अन्यों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	1.59	1.66
	(v) जारी की गई कॉर्पोरेट गारंटी और उसी तारीख में बकाया	40.85	29.07
	(vi) साख-पत्र (निवल मार्जिन राशि)	2.42	7.76
	(vii) अन्य	0.57	0.62
	कुल	519.40	306.82
II)	प्रतिबद्धताएँ		
	(i) फायल किए गए अपीलों के लिए लंबित छूट दावा	0.01	0.03
	कुल	0.01	0.03
III)	प्रतिबद्धताएँ		
	राज्य नवाचार परिवार नियोजन सेवा एजेन्सी (सिफप्सा) के साथ विधिक मुकदमा में कंपनी के पक्ष में मध्यस्थता एवार्ड ।	26.84	26.84

टिप्पणी

प्रासंगिक देयता को प्रति वर्ष मूल प्लस 12% की ब्याज दर पर परिकलित किया गया है। दावेदारों द्वारा बनाए गए दावे 8-24% से लेकर है। जैसे भी हो, आयकर और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त जैसे सांविधिक ब्याज लेवी को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 12% दर से अधिक आने वाले मामलों में प्रति वर्ष 12% की दर पर सभी दावों के लिए ब्याज दर ली गयी है। आकस्मिक परिसंपत्तियों पर ब्याज पर विचार नहीं किए गए।

श्रण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में रु. 8.71 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिसके खिलाफ 7.31 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी अदालत में जमा की गई है। अतः 7.31 करोड़ रुपए दोहराव से बचने के लिए बैंक गारंटी से बाहर रखा गया है।

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में प्रार्थी द्वारा दावा किया गया कोई अवसर लागत/हानि शामिल नहीं है।

NOTE: 35 CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS (REFER NOTE: 2.44)

Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for)		2021-22	2020-21
		₹ crs	₹ crs
(I) Contingent Liabilities			
(i)	Income Tax		
	(a) Income Tax demands against the Company not acknowledged as debt and not provided for in respect of which the Company is in appeal and exclusive of the similar matters in respect of pending assessments and interest.	5.30	6.15
	(b) Sales Tax & Service Tax Claims against the Co. not acknowledged as debt	36.09	29.74
(ii)	Claims against the Company not acknowledged as debts	349.70	156.30
(iii)	Bank Guarantees to Govt. Departments. (Net of Margin Money)	82.88	75.51
(iv)	Bank Guarantees to others (net of margin money)	1.59	1.66
(v)	Corporate Guarantees issued and outstanding as on date	40.85	29.07
(vi)	Letter of Credits (net of Margin Money)	2.42	7.76
(vii)	Others	0.57	0.62
TOTAL		519.40	306.82
(II) Commitments			
(i)	Pending rebate claim for which appeals filed	0.01	0.03
TOTAL		0.01	0.03
(III) Contingent Assets			
Arbitration award in favour of the company in the legal case with State Innovations in Family Planning Services Agency (SIFPSA)		26.84	26.84

Notes

Contingent liability has been calculated as Principal plus Interest @ 12% p.a. The claims made by the claimants have ranged from 8-24%. However, keeping in view the statutory interest levies like Income Tax and principle of Natural Justice, the rate of interest for all claims have been taken @ 12% p.a., in cases where the interest is above 12% p.a. Interest on contingent assets have not been considered

Claims not acknowledged as debts include Rs. 8.71 Crores against which a bank guarantee of Rs. 7.31 Cr is submitted to Court. Hence Rs. 7.31 Cr is excluded from Bank Guarantee to avoid duplication.

Claims not acknowledged as debts does not include any opportunity cost/loss claimed by the petitioner

टिप्पणी : 36 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.45 देखें)

इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण

संबंध	नाम
समनुषंगी	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वोसिस लिमिटेड (हाइट्स)
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड(एचएमसीसीएचएल)
संयुक्त उद्यम	लाइफ़सिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड (एल एस एच)
सहयोगी	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोग्रामन न्यास (एचएलएफपीपीटी)
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)
	एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के एम पी)	क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव & सी एफ ओ
	श्री के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी)
	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन - निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
	श्री टी.राजशेखर-निदेशक (विपणन)
	डॉ.गीता शर्मा - निदेशक (वित्त)
	श्री संतोष चेरियान.सी - एस वी पी (एफ) प्रभारी & सी एफ ओ
	श्री जयकृष्णन ए.आर - कंपनी सचिव एवं ए वी पी (सी ए एस)
	ख.स्वतंत्र निदेशक
	डॉ.विजयचंद्र रेड्डी
	प्रो.(डॉ.) आदर्श पाल विग (03-01-2022 से नियुक्त किया गया)
श्रीमती नीता बूचरा (03-01-2022 से नियुक्त किया गया)	
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का मानदेय	ग. सरकारी नॉमिती निदेशक
	डॉ. मनदीप कुमार भंडारी आई ए एस (24-01-2022 से समाप्त हो गया)
	श्रीमती रोलो सिंह आई ए एस (24-01-2022 से नियुक्त किया गया)
	डॉ. धर्मैद्र एस.गंगवार आई ए एस (30-12-2021से समाप्त हो गया)
	श्री संजय कुमार आई ए एस (24-01-22 से समाप्त हो गया)
	श्री आशिष श्रीवास्तवा आई ए एस (24-01-2022 से नियुक्त किया गया)
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का मानदेय	₹ 2.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.67 करोड़) (विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है)

NOTE : 36 RELATED PARTY DISCLOSURE (REFER NOTE. 2.45)

Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24

Description of Relation	Names	
Subsidiaries	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL)	
Joint Venture	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	
Associates	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	
	HLL Management Academy (HMA)	
	HLL Pratheeksha Charitable Society	
Key Management Personnel (KMP)	A. Chairman & Managing Directors, Whole Time Directors, Company Secretary & CFO	
	Shri. K.Beji George ,IRTS Chairman & Managing Director (CMD)	
	Shri.E A Subramanian Director (Technical & Operations)	
	Shri. T. Rajasekar- Director (Marketing)	
	Dr. Geeta Sharma- Director (Finance)	
	Shri. Santhosh Cherian.C - SVP(F) i/c & CFO	
	Shri. Jaikrishnan A.R - Company Secretary & AVP(CAS)	
	B. Independent Directors	
	Dr. Vijaychander Reddy	
	Prof.(Dr.) Adarsh Pal Vig (appointed w.e.f 03-01-2022)	
	Smt.Neeta Boochra (appointed w.e.f 03-01-2022)	
	C. Government Nominee Directors	
	Dr.Mandeep Kumar Bhandari IAS (ceased w.e.f 24-01-2022)	
	Smt.Roli Singh IAS (appointed w.e.f 24-01-2022)	
	Dr.Dharmendra S. Gangwar IAS(ceased w.e.f 30-12-2021)	
	Shri.Sanjay Kumar IAS (ceased w.e.f 24-01-2022)	
	Shri.Ashish Srivastava IAS (appointed w.e.f 24-01-2022)	
	Remuneration to Key Managerial Personnel	₹2.74 crores (Previous period - ₹1.67 crores) (details enclosed as annexure-1)

परिशिष्ट - 1
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

(₹ करोड़ों में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	रोज़गार के बाद के लाभ *	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	कुल पारिश्रमिक	बैठक शुल्क	बकाया ऋण (सकल)/प्राप्य अग्रिम
श्री के.बेजी जोर्ज	0.48	-	-	0.48	-	-
श्री सुब्रमण्यन.ई.ए	0.53	-	-	0.53	-	0.00
श्री राजशेखर.टी	0.56	-	-	0.56	-	0.00
श्रीमती डॉ.गीता शर्मा	0.62	-	-	0.62	-	-
श्री संतोष चेरियान.सी	0.30	-	-	0.30	-	-
श्री जयकृष्णन.ए.आर	0.25	-	-	0.25	-	0.00
डॉ.पी.विजयचंद्र रेड्डी	-	-	-	-	0.02	-
श्री आदर्श पाल विग	-	-	-	-	0.00	-
श्रीमती नीता बूचरा	-	-	-	-	0.00	-
कुल	2.74	-	-	2.74	0.02	0.00

अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	वेतन एवं भत्ता	पी एफ में योगदान	सीपीएस/पेंशन में योगदान	अन्य फायदे एवं सुविधाएँ	कुल
श्री के.बेजी जोर्ज	0.38	-	0.05	0.05	0.48
श्री सुब्रमण्यन.ई.ए	0.45	0.03	0.01	0.04	0.53
श्री राजशेखर.टी	0.48	0.03	0.01	0.03	0.56
श्रीमती डॉ.गीता शर्मा	0.51	0.04	0.01	0.06	0.62
श्री संतोष चेरियान.सी	0.26	0.02	-	0.02	0.30
श्री जयकृष्णन.ए.आर	0.23	0.02	0.00	-	0.25

* रोज़गार के बाद के हितलाभों का निर्धारण वास्तविक रूप से किया जाता है/समग्र आधार पर भुगतान किया जाता है और व्यक्तिगत आधार पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

Annexure-1
Remuneration of Key Managerial Personnel

(₹ Crs)

Key Managerial Personnel	Short Term employee Benefit	Post employment Benefit *	Other long term employee benefit	Total Remuneration	Sitting Fees	Outstanding Loans (Gross) / Advance receivables
Shri. K.Beji George	0.48	-	-	0.48	-	-
Shri.Subramanian.E.A	0.53	-	-	0.53	-	0.00
Shri.Rajasekar T	0.56	-	-	0.56	-	0.00
Smt.Dr.Geeta Sharma	0.62	-	-	0.62	-	-
Shri.Santhosh Cherian C	0.30	-	-	0.30	-	-
Shri.Jaikrishnan A.R.	0.25	-	-	0.25	-	0.00
Dr.P.Vijayachander Reddy	-	-	-	-	0.02	-
Shri.Adarsh Pal Vig	-	-	-	-	0.00	-
Smt.Neeta Boochra	-	-	-	-	0.00	-
Total	2.74	-	-	2.74	0.02	0.00

Additional disclosure

₹ in Crs

Key managerial Personnel	Salaries & Allowance	Contribution to PF	Contribution to CPS / Pension	Other benefits & Perks	Total
Shri. K.Beji George	0.38	-	0.05	0.05	0.48
Shri.Subramanian.E.A	0.45	0.03	0.01	0.04	0.53
Shri.Rajasekar T	0.48	0.03	0.01	0.03	0.56
Smt.Dr.Geeta Sharma	0.51	0.04	0.01	0.06	0.62
Shri.Santhosh Cherian C	0.26	0.02	-	0.02	0.30
Shri.Jaikrishnan A.R.	0.23	0.02	0.00	-	0.25

* Post - employment benefits are actuarially determined paid on overall basis, and not ascertainable on individual basis

टिप्पणी 37 : इंड ए एस - 108 खंड रिपोर्टिंग के अधीन प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.46 देखें)

₹ करोड़ों में

विवरण	2021-22					2020-21						
	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएँ एवं सेवाएँ	कोविड -19	कुल	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएँ एवं सेवाएँ	कोविड -19	कुल
राजस्व खंड												
निवल विक्री एवं सेवाएँ	277.16	79.79	813.91	899.34	33,948.11	36,018.30	408.37	94.27	636.39	3,568.28	5,375.32	
अन्य अविनिधानीय राजस्व	-	-	-	-	-	40.87	-	-	-	-	46.00	
कुल						36,059.18					5,421.32	
कर के पूर्व लाभ												
कर के पूर्व लाभ	(99.21)	(28.59)	10.72	59.86	835.27	778.06	18.79	(10.38)	5.06	132.32	195.74	
न्यून - ब्याज	6.92	1.83	5.81	8.02	-	22.58	7.14	1.00	4.88	-	25.53	
न्यून - अन्य अविनिधानीय व्यय						216.49					37.77	
पूर्व अवधि में						-					-	
जोड़-अन्य अविनिधानीय व्यय						21.86					12.57	
कर के पूर्व लाभ	(106.13)	(30.42)	4.91	51.84	835.27	560.85	11.65	(11.38)	0.18	132.32	145.01	

**NOTE 37: DISCLOSURE UNDER IND AS-108 SEGMENT REPORTING
(REFER NOTE:2.46)**

₹ in cr

Particulars	2021-22					2020-21						
	Contra-ceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total	Contra-ceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total
Segment Revenue												
Net Sales & Services	277.16	79.79	813.91	899.34	33,948.11	36,018.30	408.37	94.27	636.39	668.01	3,568.28	5,375.32
Other Unallocable Revenue					40.87							46.00
Total					36,059.18							5,421.32
Profit before Tax												
Profit before Interest & Tax	(99.21)	(28.59)	10.72	59.86	835.27	778.06	18.79	(10.38)	5.06	49.95	132.32	195.74
Less:- Interest	6.92	1.83	5.81	8.02	-	22.58	7.14	1.00	4.88	12.51	-	25.53
Less: Other unallocable expenditure					216.49							37.77
Prior period items					-							-
Add:-Other unallocable income			-		21.86				-			12.57
Profit before tax	(106.13)	(30.42)	4.91	51.84	835.27	560.85	11.65	(11.38)	0.18	37.44	132.32	145.01

विवरण	2021-22						2020-21					
	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएँ एवं सेवाएँ	कोविड -19	कुल	गर्भनिरोधक	स्वास्थ्य रक्षा	फार्मा	परियोजनाएँ एवं सेवाएँ	कोविड -19	कुल
नियुक्त पूँजी												
आर्बिट त अचल परिसंपत्तियाँ (क)	101.40	31.56	15.45	60.12	-	208.53	115.98	22.39	5.57	120.88	0.31	265.13
आर्बिट चालू परिसंपत्तियाँ (ख)	85.60	258.87	981.39	101.99	3,509.99	4,937.84	75.25	79.33	97.15	378.93	3,241.27	3,871.92
(क) + (ख)	187.00	290.42	996.84	162.11	3,509.99	5,146.38	191.23	101.72	102.72	499.80	3,241.59	4,137.05
आर्बिट चालू देयताएँ	(455.78)	(200.00)	525.37	(920.10)	5,337.16	4,286.63	67.22	81.85	1,512.10	762.69	1,066.96	3,490.82
नियुक्त पूँजी आर्बटन	642.78	490.43	471.48	1,082.22	(1,827.16)	859.74	124.01	19.87	(1,409.38)	(262.88)	2,174.62	646.23
नियुक्त पूँजी के अविनिधायी अंश						(74.61)						(251.70)
कुल नियुक्त पूँजी						785.13						394.53

2. सेकेंडरी खंड सूचना - भौगोलिक ₹ करोड़ों में

राजस्व	2021-22	2020-21
भारत	35,973.73	5,335.58
भारत के बाहर	85.45	85.74
नियुक्त पूँजी	36,059.18	5,421.32
भारत	785.13	394.53
भारत के बाहर	-	-
	785.13	394.53

Particulars	2021-22					2020-21						
	Contra-ceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total	Contra-ceptives	Health Care	Pharma	Projects & Services	Covid-19	Total
Capital Employed												
Allocated Fixed Assets (a)	101.40	31.56	15.45	60.12	-	208.53	115.98	22.39	5.57	120.88	0.31	265.13
Allocated Current Assets (b)	85.60	258.87	981.39	101.99	3,509.99	4,937.84	75.25	79.33	97.15	378.93	3,241.27	3,871.92
(a+b)	187.00	290.42	996.84	162.11	3,509.99	5,146.38	191.23	101.72	102.72	499.80	3,241.59	4,137.05
Allocated Current Liabilities	(455.78)	(200.00)	525.37	(920.10)	5,337.16	4,286.63	67.22	81.85	1,512.10	762.69	1,066.96	3,490.82
Capital Employed Allocation	642.78	490.43	471.48	1,082.22	(1,827.16)	859.74	124.01	19.87	(1,409.38)	(262.88)	2,174.62	646.23
Unallocable portion of Capital Employed						(74.61)						(251.70)
Total Capital Employed						785.13						394.53

2. Secondary Segment Information - Geographical ₹ in cr

Revenue	2021-22	2020-21
India	35,973.73	5,335.58
Outside India	85.45	85.74
Capital Employed	2021-22	2020-21
India	785.13	394.53
Outside India	-	-
	785.13	394.53

टिप्पणी 38 : आय कर (टिप्पणी 2.47 देखें)

सतत प्रचालन से संबंधित आय कर

₹ करोड़ों में

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
चालू कर	197.43	49.01
गत वर्ष		-
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट) - निवल		-
आय कर	1.00	-
मैट क्रेडिट पात्रता		-
मैट क्रेडिट उत्क्रमण		-
आस्थगित कर		-
चालू वर्ष से संबंधित	75.00	20.47
पिछले वर्ष से संबंधित	(20.47)	13.81
लाभ और हानि में पहचान किए गए कुल आय कर व्यय	252.95	84.19

वर्ष के लिए लेखांकन लाभ से मेल मिलाप किए गए आय कर व्यय :

कर के पूर्व लाभ/हानि	575.53	157.58
आय कर दर*	25.168%	25.168%
लाभ बही के अनुसार आय कर व्यय	144.85	39.66
अनुमति नहीं दिए गए व्यय का प्रभाव	2.22	2.58
गैर कर योग्य आय का प्रभाव	(8.00)	-
मूल्यहास और ऋणमुक्ति का प्रभाव	6.01	13.92
प्रावधानों का प्रभाव	209.34	29.78
आर & डी खर्चों का प्रभाव	-	-
परिसंपत्ति की बिक्री का प्रभाव	0.01	(0.02)
कटौती का प्रभाव	0.00	(21.02)
पट्टे का प्रभाव	0.61	(4.75)
अन्य आय का प्रभाव	(1.28)	20.24
कुल	208.91	40.74
आय कर के अनुसार आय	784.44	198.31
न्यून : नुकसान को आगे ले जाना		-
कर योग्य आय	784.44	198.31
कर लाभ के अनुसार आयकर व्यय	197.43	49.91
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
अन्य प्रावधानों का प्रभाव	78.39	21.43
वस्तुसूची से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	0.42	3.07
पट्टे परिसंपत्तियों के प्रभाव	0.16	6.29
कुल (क)	78.97	30.78
आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यहास और अन्य का प्रभाव	(3.97)	(10.31)
कुल (ख)	(3.97)	(10.31)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (क)+(ख)	75.00	20.47
अन्य व्यापक आय में पहचान किए गए आय कर निर्धारित लाभ दायित्व का पुनः मापन	(1.65)	(3.32)

* टिप्पणी - आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएए के अधीन कर कर

निदेशक मंडल की तरफ से

 इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

 के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
 अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
 [दिन: 08419099]

 डॉ.गीता शर्मा
 निदेशक (वित्त)
 [दिन: 08225251]

 संतोष चेरियान.सी.
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
 [एफ सी ए : 049893]

 जयकृष्णन.ए.आर
 कंपनी सचिव एवं
 सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
 [ए सी एस : 14328]

 आर.श्रीधर
 साझेदार
 सदस्यता सं.026343
 यु डी आई एन :
 2026343 एओएचएचएचएचपी
 डब्लिनयु4844

 स्थान : तिरुवनंतपुरम
 तारीख : 02.08.2022

NOTE 38 INCOME TAXES (REFER NOTE 2.47)
Income tax relating to continuing operations

₹ Crs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Current Tax	197.43	49.91
Previous Year		-
Adjustments/(credits) related to previous years-Net		-
Income Tax	1.00	-
Mat Credit Entitlement		-
Reversal of MAT Credit		-
Deferred Tax Asset/(Liability)		-
In respect of the current year	75.00	20.47
In respect of the previous year	(20.47)	13.81
Total Income Tax expense recognised in Profit & Loss	252.95	84.19

Income Tax expense for the year reconciled to the accounting profit:

Profit / (Loss) before Tax	575.53	157.58
Income Tax Rate*	25.168%	25.168%
Income Tax expense as per Book Profits	144.85	39.66
Effect of Expenses not allowed	2.22	2.58
Effect of Income not taxable	(8.00)	-
Effect of Depreciation and Amortisations	6.01	13.92
Effect of Provisions	209.34	29.78
Effect of R & D Expenses	-	-
Effect of Sale of Assets	0.01	(0.02)
Effect of Deductions	0.00	(21.02)
Effect of Leases	0.61	(4.75)
Effect of other income	(1.28)	20.24
Total	208.91	40.74
Income as per Income Tax	784.44	198.31
Less: Carry forward of losses	-	-
Taxable Income	784.44	198.31
Income Tax expense as per Tax Profits	197.43	49.91
Deferred Tax Assets	-	-
Effect of Other Prov	78.39	21.43
Effect of provisions related to Inventory	0.42	3.07
Effect to Leased Assets	0.16	6.29
Total (A)	78.97	30.78
Deferred Tax Liabilities	-	-
Effect of Depreciation and others	(3.97)	(10.31)
Total (B)	(3.97)	(10.31)
Net Deferred Tax Assets (A)+(B)	75.00	20.47
Income Tax recognised in other comprehensive income	-	-
Remeasurement of defined benefit obligation	(1.65)	(3.32)

*Note - Lower tax rates u/s 115 BAA of Income Tax Act

For and on behalf of the Board of Directors

 For Sridhar & Co
 Chartered Accountants
 Firm No. 003978S

 K.Beji George IRTS
 Chairman &
 Managing Director
 [DIN: 08419099]

 Dr.Geeta Sharma
 Director (F)
 [DIN:08225251]

 Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO
 [FCA:049893]

 Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)
 [ACS:14328]

 R. Sridhar
 Partner
 Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHHHP4844

 Place : Thiruvananthapuram
 Date : 02.08.2022

अनुबंध I : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार समनुषंगी और संयुक्त उद्यम की अतिरिक्त जानकारी (टिप्पणी 2.48 देखें)

सत्ता का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ (कुल परिसंपत्तियाँ न्यून कुल देवताएँ)		लाभ या हानि में शेर		अन्य व्यापक आय में शेर		कुल व्यापक आय में शेर	
	समोक्त निवल परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में	₹ करोड़ों में	समोक्त कुल लाभ या हानि की प्रतिशतता के रूप में	₹ करोड़ों में	अन्य व्यापक आय के प्रतिशतता के रूप में	₹ करोड़ों में	समोक्त कुल व्यापक आय की प्रतिशतता के रूप में	₹ करोड़ों में
मूल								
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड	98.31%	768.92	98.96%	408.23	142.44%	-6.20	98.50%	402.03
समनुषंगी (भारत)								
गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड	-1.45%	-11.38	-1.62%	-6.67	-12.74 %	0.55	-1.50%	-6.11
एचएलएल इंफ़ोटेक सर्वीसेस लिमिटेड	3.93%	30.70	4.27%	17.60	-29.70%	1.29	4.63%	18.89
एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
कुल		788.24		419.17		-4.35		414.81
जोड़/न्यून : अंतर कंपनी समायोजन/उन्मूलन का प्रभाव		-9.01		-8.02		0.00%		-6.63
इक्विटी प्रणाली के अधीन परिकल्पित संयुक्त उद्यम के बिना कुल		779.23		411.14		-4.35		408.17
संयुक्त उद्यम								
लाइफ़सिंक्रा अस्पताल (पी) लिमिटेड	0.38%	2.94	0.33%	1.37	0.00%	-	0.00%	-
कुल		782.17		412.51		-4.35		408.17

ANNEXURE I: ADDITIONAL INFORMATION AS PER SCHEDULE III OF COMPANIES ACT, 2013 OF SUBSIDIARIES & JOINT VENTURE (REFER NOTE : 2.48)

Name of the entity	Net Assets (Total Assets minus Total Liabilities)		Share in profit or loss		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income	
	As % of Consolidated Net Assets	₹ Crs.	As a % of Consolidated Profit or Loss	₹ Crs.	As a % of Consolidated Other Comprehensive Income	₹ Crs.	As a % of Consolidated Total Comprehensive Income	₹ Crs.
Parent								
HLL Lifecare Limited	98.31%	768.92	98.96%	408.23	142.44%	-6.20	98.50%	402.03
Subsidiaries (Indian)								
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited	-1.45%	-11.38	-1.62%	-6.67	-12.74%	0.55	-1.50%	-6.11
HLL Infra Tech Services Limited	3.93%	30.70	4.27%	17.60	-29.70%	1.29	4.63%	18.89
HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total		788.24		419.17		-4.35		414.81
Add/ Less: Effect of intercompany adjustments/ eliminations	-1.15%	-9.01	-1.94%	-8.02	0.00%	0.00	-1.62%	-6.63
Total without Joint Venture accounted under Equity method	99.62%	779.23	99.67%	411.14	100.00%	-4.35	100.00%	408.17
Joint Venture								
Lifespring Hospitals (P) Limited	0.38%	2.94	0.33%	1.37	0.00%	-	0.00%	-
Total	100.00%	782.17	100.00%	412.51	100.00%	-4.35	100.00%	408.17

अनुबंध II : कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अतिरिक्त जानकारी (फॉर्म ए ओ सी-1 में कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ित धारा 129(3)(1) के अनुसार

भाग 'क' समनुषंगी (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्रम सं.	समनुषंगी कंपनी का नाम	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	एचएलएल इंफ्राटेक लिमिटेड	एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल
1	रिपोर्टिंग मुद्रा	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में	₹ कराड़ों में
2	शेयर पूंजी	19.02	2.00	-
3	आरक्षित और अधिशेष	(30.40)	28.70	-
4	कुल परिसंपत्तियाँ	39.84	3808.49	-
5	कुल देयताएं	51.23	3777.78	-
6	निवेश	0.00	0.00	-
7	व्यापारावर्त	70.75	303.06	-
8	कर के पूर्व लाभ	(6.67)	23.72	-
9	कर के लिए प्रावधान	0.00	6.12	-
10	कर के बाद लाभ/ हानि	(6.67)	17.60	-
11	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	-
12	शेयरधारिता की प्रतिशतता	74%	100%	100%
समनुषंगियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना है				शून्य
समनुषंगियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बेचा गया है				कोई नहीं

भाग 'बी' सह और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम : लाइफ़ स्प्रिंग अस्पताल (पी) लिमिटेड

1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	31.03.2022
2	वर्ष के अंत पर कंपनी द्वारा लिए गए सहयोगी/ संयुक्त उद्यम की शेयरों की संख्या	85,79,929
3	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	9.51
4	धारण विस्तार %	50%
5	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है का विवरण	50 % इक्विटी शेयर धारण और अक्युमन के साथ तुल्य बोर्ड प्रतिनिधित्व
6	सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकन नहीं करने का कारण	लागू नहीं
7	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के शेयरधारिता के लिए निवल मूल्य	2.94
8	वर्ष के लिए लाभ/हानि	2.75
	i. समेकन में विचार किए गए	1.37
	ii. समेकन में विचार नहीं किए गए	1.37

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते श्रीधर & कं
सनदी लेखाकार
फर्म नं.003978एस

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष & निदेशक
[दिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[दिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

आर.श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं.026343
यु डी आई एन :
2026343 एओएचएचएचपी
डब्ल्यू4844

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 02.08.2022

ANNEXURE II : ADDITIONAL INFORMATION AS PER COMPANIES ACT, 2013 (PURSUANT TO SECTION 129 (3) (1) READ WITH RULE 5 OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014) IN FORM AOC-1

PART "A" SUBSIDIARIES (FY 2021-22)

Sl. No	Name of the subsidiary company	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited	HLL Infra Tech Services Limited	HLL Mother & Child Care Hospital Limited
1	Reporting Currency	(₹ in crs)	(₹ in crs)	(₹ in crs)
2	Share Capital	19.02	2.00	-
3	Reserves & Surplus	(30.40)	28.70	-
4	Total Assets	39.84	3808.49	-
5	Total Liabilities	51.23	3777.78	-
6	Investments	0.00	0.00	-
7	Turnover	70.75	303.06	-
8	Profit Before Tax	(6.67)	23.72	-
9	Provision for Tax	0.00	6.12	-
10	Profit/loss After Tax	(6.67)	17.60	-
11	Proposed Dividend	Nil	Nil	-
12	Percentage of Shareholding	74%	100%	100%
Names of subsidiaries which are yet to commence operations:				Nil
Names of subsidiaries which have liquidated or sold during the year:				None

PART "B" ASSOCIATES & JOINT VENTURES

Name of Joint Venture Company : Life Spring Hospital (P) Limited

1	Latest audited Balance Sheet Date		31.03.2022
2	No. of shares of Associate / Joint Ventures held by the company on the year end		85,79,929
3	Amount of Investment in Associates/Joint Ventures		9.51
4	Extend of Holding %		50%
5	Description of how there is significant influence	50% Equity Share holding and equal Board representation along with Acumen	
6	Reason/why the associate / joint venture is not consolidated		N.A
7	Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet		2.94
8	Profit/Loss for the year		2.75
	(i) Considered in Consolidation		1.37
	(ii) Not Considered in Consolidation		1.37

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For Sridhar & Co
Chartered Accountants
 Firm No. 003978S

K.Beji George IRTS
 Chairman &

Dr.Geeta Sharma
 Director (F)

Santhosh Cherian.C
 SVP(F) i/c & CFO

Jaikrishnan A.R
 CS & AVP (CAS)

R. Sridhar
 Partner

Managing Director
 [DIN: 08419099]

[DIN:08225251]

[FCA:049893]

[ACS:14328]

Membership No:026343
 UDIN: 22026343AOHHHP4844

Place : Thiruvananthapuram

Date : 02.08.2022

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
एचएलएल भवन, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम
केरल, भारत 695 012
दूरभाष सं.: 91-471-2354949 (5 लाइन)
तार : रोलैटेक्स
फैक्स सं. : 91-471-2356739
ई-मैल : enquiry@lifecarehll.com
वेबसाइट : www.lifecarehll.com

फैक्टरी

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पेरूरकडा फैक्टरी
पेरूरकडा
तिरुवनंतपुरम - 695 005
दूरभाष सं. : 91-471-2437270/2433602/2433459/
2432880/2432292
फैक्स सं. : 91-471-2435013

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
आक्कुलम फैक्टरी
आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम -695 017
दूरभाष : 91-471-2441384, 2442641, 2442642,
2442692, 2442697
फैक्स सं. : 91-471-2441383

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
कनगला फैक्टरी, बेलगाम
कनगला, बेलगाम -591 225
दूरभाष सं. : 08333-279206, 279207, 279244,
279245, 279239
फैक्स सं. : 08333-321443

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
काक्कनाड फैक्टरी, कोच्चिन
प्लॉट नं. 16 ए/1
काक्कनाड, कोच्चिन - 682 037
दूरभाष सं. : 0484 - 2413332, 2413293
फैक्स सं. : 0484-2413293

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
मनेसर यूनिट
प्लॉट नं. 71, सेक्टर 7,
गुडगाव, हरियाणा-122 050
दूरभाष सं. : 0124- 4030949
फैक्स सं. : 0124 - 4030949

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड इंदौर संयंत्र
सेक्टर - ई, सानवर रोड़
औद्योगिक क्षेत्र,
इंदौर - म.प्र.
दूरभाष सं. (0731) 3259458/4011740

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
ऐरापुरम फैक्टरी
री-सर्वे नं.156/3 ब्लॉक नं.29
रबड़ पार्क,
वलयनचिरंडरा,
ऐरापुरम, कोच्चिन- 683 556

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
हरिद्वार फैक्टरी
घरसा सं. 37, ग्राम मखनपुर, भगवानपुर तहसील,
हरिद्वार जिला, उत्तराखंड - 247 661

क्षेत्रीय कार्यालय :

नोएडा

विपणन कार्यालय :
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
नं. बी-14ए, सेक्टर - 62,
नोएडा (उ.प्र) - 201 301
दूरभाष सं. : 0120-4071500, 0120-4071609 (विपणन)
फैक्स सं. : 0120-4071513/4071627

कोलकत्ता

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
स्यूट नं. 901, 9 वाँ तल,
कृष्णा बिल्डिंग,
224 ए, ए.जे.सी.बोस रोड़,
कोलकत्ता -700 017
पश्चिम बंगाल
दूरभाष सं. : 033-22905275/74

REGISTERED & CORPORATE OFFICE

HLL Lifecare Limited
Registered & Corporate Office
HLL Bhavan, Poojappura
Thiruvananthapuram
Kerala, India 695 012
Tele : 91-471-2354949 (5 lines)
Grams ROLATEX
Fax : 91-471-2356739
E mail : enquiry@lifecarehll.com
Website : www.lifecarehll.com

FACTORIES

HLL Lifecare Limited
Peroorkada Factory
Peroorkada
Thiruvananthapuram 695 005
Tel : 91-471-2437270/2433602/2433459/
2432880/2432292
Fax : 91-471-2435013

HLL Lifecare Limited
Akkulam Factory
Akkulam, Thiruvananthapuram-695017
Tel : 91-471 - 2441384, 2442641,
2442642, 2442692, 2442697
Fax : 91-471-241383

HLL Lifecare Limited
Kanagala Factory, Belgaum
Kanagala, Belgaum – 591225
Tele : 08333-279206, 279207, 279244,
279245, 279239
Fax : 08333-321443

HLL Lifecare Limited
Kakkanad Factory, Cochin
Plot No.16A/1
Kakkanad, Cochin – 682 037
Tele : 0484 – 2413332,2413293
Fax : 0484 - 2413293

HLL Lifecare Limited
Manesar Unit
Plot No.71, Sector 7
Gurgaon, Haryana - 122050
Tel.No. : 0124 – 4030949
Fax No. : 0124– 4030949

HLL Lifecare Limited Indore Plant,
Sector-E, Sanver Road
Industrial Area
Indore - M.P.
Tel : (0731) 3259458 / 4011740

HLL Lifecare Limited
Irapuram Factory
Re. Sy. No.156/3 Block No.29
Rubber Park
Valayanchirangara
Irapuram, Cochin-683556

HLL Lifecare Limited
Haridwar Factory
Kharsa No. 37, Gram Makhanpur,
Bhagwanpur Tehsil, Haridwar District,
Uttarakhand – 247 661

REGIONAL OFFICE:

NOIDA

Marketing office:
HLL Lifecare Limited
No.B-14A, Sector-62
Noida (U.P.) – 201 301
Tel : 0120-4071500, 0120-4071609 (Mktg.)
Fax No. : 0120-4071513/4071627

KOLKATTA

HLL Lifecare Limited,
Suite No: 901, 9th Floor
Krishna Building,
224A, A.J.C.Bose Road
Kolkata - 700017
West Bengal
Tel : 033 22905275/74

चेन्नै

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (सी बी डी/एच सी डी)
नं. 185, प्लॉट नं. 1, लिंगावल टवर,
100 फीट बै पास रोड, विजया नगर,
वेलाचेरी, चेन्नै - 600 042
दूरभाष सं. : 044 - 22453478/22551860/
22551868/22441727
फैक्स सं. : 044-22550764
ई-मैल : hllmktstr@md3.vsnl.net.in

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (डब्लियु एच डी)
नं. 12, 100 फीट रोड,
वेलाचेरी तारामणि रोड,
कैनरा बैंक के पास, वेलाचेरी,
चेन्नै - 600 042.
दूरभाष सं. : 044-22435604, 22435607,
22433306

हैदराबाद

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
3-5-816, वीणा धारी कॉम्प्लेक्स,
4वाँ तल, किंड कोती रोड,
हैदरगुडा, हैदराबाद - 560029
दूरभाष & फैक्स सं. : 040-23210041

लखनाऊ

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
9/316, विकास नगर
लखनाऊ - 226 022
दूरभाष सं. : 0522 - 2330945, 2320592
फैक्स सं. : 0522- 2738947/2330945
ई-मैल : hlatex@satyam.net.in

मुंबई

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
एचएलएल भवन, 501 & 502, 5वां तल
प्लॉट नं. 86, सेक्टर-11
मंदिर चौक के पास, कोपरा रोड
कोपरा बस स्टॉप के पीछे
खारघर, नवी मुंबई-410210
महाराष्ट्र
दूरभाष : 022-20870667, 20870668

CHENNAI

HLL Lifecare Limited (CBD/HCD)

No.185, Plot No.1, Lingavel tower
100 ft. Bye Pass Road, Vijayanagar
Velachery

Chennai – 600 042.

Tel : 044-22453478/22551860/
22551868/22441727

Fax No. : 044-22550764

E-mail : hllmktstr@md3.vsnl.net.in

HLL Lifecare Limited (WHD)

No.12, 100 Feet Road,
Velacherry Taramani Road,
Near Canara Bank, Velacherry,
Chennai – 600042

Phone : 044 -22435604, 22435607, 22433306

HYDERABAD

HLL Lifecare Limited

3-5-816, Veena Dhari Complex,
4th Floor, King Koti Road,
Hyderguda, Hyderabad - 560029.
Phone & Fax No.: 040-23210041

LUCKNOW

HLL Lifecare Limited,

9/316, Vikas Nagar

Lucknow-226 022.

Phone No: 0522-2330945, 2320592

Fax : 0522-2738947/2330945

E-mail : hlatex@satyam.net.in

MUMBAI

HLL Lifecare Limited

HLL Bhavan, 501& 502, 5th Floor

Plot No. 86, Sector-11

Near Mandir Chowk, Khopra Road

Behind Khopra Bus Stop

Kharghar, Navi Mumbai - 410210

Maharashtra

Phone No : 022-20870667, 20870668

HLL Lifecare Limited
(A Government of India Enterprise)



एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CIN : U25193KL1966GOI002621

Registered & Corporate Office
HLL Bhavan, Poojappura
Thiruvananthapuram - 695 012
Tel: 91-471-2354949
Fax: 91-471-2356739
Email: enquiry@lifecarehll.com

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
एचएलएल भवन, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम - 695 012
दूरभाष: 91-471-2354949
फैक्स : 91-471-2356739
ई-मैल : enquiry@lifecarehll.com

www.lifecarehll.com

Innovating for Healthy Generations

स्वस्थ पीढ़ियों के लिए नवान्वेषण
